“MAA” OMWATI COLLEGE OF EDUCATION HASSANPUR (PALWAL)

AFFILIATED CRS UNIVERSITY, JIND

B.ED – 2ND YEAR (2021-22)

NOTES PAPER- III

CREATING AN INCLUSIVE SCHOOL

MAA OMWATI EDUCATION TRUST

DELHI

E-mail: moce.principal@maaomwati.com

1 विकलांगता के विभिन्न प्रकार [Various Types of Disabilities]

दृष्टि बाधिता
(Visual Impairment)

ईश्वर ने मनुष्य को ज्ञानेन्द्रियाँ व कर्मेन्द्रियाँ उपहार स्वरूप प्रदान की हैं। यदि इनमें कभी कोई चोट या क्षति हो तो कई समस्याएँ हो जाती हैं। इनमें यदि कोई दोष उत्पन्न हो जाता है तो मानव अपूर्ण सा समझा जाता है किसी भी इन्द्रिय में कोई भी दोष हो तो उससे सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, व्यावसायिक जीवन, संवेगात्मकता आदि सम्पूर्ण क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है।

दृष्टि बाधिता का अर्थ (Meaning of Visual Impairment)

दृष्टि बाधित बालक वे बालक हैं जिन्हें देखने में समस्या होती है दृष्टि बाधिता भी दो प्रकार की होती है। प्रथम अल्प दृष्टि या आंशिक रूप से दृष्टि दोष व द्वितीय दृष्टिहीनता। आंशिक दृष्टि दोष वाले बालकों को देखने में थोड़ी समस्याएँ आती हैं ऐसे बालक मोटे अक्षरों को पढ़ सकते हैं। इन बच्चों के नेत्रों में प्रतिबिम्ब की तीव्रता बहुत कम होती है। यह दोष निकट व दूर दोनों प्रकार का हो सकता है इसका मुख्य कारण रेटिना की कमजोरी या नेत्र से सम्बन्धित व मांशपेशियों का ठीक से कार्य न करना हो सकता है। पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित बालक वे बालक हैं जिनकी किन्हीं कारणों से नेत्र ज्योति चली गई हो जो पूर्णतयाः देखने में असमर्थ हों। ये विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ समायोजित नहीं हो पाते हैं। इन्हें शिक्षा देने के लिए विशेष प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है। तथा इनके लिए ब्रेल लिपि का सहारा लिया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यदि सामान्य कक्षा में दृश्य-श्रव्य सामग्री का ठीक प्रयोग किया जाय तो दृष्टि बाधिता बालक तो सीख सकते हैं। गम्भीर रूप से दृष्टि बाधित बालक को सामान्य कक्षा में पढ़ाने में समस्या होती है। ये ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ सकते हैं या

Scanned with CamScanner

फिर श्रव्य माध्यमों के द्वारा सुनकर सीख सकते हैं। दृष्टि बाधित की परिभाषाऐं इस प्रकार है :-

अमेरिका का मेडिकल संघ 1934 : अमेरिकन मेडिकल संघ ने दृष्टि बाधिता को इस प्रकार व्यक्त किया है - "कानूनी दृष्टि से पूर्ण बाधित उन्हें मानते है (1) जिनकी दृष्टि क्षमता 20/200 या इससे कम हो उनकी आँखो में सुधार के बाद उत्तम हो (2) अथवा जिनका दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो और 20° का कोण बनाती है और आँख में सुधार के बाद उत्तम हो।"

समाज कल्याण मंत्रालय 1987 : इसमे दृष्टि बाधितो को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :-

1) अपनी पूर्ण दृष्टि खो चुके है।
2) दृष्टिबाधित 6/60 या 20/20 से अधिक न हो और चश्मे के प्रयोग से आँख उत्तम हो।
3) दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो और 20° का कोण बनता हो।

दृष्टि बाधिता का वर्गीकरण (Classification of Visual Impairment)

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि दृष्टि बाधिता दो प्रकार की होती है :-

दृष्टि बाधिता

- अल्प दृष्टि/आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालक
- दृष्टिहीन/गम्भीर रूप से दृष्टि बाधित बालक

1) आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालक :- आंशिक रूप से बाधित उन्हें कहते है जो कुछ देख सकते है। या जो चश्मे की सहायता से देख सकते हैं। इनकी दृष्टि क्षमता (20 से 70) होती है ये 20 फिट दूरी तक देख सकते हैं। जबकि सामान्य बालक 70 फीट की दूरी तक देख सकता है आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बच्चों को चार भागों में बाँट सकते है :-

i) ऐसे बालक जिनकी देखने की क्षमता 20/70 तथा 20/200 के मध्य होती है।
ii) ऐसे बालक जो दृष्टि दोष से पीड़ित है।
iii) ऐसे बालक जो नेत्र रोगो से पीड़ित है।
iv) ऐसे बालक जो उपरोक्त में सम्मिलित नहीं है जो चिकित्सकों के अनुसार कम देखने वाले बालकों को दिये गये साधनों तथा उपकरणों द्वारा अधिक लाभान्वित हो सकते हैं।

आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालकों की सही समय पर जाँच की जानी आवश्यक है। विद्यालय में प्रवेश के समय भी बच्चों का परीक्षण किया जा सकता है माता-पिता को भी चाहिए कि अपने बच्चों के स्वास्थ्य का समय-समय पर परीक्षण करायें।

2) गम्भीर रूप से दृष्टि बाधित बालक :- गम्भीर रूप से दृष्टि बाधित बालक वे है जिन्हें दिखाई नहीं देता है वे चलने के लिए छड़ी का सहारा लेते है। ऐसे बच्चे सामान्य शिक्षण विधियो से नहीं पढ़ सकते हैं। इनके लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। इन बच्चों को पूर्णतः श्रवण एवं स्पर्शीय इन्द्रियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है इन बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना आवश्यक है।

दृष्टि बाधित बालको के लक्षण (Symptoms of Children with Visual Impairment)

दृष्टि बाधित बालकों के लक्षण इस प्रकार है :-

1. आँखें तिरछी होना।
2. आँखों की पलकों में सूजन, खुजली होना।
3. आँखों से पानी आना।
4. प्रकाश के प्रति क्रियाशीलता।
5. श्यामपट्ट में लिखे शब्दों का स्पष्ट न दिखाई देना।
6. आँखों के पास पुस्तक लेकर पढ़ना।
7. पढ़ते समय शब्दों का भ्रम होना।

दृष्टि बाधिता की पहचान (Identification of Children with Visual Impairment)

दृष्टि बाधित बालको की पहचान किस प्रकार की जाय? इसके लिए कुछ विधियाँ इस प्रकार हैं :-

1) व्यावहारिक लक्षण :- निम्न दृष्टि बाधिता की पहचान बाल्यावस्था में प्राथमिक शिक्षा के काल में हो जाती है इन बच्चों को पढ़ने-लिखने में समस्या आती है, ठीक से पढ़ नहीं सकते हैं।

2) मेडीकल परीक्षण :- बालक के दृष्टि सम्बन्धी दोष का पता लगाने के लिए स्नेलन चार्ट का प्रयोग किया जाता है।

3) एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा दी गई सूची का प्रयोग :- एन.सी.ई.आर.टी द्वारा एक प्रश्नों की सूची तैयार की गई है। जिसकी सहायता से दृष्टि बाधित बालको की पहचान की जा सकती है यह सूची इस प्रकार है :-

- बच्चे का पढ़ते लिखते समय सिरदर्द की शिकायत करना।
- श्यामपट्ट पर लिखी पाठ्यवस्तु को लिखने में दूसरे साथी की सहायता लेना या उसे बोलकर पढ़ने को कहना।
- थोड़ी-थोड़ी देर में पलक झपकाना।
- पुस्तक को आँख के पास लेजाकर पढ़ना।
- पढ़ते समय एक आँख को ढक लेना।
- आँख की पुतली का आकार भिन्न होना।
- दूर देखते समय आँखों को मसलना।
- पलकों का छोटा होना।
- पढ़ते समय एकाग्रता न होना।
- आँख से पानी बहना।
- चलते समय गलत पैर पड़ना।
- वस्तुओं की दूरी में अन्तर करने में कठिनाई का होना।
- प्रकाश के प्रति संवेदनशील होना।

Scanned with CamScanner

दृष्टि बाधिता के कारण (Causes of Visual Impairment)

बच्चों में दृष्टि बाधिता कई कारणों से हो सकती है। यह आनुवांशिक भी हो सकती है तथा जन्म के पश्चात भी। सामान्य रूप से आंशिक दृष्टि बाधिता दो प्रकार की होती है :-

1. निकट दृष्टि दोष : इस दोष में पास की वस्तुऐं स्पष्ट दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तुऐं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। यह दोष मायोपिया के कारण होता है तथा इसके लिए अवतल लैंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है।
2. दूर दृष्टि दोष : इस दोष में दूर की वस्तुऐं स्पष्ट दिखाई देती है और पास की वस्तुओं को देखने में समस्या होती है यह दोष हाइपरमेट्रोपिया के कारण होती है। इसके लिए उत्तल लैंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है।

आंशिक रूप से दृष्टि बाधिता के निम्नलिखित कारण है :-

- जन्म से पूर्व गर्भावस्था में असंतुलित भोजन, तेज औषधियाँ तथा आवासीय स्थान का ठीक न होना।
- समय से पूर्व तथा शल्य क्रिया के द्वारा जन्म होना।
- जन्म के समय संक्रामक बिमारियाँ, चेचक, कैंसर आदि के कारण दृष्टि बाधिता होती है।
- माता-पिता के आनुवंशिक गुणों के कारण भी यह बाधिता हो सकती है।

दृष्टि बाधित बालकों की समस्याऐं

(Problems of Children with Visual Impairment)

दृष्टि बाधित बालकों की कई समस्याऐं है। स्पष्ट है कि जिसे दिखाई न देता हो या फिर कम दिखाई देता है तो उसकी प्रत्येक क्षेत्र में समस्याऐं पैदा होती है चाहे वह बौद्धिक विकास की हो या शैक्षिक विकास की या अन्य। कुछ समस्याऐं इस प्रकार है :-

1. **शैक्षिक मन्दता (Educational Retardation)** :- पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित बालकों की पढ़ने लिखने की गति सामान्य की अपेक्षा कम होती है क्योंकि वे बताई गई बातों व निर्देशों को ठीक से नहीं समझ पाते है। इनके लिए ब्रेल लिपि ही उत्तम होती है। यदि दृष्टिहीन बालकों को उनके अनुसार नहीं सिखाया गया तो उनकी शैक्षिक प्रगति निम्न स्तर की होगी क्योंकि ये जल्दी समझ नहीं पाते है।
2. **दोषपूर्ण व्यक्तित्व का विकास (Development of Inadequate Personality)** :- दृष्टि बाधित बालक सामान्यतया दूसरों पर निर्भर होते है। उन्हें अपने निर्णय लेने के अवसर प्रदान नहीं होते है। वे अपने को असहाय व बेबस समझते है। जिससे इनमें निर्भरता व असुरक्षा की भावना रहती है। जिस कारण दोषपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है।
3. **समायोजन की समस्याऐं (Problems of Adjustment)** :- समाज में दृष्टिहीन या बाधित बच्चों को निम्न व हेय दृष्टि से देखा जाता है। इनमें व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याऐं होती है इस कारण इनमें हीनता की भावना आ जाती है समायोजन के सम्बन्ध में शोध व सभी विद्वानों एक मत नहीं है।
4. **बौद्धिक विकास (Intellectual Development)** :- बुद्धि के विकास में गुणसूत्र के अतिरिक्त वातावरण, उनकी प्रकृति एवं अनुभव कार्य करते हैं। गम्भीर रूप से बाधित बच्चों में इनका अभाव बना रहता है। उनके सीखने के अनुभव सीमित रहते है। बुद्धिलब्धि स्तर कम होने के कारण इनका बौद्धिक विकास सामान्य से कम होता है।

5. **अवरूद्ध वाणी विकास (Slow Speech Development)** :- दृष्टिहीन बालक हाव भावों को समझने में असमर्थ होते हैं। उनमें अन्तःक्रिया का अभाव होता है जिस कारण इनकी वाणी का ठीक से विकास नहीं हो पाता है।
6. **बोधगम्यता (Comprehension)** :- इन बच्चों में तथ्यों, सूचनाओं का बोध करने की गति मन्द होती है। दृष्टिहीन बालक सूचनाओं को ग्रहण करने में श्रवण व स्पर्श इन्द्रियों पर ही निर्भर रहते हैं। उन्हे निरीक्षण व अनुकरण से सीखने के अवसर नहीं मिल पाते हैं। इसलिए उनके द्वारा प्रेषित सूचनाओं में यथार्थता का अभाव होता है।
7. **प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी दोष (Defects in Perceptual Ability)** :- पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित बालकों में प्रत्यक्षीकरण दोष होता है क्योंकि उनमें दृष्टि इन्द्रिय का कोई योगदान नहीं होता है वे वस्तुओं को स्पर्श या सुनने का प्रयास करते है। दृष्टि बाधित के कारण प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता है।

इस प्रकार दृष्टिबाधित बालकों की अनेकों समस्याऐं होती हैं। इनमें समायोजन सम्बन्धी समस्याऐं भी आती है क्योंकि दूसरों की कृपा दृष्टि उन्हें स्वयं ही दीन-हीन बना देती है। इससे इन बच्चों में अलगाव, हीन भावना आती है ये बालक चिन्ता, असुरक्षा व विषाद की भावनाओं से ग्रसित होते हैं सामान्यतः देखा गया है कि साथी समूह भी इन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। दृष्टि अभाव के कारण सामाजिक अन्तःक्रियाऐं भी सीमित होती हैं।

दृष्टि बाधित बालकों की शैक्षिक आवश्यकताऐं

(Educational Needs of Children with Visual Impairment)

दृष्टि बाधित बालकों की शैक्षिक समस्याऐं होती हैं जहां तक आंशिक रूप से बाधित बच्चे हैं तो उन्हें सामान्य कक्षा में कुछ तकनीकि में परिवर्तन कर एक साथ सिखाया जा सकता है। लेकिन गम्भीर रूप से बाधित बालकों को सामान्य कक्षा-कक्ष में सिखाने में कई समस्याऐं है। इन बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताऐं इस प्रकार हैं :-

1. कक्षा व्यवस्था
2. शैक्षिक माध्यम
3. वृहत यंत्र
4. ब्रेल लिपि
5. विशिष्ट उपकरण
6. पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ
7. व्यावसायिक प्रशिक्षण
8. आवासीय विद्यालय
9. समावेशन

1. **कक्षा व्यवस्था** :- दृष्टि दोष वाले बालकों को सामान्य कक्षा में शिक्षण करने के लिए कक्षा व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक होगा। कक्षा-कक्ष में उचित प्रकाश व उचित वायु का प्रबन्ध हो तथा बैठने की व्यवस्था ठीक हो। दृष्टि दोष वाले बच्चों को कक्षा में आगे की सीट में बैठाया जाय ताकि वे श्यामपट्ट में लिखे बिन्दुओं को देख सकें।

Scanned with CamScanner

2. शैक्षिक माध्यम :- इन बच्चों के लिए शैक्षिक माध्यम एक बड़े पैमाने पर हो। एक दृष्टिवान बालक के लिए पुस्तक मे 10 या 12 का टाइप (Font Size) होता है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए य (Font Size) 18 से 24 का होना चाहिए। पुस्तक की छपाई स्पष्ट होनी चाहिए।

3. वृहतदर्शी यंत्र (Magnifying Glasses) :- इन उपकरणों की सहायता से छोटे अक्षरों को बड़े आका मे देखा जा सकता है। यदि दृष्टि बाधित बच्चों को ये उपकरण उपलब्ध कराये जाये जिससे इन्हें पढ़ने मे आसानी होगी।

4. ब्रेल लिपि (Braille) :- नेत्रहीन बालकों को सिखाने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता इस लिपि मे पढ़ने-लिखने के साथ-साथ गणित, संगीत, रसायन विज्ञान, कम्प्यूटर आदि विषय सिखाये जा सकते है।

5. विशिष्ट उपकरणों की आवश्यकता (Need of Specialized Equipments) :- दृष्टि बाधि बालको की शिक्षा के लिए विशेष उपकरणों का होना आवश्यक होता है। इन उपकरणो में विद्यु केन्द्रीय उपकरण, टेप रिकॉर्डर आदि प्रमुख है। भाषा, इतिहास, भुगोल, विज्ञान आदि विषयों टेप रिकॉर्डर की सहायता से पढ़ाया जा सकता है क्योंकि इन बच्चों के देखने मे समस्या आती जबकि श्रवण इन्द्रियाँ ठीक होती है ये सुनकर सीख सकते है। स्पर्श द्वारा भी उभार वाले मानचि एवं अन्य चित्र सिखाऐ जाते है।

6. पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ (Co-curricular Activities) :- इन बालकों की शिक्षा के पाठ्यक्र मे अन्य सहगामी क्रियाओं को शामिल किया जाना चाहिए। इन क्रियाओं मे संगीत, वाद विवाद, कवित पाठ, भाषण, कला आदि रखे जाने चाहिए। इन क्रियाओं मे भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जान चाहिए। इन क्रियाओं से बच्चों मे आत्मविश्वास पैदा होता है।

7. व्यावसायिक प्रशिक्षण (Vocational Training) :- दृष्टि बाधित बालको के लिए शिक्षा साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी आवश्यक है। व्यावसायिक प्रशिक्षण से बालक भावी जीवन लिए तैयारी कर सकता है। इन बच्चों के लिए बागवानी, कुर्सी बनाना, मोमबत्ती बनाना आ कार्यानुभव को पाठ्यक्रम मे स्थान देकर व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाय। वर्तमान समय के अनुस इन बच्चों के लिए इलेक्ट्रिकल, कम्प्यूटर, रेडियो, टीवी आदि को ठीक करना व इससे सम्बन्धि व्यावसायिक पाठ्यक्रम की ओर ले जाना आवश्यक है।

8. आवासीय विद्यालय (Residential Schools) :- आवश्यक है कि दृष्टिबाधित बालकों के लि अधिक सरकारी एवं गैर सरकारी आवासीय विद्यालय खोले जाये, जहां वे रहकर शिक्षा प्राप्त क सके।

9. समावेशन (Inclusion) :- अब यह आवश्यक हो गया है कि विकलांग बच्चों को पृथक न करके एक साथ सामान्य विद्यालयों मे शिक्षा दी जाये। इन बच्चों के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभा न किया जाये। तथा अध्यापक व विद्यालयों का उत्तरदायित्व होगा कि इन बच्चों की शैक्षि आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तथा अध्यापकों का भी उत्तरदायित्व होगा कि वे अपनी शिक्ष तकनीकियों मे परिवर्तन कर सभी बच्चों को समान रूप से पढ़ाऐं ताकि ये बच्चे भी शिक्षा का ला उठा सकें।

अध्यापक की भूमिका (Role of Teacher)

दृष्टि बाधित बालकों की शिक्षा में अध्यापक की भूमिका व उत्तरदायित्व अधिक हो जाता है। उन बच्चों की समस्याओं से अध्यापक को परिचित होना आवश्यक है। अध्यापक को बालक की वास्तविक समस्या का ज्ञान होना आवश्यक है जिससे कि वह उनकी सुविधानुसार शिक्षण रणनीति तैयार कर सके। एक अध्यापक बालक में ऐसे गुणों का विकास कर सकता है जिससे वह अच्छा, सामाजिक, शैक्षिक व व्यावसायिक समायोजन कर सके। उसे बालक में ऐसी क्षमता विकसित करने का प्रयास करना चाहिए कि वह अपनी शारीरिक कमजोरी के कारण हीन न समझे। वर्तमान समावेशी शिक्षा में इन बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान करने के लिए स्रोत शिक्षक की व्यवस्था की जाने लगी है।

इन बालकों की शिक्षा का उत्तरदायित्व सामान्य व स्रोत शिक्षक दोनों का ही है। दृष्टि बाधित बालक की शिक्षा में अध्यापक की भूमिका इस प्रकार है:-

i) दृष्टि बाधित बालकों को सामान्य बालकों की भाँति अधिगम अनुभव प्रदान किये जाने चाहिऐ।
ii) इन बच्चों की समस्याओं के समाधान के लिए अतिरिक्त समय दिया जाये।
iii) इन बच्चों को पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिऐ। अध्यापक को चाहिऐ कि वे उनकी क्षमतानुसार क्रियाओं में भाग लेने को प्रेरित करें।
iv) इन बालकों के कार्यों की समय-समय पर जाँच व निरीक्षण किया जाना चाहिऐ।
v) श्यामपट्ट में लिखते समय बड़े शब्द लिखे जाऐं व चित्र बनाये जाऐं।
vi) शिक्षण सहायक सामग्री, चार्ट, मॉडल आदि का प्रयोग किया जा सकता है।
vii) आंशिक दृष्टि बाधित बालकों के लिए दृश्य, श्रव्य सामग्री की व्यवस्था हो व उनका उचित प्रयोग किया जाय।
viii) गम्भीर दृष्टि बाधित बच्चों के लिए श्रव्य सामग्री, टेप रिकॉर्डर आदि का प्रयोग किया जाना चाहिऐ।
ix) कक्षा का वातावरण अच्छा हो, प्रकाश की उचित व्यवस्था हो तथा इनके बैठने के लिए उचित व्यवस्था की जानी आवश्यक है।
x) कक्षा शिक्षण में अध्यापक हाव, भाव, संकेत आदि का प्रयोग किया जाना चाहिऐ।
xi) इन बच्चों को उनकी क्षमतानुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण व उचित निर्देशन दिया जाना चाहिऐ। यह कार्य अध्यापक कर सकते है।

इस प्रकार अध्यापक बच्चों के लिए उचित मार्गदर्शक का कार्य करता है। इन बच्चों की शिक्षा में अध्यापक का उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ जाता है। अध्यापक को इन बच्चों की समस्याओं व कठिनाईयों का पता लगाना चाहिए तथा उसी के अनुसार व बच्चों की क्षमता के अनुसार अपनी शिक्षण रणनीति में परिवर्तन करना चाहिए, जिससे दृष्टि बाधित बालक भी शिक्षा का लाभ उठा सकें।

श्रवण बाधिता (Hearing Imparment)

जैसा कि पिछले अध्यायों में विकलांगताओं की चर्चा की गई है। बाधिता कई प्रकार की होती है यदि कोई बालक आंशिक रूप से बाधित होता है तो उसका समावेश बिना विकलांगता वाले बालक के साथ सहज रूप से हो सकता है। यहाँ श्रवण बाधित बालकों की चर्चा की जा रही है।

श्रवण बाधित बालक वे बालक है जिनकी सुनने की क्षमता कम है या फिर नष्ट हो गई

Scanned with CamScanner

है। इस बाधिता के कारण इन बच्चों को अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन बच्चों को दूसरे की भाषा सुनने व समझने में कठिनाई आती है। ऐसा नहीं है कि श्रवण बाधिता से सभी व्यक्ति असमर्थ होते है। कुछ बालक गम्भीर रूप से बाधित होते है तो कुछ आंशिक रूप से बाधित होते है। इस प्रकार श्रवण बाधित बालक या तो कम सुनते है या नहीं सुन पाते है। आंशिक रूप से श्रवण बाधित बालक बोली गई ध्वनि को ऊँचा सुनते है। इनके लिए किसी श्रवण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है यदि आवाज ऊँची तथा आवाज में स्पष्टता हो तो ये बालक सुन सकते है। ऐसे बालकों को सामान्य कक्षा में पढ़ाने में अधिक समस्या नहीं होती है। ऐसे कई छात्र है जो आंशिक बाधित है और सामान्य कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं। कुछ गम्भीर रूप से श्रवण बाधित बालक होते है। जिन्हें सुनाई नहीं देता है, इनके लिए सहायक यंत्र की आवश्यकता होती है इस प्रकार के बच्चों को ठीक से समझाने के लिए अध्यापक को शिक्षण प्रशिक्षण व रणनीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। इन्हें सिखाने के लिए विशिष्ट आवश्यकता का ध्यान रखना पड़ता है। इन्हें समझाते समय वस्तुओं को दिखाकर समझाया जा सकता है। श्रवण बाधित बालक के कान में कोई न कोई दोष होता है। यह दोष कान के अन्दर, या बाहर हो सकता है। श्रवण बाधिता के कारण बालक में असमर्थता आती है यह असमर्थता कम या ज्यादा हो सकती है। कुछ बालक जन्म से ही श्रवण दोष से युक्त होते है तथा कुछ बालक जन्म के बाद किसी दुर्घटना आदि के कारण इस दोष से ग्रस्त होते है। जन्म से दोष वाले बालकों की चिकित्सा कठिन होती है जबकि जन्म के बाद दुर्घटना, चोट आदि से हुई बाधिता के लिए विशेषज्ञ चिकित्सा के द्वारा ठीक हो सकता है। इनके लिए विभिन्न श्रवण सहायक यंत्र उपलब्ध है जिनकी सहायता से ये सामान्य बच्चों के साथ पढ़ सकते है।

श्रवण बाधिता का वर्गीकरण

(Classification of Hearing Imparment)

श्रवण बाधित बालक की असमर्थता के आधार पर अलग-अलग रूप में दिखाई देती है जिसके वर्गीकरण इस प्रकार है :-

श्रवण बाधिता

- कम श्रवण बाधिता
- मन्द श्रवण बाधिता
- गम्भीर रूप से श्रवण बाधिता
- पूर्ण श्रवण बाधिता

1. **कम श्रवण बाधित बालक (Mild Hearing Child) :-** सामान्यतः बातचीत का स्तर 65 डेसीबल होता है कम श्रवण बाधित बालकों को 35 से 51 डेसीबल की ध्वनि सुनने में दिक्कत आती है। ये बालक सामान्य बातचीत को सुन सकते हैं लेकिन धीमी आवाज में बातचीत को नहीं सुन पाते है।
2. **मन्द श्रवण बाधित बालक (Moderate Hearing Child) :-** इन बालकों के सुनने का स्तर 65 डेसीबल तक होता है। इनके लिए ऊँची आवाज में बोलना पड़ता है ये 55 से 69 डेसीबल की ध्वनि को नहीं सुन पाते हैं।
3. **गम्भीर रूप से श्रवण बाधित बालक (Severely Hearing Impaired Child) :** इन बालकों की बाधिता 70 से 89 डेसीबल होती है ये काफी ऊँचा बोलने पर भी ठीक से नहीं सुन पाते हैं।
4. **पूर्ण श्रवण बाधित बालक (Profoundly Hearing Impaired Child) :** ऐसे बालकों का श्रवण स्तर 90 डेसीबल से ऊपर होता है। ये बहुत ऊँचा बोलने पर भी कुछ ही शब्दों को सुन पाते है।

उपरोक्त वर्गीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है।

श्रवण स्तर	बाधिता के प्रकार	श्रवण स्तर (डेसीबल में	बाधिता प्रतिशत
	कम श्रवण बाधित बालक	35-51 डेसीबल तक	40 प्रतिशत
	मन्द श्रवण बाधित बालक	55-69 " "	40-50 प्रतिशत
	गम्भीर श्रवण बाधित बालक	70-89 " "	50-75 प्रतिशत
	पूर्ण श्रवण बाधित बालक	90-110 " "	90-100 प्रतिशत

आधुनिक विशेषज्ञों ने श्रवण बाधिता का वर्गीकरण इस प्रकार किया है :-

श्रवण बाधिता

- आवरण श्रवण बाधिता
- संवेदी तंत्रिका श्रवण बाधिता
- मनोजैविक श्रवण बाधिता
- केन्द्रीय श्रवण दोष

1. **आवरण श्रवण बाधिता (Conductive Hearing Loss) :-** साधारणतः इस प्रकार की बाधिता किसी रोग के कारण होती है। इस प्रकार के रोगों की चिकित्सा द्वारा उपचार किया जा सकता है जिससे वह बालक सामान्य व्यवहार करता है। आवरण बाधिता की चिकित्सा ठीक प्रकार से होनी आवश्यक है इसके लिए विशेषज्ञ द्वारा चिकित्सा की जाय तो ये बाधिता कम हो जाती है गलत इलाज होने पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।
2. **संवेदी तंत्रिका श्रवण बाधिता (Sensory Neural Hearing Loss) :-** संवेदी तंत्रिका श्रवण बाधिता आन्तरिक संवेदी तंत्रिका में दोष आने के कारण होता है। ऐसे बालक श्रवण सहायक उपकरणों के प्रयोग से सुन सकते हैं।
3. **मनोजैविक श्रवण बाधिता (Psychogenic Hearing Loss) :-** कभी-कभी कम श्रवण दोष वाले बालक अपनी कठिनाईयों को बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत करते हैं। यह बाधिता पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। उनके मस्तिष्क में यह विचार सदैव रहता है कि ये रोग सबसे कठिन रोग है व अचेतन रूप में भी श्रवण बाधिता का अनुभव करने लगते हैं।
4. **केन्द्रीय श्रवण दोष (Central Auditory Defects) :-** इस प्रकार के बालकों की बाधिता जटिल होती है। ये बालक ध्वनि तो सुन सकते हैं लेकिन उसकी सही पहचान नहीं कर पाते है। इस प्रकार की बाधिता के उपचार में कठिनाई आती है। कभी-कभी गलत दवाईयों के प्रयोग से यह बाधिता और अधिक गम्भीर हो सकती है।

Scanned with CamScanner

श्रवण बाधिता के लक्षण (Indicators of Hearing Impaired)

श्रवण बाधिता के लक्षण इस प्रकार हैं :-

1. ये धीमी गति से बोलते हैं।
2. शब्दों के उच्चारण में कठिनाई होती है।
3. बिना जानकारी के बड़बड़ाते हैं।
4. एकाग्रता नहीं रहती है।
5. ये कार्यों के प्रति सजग रहते है परन्तु ध्वनियों पर ध्यान नहीं देते।
6. बार-बार पुनरावृत्ति के लिए कहते हैं।
7. समान ध्वनियों में भ्रम होता है।
8. बिना जानकारी के बीच में बोलते हैं।
9. गर्दन झुकाकर या उठाकर सुनने का प्रयास करते हैं।
10. हाव भाव पर ध्यान देते हैं।

श्रवण बाधित बालकों की विशेषताऐं (Characteristics of Hearing Impaired Children)

श्रवण बाधित बालकों की पहचान करना कठिन कार्य है। क्योंकि ये सामान्य व्यवहार ही करते हैं। बालक की कुछ विशेषताऐं इस प्रकार हैं :-

1. भाषा या वाणी सम्बन्धी विशेषता :

क) श्रवण बाधित बच्चों में भाषा का विकास कम होता है।

ख) उच्चारण दोष अधिक पाया जाता है।

ग) भाषा का बहुत कम प्रयोग करते हैं। सांकेतिक भाषा का अधिक प्रयोग करते हैं।

घ) इन्हें भाषा सीखने व बोलने में समस्या आती है।

ङ) होठों की गतिविधियों पर ध्यान देते हैं।

2. बौद्धिक योग्यता सम्बन्धी विशेषता :

क) इन बच्चों का मानसिक विकास अन्य बालकों की भांति ही होता है।

ख) बौद्धिक अशाब्दिक परीक्षा में इनकी बुद्धि लब्धि उच्च होती है।

ग) इनके बौद्धिक कार्य सामान्य बच्चों के समान ही होते हैं।

घ) इनमें मानसिक मन्दिता नहीं होती है अन्य विधियों के प्रयोग से आसानी से व शीघ्र समझ लेते हैं।

ङ) अशाब्दिक बौद्धिक कार्य करने में सक्षम होते हैं।

3. शैक्षिक उपलब्धि सम्बन्धी विशेषता :

क) शैक्षिक उपलब्धियों में भिन्नता पायी जाती है।

ख) पढ़ने में कठिनाई आती है।

ग) इनका बौद्धिक स्तर उच्च होता है लेकिन शैक्षिक उपलब्धि कम होती है।

घ) पुस्तकों का अध्ययन होठ से बात लेते है लेकिन अभिव्यक्ति नहीं।

4. समायोजन सम्बन्धी विशेषता :

क) इनका व्यक्तित्व भिन्न होता है।

ख) सम्प्रेषण की समस्या होती है।

ग) शाब्दिक अन्तःक्रिया नहीं होती है।

घ) समाज से पृथक रहते हैं।

ङ) अभिव्यक्ति नहीं हो पाने के कारण हीन भावना आती है।

च) अपने ही समूह में रहना पसन्द करते हैं।

श्रवण बाधित बालकों की पहचान

श्रवण बाधिता की पहचान बोलने उनसे बातचीत करने के आधार पर की जाती है। सामान्य बातचीत के साथ-साथ अन्य तकनीकों के द्वारा भी श्रवण बाधिता की जाँच की जा सकती है। सामान्य कक्षा में अध्यापक को यह पता नहीं चल पाता है कि श्रवण बाधित बालक की बाधिता कितनी है। श्रवण बाधिता का पता करने के लिए सर्वप्रथम बालक के जन्म के बाद ही बाल्यावस्था में चिकित्सीय परीक्षण करवा लेना चाहिए तथा विद्यालय में प्रवेश के बाद या प्रवेश के समय चिकित्सा शिविर लगाकर परीक्षण किया जाना चाहिए। इससे बच्चे की बाधिता का पता चल सकेगा तथा उन बच्चों के लिए विशेष रणनीति व बैठने की व्यवस्था या फिर सहायक उपकरणों की व्यवस्था की जा सकती है।

श्रवण बाधित बालकों की पहचान निम्न प्रकार से की जा सकती है :-

1. डाक्टरी परीक्षण (Medical Examination)
2. व्यक्तिवृत्त अध्ययन (Case Study)
3. तन्त्रिका मनोवैज्ञानिक परीक्षण (Neuropsychological test)
4. विकासात्मक मापनी (Developmental Scale)
5. जाँच सूची (Check List)
6. निरीक्षण (Observation)

1. डाक्टरी परीक्षण (Medical Examination) :- बच्चों के मेडिकल परीक्षण से बाधिता की पहचान की जा सकती है इस प्रकार के परीक्षण में विशेषज्ञ चिकित्सक का होना आवश्यक है।

2. व्यक्तिवृत्त अध्ययन (Case Study) :- व्यक्तिवृत्त अध्ययन आंकड़े एकत्र करने की सर्वोत्तम विधि है इसमें बच्चे के जन्म से लेकर वर्तमान की घटनाओं की जानकारी माता-पिता, मित्रों आदि से ली जाती है। तथा बाधिता के कारणों का पता लगाया जाता है तथा सम्बन्धित उपचार किया जाता है।

3. तन्त्रिका मनोवैज्ञानिक परीक्षण (Neuropsychological Test) :- इस मापनी द्वारा श्रवण बाधिता से सम्बन्धित तन्त्रिकाओं की क्रियाओं का आँकलन किया जाता है। इसका कारण मानसिक दोष होता है। योग्य व कुशल चिकित्सक द्वारा इसका परीक्षण कर उपचार किया जाता है।

4. विकासात्मक मापनी (Developmental Scale) :- श्रवण बाधित बालकों की पहचान के लिए उनकी विकासात्मक अवस्थाओं का ध्यान रखा जाता है क्योंकि विकास की अवस्थाओं का सीधा सम्बन्ध ज्ञानेन्द्रियों के विकास से होता है।

Scanned with CamScanner

5. **जाँच सूची (Check List)** :- श्रवण बाधित बालकों की पहचान व उसके दोष के निवारण के लिए जाँच सूची तैयार की जाती है जिसका प्रारूप इस प्रकार है :-

बच्चे का नाम.......................... कक्षा.......................आयु................

लक्षण	हाँ	नही
क्या बच्चे के कान मे कोई दोष दिखाई देता है।		
क्या बच्चा ध्यान न दिये जाने पर अधीर हो जाता है।		
क्या बच्चा पुनरावृत्ति के लिए अनुरोध करता है।		
क्या बच्चे के कान मे कोई बीमारी है।		
क्या बच्चा कान मे दर्द की शिकायत करता है।		
क्या बच्चा आवाज सुनने के लिए गर्दन इधर-उधर करता है		
क्या बच्चा अपने साथी की सहायता लेता है।		
क्या बच्चे को ध्वनियों के अन्तर करने मे कठिनाई होती है।		
क्या बच्चा कान खुजाता है।		
क्या बच्चा सुनते समय होठों पर ध्यान देता है।		

परिणाम : उपरोक्त सूची में 3 या 4 सही के निशान आयें तो समझा जाता है कि बच्चे को श्रवण दोष है। इसके बाद परीक्षन किया जाता है।

6. **निरीक्षण (Observation)** :- इस विधि मे बालक के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है तथ उसके लक्षणों पर ध्यान दिया जाता है जैसे कि उपरोक्त तालिका पर दिये गये है। इन लक्षणो के आधार पर बालक के व्यवहार का निरीक्षन किया जाता है।

श्रवण बाधिता के कारण (Causes of Hearing Impairment)

बच्चों में श्रवण बाधिता के कई कारण हो सकते हैं। श्रवण बाधिता जन्म से पूर्व व जन्म के पश्चात हो सकती है। जिसका पता जाँच के द्वारा ही किया जा सकता है। कुछ कारण इस प्रकार हैं :-

1. **वंशानुगत कारण** :- श्रवण बाधिता के कुछ कारण वंशानुगत भी है। जब माता-पिता श्रवण बाधित हो तो कुछ प्रतिशत बालक श्रवण बाधित हो सकते हैं। जन्मजात श्रवण दोष का कारण वंशानुगत भी हो सकता है।
2. **जर्मन खसरा** :- 1980 में जर्मन खसरा महामारी के रूप मे फैला। यह देखा गया कि गर्भवती महिलाएं इस बीमारी से प्रभावित हुई तथा इनके बच्चे श्रवण दोष वाले पैदा हुए ये पर्यावरणीय या वातावरण के कारण होता है।
3. **समय से पूर्व प्रसव** :- समय से पूर्व प्रसव भी इसका कारण है क्योंकि समय से पूर्व बालक के अंगों का ठीक से विकास नही हो पाता है जिस कारण यह दोष हो सकता है।
4. **असुरक्षित प्रसव** :- यदि असुरक्षित प्रसव हो या फिर प्रसव के दौरान आक्सीजन की कमी हो, रक्त स्राव अधिक हो तो भी यह बाधिता हो सकती है।
5. **असंतुलित भोजन** :- गर्भावस्था में यदि माता असंतुलित भोजन करती है तथा बच्चे पर ध्यान नही देती है तो भी यह दोष हो सकता है।
6. **दवाईयों का प्रयोग** :- गर्भावस्था मे अनेक दवाईयाँ बच्चे को नुकसान पहुँचाती है। अधिक तेज दवा, टीको से बच्चे के अंगो में प्रभाव पड़ता है।
7. **जन्म के पश्चात बीमारियाँ** :- कुछ बीमारियाँ जन्म के पश्चात होती है जैसे कनफड़ा, खसरा, चेचक, मोतीझरा, कुकर खांसी, कान से मवाद आना आदि बीमारियों से भी श्रवण बाधिता हो सकती है।
8. **उच्च ध्वनि** :- कई बार उच्च व तीव्र ध्वनि के कारण भी श्रवण दोष हो सकता है।
9. **दुर्घटना** :- दुर्घटनाऐं, चोट या कान मे लकड़ी, पिन आदि के चले जाने मे कान के पर्दे मे छेद हो जाता है जिससे श्रवण बाधिता हो जाती है।
10. **आयु** :- वृद्धावस्था मे शरीर अत्यन्त कमजोर हो जाता है। इसका प्रभाव समस्त इन्द्रियों पर पड़ता है श्रवण इन्द्रियाँ भी आयु से प्रभावित होती हैं।

श्रवण बाधित बालको की समस्याऐं
(Problems of Children with Hearing Impairment)

श्रवण बाधिता से बच्चों को अनेक प्रकार की समस्याऐं आती है। ये समस्याऐं व्यक्तिगत, शैक्षिक, समायोजन आदि प्रकार की हो सकती है। कुछ समस्याऐं इस प्रकार है :-

1. **व्यक्तिगत समस्याऐं :**
   - बालक कुंठाग्रस्त हो जाता है।
   - स्वभाव में झल्लाहट व चिड़चिड़ापन हो जाता है।
   - बालक मे पलायन की भावना आती है।
   - बालक स्वयं को दूसरो से हीन समझता है।
   - आत्मविमोह उत्पन्न होती है।
   - सामंजस्य करने मे समस्या आती है।
   - स्वयं पृथक हो जाते है।
   - दूसरो की बात को नही समझ पाते हैं।
   - अन्तःक्रिया का अभाव होता है।
   - सामाजिक क्रियाकलापो मे पिछड़ जाता है।
2. **शैक्षिक समस्याऐं :**
   - भाषा का विकास नही हो पाता।
   - उच्चारण दोष हो जाता है।
   - धीमी गति से बोलते हैं।

Scanned with CamScanner

- पढ़ाई गई बातों को नहीं समझ पाते हैं।
- शैक्षिक उपलब्धि कम होती है।
- कक्षा में धीमी गति से सीखते हैं।
- समझने में कठिनाई होती है।

श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा हेतु उपाय

श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा में सबसे बड़ी समस्या सम्प्रेषण की होती है वे कक्षा में बताई गई बा को ठीक से नहीं सुन पाते है। सुनते है तो वह भी आधा-अधूरा। इस कारण वे शैक्षिक दृष्टि से पि जाते है। इनके लिए यदि विशेष तकनीक या विभिन्न उपकरणों की व्यवस्था की जाये तथा शि रणनीति में कुछ परिवर्तन किये जाये तो इन बच्चों को सामान्य कक्षा में शिक्षण करा सकते है। कु उपाय इस प्रकार है :-

1. **ओष्ठ पठन (Lip Reading)** :- ओष्ठ पठन के अन्तर्गत ऐसे बालकों को होंठों के मिलने-जु हिलने व उनकी गति के आधार पर शब्दों को पढ़ना सिखाया जाता है ओष्ठ पठन सिखाना ! सीमा तक सफल है लेकिन सभी शब्दों व वर्णों को इस विधि से नहीं सिखाया जा सकता।
2. **संकेत भाषा (Sign Language)** :- संकेत भाषा में पढ़ने के साथ-साथ संकेतों का भी प्र किया जाता है जो उसी भाषा से सम्बन्धित होते है। संकेत भाषा के लिए वाक्य को स्पष्ट उच्चा कर उससे सम्बन्धित संकेत या फिर हाव-भाव में परिवर्तन किया जाता है। संकेत, शरीर संचा हावभाव के माध्यम से समझाया जाता है।
3. **स्पर्श विधि (Touch Method)** :- इसमें स्पर्श द्वारा कही गई बात को समझाया जाता है।
4. **गति विधि (Movement Method)** :- इस विधि में बालकों को विभिन्न प्रकार की गति करा सिखाया जाता है।
5. **सहायक उपकरण (Assistive Devices)** :- कई ध्वनि सहायक उपकरणों जैसे कान की म (Hearing Aid) के माध्यम से सिखाया जाता है जो बालक थोड़ा कम सुनते है उनके सहायक उपकरणों का प्रयोग प्रभावी होता है। कोकलियर इम्पलान्ट के द्वारा बधिर बच्चों की श शक्ति को बहाल किया जा सकता है। लूप इन्डक्शन प्रणाली का कक्षा-कक्ष में प्रयोग बधिर ब के श्रवण में लाभकारी है।

शिक्षण तकनीकी

(Teaching Technology)

श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा के लिए विभिन्न रणनीति तैयार की जा सकती है। कुछ प्रवि इस प्रकार है :-

1. शिक्षण करते समय विभिन्न सहायक सामग्री जैसे चार्ट, मानचित्र, संकेत, आकृतियों आदि का प्र कर समझाना चाहिए।
2. श्यामपट्ट में लिखकर समझाया जाये।
3. बीच-बीच में इनका मूल्यांकन व निरीक्षण किया जाये जिससे यह पता चले कि पढ़ाई गई बा

समझ पा रहे है या नहीं।

4. इन बालकों के प्रति संवेदनशीलता होना चाहिए।
5. कक्षा में नोट करने वाले व्यक्ति की व्यवस्था हो यह कार्य सहपाठी भी कर सकता है।
6. इनके शिक्षण के लिए विशेष प्रशिक्षित अध्यापक आवश्यक है।
7. कम्प्यूटर का प्रयोग इन बच्चों के लिए लाभकारी है।
8. वीडियो, टेप आदि माध्यमों का प्रयोग किया जाये।

श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा में अध्यापक की भूमिका

किसी प्रकार के भी बालक हो सामान्य हो या फिर विशिष्ट, सभी की शिक्षा के लिए अध्यापक की भूमिका सर्वोपरि होती है। क्योंकि बालक विद्यालय समय में सबसे अधिक समय अध्यापक के सम्पर्क में ही व्यतीत करता है। अध्यापक अपने ज्ञान, अनुभव, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं व्यक्तिगत सम्पर्क के माध्यम से बच्चे को ज्ञान व अनुभव प्रदान करता है। जहाँ तक श्रवण बाधित बालकों का प्रश्न है तो उन बच्चों के लिए अध्यापक का उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ जाता है। अध्यापक को उन बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। क्योंकि इन बालकों को सुनने में समस्या आती है जिस कारण से ये कक्षा में आसानी से नहीं समझ पाते है। इन्हें आसानी से समझाने के लिए शिक्षक को विभिन्न तकनीकों का प्रयोग कर इनकी सहायता करनी पड़ती है। जिससे कि ये बच्चे आसानी से सीख सकें। इन बच्चों की शिक्षा के लिए अध्यापक को निम्न भूमिका व उत्तरदायित्व निभाने होंगे -

1. सर्वप्रथम श्रवण बाधित बालकों की कक्षा में पहचान की जाय और उनकी सूचना माता-पिता को दी जाय ताकि माता-पिता इन बच्चों की देखरेख करें व चिकित्सीय जांच करवा सकें।
2. इन बच्चों को कक्षा में आगे की सीट पर बैठाया जाये जिससे ये बच्चे सुन सकें या जो गम्भीर रूप से बाधित हों वे ओष्ठ पठन का सहारा लेकर सीख सकें।
3. शिक्षक को पढ़ाते समय ऊँची आवाज तथा श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिये जिससे इन बच्चों को सीखने में आसानी हो।
4. यदि सम्भव हो तो इनके शिक्षण के लिए दृश्य सामग्री की अधिक व्यवस्था व प्रयोग किया जाना चाहिए।
5. अध्यापक को पाठ या शब्दों की पुनरावृत्ति करनी होगी जिससे ये सुन कर समझ सकें।
6. इन बच्चों के लिए शरीर संचालन, संकेत विधि द्वारा समझाया जाय।
7. ऐसे बच्चों के लिखने व पढ़ने पर ध्यान दिया जाय।
8. इन बच्चों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि गलतियों को ठीक किया जा सके।
9. ऐसे बालकों को प्रोत्साहित किया जाय। कठिन शब्दों के लिए सामूहिक उच्चारण का सहारा लिया जाय।
10. बाधिता के आधार पर श्रवण सहायक यंत्रों का प्रयोग किया जाय। इसका निरीक्षण किया जाय कि बच्चे नियमित रूप से प्रयोग कर रहे हैं या नहीं।
11. अध्यापक को इन बच्चों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा।

Scanned with CamScanner

12. इन बच्चो की प्रगति की सूचना माता-पिता को देना व ठीक मूल्यांकन करना।
13. इन बच्चो के लिए धीमी गति से शिक्षण की आवश्यकता होती है। गति धीमी और संकेत का प्रयोग कर शिक्षण किया जाय।
14. विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं में अवसर दिये जाये।
15. इन बच्चो की रुचि व योग्यता की पहचान कर कार्य दिये जाये।
16. यदि गम्भीर रूप से बाधित बच्चे है तो विशिष्ट शिक्षक की भी सहायता ली जा सकती है।
17. छात्रों की एकाग्रता पर ध्यान दिया जाना चाहिये।
18. बहु इन्द्रिय आयाम का प्रयोग करना चाहिऐ।

इस प्रकार श्रवण बाधित बालकों के लिए अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है इनके लिए वाणी प्रत्यक्षीकरण का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जिससे वे ध्वनियो को सुन सके। उन्हे समझ सके तथा उनके अन्तर को स्पष्ट कर सके जिससे वे बच्चे सीख सकेंगे तथा कक्षा मे ठीक से समायोजन कर सकेंगे। प्रस्तुतीकरण करते समय ध्वनि व लिखने की विधि द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिऐ। वर्तमान मे शिक्षा की मुख्य धारा की प्रवृति मे वृद्धि हुई है मुख्य धारा मे इन बच्चो पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसके लिए सांकेतिक भाषा का विकास किया गया है यह भाषा वाचिक होती है । जहां तक सम्भव हो इस भाषा का प्रयोग किया जाय तथा श्रवण यन्त्रो की सुविधा दी जाय जिससे कक्षा मे सभी समान रूप से सीख सके।

बौद्धिक विकलांगता
(Intellectual Disability)

समाज में लगभग तीन प्रतिशत बालक मानसिक मन्दता के शिकार होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं ने बुद्धि लब्धि के आधार पर यह घोषित किया कि विशिष्ट बालकों में एक प्रकार बौद्धिक विकलांग बालकों का भी है जो प्रतिभाशाली व अन्य बच्चों से पृथक है। इनकी मानसिक योग्यता औसत से कम होती है। इनकी बुद्धि लब्धि साधारण बालकों की बुद्धि लब्धि से कम होती है तथा इनमें विभिन्न मानसिक शक्तियों में न्यूनता होती है। बुद्धि और बौद्धिक योग्यता एक जन्मजात मानसिक योग्यता है जो वंशानुक्रम द्वारा माता-पिता से बच्चों तक जाती है बुद्धि व्यक्ति की सभी योग्यताओं की सार्वभौमिक योग्यता है जो व्यक्ति के व्यवहार से उसकी अमूर्त चिन्तन की योग्यता, उद्देश्यपूर्ण ढंग से क्रियाऐं करने तथा प्रभावपूर्ण ढंग से वातावरण में समायोजन करने से परिलक्षित होती है। बौद्धिक विकलांगता बालक के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। बुद्धि के विभिन्न पक्षों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

बौद्धिक विकलांगता का अर्थ (Meaning of Intellectual Disability)

बौद्धिक विकलांगता का अर्थ बौद्धिक स्तर का कम होना है। वे मानसिक कार्यों को ठीक से नही कर पाते है। बौद्धिक विकलांगता को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है।

अमेरिका की मानसिक मन्दन समिति की सांख्यिकीय नियमावली 1959 : "मानसिक मन्दन सामान्य बौद्धिक कार्यात्मकता के सामान्य से निम्न स्तर की अवस्था को प्रदर्शित करता है जो विकास की अवस्था में प्रकट होती है और जिसका सम्बन्ध निम्न मे से एक अथवा अधिक मे बाधित समायोजित व्यवहार के रूप में प्रकट होता है। (1) परिपक्वता (2) अधिगम (3) सामाजिक समायोजन।

ग्रौसमैन : "मानसिक मन्दन से अभिप्राय सामान्य से विशेष रूप से निम्न स्तर की सामान्य बौद्धिक क्षमता से है जो विकास की अवस्था मे प्रकट होती है तथा साथ में दूषित अभियोजित व्यवहार को प्रदर्शित करती है।"

ग्रेट ब्रिटेन के मानसिक मन्दन एक्ट 1981 : "मानसिक बाधिता अवरोधित अथवा अपूर्ण मानसिक विकास की एक अवस्था है जो 18 वर्ष की आयु से पहले विद्यमान होती है। यह वंशानुक्रम कारणों से घटित होती है अथवा रोग अथवा चोट के कारण उत्पन्न होती है।"

पेज : "मानसिक अक्षमता मानसिक विकास की सामान्य से निम्न स्तर की अवस्था है जो जन्म के समय अथवा प्रारम्भिक बालावस्था में उत्पन्न होती है तथा मुख्य रूप से सीमित बौद्धिक क्षमता तथा सामाजिक अपर्याप्तता के रूप में लक्षित होती है।"

रौजन, फॉक्स तथा ग्रेगरी (1972) : "मानसिक मन्दन जन्म अथवा प्रारम्भिक बाल्यकाल के समय उत्पन्न होने वाली एक तीव्र अवस्था है जो मानक परीक्षणों द्वारा मापित बाधित बौद्धिक क्रियात्मकता तथा नित्यदिन की मांगो को पूरा करने के लिए व्यक्ति को सामाजिक वातावरण में बाधित अभियोजन के रूप में स्पष्ट होती है।"

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि -
1. बौद्धिक विकलांगता बौद्धिक विकास को प्रदर्शित करती है।
2. इसमे मन्द बुद्धि वाले बालक सम्मिलित किये जाते है जिनकी बुद्धिलब्धि 84 से कम होती है।
3. इनकी संख्या सामान्य जनसंख्या का लगभग 2-3 प्रतिशत होता है।
4. यह बाधिता प्रारम्भिक बाल्यावस्था या 18 वर्ष से पहले प्रकट होती है।
5. यह बाधिता वंशानुगत या वातावरण के प्रभाव से हो सकती है।
6. वे दिनचर्या के कार्यों को धीमी गति से करते है।
7. इन्हें समायोजन सम्बन्धी समस्या रहती है।

मानसिक बाधित बालकों का वर्गीकरण

मानसिक रूप से बाधित बालकों का वर्गीकरण करने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है इन परीक्षणों में सबसे प्रभावी बुद्धि परीक्षण है। इस बुद्धि परीक्षण के आधार पर इन्हें निम्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं।

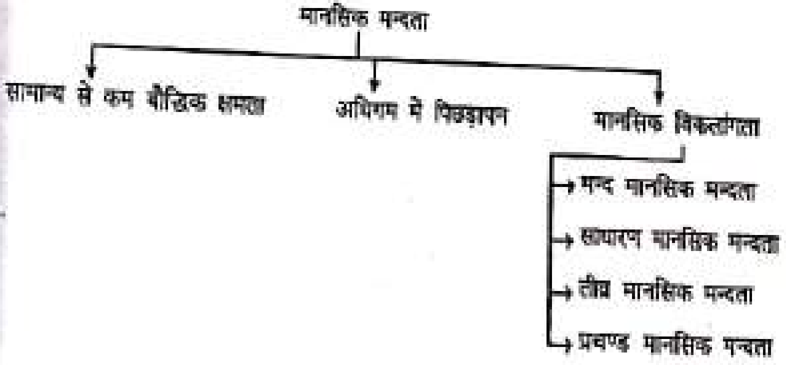

Scanned with CamScanner

बुद्धि लब्धि का अनुमानित स्तर

इन सभी प्रकार के मानसिक बाधित बालकों का अनुमानित बुद्धि लब्धि स्तर निम्न तालिका से स्पष्ट है।

मानसिक न्यूनता श्रेणी	बुद्धि लब्धि
1. सामान्य से कम बौद्धिक क्षमता	80-89
2. अधिगम में पिछड़ापन	70-79
3. मानसिक अपंगता	70 या इससे कम
4. मन्द मानसिक मन्दता	51-70
5. साधारण मानसिक मन्दता	36-50
6. तीव्र मानसिक मन्दता	20-35
7. प्रचण्ड मानसिक मन्दता	20 से कम

मानसिक मन्द बालकों की पहचान एवं विशेषताऐं

मानसिक मन्दता की पहचान निम्न प्रकार से कर सकते है:-

1. मानसिक मन्दता की पहचान मानकीकृत बौद्धिक परीक्षण द्वारा किया जा सकता है। बुद्धि परीक्ष के अतिरिक्त बौद्धिक अक्षमता का निर्धारण करने के लिए विशिष्ट परीक्षण भी उपलब्ध है जै गोडार्ड बुद्धि परीक्षण तथा बेन्डर गेस्टाल्ट परीक्षण आदि। इन परीक्षणों के माध्यम से बाधित बालक की पहचान की जा सकती है।
2. अध्यापक बच्चों की शैक्षिक निष्पत्ति, उपलब्धि के आधार पर पहचान कर सकते है।
3. ये बालक संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते है।
4. ऐसे बालक सूक्ष्म चिन्तन नहीं कर पाते है;
5. ये व्यक्तिगत या सामाजिक उत्तरदायित्वों का ठीक से निर्वाह नहीं कर पाते है।
6. इनके शारीरिक गुणों जैसे चलना-फिरना, बोलना, भाषा विकास, सामाजिक कौशल का धीमी ग से विकास होता है इसकी पहचान जन्म के 6 माह में ही की जा सकती है।
7. ये सामाजिक दृष्टि से अपर्याप्त होते है, ये उचित सामाजिक व्यवहार नहीं कर पाते है।
8. बालक के सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा पहचान की जा सकती है इन बच्चों की गतिविधियाँ व क्रिय सामान्य नहीं होती है।
9. इन बच्चों की सीखने की क्षमता कम होती है वे धीमी गति से सीखते है।
10. ये अपनी आयु समूह से निम्न स्तर के होते है।
11. शैक्षिक एवं शारीरिक अभिलेख पत्र द्वारा पहचान कर सकते है।
12. व्यक्तिवृत्त अध्ययन के द्वारा भी इनकी पहचान की जा सकती है।

मानसिक मन्दता की विशेषताऐं

मानसिक मन्दता की विशेषताओं के सम्बन्ध में अलग-अलग विद्वानों ने कुछ विशेषताऐं दी है वे विशेषताऐं इस प्रकार है :-

क्रो एवं क्रो के अनुसार :- क्रो एवं क्रो ने मन्दिता की कुछ विशेषताऐं दी है।

1. दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा होती है।
2. विद्यालय में असफलताओं के कारण निराशा रहती है।
3. दूसरों के द्वारा मित्र बनाये जाने की कम इच्छा रहती है।
4. संवेगात्मक और सामाजिक असमायोजन होता है।

डूले के अनुसार :-

1. सामाजिक अक्षमता होती है।
2. इनकी कमजोरियों का सम्बन्ध विकास से जुड़ा होता है।
3. मानसिक मन्द बालक, अन्य बालकों से भिन्न स्तर के होते है।
4. मानसिक मन्दता पूर्णतः अपरिपक्वता स्तर पर होती है।
5. मानसिक मन्दता मूल रूप में शारीरिक संरचना से सम्बन्धित होती है।
6. इसमें सुधार या उपचार का कोई अवसर नहीं होता है।

किनर के अनुसार :-

1. सीखी हुई बात को नई परिस्थिति में प्रयोग करने में कठिनाई होती है।
2. व्यक्ति और घटनाओं के प्रति ठोस और विशिष्ट प्रतिक्रिया न करना।
3. मान्यताओं के सम्बन्ध में अटल विश्वास करना।
4. दूसरों की चिन्ता न करके केवल अपनी चिन्ता करना।
5. किसी बात का निर्णय करने में परिस्थितियों की अवहेलना करना।

कैन्ड्रसन के अनुसार :-

1. आत्मविश्वास का अभाव होना।
2. विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार जैसे प्रेम, भय, मौन, चिन्ता, विरोध पृथकता या आक्रमण पर आधारित व्यवहार करना।
3. 50 से 70 या 75 तक बुद्धि लब्धि होना।
4. बहुधा भावा वेशपूर्ण व्यवहार करना।

बौद्धिक बाधिता के कारण

बौद्धिक मन्दता के कई कारण हो सकते है कुछ कारण आनुवंशिक हो सकते है तो कुछ पर्यावरणीय कारक कुछ कारण बालक के जन्म के समय होने वाली दुर्घटना व चोट आदि से सम्बन्धित हो सकते है बौद्धिक बाधिता के कारण इस प्रकार है :-

1. वंशानुक्रम :- वंशानुक्रम से भी बौद्धिक मन्दता होती है जीन्स तथा क्रोमोसोम्स की अनियमितता इसका कारण होता है डाउन सिनेड्रोम, क्लाइनफल्टर सिनेड्रोम आदि के कारण यह बाधिता आती है वंशानुक्रम में कुछ रोगों के लक्षण माता-पिता से बच्चों तक चले जाते है।
2. गर्भ धारण करने की आयु :- कुछ अनुसंधानों से स्पष्ट होता है कि जब अधिक उम्र में माता गर्भधारण करती है तो उससे भी बौद्धिक मन्दता हो सकती है। अनुसंधान से स्पष्ट है कि 20-30 वर्ष में गर्भ धारण करने पर शिशु बौद्धिक रूप से स्वस्थ पैदा होते है जबकि 40-50 वर्ष में पैदा

Scanned with CamScanner

होने वाले शिशुओं में 50 में से एक बौद्धिक मन्द हो सकता है।

3. **पूर्व परिपक्वता :-** परिपक्व शिशु के न होने के कारण उसके अंगों का ठीक से विकास नहीं हो पाता है। पूर्वपरिपक्व शिशु की बौद्धिक रूप से बाधित होने की सम्भावना सामान्य बालकों की तुलना में दस गुना अधिक होती है।
4. **विकिरणीय उपकरण :-** गर्भ में विभिन्न विकिरणीय उपकरणों, एक्सरे आदि से भी बौद्धिक क्षमता पर प्रभाव पड़ता है जन्म से पूर्व इस प्रकार के उपकरणों से बालक के बौद्धिक क्षमता पर कुप्रभाव पड़ता है।
5. **संक्रमण :-** जन्म के समय संक्रमण, वायरस आदि भी मानसिक बाधिता के कारण होते हैं। जैसे खसरा अथवा रूबैला, भोजन में आयोडीन की कमी आदि मानसिक मन्दिता का कारण होते हैं।
6. **प्रणालीविहीन ग्रन्थियाँ :-** बौद्धिक अक्षमता के कारण ग्रन्थियों का असन्तुलित होना होता है। थाइराइड ग्रन्थि में असन्तुलन होने से बौद्धिक अक्षमता हो सकती है।
7. **दोषपूर्ण वातावरण :-** परिवार का दोषपूर्ण वातावरण भी मन्दिता का कारण बन जाता है। माता-पिता, भाई-बहन का व्यवहार, प्रवृत्ति, अनुशासन, आकांक्षाएँ आदि के कारण भी अक्षमता आ जाती है।
8. **संवेगात्मक वंचन :-** इन कारणों में माता-पिता की अनुपस्थिति, देखभाल अनाथालयों में भरण-पोषण, माता से अलगाव, मृत्यु, तलाक आदि से बच्चे को वांछित प्यार, स्नेह नहीं मिल पाता है इनके सीखने में अभिप्रेरणाओं का अभाव होता है जिससे यह बाधिता हो सकती है।
9. **प्रसवकाल :-** इसमें जन्म के समय मस्तिष्क में सूजन आना, मस्तिष्क आघात, कैंसर, दूषित आक्सीजन की कमी आदि कारणों से भी बौद्धिक अक्षमता आती है।

बौद्धिक विकलांग बालकों की शिक्षा

बौद्धिक रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा अध्यापकों एवं माता-पिता के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है इन शिक्षा के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है तथा विशेष वातावरण तैयार करने की आवश्यकता होती है।

किर्क तथा जॉनसन ने इन बालकों की शिक्षा के लिए इस प्रकार की योजना प्रस्तुत की :-

1. मानसिक मन्द बालक जितनी ही कम आयु के हो कक्षा का आकार उतना ही छोटा होना चाहिए।
2. मानसिक मन्द बालकों की विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन सामान्य कोटि के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में ही होना चाहिए।
3. इन बच्चों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी प्रशिक्षित अध्यापक को सौंपनी चाहिए।
4. विशिष्ट कक्षाओं में इन बच्चों को रखने से पूर्व उनकी निदानात्मक जाँच कर लेनी चाहिए।
5. मन्दित बालकों के अभिभावकों का सहयोग बड़ी सूझ-बूझ के साथ प्राप्त करना आवश्यक है।
6. विशिष्ट कक्षाओं में शिक्षक को बालक की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम नियोजन करना चाहिए इनके पाठ्यक्रम में स्वतन्त्रता व लचीलापन होना चाहिए।
7. विद्यालय में प्रवेश से पूर्व इन बच्चों का चिकित्सात्मक, मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक स्तर की जाँच लेनी चाहिए।

- **किलार के अनुसार अमेरिका में मन्दित बालकों के लिए निम्न व्यवस्था के लिए सुझाव दिये कि :**

1. शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था की जाये।
2. पौष्टिक भोजन, सफाई और आराम की आदतों के साथ वास्तविक आत्म मूल्यांकन की शिक्षा दी जाये।
3. सुनने, निरीक्षण करने, बोलने और लिखने की शिक्षा दी जाये।
4. सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा और आचरण सम्बन्धी नियमों की शिक्षा दी जाये।
5. निष्क्रिय और सक्रिय मनोरंजन की शिक्षा दी जाये।
6. स्थानीय यात्राओं को कुशलतापूर्वक करने की शिक्षा दी जाये।
7. मान्यताओं और विवेकपूर्ण नियमों की शिक्षा दी जाये।
8. विभिन्न वस्तुओं के मूल्य आंकने की शिक्षा दी जाये।
9. धन, समय व वस्तुओं का उचित प्रबन्धन करने की शिक्षा दी जाये।
10. कार्य उत्तरदायित्व एवं साथियों और निरीक्षकों से मिलकर रहने की शिक्षा दी जाये।

बौद्धिक विकलांग बच्चो की समस्याऐं

बौद्धिक रूप से विकलांग बालकों की समस्या यह है कि वे बहुत धीमी गति से सीखते हैं क्योंकि इनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। ये चिन्तन नहीं कर पाते हैं। कुछ समस्याएँ इस प्रकार हैं।

1. **मानसिक समस्याएँ :-** इन बच्चों की मानसिक समस्याएं होती हैं वे पढ़ने लिखने व समझने में सामान्य से अधिक समय लेते हैं। परीक्षा में ठीक से नहीं लिख पाते हैं, जिसके कारण असफल हो जाते हैं। इनमें दूरदृष्टिता का अभाव होता है समझने, चिन्तन न करने के कारण नकारात्मक परिणामों के आने से मानसिक समस्याएँ आती हैं।
2. **शैक्षिक असफलता :-** इन बच्चों की प्रमुख समस्या शैक्षिक असफलता है। इनकी असफलता का कारण शिक्षा प्रणाली है, क्योंकि कक्षा में सभी बालकों को एक समान तरीके से पढ़ाया जाता है वहाँ व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान नहीं दिया जाता है। बौद्धिक रूप से अक्षम बालक धीमी गति से सीखते हैं। उनके लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इस प्रणाली के कारण ये बच्चे एक कक्षा उत्तीर्ण करने में कई वर्ष लगा लेते हैं।
3. **कौशलों की कमी :-** इन बच्चों में कौशलों की कमी होती है। अन्य बालक की अपेक्षा इनमें बोलने का कौशल, लिखने का कौशल, अभिव्यक्ति का कौशल आदि का विकास कम होता है जिस कारण ये बच्चे अपने विचारों की ठीक से अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं।
4. **अभिप्रेरणा की कमी :-** बार-बार असफल होने के कारण इनमें उत्साह की कमी हो जाती है अधिकांश देखा गया है कि अध्यापक, माता-पिता व अन्य सहपाठी इनकी असफलताओं के कारण मजाक उड़ाते हैं या फिर इन्हें हीन व निम्न दृष्टि से देखते हैं। इस कारण ये बच्चे निराशावादी हो जाते हैं। बच्चों के विकास व कार्य करने के पीछे अभिप्रेरणा का हाथ होता है इन बच्चों में अभिप्रेरणा की कमी होने के कारण कार्य के प्रति कोई उत्साह नहीं होता है।
5. **पारस्परिक अन्तःक्रिया की कमी :-** इन बच्चों की एक समस्या अन्तःक्रिया की होती है। ये अध्यापक या सहयोगियों के साथ उचित अन्तःक्रिया नहीं कर पाते हैं। इस कारण न तो ये दूसरे

Scanned with CamScanner

की बात को समझ पाते है और न ही अपनी बात को कह पाते है। सीखने की प्रक्रिया मे पारस्परिक अन्तःक्रिया का होना आवश्यक है। जिसकी इनमे पूर्णतः कमी पायी जाती है।

6. समायोजन सम्बन्धी समस्याऐं :- इन बच्चो मे विभिन्न वातावरण मे समायोजन की क्षमता कम होती है। वे एकान्त मे रहना पसन्द करते है इनकी समस्या संवेगात्मक भी होती है ये बालक अपनी कठिनाईयो का ठीक से समाधान नही कर पाते हैं।

शैक्षिक मन्दित बालको के लिए शैक्षिक सुविधाऐं

शैक्षिक विकलांग बालको की समस्याओ को ध्यान मे रखकर शैक्षिक सुविधाऐं प्रदान की जानी चाहिए। इनके लिए विद्यालय का वातावरण, कक्षा का वातावरण ठीक होना चाहिए। अध्यापक से भी अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी शिक्षण तकनीकी मे कुछ परिवर्तन करे तथा व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान मे रखकर शिक्षण करें। बौद्धिक अक्षम बालको के लिए निम्न शैक्षिक सुविधा पर ध्यान देना आवश्यक है।

1. **अनुकूल पाठ्यक्रम** :- मन्दित बालक धीमी गति से सीखते है इसलिए पाठ्यक्रम मे लचीलापन होना चाहिए। पाठ्यक्रम मे ऐसी गतिविधियाँ शामिल की जाये जिससे कि ये बच्चे धीमी गति से सीख सके। पाठ्यक्रम मे सरल से कठिन की ओर सूत्र का प्रयोग किया जाये।
2. **व्यक्तिगत शिक्षा** :- ये बच्चे समूह मे नही सीख पाते है इसके लिए आवश्यक है कि इन पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाये व कक्षा समय के अतिरिक्त समय मे सिखाया जाये। इन्हे स्वतंत्र सीखने के अवसर प्रदान किये जाने चाहिए।
3. **अमूर्त को मूर्त रूप मे प्रस्तुत करना** :- इन बच्चो को पढ़ाते समय अभ्यास द्वारा सिखाया जाये जिससे ज्ञानेन्द्रियाँ सक्रिय होकर कार्य करें अर्थात् छू कर, देखकर व स्वयं करके सिखाया जाये जिससे प्राप्त ज्ञान स्थाई हो सके।
4. **प्राथमिक स्रोत का प्रयोग** :- शिक्षण करते समय जहाँ तक सम्भव हो प्राथमिक स्रोत का प्रयोग करना चाहिए, इसके लिए भ्रमण, शैक्षिक यात्रा आदि के माध्यम से सिखाया जा सकता है यदि पौधे या मिट्टी आदि प्रकरण पढ़ाने हो तो प्राथमिक स्रोत का प्रयोग करना चाहिए जिससे ये बच्चे देख सकें, अनुभव प्राप्त कर सके।
5. **पुनर्बलन देना** :- सभी यह जानते है कि किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है और अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए इन बच्चो को प्रशंसा, पुरस्कार आदि पुनर्बलन दिये जाने चाहिए जिससे वे प्रेरित होकर कार्य कर सकें।
6. **सृजनात्मक क्रियाकलाप** :- धीमी गति से सीखने वाले बच्चों मे सृजनात्मकता होती है। इनके विकास के लिए इनकी सृजनात्मकता की पहचान करनी आवश्यक होती है। सृजनात्मकता की पहचान के बाद इन बच्चो को इनकी रुचि के अनुसार चित्रकला, पेन्टिंग, नृत्य, गायन, वादन, खेल-कूद की ओर प्रवृत्त किया जा सकता है। विद्यालय मे ऐसे क्रियाकलाप आयोजित किये जाने चाहिए जिनसे इनकी सृजनात्मक कौशलो का विकास हो सके।
7. **पुनरावृत्ति एवं अभ्यास** :- बौद्धिक रूप से अक्षम बालकों की स्मृति कमजोर होती है। इनके लिए पुनरावृत्ति एवं निरन्तर अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसलिए अध्यापक को चाहिए कि वह इन बच्चो को अधिक से अधिक अभ्यास कराऐं व पुनरावृत्ति करवाऐं।

8. **माता-पिता की भागीदारी** :- इन बच्चो की शिक्षा मे अध्यापक के साथ-साथ माता-पिता की भी जिम्मेदारी होती है कि वे इनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें तथा इनकी शिक्षा मे अपनी भागीदारी निश्चित करें। इन बच्चों के लिए घर का वातावरण अच्छा हो। इन्हे समय-समय पर पुनर्बलन दिया जाना चाहिए।
9. **कक्षा-कक्ष वातावरण** :- शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा का वातावरण सकारात्मक व सीखने के लिए उपयुक्त हो। शिक्षक व बालक मे तथा सहपाठियो मे परस्पर अन्तःक्रिया ठीक हो जिससे वे सीख सकें।
10. **पढ़ने के लिए पठन** :- इन बच्चो मे पढ़ने के लिए पठन क्षमता को विकसित करने पर बल देना चाहिए इसके लिए इन बच्चो को :
    1) अधिकाधिक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
    2) पठन सामग्री की उपलब्धता हो।
    3) पढ़ने मे रुचि जागृत की जाय।
    4) स्व पठन की आदत बनाई जाय।
11. **साथी शिक्षण** :- इन बालको की समस्याऐं व्यक्तिगत होती है। इन्हे शिक्षण करते समय अलग-अलग विधियो से सिखाया जाना चाहिए। इन बच्चो को सिखाने के लिए समूह शिक्षण या साथी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि साथी एक ट्यूटर की भूमिका निभा सकता है।
12. **व्यावसायिक प्रशिक्षण** :- इन बच्चों के लिए किसी न किसी व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि ये बालक जीवनयापन सम्बन्धी उपयोगी कार्य भी कर सकें।

अध्यापक की भूमिका (Role of The Teacher)

मानसिक रूप से मन्दित बालकों की शिक्षा के क्षेत्र मे अध्यापक की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है इसके लिए अध्यापक को निम्न बातो का ध्यान रखना आवश्यक है।

. अध्यापक को बालको की सहायता, परामर्श के लिए तैयार रहना चाहिए।
. इन बच्चो को धीमी गति से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि वे अपनी गति से सीख सकें।
. इन बच्चो के लिए विभिन्न सहायक सामग्री के प्रयोग की कुशलता होनी चाहिए।
. शिक्षक को बालको के स्वास्थ्य, व्यक्तिगत समस्याओं की जानकारी होनी चाहिए।
. शिक्षक को इनकी रुचियो की जानकारी होनी चाहिए।
. बालको को अपनी आदतों का मूल्यांकन स्वयं करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
. उन्हे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
. पुनरावृत्ति एवं अभ्यास द्वारा शिक्षण किया जाना चाहिए।
. इनकी छोटी-छोटी उपलब्धियो के लिए पुनर्बलन दिया जाना चाहिए।
0. बालक के प्रति सहानुभूति, धैर्य होना चाहिए।
1. इनकी परीक्षा व मूल्यांकन मे लचीलापन हो।
2. बालको को कार्य विश्लेषण सिखाया जाय अर्थात कार्य को किस प्रकार खण्डो मे विभाजित कर सकें।

Scanned with CamScanner

इन बालकों की शैक्षिक प्रगति की रिपोर्ट तैयार कर अभिभावकों को सूचित करना।

13. इन बालकों की शैक्षिक प्रगति की रिपोर्ट तैयार कर अभिभावकों को सूचित करना।
14. इन बच्चों के माता-पिता से सम्पर्क बनाये रखना।
15. इन बच्चों को सरल से कठिन की ओर सिखायें।
16. इनका गृह कार्य उनकी क्षमता के अनुसार दिया जाये।
17. इन बच्चों की रुचि के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाएँ आयोजित की जायें।

इस प्रकार इन बच्चों की शिक्षा में अध्यापक की भूमिका सर्वोपरि होती है। उसे इस प्रकार शि... चाहिए जैसे वे सीख सकते हैं। उसे इन बच्चों की गतिविधियों का ठीक से निरीक्षण करना चाहि... उनकी क्षमता के अनुसार कार्य दें। शिक्षक के सम्बन्ध में कृपुस्वामी ने ऐसे शिक्षक की कल्पना की... "मन्दित बालकों के शिक्षकों को उनकी शिक्षा देने के लिए विशिष्ट कुशलता और प्रशिक्षण... सुसज्जित होने के अलावा बहुत धैर्यवान, सहनशील और समानुभूतिपूर्ण होना चाहिए।"

प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात

Cerebral Palsy (Locomotor and Neurological Disorder)

प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात भी विकलांगता का कारण होता है। इससे कई प्रकार की बाधिता आ सकती... यह प्रसव के समय या फिर जन्म के तुरन्त बाद चोट, दुर्घटना आदि कारणों से हो जाती है... शारीरिक व मानसिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर की बनावट, मुद्रा में दोष, पक्षाघात, मा... पीड़ित, चलने में कठिनाई, किसी अंग का कार्य न करना, टेढ़े मेढ़े चलना, चलते-चलते गिर जाना... कभी-कभी दौरे पड़ना आदि समस्याएँ पक्षाघात के कारण होती हैं।

प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के सम्बन्ध में कुछ तथ्य :-

1. लगभग 500 बच्चों में से कोई एक बच्चा इससे सम्बन्धित हो सकता है।
2. यह कोई वंशानुगत रोग नहीं है।
3. यह कोई संक्रमण नहीं है यह वह दशा है जो जीवन पर्यन्त चलती रहती है।
4. इससे जीवन को कोई विशेष खतरा नहीं है।
5. इससे बाधित बच्चों की जीवन अवधि सामान्य होती है।
6. इसका कारण मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी होना है।
7. 90 प्रतिशत बच्चों में यह बाधिता जन्म के समय या प्रसव के दौरान होती है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात कोई बीमारी नहीं है। यह बाधिता प्रस... दौरान असावधानी से होती है। प्रसव के दौरान जब मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो जाती... यह बाधिता जीवन पर्यन्त हो जाती है।

प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के लक्षण

इसके लक्षण इस प्रकार है -

1. चलने में असमान्यता।
2. वाणी व भाषा की बाधिता।
3. शरीर के अंगों में समन्वय में कमी।

4. मांसपेशियों का ठीक से कार्य न करना
5. मांसपेशियों में जकड़न व दर्द।
6. चलने में लड़खड़ाना या गिर पड़ना।
7. कभी-कभी चक्कर आना (दौरे पड़ना)।
8. अनैच्छिक गतिविधियाँ।
9. असामान्य संवेदना।

प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के प्रकार

- आकर्षी Spastic
- एथीटॉड Athetoid
- गतिविभ्रम Ataxic
- मिश्रित Mixed form

उपरोक्त वर्गीकरण से स्पष्ट है कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात चार प्रकार का होता है जिनकी संक्षिप्त विवेचना इस प्रकार है।

1. **आकर्षी (Spastic)** :- प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के लगभग 60 प्रतिशत इस प्रकार के होते है। इसमें किसी अंग में लकवा की स्थिति हो जाती है मांसपेशियों में जकड़न व ऐंठन होती है। मांसपेशियाँ सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती हैं फलस्वरूप उस अंग से कोई काम नहीं किया जा सकता है यह बच्चों की भुजा, पैर, बाजू आदि में हो जाता है।
2. **एथीटॉड (Athetoid)** :- प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के लगभग 20 प्रतिशत व्यक्ति इस बाधिता से ग्रसित हैं इससे बाधित बच्चे छटपटाने जैसी अनैच्छिक क्रियाएँ करते हैं। यह समस्या हाथ, पैर, टाँग, सिर में अधिक होती है। कुछ बच्चे झटके लगने जैसी गतिविधि करते हैं।
3. **गतिविभ्रम (Ataxic)** :- गतिविभ्रम से बाधित लगभग 10 प्रतिशत बच्चे होते हैं। इन बच्चों की मुख्य समस्या शरीर के सन्तुलन बनाने की है। इनकी मांसपेशियों, हाथ, पैर आदि में कम्पन होती है तथा शरीर का संतुलन ठीक से नहीं बना पाते हैं फलस्वरूप चलते-चलते गिर जाते हैं इनकी भाषा भी अनियमित होती है।
4. **मिश्रित (Mixed Form)** :- लगभग 10 प्रतिशत ऐसे होते हैं जिनमें उपरोक्त तीनों बाधिता होती है।

प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के कारण

प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के निम्न कारण हैं :-

1. जन्म के समय या पूर्व, मस्तिष्क का क्षतिग्रस्त होना, चोट लगना।
2. मस्तिष्क का ठीक से विकास न हो पाना।
3. चोट या दुर्घटना के कारण मस्तिष्क में क्षति होना।
4. रक्त कोशिकाओं में रुकावट आना।
5. मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी होना।
6. प्रसवकाल में चोट लगना।

Scanned with CamScanner

7. माता को मधुमेह या अन्य बीमारियाँ होना।
8. शैशवावस्था में मस्तिष्कीय चोट, संक्रमण, ट्यूमर आदि।

प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से समस्याऐं

प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से निम्न समस्याऐं आती है-

1. इससे बाधित बच्चों को चलने, फिरने व अन्य शारीरिक गतिविधियों में समस्या आती है। खाने... में हाथों का प्रयोग करने में समस्या आती है।
2. इससे बाधित बच्चों को मांसपेशियों में दर्द, जकड़न, ऐंठन होती है।
3. कुछ बच्चे बैठने में असमर्थ होते है उठते-बैठते समय गिर पड़ते है उन्हे निरन्तर सहायता... आवश्यकता होती है।
4. इस बाधिता से मौखिक अभिव्यक्ति में भी समस्या आती है।
5. हाथ पैरो में कम्पन होता है।
6. इन बच्चों की बुद्धि स्तर व बौद्धिक क्षमता में भिन्नता होती है कुछ सामान्य बुद्धि के या कुछ... बौद्धिक योग्यता के भी हो सकते हैं।

शैक्षिक प्रावधान एवं प्रबन्ध

प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के बाधित बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था व प्रबन्धन की आवश... होती है। विद्यालय में व घर में इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाये तो ये बच्चे भी समान ... प्राप्त कर सकते है कुछ शैक्षिक प्रावधान व प्रबन्ध निम्न हैं।

1. इन बच्चों के बैठने उठने की समस्या होती है कक्षा में इस प्रकार का प्रबन्ध किया जाये व फर्नी... की व्यवस्था की जाय जिससे ये बच्चे आसानी से बैठ सकें।
2. इनकी शैक्षिक गतिविधियों में सुविधा के लिए बैसाखी, वाकर केस्टर के साथ कुर्सी, पहिया ... आदि की व्यवस्था करना।
3. इन बच्चों के आने-जाने के लिए सीढ़ी के स्थान पर रैम्प बनाना।
4. इन बच्चों के लिए सुविधाजनक शौचालय बनाना।
5. लिखने का कम से कम काम दिया जाये। समझाने पर ध्यान दिया जाये।
6. इनके लिए निबन्धात्मक प्रश्नों के स्थान पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिये जाये, जैसे- सत्य असत्य, हां ... वाले प्रश्नों के माध्यम से परीक्षा ली जाये।
7. इनके माता-पिता अभिभावकों से सम्पर्क कार्यक्रम आयोजित किये जाये।
8. विद्यालय में की-बोर्ड, टाइपराइटर, कम्प्यूटर, शब्द प्रबर्धक आदि की व्यवस्था की जाये।
9. इनके मूल्यांकन में लचीलापन हो तथा इनकी प्रगति के बारे में स्पष्ट सूचना रखी जाये।
10. इनकी क्षमता के अनुरूप शैक्षिक आकांक्षा हो।

इस प्रकार प्रमस्तिष्कीय बाधित बच्चों की शिक्षा के लिए अध्यापकों की भूमिका सर्वोपरि होती है इ... साथ-साथ समावेशी शिक्षा प्रदान करने में विद्यालयों की प्रबन्धन व्यवस्था आदि महत्वपूर्ण है। इन ब... के लिए फर्नीचर, उचित सहायक उपकरणों की व्यवस्था करना विद्यालयों का उत्तरदायित्व है।

अधिगम विकलांगता
(Learning Disability)

अध्यापकों व शिक्षाशास्त्रियों के लिए अधिगम विकलांगता कोई नया प्रत्यय नही है। अध्यापकों को कक्षा में कई ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं जो बताई गई बात को नही सीख पाते है। इसके अनेकों कारण हो सकते हैं। अधिगम विकलांग बालक एक से अधिक मानसिक क्रियाओं के दोष को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इनकी पहचान करना कठिन होता है। अधिगम विकलांगता के कई कारण है जैसे किसी बच्चे को दिखाई न देना, सुनाई न देना, मानसिक रूप से कमजोर बालक, शारीरिक व संवेगात्मक रूप से मन्दिता या कमजोर बालक आदि कई कारण हो सकते हैं, जिनकी वजह से बच्चा धीमी गति से सीखता है या फिर उसे समझ में नही आता है। अधिगम विकलांगता को निम्न परिभाषाओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

किर्क 1962 : "अधिगम विकलांगता का तात्पर्य बालक के विकास में मन्दिता होना अथवा मापदण्डों से अधिक समय लगने से सम्बन्धित है विकास में मन्दिता की दर का बालक के बोलने, पढ़ने, भाषा सम्बन्धी शब्दों के विभिन्न वर्तनी अक्षर करके पढ़ने-लिखने अथवा एक से अधिक क्रियाओं को करने में बालक कठिनाईयों का अनुभव करता है। इस प्रकार की समस्याओं और कठिनाईयों का कारण भावनात्मक, व्यावहारिक, विक्षोभ अथवा सम्भवतः मानसिक दोष होता है। इसका कारण मानसिक मन्दिता, शारीरिक इन्द्रियों में कमी अथवा दोष नही होता है इसका कारण सांस्कृतिक अथवा अनुदेशनात्मक दोष भी नही होते हैं।"

बाधित बालकों की राष्ट्रीय सलाहकार समिति अमेरिका 1968 : के अनुसार "विशिष्ट अधिगम विकलांगता बालक के द्वारा भाषा को सिखने या बोलने में निहित मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में से अथवा एक से अधिक का सुचारू रूप से कार्य न कर पाना होता है। इस प्रकार की असमर्थता सुनना, बोलना, समझना, विचार करना, पढ़ना, लिखना, गणना करना तथा वर्तनी सम्बन्धी दोष के रूप में प्रकट होती है।"

गनपथि एवं कृष्णाकुमार : "अधिगम विकलांगता का प्रत्यय तंत्र तन्त्रिका बाधिता के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जो व्यक्ति की सूचनाओं के संग्रहण, प्रक्रिया, धारण करने तथा पुनःस्मरण की योग्यता को प्रतिबाधित करती है। अधिगम विकलांगता संग्रहित सूचनाओं की प्रक्रिया में प्रत्यावर्तन करके व्यक्ति की योग्यता तथा निष्पादन में अन्तराल पैदा कर देती है। पुनरावृत्ति तथा अभ्यास इस प्रक्रिया को बदल नही सकते लेकिन सामग्री को अलग ढंग से प्रस्तुत करने में सहायता करता है।"

अमेरिका की अधिगम असमर्थता की संयुक्त राष्ट्रीय समिति 1981 : "अधिगम असमर्थी एक सामान्य प्रत्यय है जिसका सम्बन्ध पंचमेल विकारों के एक समूह से है जो सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, तर्क करने तथा गणित सम्बन्धी योग्यताओं को ग्रहण करने तथा प्रयुक्त करने की गम्भीर कठिनाईयों के रूप में प्रकट होती है ये विकृतियां व्यक्ति के लिए आन्तरिक होती है एवं जिनका कारण केन्द्रीय स्नायु तन्त्र का सुचारू रूप से कार्य न करना समझा जा सकता है।"

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अधिगम विकलांगता किसी भी अंग के दोष के कारण हो सकती है ऐसे बालकों की संख्या अधिक पायी जाती है सामान्यतः अधिगम सम्बन्धित समस्याऐं निम्न कारणों से हो सकती है -

1. आर्थिक कठिनाईयाँ

Scanned with CamScanner

2. मानसिक मन्दिता
3. हाथ/पैर सम्बन्धी दोष
4. बुद्धि स्तर में कमी
5. दृष्टि बाधित
6. सांस्कृतिक ह्रास
7. समुचित अनुदेशन का अभाव।

उपरोक्त कारणों से अधिगम सम्बन्धी समस्याएें हो सकती हैं शब्द "अधिगम विकलांगता" तात्पर्य उन दशाओं से है जो मस्तिष्क में चोट लगने, मस्तिष्क का सुचारू रूप से कार्य करने में न होना। किसी के द्वारा बोले गये शब्दों को समझने में अक्षम होना, बोलने में असमर्थता, संख्याओं में कठिनाई, लिखने में अक्षम आदि कारणों से अधिगम में कठिनाई का सामना है तो उसे अधिगम विकलांग कहा जा सकता है।

अधिगम विकलांग बालकों की विशेषताऐं

गणपति तथा कृष्णाकुमार ने अधिगम असमर्थी बालकों के विशेष लक्षणों को इस प्रकार किया है :-

1. यह तंत्रिका तंत्र से सम्बन्धित विकृति है जो व्यक्ति की योग्यता एवं निष्पादन में अन्तराल करती है।
2. इससे सामान्यीकरण प्रतिबाधित होता है।
3. अधिगम विकलांगता बालक की पढ़ने, लिखने, बोलने तथा गणित के प्रश्न हल करने में पैदा करती है।
4. अधिगम विकलांगता एक गुप्त बाधिता है जिसकी आसानी से पहचान, निदान तथा स्वीकृति होती।
5. अधिगम विकलांग के लिए शीघ्र निदान, उपयुक्त हस्तक्षेप अत्यावश्यक दशाऐं हैं।
6. अधिगम विकलांगता प्रायः परिवारों में होती है।
7. ऐसा माना जाता है कि अधिगम विकलांगता पूर्ण रूप से लुप्त नहीं होती, इसकी क्षतिपूर्ति सकती है।
8. ध्यान की कमी तथा अत्यधिक क्रियाशीलता, विकृतियाँ, अधिगम असमर्थता में सम्मिलित हों लेकिन सदैव नहीं।
9. अधिगम असमर्थता, मानसिक मन्दता, आत्मविमोह, बहरापन, दृष्टिहीनता तथा व्यवहार असमानताओं के समान नहीं है।

अधिगम विकलांग बालकों की मुख्य विशेषताओं का वर्गीकरण करने के लिए अनेक किये गये हैं। क्लेमेन्टन 1966 ने इन बच्चो का गहन अध्ययन किया और अनुमान लगाया अधिगम असमर्थता मानसिक तथा तंत्रिका सम्बन्धित दोष या क्षति के कारण होती है। इन बालकों में अधिकांश विशेषताऐं पायी जाती है वे इस प्रकार है :-

1. शारीरिक अंग जैसे हाथ, पैर का सुचारू रूप से कार्य न करना।

2. अन्तःक्रिया की समस्या।
3. संवेगात्मक योग्यता में कमी।
4. ध्यान केन्द्रण में कमी।
5. स्मृति व चिन्तन करने में कमी।
6. विभिन्न इन्द्रियों में सामंजस्य की कमी।
7. संवेगात्मक प्रतिरोध।
8. विशिष्ट अधिगम असमर्थता।

उपरोक्त विशेषताओं के अतिरिक्त कुछ अन्य विशेषताऐं होती है जो इस प्रकार है :-

1. इन बच्चों को व्यवस्थित रूप से कार्य करने में समस्या आती है।
2. ये बच्चे भावनात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, अकस्मात संवेगों के विस्फोट के कारण अप्रिय व्यवहार करते हैं।
3. विषयवस्तु को समझने, अर्थ करने की क्षमता कम होती है।
4. इन बच्चों को अंक गणित, वाचन, भाषा पठन, उच्चारण करने में समस्या आती है।
5. इन बच्चों के शारीरिक अंगों में सामंजस्य की कमी होती है।

बौद्धिक विशेषताऐं

1. अधिगम असमर्थी बालकों की श्रवण, शब्दों को ठीक से बोलना, समझना आदि की समस्या होती है।
2. शब्दों को ग्रहण करने, भाव को समझने में कठिनाई होती है।
3. भावों का बोलकर समझने की योग्यता नहीं होती है।
4. अक्षरों का क्रम, वाक्य बनाना, भूलजाना, समझ में न आना आदि समस्याऐं होती है।

संवेगात्मक व सामाजिक विशेषताऐं

1. ऐसे बालक शांत व आज्ञाकारी होते है ये दिवास्वप्न में लीन रहते है।
2. बिना कारण क्रोधित होते है।
3. ऐसे बालक शारीरिक रूप से शिथिल होते है उन्हें किसी विशेष बिन्दु पर ध्यान केन्द्रित करने में समस्या होती है।
4. ऐसे बालक एक वस्तु से दूसरी वस्तु शीघ्र बदलते हैं।
5. स्वयं पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं।
6. भावनात्मक रूप से अस्थिर होते हैं।

अधिगम बाधित बालकों का वर्गीकरण

अधिगम असमर्थी बालकों की विभिन्न समस्याओं व बाधिताओं के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है।

1. आँख व हाथ की क्रिया में सामंजस्य का अभाव (Eye-Hand Co-ordination)
2. आकृति, पृष्ठ भूमि सम्बन्धी प्रत्यक्षीकरण (Figure Ground Perception)

Scanned with CamScanner

3. आकृति स्थिरता (Figure Constancy)
4. आकृति में दूरी (Position in Space)
5. स्थान सम्बन्धी वर्णन (Spatial Relations)
6. श्रव्य प्रत्यक्षीकरण (Auditory Perception)
7. स्मृति (Memory)
8. संज्ञानात्मक योग्यता (Cognitive Abilities)
9. भाषा बोधगम्यता (Language Receptive)
10. भाषा की अभिव्यक्ति (Expressive Language)

उपरोक्त वर्गीकरण से सम्बन्धित बाधिताऐं इस प्रकार हैं :-

1. **आँख व हाथ की क्रिया में सामन्जस्य का अभाव :-** इस बाधिता में बालक नेत्र व हाथों की क्रि में सामन्जस्य नहीं बना पाता है इस समस्या से अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है।
2. **आकृति, पृष्ठभूमि सम्बन्धी प्रत्यक्षीकरण :-** इसके अन्तर्गत बालक एक समय में उसी एक उद्दी पर ध्यान देता है जिस पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है तथा अर्थपूर्ण अनुभव प्राप्त करने के लिए वहाँ उपस्थित अन्य उद्दीपनों को नकार दिया जाता है। ऐसा बालक परिश्रम कर पाता है परिणामस्वरूप असफल हो जाता है।
3. **आकृति स्थिरता :-** आकृति स्थिरता में बालक एक सूचना को दूसरी परिस्थिति में स्थानान्त नहीं कर पाता है उसका ध्यान तथ्यों पर आधारित है वह तथ्यों को उसके वास्तविक रूप में पहचान पाता है यदि किसी वस्तु या चित्र को बदल दिया जाय तो उसे नहीं पहचान पाता है
4. **आकृति में दूरी :-** यह वस्तु के स्थान से सम्बन्धित है इसमें आगे, पीछे, अगला, पिछला, सा आदि की पहचान नहीं हो पाती है। बालक व और ब, म, भ आदि में अन्तर नहीं कर पाता। व 63, 14, 41 जैसी संख्याओं में अन्तर नहीं कर पाता है। इस समस्या के कारण बच्चा सीख में असमर्थ हो जाता है।
5. **स्थान सम्बन्धी वर्णन :-** यह दो या दो से अधिक वस्तु के अपने तथा दूसरे के बीच सम्बन्धों समझने की योग्यता पर आधारित है।
6. **श्रव्य प्रत्यक्षीकरण :-** इसमें बालक शब्दों की ध्वनियों को ठीक से नहीं पहचान पाता है और नहीं समझ पाता है।
7. **संज्ञानात्मक योग्यता :-** इसके अन्तर्गत बालक की समझने की प्रक्रिया में अनुभव के आधार स्मृति तथा जोड़ने को सम्मिलित किया जाता है।
8. **स्मृति :-** इसके अन्तर्गत बताई गई बातों को बच्चा जल्दी भूल जाता है।
9. **भाषा बोधगम्यता :-** इसके अन्तर्गत दृश्य उद्दीपन की प्रक्रिया के प्रयोग को सम्मिलित किया जा है।
10. **भाषा की अभिव्यक्ति :-** इसके अन्तर्गत बालक की भाषा को सही संकेतों को प्रयोग करने उसकी भाषा कौशलों के स्वरूप की जानकारी को सम्मिलित किया जाता है।

अधिगम विकलांग बालकों की पहचान

कक्षा में अधिगम विकलांग बालकों की पहचान होना आवश्यक है बालकों की पहचान स्पष्ट होने पर ही अनुरूप शैक्षिक सुविधाओं की पूर्ति की जा सकती है इन बच्चों की क्रियाओं व गतिविधियों के आधार पर इनकी पहचान की जा सकती है इनकी पहचान के आधार कुछ इस प्रकार हैं :-

1. इन बालकों को समझने में कठिनाई आती है बालक एक या अधिक विषयों में कमजोर हो सकता है।
2. बच्चे को महिने, दिन, सप्ताह आदि को क्रम से याद करने में कठिनाई आती है।
3. कक्षा में कार्यों को धीमी गति से करता है।
4. ऐसा बच्चा सुस्त दिखाई देता है।
5. दिये गये निर्देशों को समझ नहीं पाता है बार-बार दोहराने में समस्या आती है।
6. वातावरण या अन्य परिस्थियों में थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाय तो बालक परेशान हो जाता है।
7. अधिगम बाधित बालक कक्षा में शान्त नहीं बैठ पाता है। उत्तेजित रहता है।
8. अनावश्यक क्रोधित हो जाता है।
9. पढ़ते समय पूरे वाक्य को ही छोड़ देता है या फिर एक वाक्य को दो बार पढ़ता है।
10. प्रायः शब्दों का गलत उच्चारण करता है।
11. 'म' 'ब' 'प' 'फ' आदि वर्णों की ठीक से पहचान नहीं कर पाता है।
12. संख्याओं के क्रम को ठीक नहीं पढ़ता 41 को 14 या 63 को 36, 8 को 3 आदि।
13. ये शब्दों को छोटा कर पढ़ते हैं जैसे झटपट को झपट आदि।
14. शब्दों का अक्षरों को उल्टा लिखते हैं जैस b को d, W का M आदि।

अधिगम विकलांग बालक उपरोक्त गतिविधियाँ कर सकता है, यदि अध्यापक को ऐसा प्रतीत होता है कि बालक अधिगम बाधित है तो उपरोक्त बिन्दुओं से पहचान कर सकता है। इसके लिए चिकित्सक की सहायता भी ली जा सकती है।

अधिगम विकलांग बालकों की समस्याऐं

जैसा कि अधिगम असमर्थी बालकों की विशेषताओं से स्पष्ट है कि अधिगम विकलांग बालकों की अलग-अलग समस्याऐं होती हैं कुछ समस्याऐं इस प्रकार हैं :-

1. **ध्यान केन्द्रित करने की समस्या :-** अधिगम असमर्थी बालक का ध्यान एक कार्य में नही रह पाता है। यह कक्षा में शान्त नहीं बैठ पाता है। उसका ध्यान भटकता रहता है जो कि अधिगम में समस्या पैदा करता है।
2. **क्रियात्मक स्तर :-** अधिगम विकलांग बालकों के शरीर का क्रियात्मक स्तर या तो बहुत अधिक होता है या फिर बहुत कम। ये बच्चे किसी अंग को या तो नहीं चलाते हैं या फिर कोई न कोई अंग गतिशील रहता है। हाथ पैर की उँगलियों को चलाते रहते हैं, इस कारण इनका ध्यान एक स्थान पर नहीं रहता है।
3. **बौद्धिक योग्यता :-** यह स्पष्ट नही कहा जा सकता है कि इनकी बुद्धि लब्धि निम्न होती है। इनकी

Scanned with CamScanner

बौद्धिक योग्यता बहुत अधिक या बहुत कम हो सकती है।

4. **दृष्टि प्रत्यक्षीकरण की समस्या :-** इन बच्चों में दृष्टि प्रत्यक्षीकरण की समस्या होती है। ये वस्तुओं के बीच के अन्तर या दूरी को स्पष्ट नहीं कर पाते है, इनकी आँख व हाथों के सामंजस्य नहीं हो पाता है यदि किसी आकृति को दिखाया जाय और बाद में उस आकृति का भाग दिखाया जाय तो इन्हे समझ में नहीं आ पाता है। वस्तुओं का क्रम याद नहीं रहता है जि... अधिगम मे समस्याऐं आती है।

5. **श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्या :-** इन बच्चो मे श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्या पायी जाती है। ध्वनियो को स्पष्ट रूप मे नहीं सुन पाते है और न ही समझ पाते है। किसी ध्वनि को सुन... बाद उसे याद नहीं रख पाते है। इसी प्रकार कक्षा मे बताये गये स्वर को नही समझ पाते है।... कारण अधिगम की समस्या आती है।

6. **भाषायी समस्या :-** इन बच्चों की भाषायी समस्या भी होती है इन बच्चों के बोलने का वि... मन्द गति से होता है ये शब्दों को स्पष्ट नहीं बोल पाते है। लय गति के सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं होती। ये पढ़ते समय किसी वाक्य या शब्द को दो बार पढ़ देते है या फिर छोड़ दे... कभी-कभी शब्दो को छोटा कर पढ़ते है।

7. **संवेगात्मक व्यवहार :-** इन बच्चो का संवेगात्मक व्यवहार ठीक नहीं होता है, ये बालक संवे... नियन्त्रण नहीं रख पाते है। अनायास ही क्रोधित हो उठते है। क्रोध भी प्रचण्ड रहता है व... को उठाकर फैंकना, तोड़-फोड़ आदि कर देते है। इनमें सामाजिक समायोजन की क्षमता कम है। इन्हें यदि एक वातावरण से दूसरे वातावरण में ले जाया जाये तो ये परेशान हो जाते।

8. **शैक्षिक असमर्थता :-** उपरोक्त समस्याओं के कारण बालक में शैक्षिक विकलांगता हो जा... क्योंकि जब बच्चा समझ नहीं पा रहा है, ठीक से सुन नहीं पा रहा है, याद नहीं रख पा... तो स्वाभाविक है कि बच्चे को अधिगम सम्बन्धी समस्या या शैक्षिक समस्या हो जायेगी।

इस प्रकार स्पष्ट है कि अधिगम असमर्थी बालकों की अनेक समस्याएँ हैं। कुछ भी समस्याएँ है जिनकी चर्चा नहीं की गई है। ऐसे बालक अन्य व्यक्तियों की तरफ आक... भी नहीं होते है तथा वह स्वयं को भी इससे दूर रखते हैं। ऐसे बालकों को सामा... व्यक्तियों तथा माता-पिता व अभिभावकों, अध्यापकों से विचार-विमर्श करने की भी इ... होती है इनमें सामाजिक निपुणता व सामाजिक व्यवहार की समस्या पायी जाती है। अधि... असमर्थी बालकों में अपनी निजी समस्याओं के प्रति आन्तरिक चेतना बहुत कम होती है। भाग्य के ऊपर छोड़ दिया जाता है। इनमें प्रगति करने तथा विचारों का निम्न स्तर होता है। ... प्रकार इन बच्चों की कई समस्याऐं है। इन बच्चों के लिए समानुभूतिपूर्ण वातावरण व प्रोत्साहन आवश्यकता होती है।

अधिगम विकलांगता के प्रकार (Types of Learning Disability)

अधिगम विकलांगता मुख्य रूप से निम्न प्रकार की होती है :-

1. **डिसलैक्सिया (Dyslexia)**
2. **डिसग्राफिया (Disgraphia)**
3. **डिस क्लकुलिया (Dyscalculia)**
4. **ध्यान अभाव अतिक्रियाशीलता विकृति (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)**

1. डिसलैक्सिया (Dyslexia) :- डिसलैक्सिया से बाधित बालक वाचन से घबराते है। इन्हें लिखी हुई सामग्री धुंधली दिखाई देती है। इनके लक्षण इस प्रकार है :-

1. वाणी सम्बन्धी समस्या होती है, ये हकलाते व तुतलाते है।
2. अक्षरों को उल्टे ढंग से प्रस्तुत करते है जैसे saw को was आदि।
3. दृष्टिक व स्मृति सम्बन्धी कठिनाई होती है।
4. लेखन दोषपूर्ण होता है।
5. एक-एक कर व धीमी गति से पढ़ना।
6. अल्पकालीन स्मृति सम्बन्धी दोष।
7. लिखित शब्दो एवं वाक्यों को समझने में कठिनाई।
8. क्रिया से पहले चिन्तन की कमी।
9. विद्यालय में समायोजन नहीं हो पाता है।
10. अभद्र भाषा का प्रयोग व आक्रमक भी हो सकते है।

1. डिसलैक्सिया के कारण :-

यह रोग तंत्रिका तंत्र सम्बन्धी विकृति के कारण होता है यह वंशानुक्रम भी हो सकता है तथा वातावरण सम्बन्धी कारक जैसे कुपोषण, निर्धनता, अभाव आदि कारणों से इन बच्चों की आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पाती है जिस कारण यह स्थिति और गम्भीर हो सकती है।

निदान :- पारिवारिक इतिहास का अध्ययन किया जाय तथा भाषा, वर्तनी, उच्चारण, बौद्धिक योग्यता, स्मृति सम्बन्धी परीक्षण तथा व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाय।

2. डिसग्राफिया (Dysgraphia) :-

डिसग्राफिया भी अधिगम विकलांगता का कारण है। इसका सम्बन्ध लिखने की क्षमता से है। इससे बाधित बच्चों द्वारा लिखे गये शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। लेखन धीमा, भद्दा व त्रुटिपूर्ण होता है बालक शीघ्र थक जाता है तथा उंगलियों में दर्द होता है।

लक्षण :-

1. लेखन सम्बन्धी कार्यों में कठिनाई।
2. वर्तनी तथा विचारों को लिखने की समस्या।
3. कलम पकड़ने का ढंग ठीक नहीं होता।
4. अक्षरों का आकार समझने में कठिनाई होती है।
5. शब्दों, वाक्यों के बीच अन्तराल अनियमित होता है।
6. वाक्य छोड़कर या पुनरावृत्ति करते है।

शैक्षिक उपचार :- इन बच्चों को लिखने का अभ्यास करवाया जाय। खेल विधि का प्रयोग किया जाय।

3. डिसक्लकुलिया (Dyscalculia) :-

इस रोग से बाधित बच्चे शीघ्र नहीं पहचाने जाते हैं। इन बच्चों में गणितीय योग्यता कम होती

Scanned with CamScanner

है। ये बच्चे जोड़, घटाना, गुणा, भाग करने में अत्यधिक देर करते है। माता-पिता इन्हें सुस्त, आल...
करते है, गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में इनका कार्य ठीक होता है।

लक्षण :-

1. गणितीय कार्य करने में कठिनाई।
2. संख्याओं को पहचानने में समस्याएँ।
3. आकृति विभेदन की समस्या।
4. बड़ा-छोटा परिधि, क्षेत्रफल आदि को समझने में कठिनाई।
5. श्रवण व दृश्य इन्द्रियों में सामंजस्य की कमी।
6. समय, दूरी, गहराई से जुड़ी समस्याएँ।
7. गणित सम्बन्धी के स्मरण करने धारण करने व पुनः स्मरण करने की कठिनाई।
8. रुपये पैसे के लेन-देन सम्बन्धी कठिनाई।

उपचार :- इन बच्चो के लिए गणित का अभ्यास व बहुइन्द्रिय प्रयोग किया जाय खेल वि... प्रश्नोत्तर विधि, वास्तविक जीवन अनुभव के माध्यम से सिखाया जाय।

4. **ध्यान अभाव, अति क्रियाशीलता विकृति (Attention Deficit Hyperacti... Disorder)** :- इसे सामान्य भाषा में ADHD कहते है। इन बच्चो में आवेगों के नियन्त्रण... समस्या होती है इनका ध्यान केन्द्रित नहीं हो पाता इस कारण कक्षा में, घर में अनुशासनहीन... करते है तथा शिक्षण में बाधा उत्पन्न करते है। यह स्नायुतन्त्र सम्बन्धी विकृति है कि... असामान्य स्तर का ध्यान, आवेग तथा अति क्रियाशीलता सम्मिलित है। ये बच्चे संवेगात्मक... से अस्थिर होते है।

ADHD के लक्षण :-

1. कही गई बात को पूरा न सुनना।
2. निर्देशों का ठीक से पालन न करना।
3. कार्य व खेल आदि में ध्यान की कमी।
4. कार्य करने वाली सामग्री कलम, पुस्तक आदि को खो देना।
5. बाहरी उत्तेजना का शीघ्र प्रभाव।
6. भूलने की समस्या।

अतिक्रियाशीलता :-

1. इन्हें सदैव बेचैनी बनी रहती है।
2. हाथ पैर की उंगलियों को चलाते रहते है।
3. कक्षा में अलग-अलग सीटों को बदलना।
4. स्वचालित व्यवहार करना।
5. अत्यधिक तीव्र वार्तालाप करना।

आवेगात्मकता :-

1. प्रश्न समाप्त होने से पूर्व ही उत्तर देना।

2. अपनी बारी का इन्तजार न कर पाना।
3. दूसरों की बात को सुने बिना बीच में काट देना।

उपचार :- इन बच्चों के उपचार के लिए निम्न क्रियाएँ करायी जा सकती है :-

1. शिक्षक के निकट ही इनकी बैठने की व्यवस्था की जाय।
2. खिड़की, द्वार से दूर बैठाया जाय।
3. कार्य करने के लिए अधिक समय दिया जाय।
4. सीधे सपाट प्रश्न पूछे जाये।
5. अनुपयुक्त व्यवहार पर ध्यान देना।
6. पुनर्बलन देना।
7. सकारात्मक व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करना।
8. कार्य करते समय अल्प विराम देना।

अधिगम विकलांग बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान

अधिगम असमर्थी बालकों की शिक्षा के लिए कुछ प्रावधानों की चर्चा ऊपर की गई है। इन बच्चों की समस्याओं को देखते हुए कुछ क्रियाएँ अध्यापक को करनी आवश्यक होती है। इन बच्चों के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण करना आवश्यक है। सर्वप्रथम यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि बच्चे को क्या समस्या है। उस समस्या से सम्बन्धित शैक्षिक सुविधाएँ व उपचार किये जाने चाहिए, क्योंकि अधिगम विकलांग बालक कई प्रकार के दोषों से ग्रसित हो सकते है। किसी को वाणी सम्बन्धी समस्या हो सकती है तो किसी को भाषा या शब्द पहचानना, अंक गणितीय, संवेगात्मकता आदि से सम्बन्धित समस्याएँ हो सकती है। इनकी बाधिता की पहचान करने के उपरान्त ही इनके लिए उपचार की व्यवस्था की जा सकती है। यहाँ कुछ बिन्दुओं द्वारा इनके लिए शैक्षिक प्रावधान की चर्चा की जा रही है।

1. इन बालकों की शिक्षा के लिए शिक्षण करते समय बहुइन्द्रिय साधनों की व्यवस्था की जाय जिससे ये क्रियाशील रह सके व सीख सके।
2. शिक्षण को सजीव बनाया जाये अर्थात् वस्तु, आकृति, चित्र आदि को बदल-बदल कर दिखाया जाये।
3. बालक के स्तर को ध्यान में रखकर घटनाओं सम्बन्धी उदाहरण प्रस्तुत किये जाये।
4. शिक्षण करते समय अधिक से अधिक पुनरावृत्ति की जाये।
5. इन बच्चों के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाये।
6. बच्चों को वास्तविक वस्तुऐं दिखाकर समझाया जा सकता है।
7. बच्चे द्वारा की गई त्रुटियों से अवगत करायें।
8. बच्चे को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाऐं, बीच में छोड़ें नहीं।
9. कक्षा में वे वस्तुऐं हटा दें जिन पर बच्चे का ध्यान बार-बार जा रहा हो।
10. स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए, संकेत हो तो वह भी स्पष्ट।
11. सिखाते समय अधिक से अधिक चित्रों का प्रयोग।
12. प्रश्नों को बीच में पूछकर मूल्यांकन करते रहना चाहिए।

Scanned with CamScanner

13. श्यामपट्ट का अधिक से अधिक प्रयोग।
14. खेल विधि द्वारा शिक्षण किया जाना चाहिए।
15. बालक को अभ्यास सीखने के अधिक अवसर प्रदान किये जायें।
16. माता-पिता को इनकी स्पष्ट सूचनाऐं प्रदान करना।
17. साथियों के साथ सीखने पर बल दिया जाये अर्थात् सहपाठी शिक्षण किया जाये।
18. गृहकार्य उनकी क्षमता के अनुसार दिया जाये।
19. बच्चे के अनुपयुक्त व्यवहार पर ध्यान न दिया जाये।
20. अच्छे व्यवहार के अनुबन्धन स्थापित करना तथा बालक को अपने व्यवहार की देख-रेख करने के लिए प्रोत्साहित करना।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधिगम विकलांग बच्चों के लिए अलग-अ प्रकार की शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इनके शिक्षण में अध्यापक की भूमिका सं होती है इन बच्चों की सहायता करने के लिए सबसे उत्तम कार्य बालकों को उनके उत्तरदायित्वों कर्तव्यों का निर्धारण करना और सौंपना विशेषतः ऐसे बालकों को जो समस्याओं में उलझे हुए हैं। नहीं है कि अधिगम विकलांग बालक निकम्मे या धूर्त होते हैं। यदि इन बच्चों की शैक्षिक आवश्यक की पूर्ति की जाय तो ये भी सामान्य बच्चों की भांति कार्य कर सकते है। विलियम और हा (1998) में अपने लेख 'अधिगम विकलांग बालकों की शिक्षा का औचत्यपूह' में कहा कि – अधि अधिगम विकलांग बालक में शैक्षिक शक्ति अन्य बालकों के समान होती है। परन्तु उनकी शक्तियाँ दबी हुई होती है। जिन्हें उजागर करने के लिए तथा उपलब्धियाँ प्राप्त करने के लिए उन्हें कुछ सहायत आवश्यकता होती है। इन बच्चों की शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा एक अच्छा कदम है जिससे ये भी सामान्य विद्यालयों में अन्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे।

बहु विकलांगता (Multiple Disability)

पिछले अध्यायों में हमने श्रवण बाधित, अस्थि बाधित, वाणी बाधित आदि बालकों की शिक्ष अध्ययन किया। बहु विकलांगता का अर्थ किसी बालक में एक से अधिक विकलांगता होना है। बालकों की व्यक्तिगत व शैक्षिक आवश्यकताऐं अन्य बालकों तथा दूसरे प्रकार के विकलांग बालकों आवश्यकताओं की अपेक्षा भिन्न होती है। एक अंग की बाधिता के कारण दूसरे अंगों की भी बा हो जाती है। जैसे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के कारण वाणी बाधिता, अस्थि बाधिता आदि हो जाती है। बहु विकलांगता कहते हैं। बहु विकलांगता बालकों को भी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जा उनकी विशिष्टता एक से अधिक पक्षों में होती है। अस्थि विकलांगता के कई बालक दृष्टि बाधि श्रवण बाधित हो सकते हैं। कई व्यक्तियों में दृष्टि एवं श्रवण दोनों प्रकार की विकलांगता हो सक जिसे बधिरांधता (Deafblindness) कहा जाता है। बहुबाधित बालकों की शिक्षा के लिए सरका गैर सरकारी प्रयास किये जा रहे हैं। ये प्रयास इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सभी व्यक्तियों को अ शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक विभिन्नताओं के बावजूद शिक्षा प्राप्त करने स्व करने तथा सुखमय जीवन व्यतीत करने का अधिकार है। बहु बाधिता को परिभाषित करने के विद्वानों ने इस प्रकार अपने विचार दिये हैं।

सचवार्ज : "बहुबाधित बालक में दो या दो से अधिक विकलांगताऐं होती हैं जिन्हें उनकी देखभाल, शिक्षा और भावी जीवन की योजना के लिए ध्यान में रखना है।"

निशक्तजन अधिनियम 1995 की धारा (1) अनुभाग (2) के अनुसार : "किसी व्यक्ति में दो अथवा अधिक विकलांगता को बहुविकलांगता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इन अपंगताओं में मुख्य रूप से दृष्टि हीनता, कम दृष्टि, बहरापन, उपचार पश्चात कोढ़, अस्थि बाधिता, मानसिक विक्षिप्तताऐं तथा मानसिक मन्दन आदि को रखा जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों की देख-भाल, शिक्षा, उपचार तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस परिभाषा को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है।

डब्लू एम क्रूयशेन्क : "एक बहुबाधित बालक वह है जो शारीरिक बुद्धिमानी और समाज के आधार पर सामान्य बालक की अपेक्षा गुणों में अधिक विकसित हो तथा सामान्य शिक्षा कक्ष में शिक्षण के कार्यक्रम के मध्य उसे बहुबाधित प्रकार के व्यवहार की आवश्यकता हो।"

किर्क : "बहुबाधित बालक मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक गुणों में अन्य बालकों से भिन्न होता है उसकी भिन्नता कुछ ऐसी सीमा तक होती है कि उसे स्कूल के सामान्य कार्यों में बहुबाधित शिक्षा सेवाओं में परिवर्तन की आवश्यकता होती है ऐसे बालकों के लिए कुछ अतिरिक्त अनुदेशन भी चाहिए ऐसी दशा में उनका सामर्थ्य का अन्य बालकों की अपेक्षा अधिक विकास हो सकता है।"

हेवेट तथा फोसेस : "विकलांगता ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इन्द्रियाँ तथा मांसपेशियों की क्षमता अनोखी हो अर्थात् सामान्यतया ऐसे गुण दुर्लभ हो। ऐसी अनोखी दुर्लभ क्षमताऐं उसकी प्रवृत्ति तथा कार्य के स्तर में भी हो सकती है, इस प्रकार के बालक प्रतिभाशाली के रूप में परिभाषित होते हैं। ऐसे बालक बड़ी आसानी से अन्य बालकों के बीच पहचाने जा सकते हैं।"

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि बहुविकलांग बालक जो भाषा को बोलने, समझने तथा शारीरिक व मानसिक अथवा दोनों के कारण विकलांग होते हैं अर्थात् बोलने व समझने की क्रिया में किसी भी प्रकार के दोष बालकों में पाये जाते हैं। जिसके अन्य प्रभाव जैसे भाषा लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना और अंक गणित सम्बन्धी गणना करना व मानसिक बाधित, मस्तिष्क में चोट, मस्तिष्क का सुचारू रूप से कार्य न करना, अजीर्ण रोग से ग्रसित होना भी सम्मिलित है। इस शब्द में ऐसे बालक सम्मिलित नहीं किये जाते है जो अधिगम सम्बन्धी समस्या से बाधित है। लेकिन इनका कारण दृष्टि, श्रवण बाधिता, हाथ या पैर से कार्य न कर पाना, मानसिक मन्दिता, वातावरण विशिष्टता अथवा सांस्कृतिक या आर्थिक दोष है।

कुछ बालक अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य दिखाई पड़ते हैं कभी-कभी ऐसे बालकों को अधिगम सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे बालकों को भाषा सीखने में भी कठिनाई होती है। ऐसे बालकों को शिक्षण क्षेत्र में लिखने, सुनने, समझने, पढ़ने में कठिनाई होती है जिसे बहु विकलांगता कहा जाता है।

बहु बाधित बालको की विशेषताऐं

बहु बाधित बालकों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए इनकी विशेषताऐं इस प्रकार है :-

1. इनके शरीर की बनावट, कार्य क्षमता, शक्ति सामान्य बालकों से भिन्न होती है।
2. बहुबाधित बालक शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आधार से भिन्न होते है।

Scanned with CamScanner

यह विकास सामान्य बालकों की अपेक्षा बहुत तीव्र या मन्द होता है।

3. इनका विकास सामान्य बालकों की अपेक्षा बहुत तीव्र या मन्द होता है।
4. बहुबाधित वह है जो सामान्य कक्षा में सामान्य शिक्षण से लाभान्वित नहीं हो पाते है।
5. इनका व्यवहार सामान्य से पृथक होता है।
6. एक बहुबाधित बालक शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी धाराओं में सम्मिलित होता है।
7. ये बालक अपने दैनिक जीवन सम्बन्धी कार्यों तथा सामाजिक समायोजन में भिन्न होते है।
9. इन बालकों के विकासात्मक प्रतिमान सामान्य नहीं होते है।
10. इनके लिए अलग शिक्षण रणनीति व क्रियाकलापों की आवश्यकता होती है।

बहु बाधिता के प्रकार

बहु बाधिता को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बाँटा जा सकता है।

1. दैहिक बाधिता के साथ बहु विकलांगता (Physically Handicapped with other Disabi
2. दूसरी बाधिता के साथ बौद्धिक विकलांग बालक (Intellectually Disabled and Other Disabled Children)

1. दैहिक बाधिता के साथ बहु अपंगता : इसमें वे बच्चे सम्मिलित किये जाते है जो एक से शारीरिक अपंगता को लिए होते है, जैसे अस्थि बाधित बच्चे का कम सुनाई देना, कम दिख आदि।
2. दूसरी बाधिता के साथ मानसिक रूप से विकलांग बालक : इस श्रेणी में वे बच्चे सम्मिलि जाते है जो :-
   1) औसत से कम बुद्धि जिनकी बुद्धि लब्धि 80-89 तक होती है।
   2) धीमी गति से सीखने वाले जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से 79 तक होती है।
   3) मानसिक दुर्बल बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है।

उपरोक्त साथ कोई शारीरिक बाधिता जैसे कम सुनाई देना कम दिखाई देना, वाणी दोष, बाधिता आदि संयुक्त रूप से होते है।

इस प्रकार के बालक विचलित व्यवहार करते है। इन बालकों के शारीरिक दोष कम मात्रा में दृष्टि होते है इसलिए इन्हे दैहिक बाधिता के अन्तर्गत नहीं रखा जाता है।

बहु विकलांगता के कारण

सामान्यतः बहु विकलांगता के कारण भी वही होते है जो अन्य विकलांगताओं के कारण होते है। विकलांगतो में वंशानुगत व पर्यावरणीय कारक उत्तरदायी होते हैं। कुछ कारण इस प्रकार है :-

1) गर्भवती स्त्री द्वारा तीव्र औषधियों का सेवन।
2) एक्स रेज व अन्य विकिरण उपकरणों का प्रयोग।
3) गुणसूत्र व अन्य वंशानुगत कारक।
4) जन्म के समय दुर्घटना, चोट आदि।
5) गम्भीर बीमारियाँ।

समस्याऐं

बहुबाधित बालकों की समस्यायें इस प्रकार है :-

1) इनका निम्न बौद्धिक स्तर होता है जिस कारण ये धीमी गति से सीखते है।
2) इनकी दोषपूर्ण दैहिक क्रियाऐं होती है।
3) शारीरिक कार्य में असंतुलन होता है।
4) इनकी गम्भीर शैक्षिक समस्याऐं होती है।
5) इनका व्यवहार असामान्य होता है।
6) इनमें समायोजन की समस्या होती है।
7) मानसिक व शारीरिक क्रियाकलाप धीमी गति से करते है।
8) इनकी वाणी एवं भाषा से सम्बन्धित समस्याऐं होती है।
9) इनका व्यक्तित्व विक्षिप्त होता है।

शैक्षिक प्रावधान

बहुबाधित बालकों को शिक्षा प्रदान करने में कठिनाई जरूर होती है लेकिन यह भी सत्य है कि इन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और शिक्षा देना अध्यापक का कार्य है और उसके लिए अच्छा वातावरण तैयार करना विद्यालय का कार्य है यदि इन दोनों में अच्छा सामंजस्य है और इन बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाय तथा इनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाय तो ये बच्चे भी शिक्षा का लाभ उठा सकेंगे।

कुछ शैक्षिक प्रावधान इस प्रकार है :-

बहु विकलांगता की पहचान :- सर्वप्रथम कक्षा में अध्यापक को बहुविकलांग बच्चों की पहचान करनी आवश्यक है ताकि उनकी शैक्षिक जरूरतों का पता लग सके। इनकी पहचान के उपरान्त ही इनकी आवश्यकतानुसार शैक्षिक योजना व सुविधाऐं प्रदान की जा सकती है। इनकी पहचान के लिए इनके व्यवहार का निरीक्षण, सामान्य निरीक्षण व चिकित्सकीय जांच के आधार पर की जा सकती है।

शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति :- बहु विकलांग बच्चों की पहचान के उपरान्त इनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी आवश्यक होती है बहुविकलांगता बालकों की बौद्धिक क्षमता कम होती है इनकी बुद्धि लब्धि न्यून होती है। बहुविकलांगता शिक्षा प्राप्ति में बाधक होती है इन बाधाओं को हटाने के लिए या कम करने के लिए शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी आवश्यक होती है इन बच्चों को शिक्षा देने के लिए उनके अनुकूल आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी।

शिक्षण व्यवस्था :- सभी बहुविकलांगता बालकों के लिए एक समान शिक्षण व्यवस्था नहीं होती है क्योंकि प्रत्येक बालक में विकलांगता का अनोखा ही समन्वय होता है इन बालकों को शिक्षा प्रदान करने में दो बातें आवश्यक है प्रथम शारीरिक क्रियाऐं सिखाना तथा बौद्धिक कार्य सिखाना।

शारीरिक क्रियाओं में बैठना, चलना, खाना-पीना, खेल आदि तथा बौद्धिक क्रियाओं में सीखना व मानसिक शक्ति को विकसित करना प्रमुख है। इनकी शिक्षण व्यवस्था में सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है इनके लिए बहुइन्द्रिय सहायक सामग्री का प्रयोग करना अच्छा होता है। कम्प्यूटर, मल्टीमीडिया आदि के प्रयोग से सिखाया जा सकता है। बहु विकलांग बालकों के लिए कम्प्यूटर प्रभावी सहायक उपकरण है। इन बच्चों का व्यक्तित्व अलग होता है और अपनी ही अलग

Scanned with CamScanner

आवश्यकताऐं व समस्याऐं होती है प्रत्येक की अपनी अलग विशेषता व दोष होते है शिक्षण व्यवस्था करते समय व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखना आवश्यक है।

4) **पाठ्यक्रम में लचीलापन :-** बहुविकलांगता के कारण इन बच्चों की सीखने की गति धीमी है प्राय: इन बालकों में श्रवण, दृष्टि एवं वाणी या अस्थि बाधिता होती है। इनकी शिक्षा पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। इन्हें छोटे-छोटे खण्डों में बाँट कर शिक्षण दिया चाहिए। इनका मूल्यांकन व परीक्षा में लचीलापन होना चाहिए।

5) **प्रोत्साहन :-** इन बच्चों की शैक्षिक प्रगति के लिए समय-समय पर प्रोत्साहित किया जाना सीखने तथा सीखे हुए पाठ्यविषय की सूचनाओं को मस्तिष्क में स्थाई बनाने के लिए पुनर्बलन प्रयोग आवश्यक हो जाता है इन बच्चों को पुरस्कार, धनात्मक पुनर्बलन दिया जाना चाहिए

6) **सामान्य तथा संबल शिक्षकों के बीच उचित तालमेल :-** बहुविकलांग बालकों की शिक्षा में संबल शिक्षकों की सहायता ली जा सकती है संबल अध्यापक सामान्य अध्यापक द्वारा बताई बातों को समझाने में सहायता करता है। दोनों में उचित तालमेल होना आवश्यक होता है

7) **बहुइन्द्रिय प्रयोग :-** इनकी शिक्षा के लिए इनका बहुइन्द्रिय प्रशिक्षण किया जाना चाहिए विधियों का प्रयोग किया जाय जिससे इनके सभी इन्द्रियाँ कार्यरत रहें तथा सक्रिय रूप से कर सकें।

8) **व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध :-** बहु बाधित बालकों को उनकी क्षमता व रूचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध किया जाना चाहिए जिससे वे भविष्य में आत्मनिर्भर हो सकें

9) **निर्देशन व परामर्श :-** बहुबाधित बालकों के लिए विद्यालय में निर्देशन व परामर्श सेवा उपलब्ध की जानी चाहिए। इन सेवाओं की सहायता से बाधित बालकों के विकास की रूपरेखा का पता चलता है तथा बाधित बालकों के लिए सरकार की योजनाओं की जानकारी होती है इन बहु विकलांग बालकों के उपचार की भी व्यवस्था की जा सकती है।

10) **मुख्यधारा में सहयोग :-** इन बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। यह बच्चों के विकास के लिए एक सकारात्मक व महत्वपूर्ण प्रयास है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विकलांगता के अन्तर्गत एक से अधिक विकलांगताऐं सम्मिलित की जाती है इन बच्चों की अनेक शैक्षिक समस्याऐं होती हैं और यदि इन समस्याओं से सम्बन्धित उपचार व शैक्षिक सुविधाओं की पूर्ति की जाय तो बहु विकलांग बच्चे भी शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं।

Scanned with CamScanner

2 समावेशी शिक्षा एवं इसके सिद्धान्त व प्रतिमान [Inclusive Education & Its Principles and Models]

हम सभी यह मानते हैं कि शिक्षा किसी भी देश के विकास की आधारशिला होती है। जिस पर समाज व राष्ट्र की उन्नति, एकता व अखण्डता निर्भर करती है। शिक्षा केवल व्यवसाय व जीवनयापन के लिए ही नहीं दी जाती, बल्कि यह बच्चों में अनेक प्रकार के ज्ञानात्मक, सृजनात्मक, नैतिक, सहयोग, समानता, भावात्मकता आदि गुणों का भी विकास करती है। वर्तमान में सर्वशिक्षा अभियान व शिक्षा का अधिकार जैसे कार्यक्रमों के अनुसार शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का अधिकार हो गया है। ये कार्यक्रम तभी सफल हो सकते हैं जब हम शिक्षा की मुख्य धारा में उन सभी को सम्मिलित करें जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक रूप से भिन्न हैं। इन भिन्नता वाले बालकों की शिक्षा के लिए आधुनिक विचारधारा यह नहीं है कि इन बालकों को विशेष शिक्षा प्रदान की जाय। अनेक शिक्षाविद् इस प्रकार की शिक्षा के पक्ष में नहीं हैं। कुछ समय पूर्व तक इन विशिष्ट बालकों की शिक्षा पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। फिर इन बच्चों की शिक्षा के लिए विशिष्ट विद्यालय खुलने प्रारम्भ हुऐ। इन विद्यालयों को पृथक दृष्टि से देखा जाता था तथा इनमें पढ़ने वाले बच्चों को भी पृथक दृष्टि से देखा जाता था। इस दृष्टिकोण से ये बच्चे स्वयं को समाज से पृथक समझते हैं तथा उनमें हीनता की भावना आती है। वर्तमान में अनेक शिक्षाशास्त्रियों व वैज्ञानिकों ने यह विचार दिया कि समन्वित शिक्षा विद्यालयों में ही प्रदान की जाय जिससे कि सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जा सके। एक ओर शिक्षा के समान अवसरों की बात कही जाती है तो दूसरी ओर विशिष्ट बालकों के लिए पृथक विद्यालय की व्यवस्था करना? यह प्रश्न सामने आता है। शिक्षा के समान अवसरों के लिए विशिष्ट बालकों को भी सामान्य विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा है। हालाँकि सामान्य विद्यालयों में सभी को शिक्षा देना एक कठिन कार्य अवश्य है लेकिन असम्भव नहीं है।

Scanned with CamScanner

समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाऐं
(Meaning and Definitions of Inclusive Education)

समावेशी शिक्षा शारीरिक और मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त बच्चों को सामान्य कक्षा में शिक्षा प्रा
पर जोर देती है। और विशिष्ट बालकों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुमोदन क
यदि किसी बालक में विकलांगता है तो उसे विशिष्ट न कहकर उसकी सहायता की जाती है।
भेदभाव रहित शिक्षा पर जोर देती है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने समावेशी शिक्षा के सम्बन्ध में कहा कि –

"समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी सीखने वाले बालक हो अथवा युवा चाहे विकलांग हो अथ
सामान्य विद्यालय पूर्वव्यवस्था विद्यालयों एवं सामुदायिक शिक्षा केन्द्रों में उपयुक्त सहयोगी सेवाओं
आपस में मिलजुल कर सीखने में समर्थ है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि समावेशन का
मुख्यधारा के विद्यालयों में विशिष्ट आवश्यकताओं के बच्चों का अपने अन्य सहपाठियों के सा
ग्रहण करना।" यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कठिन जरूर है लेकिन शायद असम्भव नहीं है।
यह है कि जब हम विभिन्नताओं को सहेजते हुए उच्च लक्ष्य की प्राप्ति की अपेक्षा रखे
स्वाभाविक है कि क्रियान्वयन की प्रणाली जटिल भी होगी तथा उसमें अपेक्षाकृत अधिक कठिन
सामना भी करना पड़ेगा।

माइकेल एवं मिशन ग्रैको : "समावेशित शिक्षा से अभिप्राय उन मूल्यों, सिद्धान्तों और प्रथाओं
से है जो सभी विद्यार्थियों को, चाहे वे विशिष्ट है अथवा नहीं, प्रभावकारी और सार्थक शिक्षा
कर देते है।"

एण्डस एवं डै : "बिना विकलांगता वाले बच्चों और विशिष्ट बालकों की शैक्षिक आवश्यक
संकलन और मेल को समावेशी शिक्षा के नाम से अभिहित किया गया है ताकि सभी बच्चों
सामान्य विद्यालयों में शिक्षा देने हेतु एक ही पाठ्यक्रम हो। यह एक लचीली तथा व्यक्तिगत
विशिष्ट बच्चो और नवयुवको की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहायक प्रणाली है। य
शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न घटक है जो सामान्य स्कूलों में सबके लिए उपयुक्त शिक्षा के रूप
किया जाता है।"

उमा तुली (Uma Tuli) : "समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय बालकों की
संवेगात्मक तथा सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का विस्तार
है।"

यूनेस्को के अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन जेनेवा 2008 में "समावेशी शिक्षा पर दस प्रश्न: अतिसं
एवं सीमान्त समूह" सम्बन्धी वार्ता में अपने विचार इस प्रकार दिये।

"समावेशी शिक्षा अधिगमकर्ताओं के गुणात्मक शिक्षा के मौलिक अधिकार पर आधारित
आधारभूत शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके जीवन को समृद्ध बनाती है। अतिसंवेदनशी
सीमान्त समूहों को दृष्टिगत रखते हुए, यह प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता का पूर्ण विकास करती है
........समावेशी गुणात्मक शिक्षा का परम ध्येय सभी प्रकार के विभेदीकरण को समाप्त
सामाजिक जीवन का पोषण करना है।

एम.मैनीवन्नान : "समावेशी शिक्षा उस नीति तथा प्रक्रिया का परिपालन है जो सब बच्चों को

कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अनुमति देती है, नीति से तात्पर्य है कि विकलांग बालकों को बिना किसी अवरोध के अन्य बालकों के सभी शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए स्वीकृति प्रदान करें। समावेशी प्रक्रिया से अभिप्राय पद्धति के उन साधनों से है जो इस प्रक्रिया को सब के लिए सुखद बनाये। समावेशी शिक्षा विकलांग बालकों के लिए सामान्य शिक्षा के अभिन्न अंग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह सामान्य शिक्षा के भीतर अलग से कोई प्रणाली नहीं है।"

इस प्रकार समावेशन या समावेशी शिक्षा पृथक्करण अथवा अलगाव से बिल्कुल भिन्न है। पृथक्करण का अर्थ है कि अलग करना। जैसा कि कुछ समय पूर्व तक इन विशिष्ट बालकों के लिए पृथक विद्यालय खोले गये। पृथक्करण मानव मूल्यों का विरोधी है। इससे इन बच्चों में नकारात्मक व हीनता की भावना का विकास होने लगा। वे स्वयं को समाज से पृथक महसूस करने लगे। इस कारण विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए किए गये विशिष्ट प्रयास व प्रावधान से उतना लाभ प्राप्त नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। क्योंकि संवेगात्मक, सृजनात्मक एवं सामाजिक विकास एवं स्वीकृति की दृष्टि से ये बालक पिछड़े ही रहे। इसलिए समावेशी शिक्षा सबको साथ लेकर चलने का एक अलग प्रयास है। चूंकि जनसंख्या विस्फोट होने से विद्यालयों में छात्रों की विभिन्नताओं में भी वृद्धि हुई है। ये विभिन्नताएँ शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक आदि दिखाई देती है। इन विभिन्नताओं को स्वीकार करना, प्रत्येक छात्र को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा के अवसर प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा का नाम है।

समावेशी शिक्षा के प्रत्यय में निम्न तथ्य दिखाई देते है कि :

- यह समावेश के सिद्धान्त पर आधारित है।
- इसमें सामान्य, विशिष्ट, विकलांग सभी बच्चे मिलकर शैक्षिक अनुभव प्राप्त करते है।
- इसका उद्देश्य सामान्य शिक्षा में सभी को एक साथ शिक्षण करना है।
- विशिष्ट बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित करना।
- भेदभाव रहित शिक्षा प्रदान की जाय।
- समायोजन की क्षमता का विकास करना।
- विशिष्ट व अन्य बालकों में सामाजिक कुशलता व व्यवहार का विकास करना।
- शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है।
- प्रत्येक बच्चे में कोई न कोई विशिष्ट योग्यता होती है। उसका विकास करना और उसे आगे बढ़ाना।

समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व
(Need and Importance of Inclusive Education)

वर्तमान में जनसंख्या बढ़ने से बालकों की संख्या के साथ-साथ उनकी बढ़ती हुई विभिन्नताएँ भी एक समस्या का रूप ले रही हैं। इन सभी प्रकार की विभिन्नताओं को साथ लेकर सभी को समान शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। यह शिक्षा भाषा, धर्म, लिंग, संस्कृति तथा सामाजिक एवं शारीरिक, मानसिक गुणों की विविधता वाले बालकों को एक दूसरे से सीखने, सामाजिक रूप से सम्बन्धित होने तथा समायोजित होने के बहुमूल्य अवसर प्रदान करती है। वर्तमान में समावेशी शिक्षा अपरिहार्य आवश्यकता बन गई है। व्यैक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से

Scanned with CamScanner

है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व इस प्रकार है :-

अत्यन्त महत्वपूर्ण है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व इस प्रकार है :-

1. शिक्षा के स्तर को बढ़ाना
2. सामाजिक समानता
3. शिक्षा की सार्वभौमिकता
4. रोजगार के अवसरों में वृद्धि
5. राष्ट्र की प्रगति
6. संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वाह
7. समाज के विकास के लिए
8. लोकतांत्रिक गुणों का विकास
9. व्यक्तिगत जीवन का विकास
10. आधुनिक तकनीकी का प्रयोग
11. उचित समायोजन
12. माता पिता के लिए सन्तोषजनक प्रभाव

उपरोक्त बिन्दुओं की संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार है :-

1. **शिक्षा के स्तर को बढ़ाना :** समावेशी शिक्षा "सबके लिए शिक्षा" की अवधारणा पर ही नहीं बल्कि सबके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है। इस शिक्षा प्रणाली में बच्चों की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रख पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इस प्रणाली में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को इस प्र नियोजित किया जाता है कि प्रत्येक बच्चा अपना सम्पूर्ण विकास कर सके तथा अपनी क्षमता का विकास कर सके।

2. **सामाजिक समानता :** समावेशी शिक्षा समानता के सिद्धान्त का अनुकरण करती है जेनेवा में हु अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा गया कि "स्कूल ही एक ऐसा स्थान है जहाँ सभी बच्चे भागीदार हैं है तथा सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है।" इसका अर्थ यह हुआ कि स्कूल ही ए ऐसा स्थान है जहाँ पर सभी बच्चो को अध्यापक द्वारा एक समान शिक्षण कराया जाता है। ज जाति, धर्म, लिंग, समुदाय, भाषा, मानसिक गुणों की विभिन्नता वाले बच्चों को एक साथ सम शिक्षण कराया जाता है समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक रूप वंचित बालकों को सभी के साथ शिक्षा प्रदान करने पर बल देती है।

3. **शिक्षा की सार्वभौमिकता :** सरकार शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए अनेक योजनाऐं बनाती जब तक इन योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है तब तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। शिक्षा (विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा) को तभी सार्वभौमिक बनाया जा सकता है तब तक प्रत्येक बालक के गुणों, स्तर तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा का विस्तार किया जाय। समावेशी शिक्षा सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने तथा सहयोग करने पर बल देती है। इसमें सभी धर्म, जाति, भाषा, एवं विकलांग बालकों को अन्य बच्चों के साथ शिक्षण किया जाता है।

4. **रोजगार के अवसरों में वृद्धि :** शिक्षा को जीविकोपार्जन में सहायक यंत्र के रूप में माना जाता है। भारत जैसे देश में शिक्षा एक ओर ज्ञान संग्रहण में सहायक है तो दूसरी ओर रोजगार प्राप्त करने का साधन है। शिक्षित व्यक्ति किसी भी रोजगार को कुशलता के साथ कर सकता है वही अशिक्षित व्यक्ति अपनी असमर्थता के कारण लाचार होता है परिणामस्वरूप निर्धनता का चक्र चलता रहता है। शिक्षा का प्रसार करना हमारी आवश्यकता है और समावेशी शिक्षा इस दिशा में एक प्रयास है।

5. **राष्ट्र की प्रगति :** शिक्षा किसी भी देश के विकास व प्रगति के लिए आवश्यक है यूनेस्को ने जेनेवा में सम्मेलन 2008 में एक रिपोर्ट दी और स्पष्ट किया कि प्राथमिक शिक्षा के इतने विस्तार के बावजूद भी अभी 72 मिलियन बच्चे निर्धनता या सामाजिक स्तर के कारण विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। राष्ट्र के विकास एवं प्रगति के लिए मानवीय संसाधन का कुशल होना आवश्यक है और यह कुशलता शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। यदि कोई विकलांग बालक शिक्षा प्राप्त करता है तो उसमें उन सभी गुणों का वांछित विकास होता है जिनकी शिक्षा से अपेक्षा रहती है। यदि व्यक्ति या बालक शिक्षित है तो वह किसी न किसी क्षेत्र में रोजगार व कार्य करेगा और अपनी क्षमताओं का पूर्ण प्रदर्शन करेगा। इसलिए समावेशी शिक्षा में सभी को शिक्षा प्रदान की जाती है जिससे देश का प्रत्येक बालक शिक्षा प्राप्त करे। जो कि राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है।

6. **संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वाह :** भारत के संविधान में भी स्पष्ट कहा है कि किसी भी बच्चे को जाति, धर्म, भाषा, विकलांगता, लिंग आदि के कारण शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस का निर्वाहन करने तथा इसकी प्रगति के लिए शिक्षा का अधिकार कानून भी बना दिया है। जिसके अनुसार शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। उसे कोई भी शिक्षण संस्थान शिक्षा देने से इनकार नहीं कर सकता। समावेशी शिक्षा भी सभी को शिक्षा प्रदान करने का आह्वान करती है।

7. **समाज के विकास के लिए :** व्यक्ति ही समाज का निर्माण करते है, व्यक्तियों के संयोग के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि सम्पूर्ण समाज का विकास करना है तो सभी को शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है। व्यक्ति के परिश्रम, सूझबूझ व प्रयासों से ही उसका जीवन संवरता है और शिक्षा का योगदान इसमें सर्वाधिक रहता है। इस प्रकार समाज का विकास उसके सुयोग्य नागरिकों पर निर्भर करता है वर्तमान समय की यह मांग है कि शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक बालक को सशक्त बनायें तथा ऐसे प्रयत्न किये जायें कि जिससे प्रत्येक बच्चा अपनी अपनी योग्यता व कुशलता का विकास करे। समावेशी शिक्षा में समाज के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है जिससे कि ये सभी शिक्षित होकर रोजगार प्राप्त कर सकें व अच्छे समाज के निर्माण में सहायक हो सकें।

8. **लोकतांत्रिक गुणों का विकास :** समावेशी शिक्षा बच्चों के लोकतांत्रिक गुणों के विकास में सहायक होती है। लोकतांत्रिक गुणों के अन्तर्गत प्रेम, सद्भावना, सहयोग, सहनशीलता, एक दूसरे का सम्मान आदि आते हैं। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षण करने से इन गुणों का विकास सम्भव है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह शिक्षा प्रणाली अपने पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, स्कूल तथा कक्षा में, या कक्षा से बाहर पारस्परिक क्रिया तथा व्यवहार में गतिशीलता व समायोजन को बल देती है।

Scanned with CamScanner

9. **व्यक्तिगत जीवन का विकास :** यह शिक्षा व्यक्तिगत जीवन के विकास में लाभकारी होती है। ... की मानसिकता व दृष्टिकोण में परिवर्तन करना समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। इस शिक्षा ... केन्द्र बालक है। बालकों के संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक व मानसिक विकास के लिए ... विशेष महत्व है।

10. **आधुनिक तकनीकों का प्रयोग :** वर्तमान में कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर, इण्टरनेट आदि का ... साधारण सी बात हो गई है शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका प्रयोग होने लगा है शिक्षा के माध्यम ... छात्रों को इन उपकरणों का ज्ञान कराया जाता है। इस ज्ञान का व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन ... प्रयोग करके रोजगार प्राप्त कर सकता है तथा अपने ज्ञान का विकास करता है।

11. **उचित समायोजन :** समावेशी शिक्षा से छात्र विभिन्न परिस्थिति व वातावरण में समायोजन ... सीखते हैं। अनेक अध्ययनों से पता चलता है कि नियमित रूप से मिल जुल कर कार्य करने से ... छात्रों में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है।

12. **माता-पिता के लिए सन्तोषजनक प्रभाव :** अधिकांश यह देखा जाता है कि विकलांग बालक ... जन्म के साथ-साथ उनकी चिन्ता यह लगी रहती है कि बालक की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार ... होगी। इस प्रकार की निराशा व उदासीनता बनी रहती है वे लोग प्रारम्भ से ही ऐसे बच्चों को ... की दृष्टि से देखते हैं। उनके इन बच्चों को शिक्षा के लिए दूर विशिष्ट विद्यालयों में भेजना पड़ता था, इससे माता-पिता अधिक चिन्तित रहते थे। चूंकि अब समावेशी शिक्षा के प्रत्यय के कारण ऐसे बालक अपने परिवार के साथ ही रहकर सामान्य विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, कि माता-पिता व अभिभावकों के लिए सन्तोषजनक प्रभाव है।

समावेशी शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of Inclusive Education)

सभी बच्चों को एक समान शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है। समावेशी शिक्षा द्वारा समाज के उन ... की शिक्षा व विकास पर विचार किया गया है जो पहले इससे वंचित रहे हैं या जिनकी आवश्यकता ... की उपेक्षा किया गया है। इसके द्वारा विकलांग बच्चों के व्यक्तिगत, सामाजिक तथा भावी ... में बच्चों की पूर्ण क्षमता का विकास करने तथा अवसर देने की आवश्यकता को पूरा किया जा ... इसके माध्यम से विकलांग बच्चे जो मुख्यधारा में नहीं थे अथवा मुख्यधारा से हट गये हैं उन्हें ... द्वारा मुख्यधारा में लाया जा सकता है। जिनकी सीखने की गति कम है उन्हें आसानी से सिखाया ... सकता है। इस शिक्षा प्रणाली से विशेष बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ... विकास पर ध्यान दिया जाता है। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार हैं –

1. शिक्षा का अधिकार।
2. सभी को शिक्षा के समान अवसर।
3. विकलांग बालकों की क्षमताओं का विकास।
4. विभिन्न कौशलों की पहचान।
5. आत्म विश्वास व आत्म सम्मान की भावना का विकास।
6. विकलांगता से सामर्थ्यता की ओर।
7. सामाजिकता की भावना का विकास।
8. चुनौतियों के लिए तैयार करना।

उपरोक्त बिन्दुओं की संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार है :-

1. **शिक्षा का अधिकार :** अच्छी शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। चाहे वह किसी भी रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा है उसे किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने का अधिकार है। समावेशी शिक्षा, शिक्षा के अधिकार को प्रदान करने के लिए एक सकारात्मक प्रयास है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को चाहे वह मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक रूप से कमजोर हों, उन्हें एक समान व अन्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करना व बच्चे के अधिकार का सम्मान करना समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है।
2. **सभी को शिक्षा के समान अवसर :** समावेशी शिक्षा किसी वर्ग या समूह विशेष के लिए नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य बालकों को समान शिक्षा प्रदान करना है। समावेशी शिक्षा की शिक्षण रणनीति, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, प्रविधि को इस प्रकार लचीला बनाया गया है कि शिक्षा से कोई भी बच्चा वंचित न रह जाय। इस शिक्षा का केन्द्र बालक को माना गया है। शिक्षा प्रदान करने में बालक की विकलांगता को ध्यान में रखा गया है जिससे सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो सके। इससे पहले विशिष्ट बालकों के लिए पृथक विद्यालयों की स्थापना का विचार था। जिस कारण माता-पिता को उन बच्चों को जो शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से विकलांग हैं इन विशिष्ट विद्यालयों में प्रवेश व अन्य सुविधाओं के अभाव के कारण ये बच्चे शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन वर्तमान में समावेशी शिक्षा के प्रत्यय के कारण सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान करती है।
3. **विकलांग बालकों की क्षमताओं का विकास :** विकलांग बालक भी समाज के अंग हैं। उनमें भी अपनी योग्यता व कौशल पाये जाते हैं। समावेशी शिक्षा के माध्यम से इन बच्चों की क्षमता व योग्यता का विकास किया जा सकता है। विकलांग बालक दया के पात्र नहीं हैं, बल्कि उनकी प्रतिभा के विकास के अवसर प्रदान किये जाने चाहिऐं तथा उन्हें उनकी असमर्थता को चुनौती के रूप में स्वीकार करने का समर्थन किया जाना चाहिए। उन्हें भीख अथवा दान की आवश्यकता नहीं है बल्कि काम एवं सम्मान की आवश्यकता होती है। समावेशी शिक्षा इन बच्चों की क्षमता के विकास के अवसर प्रदान करती है। इसका उद्देश्य विकलांग बालकों की प्रतिभा व क्षमता का विकास करना व प्रदर्शन करना है जिससे वे भावी जीवन में दूसरों पर निर्भर न रहकर आत्मनिर्भर बन सकें।
4. **विभिन्न कौशलों की पहचान :** प्रत्येक बच्चे में कुछ विशिष्ट योग्यता होती है। कोई बालक यदि शिक्षा के क्षेत्र में कमजोर है तो हो सकता है वह किसी दूसरे क्षेत्र में प्रतिभावान हो, कई शोध व अध्ययन स्पष्ट करते हैं कि मानसिक मन्दता वाले बच्चों में किसी न किसी प्रकार की कला व सृजनात्मकता होती है। ऐसे बच्चों को "Savage Genius" कहा जाता है। इस प्रकार इन बच्चों की प्रतिभा की पहचान करने की आवश्यकता होती है तथा उसे निखारने की जरूरत होती है ऐसे बच्चे संगीत, कला, वादन, चित्रकला, पेन्टिंग, क्रीड़ा आदि क्षेत्रों में अधिक सृजनशील होते हैं। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य इन बच्चों के विशिष्ट कौशलों की पहचान कर उनका विकास करना है।
5. **आत्मविश्वास व आत्म सम्मान का विकास करना :** कोई भी व्यक्ति यदि शिक्षित है तो उसमें आत्म विश्वास स्पष्ट दिखाई देता है कोई भी शैक्षिक उपलब्धि या शिक्षा बालक में आत्म विश्वास पैदा करती है। जब व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है तो उसके बाद वह आत्म सम्मान के लिए कार्य करता है। वह सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाने का प्रयास करता है। शिक्षा बालक को आत्मनिर्भर

Scanned with CamScanner

आत्मविश्वास व आत्मसम्मान की भावना का विकास करती है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य बच्चे को आत्मविश्वासी व आत्मनिर्भर बनाना है।

6. **विकलांगता से समर्थता की ओर ले जाना :** समावेशी शिक्षा में विकलांग बालकों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है ऐसे बच्चे यदि अन्य बच्चों के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो इनकी क्षमता का विकास होता है। वे अन्य बच्चों को देखकर कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस शिक्षा का उद्देश्य ऐसे बच्चों की क्षमताओं का विकास करना तथा उनमें सक्षमता की भावना का संचार करना है। इस शिक्षा के कार्यक्रम में अनेक शिक्षण विधियों जैसे- सहयोगी शिक्षण, टोली शिक्षण, साथी द्वारा अधिगम आदि का प्रयोग किया जाता है जिससे ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ मिलकर शिक्षा प्राप्त करते हैं।

7. **सामाजिकता की भावना का विकास :** पहले विकलांग बच्चों को पृथक शिक्षण कराया जाता था तथा इनके लिए पृथक विद्यालय खोले गये। इस पृथकता के कारण ये बच्चे सामाजिक रूप से भी पृथक होने लगे तथा इनमें हीनता की भावना आने लगी। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चे एक साथ मिलकर सामूहिक रूप से अध्ययन करते हैं तथा एक दूसरे का सहयोग मैत्रीपूर्वक करते हैं। इस प्रकार के वातावरण से ये बच्चे भी स्वयं को समाज का ही अंग मानते हैं तथा इनमें सामाजिकता की भावना का विकास होता है। समावेशी शिक्षा सामाजिक असमानता का खण्डन करती है।

8. **चुनौतियों के लिए तैयार करना :** समावेशी शिक्षा स्वयं में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। सभी बच्चों को एक कक्षा में एक छत के नीचे एक समान शिक्षा प्रदान करना वास्तव में एक कठिन व चुनौतीपूर्ण कार्य है। समावेशी शिक्षा का प्रत्येक उद्देश्य बालक को शिक्षा के अधिकार से पूरा लाभ उठाने, अपना विकास करने, स्वाभिमानपूर्ण जीवन व्यतीत करने को लेकर है। यह शिक्षा इस उद्देश्य को लेकर चलती है कि प्रत्येक बालक को उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षित किया जाये तथा उसे भावी जीवन की चुनौतियों का सामना करने योग्य बनाया जाये।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी बच्चों को एक साथ मिलकर सहयोग पूर्ण रूप से शिक्षा प्रदान करना है। इसमें विकलांग एवं अन्य बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान करना जिससे उन बच्चों में आत्मविश्वास पैदा हो, ये बच्चे समाज के लिए भी कार्य करें, ये दूसरों पर आश्रित न रहकर आत्मनिर्भर बन सकें। इतना जरूर है कि सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान करना कठिन कार्य तो है लेकिन असम्भव नहीं है। यदि कर्तव्यनिष्ठा व समर्पण भाव से इन्हें शिक्षित किया जाए तो यह कार्य किया जा सकता है।

समावेशी शिक्षा की विशेषताऐं (Characteristics of Inclusive Education)

समावेशी शिक्षा की विशेषताऐं इस प्रकार है :-

- समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसमें विशिष्ट एवं अन्य बच्चे एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं।
- यह विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं है बल्कि पूरक है।
- समावेशी शिक्षा शिक्षण की समानता तथा अवसर जो विकलांग बच्चों को नहीं दिये गये उनकी पूर्ति रूप से शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक आयाम है।
- इस शिक्षा में ऐसा प्रावधान है कि जिससे विकलांग बालकों को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हों।
- यह शिक्षा पूर्णतः माता-पिता, अध्यापक, अभिभावक के सहयोग पर आधारित है।

- समावेशी शिक्षा विकलांग तथा अन्य बालकों के मध्य स्वस्थ सामाजिक वातावरण तथा सम्बन्ध बनाने में सहायक है।
- यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत विकलांग बालक भी अन्य बालकों की भांति ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
- यह विकलांग बालकों को उनके व्यक्तिगत अधिकार के रूप में स्वीकार करती है।
- यह इनके जीवन स्तर को उच्च करने तथा आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है।

विशिष्ट शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा में अन्तर

(Differences between Special Education and Inclusive Education)

समावेशी शिक्षा तथा विशिष्ट शिक्षा दोनों में बहुत अन्तर है विशिष्ट शिक्षा जहाँ पृथक्करण की ओर ले जाती है वो समावेशी शिक्षा एकीकरण पर बल देती है इन दोनों में कुछ अन्तर इस प्रकार है :-

विशिष्ट शिक्षा	समावेशी शिक्षा
• विशिष्ट शिक्षा प्राचीन प्रत्यय है।	• समावेशी शिक्षा एक नवीन प्रत्यय है।
• यह पृथक्करण करती है।	• यह एकीकरण करती है।
• यह भेदभाव पर आधारित शिक्षा है।	• यह भेदभावरहित शिक्षा है।
• यह सम्पूर्ण शिक्षा नहीं है।	• यह सम्पूर्ण शिक्षा है।
• यह व्यावसायिक प्रशिक्षण पर बल देती है।	• यह सम्पूर्ण विकास पर बल देती है।
• यह सामान्य स्कूल प्रणाली से भिन्न है।	• यह सामान्य स्कूल में प्रदान की जाती है।
• यह व्यवस्था विकलांग बालकों को अन्य बालकों से अलग करती है।	• यह व्यवस्था विकलांग व अन्य बच्चों को एक साथ समायोजन करती है।
• यह केवल विकलांग बालकों के लिए है।	• इसमें सभी बच्चों को शामिल किया जाता है।
• इस शिक्षा से बच्चों में हीनता की भावना आती है।	• यह शिक्षा बच्चों को आत्मविश्वासी व सामाजिक बनाने में सहायक है।
• इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का पृथक शिक्षण किया जाता है।	• इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का अन्य बच्चों के साथ शिक्षण किया जाता है।
• इसमें विशिष्ट प्रशिक्षित अध्यापक शिक्षण करते हैं।	• इसमें सामान्य व विशिष्ट दोनों अध्यापक शिक्षण करते हैं।

इस प्रकार समावेशी शिक्षा वर्तमान में नया प्रत्यय है जिसमें सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षण प्रदान किया जाता है तथा जो विभिन्न प्रकार के विकलांग या फिर किन्हीं अन्य कारणों जैसे- सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक रूप से पृथक हैं उन सभी का एकीकरण तथा उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा गया है। इस शिक्षा में शिक्षा के समान अवसर देने का प्रावधान है तथा सभी के लिए शिक्षा के द्वार खुले हैं। शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 45 में प्रावधान है लेकिन विकलांगता के कारण आज भी लगभग 0.07 प्रतिशत बच्चे असमर्थ हैं वे शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। समावेशी शिक्षा से उन सभी बच्चों को सामान्य विद्यालयों में प्रवेश मिल सकेगा तथा समाज का प्रत्येक वर्ग इस शिक्षा से लाभान्वित होगा। यह भी सत्यता है कि समावेशी शिक्षा प्रदान करने में या क्रियात्मक

Scanned with CamScanner

स्वरूप लाने में कई समस्याएँ आयेंगी इसके लिए पूरे समाज, विद्यालय, अध्यापक, सरकारी, गैर सरकारी संगठन, चिकित्सक आदि सभी का सहयोग होना आवश्यक है। अपेक्षा की जाती है कि सभी मिलकर इन बच्चों की शिक्षा तथा उन्हें आत्मनिर्भर व समाज में भागीदारी के लिए तैयार कर सके।

अलगाव से समावेशन की ओर अवस्थान

(Transition from Segregation to Inclusion)

हमारी जनसंख्या का 10 प्रतिशत हिस्सा किसी न किसी विकलांगता से पीड़ित है। जिसमें से कुछ प्रतिशत लोग मानसिक रूप से विकलांग है। इन विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए स्वतन्त्रता से पूर्व सार्जेन्ट आयोग तथा स्वतन्त्रता के पश्चात कोठारी आयोग ने पृथक विद्यालय का विचार दिया तथा प्रयास किया गया कि ये बच्चे भी समाज का हिस्सा है इनकी शिक्षा व्यवस्था तथा इन्हें भी शिक्षा अवसर प्रदान किये जाने चाहिए। इनके लिए विशिष्ट अध्यापकों की व्यवस्था की गई जिन्हें विशिष्ट तकनीकें, सहायक सामग्री तथा अन्य प्रविधियों से प्रशिक्षित किया गया ताकि ये अध्यापक बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान कर सकें। इस सबके बावजूद विशिष्ट शिक्षा का उतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। जहाँ तक शिक्षा की मुख्य धारा या समावेशन का प्रश्न है, यह दर्शन मानवाधिकारों के सन्दर्भ में सभी लोगों को समान अवसर एवं अधिकार देने के साथ-साथ समान आदर देने के आदर्श पर टिका है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ सामान्य विद्यालय में कोई भी किसी भी प्रकार का बालक अन्य बच्चों के साथ रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकता है।

समावेशी शिक्षा प्रणाली में एक विशिष्ट बालक को सामान्य विद्यालय में अनेक गतिविधियों में सहभागिता का अवसर मिलता है जो उनमें सामान्य बच्चों के समान आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होता है। निःशक्तजन अधिनियम के अनुसार- विशिष्ट बालकों के साथ उनकी विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं एवं उन्हें दी जाने वाली आवश्यक सेवाओं में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। विकलांग बालकों को उपयुक्त शिक्षा, प्रशिक्षण एवं विकास के उपयुक्त अवसर दिये जावे, ताकि बालक भी देश के विकास में अपना सहयोग दे सकें। समावेशी शिक्षा में जब कोई विशिष्ट बालक अन्य बालकों के साथ रहकर शिक्षा प्राप्त करता है तो उसे कई प्रकार से समायोजन करना पड़ता है। उसे सामाजिक, शैक्षिक, शारीरिक रूप से समायोजन करना पड़ता है जिसे एकीकरण या समायोजन कहा जाता है।

एकीकरण (समायोजन) प्रत्यय (Concept of Integration)

समावेशी शिक्षा के विकास के लिए एकीकरण होना आवश्यक है एकीकरण को शिक्षा व रोजगार तक ही सीमित नहीं किया जाता है। इसकी उपलब्धियों को सफलतापूर्वक विकलांग बालक के क्षेत्र की पहचान करना, ऐसे बालकों के लिए कुछ कार्य करना, शिक्षा संस्था के कार्यक्रम बनाना आदि को सम्मिलित किया जाता है। एकीकरण के सम्बन्ध में विशिष्ट बालकों की व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुरूप निम्न क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है :-

1. **सामाजिक एकीकरण** : ऐसी योजना बनाई जाए जिससे विकलांग छात्र अन्य बच्चों के साथ आसानी से बातचीत व व्यवहार को सीख सकें।
2. **शैक्षिक एकीकरण** : ऐसी योजना सुनिश्चित करना कि जिससे विशिष्ट बालक अन्य बच्चों के साथ शिक्षा का लाभ उठा सकें।

3. **शारीरिक एकीकरण** : शिक्षा केन्द्र पर विशेष शैक्षिक कार्यक्रमों के साथ-साथ शारीरिक कौशल वाले अन्य शिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाई जाए।
4. **सामाजीकरण** : ऐसे कार्यक्रम बनाना जिससे बाधित बालक अन्य बच्चों के साथ मिलकर सहयोगपूर्वक कार्य कर सकें।

इस प्रकार एकीकरण का अर्थ है-

1. विशिष्ट या बाधित बालकों को एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना के लिए प्रेरित करना।
2. व्यक्तिगत कार्यक्रम बनाना।
3. माता-पिता के विचार जानना।
4. सामान्य विद्यालय में विशेष सेवाऐं उपलब्ध करना।
5. विभिन्न प्रशासकों व शिक्षाशास्त्रियों से सहयोग लेना।
6. बाधित बालकों को अन्य बच्चों के साथ क्रीड़ा स्थल, पुस्तकालय व अन्य सुविधाऐं उपलब्ध कराना।
7. कक्षा में अन्य गतिविधियों जैसे संगीत, कला, भ्रमण, विचार गोष्ठी आदि की व्यवस्था करना।
8. विकलांग बालकों की कमी की पहचान व स्वीकार करना।

इस प्रकार समावेशी शिक्षा के लिए एकीकरण आवश्यक है जैसा कि स्पष्ट है कि एकीकरण के लिए शैक्षिक संस्थाओं में इस प्रकार का वातावरण तैयार किया जाये जिससे कि ये बच्चे इस नये वातावरण में ठीक से समायोजित हो सकें। जैसा कि मनोविज्ञान में स्पष्ट किया गया है कि समायोजन मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसे सरल भाषा में बदलती परिस्थिति के साथ स्वयं को बदलना तथा जीवन को प्रत्येक स्थिति में स्वीकार करना कहा गया है।

अलगाव (Segregation) के अन्तर्गत इन विशिष्ट बालकों को पृथक रखकर पृथक विद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जाती है इन विशिष्ट विद्यालयों में उनके अनुरूप वातावरण देने के कारण उनका स्वाभाविक विकास रूक जाता है। वे विभिन्न परिस्थितियों में स्वयं को समायोजित नहीं कर पाते है। जबकि समावेशन के अन्तर्गत विशिष्ट सेवाओं का कम से कम उपयोग किया जाता है इसमें विशिष्ट बालकों की देखभाल, उन्हें अन्य बच्चों के साथ बैठाकर ही की जाती है। इस प्रकार ये बच्चे अन्य बच्चों की भांति ही कार्य करने के लिए प्रेरित होते है तथा अपनी सम्पूर्ण क्षमता का विकास करते है। व्यक्तिगत विभिन्नता अनेक प्रकार से दिखाई देती है। प्रत्येक बालक की अलग पहचान होती है व अलग कार्य क्षमता होती है। वह किसी न किसी रूप में दूसरों से पृथक होता है जैसे कुछ बच्चे देर से सीखते है, कुछ दृष्टि बाधित, कुछ श्रवण बाधित या फिर शारीरिक रूप से विकलांग हो सकते है। यदि इस प्रकार के बच्चों को योग्य अध्यापक द्वारा विशिष्ट अनुदेशन दिया जाय तो इन्हें सामान्य कक्षा में शिक्षा प्रदान की जा सकती है। सभी को एक समान शिक्षा प्रदान करना ही समावेशन है। हालांकि विशिष्ट बालकों की विशेष आवश्यकताऐं व समस्याऐं होती है, उनको ध्यान में रखकर समायोजन करना आवश्यक होगा, यह समायोजन, माता-पिता, अध्यापक, विद्यालय, साथी सहयोगी सभी को करना होगा तथा विद्यालय में इस प्रकार का वातावरण व भौतिक संसाधन जुटाए जाये जिससे कि समावेशी शिक्षा के प्रत्यय को कार्यरूप दिया जा सके।

Scanned with CamScanner

समावेशी शिक्षा के आधार

(Foundations of Inclusive Education)

पहले ... विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए पृथक विद्यालय खोले गये वर्तमान में अब समावेशी ... प्रदान करने की योजना बनाई जा रही है। सभी बच्चों को एक समान शिक्षा प्रदान की जाए। ... शिक्षा का प्रचार किस आधार पर आया इसकी जानकारी होनी आवश्यक है। कि इसके पीछे ... आधार क्या है, जिसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं :-

1. समावेशी शिक्षा को वास्तविक बनाने के आर्थिक अधिकार।
2. समावेशी शिक्षा को वास्तविक बनाने के सामाजिक आधार।
3. समावेशी शिक्षा को वास्तविक बनाने के कानूनी आधार।

1. समावेशी शिक्षा को वास्तविक बनाने के आर्थिक आधार (Economic Foundation for Inclusion to become Reality) :

समावेशी शिक्षा छात्रों को आत्मविश्वासी व आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करती है। यह बच्चे ... विकलांगता के आधार पर सामान्य बच्चों की भांति समर्थ बनाने के लिए प्रयास करती है। यह ... बालकों को ऐसा बनाने का प्रयास करती है जिससे वे अपने कार्य स्वयं कर सकें तथा दूसरों पर ... न रहें समावेशी शिक्षा को वास्तविक बनाने के आर्थिक आधार इस प्रकार हैं :-

1. सभी बच्चों को कार्य करने के समान अवसर प्रदान करना।
2. किसी भी व्यवसाय में समायोजन करने की क्षमता का विकास करना।
3. विशिष्ट बालकों को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग देना।
4. सभी बच्चों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना।
5. उनकी क्षमता के अनुसार कार्य चयन में सहायता प्रदान करना।
6. उनकी क्षमता का विकास करना।
7. छात्रों की क्षमतानुसार उचित परामर्श व निर्देशन देना।
8. किसी भी परिस्थिति में सहकर्मियों के साथ समायोजन करना सिखाना।

इस प्रकार समावेशी शिक्षा एक नया प्रत्यय है यह विकलांग बालकों को सामान्य कक्षा में शि... सामान्य विद्यालयों में प्रवेश का समर्थन करती है।

यह केवल शैक्षिक दृष्टिकोण से ही उचित नहीं है बल्कि सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण ... समावेशन में विकलांग बालकों को सामान्य कक्षा में सभी सुविधाएँ प्रदान की जाये तथा कक्षा शिक्षण ... रणनीति में परिवर्तन किया जाये।

2. समावेशी शिक्षा को वास्तविक बनाने के सामाजिक आधार (Social Foundation for Inclusion to become Reality) :-

विभिन्न प्रकार के विकलांग बालक भी समाज के अभिन्न अंग हैं, उन्हें भी समाज में सामान्य ... वर्तन करने का अधिकार है। विकलांग बालकों को सम्मान, अधिकार एवं सुअवसरों का लाभ ... का अधिकार है। और शिक्षा को विशिष्ट शिक्षा की परिधि में बांध कर रखना उचित नहीं है। वि... विद्यालयों में विशेष शिक्षा प्रदान करने से ऐसे बच्चे समाज में ठीक से समायोजित नहीं हो पाते

वे स्वयं को पृथक समझते हैं तथा इनमें हीन भावना आ जाती है। ऐसे बच्चों को सामाजिकता की शिक्षा देना आवश्यक है। केवल सामाजिकता की शिक्षा प्रदान करने से ही सामाजिकता के गुणों का विकास नहीं हो पाता है। इस गुण का विकास करने के लिए इस प्रकार का वातावरण तैयार किया जाये जिससे इन गुणों का स्वतः ही विकास हो जाय। समावेशी शिक्षा में इस प्रकार का वातावरण तैयार किया जा सकता है कि जिसमें सभी बच्चे एक साथ मिलकर, सहयोगपूर्ण व मित्रतापूर्वक कार्य कर सकें। इस प्रकार सामाजिकता का विकास करने के लिए समावेशी शिक्षा आवश्यक है समावेशी शिक्षा को वास्तविक बनाने के सामाजिक आधार इस प्रकार हैं :-

1. मौलिक अधिकार 'समानता का अधिकार' का उपयोग।
2. सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना।
3. व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर सुविधाएँ प्रदान करना।
4. आपसी सहयोग, सहानुभूति, नैतिकता के गुणों का विकास करना।
5. इन बच्चों की शिक्षा के लिए परिवार, समाज एवं विद्यालय को प्रोत्साहित करना।
6. सामाजिक कार्यों में इनकी भागीदारी निश्चित करना।

इस प्रकार सामाजिकता के गुणों के विकास के लिए समावेशी शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रकार की शिक्षा में सभी विकलांग व अन्य बालक एक साथ मिलकर, सहयोग द्वारा एक दूसरे की सहायता करते हुए शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसमें विद्यालयों का सहयोग अपेक्षित है जो इस प्रकार का वातावरण तैयार करें कि सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जा सके।

3. समावेशी शिक्षा को वास्तविक बनाने के कानूनी आधार (Legal Foundation for Inclusion to become Reality) :-

भारत सरकार ने भी बाधित बालकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए विशेष प्रबन्ध किये हैं। केवल सामाजिक, आर्थिक आधार ही नहीं बल्कि इसे वास्तविक बनाने के कानूनी आधार भी हैं। विभिन्न आयोगों ने बाधित बालकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए सुझाव प्रस्तुत किये तथा इन सुझावों को ध्यान में रखकर कुछ योजनाएँ तैयार की गई जिसके आधार पर इन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हो सके। कुछ कानून इस प्रकार हैं :-

1) राष्ट्रीय विकलांगता नीति (2006)

इस नीति में यह सुनिश्चित किया गया है कि विकलांग बालकों को सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने व अधिकारों का लाभ प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। इन बच्चों के जीवन में धार्मिक, राष्ट्रीय एवं शैक्षिक प्रयासों के द्वारा सेवाएँ उपलब्ध करना इस योजना के अन्तर्गत आता है यह योजना इन बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करती है।

2) अन्य कानून जो भारत सरकार ने इन असमर्थ बालकों के लिए बनाये हैं उनमें से तीन प्रमुख कानून हैं :-

क) निश्क्तजन अधिनियम (Persons with Disabilities Act 1995) : इस अधिनियम में विकलांग व्यक्तियों को समान अधिकार व सेवाएँ उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

ख) समान अवसरों, अधिकारों के संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी का अधिनियम : यह अधिनियम

Scanned with CamScanner

विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा, व्यवसाय, बाधा रहित वातावरण, सामाजिक सुरक्षा की ... करता है।

ग) भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम 1992 : इस अधिनियम में विशिष्ट बालकों को पुनर्वास ... प्रदान करने के लिए पुनर्वास व्यवसायिकों के प्रशिक्षण के मानक निर्धारण एवं नियामक ... करता है।

3) विकलांग बालकों एवं वयस्कों की समावेशी शिक्षा हेतु क्रियात्मक योजना 2005 :- समावेशी ... प्रदान करने के लिए 20 अगस्त 2005 को एक क्रियात्मक योजना प्रस्तुत की जिसका मुख्य ... इस प्रकार है :-

1. प्रत्येक बच्चे को मुख्यधारा में शामिल करना।
2. किसी भी बच्चे को उसकी विकलांगता के आधार पर कक्षा व प्रवेश देने से मना न करना।
3. यह निश्चित करना कि जिन अध्यापकों को समावेशन के लिए प्रशिक्षित किया गया है ... समावेशन से सम्बन्धित पूरी जानकारी हो।
4. इन बच्चों के लिए दूरवर्ती शिक्षा की व्यवस्था करना।
5. इन बच्चों को व्यवसाय आधारित शिक्षा प्रदान करना जिससे ये आत्मनिर्भर हो सकें।
6. इन बच्चों पर विशेष ध्यान देना।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि समावेशी शिक्षा प्रदान करने का कानूनी अधिकार भी है। ... बालकों की शिक्षा व्यवस्था करना भी सरकार का उत्तरदायित्व है। इस उत्तरदायित्व के निर्वाहन ... सरकार अलग-अलग योजनाएँ बनाती है। कुछ योजनाओं का विवरण दिया गया है जिससे स्पष्ट है कि समावेशी शिक्षा को वास्तविक बनाने में कानून का संरक्षण प्राप्त है।

समावेशी शिक्षा के लाभ एवं अवरोध
(Advantages and Barriers of Inclusive Education)

जैसा कि पिछले विवरण से स्पष्ट होता है कि समावेशी शिक्षा उन बच्चों के लिए अत्यन्त लाभ... जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से बाधित हैं। उनके विकास के लिए यह शिक्षा आवश्... ताकि वे बच्चे भी सामान्य कक्षा में सामान्य गति से सीख सकें। लेकिन जब समावेशी शि... मूल्यांकन करते हैं तो इसमें लाभ के साथ-साथ कई अवरोध दिखाई देते हैं। जो निम्नलिखित ...

समावेशी शिक्षा के लाभ :

1. **व्यक्तिगत विकास के लिए :** समावेशी शिक्षा बालक के व्यक्तिगत विकास के लिए लाभकारी है ... शिक्षण बालक की आवश्यकताओं व विभिन्नता को ध्यान में रखकर किया जाता है। टीम ... टोली शिक्षण, साथी अधिगम, प्रोजेक्ट, विचार विमर्श विधियों द्वारा शिक्षण से बच्चे का ... विकास होता है तथा उसे स्वतन्त्र वातावरण में सीखने का अवसर मिलता है।
2. **आवश्यकता आधारित शिक्षा :** यह शिक्षा बच्चों की असमर्थता को ध्यान में रखकर ... आवश्यकता के अनुरूप प्रदान की जाती है, बच्चे की असमर्थता को ध्यान में रखकर ... शिक्षण रणनीति तैयार की जाती है। जैसे व्यक्तिपरक शैक्षिक योजना के द्वारा विकलांग बाल... शिक्षा के लिए रणनीति तैयार की जाती है जिससे बालक का विकास हो सके।

3. **सामाजीकरण के लिए :** सहशिक्षा या समावेशन से उन सभी बच्चों में सामाजीकरण के गुणों का विकास होता है जो एक कक्षा में एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, समावेशी शिक्षा में रणनीति इस प्रकार तैयार की जाती है जिसमें बच्चे एक दूसरे का सहयोग, मित्रता, सहानुभूति, सहायता करते हैं। इस प्रकार की गतिविधियों से बच्चों में सामाजीकरण के गुणों का विकास होता है।
4. **कक्षा व कक्षा के बाहर स्वस्थ वातावरण :** जब बच्चों में सामाजीकरण के गुणों का विकास होता है तो वे कक्षा में व कक्षा के बाहर आपसी सहयोग व मित्रता के आधार पर अच्छे गुणों का तथा स्वस्थ वातावरण का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के वातावरण से शिक्षा के साथ-साथ अन्य गुणों का भी विकास होता है।
5. **लचीलापन :** समावेशी शिक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किया जाता है कि शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर व बच्चों की विकलांगता के आधार पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।
6. **विकलांग व वंचित बालकों के लिए लाभकारी :** समावेशी शिक्षा वंचित एवं विकलांग बालकों के लिए लाभकारी है जो बच्चे अभी तक किन्हीं कारणों से शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं वे बच्चे इस शिक्षा का लाभ उठा पायेंगे।
7. **माता-पिता, अभिभावक के लिए लाभकारी :** यह शिक्षा उन विशिष्ट बालकों के माता-पिता व अभिभावकों के लिए भी लाभकारी है क्योंकि इससे पूर्व इन बच्चों के लिए विशिष्ट विद्यालय खोले गये जो दूर-दूर होते हैं जहाँ बच्चों को ले जाना व उनकी शिक्षा व्यवस्था करना कठिन होता है समावेशी शिक्षा के कारण उन माता-पिता को इन बच्चों की शिक्षा के लिए चिन्तित नहीं होना पड़ेगा। तथा ये बच्चे अपने घर से ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

इस प्रकार समावेशी शिक्षा उन बच्चों के लिए लाभदायक है जो किन्हीं कारणों से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या जिनकी व्यक्तिगत समस्याएँ हैं। वहीं दूसरी ओर सामाजिकता तथा समाज में स्वस्थ वातावरण के निर्माण के लिए यह शिक्षा अति महत्वपूर्ण है।

कुछ अवरोध व समस्याऐं (Some Barriers and Problems)

जैसा कि देखा गया कि समावेशी शिक्षा में अनेक लाभ हैं, लेकिन कुछ अवरोध व समस्याऐं भी हैं। जो इस प्रकार है :-

1. **सामाजिक समस्याऐं :** समावेशी शिक्षा एक ओर एकीकरण की बात करती है जहाँ सभी बच्चे एक साथ मिलकर शिक्षा प्राप्त करें, वहीं कुछ सामाजिक विचारधाराऐं नकारात्मक हैं। प्रायः देखा गया है कि बाधित बालकों को हेय दृष्टि से देखा जाता है ऐसा माना जाता है कि ये बच्चे सामान्य शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए माता-पिता भी उन्हें विशिष्ट विद्यालय में भेजकर मुक्ति पा लेते हैं। इसे अभिशाप मानकर अपनी बेबसी मानते हैं।
2. **रूढ़िवादिता :** अतीत में अशिक्षित समाज में विकलांग बालकों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था तथा इस प्रकार उन बच्चों को हेय दृष्टि से देखा जाता था। विभेदन तथा रूढ़िवादिता की अभिवृत्ति बालकों की अपेक्षा माता-पिता पर अधिक होती है। अन्य बालकों के माता-पिता अपने बच्चों को इन बच्चों से मिलने नहीं देते हैं।
3. **लिंग सम्बन्धी समस्याऐं :** पुरुष प्रधान समाज में सदैव बालिकाओं के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार

Scanned with CamScanner

किया जाता है। यह भेदभाव शिक्षा के क्षेत्र में आज भी दिखाई दे रहा है यदि लड़की
तो यह स्वरूप और भी अधिक बढ़ जाता है। वह माता-पिता को बोझ लगती है बहुत
यहाँ तक सोचते हैं कि वह जी कर क्या करेगी। इस प्रकार की विचारधारा के कारण
की शिक्षा में रूकावट आती है।

4. संवेगात्मक समस्याएँ : बाधित बच्चों में संवेगात्मक समस्याएँ भी आती है वे वातावरण
से समायोजन नहीं कर पाते है जिससे उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन व जल्दी गुस्सा आ
हो जाता है। कई बार संवेगों के विचलन के कारण ये बच्चे अपने रास्ते से भटक
माता-पिता के सहयोग के अभाव में वे अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते है।

5. माता-पिता की उदासीनता : समावेशी शिक्षा प्रदान करने में माता-पिता का सहयोग होना
है। अधिकांश देखा जाता है कि बाधित बच्चों को माता-पिता सहयोग नहीं करते है उन्हें
क्रियाकलाप व शिक्षा व्यवस्था में माता-पिता का सहयोग आवश्यक है।

6. विशिष्ट बालक शिक्षा के योग्य नहीं : सामान्यतः विकलांग बालक अन्य बच्चों के समान
शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते है। यही विचारधारा समाज के सभी व्यक्तियों की है। सन् 1
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (Cerebral Palsy) के एक बा
सामान्य शिक्षा विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने पर रोक लगा दी थी। इस कारण कई
अपने बाधित बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों में भेजकर अपने दायित्व से छुटकारा पा लेते

7. परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध : कोई भी जब नया परिवर्तन होता है तो उसके प्रतिरोध में कई
होते है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा भी परिवर्तन का संकेत है जिसका विरोध भी किया
है क्योंकि कोई भी नया प्रत्यय आता है तो उसमें समायोजन करने में कुछ समस्याएँ
परिवर्तन होने में समय लगता है।

8. शिक्षकों का विरोध : समावेशी शिक्षा प्रदान करने में शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान है।
ने समावेशी शिक्षा के लिए अलग-अलग कार्यशालाएँ आयोजित की। इन कार्यक्रमों में शि
मिली-जुली प्रतिक्रिया इस प्रकार थी कि

1) यह कार्य अत्यन्त कठिन है। अध्यापकों के पास इतना समय नहीं है कि वे प्रत्येक
इतना ध्यान दे सकें।
2) शिक्षकों के पास शिक्षण के साथ साथ अन्य कार्यभार भी है कभी चुनाव, कभी जनगणना
मूल्यांकन के कार्य इन कार्यों में व्यस्तता के कारण व्यक्तिगत ध्यान रखना कठिन है
3) सामान्य कक्षा में 60-70 बच्चे है, ऐसे में किस प्रकार ध्यान दिया जाय?
4) विद्यालयों में बैठने के लिए बैंच, मेज नहीं है। अन्य सुविधाएँ कहाँ से आएँगी।
5) बड़ी कक्षाओं को सम्भालना ही कठिन है शिक्षण करना तो दूर की बात है।
6) विकलांग बच्चों की पहचान करना कठिन कार्य है।
7) विद्यालय में बिजली, पानी, शौचालय तक उपलब्ध नहीं है, पढ़ाऐं कैसे?
8) हम विकलांग बालकों को कैसे पढ़ा सकते है? यह सब कैसे करना है हमें क्या

9. प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी : सामान्य विद्यालयों में ही शिक्षकों की कमी है। समावेशी शि

करने के लिए सामान्य शिक्षक के साथ सम्बल शिक्षक की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षित विशिष्ट
अध्यापकों की कमी है, इस कार्य के लिए अध्यापकों की आवश्यकता होगी जो कि एक समस्या है।

10. सामान्य एवं विशिष्ट अध्यापकों में तालमेल की कमी : समावेशी शिक्षा के प्रतिमान से स्पष्ट होता
है कि इसमें सामान्य व विशिष्ट अध्यापक एक साथ शिक्षण करेंगे। विशिष्ट अध्यापक उन विशिष्ट
बालकों को सीखने में मदद करेंगे। जब इनमें से कोई एक अध्यापक अवकाश लेकर चला जाये
या इसमें उचित तालमेल न हो तो यह शिक्षा किस प्रकार दी जायेगी। यह भी एक समस्या है।

11. शिक्षक पर अत्यधिक अतिरिक्त कार्यभार : समावेशन का प्रत्यय तो अच्छा है लेकिन इसमें शिक्षकों
पर अत्यधिक कार्यभार पड़ेगा शिक्षकों को इस प्रकार के कार्यक्रमों को संचालित करने में समस्याएँ
आयेंगी। इस शिक्षा में शिक्षकों को निम्न दायित्व व कार्यभार करने होंगे :-

1) कार्यक्रम का नियोजन	2) कार्यक्रम क्रियान्वित करना
3) मूल्यांकन सेवाएँ	4) कार्यक्रम का प्रबोधन करना
5) संचार एवं सम्पर्क	6) प्रत्यक्ष शिक्षण करना।

इन बच्चों की प्रगति की जाँच के लिए मूल्यांकन करना तथा अभिभावकों, चिकित्सकों से परामर्श
लेना आदि कार्य शिक्षक किस प्रकार करेंगे। यह भी एक समस्या है।

12. आर्थिक समस्याएँ : समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए उनसे सम्बन्धित उपकरणों की व्यवस्था
करनी होगी। वर्तमान में कई विद्यालय ऐसे है जहाँ सामान्य सुविधाएँ भी नहीं है। अनुदान राशि
भी कोई नहीं दे सकता है। विकसित देशों में अनुदान द्वारा इस समस्या का समाधान हो जाता है
लेकिन भारत में यह भी नहीं हो सकता है।

13. शिक्षक एवं बच्चों का अनुपात : आँकड़े स्पष्ट करते है कि भारत में 6-14 वर्ष की आयु के
बालकों की संख्या लगभग 22 करोड़ है तथा मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या लगभग 13 लाख
तथा स्कूलों में 7 लाख शिक्षक है जिनमें से लगभग 3 लाख के करीब शिक्षक अप्रशिक्षित है या
फिर प्रशिक्षण में है। यदि एक शिक्षक को 100 बालकों की शिक्षा का दायित्व भी सौंपा जाता तो
अभी 15 लाख शिक्षकों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार प्रशिक्षित अध्यापकों व विशिष्ट बच्चों
का अनुपात 100 से अधिक जाता है ऐसे में समावेशी शिक्षा किस सीमा तक प्रदान की जायेगी।
इसका अनुमान स्वयं ही लगा सकते है।

14. अनुदान का अर्थहीन व्यय : वैसे तो अनुदान शिक्षा के लिए अल्प मात्रा पर मिलता है भारत
सरकार के बजट पर शिक्षा के लिए अभी कुल का 3.74 प्रतिशत ही खर्च किया जा रहा है उसमें
से विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए जो भी खर्च किया जाता है उसका व्यय वास्तविक
आवश्यकताओं के अनुसार नहीं किया जाता है सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षकों
को 500 रू. प्रतिवर्ष दिये जाने का प्रावधान है लेकिन ये खर्च किस संसाधन पर किये जाये इसकी
समस्या है। इसी अभियान में विशिष्ट आवश्यकता वाले प्रत्येक बालक को 1200 रू० प्रतिवर्ष देने
का प्रावधान है यह धनराशि मुख्याध्यापक के नाम से वितरित की जाती है। अब मुख्याध्यापक के
दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि वह उस धन को किसे वितरित करता है या किन क्षेत्रों में व्यय
करता है।

इस प्रकार अनुदान की राशि को सही कार्यों में खर्च न हो पाना भी एक समस्या का विषय है।

Scanned with CamScanner

15. समावेशी शिक्षा ... आवश्यक नहीं है अधिकांश विद्यालयों के पास आवश्यक संसाधन नहीं है। समावेशी शिक्षा ... से क्रियान्वित हो सकती है जब तक विद्यालय इसके लिए तत्पर न हो जाये। विद्यालय ... आ सकती है जब विद्यालयों में भौतिक व मानवीय संसाधनों की पूर्ति होगी। सैद्धान्तिक ... रूप से आसान कार्य है लेकिन प्रयोगात्मक रूप में कई समस्याएँ आयेंगी। इसके लिए ... तक व्यवस्था नहीं हो पायेगी तब तक समावेशी शिक्षा पूर्ण रूप से सफल नहीं हो ...

अलगाव से समावेशन की ओर.................

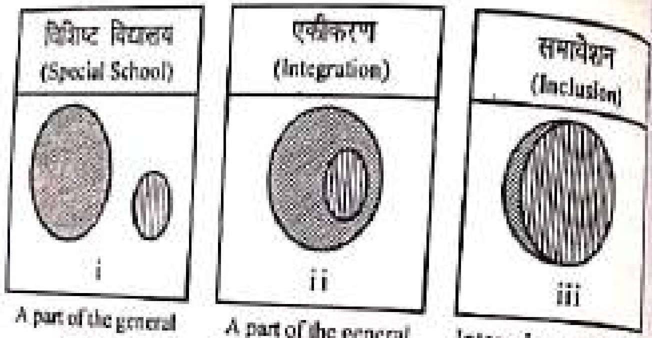

A part of the general system | A part of the general system | Integral part of general system

उपरोक्त चित्र से स्पष्ट होता है कि अलगाव से समावेशन की प्रक्रिया किस प्रकार हुई। समावेशन एक नवीन प्रत्यय है जोकि वर्तमान की मांग है सबसे पहले विशिष्ट विद्यालय उन बच्चों के लिए खोले गये जो बाधित व किसी भी प्रकार से विकलांग है। उसके बाद एकीकरण का प्रत्यय आया और समावेशन प्रत्यय आया। जिनकी संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार है :-

चरण-1. विशिष्ट विद्यालय (Special School) : स्वतन्त्रता से पूर्व 1944 में सार्जेण्ट और स्वतन्त्रता के पश्चात 1964-66 में कोठारी आयोग ने सुझाव दिया कि जो किसी प्रकार के भी विकलांग बच्चे है उनकी शिक्षा के लिए पृथक विद्यालय खोले जायेंगे। आयोगों के सुझाव के आधार पर विभिन्न प्रकार के विशिष्ट विद्यालय खोले गये। इन विद्यालयों में विकलांगता के आधार पर प्रवेश कराया जाता था तथा इनमें प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की गई। इन विशिष्ट विद्यालयों में से कुछ बच्चे इस प्रकार की शिक्षा से लाभान्वित हुए, लेकिन अधिकांश निर्धन व ग्रामीण क्षेत्र के इससे लाभान्वित नहीं हुए, क्योंकि इन विद्यालयों में प्रवेश सम्बन्धी समस्याएँ, इन विद्यालयों का दूर होना, अभिभावकों की लापरवाही, बच्चों के प्रति उदासीनता आदि कई कारण रहे जिनकी वजह से ये बाधित बच्चे विशिष्ट शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाये। दूसरी ओर जो बच्चे इन विशिष्ट विद्यालयों में अध्ययन कर रहे थे वे शिक्षा तो प्राप्त कर रहे थे लेकिन समाज से स्वयं को पृथक महसूस करते थे तथा सामाजिकता व दूसरे वातावरण में सामंजस्य करने में कठिनाई आने लगी। इसलिए यह महसूस किया जाने लगा कि इन बच्चों में शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए सामान्य विद्यालयों में ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इस प्रकार दूसरा चरण प्रारम्भ होता है।

चरण-2. एकीकरण (Integration) : विशिष्ट विद्यालयों के पश्चात इन बच्चों में सामाजिक सामंजस्य की समस्या को दूर करने के लिए एकीकरण (Integration) का प्रत्यय आया। एकीकरण के अन्तर्गत सामान्य विद्यालयों में ही विशिष्ट बालकों को प्रवेश दिया गया। विद्यालयों ने सामान्य कक्षा व प्रवेश में फीस कम भी कर दी लेकिन इन बच्चों की सुविधा व शिक्षण रणनीति में कोई परिवर्तन नहीं किया। अध्यापक इन बच्चों को उसी प्रकार से पढ़ाते थे जैसा कि वे अन्य बच्चों को पढ़ाते है। इस चरण में केवल प्रवेश ही दिया गया उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ अपनी गति से ही सीख रहे थे। बच्चों की विकलांगता व शैक्षिक आवश्यकताओं के अभाव में ये बच्चे ठीक से शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाये, जिस कारण एकीकरण से भी ये बच्चे शिक्षा का उतना लाभ नहीं उठा पाये जितना होना चाहिए था। इस प्रकार के वातावरण से भी बच्चों में समायोजन की समस्या सामने आई। ये बच्चे स्वयं को हीन मानने लगे, विकलांगता व विशिष्टता के कारण अध्यापक, सहयोगी, साथी भी इनका सहयोग नहीं करते थे। एकीकरण से भी इन बच्चों की समस्या जस की तस बनी रही और अभी भी अधिकांश बच्चे शिक्षा से वंचित ही रहे।

चरण-3. समावेशन (Inclusion) : शिक्षा का अधिकार व सर्वशिक्षा अभियान तथा संविधान की धारा 45 जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। इसको आधार मानकर अब यह प्रत्यय आया कि शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है तथा संविधान में भी यह निश्चित किया गया कि सभी को समान रूप से शिक्षा के अवसर प्रदान किये जायेंगे। शिक्षा का अधिकार के अन्तर्गत यह कहा गया कि शिक्षा प्राप्त करना बच्चे का अधिकार है। उसे उसकी किसी भी विकलांगता के कारण शिक्षा से वंचित नहीं किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान में यह प्रावधान है कि विकलांग बच्चों को भी समान शिक्षा के अवसर प्रदान किये जायेंगे तथा इन बच्चों को 1200 रु० प्रतिवर्ष की अनुदान राशि प्रदान की जायेगी तथा इन बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जायेगा। समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत विशिष्ट बच्चों को सामान्य विद्यालयों में ही प्रवेश दिया जायेगा व सामान्य कक्षा में अन्य बच्चों के साथ शिक्षण किया जायेगा। इस शिक्षा योजना में व्यक्तिगत विकलांगता के अनुसार शिक्षण किया जायेगा। तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनके अनुसार सहायक सुविधाएँ प्रदान की जायेंगी व शिक्षण रणनीति में भी परिवर्तन किया जायेगा। ऐसे बच्चों के लिए सामान्य व विशिष्ट दोनों प्रकार के शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी तथा दोनों मिलकर सहयोग के साथ शिक्षण करेंगे। इस शिक्षा में प्रत्येक विशिष्ट बालक की शैक्षिक आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण व अन्य सामग्री की व्यवस्था की जायेगी। इसमें व्यक्तिपरक शैक्षिक योजना, टीम शिक्षण, सहयोगी शिक्षण आदि प्रकार की रणनीति तैयार की जायेगी। तथा इन बच्चों की शिक्षा तथा समस्याओं के समाधान के लिए चिकित्सक, अध्यापक, माता-पिता व परामर्शदाता व विशेष शिक्षकों की सहायता ली जायेगी।

समावेशी शिक्षा से उन बच्चों को सामाजिकता व विभिन्न परिस्थितियों व अलग वातावरण में समायोजन करने में सहायता मिलेगी।

इस प्रकार स्पष्ट है कि समावेशी शिक्षा के स्वरूप को लाने में तीन चरणों से होकर पहुँच पाये है। अब यह देखना होगा कि समावेशी शिक्षा लागू करने के बाद इस शिक्षा से क्या सभी बच्चे लाभान्वित हो पायेंगे। हालाँकि यह कार्य कठिन है लेकिन असम्भव नहीं इस शिक्षा के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता होगी तथा कर्तव्यनिष्ठा व समर्पण भाव से शिक्षण करना होगा जिससे वे सभी बच्चे शिक्षा का लाभ उठा पायेंगे। जो किसी भी विकलांगता के कारण शिक्षा से वंचित रह गये हैं।

Scanned with CamScanner

निष्कर्ष :-

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि समावेशी शिक्षा प्रदान करने में अवरोध व समस्या... अधिक है सबसे बड़ी समस्या धन की है। 'शिक्षा का अधिकार' कानून के अन्तर्गत वित्त संबंधी... घोषणा की कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए 25,000 करोड़ रुपयों की धनराशि खर्च की... लेकिन केन्द्र सरकार ने 2010-11 में वर्ष का खर्च 15,000 करोड़ रुपये ही रखा। निःसन्देह... शिक्षण कठिन कार्य है इसके सम्बन्ध में माता-पिता तथा समाज की आलोचनाएँ भी साथ है लेकिन... बात यह है कि इस प्रणाली को ठीक से लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधन, प्रशिक्षित अध्यापक... दृढ़संकल्प की आवश्यकता है इसके लिए यूनेस्को ने अपनी पुस्तक "Open file on Inclusive Education : Support Materials for Managers and Administrators 2003" में बताया है कि समावेशी शिक्षा के अवरोधों को दूर करने के लिए प्रबन्धकों एवं व्यवस्थापकों को निम्न प्रकार... है :-

1) सम्मति संगठित करना
2) सर्वसम्मति बनाना
3) परिस्थिति का विश्लेषण करना
4) कानून में सुधार करना
5) स्थानीय योजनाओं का समर्थन करना।

इस प्रकार प्रबन्धकों व व्यवस्थापकों को समावेशी शिक्षा के लिए संसाधन एवं कार्यों के साथ कार्य करना होगा जिससे इस शिक्षा को सफल बनाया जा सके।

समावेशी शिक्षा के सिद्धान्त ;
(Principles of Inclusive Education)

समावेशी शिक्षा का अर्थ व उद्देश्य से स्पष्ट होता है कि समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत सभी को एक... व एक साथ शिक्षा प्रदान करना है। चाहे वह बालक किसी भी दृष्टि से बाधित हो। बाधित बालक... शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप तथा उन्हें सुविधायें प्रदान कर सामान्य कक्षा में शिक्षण किया... है।

समावेशी शिक्षा के प्रमुख सिद्धान्त इस प्रकार है :-

1. **व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धान्त :** व्यक्तिगत विभिन्नता से अर्थ है कि कोई भी दो बच्चे... योग्यता, क्षमता, रुचि के नहीं होते है। समावेशी शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में... शिक्षा प्रदान करने पर बल देती है। इसमें बाधित बालक भी सामान्य कक्षा में बैठकर पढ़... है। उन्हें उनकी रुचि, क्षमता एवं शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण दिया... है। इसके लिए विभिन्न क्रियाकलाप व गतिविधियों तथा शिक्षण रणनीति में परिवर्तन किया... है तथा व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण अधिगम में सहायता प्रदान की जाती है।
2. **समानता का सिद्धान्त :** समावेशी शिक्षा पूर्णतः समानता के सिद्धान्त पर आधारित है। इसमें... बच्चों को एक समान, एक ही कक्षा में शिक्षण किया जाता है। इस शिक्षा में विशेष आवश्यकता... वाले बच्चों की पहचान की जाती है तथा उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर... किया जाता है। तथा प्रत्येक बालक की कठिनाइयों, समस्याओं का ध्यान रखा जाता है। इस... का उद्देश्य विकलांग बच्चों को जहाँ तक सम्भव हो सके स्वतन्त्रतापूर्वक तथा अपने मन से अ... को मिटा कर एवं अपने को अपंग तथा अन्य सामान्य बच्चों से अलग न समझकर अच्छी प्रकार से जीवन जीने की ओर तथा अपने को जीवन में समायोजित करने की कला सिखाना है।
3. **सहयोग का सिद्धान्त :** समावेशी शिक्षा बिना सहयोग के प्रदान नहीं की जा सकती है। इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। माता-पिता, अभिभावक, साथी समूह, विद्यालय का प्रबन्ध, अध्यापक, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी इन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में सहयोग करें। यहाँ समावेशित पर्यावरण में विशिष्ट तथा अन्य बच्चे मिलजुलकर एक दूसरे का सहयोग कर शैक्षिक अनुभव प्राप्त करते है। जबकि व्यक्तिगत रूप में आवश्यक अधिगम युक्तियों का सहारा लेकर अपने उपयुक्त शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते है। इस शिक्षा में विभिन्न रणनीतियों तथा विभिन्न विधियों जैसे- समूह शिक्षण, टोली शिक्षण, साथी समूह शिक्षण आदि बिना सहयोग के पूर्ण नहीं की सकती है। इसलिए समावेशी शिक्षा पूर्णतः सहयोग के सिद्धान्त पर आधारित है।
4. **शिक्षा के समान अवसर का सिद्धान्त :** यह शिक्षा सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करती है तथा शिक्षा से सम्बन्धित उन धाराओं व संवैधानिक प्रावधानों का पालन करती है यह शिक्षा किसी भी बच्चे को उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक बाधाओं के बावजूद शिक्षा से वंचित नहीं करती है। यह सभी को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने पर बल देती है तथा शिक्षा के सार्वभौमीकरण तथा सर्व शिक्षा अभियान में सहयोग प्रदान करती है।
5. **समावेशन का सिद्धान्त :** यह शिक्षा समावेशन के सिद्धान्त पर आधारित है इस शिक्षा में सभी प्रकार के बालक शामिल किये जाते है जो अपने स्थानीय विद्यालयों की सामान्य कक्षाओं में बिना किसी अपंगता या विशिष्टता का भाव लिए शिक्षा ग्रहण करते है। यह ऐसी शिक्षा है जो प्रत्येक बच्चे को उच्चतम सीमा तक विद्यालय और कक्षा में जहाँ वह पढ़ना चाहे उपलब्ध करायी जाये। यह शिक्षा बच्चों की ओर उन्मुख व अग्रसर होती है। इसका विश्वास है कि एकीकरण तथा मुख्यधारा के द्वारा विकलांग बच्चे अलगाव वाले पर्यावरण की अपेक्षा सर्वांगीण उन्नति कर समाज में समायोजन आसानी से कर सकते है।
6. **समावेशिक पर्यावरण का सिद्धान्त :** यह शिक्षा एवं स्वस्थ शैक्षिक पर्यावरण के निर्माण पर बल देती है। समावेशित पर्यावरण से तात्पर्य है कि जहाँ विशिष्ट, बाधित व अन्य बच्चे एक दूसरे का सहयोग करते हुए शैक्षिक अनुभव प्राप्त करते है। समावेशित पर्यावरण बच्चों में सामाजिक कुशलता तथा नैतिकता की ओर ले जाता है। समावेशित पर्यावरण निम्न प्रकार से बच्चों में सहायक होता है :-
   1) बाधित बच्चों की टोलियों व समूह से मित्रता करने में सहायता।
   2) विशिष्ट बच्चों में सामाजिक कुशलता विकसित करना ताकि व अपने मित्रों, समाज तथा अन्य व्यक्तियों से आसानी से घुल मिल सकें तथा अपना जीवनयापन कर सकें।
7. **आत्मनिर्भरता का सिद्धान्त :** समावेशी शिक्षा उन बच्चों को आत्मविश्वासी व आत्मनिर्भर बनाने में सहायता प्रदान करती है जो किन्हीं कारणों से विकलांग हैं। समावेशी शिक्षा इन बच्चों को मुख्यधारा में समन्वित करती है जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायता प्रदान करती है। इस शिक्षा में बच्चे की विकलांगता को ध्यान में रखकर उसके अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की

Scanned with CamScanner

जाती है। जिसका प्रशिक्षण लेकर व अपना रोजगार कर सकें व जीवन निर्वाह कर सकें।

8. **व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम का सिद्धान्त :** यह शिक्षा बच्चे को केन्द्र मानकर कार्य करती है। विशिष्ट बालकों के लिए व्यक्तिगत शैक्षिक योजना तैयार की जाती है तथा बच्चे को ... सिखाने का प्रयास किया जाता है उनकी शैक्षिक समस्याओं के लिए चिकित्सक, मनोवैज्ञा... मनोचिकित्सक, अभिभावक का सहयोग लिया जाता है जिनके परामर्श व सुझावों के अनुसार ... किया जाता है तथा बच्चे का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है।

9. **सामाजिक कुशलता का सिद्धान्त :** किसी भी शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य रहता है कि उसके ... पढ़े-लिखे बच्चे प्रौढ़ होकर एक अच्छा व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन व्यतीत करें। इस तरह ... प्राप्त करने के लिए उन्हें सामाजिक जीवन की अपेक्षाओं को शिक्षा द्वारा प्राप्त करने की प्रवृ... उत्पन्न करनी चाहिए। इस हेतु विशिष्ट बालकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सामान्य बा... के साथ खुले दिल से बात करें उनसे मित्रता करें व विद्यालय की सामूहिक गतिविधियों में ... लें। इस प्रकार के गुण उनमें केवल समावेशित पर्यावरण से विकसित हो सकती है। अतः आवश्यक है कि हमारी अधिक से अधिक ऊर्जा विशिष्ट बच्चों को इस योग्य बनाने में व्यय होनी चाहिए। हम उनको सामाजिक वातावरण में अनुकूल होने के योग्य बना सकें।

इस प्रकार स्पष्ट है कि समावेशी शिक्षा सभी को शिक्षा के अवसर प्रदान करती है। इसमें ब... की विकलांगता, वंचितता व विशिष्टता की परवाह किये बिना सामान्य कक्षाओं के सभी कार्यक्रमों में ... लेने पर बल दिया जाता है जो कि स्कूल की समय सारणी में पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्यकलापों तथा ... सहायक गतिविधियों से सम्बन्धित है। इसमें बच्चों की उनकी विशिष्टता और विकलांगता को ध्यान में रखकर सब प्रकार की सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। समावेशी शिक्षा इन बच्चों में सामाजिक कुशलता ... विकास कर उन्हें आत्मविश्वासी व आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होती है।

समावेशी शिक्षा के प्रतिमान
(Models of Inclusion)

समावेशन में सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें बच्चों की विकलांगता ... आधार पर उनके लिए अधिगम वातावरण तैयार किया जाता है। सरकार की योजनाओं व ... को ध्यान में रखकर प्रत्येक राज्य इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। ... समावेशन पद्धति को बढ़ावा दे रहे हैं। समावेशी शिक्षा के कुछ प्रतिमान इस प्रकार हैं।

1. **पूर्ण समावेशन प्रतिमान (Full Inclusion Model)**
2. **टीम शिक्षण प्रतिमान (Team Teaching Model)**
3. **वैंग का अनुकूलित अधिगम वातावरण प्रतिमान (Wang's Adoptive Learning Environ... Model)**
4. **रणनीति व्यवधान प्रतिमान (Strategies Intervention Model)**
5. **समावेश चक्र प्रतिमान (Circle of Inclusion Model)**

उपरोक्त बिन्दुओं की व्याख्या करने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक होगा कि प्रतिमान होते क्या ... इनकी विशेषता क्या है तथा इनसे शिक्षण में क्या लाभ होता है। आइए प्रतिमान की कुछ चर्चा करें

शिक्षण प्रतिमान (Models of Teaching)

प्रतिमान का अभिप्राय : साधारण शब्दों में प्रतिमान किसी वस्तु का नमूना है जिसे देखकर उसी प्रकार की वस्तु बनाई जाये, इसी अर्थ के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षण प्रतिमान एक प्रकार की योजना का ढांचा होता है जिससे हम पाठ्यक्रम का चयन करके अनुदेशन सामग्री का चुनाव करते हैं और शिक्षकों के कार्यों का निर्देशन करते हैं। प्रतिमान द्वारा शिक्षक अपनी शिक्षण नीति के सम्बन्ध में निर्णय लेता है। शिक्षण प्रतिमान की कुछ परिभाषाएँ इस प्रकार हैं :-

हीमन के अनुसार : "शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के सम्बन्ध में सोचने-विचारने की एक रीति है। इन्हीं के अनुसार प्रतिमान किसी वस्तु को विभाजित तथा व्यवस्थित करके तर्कसंगत ढंग से प्रस्तुत करने की विधि है।"

जायस और वेल : "शिक्षण प्रतिमान मात्र अनुदेशन की रूपरेखा है। वह विशिष्टीकरण और विशेष प्रकार के वातावरण की परिस्थितियों के निर्माण की प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों में अन्तःक्रिया करवाती है जिससे उनके व्यवहार में विशेष परिवर्तन कर सकें।"

पाल डी. ईगन : "शिक्षण प्रतिमानों से अभिप्राय विशिष्ट अनुदेशनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित उपचारात्मक शिक्षण व्यूह रचनाओं से है।"

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रतिमान शिक्षण का एक प्रारूप है जिसका अनुशरण करके कक्षा शिक्षण किया जाता है। समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ रणनीति तैयार की जाती है तथा उस रणनीति के अनुसार कक्षा शिक्षण किया जाता है कक्षा शिक्षण के कुछ प्रतिरूप जिसे प्रतिमान कह सकते हैं इनकी संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार है :-

1. पूर्ण समावेशन प्रतिमान (Full Inclusion Model) :-

पूर्ण समावेशन प्रतिमान में विकलांग बच्चों को शिक्षण प्रदान करने के लिए विशिष्ट अध्यापक की सहायता ली जाती है जो विशिष्ट बच्चों को सिखाने में सहायता प्रदान करता है लेकिन इनका उत्तरदायित्व सामान्य अध्यापक का ही है। इस प्रतिमान में पूर्ण समावेशन को ध्यान में रखकर वैकल्पिक सेवाएँ तैयार की जाती हैं इन बच्चों के लिए व्यक्तिगत शैक्षिक योजना भी तैयार की जा सकती है। इसमें विशेष रूप से ध्यान देने की बात यह है कि सामान्य व विशिष्ट अध्यापक में उचित तालमेल हो अर्थात् सामान्य अध्यापक जो प्रकरण पढ़ा रहा हो, उसका ठीक ज्ञान विशिष्ट अध्यापक को भी हो जिससे वह विशिष्ट बच्चों को सीखने में सहायता कर सके। सभी बच्चों के सफल समायोजन के लिए सीखने में सहायता कर सके तथा सभी बच्चों के सफल समायोजन के लिए विभिन्न नीतियों में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। कक्षाओं तथा अनुदेशन में अनुकूलन तथा समायोजन कभी-कभी पूरी कक्षा या फिर एक विद्यार्थी को प्रदान किया जाता है। विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुदेशन के साथ-साथ स्वतन्त्र रूप से अध्ययन करने का अवसर प्रदान किया जाता है ताकि वे अपनी कमियों को सुधार सकें। इस प्रकार इस प्रतिमान में दोनों शिक्षक एक साथ कार्य करते हुए शिक्षण करते हैं।

2. टीम शिक्षण प्रतिमान (Team Teaching Model) :-

इस प्रतिमान में सामान्य तथा विशिष्ट अध्यापक दोनों मिलकर सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं। तथा विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ बैठने के अवसर प्रदान किये जाते हैं। इस प्रकार बैठने से विशिष्ट बालक सामान्य बालक के साथ बैठकर उसका अनुसरण करते हुए सीखता है यह शिक्षण

Scanned with CamScanner

एक विकासात्मक प्रक्रिया है जिसमें निम्न दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है।

1) सामान्य व विशिष्ट अध्यापकों में उचित तालमेल का होना।

2) समावेशी कक्षा शिक्षण में मूलभूत कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक है जैसे समय, सहभागिता, सहयोग, तालमेल आदि।

इस प्रतिमान से बच्चों व अध्यापकों को लाभ होता है लेकिन इसमें समय अधिक लगता है।

3. वैंग का अनुकूलित अधिगम वातावरण प्रतिमान (Wang's Adoptive Learning Environment Model) :-

समावेशी शिक्षा में शिक्षण को सरल व आसान बनाने के लिए वैंग ने एक डाटा बेस बनाया है। उन्होंने शिक्षकों के लिए उनके कौशलों तथा ज्ञान के विकास के लिए विकसित किया है। जिसे समावेशी कक्षा में सफल रूप से लागू किया जा सकता है। इस प्रतिमान के निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को मूलभूत बौद्धिक कौशलों का विकास करना। इसके अन्तर्गत विद्यार्थियों को अपनी गति से सीखने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान की जाती है तथा अध्यापक अनुदेशन को पूरी तरह से बच्चों के अनुसार ही करता है। विशिष्ट अध्यापक सदैव विशिष्ट बालकों के सहयोग के लिए तैयार रहता है। विद्यार्थियों को अपने अधिगम को नियोजित करने का अवसर प्रदान किया जाता है और वे अपने अधिगम क्रियाओं को पूरा करने के लिए स्वयं उत्तरदायी होते है। इस प्रकार इस प्रतिमान में अध्यापक कक्षा में इस प्रकार का वातावरण तैयार करता है जिसमें बच्चे स्वयं अपनी गति से सीख सके। अध्यापक बच्चों के कार्यों में सहयोग प्रदान करता है।

4. रणनीति व्यवधान प्रतिमान (Strategies Intervention Model) :-

यह प्रतिमान को कंसस विश्वविद्यालय में तैयार किया गया है इसका मुख्य आधार यह है कि विद्यार्थी अपनी क्षमताओं का विकास तभी कर सकता है जब वह सामाजिक प्रेरणात्मक अधिगम क्षेत्रों से अनुभव प्राप्त करता है। इसमें पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के लिए सहयोग प्रणाली की तरह कार्य करता है इसमें विशिष्ट विद्यार्थियों को सामान्य कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ समायोजन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रतिमान के प्रमुख तीन चरण है :-

1) प्रथम चरण में सामान्य व विशिष्ट अध्यापकों द्वारा बच्चों को पाठ्यक्रम की जानकारी दी जाती है। पाठ्यक्रम से क्या अपेक्षाएँ है। यह बच्चों के लिए नक्शे की भांति कार्य करता है जिसकी सहायता से वे कार्य नीति तैयार करते है तथा कक्षा की अपेक्षाओं को पूरा करते है।

2) दूसरे चरण में शिक्षण पर जोर दिया जाता है इसमें शिक्षण से पहले पूर्व ज्ञान परीक्षण किया जाता है तथा परीक्षण के आधार पर पाठ योजना तैयार की जाती है।

3) इसके तीसरे चरण में बच्चों को अभिप्रेरणा तकनीक एवं सामाजिक कौशल को सिखाने पर जोर दिया जाता है। इसमें विशेष रणनीति जो 'सहभागी व्यवहार है' है अर्थात् बच्चों को सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए तैयार करती है। इस नीति के अन्तर्गत बच्चों को अपनी विशेषताएँ बताने का अवसर दिया जाता है।

इस प्रतिमान की सफलता के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है जैसे-

i) अध्यापक बच्चे की आवश्यकताओं व समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार रहें।

ii) अध्यापक के पास बच्चों की समस्याओं पर विचार करने का पर्याप्त समय हो।

iii) सामान्य व विशिष्ट अध्यापकों में उचित तालमेल व समायोजन हो।

iv) विशिष्ट बच्चों को अधिगम सहायक सामग्री उपलब्ध हो।

5. समावेश चक्र प्रतिमान (Circle of Inclusion Model) :-

इस प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य सामाजिक उत्थान है तथा इसका आधार क्रियाशील सहभागिता है। इसके अनुसार बच्चे तभी सीख सकते है जब वे स्वयं निर्देशित हो तथा उचित अधिगम वातावरण हो। यह प्रतिमान सबसे अधिक व्यक्तिगत माना जाता है। इसका प्रयोग 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों पर लाभदायक है। इस प्रतिमान में बच्चे की समस्याओं के सम्बन्ध में समय-समय पर वार्तालाप किये जाते है। इस वार्तालाप में अध्यापक, अभिभावक, चिकित्सक, मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्ति भाग लेते है इस वार्तालाप में बच्चों को दी गई सुविधाओं तथा उनके अध्यापकों पर चर्चा होती है। इस प्रतिमान में बच्चों के सामाजिक, भावात्मक तथा पारस्परिक सम्बन्धों के कौशलों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यह प्रतिमान इस बात को निश्चित करता है कि बच्चे समावेशन का अधिक से अधिक लाभ उठाएँ।

इस प्रकार ये प्रतिमान समावेशी शिक्षा प्रदान करने में सहायक होते है। जिनके कुशल प्रयोग से विकलांग बालक भी सामान्य कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ बैठकर शिक्षा प्राप्त कर सकते है। इन प्रतिमानों की सहायता से कक्षा में अधिक प्रभावी वातावरण तैयार किया जा सकता है। समावेश सभी बच्चों के उत्थान के लिए कार्य करता है प्रत्येक प्रतिमान बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। लेकिन किसी भी प्रतिमान को आधार मानकर शिक्षण करें तो महत्वपूर्ण यह है कि इसमें माता-पिता, अभिभावक एवं अध्यापकों का सहयोग मिलता रहे।

अभ्यास के लिए प्रश्न

1. समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? समावेशी शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्व को समझाये।
2. अलगाव से समावेशन की ओर अवस्थान से आप क्या समझते हैं? समावेशी शिक्षा के आधार क्या है?
3. समावेशी शिक्षा के विभिन्न सिद्धान्तों की विस्तार से चर्चा करें।
4. प्रतिमान से आप क्या समझते हैं? समावेशी शिक्षा के प्रतिमानों की विस्तार से चर्चा करें।

Scanned with CamScanner

3 अन्तर्राष्ट्रीय घोषणाऐं, अधिवेशन एवं विकलांग बालक [International Declarations, Conventions and Children with Disabilities]

'सालामानका विज्ञप्ति एवं अभियान के लिए ढाँचा, 1994

('Salamanca Statement and Framework of Action, 1994')

समावेशी शिक्षा के प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए 'सब के लिए शिक्षा के उद्देश्य' की पूर्ति [illegible] के लिए 90 सरकारों के प्रतिनिधित्व के लिए 300 से अधिक प्रतिभागियों एवं 25 अन्त[illegible] संस्थानों ने 7-10 जून, 1994 में सालामानका, स्पेन में बैठक की। यह बैठक स्पेन की सरकार [illegible] यू.एन.ई.एस.सी.ओ. (UNESCO) के द्वारा व्यवस्थित की गई। इस सम्मेलन में विशिष्ट शि[illegible] आवश्यकता के लिए सिद्धान्त, नीति, कार्य और इसके लिए ढाँचा तैयार करने के लिए स[illegible] विवरण तैयार किया गया।

इस नये विवरण के अनुसार सभी 'विकलांगों के लिए शिक्षा' पर ये सभी प्रतिभागी [illegible] है। इस सम्मेलन ने समावेशी शिक्षा के अभियान के लिए ढाँचा तैयार किया है, जो एक सामान्य [illegible] को सभी बच्चों को शिक्षा देने के सिद्धान्त का पालन करने के लिए अग्रसर करता है [illegible] शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं भाषाई तौर पर अन्य बच्चों से भिन्न है। [illegible] नीति के अनुसार प्रत्येक बच्चा अपने आस-पास के किसी भी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर [illegible] चाहे वह किसी भी तरह से विकलांग हो।

इसके लिए दो प्रलेख महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में भूमिका निभाते है कि विद्यालय [illegible] कर रहे हैं एवं सबके लिए शिक्षा के सिद्धान्त का पालन कर रहे है। ये तथ्य यू.एन.ई.[illegible] (UNESCO) द्वारा प्रकाशित किये गये हैं।

इसके अनुसार 'सबके लिए शिक्षा' (According to it, 'Education for All')

यह विवरण सभी के लिए शिक्षा के लिए वचन देता है। चाहे वह छोटा बच्चा हो या वह युवा व्यक्ति हो या फिर वह विकलांग हो या न हो। यह विवरण सभी के लिए शिक्षा की अवधारणात्मक स्वीकारोक्ति है। इस विवरण की मान्यता है कि प्रत्येक विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय जाना चाहिए।

नियमित समावेशी विद्यालय के द्वारा भेदभावात्मक मनोवृत्ति को समाप्त करके सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करके, एक अच्छे समुदाय एवं समावेशी समाज का निर्माण किया जा सकता है। इसके द्वारा अनुचित शैक्षणिक खर्चों को भी कम किया जा सकता है।

सम्मेलन में सरकारों को बुलाने का उद्देश्य
(Purpose of Conference to call Governments)

1. सभी बच्चों के लिए उचित शिक्षा व्यवस्था के लिए उचित नीति एवं बजट का प्रावधान रखना।
2. नियम या नीतियों के उस विषय को स्वीकारना जिससे सभी बच्चों को एक सामान्य विद्यालय में प्रवेश मिल सके।
3. समावेशी शिक्षा को बढ़ाने के लिए सभी देश एक-दूसरे का सहयोग करें।
4. विकलांग लोगों के सन्दर्भ में विभिन्न संगठनों द्वारा बच्चों अभिभावकों एवं समाज के द्वारा विचार-विमर्श करना।
5. सभी बच्चों के विद्यालय से पहले से लेकर उनके व्यवसायिक शिक्षा तक उचित समावेशी शिक्षा पर ध्यान देना।
6. सभी शिक्षकों को समावेशन के लिए प्रशिक्षित करना।

समावेशी विद्यालय (Inclusive Schooling)

इस विवरण द्वारा सभी अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को समावेशी विद्यालय के उपागम एवं विशिष्ट आवश्यकता शिक्षा के विकास जोकि सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों का भाग है, का समर्थन करने के लिए अपील की गई है। विशेषतः ये अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय UNESCO, UNICEF, UNDP एवं विश्व बैंक है।

इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्रों एवं इनके विशिष्ट अभिकरणों को संगठित विशिष्ट आवश्यकता वाले प्रावधानों के लिए तकनीकी सहयोग एवं आपसी सहयोग को बढ़ाने को कहा गया है। गैर-सरकारी संस्थानों को भी औपचारिक राष्ट्रीय संस्थानों के साथ समावेशी शिक्षा में सहयोग देने पर जोर दिया गया है।

UNESCO का एक शिक्षा का अभिकरण होने के कारण इसके उत्तरदायित्व
(Duties of UNESCO as Agency of Education)

1. यह निश्चित करना की 'विशिष्ट आवश्यकता शिक्षा' का 'सबके लिए शिक्षा' से सम्बन्धित सभी चर्चाओं का विषय होना।
2. समावेशी शिक्षा के लिए अध्यापक शिक्षा का शिक्षक संघ एवं समारोहों द्वारा प्रोत्साहन करना।
3. शैक्षणिक समुदायों द्वारा समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में अनुसन्धानों का प्रोत्साहन करना।

Scanned with CamScanner

सालामानका विवरण के द्वारा शिक्षा के प्रावधान
(Educational Provisions of Salamanca Statement)

1. शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए "शून्य अस्वीकृति नीति" का पालन किया जायेगा। इसका अ
   है कि किसी भी बालक को शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़ेगा।
2. विशिष्ट बालकों की पहचान पर विशेष बल दिया गया है। प्रारम्भिक रूप से इनकी पहचान प्राथ
   स्वास्थ्य केन्द्र में की जायेगी तथा आँगनवाड़ी केन्द्रों से सहायता ली जायेगी।
3. विशिष्ट बालकों की पहचान तथा उनकी आवश्यकताओं को समझने तथा-उनका मूल्यांकन वि
   समितियों द्वारा किया जायेगा।
4. विशिष्ट बालकों का नामांकन सामान्य विद्यालयों में किया जायेगा।
5. विशिष्ट बालकों को अधिगम सहायक उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके लिए अन्य सा
   व गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जायेगा।
6. विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों की भांति ही सामान्य विद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जायेगी
   वे स्वतन्त्र व समान रूप से सीख सकेंगे।
7. शिक्षा गारंटी योजना के तहत् 'घर में शिक्षा' Home based education चलाया जायेगा इसके
   उन्हें विद्यालय में लाया जायेगा।
8. विशिष्ट बालकों की शिक्षा का उत्तरदायित्व सम्भालने वाले शिक्षकों को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान
   जायेंगी।
9. विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा।
10. विशिष्ट बालकों की विशेष आवश्यकता होती है। उन्हें वैयक्तिक शिक्षा की आवश्यकता होती
    इनकी आवश्यकता पूर्ति के लिए व समस्याओं के लिए निपुण व्यक्ति से परामर्श लिया जायेगा त
    माता-पिता को प्रेरित किया जायेगा।
11. माता-पिता व अभिभावकों से सहयोग लिया जायेगा तथा बच्चों की समस्याओं से अवगत करा
    जाऐगा ताकि वे उन पर ध्यान दे सकें।
12. जिला तथा राज्य स्तर पर संसाधन समूहों की स्थापना की जायेगी ताकि कार्यक्रम का नियोजन ठी
    से हो सके इसमें गैर सरकारी संगठनों की मदद ली जायेगी।
13. जहाँ कहीं विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रमों की आवश्यकता होगी, चलाया जायेगा।
14. विशिष्ट शिक्षा पर अनुसंधान व शोध को प्रोत्साहित किया जायेगा।
15. विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को भी विशिष्ट बालकों के सहयोग के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
16. विशिष्ट बालकों का सतत् मूल्यांकन किया जाये तथा उसकी सूचना माता-पिता को दी जायेगी।
17. विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए रिसोर्स कमरा स्थापित किया जायेगा। इन
    इन बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं सम्बन्धी सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।
18. सामान्य विद्यालयों में ही विशिष्ट बालकों के प्रवेश दिया जायेगा तथा इस प्रकार का वातावरण तैया
    किया जायेगा कि जिससे ये बालक भी एक साथ सीख सकें।
19. विशिष्ट बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अधिगम व्यवस्था की जायेगी।

सयुंक्त राष्ट्र का विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन, 2006
(United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2006)

विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्रों की एक अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों की संधि है। जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों एवं गौरव की रक्षा करना है। इस सम्मेलन के अनुसार प्रत्येक प्रतिभागी का उद्देश्य मानव अधिकारों का प्रोत्साहन एवं इनकी रक्षा करना होना चाहिए। जिससे विकलांग व्यक्ति समानता के अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त कर सके। इस सम्मेलन ने विकलांगों को समाज के समान भागीदार बनाने के लिए दान, चिकित्सा एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई है।

इस सम्मेलन के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्रों की सामान्य सभा द्वारा 13 दिसम्बर 2006 को स्वीकारा गया एवं 30 मार्च 2007 को हस्ताक्षर किया गया। यह 3 मई 2008 से लागू कर दिया गया।

इस सम्मेलन के द्वारा विकलांगों के हितों की रक्षा के लिए उनसे सम्बन्धित विभिन्न पहलूओं पर प्रावधान बनाये हैं।

इस सम्मेलन के शैक्षणिक प्रावधान

1. राज्य पक्ष विकलांग व्यक्तियों के शिक्षा के अधिकारों को बगैर भेद-भाव के पूर्ण समानता से स्वीकार करेगा। राज्य ये सुनिश्चित करेगा की समावेशी शिक्षा प्रणाली प्रत्येक स्तर एवं निरन्तर अधिगम करने होनी चाहिऐ -
   - क) मानवीय शक्ति, गरिमा की भावना, आत्म मूल्य, मानवीय अधिकारों का आदर, मौलिक स्वतन्त्रता का पूर्ण रूप से विकास के लिए निर्देशित कर रही है।
   - ख) विकलांग व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास, प्रतिभा, सृजनात्मकता, मानसिक एवं शारीरिक योग्यताओं का पूर्ण रूप से विकास को शामिल करना।
   - ग) विकलांग व्यक्तियों को स्वतन्त्र समाज में कुशल रूप से भागीदारी निभाने में सहायता करना।
2. इन अधिकारों को साकार करने में राज्य पक्ष निश्चित करता है कि -
   - क) विकलांग व्यक्ति सामान्य शिक्षा प्रणाली से विकलांगता के आधार पर अछूते नहीं रखे जा सकते है, न ही मुक्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा से विकलांगता के आधार पर वंचित रखते जा सकते हैं।
   - ख) विकलांग व्यक्ति समावेशी, उत्तम, मुक्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा एक समुदाय जिसमें अन्य व्यक्ति रह रहे है के साथ समानता से शिक्षा ग्रहण करेंगे।
   - ग) व्यक्ति को आवश्यकतानुसार उचित आवास प्रदान किया जाऐगा।
   - घ) विकलांग व्यक्ति सामान्य शिक्षा प्रणाली में अपनी सुगम शिक्षा के लिए सहयोग प्राप्त कर सकता है।
   - ङ) समावेशन के उद्देश्य के साथ शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास करने वाले वातावरण द्वारा उचित व्यक्तिगत समर्थन उपाय प्रदान किये जा रहे हैं।
3. विकलांग व्यक्तियों की जिन्दगी को समझने एवं सामाजिक विकास कौशल का शिक्षा एवं समुदाय में पूर्ण व समान भाग लेने में राज्य पक्ष सहायता करेगा। इस के लिए राज्य पक्ष निम्नलिखित उपाय

Scanned with CamScanner

करेगा -

क) ब्रेल लीपी, विकल्पिक लिपि सीखने, भाषा का विकासात्मक वैकल्पिक माध्यम एवं प्राप्त सहकर्मी सहयोग में सहायता प्रदान करना।

ख) चिन्ह् भाषा को सीखने में सहायता देना एवं बहरे समुदाय की भाषाई पहचान को बढ़ाना।

ग) बच्चो की शिक्षा, विशेषतः अन्धे, बहरे या अन्धे-बहरे सुनिश्चित करना। उन्हें व्यक्तिगत रूप से उचित भाषा एवं माध्यमों द्वारा उस वातावरण में सम्प्रेषण करना जिससे अधिक-से अधिक शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास किया जा सके।

4. इन अधिकारों को साकार करने के लिए राज्य पक्षों को शिक्षकों (सम्मिलित - विकलांग शिक्षक जिन्होंने परीक्षा किसी विशेष चिन्ह् भाषा एवं ब्रेल लिपि से की है), पेशेवर एवं कर्मचारी वर्ग के भर्ती एवं प्रशिक्षण के लिए उचित विधियों प्रयोग करना होगा जो शिक्षा के सभी स्तरों पर कार्य कर रहे हैं। यह प्रशिक्षण विकलांगता जागरूकता एवं सम्प्रेषण के उचित विकासात्मक व वैकल्पिक माध्यम, शैक्षणिक तकनीकी, विकलांग व्यक्तियों के सहयोगी सामग्री ये जुड़ी हुई होगी।

5. राज्य पक्ष यह निश्चित करेंगे कि विकलांग व्यक्ति शिक्षा तक पहुँच, व्यवसायिक प्रशिक्षण, वयस्क शिक्षा एवं पूर्ण जीवन चलने वाले अधिगम में बैगर किसी भेदभाव व दूसरों के साथ समानता के आधार पर बहुत योग्य बन पाये हैं। इस उद्देश्य के लिए, राज्य पक्ष इन विकलांग शिक्षार्थियों को सामान्य स्तर की सुविधाऐं भी प्रदान करानी होगी।

4 संवैधानिक प्रावधान एवं विकलांगता [Constitutional Provisions and Disabilities]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968
(National Policy on Education, 1968)

29 जून 1966 को कोठारी आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस आयोग ने शिक्षा के सभी पक्षों पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर अपने सुझाव दिये थे। इसके कुछ समय पश्चात् 5 अप्रैल 1967 को एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का प्रथम कार्य कोठारी आयोग द्वारा दिये गये सुझावों का अध्ययन करना था। द्वितीय कार्य इन सुझावों को आधार मानकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करना तथा तृतीय कार्य प्राथमिकताओं के आधार पर क्रियान्वयन हेतु रूपरेखा प्रस्तुत करना। किसी भी देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्धारण करते समय ध्यान रखा जाना चाहिये कि शिक्षा वहाँ की परिस्थिति व वातावरण के अनुसार हो, इसका स्वरूप व्यावहारिक, आधुनिकीकरण व प्रयोगात्मक हो, उसका सम्बन्ध सभ्यता, संस्कृति, आर्थिक, राजनैतिक परिस्थिति से हो तथा राष्ट्रीय एकता व संवेगात्मक एकता को मजबूत करने वाली हो। उपरोक्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं को ध्यान में रखकर इस नीति में शिक्षा के सभी स्तरों में गुणात्मक सुधार पर विशेष ध्यान दिया। उसमें केन्द्र तथा राज्य सरकारों के शैक्षिक उत्तरदायित्व निश्चित किये तथा प्राथमिकताओं के आधार पर भावी कार्यक्रम की रूपरेखा को प्रस्तुत किया। 24 जुलाई 1968 को सरकार ने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विधिवत् घोषणा की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिन महत्वपूर्ण बिन्दुओं को प्राथमिकता दी गई वे इस प्रकार हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के मुख्य बिन्दु
(Main Points of National Education Policy 1968)

1. **अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था** – शिक्षा नीति में संविधान के अनुच्छेद 45 को प्राथमिकता

Scanned with CamScanner

[illegible]

2. भारतीय भाषाओं के विकास की व्यवस्था - [illegible]

3. शैक्षिक अवसरों में समानता - [illegible]

4. शिक्षा का राष्ट्रीय प्रारूप - [illegible]

5. [illegible]

6. शिक्षा का बजट - [illegible]

7. देश में 10+2+3 प्रणाली - [illegible]

8. माध्यमिक शिक्षा का विकास - [illegible]

9. विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रसार - [illegible]

[illegible]

10. विज्ञान शिक्षा व अनुसंधान - [illegible]

11. कार्यानुभव तथा समाज सेवा पाठ्यक्रम - [illegible]

12. प्रौढ़ शिक्षा - [illegible]

13. कृषि एवं औद्योगिक शिक्षा - [illegible]

14. शिक्षकों का स्तर एवं शिक्षण प्रशिक्षण - [illegible]

15. परीक्षा प्रणाली - [illegible]

16. पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन - [illegible]

17. शिक्षा द्वारा भारतीय समाज का आधुनिकीकरण - [illegible]

शिक्षा नीति का मूल्यांकन (Evaluation of Education Policy)

[illegible]

Scanned with CamScanner

संस्कृति व आधुनिकीकरण करना, अपनी संस्कृति सभ्यता का संरक्षण करना, विज्ञान तकनीकी, कृषि शिक्षा, रचनात्मक पाठ्यक्रम आदि की योजना बनाना निःसंदेह अच्छी बात है। यदि इस से पूर्व कोठारी आयोग पर भी दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि इसमें कोई विशेष नया नहीं है। इन सभी सुझावों को कोठारी आयोग ने 1964-66 में दिया था। उन्हीं सुझावों को आधार मानकर इस नीति में प्राथमिकता के आधार पर कार्य प्रारम्भ करने का सुझाव दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986

(National Education Policy, 1986)

भारत देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि शिक्षा प्रणाली में ठोस नीतियाँ नहीं बन पाती हैं यदि बनती भी हैं तो उसका ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। जिसका कारण सरकार का बदलना है। सरकार बदलते ही नीतियाँ भी बदल जाती हैं। 1966 में कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की जिसे प्रान्तों में लागू भी कर दिया गया। सभी प्रान्तों में 10+2+3 संरचना व त्रिभाषा सूत्र, कृषि शिक्षा, तकनीकी शिक्षा लागू की गई। लेकिन 1977 में जनता दल के मोरार जी देसाई सरकार ने 10+2+3 के स्थान पर 8+4+3 संरचना का विचार दिया। जो अभी लागू भी नहीं हुई। 1981 में पुनः इंदिरा गाँधी की सरकार सत्ता में आई उसने पुनः 1968 की नीति पर जोर दिया इस बीच इन्दिरा गाँधी की हत्या हो गई और फिर राजीव गाँधी को प्रधानमंत्री बनाया। राजीव गांधी ने शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया और स्पष्ट किया कि वर्तमान शिक्षा हमारी माँग को पूरा नहीं कर सकती। इसका पुनर्गठन होना चाहिए। उन्होंने शिक्षा का सर्वेक्षण किया और **"शिक्षा की चुनौती : नीति सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य" Challenge of Education : A Policy Perspective 1985** में प्रकाशित किया, जिसमें सरकार की उपलब्धि व कमियों का वर्णन किया। जो जन मानस तक पहुँची। इस सन्दर्भ में भिन्न भिन्न क्षेत्रों से सुझाव आये और इन सुझावों के आधार पर नई शिक्षा नीति का निर्माण किया जिसे 1986 में प्रकाशित किया गया। यह नीति 12 भागों में विभक्त है।

यह भारत की ऐसी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसमें नीति के साथ-साथ उसके क्रियान्वयन की पूरी योजना भी प्रस्तुत की गई है और साथ ही उसके लिए पर्याप्त संसाधन जुटाए गये हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं विकलांगता

विकलांगों को शिक्षा सुविधायें उपलब्ध कराने में उद्देश्य यही होना चाहिये कि सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांगों को समुदाय के अन्य सामान्य सदस्यों के साथ बराबर की साझेदारी निभाते हुये उनका आवश्यक समावेशीकरण किया जा सके ताकि उनकी सामान्य वृद्धि एवं विकास का मार्ग प्रशस्त हो और वे अपनी जिन्दगी को साहस और विश्वास के साथ जीयें। इस सम्बन्ध में निम्न उपाय अपनाये जाने चाहिए।

1. जहाँ सम्भव हो वहां लोकोमोटर विकलांग बालकों (Children with locomotor disabilities) तथा अन्य अल्प बाधता (mild handicaps) की शिक्षा दूसरों के साथ एक जैसी ही होनी चाहिए।
2. गम्भीर रूप से विकलांग बालकों (Severly handicapped children) की शिक्षा हेतु जिला मुख्यालयों (District headquarters) पर होस्टल की सुविधाओं से लैस विशेष विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए।
3. विकलांग व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उचित प्रबन्ध किये जाने चाहिये।

4. विकलांग बालकों की विशिष्ट कठिनाइयों से निपटने हेतु शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों (विशेषतः प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षक प्रशिक्षण के संदर्भ में) आवश्यक सुधार किये जाने चाहिये।
5. सभी सम्भावित तरीकों से स्वयं सेवी स्तर (Voluntary level) पर विकलांग बालकों की शिक्षा हेतु किये जाने प्रयत्नों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

कार्य योजना 1986 का दस्तावेज

मई 1986 में राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई तथा नवम्बर 1986 में इसकी कार्ययोजना (Plan of Action POA) नामक दस्तावेज प्रकाशित किया गया। यह कार्ययोजना 24 भागों में विभक्त है। जो इस प्रकार है –

1. **प्रथम भाग** – कार्ययोजना के प्रथम भाग में पूर्व प्राथमिक शिक्षा तथा शिशुओं की देखभाल व एकीकृत बाल विकास सेवायें, पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा योजना की व्यवस्था करने की योजना प्रस्तुत की है।
2. **दूसरा भाग** – इस भाग में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करने तथा प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए 1 कि.मी. के अन्दर प्राथमिक व 3 कि.मी. की दूरी के अन्दर उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को सफल बनाने हेतु सुझाव दिया गया है।
3. **तीसरा भाग** – इस भाग में माध्यमिक शिक्षा का प्रसार एवं नवोदय विद्यालयों की स्थापना व नये माध्यमिक विद्यालय खोलने की योजना प्रस्तुत की गई है।
4. **चौथा भाग** – इस भाग में शिक्षा में व्यावसायिक विषयों को जोड़ने तथा कार्यानुभव को लागू करने की योजना बनाई गई है।
5. **पाँचवा भाग** – पंचम भाग में उच्च शिक्षा का प्रसार, विस्तार तथा गुणवत्ता में सुधार को शामिल किया गया है। इसमें उच्च शिक्षा में प्रवेश के नियम, पाठ्यक्रम, शिक्षण स्तर तथा शिक्षा संस्थानों के विषय में रूपरेखा तैयार की गई है।
6. **छटवां भाग** – इस भाग में इन्दिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों का विस्तार करने हेतु योजना प्रस्तुत की है।
7. **सातवाँ भाग** – इस भाग में ग्रामीण विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन तथा विद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करने सम्बन्धी योजना है।
8. **आठवाँ भाग** – इस भाग में तकनीकी शिक्षा का प्रबन्ध एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान सम्बन्धी सुझाव दिये गये हैं।
9. **नौवाँ भाग** – नवम् भाग में शिक्षक तथा छात्रों की कार्यप्रणाली में सुधार तथा संस्थाओं का प्रशासन व मूल्यांकन पर बल दिया गया है।
10. **दसवाँ भाग** – इस भाग में उपाधि तथा रोजगार से विकलांगता एवं मानव शक्ति का नियोजन शामिल है।
11. **ग्यारहवाँ भाग** – इस भाग में पाठ्यक्रम का विकास, अनुसंधान एवं शोध की व्यवस्था के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये हैं।
12. **बारहवाँ भाग** – इस भाग में स्त्री शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने तथा नियुक्ति सम्बन्धी योजना प्र

Scanned with CamScanner

रूपरेखा को तैयार किया गया है।

13. **तेरहवाँ भाग** - प्रस्तुत भाग में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग की शिक्षा व्यवस्था व तत्सम्बन्धी योजना तैयार की गई है।
14. **चौदहवाँ भाग** - इस भाग में अल्पसंख्यकों की शिक्षा व्यवस्था, इनके लिए पृथक विद्यालयों की व्यवस्था करने सम्बन्धी सुझाव प्रस्तुत है।
15. **पन्द्रहवाँ भाग** - इस भाग में अपंगों व विकलांगों की संख्या तथा इनकी शिक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार प्रस्तुत किये हैं।
16. **सोलहवाँ भाग** - इस भाग में प्रौढ़ शिक्षा का विकास व सतत् शिक्षा की योजना की रूपरेखा तैयार की गई है।
17. **सत्रहवाँ भाग** - प्रस्तुत भाग में राष्ट्रीय स्तर पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों में सुधार पर विचार किया गया है।
18. **अठारहवाँ भाग** - इस भाग में शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर परीक्षा सुधार व मूल्यांकन प्रणाली की समीक्षा की गई है।
19. **उन्नीसवाँ भाग** - इस भाग में खेलों का पाठ्यक्रम में स्थान विषय पर विस्तृत चर्चा की गई है।
20. **बीसवाँ भाग** - बीसवें भाग में आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास तथा हिन्दी के विकास पर ध्यान देने का प्रस्ताव दिया गया है।
21. **इक्कीसवाँ भाग** - इसमें राष्ट्रीय कार्यक्रमों को पाठ्यचर्या का अंग स्वीकार किया गया है।
22. **बाइसवाँ भाग** - इस भाग में शिक्षा में नवाचार सम्बन्धी टेलीविजन, प्रोजेक्टर आदि के प्रयोग की संस्तुति की गयी है।
23. **तेईसवाँ भाग** - इस भाग में शिक्षक शिक्षा, शिक्षण स्तर व शिक्षक प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार की योजना बनाई गई है।
24. **चौबीसवाँ भाग** - अन्त में शिक्षा का प्रबन्धन प्रशासन व शिक्षा की विभिन्न परिषदों के बारे में योजना प्रस्तुत की गई है।

इस प्रकार 1986 की योजना का प्रारूप के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इसमें शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए प्रत्येक पहलू पर विचार-विमर्श कर उनकी समस्याओं हेतु समाधान ढूँढने का प्रयास किया गया है। चाहे वह पाठ्यक्रम हो या पाठ्यपुस्तक या फिर शिक्षक व शिक्षण सम्बन्धी हो। इस योजना में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है कि समस्याओं का समाधान किस प्रकार होना चाहिए तथा स्पष्ट रूप से सुझावों को लागू करने का प्रयास किया गया है। इस नीति में यह "होना चाहिए" के स्थान पर "किया जायेगा" पर बल दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मूल तत्व

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जिन तत्वों पर अधिक जोर दिया गया है वे निम्नलिखित हैं -

1. शिक्षा की 10+2+3 की संरचना (10+2+3 Structure of Education)
2. शिक्षा का पुनर्गठन (Re-organization of Education)
3. शिक्षा का विकेन्द्रीकरण (Decentralization of Education)

4. शिक्षा पर खर्च (Investment in Education)
5. अनिवार्य व नि:शुल्क शिक्षा का लक्ष्य (Aim of Essential and Free Education)
6. माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन (Reorganization of Secondary Education)
7. उच्च शिक्षा का प्रसार (Development of Higher Education)
8. परीक्षा व मूल्यांकन प्रणाली (Examination and Assesment Systems)
9. शिक्षक स्तर व प्रशिक्षण (Teacher's Level and Training)
10. प्रौढ़ शिक्षा/सतत् शिक्षा (Adult Education)
11. महिला शिक्षा (Women Education)
12. अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों की शिक्षा। (Education of SC/ST Children)
13. अल्पसंख्यक व पिछड़े क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा। (Education of Backward Children)
14. विकलांग व मन्दबुद्धि के बच्चों की शिक्षा। (Education of Handicapped and Sub-normal Children)

कार्यान्वयन कार्यक्रम (Programme of Action 1992)

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कमियों को सुधारने के लिए कार्यक्रम शुरू किया। तथा निरौपचारिक शिक्षा योजना को सफल व प्रभावशाली बनाने के लिए 1992 में कार्यान्वयन कार्यक्रम की योजना बनाई ताकि इस योजना के अन्तर्गत निरौपचारिक शिक्षा को सही ढंग से व्यावहारिक रूप दिया जा सके। कार्यान्वयन कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विचार किया तथा उनसे सम्बन्धित सुझाव दिये।

1. **निरौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना (Establishment of Non-formal Education Centers)** - ये शिक्षा केन्द्र उन गरीब व असहाय बालकों के लिए खोले जायेंगे जो अनुसूचित जाति जनजाति से सम्बन्ध रखते हैं। तथा जो अपंग बालक हैं, उन्हें भी इन संस्थाओं से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।
2. **विद्यालय समूहों की स्थापना की जायेगी (School Clusters)** - इन कार्यक्रमों में विद्यालय समूहों को खोलने पर विचार किया गया। जिसमें सबसे आगे माध्यमिक विद्यालय होगा। उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात 1:3 रखने का प्रयास किया जायेगा।
3. **दृढ़ीकरण का कार्यक्रम (Programme of Consolidation)** - इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालय होने चाहिए। जिसमें भवनों, अध्यापकों व विद्यालयों से सम्बन्धित सम्पूर्ण सुविधायें होनी चाहिए जिसमें -
   i) **खेल का मैदान (Playground facilities)** - विद्यालयों के पास खाली जमीन उपलब्ध कराकर खेल के मैदान की पर्याप्त सुविधा प्रदान की जायेगी।
   ii) **कक्षा-कक्ष सुविधायें (Classroom facilities)** - विद्यालयों में अच्छे कक्षा-कक्ष जिनमें उचित प्रकाश व वायु की व्यवस्था के साथ अच्छा वातावरण बनाया जा सके।
   iii) **प्रयोगशाला सुविधायें (Laboratory Facilities)** - कार्यक्रम में प्रयोगशाला तथा अन्य सुविधायें प्रदान करने के लिए सुझाव दिया कि छात्रों से 10-15 रू0 प्रतिमाह अंशदान के तौर पर सहभागिता मांगी जाये। जिसे विद्यालय प्रयोगशाला में खर्च किया जायेगा।
4. **अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम (Teacher Training Programme)** - शिक्षण को प्रभावशाली व

Scanned with CamScanner

बेहतर बनाने के लिए पूर्व सेवाकालीन व सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार लाकर अध्यापकों की योग्यताओं में सुधार किया जायेगा।

5. पाठ्यक्रम सुधार (Curricular Improvement) - प्रतिभाशाली छात्रों की शिक्षा के लिए निम्न कार्यक्रम रखे गये -
   1. ऐसे छात्रों के लिए विशिष्ट व्यवस्था में उन्हें इकाई आधार पर शिक्षण अधिगम प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें छात्रों की रुचि के आधार पर शिक्षण किया जायेगा।
   2. ऐसे छात्रों के लिए वर्तमान पद्धति में क्रियान्वयन किये जाने के लिए व्यवस्थाओं की योजना बनाई जायेगी। पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि, परीक्षा व मूल्यांकन प्रणाली में सुधार किया जायेगा।

6. अनुवर्ती कार्यक्रम (Follow up Programmes) - सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के जिला अनुवर्ती कार्यक्रमों को 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों के समूह के लिए आरम्भ किया जायेगा। साक्षरता के उपरान्त ऐसे विद्यार्थियों को अनवरत शिक्षा के अन्तर्गत आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया जायेगा।

7. अध्यापक शिक्षा (Teacher Education) - राष्ट्रीय नीति कार्यान्वयन कार्यक्रम में अध्यापक शिक्षा से सम्बन्धित निम्न बातों का उल्लेख किया गया है -
   1. अध्यापकों की चयन प्रणाली में सुधार किया जायेगा।
   2. अध्यापकों की आवास एवं कार्य स्थितियों में सुधार किया जायेगा।
   3. अध्यापकों की शिकायतें दूर करने का प्रयास किया जायेगा।
   4. अध्यापकों के लिए वृत्तिक आचार संहिता का निर्माण किया जायेगा।
   5. अध्यापकों को यथासम्भव स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने का उचित वातावरण एवं अवसर प्रदान किये जायेंगे।

इस प्रकार कार्यान्वयन कार्यक्रम में 1986 की नीतियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया।

कार्यवाही क्रार्यक्रम-1992 एवं विकलांगो की शिक्षा

(POA - 1992 and Education of Disabled)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुपालना के संदर्भ में जो कार्यवाही कार्यक्रम-1992 दस्तावेज तैयार किया गया है वह मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध वेबसमूह पर भी उपलब्ध है। इस दस्तावेज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा निर्देशित जो भी प्रयत्न विकलांगों की शिक्षा और समायोजन हेतु किये गये है उनकी समीक्षा करते हुये आगे की दिशा निर्धारित करने के प्रयत्न किये गये है। उसका वर्णन इस दस्तावेज के चतुर्थ खंड में 'विकलांगों की शिक्षा' शीर्षक के तहत किया गया है। यह वर्णन जिन 15 विभिन्न उपशीर्षकों के अन्तर्गत किया गया है उसका सार संक्षेप, वर्तमान स्थिति तथा आगे की जाने वाली कार्यवाही या उठाये जाने वाले कदमों के रूप में नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

खंड-4 : विकलांगों की शिक्षा (Education of the Handicapped)

1. वर्तमान स्थिति (Present Situation)

- वर्तमान विद्यालय व्यवस्था में लगभग 12.59 मिलियन विकलांग बालकों की शिक्षा के अवसर मिल रहे है।

- पूर्व बालावस्था देखभाल तथा शिक्षा (स्कीम की सेवाओं द्वारा 2 मिलियन विकलांग बालकों को शिक्षा स्कीम की सेवाओं द्वारा 2 मिलियन विकलांग बालकों को शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाये जाने की आवश्यकता है।
- 1991-92 की समाप्ति तक लगभग 30000 विकलांग बालक आई ई डी सी (Integrated Education for Disabled Children) स्कीम के तहत विशेष लाभ अर्जित कर रहे थे। इसके अतिरिक्त अल्प विकलांगता (mild disablities) के लगभग 60000 बालक विशेष लाभों की प्राप्ति के साथ संसाधन सहयोग/समर्थन प्राप्त कर रहे थे। बहुत से विकलांग बालक विभिन्न विशेष विद्यालयों (लगभग 1035) में भी शिक्षा लाभ अर्जित कर रहे थे।
- पी.आई.ई.डी. (The project Integrated Education for Disabled) एक क्षेत्रीय प्रदर्शन के तौर पर 10 राज्यों तथा केन्द्रीय शासित प्रदेशों (हर राज्य में किसी एक ब्लोक में) में कार्यरत है। इन ब्लोकों के सामान्य विद्यालयों में विकलांग बालकों की 90 प्रतिशत जनसख्या शिक्षा प्राप्त कर रही है।
- संसाधन शिक्षकों को बहु- श्रेणीय प्रशिक्षण (Multi - Category Training) व्यापार प्रभावपूर्ण सिद्ध हुआ है। इसे रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन (चार), विशिष्ट शिक्षा कोर्सों को संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों तथा गैर-सरकारी संगठनों के द्वारा कोर्सों को संचलित किया गया।
- प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) में एक संसाधन केन्द्र स्थापित किया गया है जो प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा उन्हें व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने का कार्य कर रहे है। 102 डाइट्स के स्टाफ को एन. सी. ई. आर. टी. द्वारा अभी तक आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने का सौभाग्य मिल चुका है।
- समाज कल्याण मंत्रालय ने विशिष्ट विद्यालयों के लिये प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने तथा इनके स्तर में सुधार लाने हेतु राष्ट्रीय विकलांग संस्थानों तथा गैर- सरकारी स्वयं सेवी संगठनों की मदद से अपेक्षित उपाय प्रारम्भ कर दिये है।
- श्रम मंत्रालय विकलांगो के लिये 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों का प्रबन्धन करने तथा उन्हें रोजगार दिलाने सम्बन्धी सहायता प्रदान करने का कार्य कर रहा है। सितम्बर 1991 तक इस स्कीम के अन्तर्गत 66,000 अक्षम व्यक्तियों को प्रवेश तथा एप्रेन्टिस ट्रेनिंग स्कीम की अनुपालना में 3 प्रतिशत सीटें अक्षम विद्यार्थियों के लिये सुरक्षित किये जाते है। और अभी तक यह सीटें नियमित रूप से भरी जाती रही है।
- विशिष्ट विद्यालयो तथा आई ई डी सी स्कीम के मूल्यांकन ने कुछ विशेष बातों को प्रकाश में लाया है। न तो केन्द्रीय और न राज्य स्तर पर विकलांगों की शिक्षा हेतु सामान्य विद्यालय प्रणाली को अभी तक ठीक प्रकार से गति नहीं मिली है। विभिन्न योजनाओं जैसे सी बी आर (CBR), डी आर सी (DRC), ई सी सी ई (ECCE), अनौपचारिक शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा आदि को उनके इकट्ठे और सामूहिक प्रयास द्वारा विकलांगों की शिक्षा हेतु काम में नहीं लाया जा रहा है। कुछ राज्यों ने तो आई ई डी सी (IEDC) स्कीम को लागू ही नहीं किया और कुछ बेमन से इसे अपने यहां चला रहे है। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठनों (NGO's) का सहयोग नहीं मिल रहा है। विशेष विद्यालयों के स्तर में सुधार लाने की जरूरत है। बहु-अक्षमताओं/विकलांगताओं से युक्त बालकों की शिक्षा हेतु सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता है। उनकी अक्षमताओं की जल्दी से जल्दी पहिचान और उनका उपचार किया जाना उन्हें उपयुक्त शिक्षण व्यवस्था जुटाने के लिये अति

Scanned with CamScanner

आवश्यक है यह कार्य भी ... हेतु शिक्षा अवसरों की उपलब्धि का लक्ष्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक इस सम्बन्ध में पूरे जोर शोर से आवश्यक उपाय नहीं किये जाते।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनर्वीक्षण (NPE Review Perspective) - पी.ओ.ए में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अक्षमो / विकलांगो की शिक्षा के सन्दर्भ में जो विचार रखे गये थे उनका पुनर्वीक्षण करते हुये कुछ अधिक व्यावहारिक बनने की आवश्यकता पर जोर देते हुये कहा गया कि अक्षमता से युक्त वह बालक जो सामान्य विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर सकता है उसे सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा प्राप्त करानी चाहिये विशेष विद्यालय में नहीं। वे बालक भी जिन्हें अपनी विशिष्ट विद्यालय में नहीं। वे बालक भी जिन्हें अपनी विशिष्ट अधिगम एवं समायोजन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विशेष विद्यालयों में प्रविष्ट किया जाता है उन्हें फिर जब वे कुछ आवश्यक कौशलों जैसे दिन- प्रतिदिन की क्रियाओं जीने सम्बन्धी कौशल, सम्प्रेषण कौशल तथा मूलभूत शैक्षणिक कौशल आदि का अर्जन कर ले तो उन्हें सामान्य विद्यालयों की शिक्षा में ले जाना चाहिए।

3. लक्ष्य (Target) - यद्यपि शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की दृष्टि से सभी अक्षम बालकों को दूसरे बालको की तरह की गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुविधायें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। परन्तु आठवें पंचवर्षीय योजना में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुये अक्षम बालकों की शिक्षा हेतु निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये जाने चाहिये।

(1) उन बालको हेतु जो सामान्य प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

(क) 9 वी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सार्वभौमिक पंजीकरण

(ख) पाठ्यक्रम समायोजन एवं अनुकूलन तथा विशिष्ट आवश्यकताओं सम्बन्धी शिक्षा के माध्यम से अधिगम के न्यूनतम स्तर की उपलब्धि।

(2) उन बालकों हेतु जिन्हें सामान्य विद्यालयों की विशिष्ट कक्षाओं या अलग विशेष विद्यालयों में पढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

(क) 9 वी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक सार्वभौमिक पंजीकरण

(ख) उनके अपनी क्षमता के मुताबिक अधिगम स्तर की उपलब्धि सुनिश्चित करना।

(3) अन्य बालकों की तरह ही इन बालकों की विद्यालय छोड़ने की दर में कमी लाना।

(4) संसाधनों के उचित उपयोग एवं सहयोग से अक्षम बालकों को माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुलभ कराना तथा इन बालकों (विशेषकर बौद्धिक/मानसिक रूप से अक्षम) के व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु विशेष उपाय करना।

(5) कक्षाकक्ष सम्बन्धी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में पूर्व सेवा तथा सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों (जिनमें पूर्व-विद्यालय स्तर के अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल हैं) में आवश्यक सुधार लाना।

(6) अक्षमता युक्त व्यक्तियों की शैक्षिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों में सुधार लाना।

4. क्रियान्वयन व्यूह रचनायें (Implementation Strategies) -

- सबके लिये प्राथमिक शिक्षा (Universal Elementary Education, UUE)में काम आ रही रणनीतियाँ तथा जनसंख्या आधारित सूक्ष्म योजना तकनीके इस अक्षम समूह के लिये उतनी ही सार्थक हैं। सबके

लिये प्राथमिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा हेतु सभी स्तरों (केन्द्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक तथा प्रोजेक्ट) पर किया गया नियोजन इन वर्ग के बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है।

- शैक्षिक नियोजनकर्ताओं तथा प्रशासकों और पूर्व सेवा तथा सेवाकालीन शिक्षकों के प्रशिक्षण में अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में शामिल रहेगी। डायट शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान तथा आई ए एस ई जो इस कार्य को अंजाम दे रहे है उन्हें इस बात की ओर कुछ अधिक ध्यान देना होगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों को सशक्त बनाने की योजना में, जैसा कि आई ई डी सी का विचार है, विकलांगों की शिक्षा हेतु विशेष कोष्ठ स्थापित किये जाने चाहिये।

- ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत प्रदान की जाने वाली सामग्री में इन बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिये। विद्यालयों की इमारत में निर्माण के समय वे सभी आवश्यक उपाय किये जाने चाहिये जो अक्षम बालकों को समायोजन हेतु चाहिये ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के तोड़-फोड़ या सुधार की जरूरत न रहे। उन जिलों में विशेष विद्यालय खोले जाने चाहिये जहां पर अभी ऐसी कोई ऐसी सुविधा नहीं है। बाह्य सहायता प्राप्त सभी शिक्षा प्रोजेक्टो, जो चल रहे हैं अथवा चलाये जाने है, में विकलांगों की शिक्षा एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में शामिल रहनी चाहिये।

5. अक्षम बालकों हेतु समावेशी शिक्षा (Integrated Education for Disabled children - IEDC) - अक्षम बालकों की सामान्य विद्यालयों में पंजीकरण सम्बन्धी संख्या 8वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक 50,000 तक पहुच सकती है। 10,000 ऐसे बालको का जो अल्प बाध्य (mild disabled) हैं। अतिरिक्त रूप से शिक्षण सुविधायें जुटाने का भी प्रयास इस दौरान किया जायेगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्न प्रकार के कदम उठाने की आवश्यकता है:

(1) पर्याप्त मात्रा में संसाधनों का प्रदान किया जाना।

(2) बाह्य सहायता प्राप्त बेसिक शिक्षा प्रोजेक्टों में विकलांग बच्चों की शिक्षा को एक महत्वपूर्ण अंग बनाना।

(3) केन्द्रीय पोषित योजनाओं- ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, शिक्षा का व्यावसायिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में अक्षम बालकों की शिक्षा हेतु उचित प्रावधान करना।

(4) विभिन्न योजनाओं जैसे समुदाय आधारित पुनर्वास, ई सी सी ई बी आर सी, और आई ई डी सी, के क्रियान्वयन में उचित तालमेल रखना ताकि खर्चे पर नियन्त्रण रखते हुये लाभ पहुचाने का दायरा बढ़ाया जा सके। इसके लिये विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों जैसे स्वास्थ्य, समाज कल्याण, शिक्षा महिला एवं बाल विकास तथा श्रम आदि में आपसी समन्वयन तथा तालमेल की जरूरत पड़ेगी।

(5) गैर सरकारी संगठनों को अक्षम बालकों के लिये समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु (विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में) प्रोत्साहित करना होगा। जो स्वयं सेवी संगठनों अन्य शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न है उन्हें अक्षम बालकों की शिक्षा में भी कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा तथा उनकी इस क्षेत्र में प्रवीणता को भी बढ़ाने के प्रयत्न किये जायेंगे।

6. विशेष विद्यालय (Special schools) - शिक्षा नीति 1986 में जिला स्तर पर विशेष विद्यालयों की स्थापना की बात कही गई थी। परन्तु संसाधनों की कमी के कारण जिला मुख्यालयों में नये विशेष विद्यालय स्थापित करने में मुश्किलें आ रही हैं। समाज कल्याण मंत्रालय ने अब ऐसे 240 जिलों की पहचान की है जिनमें किसी भी प्रकार की विशेष विद्यालय सम्बन्धी सुविधा नहीं है। 9वी पंचवर्षीय

Scanned with CamScanner

योजना की समाप्ति तक इन जिलों में भी विशेष विद्यालयों की स्थापना की जायेगी।

7. व्यावसायिक प्रशिक्षण (Vocational Training) -

- श्रम मंत्रालय द्वारा क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, एप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग स्कीम तथा अलग से चल रहे व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों द्वारा विकलांगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ऐसे विद्यार्थियों को जो विकलांग होते हुये भी इनमें आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अभिरूचि तथा सामर्थ्य रखते हैं, 3 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को इस आरक्षण व्यवस्था को अच्छी तरह लागू करने के निर्देश दिये गये है जो 8 वीं योजना की समाप्ति तक चलते रहेंगे। 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र आठवीं पंचवर्षीय के दौरान अनेक विकलांगों को प्रशिक्षण देने का काम करते रहेंगे। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत अनुदेशनकर्ता विकलांगों प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। यह बात इन अनुदेशनकर्ताओं (instructions) के प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल की जायेगी। विकलांगों को उनके उचित समायोजन में सहायता पहुँचाने हेतु उनके द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले सहायक उपकरणों को अच्छी तरह फिट करने और देखभाल सम्बन्धी व्यवस्था को भी प्रभावी बनाया जायेगा।

- समाज कल्याण मंत्रालय (वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय) के तहत कार्य करने वाले सभी राष्ट्रीय विकलांग संस्थानों द्वारा विकलांगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयत्न यह निरंतर करते रहेंगे।

- मानव संसाधन मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा भी विकलांगों को व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण देने वाले स्वयं सेवी संगठनों को प्रोत्साहित करने का काम किया जायेगा। व्यावसायिक शिक्षा केन्द्रीय संस्थान द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री तथा अन्य संसाधनों द्वारा विकलांगों हेतु चलाये जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उचित सहायता की जायेगी।

8. शिक्षकों को जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान करना (Orientation and training of teachers) -

- इसी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक स्थापित सभी जिला एवं प्रशिक्षण संस्थानों में विकलांग बालकों की शिक्षा हेतु एक संसाधन केन्द्र तथा प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था रहेगी। उनके द्वारा विकलांग बालकों को समन्वित शिक्षा कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अध्यापकों के लिए जानकारी तथा प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य भी किया जायेगा। उनके इस प्रशिक्षण कार्यक्रम (सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक) में उन्हें एन सी ई आर टी का भी सहयोग प्राप्त होगा इसी प्रकार का क्रियान्वयन 250 सी टी ई तथा 50 आई ए एस ई द्वारा भी सम्पन्न होगा।

- विद्यालयों में कार्यरत सभी अध्यापकों को ओरियेन्टेशन कार्यक्रमों द्वारा विकलांग बालकों को शिक्षा प्रदान करने सम्बन्धी बातों से जागरूक कराया जायेगा। आई ई डी सी स्कीम के तहत जिस क्षेत्र में इस स्कीम का क्रियान्वयन हो रहा है उस क्षेत्र के विद्यालयों के सभी अध्यापकों को इस प्रकार की जानकारी और प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। साथ ही प्राचार्यों तथा शैक्षिक प्रशासकों को भी इस सेवा प्रशिक्षण से गुजरना होगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को भी इस सेवा- प्रशिक्षण से गुजरना होगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों की संख्या को ध्यान में रखते हुये इन्दिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी तथा एन सी ई आर टी को इस प्रकार के क्रेडिट कोर्सों का नियोजन करने को कहा गया है जो सामान्य शिक्षकों को विकलांग बालकों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हों।

इसके अतिरिक्त एन सी ई आर टी द्वारा आई ई डी सी के स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करने का उत्तरदायित्व निभाना होगा। संसाधन अध्यापकों को बहु- श्रेणियों प्रशिक्षण प्रदान करने के कार्य को यू जी सी द्वारा समर्पित कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ावा दिया जायेगा।

9. शैक्षिक प्रशासकों का प्रशिक्षण (Training of Educational Administrations) - शैक्षिक प्रशासकों को विकलांग बालकों की आवश्यकताओं से परिचित कराने तथा आवश्यक प्रशिक्षण देने का कार्य एन सी ई आर टी तथा नेपा (वर्तमान में न्यूपा) दोनों के आपसी सहयोग से किया जायेगा। इग्नू द्वारा इस कार्य हेतु दूरवर्ती शिक्षा में विशेष प्रकार के कोर्सों का नियोजन किया जायेगा।

10. विशिष्ट अध्यापक (Special Teachers) - राष्ट्रीय विकलांग संस्थानों तथा उनके क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों ने जिस विकलांगता (जैसे श्रवण, दृष्टि, बौद्धिक, शारीरिक आदि) से उनका सम्बन्ध है उस विकलांगता से सम्बन्धित विशिष्ट अध्यापकों के प्रशिक्षण का सामर्थ्य विकसित किया है। नये विशिष्ट विद्यालयों के स्टाफ को प्रशिक्षित करने के साथ-साथ इस समय जो अध्यापक बिना प्रशिक्षण प्राप्त किये हुये ही विशिष्ट विद्यालयों में कार्य कर रहे है उनके प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य को भी 8 वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक पूरा करने के प्रयत्न किये जायेंगे। इसके साथ ही विशिष्ट अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण सुविधाएँ भी इस प्रकार नियोजित की जायेगी कि चार वर्ष बाद हर अध्यापक को तीन सप्ताह का कोर्स करने की सुविधा हो।

11. शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशक (Educational and Vocational Guidance Personnel) - वर्तमान शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्शदाताओं को अक्षम बालकों तथा उनके माता-पिता को आवश्यक निर्देशन एवं परामर्श देने हेतु उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिये। इस प्रकार के सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उचित नियोजन एवं आयोजन में एन सी ई आर टी तथा सभी राष्ट्रीय विकलांग संस्थानों द्वारा उचित भूमिका निभाई जानी चाहिये।

12. विषय वस्तु एवं प्रक्रिया (Content and Process) - विकलांग बालकों की शिक्षा हेतु उनके पाठ्यक्रम में लचीलापन होना काफी जरूरी है। दूसरी ओर इन बालकों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति तभी संभव है जब बालकेन्द्रित शिक्षा उपागम काम में लाया जाये। पाठ्यक्रम के समायोजन तथा शिक्षण विधियों और सामग्री को आवश्यक रूप से अनुकूलित करने हेतु इसलिये सभी आवश्यक कदम उठाना काफी जरूरी है। इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही निम्न प्रकार होगी।

(1) बालकेन्द्रित शिक्षा (कक्षा कक्ष की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति सहित) सम्बन्धी एन सी ई आर टी निर्मित दिशा निर्देश 1993 के मध्य तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

(2) दृष्टि एवं श्रवण विकलांगों हेतु प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम तथा अनुदेशन सामग्री सम्बन्धी अनुकूलन के लिये दिशा निर्देश तैयार हो चुके है। इन्हें शिक्षकों को उपलब्ध करा दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय स्तर का कार्य जल्दी ही प्रारम्भ कर 1994 के अन्त तक समाप्त कर लिया जायेगा।

(3) अल्प बाधित बालकों को न्यूनतम स्तर तक अधिगम उपलब्धि कराने की बात जहां जैसी जरूरत होगी वैसे ही अतिरिक्त सहायता, संसाधन तथा वैकल्पिक अधिगम सामग्री से सुनिश्चित की जायेगी।

(4) परीक्षा परिषदों (Board of Examinations) द्वारा विकलांग बालकों की परीक्षा लेने सम्बन्धी कार्य में परिस्थिति अनुसार उचित अनुकूलन/ समायोजन व्यवस्था अपनाई जायेगी।

(5) बधिर बालकों (deaf children) हेतु एक से अधिक भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य नहीं होगा।

Scanned with CamScanner

(6) विकलांग बालकों की पढ़ाई ... ये इनके ... का अध्ययन हैन्डीकैप्ड पेपर शुरू होते हैं। परन्तु इस दिशा में राष्ट्रीय विकलांग संस्थानों तथा एन सी ई आर टी को ऐसे विशेष प्रयास करने चाहिये कि इस प्रकार की उचित कार्यवाही की जाये कि बालकों को भी ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के अध्ययन के उचित अवसर प्राप्त हो सके।

(7) कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने तथा बहु श्रेणीय शिक्षण की उपस्थिति के परिप्रेक्ष्य में विकलांग बालकों को उनकी शिक्षा में उचित सहयोग देना अध्यापकों को काफी कठिन होता है। उनकी विकलांगताओं के विभिन्न प्रकारों को देखते हुये व्यक्तिगत रूप से विकलांग बालकों को उनकी शिक्षा में मदद करने हेतु एन सी ई आर टी द्वारा शिक्षण पैकेज तैयार करने चाहिये जिनकी उपलब्धि प्रत्येक अध्यापक तक हो जानी चाहिये।

(8) राष्ट्रीय विकलांग संस्थानों तथा एन सी ई आर टी द्वारा विशेष अधिगम सहायक सामग्री तथा उपकरण जैसे ब्रेल पुस्तकें, ब्रेल किट, दृश्य- श्रव्य सहायक सामग्री का विकास किया जायेगा तथा विद्यालयों को इनकी उपलब्धि कराई जायेगी।

13. जनमाध्य का उपयोग (Use of Mass Media) -

- रेडियो तथा टेलीविजन ऐसे दो ही अपने काफी सीमित रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा हेतु उपयोग में लाए जा रहे हैं। केन्द्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान राज्य शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थानों, राष्ट्रीय विकलांग संस्थानों तथा अन्य संगठनों को इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम विकसित करने चाहिये जिन्हें नियमित रूप से रेडियो/दूरदर्शन पर प्रसारित किया जा सके। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इन कार्यक्रमों के प्रसारण को उचित समय प्रदान करने हेतु सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सहायता लेनी चाहिये।

- केन्द्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान, राज्य शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा राष्ट्रीय विकलांग संस्थानों द्वारा ऐसे सॉफ्टवेयर भी विकसित करने चाहिये जो मल्टीमीडिया तथा कम्प्यूटर उपकरणों में प्रयुक्त हो सके तथा जिनको रेडियो/टेलीविजन पर प्रसारित होने की जरूरत न पड़े। इन सॉफ्टवेयरों को डाइट तथा अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों तथा विकलांग व्यक्तियों के लिये काम करने वाली स्वयं सेवी संस्थानों को भी उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

- जागरूकता हेतु राज्यों को अपने जन सम्पर्क विभागों की सेवायें लेनी चाहिये। समाचार पत्र तथा मैगजीनों में लिखे जाने वाले लेख भी विकलांगों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण करने तथा उन्हें शिक्षा हेतु उचित रूप से प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। क्या कुछ किया जा रहा है तथा विकलांगों को इन कार्यक्रमों से कैसे लाभ उठाना चाहिये ऐसी बातों से सम्बन्धित जागरूकता तथा विकलांगों की शिक्षा में सहायक पैकेज (जिन्हें एन सी ई आर टी तथा राष्ट्रीय विकलांग संस्थानों द्वारा विकसित किया जा सकता है।) मीडिया को प्रदान किये जाने चाहिये ताकि उनके द्वारा मुद्रण तथा प्रसारण का कार्य किया जा सके।

14. विशिष्ट अधिगम सामग्री और सहायक साधनों की उपलब्धता (Availability of special material and aids) - अभी तक सभी बालकों को ब्रेल लिपि में लिखी अधिगम सामग्री उपलब्ध नहीं है। यही हाल अन्य उपकरणों जैसे ब्रेल, स्लेट, टेलर फ्रेम, इत्यादि की उपलब्धता को लेकर है। स्पीच तथा श्रवण विकलांगों हेतु भाषा प्रशिक्षण सामग्री की क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्धि नहीं है। राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय ... संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं

प्रशिक्षण परिषद द्वारा इस प्रकार की सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के प्रयत्न किये जाने चाहिये।

15. निगरानी एवं मूल्यांकन (Monitoring and Evaluation) - विकलांग व्यक्तियों के शैक्षिक कार्यक्रमों की उचित निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु विश्वसनीय सूचना भंडार की प्राप्ति काफी आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को अन्य संस्थानों के सहयोग से अपने जिले से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की सूचनायें एकत्रित करने का प्रयास करना चाहिये जैसे विकलांगता, लिंग तथा आयु वर्ग के हिसाब से जिले में विकलांग व्यक्तियों की संख्या, आई ई डी सी, विशिष्ट विद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, वी आर सी आदि से लाभ अर्जित करने वालों की संख्या और पहचान, विशिष्ट और संसाधन अध्यापकों की संख्या, उनकी शिक्षा तथा वेतन मान और बजट का उपयोग आदि। मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा एन सी ई आर टी द्वारा किये सर्वेक्षण के माध्यम से भी इस प्रकार की सूचनायें एकत्रित करने का कार्य किया जा सकता है।

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा समाज कल्याण मंत्रालय को विकलांग बालकों की समावेशी शिक्षा तथा विशिष्ट विद्यालय कार्यक्रमों के अन्तर्गत इस प्रकार की बजट राशि का भी प्रावधान रखना चाहिये जिससे वे उपयुक्त सूचनाओं का संग्रह कर नियमित रूप से भेजते रहें। राज्य तथा केन्द्रीय स्तर पर बालकों/व्यक्तियों की शिक्षा हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रमों के उचित निगरानी हेतु अन्तः विभागीय समितियाँ बनाई जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एन सी ई आर टी, रीजनल कॉलेज ऑफ एजूकेशन तथा फील्ड आफीसर्स के द्वारा नियमित रूप से निरीक्षणकार्य भी सम्पन्न होना चाहिये ताकि फील्ड में जो कुछ हो रहा है। उसका सही चित्र सामने आता रहे।

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा समाज कल्याण मंत्रालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन अध्ययन भी विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में कराये जाने चाहिये और इनमें बाह्य एजेन्सियों, विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा और पुनर्वास से सम्बन्धित विशेष अध्ययन कोर्स नियोजित करने वाले विश्वविद्यालयों आदि को प्रोत्साहित करने के प्रयास किये जाने चाहिये।

विकलांक बच्चो के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा 1992 मे प्रस्तुत सुझाव

(Suggestions of National Education Policy, 1986 and 1992 for Disabled Child)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विकलांगों की शिक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया। नीति का यह मानना है कि विकलांगों को शिक्षा प्रदान करने का यह उद्देश्य होता है कि वे समाज के साथ संकलित होकर रह सकें उनकी उन्नति भी आम लोगों की तरह ही हो, वे पूरे विश्वास और हिम्मत से जीवन यापन करें। नीति में निम्नलिखित उपाय करने का सुझाव दिया :-

1) विकलांगता अगर चलने फिरने की या मामूली सी हो, तो ऐसे बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ हो।

2) गम्भीर रूप से विकलांग बच्चों के लिए छात्रावास वाले स्कूलों की आवश्यकता है जहाँ सम्भव हो इस प्रकार के विद्यालय जिला मुख्यालयों में बनाये जाये।

3) **विकलांग बच्चों की शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग** - विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए अनेक उपकरण उपलब्ध है। जर्मनी में तैयार किया गया ब्रेलेक्स यंत्र जिसके द्वारा सम्पूर्ण विश्वकोश को कैसेट में रिकॉर्ड किया जा सकता है, बातचीत को मुद्रित करने वाला यंत्र टेक्सफोन यंत्र जिसके

Scanned with CamScanner

... द्वारा नेत्रहीनों को पढ़ने की सुविधा हो सकती है। नेत्रहीनों के लिए चलने-फिरने की सुविधा ... सहायक उपकरण मौजूद है।

4) शोध कार्य - शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं को ज्ञात करने के लिए दीर्घकालीन ... अनुसंधान किये जाने चाहिए और इनकी समस्याओं के समाधान के लिए तकनीकी उपकरणों का उत्पादन किया जाना चाहिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा उच्च शिक्षा क्षेत्र के अन्य प्रौद्योगिकी संस्थानों को ऐसे अनुसंधान कार्यों को सम्पन्न करने की विशेष जिम्मेदारी दी जानी चाहिए।

5) व्यावसायिक पाठ्यक्रम - विकलांग बच्चों के लिए व्यावसायिक स्कूल कम है ऐसे बच्चों को फैक्ट्रियों, कारखानों, फर्मों तथा उद्योगों में काम दिया जाना चाहिए क्योंकि ये खुला रोजगार करने की स्थिति में नहीं होते है।

इस प्रकार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आत्मनिर्भर व सक्षम बनाने के लिए शिक्षा नीति में ... इस प्रकार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए **विकलांग कल्याण विभाग** द्वारा बनाये गये है। इन बालकों के शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संचालित कुछ योजनाएँ इस प्रकार है।

विशिष्ट बालकों के लिए विकलांग कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाऐं :-

1. **छात्रवृत्ति योजना** - जिन विकलांग अभिभावकों की मासिक आय 2000 रू0 से कम है और वे अध्ययनरत है उन्हें कक्षा 1-5 तक 25 रू0 प्रतिमाह, कक्षा 6 से 8 तक 40 रू0 प्रतिमाह, 9-12 तक 85 रू0 प्रतिमाह व स्नातक कक्षाओं में 125 रू0 प्रतिमाह, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को 170 रू0 प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान कर लगभग 20,200 छात्रों का प्रतिवर्ष लाभ प्रदान किया जा रहा है।
2. **पेंशन योजना** - ऐसे निराश्रित विकलांग व्यक्ति जिसकी मासिक आय 225 से कम है, उन्हें 1... रू0 प्रतिमाह की दर से भरण पोषण अनुदान दिया जाता है।
3. **कृत्रिम अंग/सहायता उपकरण** - विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के उनकी आवश्यकतानुसार 300 रू0 की सीमा तक के कृत्रिम सहायता उपकरण प्रदान किये जा रहे है।
4. **विकलांग से विवाह करने का पुरस्कार** - इस योजना के अन्तर्गत विवाहित जोड़े में से पति या पत्नी विकलांग है तो 11000 रू0 एवं पति-पत्नी दोनो विकलांग है तो 14000 रू0 की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।
5. **दुकान निर्माण योजना** - इस योजना में उद्यमी विकलांग को प्रोत्साहित करने के लिए 20000 रू0 की धनराशि प्रदान की जाती है व 15000 रू0 तक का ऋण प्रदान किया जाता है।
6. **राज्य स्तरीय पुरस्कार** - प्रतिवर्ष राज्यपाल के हाथों विकलांग दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किये जाते है।

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी व नौकरी आदि में भी विकलांगों को विशेष रियायत प्रदान की जाती है।

निश्क्तजन अधिनियम 1995

(Persons with Disablities Act 1995)

निश्क्तजन अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रावधान प्रस्तुत किये गये -

अध्याय 1

इस अधिनियम के प्रथम अध्याय में 7 प्रकार की विकलांगताओं को रखा गया है :

1) दृष्टि बाधित
2) अल्प दृष्टि
3) कुष्ठ रोग उपचारित
4) श्रवण दोष
5) चलन विकलांगता
6) मानसिक रूग्णता
7) मानसिक मन्दता

इस अधिनियम के अन्तर्गत उनको विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत से कम हो।

अध्याय-2. केन्द्रीय समन्वय समिति

इस अध्याय में अधिनियम के प्रावधानानुसार केन्द्र सरकार के समाज कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय समन्वय समिति गठित किये जाने की व्यवस्था है।

अध्याय-3. राज्य समन्वय समिति

केन्द्रीय समन्वय समिति के अनुरूप प्रत्येक राज्य में एक राज्य समन्वय समिति गठित किये जाने का प्रावधान है। राज्य समन्वय समिति के द्वारा लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु कार्यकारिणी समिति गठित किये जाने की व्यवस्था है।

अध्याय-4. विकलांगता की रोकथाम व पहचान

इस अध्याय में सरकारी और स्थानीय प्राधिकरणों को अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं में विकलांगता की रोकथाम व समय से पहचान कर निराकरण से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार की व्यवस्था की गई है।

अध्याय-5. शिक्षा

इस अधिनियम की धारा 26 से 31 तक यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि प्रत्येक विकलांग बच्चे को 18 वर्ष उम्र तक नि:शुल्क व समुचित शिक्षा मिले। इसी प्रकार 16 वर्ष और उससे ऊपर की आयु वाले विकलांग बच्चे के लिए कार्यात्मक साक्षरता हेतु विशेष अंशकालिक कक्षाओं की व्यवस्था की जाय। विकलांग बच्चों को अवरोध मुक्त समुचित शिक्षा प्रदान करने के लिए पुस्तकें व उपकरणों की व्यवस्था का प्रावधान है।

अध्याय-6. रोजगार

इस अध्याय में विकलांग बच्चों की पहचान व चिन्हीकरण तथा रोजगार के अवसरों में आरक्षण, विकलांग बच्चों के लिए सीटों का आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में 3 प्रतिशत विकलांगों के आरक्षण की व्यवस्था प्रावधानिक है। साथ ही यह भी व्यवस्था की गई है कि विभिन्न सरकारें अपनी आर्थिक क्षमता के अनुरूप सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के ऐसे नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देंगी जिनकी कुछ कार्य

Scanned with CamScanner

शक्ति में 5 प्रतिशत अथवा अधिक विकलांग व्यक्ति हों।

अध्याय-7. सकारात्मक कार्यवाही

इसके अन्तर्गत यह प्रावधान है कि सरकार विकलांग व्यक्तियों को सहायता उपकरण उपल... करायेंगे। साथ ही विकलांग व्यक्तियों को भवन निर्माण, व्यवसाय आदि के लिए प्राथमिकता ... आधार पर भूमि का आवंटन किया जायेगा।

अध्याय-8. भेदभावरहित वातावरण

विकलांग व्यक्तियों को अवरोध रहित वातावरण प्रदान करने के दृष्टिकोण से अधिनियम में विकला... व्यक्तियों के लिए यातायात के साधनों, सड़कों, भवन व राजकीय रोजगार सहित वातावरण प्रदान कर... की व्यवस्था है। इस अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि विकलांग व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार... भेदभाव न किया जाय तथा उनकी सुविधा के लिए विशेष ध्यान दिया जाय।

अध्याय-9. शोध एवं मानव शक्ति विकास

विकलांगता की रोकथाम के लिए विकलांगों के पुनर्वास के लिए सहायक उपकरण के सम्बन्ध... अनुकूल संरचनात्मक विशेषताओं के विकास के लिए अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है।

अध्याय-10. विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थाओं की मान्यता

इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि विकलांगों के लिए प्रतिष्ठान या संस्था चलाने वाले व्यक्तियों को संस्था के पंजीकरण की कार्यवाही करनी होगी। राज्य सरकार को निर्देश है कि वे इस हेतु एक सक्षम अधिकारी नियुक्त करें।

अध्याय-11. गम्भीर रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थान

इस अधिनियम में गम्भीर रूप से विकलांग या जिनकी क्षमता 80 प्रतिशत या उससे अधिक विकला... हो उनके लिए सरकार विभिन्न संस्थानों की स्थापना करे और उन्हें सम्पोषित करें।

अध्याय-12. विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त

इस अधिनियम में कहा गया है कि विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए केन्द्र स्तर व राज्य स्तर पर मुख्य आयुक्त व आयुक्त की नियुक्ति करनी होगी। जो विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं। शिकायतों को सुनेगी और उनकी समीक्षा कर उनके अधिकारों की रक्षा करेगी।

अध्याय-13. सामाजिक सुरक्षा

इस अधिनियम में व्याख्या की गई है कि सरकार अपनी आर्थिक सीमाओं के आधार पर सभी विकलां... के पुनर्वास का भार उठायेगी और जहाँ संभव हो वहाँ सरकार ऐसे विकलांग बेरोजगारों को बे... रोजगार भत्ता देगी जो रोजगार कार्यालय में दो साल से अधिक पंजीकृत हैं, जिन्हें कोई लाभ... रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है।

अध्याय-14. विविध

अधिनियम के अन्तिम अध्याय में प्रावधानिक व्यवस्था के दुरुपयोग करने पर दो वर्ष की सजा और

20000 रु० तक आर्थिक जुर्माना या दोनों दिये जाने का प्रावधान है।

इस प्रकार विकलांगों की सहायता व उन्हें सामाजिक रूप से मजबूत व सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएँ बनाई गयी है, जिससे देश के कई विकलांग लाभान्वित हो रहे है।

समावेशी शिक्षा के लिए दशाऐं

सभी बालकों की शिक्षा में समानता लाने के लिए अन्य बालकों की अपेक्षा वंचित बालकों को शिक्षित करने में ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। परन्तु आर्थिक साधनों की कमी के कारण वंचित बालकों की शिक्षा के लक्ष्यों को निम्नलिखित दशाओं में प्राप्त किया जा सकता है :

1. ऐसे बालक जो सामान्य प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं में शिक्षित किये जा सकते है :

अ) सभी बालकों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश

ब) पाठ्यक्रम को शिक्षा के साथ समायोजित करते हुए शिक्षा के कम से कम स्तर को सुनिश्चित करना एवं आवश्यकताओं के अनुसार बालकों को शिक्षण देना

2. सामान्य विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षण लेने वाले बालकों का शिक्षा स्तर बालकों की शक्ति के अनुरूप तय करना
3. अन्य बालकों के साथ शिक्षण करते हुए विद्यालय छोड़कर जाने वाले बच्चों की संख्या में कमी करना
4. माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षा संस्थानों में बाधित बालकों को शिक्षा देना।
5. वंचित व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा की आवश्यकताओं की प्राप्तियों के लिए विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम तथा नौजवानों के लिए पुर्न अभिविन्यास कार्यक्रम बनाना।
6. विकलांग बालकों के लिए केन्द्र, राज्य व तहसील, जिला स्तर पर सुविधाएँ दी जानी चाहिए।
7. पर्याप्त संसाधन शिक्षण के क्षेत्र में उपलब्ध कराना।
8. गैर सरकारी संस्थाओं को वंचित व्यक्तियों की शिक्षा हेतु विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जाय। इस प्रकार की संस्थाएं जो कार्यरत है उनके विकास के लिए प्रयास करना।

भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992
(Rehabilitation Council of India Act, 1992)

भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम 1992 एक ऐसा अधिनियम या वैधानिक दस्तावेज है जिसे भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया है। इसका उद्देश्य पुनर्वास व्यवसायियों के प्रशिक्षण का नियमन करने तथा एक केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर को बनाये रखने में सहायक भारतीय पुनर्वास परिषद् के गठन और उसके उचित रूप में कार्य करते रहने सम्बन्धी कानूनी प्रावधानों से है।

दस्तावेज के रूप में इस अधिनियम को भारत के राजपत्र असाधारण में विधि, न्याय एवं कम्पनी मामलों से जुड़े मंत्रालय द्वारा प्रकाशित कराया गया है। इसमें मुख्य रूप से तीन अध्याय है - प्रारम्भिक, भारतीय पुनर्वास परिषद् तथा परिषद् के कार्य। वर्तमान संस्करण में 2000 में किये गये संशोधनों का भी उल्लेख है। अध्याय तीन में परिषद् के कार्यों की चर्चा की गई है जिसे आगे संक्षिप्त सार रूप में प्रस्तुत किया गया है :

Scanned with CamScanner

अध्याय-3 (परिषद् के कार्य)

(Functions of the Council)

1. भारत के किसी विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थान से प्राप्त शैक्षिक योग्यताऐं जो परिषद् की नियमावली के अन्तर्गत आती है, ऐसी योग्यताओं से युक्त व्यक्तियों को पुनर्वास व्यवसायियों के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
2. परिषद् की नियमावली में शामिल हो व्यक्ति विशेष को एक प्रोफेशनल के रूप में पंजीकृत कर परिषद् द्वारा रखे गये रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करा सकेंगी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो परिषद् की नियमावली के अनुसार निर्धारित योग्यता नहीं रखता और जिसका नाम परिषद् के द्वारा रखे गये रजिस्टर में दर्ज नहीं है उसे इस अधिनियम के तहत यह अनुमति नहीं है कि वह

क) किसी सरकारी या स्थानीय या अन्य प्राधिकरण द्वारा चलाये जा रहे संस्थान में पुनर्वास प्रोफेशनल का उत्तरदायित्व निभाये।

ख) पुनर्वास प्रोफेशनल के रूप में भारत में कहीं भी प्रेक्टिस करें।

ग) किसी भी कानूनी आवश्यकता को पूरा करने वाले ऐसे सर्टीफिकेट पर हस्ताक्षर करें जिसमें पुनर्वास प्रोफेशनल के हस्ताक्षरों की जरूरत हो।

घ) भारतीय गवाही अधिनियम, 1872 की धारा 45 के अन्तर्गत विकलांगों से सम्बन्धित किसी मामले में भारत के किसी न्यायालय में विशेषज्ञ के रूप में अपनी गवाही दे।

3. भारत में कोई विश्वविद्यालय या संस्थान जो पुनर्वास व्यवसायियों से सम्बन्धी व्यक्तियों को निर्धारित योग्यता का सर्टीफिकेट देता है उसे परिषद् को समय-समय पर यह सूचना देनी होगी कि ऐसी योग्यता का सर्टीफिकेट पाने के लिये किस प्रकार के अध्ययन कोर्स तथा परीक्षा प्रणाली से गुजरना होगा, किस आयु में इस प्रकार की पढ़ाई तथा परीक्षा पास की जा रही है और इस योग्यता सम्बन्धी सर्टीफिकेट की उपलब्धि किस प्रकार की बातें पूरी करने पर परीक्षार्थी को हो सकेगी इत्यादि।
4. परिषद् किसी विश्वविद्यालय या संस्थान जहाँ पुनर्वास प्रोफेशनलों के रूप में प्रेक्टिस करने हेतु शिक्षा दी जा रही है उनके निरीक्षण हेतु उतने निरीक्षकों की नियुक्ति करेगी जितनी कि स्थिति विशेष में आवश्यक हो। ऐसी नियुक्तियाँ विश्वविद्यालय या संस्थानों द्वारा ली जाने वाली परीक्षा कार्य के निरीक्षण हेतु भी की जायेंगी। इस निरीक्षण के आधार पर परिषद् उस डिग्री या सर्टीफिकेट धारकों को पुनर्वास प्रोफेशनल विशेष के लिये निर्धारित योग्यता मानने सम्बन्धी सिफारिश केन्द्रीय सरकार को करेगी।
5. उपरोक्त कार्य हेतु निरीक्षकों की नियुक्ति तथा उनके द्वारा प्रदत्त निरीक्षण रिपोर्ट को उपयोग में लाने के अतिरिक्त परिषद् द्वारा परिदर्शकों की भी नियुक्ति कर उनकी रिपोर्ट भी इस कार्य हेतु काम में लाई जायेगी। निरीक्षणों की रिपोर्ट की एक कापी परिषद् निरीक्षण किये गये संस्थान या विश्वविद्यालय को भेजेगी परन्तु परिदर्शकों की रिपोर्ट गोपनीय होगी उसे सम्बन्धित संस्थान/विश्वविद्यालय से नहीं भेजा जायेगा परन्तु केन्द्रीय सरकार के मांगने पर यह उसे प्रस्तुत की जायेगी।
6. निरीक्षकों या परिदर्शकों की रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में अगर परिषद् यह अनुभव करती है कि (1) विश्वविद्यालय या संस्थान में चल रहे अध्ययन कोर्स तथा ली जाने वाली परीक्षा या किसी परीक्षा में विद्यार्थियों से अपेक्षित प्रवीणता, या (2) स्टाफ, उपकरण, स्थान, प्रशिक्षण तथा अन्य अनुदेशन एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी वहाँ उपलब्ध सुविधायें परिषद् के द्वारा निर्धारित मानदण्डों पर खरी नहीं उतरती तो परिषद् इस पर अपनी संस्तुति केन्द्रित सरकार को भेजेगी। केन्द्रीय सरकार इसके आधार पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/संस्थान से एक निश्चित अवधि के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने को कहेगी। स्पष्टीकरण आने या समयावधि समाप्त होने के उपरान्त केन्द्रीय सरकार अगर जरूरत समझती है तो आगे इस की जांच पड़ताल करायेगी या फिर उस पर उचित कार्यवाही कर विश्वविद्यालय/संस्थान तथा परिषद् को सूचित करेगी।

7. परिषद् भारतीय विश्वविद्यालयों या संस्थानों द्वारा या डिग्री कोर्स कराया जा रहा है उसके लिये न्यूनतम शिक्षा स्तर निर्धारित करेगी।
8. परिषद् के सदस्य सचिव द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा किये गये निवेदन (निर्धारित फार्मेट में) की प्राप्ति पर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा बशर्ते कि इस बात की सन्तुष्टि हो जाये कि वह व्यक्ति परिषद् द्वारा निर्धारित पुनर्वास योग्यता रखता है।
9. कोई भी व्यक्ति जिसका नाम परिषद् के पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज है वह देश के किसी भी भाग में पुनर्वास प्रोफेशनल के रूप में प्रैक्टिस कर सकता है।
10. परिषद् द्वारा पुनर्वास प्रोफेशनल (जो विकलांगों के पुनर्वास हेतु अपनी सेवायें प्रदान करते हैं) हेतु उनके चाल-चलन, तौर-तरीके तथा आचार-विचार सम्बन्धी आचार संहिता निर्धारित की जा सकती है। इस आचार-संहिता में जिस प्रकार के नियम बनाये जायेंगे उनका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर परिषद् द्वारा उचित कार्यवाई की जा सकती है और उनका नाम रजिस्टर से हटाया जा सकता है।
11. किसी व्यक्ति के नाम को किन्हीं कारणवश रजिस्टर से हटा देने पर वह व्यक्ति (उस अवस्था को छोड़कर जब उसका नाम इसलिये हटाया गया है कि वह पुनर्वास सम्बन्धी सेवायें देने सम्बन्धी आवश्यक योग्यतायें नहीं रखता) निर्धारित तरीके से केन्द्रीय सरकार को इस फैसले के विरूद्ध 30 दिन की समयावधि में अपील दायर कर सकता है और इस अवस्था में केन्द्रीय सरकार द्वारा लिया गया फैसला अन्तिम होगा।
12. सदस्य सचिव का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह इस रजिस्टर की इस अधिनियम के प्रावधानों के तथा समय-समय पर परिषद् द्वारा जारी आदेशों के तहत अच्छी तरह देखभाल करे और उसमें होने वाले परिवर्तनों को सरकारी गजट में प्रकाशित कराता रहे। इस रजिस्टर में की गई प्रविष्टियाँ भारतीय गवाही अधिनियम 1872 के तहत सार्वजनिक दस्तावेज के रूप में मान्य होंगी।
13. इस अधिनियम के तहत दी जाने वाली सजा के सन्दर्भ में किसी भी अदालत को सुनवाई की इजाजत नहीं है (केवल उन मामलों को छोड़कर जब परिषद् द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही लिखित में कोई शिकायत दर्ज कराई हो)
14. इस अधिनियम के तहत की गई या जाने वाली कर्तव्य निर्वाह सम्बन्धी किसी भी कार्यवाही के सन्दर्भ में केन्द्र सरकार, परिषद्, सभापति, सदस्यों, सदस्य-सचिव या परिषद् के किसी अफसर/कर्मचारी पर न्यायालयों में कोई भी मामला दर्ज नहीं कराया जा सकेगा।
15. सभापति, सदस्यगण, सदस्य-सचिव, अधिकारीगण तथा परिषद् के अन्य कर्मचारी इस अधिनियम के तहत अपने-अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुये भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत

Scanned with CamScanner

[illegible] सेवाकर्ता माने जायेंगे।

16 केन्द्र सरकार, नोटीफिकेशन जारी कर इस अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ति हेतु कभी भी कोई नियम बना सकती है।

17 परिषद् केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति लेकर इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, नोटीफिकेशन जारी कर कोई भी नियम निम्नलिखित बातों को लेकर निर्धारित कर सकती है।

- परिषद् की सम्पत्ति का प्रबन्धन
- परिषद् के हिसाब-किताब का ब्यौरा रखना और उसका 'ऑडिट'
- परिषद् के [illegible] का [illegible] त्याग पत्र इस्तीफा
- [illegible] की शक्तियाँ और कर्तव्य
- इस अधिनियम की धारा 7 उपधारा (3) के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों हेतु बनाये गये [illegible]
- धारा 7 के अन्तर्गत गठित कार्यकारी समिति तथा अन्य समितियों की कार्यप्रणाली।
- धारा 8 की उपधारा (1) के तहत सदस्य-सचिव के द्वारा उपभोग की जाने वाली शक्तियाँ तथा कर्तव्य
- [illegible] तथा [illegible] की [illegible], नियुक्ति, शक्तियाँ तथा कर्तव्यों और उनके द्वारा निर्धारित हेतु [illegible]।
- [illegible] पुनर्वास [illegible] प्रदान करने हेतु किसी विश्वविद्यालय/संस्थान के पाठ्यक्रम, शिक्षा व प्रशिक्षण [illegible], परीक्षा के विषय तथा इस परीक्षा में अर्जित प्रवीणता स्तर के बारे में [illegible] नोटीफिकेशन
- पुनर्वास प्रोफेशनल्स के [illegible] व प्रशिक्षण के सम्बन्ध में आवश्यक स्टाफ, उपकरण, स्थान, प्रशिक्षण तथा अन्य सुविधाओं के बारे में निर्देश [illegible]।
- परीक्षाओं का आयोजन, परीक्षकों की [illegible] तथा इन परीक्षाओं में बैठने की शर्तें।
- पुनर्वास प्रोफेशनल्स के व्यवसायिक [illegible] तौर तरीके का स्तर एवं आचार संहिता [illegible] अनुपालन।
- इस अधिनियम के तहत अपना पंजीकरण कराने हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र में उल्लेखित विवरण तथा योग्यताओं के सम्बन्ध प्रमाण।
- किसी व्यक्ति का नाम रजिस्टर से हटाये जाने पर उसके द्वारा कब और कैसे अपनी अपील की जा[illegible]
- इस अधिनियम के तहत अपना नाम रजिस्टर कराने हेतु प्रार्थना पत्र भेजने तथा रजिस्टर से नाम हटाने के विरुद्ध अपील दायर करने की फीस के सम्बन्ध में
- परिषद् का कोई भी अन्य निर्धारित या निर्धारित किया जाने वाला विषय।

भारतीय पुनर्वास परिषद्

भारतीय पुनर्वास परिषद् की [illegible] पंजीकृत समिति के रूप में 1986 में हुई थी। लेकिन यह पाया गया कि समिति द्वारा [illegible] के निर्धारित [illegible] को अन्य संस्थाओं द्वारा पालन नहीं किया [illegible] भारतीय पुनर्वास परिषद् कानून 1992 पारित कर दिया। अब भारतीय पुनर्वास परिषद् को 22 जून 1993 को [illegible] दर्जा दिया गया।

भारतीय पुनर्वास परिषद् कानून में 2000 में संशोधन किया गया। कानून ने परिषद् को बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंप दिया। अब कोई भी संस्थान बगैर भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा निर्धारित योग्यताओं के विकलांग व्यक्तियों को सुविधायें प्रदान नहीं कर सकता है। यदि कोई संस्थान बगैर भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा निर्धारित योग्यता के विकलांग व्यक्तियों को सुविधायें प्रदान करता है तो उस पर मुकद्दमा चलाया जायेगा। अतः परिषद् को पुनर्वास एवं विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तियों एवं पेशेवरों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित दोहरे उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं एक तो मानकीकरण एवं दूसरा विनियमन।

भारतीय पुनर्वास परिषद के दायित्व

भारतीय पुनर्वास परिषद संसद के कानून के आधार पर एक संवैधानिक संस्था है एवं इसका पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण के कार्यक्रम/कोर्सों का विभिन्न स्तरों पर विकास करना, मानकीकरण करना एवं विनियमन करना है। यह पुनर्वास व विशेष शिक्षा क्षेत्र में योग्य व्यक्तियों/व्यवसायिकों के पंजीकरण लिए केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर तैयार करती है।

भारतीय पुनर्वास परिषद् के कार्य

1. विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र से सम्बन्धित प्रशिक्षण नीतियों एवं कार्यक्रमों का विनियमन करना।
2. विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्धित व्यवसायिकों के लिए प्रशिक्षण कोर्स के लिए मानकीकरण करना।
3. विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्धित व्यवसायिकों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना।
4. प्रशिक्षण में निर्धारित मानकों को सुनिश्चित करना।
5. विभिन्न संस्थानों/संगठनों/विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना।
6. विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थानों के प्रमाणपत्र को मान्यता प्रदान करना।
7. विकलांगों से सम्बन्धित सभी व्यवसायिकों/व्यक्तियों का पंजीकृत करने के लिए केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर रखना। जो व्यवसायिक निम्नलिखित हो सकते हैं

- Audiologist and Speech Therapists
- Clinical Psychologists.
- Hearing Aid and Ear Mould Technicians
- Rehabilitation Engineers and Technicians
- Special Teachers for Education and Training the handicapped
- Vocational Counsellors, Employment Officers and Placement Officers dealing with handicapped
- Multipurpose Rehabilitation Therapists, Technicians
- Speech Pathologists
- Rehabilitation Psychologists
- Rehabilitation Social Workers
- Rehabilitation Practitioners in Mental Retardation
- Orientation and Mobility Specialists
- Community Based Rehabilitation Professionals
- Rehabilitation Counsellors/Administrators
- Prosthetists and Orthotists
- Rehabilitation Workshop Managers

Scanned with CamScanner

- Any other

8. पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में स्थित सभी विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्धित संस्थानों से शिक्षा एवं प्रशिक्षण की निरन्तर सूचना एकत्रित करते रहना।
9. विकलांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न संस्थानों का सहयोग करके पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार करना।
10. व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्रों को मानव संसाधन विकास केन्द्र के रूप में मान्यता देना।
11. व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्रों में कार्य कर रहे विभिन्न निर्देशक एवं अन्य व्यक्तियों का पंजीकरण करना।
12. केन्द्रीय एवं उच्च संस्थानों को विकलांग व्यक्तियों के लिए मानव संसाधन विकास केन्द्रों के रूप में मान्यता देना।
13. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय की तरफ से केन्द्रीय संस्थानों एवं अन्य उच्च संस्थानों में कार्य कर रहे व्यक्तियों का पंजीकरण करना।
14. पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुसन्धानों को प्रोत्साहन करना।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009

(Right to Education (RTE) Act 2009)

वास्तव में, शिक्षा जो एक संवैधानिक अधिकार था उसे अब एक मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त है। भारत के संविधान की शुरूआत में, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 41 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के तहत मान्यता दी गई थी जिसके अनुसार, "राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, शिक्षा और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले में सार्वजनिक सहायता करने के लिए काम करते हैं।"

शिक्षा का अधिकार से तात्पर्य शिक्षा को एक अधिकार के रूप में प्रदान करना है। सरकार ने भारत में शिक्षा को अधिक प्रभावी रूप देने के लिए अलग-अलग कदम उठाए और इसी क्रम में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए तथा शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए 2002 में संविधान के (86 वे संशोधन) अधिनियम भाग III में एक नई धारा 21ए जोड़ी गई। इस धारा के अधीन निम्न प्रावधान बनाए गए-

1. प्राथमिक शिक्षा अब सभी का मूलभूत अधिकार है।
2. 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी।
3. यह एक कानून है। इसे एक संकल्प के रूप में अवश्य ही लागू करना होगा।
4. भारत में प्रत्येक राज्य की अलग संरचना व वातावरण होने के कारण राज्य अपने अनुरूप इसे लागू कर सकते है।

शिक्षा के अधिकार को उचित रूप प्रदान करने के लिए सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का प्रारम्भ भी किया। विद्यार्थियों को विद्यालयों में निःशुल्क भोजन के साथ-साथ निःशुल्क पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाती है। इससे गरीब परिवारों के बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त करने में समस्याएँ नहीं होती। शिक्षा का अधिकार प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण कार्यक्रम का एक भाग है।

उद्देश्य

1. प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना तथा इसका सार्वभौमीकरण करना।

2. गरीब बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देकर शिक्षित करना।
3. देश में शिक्षा के स्तर को सुधारना।
4. शिक्षा के प्रति रूचि को बढ़ावा देना।
5. बालिकाओं की शिक्षा पर भी ध्यान देना।
6. देश में 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा देना।

इस संविधान के तहत वैचारिक उपयुक्त कानून के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे है। बाल श्रम कानून, मध्याहृन भोजन व्यवस्था तथा छात्रवृत्ति जैसे प्रयास के अधिकार में सहयोगी साबित हो रहे है।

विशेषताऐं

1. भारत के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बीच आने वाले सभी बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा।
2. प्राथमिक शिक्षा खत्म होने से पहले किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा, निकाला नहीं जाएगा या बोर्ड परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं होगी।
3. ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 6 साल से ऊपर है, जो किसी स्कूल में दाखिल नहीं है अथवा है भी, जो अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाया/पायी है, तब उसे उसकी उम्र के लायक उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा बशर्ते कि सीधे तौर से दाखिला लेने वाले बच्चों के समक्ष आने के लिए उसे प्रस्तावित समय सीमा के भीतर विशेष ट्रेनिंग दी जानी होगी, जो प्रस्तावित हो। प्राथमिक शिक्षा हेतु दाखिला लेने वाला/वाली बच्चा/बच्ची को 14 साल की उम्र के बाद भी प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी।
4. प्रवेश के लिए उम्र का साक्ष्य : प्राथमिक शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र का निर्धारण उसके जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यु तथा विवाह पंजीकरण कानून, 1856 या ऐसे ही अन्य कागजात के आधार पर किया जाऐगा जो उसे जारी किया गया हो। उम्र का प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में किसी भी बच्चे को दाखिला लेने से वंचित नहीं किया जा सकता।
5. प्राथमिक शिक्षा पूरा करने वाले छात्र को एक प्रमाण पत्र दिया जाऐगा।
6. एक निश्चित शिक्षक-छात्र अनुपात की सिफारिश।
7. आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों के लिए सभी निजी स्कूलों के कक्षा 1 में दाखिला लेने के लिए 25 फीसदी का आरक्षण।
8. शिक्षा की गुणवत्ता में अनिवार्य सुधार।
9. स्कूल शिक्षक को पांच वर्षों के भीतर समुचित व्यावसायिक डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।
10. वित्तीय बोझ राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के बीच साझा किया जाएगा।

राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग ने सभी प्रमुख सचिवों को अपने पत्र में सरकारी आदेशों द्वारा सभी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू करने की मांग की। पत्र में निम्नलिखित मांग रखी गई :

1. प्रवेश प्रक्रियाएँ शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुरूप हों।
2. सभी 'विशेषवर्गों' के स्कूलों तथा बिना सहायता वाले निजी स्कूलों में आरक्षण के नियमों का पालन किया जाए।

Scanned with CamScanner

साथ ही, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को इस अधिनियम के प्रावधानों तथा प्रक्रियाओं के बारे में रूप-रेखा तैयार कर नोटिस जारी करनी चाहिए ताकि आस-पास के बच्चे स्कूल में दाखिला ले सकें। साथ ही, शिक्षा के अधिकार 'अधिनियम पर राज्य के नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जानी चाहिए।

नवोदय विद्यालय के बारे में पूछे जाने पर, जिन्हें इस अधिनियम में 'विशेषवर्ग' का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग ने उल्लेख किया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के भाग-4 के प्रावधान सभी स्कूलों पर लागू होंगे और इसके लिए कोई अपवाद नहीं होगा।

अधिनियम के भाग-13 का प्रासंगिक प्रावधान "प्रवेश लेने के दौरान कोई व्यक्ति या स्कूल किसी प्रकार का शुल्क या किसी बच्चे अथवा उसके माता-पिता या अभिभावक से किसी प्रकार की जांच नहीं ले सकता।

कोई स्कूल या व्यक्ति सब-सैक्शन (I) का उल्लंघन करते हुए।

1. कोई प्रवेश शुल्क प्राप्त करता है, तो उस उल्लंघन के लिए उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, जो मांगे जाने वाले शुल्क का 10 गुना होगा।
2. जो स्कूल बच्चे की जांच लेता है तो उस पर 25000 रूपये प्रथम उल्लंघन के लिए तथा 50000 रूपये द्वितीय उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया जाएगा।

क्या खासियत है?

1. इस कानून की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब सरकार के लिए उन बच्चों को शिक्षित करना जरूरी हो जाएगा जो 6-14 के आयु वर्ग में आते हैं।
2. यह कानून स्कूलों में शिक्षक और छात्रों के अनुपात को सुधारने की बात करता है। मसलन अभी कई स्कूलों में सौ-सौ बच्चों पर एक भी शिक्षक नहीं। लेकिन इस कानून में प्रावधान है कि एक शिक्षक पर 40 से अधिक छात्र नहीं होंगे। हालांकि यह कोठारी आयोग की अनुशंसा 1:30 से कम है।
3. इस कानून के अनुसार राज्य सरकारों को बच्चों की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए लाइब्रेरी, क्लासरूम, खेल का मैदान और अन्य जरूरी चीजें उपलब्ध करानी होंगी।
4. 15 लाख नए शिक्षकों की भर्ती, जिसे एक अक्टूबर तक ट्रैन्ड करना जरूरी है।
5. स्कूल में प्रवेश के लिए मैनेजमैन्ट बर्थ सर्टिफिकेट फिर ट्रान्सफर सर्टिफिकेट आधार पर प्रवेश से मना नहीं कर सकता।
6. सत्र के दौरान कभी भी प्रवेश।
7. निजी स्कूल में 25 फीसदी सीट गरीब बच्चों के लिए।

क्या खामियाँ है?

1. इस कानून की सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें 0-6 आयुवर्ग और 14-18 के आयुवर्ग के बीच के बच्चों की बात नहीं कई गई है। जबकि संविधान के अनुच्छेद 45 में साफ शब्दों में कहा गया है कि संविधान के लागू होने के दस साल के अन्दर सरकार 0-14 वर्ग के आयुवर्ग के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देगी। हालांकि यह आज तक नहीं हो पाया।

2. अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौते के अनुसार 18 साल तक की उम्र तक के बच्चों को बच्चा माना गया है। जिसे 142 देशों ने स्वीकार किया है। भारत भी उनमें से एक है। ऐसे में 14-18 आयुवर्ग के बच्चों को शिक्षा की बात इस कानून में नहीं कई गई है।
3. इस कानून को केंद्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक बताया जा रहा है। जबकि संविधान में पहले से ही यह प्रावधान है और 2002 में हुए 86वें संशोधन में भी शिक्षा के अधिकार की बात कही गई थी। लेकिन सरकार अब जाकर यह कानून ला रही है। इन आठ सालों में बच्चों की पूरी एक पीढ़ी इस अधिकार से बाहर हो गई।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम

शिक्षा किसी भी व्यक्ति एवं समाज के समग्र विकास तथा सशक्तीकरण के लिए आधारभूत मानव मौलिक अधिकार है। यूनेस्को की शिक्षा के लिए वैश्विक मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2010 के मुताबिक, लगभग 135 देशों ने अपने संविधान में शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है तथा मुफ्त एवं भेदभाव रहित शिक्षा सबको देने का प्रावधान किया है। भारत ने 1950 में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा देने के लिए संविधान में प्रतिबद्धता का प्रावधान किया था। इसे अनुच्छेद 45 के तहत राज्यों के तहत राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में शामिल किया गया है। 12 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां संशोधन किया गया और इसके अनुच्छेद 21ए को संशोधित करके शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है।

बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत छह से लेकर चौदह वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को पूर्णतः मुफ्त एवं अनिवार्य कर दिया गया है। अब यह केंद्र तथा राज्यों के लिए कानूनी बाध्यता है कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा सभी को सुलभ हो सके।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है -

1. छह से चौदह वर्ष तक के हर बच्चे के लिए नजदीकी विद्यालय में मुफ्त आधारभूत शिक्षा अनिवार्य है।
2. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बच्चों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और न ही उन्हें शुल्क अथवा किसी खर्च की वजह से आधारभूत शिक्षा लेने से रोका जा सकेगा।
3. यदि छह से अधिक उम्र का कोई बच्चा किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं जा पाता है तो उसे शिक्षा के लिए उसकी उम्र के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिलवाया जाएगा।
4. इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए सम्बन्धित सरकार तथा स्थानीय प्रशासन को यदि आवश्यक हुआ तो विद्यालय भी खोलना होगा। अधिनियम के तहत यदि किसी क्षेत्र में विद्यालय नहीं है तो वहां पर तीन वर्षों की तय अवधि में विद्यालय का निर्माण करवाया जाना आवश्यक है।
5. इस अधिनियम के प्रावधानों को अमल में लाने की जिम्मेदारी केन्द्र एवं राज्य सरकार, दोनों की है, तथा इसके लिए होने वाला धन खर्च भी इनकी समवर्ती जिम्मेदारी रहेगी।

निष्कर्ष (Conclusion)

यह अधिनियम माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए एक

Scanned with CamScanner

विशेष अध्यापक ... बच्चों ... से वंचित बच्चों को मिलेगा। इस अधिनियम के कार्यान्वयन अथवा किन कारणों की वजह से शिक्षा से वंचित बच्चों को मिलेगा। इसलिए यह उम्मीद भी है कि इससे विद्यालय छोड़ने वाले तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों की अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से दी जा सकेगी।

भारत सरकार द्वारा **शिक्षा का अधिकार अधिनियम** बनाने का कदम ऐतिहासिक कहा जा सकता है तथा इससे यह भी तय हो गया है कि हमारा देश सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य (एमजीडी) तथा सभी के लिए शिक्षा (ईएफए) के नजदीक पहुंच रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006

(National Education Policy 2006)

असमर्थी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 10 फरवरी 2006 को एक व्यापक नीति लागू की गई जिसका मुख्य उद्देश्य संविधान में निहित- सभी व्यक्तियों को समानता, स्वतन्त्रता, न्याय तथा प्रतिष्ठा का अधिकार प्रदान करना था। तथा एक ऐसे समावेशी समाज का निर्माण करना था जिसमें असमर्थ बच्चों एवं व्यक्तियों का स्थान सुरक्षित हो। आधुनिक समय में समावेशी शिक्षा की धारणा से असमर्थ बालक भी सामान्य विद्यालय में शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं जबकि पहले ऐसा नहीं था। आज सामाजिक परिवर्तन होने के कारण समाज इन असमर्थी बालकों की शिक्षा के लिए तैयार है और ऐसा माना जा रहा है कि यदि असमर्थी बालकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किये जायें तथा उन पर विशेष ध्यान दिया जाय व उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाय तो ये बच्चे समायोजन करने में सफल होंगे, उन्हें केवल वांछित सहायक सामग्री, उपकरण, सकारात्मक दृष्टिकोण एवं व्यावसायिक साधनों की आवश्यकता होती है। 2006 से पूर्व भी इन बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास किये गये जिन प्रयासों में कुछ सफलता मिली इन प्रयासों से विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने पर बल मिला।

2001 की जनगणना में कुछ आँकड़े स्पष्ट करते हैं कि भारत में 2.19 करोड़ असमर्थी व्यक्ति हैं, अभी 2011 के आँकड़े आने बाकी हैं। इन असमर्थी व्यक्तियों में अलग-अलग प्रकार के कुछ दृष्टि, कुछ शारीरिक, कुछ श्रवण, कुछ वाणी व भाषा, कुछ अन्य बाधा से असमर्थ हैं। कुल असमर्थ व्यक्तियों का 75 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। कुल असमर्थी व्यक्तियों का 49 प्रतिशत शिक्षित व 34 प्रतिशत रोजगार में हैं। लेकिन अभी भी कई व्यक्ति ऐसे हैं जो शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इससे पूर्व इनके लिए व्यावसायिक पुनर्वास पर बल दिया जाता था जिससे वे अपने रोजगार को पा सकें व आत्मनिर्भर बन सकें लेकिन आज आवश्यकता यह हो गई है कि इन्हें व्यावसायिक पुनर्वास विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से दिया गया लेकिन अब सामाजिक रूप से स्वस्थ बनाने में व सामाजिक पुनर्वास के लिए समावेशी शिक्षा का प्रत्यय जोड़ा गया है। अर्थात् इन बच्चों को पृथक एवं विशिष्ट विद्यालयों में न ले जाकर सामान्य विद्यालयों में शिक्षित किया जाय जिससे इन बच्चों में सामाजिकता स्वयं ही आयेगी।

विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए कुछ कानून एवं नीति

असमर्थी बालकों की सुरक्षा, स्वतन्त्रता व अधिकारों से सम्बन्धित कुछ कानून एवं नीति बनाई गई हैं।

जो इस प्रकार ...

1. **Rehabilitation Council of India, Act 1992 :** 1992 के इस एक्ट का सम्बन्ध मानव संसाधनों का विकास करने तथा विकलांग बालकों के पुनर्वास के सम्बन्ध में सुविधा प्रदान करने से सम्बन्धित है।
2. **Persons with Disabilities, Act 1995 :** यह एक्ट विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा तथा नौकरी का अधिकार प्रदान करता है तथा इसमें बाधा रहित वातावरण तथा सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान भी है।
3. **National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disability Act, 1999 :** इस एक्ट के द्वारा विकलांग बालकों के अभिभावक बनने की कानूनी प्रक्रिया निश्चित की गई है। तथा इसके लिए स्वतन्त्र तथा बाधा रहित वातावरण का निर्माण करने का प्रावधान है जिससे असमर्थी व्यक्ति स्वच्छन्द रूप से जीवन यापन कर सकें।
4. **Right of Person with Disabilities Act (2016) :** यह अधिनियम संसद द्वारा दिसम्बर 2016 में पारित किया गया। इस अधिनियम में संयुक्त राष्ट्र के विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन (2006) के प्रावधानों का समावेश किया गया है।

उपरोक्त कानून के साथ-साथ अब सरकार ने कई ऐसी संस्थाएं स्थापित की हैं जो इन विकलांग व्यक्तियों की सुरक्षा, शिक्षा, व्यवसाय, पुनर्वास के लिए कार्य कर रही हैं। ये संस्थाएं केन्द्रीय, राज्य, जिला तथा क्षेत्र स्तर पर कार्यरत हैं इसके साथ-साथ लगभग 450 प्राइवेट संस्थाएं इनकी शिक्षा, व्यवसाय के लिए कार्य कर रही हैं वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व ग्राम पंचायतें, ब्लाक स्तर पर इन बच्चों की शिक्षा व व्यावसायिक पुनर्वास के लिए कार्यरत हैं। इन सबके साथ-साथ वित्तीय विकास निगम (NHFDC) का विशेष योगदान है जो विकलांग व्यक्तियों को कम ब्याज पर धन उपलब्ध कराता है जिससे ये व्यक्ति स्वरोजगार कर सकें।

विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006

(National Policy for Person with Disabilities, 2006)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति अधिनियम 2006 को अध्ययन की सुविधा के लिए निम्न प्रकार वर्गीकृत कर लेते हैं, ताकि इसे समझने में आसानी हो (अगले पेज पर देखें) -

Scanned with CamScanner

राष्ट्रीय अधिनियम 2006

राष्ट्रीय नीति तथा मौलिक पक्ष
- हस्तक्षेप से बचाव तथा पुनर्वास माध्यम
- विकलांग स्त्रियाँ
- अवरोध रहित वातावरण
- विकलांग प्रमाणपत्र देना
- सामाजिक सुरक्षा
- गैर सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन देना
- माता-पिता के सामाजिक आर्थिक स्तर सम्बन्धी सूचनाएँ
- अनुसंधान
- खेलकूद व सांस्कृतिक जीवन
- वर्तमान अधिनियमों में परिवर्तन

हस्तक्षेप के प्रमुख तत्व
- बचाव, शीघ्र पहचान व हस्तक्षेप
- पुनर्वास सम्बन्धी कार्यक्रम
- मानव संसाधन विकास
- विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा
- रोजगार
- अवरोध रहित वातावरण
- सामाजिक सुरक्षा
- अनुसंधान
- खेल क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक क्रियाएँ
- कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायित्व

विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2006 में जो सुझाव प्रस्तुत किये है, उपरोक्त चित्र उसका सारांश है। इस नीति में उपरोक्त बिन्दुओं के लिए सुझाव व कार्यक्रम निर्धारित किये गये है, जिनकी विवेचना इस प्रकार है :-

1. **विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति तथा मौलिक पक्ष (National Policy for Persons with Disabilities and its Basic Tenets)** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 में यह माना गया है कि विकलांग व्यक्ति भी समाज का एक अभिन्न अंग है, उन्हें भी समाज में रहने तथा समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए तथा शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए इसलिए राष्ट्र उनके जीवनयापन करने तथा समान अधिकार प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।

इस शिक्षा नीति के मौलिक पक्ष इस प्रकार है :-

i) असमर्थता से बचाव एवं पुनर्वास :- इस नीति पर बल दिया गया है कि सामान्य जनता को जागरूक बनाया जाय विशेष रूप से स्त्रियों को इस बात की जानकारी दी जाय कि माँ बनने की प्रक्रिया में किन बातों का ध्यान रखा जाय जिससे कि विकलांग व बाधित बच्चे पैदा न हों, पुनर्वास के सम्बन्ध में नीति में तीन प्रकार से विभक्त किया गया है।

पुनर्वास

दैहिक पुनर्वास – Physical Rehabilitation
- शीघ्र पहचान
- परामर्श एवं चिकित्सा
- सहयोगी साधन

शैक्षिक पुनर्वास – Educational Rehabilitation
- उपस्थिति व सातत्य
- छात्रवृत्ति
- तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा
- विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुँच

आर्थिक पुनर्वास – Economic Rehabilitation
- नौकरी
- प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी की व्यवस्था
- स्व व्यवसाय

पुनर्वास के सम्बन्ध में शिक्षा नीति 2006 में निम्न बातें स्पष्ट है जो उपरोक्त तालिका में स्पष्ट है।

a) शीघ्र पहचान :- शीघ्र पहचान के लिए सरकार द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाये जायेंगे ताकि ग्रामीण जनता तक भी ये सूचनाएँ पहुँच सके।

b) परामर्श व चिकित्सा :- इस नीति में सुझाव दिया गया है कि विकलांग बालकों की पहचान कर उनके उपचार के लिए परामर्श व चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी इसके लिए दैहिक चिकित्सा, मनोचिकित्सा, शल्य चिकित्सा तथा हस्तक्षेप की अन्य प्रविधियों का प्रयोग किया जायेगा। इस कार्य के लिए राज्य तथा अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग लिया जायेगा। विकलांग व्यक्तियों का 75 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की सहायता से जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र (District Disability Rehabilitation Center) की स्थापना की जायेगी तथा ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जायेगा, इनके स्वास्थ्य की देख-रेख का काम ASHA (Accredit Social Health Activities) के द्वारा सम्पन्न किया जायेगा।

c) सहयोगी साधन :- राष्ट्रीय नीति 2006 में दैहिक पुनर्वास के अन्तर्गत सहयोगी साधन की व्यवस्था करने पर ध्यान दिया जायेगा। विकलांग बालकों के लिए पहिए वाली कुर्सी, साइकिल, बैसाखी, इन बच्चों के पढ़ने-लिखने में सहायक उपकरण ब्रेल पुस्तकें, टेप रिकॉर्डर, अन्य उपकरणों की व्यवस्था की जायेगी। विकलांग बच्चों के लिए सहयोगी साधनों की उपलब्धता के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकार तथा अन्य गैर सरकारी संस्थाएँ सहायता करेंगी।

ii) शैक्षिक पुनर्वास :-

विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए संविधान की धारा 21 सभी को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करती है तथा विकलांगजन अधिनियम का भाग 26 सभी विकलांग बालकों को 18 वर्ष तक आयु तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करता है।

सर्व शिक्षा अभियान का भी मुख्य उद्देश्य सभी 6-14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क

Scanned with CamScanner

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है इस अभियान में विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए वैकल्पिक शिक्षा, सहायक सामग्री की व्यवस्था, समुदाय आधारित पुनर्वास, पाठ्य सामग्री की व्यवस्था, यूनीफार्म आदि की व्यवस्था करना सरकार का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। शैक्षिक पुनर्वास के अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जायेगा।

a) उपस्थिति व सफलता :- असमर्थी बालकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार उन बच्चों का पता लगायेगी जो असमर्थी है व विद्यालय नहीं जा रहे हैं। इसके लिए सर्वेक्षण किया जायेगा और उसके आधार पर इन बच्चों को विद्यालय में नामांकित किया जायेगा। ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए सहायक उपकरण, पुस्तकें आदि की व्यवस्था की जायेगी।

b) छात्रवृति :- इस नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि विकलांग बालकों को उनकी शिक्षा के लिए छात्रवृति प्रदान की जा रही है। लेकिन उसमें भविष्य में विस्तार किया जायेगा। जिससे सभी असमर्थी बालक अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

c) तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा :- यह सुझाव दिया गया है कि विकलांग बालकों की शैक्षिक व मानसिक असमता के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा। व्यावसायिक शिक्षा केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जायेंगे इसके लिए विभिन्न गैर सरकारी संगठनों का सहयोग भी लिया जायेगा।

d) विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं तक पहुँच :- विकलांग बालक जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखते है उनके लिए उच्च शिक्षा, तकनीकी संस्थान व विश्वविद्यालयों में विशेष सुविधाएं प्रदान की जायेगी।

iii) विकलांग व्यक्तियों का आर्थिक पुनर्वास :-

आर्थिक पुनर्वास से अर्थ है कि विकलांग व असक्षम व्यक्तियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना व उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, इसके लिए दो प्रकार से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। प्रथम नौकरी तथा द्वितीय स्व रोजगार। इस नीति ने सुझाव दिया कि निम्न नीतियों के आधार पर असमर्थ व्यक्तियों का आर्थिक पुनर्वास किया जायेगा।

a) सरकारी नौकरियाँ (Employment in Govt. Establishments, Act 1995) :- के अनुसार सरकारी नौकरियों में विकलांग व्यक्तियों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। केन्द्र तथा राज्य के सरकारी कार्यालयों, संस्थाओं में नौकरियों के A, B, C तथा D समूहों में आरक्षण 3.07 प्रतिशत, 4.41 प्रतिशत, 3.76 प्रतिशत व 3.18 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा।

b) गैर सरकारी क्षेत्र में नौकरी की व्यवस्था :- गैर सरकारी क्षेत्र में भी विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देने वाली संस्थाओं को भी प्रोत्साहित किया जायेगा। इस क्षेत्र में नौकरियों सम्बन्धी विकलांग व्यक्तियों को टैक्स में छूट तथा पारितोषिक जैसे प्रलोभन दिये जाऐंगे। जिससे वे अपनी व्यावसायिक कुशलता का विकास कर सकेंगे।

c) स्व रोजगार :- व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण के द्वारा विकलांग व्यक्तियों को स्व रोजगार के लिए प्रेरित किया जायेगा। असमर्थी व्यक्तियों को आसान शर्तों पर NHFDC की ओर से ऋण प्रदान किया जायेगा और यह ऋण कम ब्याज दरों टैक्स में छूट की जायेगी तथा स्वयं सहायता समूह योजना के अन्तर्गत विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

2. असमर्थी स्त्रियाँ (Women with Disabilities) :- भारत में बालकों के साथ-साथ अधिकांश स्त्रियाँ भी असमर्थता से बाधित है। 2001 की जनगणना के अनुसार 93.01 प्रतिशत स्त्रियाँ असमर्थी स्त्रियाँ है। जोकि सम्पूर्ण विकलांग जनसंख्या का 42.46 प्रतिशत है, विकलांग स्त्रियों को व्यावसायिक पुनर्वास, शोषण से रक्षा, उत्पीडन से सुरक्षा की आवश्यकता है। इन्हें रोजगार की विशेष आवश्यकता है। राष्ट्रीय नीति में इनके लिए रोजगार व आवास स्थान बनाने का प्रावधान रखा है। इस नीति में असमर्थी स्त्रियों के लिए निम्न बातें रखी गई

a) विकलांग स्त्रियों के लिए आवास सुविधा व रोजगार कर्मी स्त्रियों के लिए हॉस्टल बनाने का प्रावधान रखा है।

b) विकलांग स्त्रियों के बच्चों की देखरेख के लिए अतिरिक्त भत्ता देने का प्रावधान है यह सहायता केवल दो बच्चों वाली स्त्रियों को ही प्रदान की जायेगी।

3. विकलांग बालक (Children with Disability) :- भारत में विकलांग व्यक्तियों का अधिकांश समूह बालकों का है जिनके लिए विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस नीति में विकलांग बालकों के लिए निम्न सुझाव दिये गये हैं :-

i) देखभाल एवं प्रतिष्ठा से विकास का अधिकार।

ii) समानता एवं प्रतिष्ठा से विकास का अधिकार।

iii) शिक्षा, स्वास्थ्य व व्यावसायिक प्रशिक्षण में समानता के अवसर।

iv) विकास का अधिकार तथा विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान।

इस प्रकार नीति में इस बात पर जोर दिया गया कि विकलांग बालकों को देखभाल, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य व व्यावसायिक प्रशिक्षण में समानता की आवश्यकता है।

4. अवरोध रहित वातावरण (Barrier free Environment) :- राष्ट्रीय नीति में इस बात पर ध्यान दिया गया कि विकलांग बालकों एवं व्यक्तियों के लिए अवरोध रहित वातावरण का निर्माण किया जायेगा। ताकि विकलांग व्यक्ति स्वतन्त्र होकर अपना कार्य स्वयं कर सकें। इसके लिए शिक्षा संस्थानों में आने जाने के लिए सुविधा, सहायक उपकरणों की उपलब्धता आदि की व्यवस्था की जायेगी।

5. असमर्थता प्रमाण पत्र प्रदान करना (Issuing Disability Certificate) :- सरकार इस बात के लिए दृढ़ है कि विकलांग व्यक्तियों को विकलांगता का प्रमाण पत्र दिया जाय। इस प्रक्रिया के लिए सरल, पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाया जायेगा। इस सर्टिफिकेट से इन्हें रोजगार के अवसरों में लाभ उठाने में सहायता मिलेगी।

6. सामाजिक सुरक्षा (Social Security) :- सरकार विकलांग व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। इसके लिए सरकार ने निम्न उपाय अपनाये हैं :-

क) राज्य सरकार इन विकलांग व्यक्तियों को विकलांग भत्ता या असमर्थता पैन्शन प्रदान करती है।

ख) केन्द्र सरकार विकलांग बालकों के अभिभावकों को टैक्स पर छूट देती है।

ग) कानूनी अभिभावक बनने का प्रावधान इसमें रखा गया है ये कानूनी अभिभावक बच्चे के माता-पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी देखभाल करते हैं।

Scanned with CamScanner

घ) सहायक अभिभावक योजना के अन्तर्गत शारीरिक, मानसिक तथा बहु विकलांग बालकों की देख... के लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

इस प्रकार इस नीति में विकलांग बालकों की सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है ... वे बच्चे व व्यक्ति समाज में आसानी से सुरक्षित जीवन यापन कर सकें।

7. गैर सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन (Promotion of Non Govt. Organisation) विकलांग एवं विकलांग बालकों व व्यक्तियों को रोजगार देने वाली गैर सरकारी संस्थाओं ... प्रोत्साहन दिया जायेगा। जैसा कि अभी तक कई गैर सरकारी संगठन इनके लिए कार्य कर ... इन संस्थाओं के साथ सम्पर्क बढ़ाया जायेगा व उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा। इस सम्बन्ध ... में निम्न बातों पर ध्यान दिया गया :-

क) पिछड़े क्षेत्रों में कार्य करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा ... संस्थाओं को व्यवहार तथा नैतिकता के नियमित नियम विकसित करने के लिए प्रेरित किया ...

ख) गैर सरकारी संस्थाओं की एक डायरेक्टरी बनाई जायेगी जिसमें इन संस्थाओं का विवरण ... तथा इसके अतिरिक्त इसमें विकलांग व्यक्तियों के संगठन माता-पिता की समितियाँ आदि ... संस्थाऐं छोटी-बड़ी इस क्षेत्र में कार्यरत हैं उनका नाम इस डायरेक्टरी में होगा। जिससे ... व इनका पता आसानी से लगाया जा सके।

ग) गैर सरकारी संगठनों को मानव संसाधनों के विषय में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किये ... इन संगठनों द्वारा पहले से दिये जा रहे प्रबन्धन प्रशिक्षण को और मजबूत बनाया ...

घ) गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान के लिए सरकार पर कम निर्भर होने तथा स्वयं अपने ... का अधिक विकास करने पर बल दिया जायेगा।

8. माता-पिता के सामाजिक आर्थिक स्तर सम्बन्धी सूचना :- राष्ट्रीय नीति में कहा गया ... विकलांग बालकों के माता-पिता के आर्थिक सामाजिक स्तर सम्बन्धी सूचनाऐं एकत्र की ... तथा इन सूचनाओं का विश्लेषण किया जायेगा। 1981 से राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ... वर्ष में इनकी सूचनाऐं एकत्र कर रहा है। अब यह संगठन प्रति पाँच वर्ष में सूचनाओं का ... व विश्लेषण करेगा। इनके सामाजिक आर्थिक स्तर का पता लगाने के लिए वेबसाइट का ... किया जायेगा तथा गैर सरकारी, सरकारी, कार्यालयों को उनकी सूचना देने के लिए प्रोत्साहित ... जायेगा। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए स्क्रीन रीडिंग तकनीक का उपयोग किया जायेगा।

9. अनुसंधान (Research) :- नीति में कहा गया है कि विशिष्ट बालकों, विकलांग ... विकलांगता का कारण, शिक्षा की विधियाँ, प्रविधियाँ, उनके लिए सहायक उपकरण आदि ... अनुसंधान करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जायेगा। विकलांग बालक के माता-पिता ... अनुसंधान को विशेष महत्व दिया जायेगा।

10. खेलकूद एवं सांस्कृतिक जीवन (Sports and Cultural Life) :- खेलकूद तथा अन्य ... क्रियाऐं जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है ये क्रियाऐं चिकित्सात्मक होती हैं। नीति में ... कि विकलांग व्यक्तियों को भी खेलकूद, आमोद-प्रमोद का अधिकार है सरकार इन ... खेलकूद व अन्य क्रिया कलापों के लिए व्यवस्था करने का प्रावधान करती है।

11. वर्तमान अधिनियमों में परिवर्तन :- राष्ट्रीय नीति 2006 मे संकेत दिया गया है कि विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्धित अधिनियम 1995 में परिवर्तन की आवश्यकता है और इसमें परिवर्तन किया जायेगा।

2. हस्तक्षेप के मुख्य क्षेत्र

(Principal Areas of Intervention)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 में हस्तक्षेप के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन इस प्रकार है :-

1. बचाव, शीघ्र पहचान तथा हस्तक्षेप :- विकलांग बालकों के बचाव तथा शीघ्र पहचान की जाय इसके लिए निम्न हस्तक्षेप नीतियों को अपनाया जाय :-

1) विकलांगता से बचाव के लिए गर्भवती स्त्रियों को जागरूक किया जाय तथा स्वास्थ्य व सफाई अभियान चलाये जाय।

2) स्वास्थ्य कर्मचारियों को उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाय तथा विकलांग बालकों की शीघ्र पहचान के लिए उपकरणों की व्यवस्था की जाय।

3) विकलांग व्यक्तियों के परिवार के विषय में सूचनाऐं एकत्र की जाय तथा नियम पुस्तिकाऐं वितरित की जाय।

4) इन विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की समर्थन सेवाऐं जैसे चिकित्सक, मनोचिकित्सक, व्यावसायिक चिकित्सा, वाणी चिकित्सा, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जाय।

5) अनुसंधान की रिपोर्ट व परिणामों के आधार पर सुझावों का ठीक से क्रियान्वयन किया जाये ताकि मानसिक मन्दता व जन्मजात मानसिक रोगों को कम किया जा सके।

6) जागरूकता सम्बन्धी कार्यक्रम विद्यालय स्तर पर कराये जायें तथा स्वास्थ्य, पोषण आहार आदि की जानकारी लड़कियों व महिलाओं को विशेष रूप से दी जाय।

7) विकलांगता के सम्भावित मामलों की खोज के लिए प्रारम्भिक चिकित्सा शिविर लगाये जायें।

इस प्रकार नीति में विकलांग बच्चों की शीघ्र पहचान व बचाव पर ध्यान दिया गया है।

2. पुनर्वास सम्बन्धी कार्यक्रम (Programme of Rehabilitation) :-

विकलांग बच्चों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जायेगी। पुनर्वास सम्बन्धी कार्यक्रमों में आर्थिक पुनर्वास, शैक्षिक पुनर्वास, सामाजिक पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में निम्न बातों पर ध्यान दिया जायेगा :-

1) समुदाय आधारित पुनर्वास संसाधनों में विकलांग व्यक्तियों के स्वयं सहायता समूह तथा माता-पिता व अभिभावकों के समूहों के सहायतार्थ कार्यों को बढ़ावा दिया जायेगा।

2) मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जायेगी स्थानीय अफसर व गैर सरकारी संस्थाओं की सहायता ली जायेगी।

3) विकलांग व्यक्तियों के रोजगार तथा सामाजिक जीवन सम्बन्धी कौशलों को विकसित करने का प्रशिक्षण देना होगा।

4) दीर्घकालीन पुनर्वास के लिए पुनर्वास सेवाओं, मानव संसाधन तथा अनुसंधान क्षेत्रों को विकसित

Scanned with CamScanner

घ) सहायक अभिभावक योजना के अन्तर्गत शारीरिक, मानसिक तथा बहु विकलांग बालकों की देख… के लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

इस प्रकार इस नीति में विकलांग बालकों की सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है। वे बच्चे व व्यक्ति समाज में आसानी से सुरक्षित जीवन यापन कर सकें।

7. गैर सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन (Promotion of Non Govt. Organisation… विकलांग एवं विकलांग बालकों व व्यक्तियों को रोजगार देने वाली गैर सरकारी संस्थाओं… प्रोत्साहन दिया जायेगा। जैसा कि अभी तक कई गैर सरकारी संगठन इनके लिए कार्य कर… इन संस्थाओं के साथ सम्पर्क बढ़ाया जायेगा व उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में निम्न बातों पर ध्यान दिया गया :-

क) पिछड़े क्षेत्रों में कार्य करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा… संस्थाओं को व्यवहार तथा नैतिकता के नियमित नियम विकसित करने के लिए प्रेरित किया…

ख) गैर सरकारी संस्थाओं की एक डायरेक्टरी बनाई जायेगी जिसमें इन संस्थाओं का विवरण… तथा इसके अतिरिक्त इसमें विकलांग व्यक्तियों के संगठन माता-पिता की समितियाँ आदि… संस्थाएँ छोटी-बड़ी इस क्षेत्र में कार्यरत हैं उनका नाम इस डायरेक्टरी में होगा। जिससे इन… व इनका पता आसानी से लगाया जा सके।

ग) गैर सरकारी संगठनों को मानव संसाधनों के विषय में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किये… इन संगठनों द्वारा पहले से दिये जा रहे प्रबन्धन प्रशिक्षण को और मजबूत बनाया…

घ) गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान के लिए सरकार पर कम निर्भर होने तथा स्वयं अपने… का अधिक विकास करने पर बल दिया जायेगा।

8. माता-पिता के सामाजिक आर्थिक स्तर सम्बन्धी सूचना :- राष्ट्रीय नीति में कहा गया… विकलांग बालकों के माता-पिता के आर्थिक सामाजिक स्तर सम्बन्धी सूचनाएँ एकत्र की… तथा इन सूचनाओं का विश्लेषण किया जायेगा। 1981 से राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन… वर्ष में इनकी सूचनाएँ एकत्र कर रहा है। अब यह संगठन प्रति पाँच वर्ष में सूचनाओं का… व विश्लेषण करेगा। इनके सामाजिक आर्थिक स्तर का पता लगाने के लिए वेबसाइट का… किया जायेगा तथा गैर सरकारी, सरकारी, कार्यालयों को उनकी सूचना देने के लिए प्रोत्साहित… जायेगा। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए स्क्रीन रीडिंग तकनीक का उपयोग किया जायेगा।

9. अनुसंधान (Research) :- नीति में कहा गया है कि विशिष्ट बालकों, विकलांग… विकलांगता का कारण, शिक्षा की विधियाँ, प्रविधियाँ, उनके लिए सहायक उपकरण आदि… अनुसंधान करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जायेगा। विकलांग बालक के माता-पिता… अनुसंधान को विशेष महत्व दिया जायेगा।

10. खेलकूद एवं सांस्कृतिक जीवन (Sports and Cultural Life) :- खेलकूद तथा अन्य… क्रियाएँ जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं ये क्रियाएँ चिकित्सात्मक होती हैं। नीति में… कि विकलांग व्यक्तियों को भी खेलकूद, आमोद-प्रमोद का अधिकार है सरकार इन… खेलकूद व अन्य क्रिया कलापों के लिए व्यवस्था करने का प्रावधान करती है।

11. वर्तमान अधिनियमों में परिवर्तन :- राष्ट्रीय नीति 2006 यह संकेत दिया गया है कि विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्धित अधिनियम 1995 में परिवर्तन की आवश्यकता है और इनमें परिवर्तन किया जायेगा।

2. हस्तक्षेप के मुख्य क्षेत्र
(Principal Areas of Intervention)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 में हस्तक्षेप के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन इस प्रकार है :-

1. बचाव, शीघ्र पहचान तथा हस्तक्षेप :- विकलांग बालकों के बचाव तथा शीघ्र पहचान की जाय इसके लिए निम्न हस्तक्षेप नीतियों को अपनाया जाय :-

1) विकलांगता से बचाव के लिए गर्भवती स्त्रियों को जागरूक किया जाय तथा स्वास्थ्य व उनके अभियान चलाये जाय।

2) स्वास्थ्य कर्मचारियों को उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाय तथा विकलांग बालकों की शीघ्र पहचान के लिए उपकरणों की व्यवस्था की जाय।

3) विकलांग व्यक्तियों के परिवार के विषय में सूचनाएँ एकत्र की जाय तथा नियम पुस्तिकाएँ वितरित की जाय।

4) इन विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की समर्थन सेवाएँ जैसे चिकित्सक, मनोचिकित्सक, व्यावसायिक चिकित्सा, वाणी चिकित्सा, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जाय।

5) अनुसंधान की रिपोर्ट व परिणामों के आधार पर सुझावों का ठीक से क्रियान्वयन किया जाये ताकि मानसिक मन्दता व जन्मजात मानसिक रोगों को कम किया जा सके।

6) जागरूकता सम्बन्धी कार्यक्रम विद्यालय स्तर पर कराये जायें तथा स्वास्थ्य, पोषण आहार आदि की जानकारी लड़कियों व महिलाओं को विशेष रूप से दी जाय।

7) विकलांगता के सम्भावित मामलों की खोज के लिए प्रारम्भिक चिकित्सा शिविर लगाये जायें।

इस प्रकार नीति में विकलांग बच्चों की शीघ्र पहचान व बचाव पर ध्यान दिया गया है।

2. पुनर्वास सम्बन्धी कार्यक्रम (Programme of Rehabilitation) :-

विकलांग बच्चों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जायेगी। पुनर्वास सम्बन्धी कार्यक्रमों में आर्थिक पुनर्वास, शैक्षिक पुनर्वास, सामाजिक पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में निम्न बातों पर ध्यान दिया जायेगा :-

1) समुदाय आधारित पुनर्वास संसाधनों में विकलांग व्यक्तियों के स्वयं सहायता समूह तथा माता-पिता व अभिभावकों के समूहों के सहायतार्थ कार्यों को बढ़ावा दिया जायेगा।

2) मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जायेगी स्थानीय अफसर व गैर सरकारी संस्थाओं की सहायता ली जायेगी।

3) विकलांग व्यक्तियों के रोजगार तथा सामाजिक जीवन सम्बन्धी कौशलों को विकसित करने का प्रशिक्षण देना होगा।

4) दीर्घकालीन पुनर्वास के लिए पुनर्वास सेवाओं, मानव संसाधन तथा अनुसंधान क्षेत्रों को विकसित

Scanned with CamScanner

करने की आवश्यकता होगी।

3. मानव संसाधन विकास (Human Resource Development) :- मानव संसाधन विकास ... सम्बन्ध में निम्न बातें कही गई :-

1) विकलांग व्यक्तियों की सेवा में लगे हुए सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा।

2) प्राथमिक स्तरीय कर्मियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल तथा समुदाय विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

3) समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत विशिष्ट शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी जो विशिष्ट बालकों की शिक्षा में सहायता करेंगे।

4) समावेशी शिक्षा में डिप्लोमा, डिग्री व उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।

5) भारतीय पुनर्वास परिषद के उत्तरदायित्वों को निश्चित किया जायेगा। शिक्षकों अभिभावकों माता-पिता के प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा संचालित किये जायेंगे, जो ... वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेगा।

4. विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा (Education of Person with Disabilities) :- विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा के लिए मानव संसाधन विकास मन्त्रालय की विशेष भूमिका निश्चित की गई है। इस नीति में यह निश्चित किया गया है कि प्रत्येक विकलांग बालक को पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक शिक्षा 2020 तक प्रदान की जायेगी।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निम्न उत्तरदायित्व होंगे :-

1) प्रत्येक विकलांग बालक की शिक्षा के लिए अवरोध रहित वातावरण तैयार करना।

2) शिक्षा का माध्यम व शिक्षण विधियाँ बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप हो।

3) शिक्षा के लिए सहायक उपकरणों व पुस्तकालय, ब्रेल पुस्तकालय आदि की व्यवस्था करना।

4) दूरवर्ती शिक्षा को बढ़ावा देना जिससे बच्चे घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकें।

5) विद्यालयों में परामर्श सुविधाओं की व्यवस्था करना।

6) बहु विकलांग तथा प्रचण्ड असमर्थता की दशा में घर पर शिक्षा की व्यवस्था करना।

7) विकलांग बालकों के लिए पाठ्यक्रम व मूल्यांकन में लचीलापन होना आवश्यक है परीक्षा में बच्चों के लिए लेखक, कलकुलेटर, अतिरिक्त समय आदि विकल्प उपलब्ध कराये जायेंगे।

8) ऐसा प्रावधान रखा जायेगा कि प्रत्येक विकलांग बालक कम्प्यूटर शिक्षा ग्रहण कर सके।

9) मानसिक रूप से विकलांग बालकों के लिए पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की जायेगी तथा शिक्षा सम्बन्धित सुविधाऐं उपलब्ध करायी जायेंगी।

10) संवेदनशीलता कार्यक्रमों का समय-समय पर आयोजन किया जायेगा जिसके द्वारा अध्यापकों, प्राचार्यों, माता-पिता आदि को विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए जागरूक बनाया जायेगा।

11) उच्च शिक्षा संस्थानों में विकलांग बालकों के लिए तीन प्रतिशत सीट आरक्षित की जायेंगी। संस्थानों में हास्टल तथा आने-जाने व अन्य शैक्षिक सुविधाऐं उपलब्ध करायी जायेंगी।

5. रोजगार (Employment) :- विकलांग व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निम्न बिन्दुओं पर बल दिया गया है-

1) विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिए गैर सरकारी क्षेत्रों से बातचीत की जायेगी।

2) विकलांग व्यक्तियों के कार्य स्थान पर मशीनों आदि में वातावरण की दशाओं में यथोचित परिवर्तन व सुधार किया जायेगा।

3) विभिन्न समितियों व गैर सरकारी संस्थाओं को इनकी सहायता के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

4) गरीबी उन्मूलन अभियान में इन व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग किया जायेगा ताकि उन्हें उद्देश्यपूर्ण कार्य करने के साथ-साथ 3 प्रतिशत रोजगार आरक्षण का लाभ मिल सके।

6. अवरोध रहित वातावरण (Barrier free Environment) :- विभिन्न प्रकार के विकलांग व्यक्तियों के लिए अवरोध रहित वातावरण प्रदान करने के लिए निम्न उपाय किये जाऐंगे :-

1) इन व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्थलों तक आने-जाने के लिए सुविधाऐं प्रदान की जायेंगी। हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों में इनकी पहुँचने की व्यवस्था की जायेगी।

2) सरकारी भवनों में इनके लिए आने-जाने के लिए सुविधाजनक मार्ग बनाये जाऐंगे जिससे कि वे कार्य स्थल तक आसानी से पहुँच सके।

3) सरकार यह निश्चित करेगी कि औद्योगिक संगठन, दफ्तर तथा कार्य के अन्य स्थल में विकलांगों की सुरक्षा व सुविधा का ध्यान रखा जायेगा।

4) बैंक की सेवाओं को विकलांग लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

7. सामाजिक सुरक्षा (Social Protection) :- विकलांग व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा आवश्यक है इसके लिए निम्न प्रयास किये जायेंगे :-

1) विकलांग व्यक्तियों को टैक्स में छूट देने की सुविधा प्रदान की जायेगी।

2) राज्य सरकारों व केन्द्र प्रशासित राज्यों में असमर्थता पैंशन व बेरोजगारी भत्ते को तर्क संगत बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

3) भारतीय जीवन बीमा निगम विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष बीमा नीतियों को बनाती है इस प्रकार अन्य बीमा कम्पनियों को भी इस प्रकार की नीतियों के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

8. अनुसंधान (Research) :- विकलांग व्यक्तियों के क्षेत्र में उनकी शिक्षा उनके उपकरणों के सम्बन्ध में अनुसंधान की आवश्यकता होगी। इस कार्य को अधिक प्रोत्साहन दिया जायेगा। इस सन्दर्भ में निम्न सुझाव दिये गये हैं :-

1) शिक्षा के सभी पहलुओं पर अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जायेगा। जिससे उपयुक्त शिक्षा का सभी लोग लाभ उठा सकें।

2) विभिन्न विकलांगता वाले व्यक्तियों के रोजगार स्तरों के विषय में आँकड़े एकत्र करना, विशेष रूप से वे व्यक्ति जो रोजगार एवं कार्यालय में दुर्घटनाओं व आपदाओं के शिकार हुए हों।

3) विभिन्न विकलांगताओं के कारणों की खोज व असमर्थता के घटनाक्रम का अध्ययन करना।

Scanned with CamScanner

व तथा नई तकनीकि का ज्ञान ...

5) विकलांगता सम्बन्धी अनुवांशिक अनुसंधान पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

9. **खेल एवं सांस्कृतिक क्रियाऐं (Sports and Cultural Activities) :-** विकलांग बालकों व व्यक्तियों के खेल एवं सांस्कृतिक क्रियाओं के लिए निम्न कार्यक्रम किये जायेंगे :-

1) क्रीड़ाओं, मन बहलाव के साधनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए स्थान जैसे खेल का मैदान, व्यायामशाला व सभा भवन आदि की व्यवस्था की जायेगी।

2) खेलकूद संगठनों व सांस्कृतिक समितियों का निर्माण किया जायेगा तथा विकलांग व्यक्तियों को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जायेगा।

3) दैहिक रूप से बाधित व्यक्तियों को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पारितोषिक देने की व्यवस्था की जायेगी।

10. **कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायित्व :-** विकलांग व्यक्तियों की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक स्तर पर कार्य किया जायेगा। इसके लिए निम्न मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा की गई है :-

1) स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

2) समुदाय अपने प्रयत्नों से या गैर सरकारी संस्थाओं की सहायता से नीति के लिए निर्मित ढांचे के संरक्षण के लिए तथा प्रचलित व्यय के लिए धन जुटायेगा।

3) केन्द्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए कमिश्नर नियुक्त किये जाऐंगे। जिनका उत्तरदायित्व विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम क्रियान्वयन व देखरेख करना है।

4) केन्द्र तथा राज्य सरकारें तथा उनके मुख्य विभाग इस राष्ट्रीय नीति के लिए विकास तथा कार्यान्वयन के लिए रचनात्मक निश्चित करेंगे। इस दृष्टि से मुख्य रूप से घरेलू मामले, मन्त्रालय, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मन्त्रालय, ग्रामीण व शहरी विकास, नवयुवक कल्याण व खेलकूद विभाग, रेलवे व सड़क परिवहन विभाग, बाल एवं स्त्री विकास एवं कल्याण विभाग राजस्व विभाग इत्यादि मिलकर रचनात्मक बनायेंगे तथा पाँच वर्षीय कार्यक्रम बनाऐंगे तथा वर्ष भर की उपलब्धियों की रिपोर्ट भी तैयार करेंगे।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 में विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाऐं प्रदान करने का सुझाव दिया है ताकि समाज का एक भाग जो सुविधाओं से वंचित होने के कारण असुरक्षित महसूस करता है उसे जीवन यापन व आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस नीति में विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि क्षेत्रों में विशेष सुविधाऐं प्रदान करने का प्रयास किया गया है। आधुनिक समय में समाज भी विकलांग व्यक्तियों के लिए परिवर्तन करने के लिए तैयार है। समावेशी शिक्षा भी इसी परिवर्तन का प्रभाव है इसमें सभी बच्चे शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं। यह महसूस किया गया कि केवल शिक्षा प्रदान करना ही काफी नहीं है, जब तक ये पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर न हो जाये तब तक शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। इसके लिए इन्हें व्यावसायिक पुनर्वास की आवश्यकता होगी। इस नीति में सुझाव दिया है कि इनके व्यावसायिक पुनर्वास के लिए सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों से सहायता ली जायेगी व अनेक योजनाऐं बनाई जायेंगे जो केन्द्र व राज्य दोनों स्तर पर

नि:शक्तजन अधिकार अधिनियम (2016)

[(The Rights of Persons with Disabilities Act (2016)]

यह अधिनियम 16 दिसम्बर 2016 को संसद द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम को निःशक्तजन अधिनियम (1995) के स्थान पर लाया गया। निशक्त अधिकार अधिनियम (2016) को संयुक्त राष्ट्र के विकलांग व्यक्ति के अधिकारों पर सम्मेलन (2006) के साथ एकीकृत किया गया है और इसके प्रावधानों को नए अधिनियम में समावेश किया गया है। 1995 के अधिनियम में मात्र 7 प्रकार की विकलांगताओं को शामिल किया गया था। नए अधिनियम में 7 विकलांगताओं के अतिरिक्त 14 और विकलांगताओं को शामिल किया गया है। कुल 21 विकलांगताओं की सूची इस प्रकार है :-

1. चलन सम्बन्धी दिव्यांगता (Locomotor Disability)
2. मांसपेशीय दुर्विकास (Muscular Dystrophy)
3. ठीक किया हुआ कुष्ठ (Leprosy Cured)
4. बौनापन (Dwarfism)
5. प्रमस्तिष्क घात (Cerebral Palsy)
6. अम्ल हमले की पीड़ित (Acid Attack Victim)
7. कम दृष्टि (Low Vision)
8. दृष्टिहीनता (Blindness)
9. श्रवण क्षति (Hearing Impairment/Deaf)
10. सुनने में कठिनाई (Hard of Hearing)
11. वाक् और भाषा दिव्यांगता (Speech and Language Disability)
12. बौद्धिक दिव्यांगता (Intellectual Disability)
13. विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता (Specific Learning Disability)
14. आटिज्म स्पेक्ट्रम डिसआर्डर (Autism Spectrum Disorder)
15. मानसिक रूग्णता (Mental Illness)
16. बहुल काठिन्य (Multiple Sclerosis)
17. पार्किंसन रोग (Parkinson's Disease)
18. हीमोफीलिया (Haemophilia)
19. थैलेसीमिया (Thalassemia)
20. सिकलसेल रोग (Sickle Cell Disease)
21. बहु विकलांगता जैसे – बधिर-अन्धता (Multiple Disability like Deafblindess)

इनके अतिरिक्त भारत सरकार को अन्य विकलांगताओं को भी सम्मिलित करने का अधिकार होगा। इस अधिनियम में मुख्यरूप से अम्ल हमले की पीड़ित, बौनापन, स्नायविक स्थितियों, रक्त से

Scanned with CamScanner

सम्बन्धित विकलांगताओं के अतिरिक्त विशिष्ट शिक्षा दिव्यांगताओं को पहली बार सम्मिलित किया है। इस अधिनियम में सरकारी नौकरीयों में विकलांग व्यक्तियों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। शिकायत निवारण के लिए केन्द्रीय एवं प्रान्तीय निश्क्तता आयुक्तों के कार्यालयों को अधिक सशक्त बनाने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय स्तर पर कोष बनाने का प्रावधान किया गया है जिससे विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी जा सके। इस अधिनियम में विकलांग व्यक्तियों के साथ भेद-भाव करने पर दण्ड का प्रावधान है। इसकी व्याख्या अधिनियम के अध्याय 16 में की गई है।

बाधा मुक्त वातावरण पर इस अधिनियम में विशेष बल दिया गया है। इस अधिनियम में कुल 17 अध्याय है जिनमें अधिकार एवं स्वतव-शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुर्नवास एवं मनोरजंन, विशेष प्रावधान जैसे नौकरी एवं प्रवेश में आरक्षण, समय सीमा में कार्यों का निष्पादन, अवरोध मुक्त वातावरण, विकलांग कल्याण संस्थाओं का पंजीकरण, विकलांग व्यक्तियों का प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय आयुक्तों, विशेष न्यायालय, राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय कोष, अपराध एवं दण्ड व अन्य विविध विषय मुख्य हैं।

Scanned with CamScanner

5 विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्धित विभिन्न संस्थान [Institutions related to Persons with Disabilities]

भारतीय पुनर्वास परिषद
(Rehabilitation Council of India)

भारतीय पुनर्वास परिषद् की स्थापना पंजीकृत समिति के रूप में 1986 में हुई थी। लेकिन यह पाया गया कि समिति द्वारा उचित मानकीकरण एवं निर्धारित मानकों को अन्य संस्थानों द्वारा पालन नहीं किया गया। अतः संसद में भारतीय पुनर्वास परिषद् कानून 1992 पारित कर दिया। अब भारतीय पुनर्वास परिषद् को 22 जून 1993 को संवैधानिक दर्जा मिल गया।

भारतीय पुनर्वास परिषद् कानून में 2000 में संशोधन किया गया। कानून ने परिषद् को बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंप दिया। अब कोई भी संस्थान बगैर भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा निर्धारित योग्यताओं के विकलांग व्यक्तियों को सुविधाऐं प्रदान नहीं कर सकता है। यदि कोई संस्थान बगैर भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा निर्धारित योग्यता के विकलांग व्यक्तियों को सुविधाऐं प्रदान करता है तो उस पर मुकद्मा चलाया जायेगा। अतः परिषद् को पुर्नवास एवं विशिष्ठ शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तियों एवं पेशेवरों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित दोहरे उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं एक तो मानकीकरण एवं दूसरा विनियमन। इसके परिणामस्वरूप आर.सी.आई को उपयुक्त कानूनी अधिकार प्रदान कर दिए गए ताकि वह -

1. विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली सेवाओं के नियमन और देखभाल की जिम्मेदारी निभा सके।
2. पुनर्वास और विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने सम्बन्धी कार्य में लगे हुए व्यक्तियों प्रशिक्षकों, शिक्षकों इत्यादि के प्रशिक्षण हेतु उनके पाठ्यक्रम और कार्यक्रमों का निर्धारण भलीभांति कर सके।
3. पुनर्वास तथा विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में कार्यरत निर्धारित योग्यता रखने वाले सभी

Scanned with CamScanner

व्यक्तियों, अध्यापकों, प्रशिक्षकों तथा अन्य विशेषज्ञों का एक केन्द्रीय पंजीकृत पुनर्वास रजिस्टर के रखरखाव का कार्य सुचारू रूप से कर सके।

4. पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा में शोध को प्रोत्साहन देने के लिए प्रावधान किया गया है।

इस अधिनियम में स्पष्टता यह प्रावधान भी रखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो पूरी तरह निर्धारित योग्यता नहीं रखता हो, उसे अक्षम व्यक्तियों की सेवा करने का अधिकार नहीं है। इसका उल्लंघन करने पर उसे सजा दी जा सकती है।

भारतीय पुनर्वास परिषद् का संगठनात्मक ढाँचा

आर.सी.आई. अधिनियम के अनुसार अध्यक्ष और सदस्यों का चयन और गठन निम्नलिखित प्रकार से होगा :

1. अध्यक्ष का चयन केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से किया जाएगा जिसे पुनर्वास, विकलांगता और विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसायिक योग्यता तथा प्रशासन का अनुभव होगा।
2. आर.सी.आई. के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सात सदस्यों का नामांकन किया जाएगा जो विकलांगता युक्त व्यक्तियों से सम्बन्धित मामलों से जुड़े हुए केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों का प्रतिनिधित्व करें।
3. केन्द्र सरकार द्वारा एक सदस्य की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए की जाएगी।
4. केन्द्र सरकार एक सदस्य की नियुक्ति चिकित्सकीय अनुसंधान भारतीय परिषद् के डाइरेक्टर जनरल का प्रतिनिधित्व करने के लिए करेगी।
5. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित दो ऐसे सदस्य जो वर्णक्रमांक की रोटेशन पद्धति को अपनाते हुए राज्यों अथवा केन्द्र प्रशासित प्रदेशों के समाज कल्याण विभाग या मन्त्रालय का प्रतिनिधित्व करते हो।
6. केन्द्र सरकार छः सदस्य स्वयंसेवी संगठनों में कार्यरत पुनर्वास कार्यअधिकारियों में से नियुक्त करेगी।
7. केन्द्र सरकार 4 सदस्य उन चिकित्सकों में से नियुक्त करेगी जो विकलांगों के पुनर्वास कार्य में लगे हुए हो और भारतीय मेडीकल काउन्सिलिंग एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत हो।
8. तीन सदस्य संसद से लिए जाऐंगे जिनमें से दो लोकसभा तथा एक राज्यों की विधानसभा से होंगे।
9. केन्द्र सरकार तीन सदस्य, विकलांग व्यक्तियों की सहायता में सक्रिय रूप से लगे हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं में से नामित करेगी।
10. सदस्य सचिव, एक्स ऑफिसिओ (Ex-Offico) (केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त)।

यह परिषद प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगी जिसे परिषद् द्वारा निर्धारित किया गया हो और अपने कर्तव्य निर्वहन हेतु अपनी की जाने वाली मीटिंगों में सभी निर्धारित नियमों का पालन करेगी।

कार्यकारिणी समिति

1. परिषद् अपने सदस्यों में से एक कार्यकारिणी समिति बनाऐगी और ऐसी कुछ अन्य भी बनाऐगी जो इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के सम्बन्ध में सामान्य एवं विशेष कार्यों का सम्पादन करें।
2. कार्यकारिणी समिति में एक अध्यक्ष होगा जो एक एक्स ऑफिसियो सदस्य होगा और इसमें कम से

कम सात और अधिक से अधिक दस सदस्य होंगे जिनका नामांकन परिषद के द्वारा अपने सदस्यों में से ही किया जाएगा।
3. आर.सी.आई. का अध्यक्ष ही कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष बनाया जाऐगा।
4. इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों और कर्तव्यों के निर्वहन के साथ कार्यकारिणी समिति तथा अन्य समिति उन सभी अधिकारों और कर्तव्यों का निर्वहन भी करेगी जो परिषद् द्वारा अपनी किसी नियमावली द्वारा उसे सौंपे जायेंगे।

भारतीय पुनर्वास परिषद के दायित्व

भारतीय पुनर्वास परिषद संसद के कानून के आधार पर एक संवैधानिक संस्था है एवं इसका पुनर्वास एवं विशिष्ठ शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण के कार्यक्रम/कोर्सों का विभिन्न स्तरों पर विकास करना, मानकीकरण करना एवं विनियमन करना है। यह पुनर्वास व विशिष्ट शिक्षा क्षेत्र पंजीकरण के लिए योग्य व्यक्तियों/व्यवसायिकों के लिए केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर तैयार करती है।

भारतीय पुनर्वास परिषद् के कार्य

1. विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र से सम्बन्धित प्रशिक्षण नीतियें एवं कार्यक्रमों का विनियम करना।
2. विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्धित व्यवसायिकों के लिए प्रशिक्षण कोर्स के लिए मानकीकरण करना।
3. विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्धित व्यवसायिकों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना।
4. प्रशिक्षण में निर्धारित मानकों को सुनिश्चित करना।
5. विभिन्न संस्थानों/संगठनों/विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना।
6. विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थानों के प्रमाणपत्र को मान्यता प्रदान करना।
7. विकलांगों से सम्बन्धित सभी पुर्नवास व्यवसायिकों/कर्मियों का पंजीकृत करने के लिए केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर रखना। जो व्यवसायिक निम्नलिखित हो सकते है

- Audiologist and Speech Therapists
- Clinical Psychologists.
- Hearing Aid and Ear Mould Technicians
- Rehabilitation Engineers and Technicians
- Special Teachers for Education and Training the handicapped
- Vocational Counsellors, Employment Officers and Placement Officers dealing with handicapped
- Multipurpose Rehabilitation Therapists, Technicians
- Speech Pathologists
- Rehabilitation Psychologists
- Rehabilitation Social Workers
- Rehabilitation Practitioners in Mental Retardation
- Orientation and Mobility Specialists

Scanned with CamScanner

- Community Based Rehabilitation Professionals
- Rehabilitation Counsellors/Administrators
- Prosthetists and Orthotists
- Rehabilitation Workshop Managers
- Any other

8. पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में स्थिति सभी विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्धित संस्थानों से शिक्षा एवं प्रशिक्षण की निरन्तर सूचना एकत्रित करते रहना।
9. विकलांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न संस्थानों का सहयोग करके पुनर्वास एवं विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार करना।
10. व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्रों को मानव शक्ति विकास केन्द्र के रूप में मान्यता देना।
11. व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्रों में कार्य कर रहे विभिन्न निर्देशक एवं अन्य व्यक्तियों का पंजीकरण करना।
12. केन्द्रीय एवं उच्च संस्थानों को विकलांग व्यक्तियों के लिए मानव शक्ति विकास केन्द्रों के रूप में मान्यता देना।
13. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय की तरफ से केन्द्रीय संस्थानों एवं अन्य उच्च संस्थानों में कार्य कर रहे व्यक्तियों का पंजीकरण करना।
14. पुनर्वास एवं विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधानों को प्रोत्साहन करना।

विकलांग व्यक्तियों को सेवाऐं प्रदान करने के लिए बनाऐं गऐ भारत सरकार के विभिन्न संस्थान

(Various Institutions of Govt. of India Established for Providing Services to Persons with Disabilities)

1. राष्ट्रीय बहुविकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान

(National Institute of Empowerment of Persons with Multiple Disabilities (NIEPMD))

राष्ट्रीय बहुविकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा बहुविकलांग व्यक्ति अधिकारिता के लिए राष्ट्रीय संसधान केन्द्र के रूप में चेन्नई, तमिलनाडू में की गई है। ये व्यक्ति विभिन्न प्रकार से विकलांग हो सकते हैं जैसे - श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, मानसिक असन्तुलिता, मस्तिष्क पक्षाघात एवं अन्य प्रकार से बाधित हो सकते हैं।

राष्ट्रीय बहुविकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान के उद्देश्य

(Objectives of NIEPMD)

1. मानव संसाधनों का विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास प्रबन्धन, प्रशिक्षण, शिक्षा, रोजगार एवं सामाजिक विकास के लिए विकास करना।
2. बहुविकलांगता एवं बहुविकलांग व्यक्तियों से सम्बन्धित अनुसंधान करना एवं इनका प्रोत्साहन करना।
3. सामाजिक पुनर्वास के लिए बहुविषय प्रतिमान एवं नीतियों का विकास करना एवं समाज के विभिन्न

बहुविकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
4. बहुविकलांग व्यक्तियों के लिए सेवाऐं आरम्भ करना एवं कार्यक्रमों का विकास करना है।

लक्ष्य

बहुविकलांग व्यक्तियों को बेहतर जिन्दगी के लिए समाज में बराबर के अधिकार प्रदान करना। इसके लिए ये संस्थान विभिन्न प्रकार पुनर्वास एवं अन्य सुविधाऐं प्रदान करेंगे। बहुविकलांग व्यक्तियों की जिन्दगी को बेहतर करने के लिए ये संस्थान बाहरी पक्षकार, परिवार, पेशेवरों, समुदाय एवं समाज के बराबर की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे।

राष्ट्रीय बहुविकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान के द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाऐं

(Facilities provided by NIEPMD)

1. पुनर्वास चिकित्सा प्रदान करना।
2. भौतिक चिकित्सा प्रदान करना।
3. व्यावसायिक चिकित्सा प्रदान करना।
4. संवेदी एकीकरण करना।
5. प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं प्रदान करना।
6. प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक्स सुविधा प्रदान करना।
7. विशेष शिक्षा प्रदान करना।
8. मनोवैज्ञानिक आंकलन और हस्तक्षेप करना।
9. भाषण, श्रवण एवं संचार चिकित्सा प्रदान करना।
10. व्यावसायिक प्रशिक्षण देना।
11. व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श करना।
12. श्रवण एवं दृष्टि बाधित बच्चों के लिए सुविधाऐं प्रदान करना।
13. समुदाय आधारित पुनर्वास करना।
14. विशेष क्लीनिक (मनोरोग, तंत्रिका विज्ञान और नेत्र विज्ञान)।

2. राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (दिव्यांगजन) - देहरादून

[National Institute for the Empowerment of Person with Visual Disabilities- (Divyangjan) Dehradun]

दृष्टि बाधित बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए अध्यापकों को तैयार करने के लिए 1939 ई. में देहरादून में इस संस्थान की स्थापना की गई। 1950 ई. में पूर्ण दृष्टि बाधित युवकों के लिए भी प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया। इस संस्थान में दृष्टि बाधित बालकों के लिए पुस्तकालय व कार्यशाला की व्यवस्था की गई तथा ब्रेल लिपि प्रेस की सुविधा प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त दृष्टि बाधित बालकों के लिए आवास की व्यवस्था भी है। इस संस्थान में छः विभाग हैं- 1. विद्यालय विभाग 2. प्रशिक्षण विभाग 3. शोध विभाग 4. पुस्तकालय विभाग 5. सहायक सामग्री तथा सूक्ष्म शिक्षण विभाग 6. मनोविज्ञान विभाग। इस संस्थान में पूर्ण दृष्टि बाधित व आंशिक दृष्टि बाधित बच्चों के लिए अध्यापकों को तैयार किया जाता

Scanned with CamScanner

है तथा ऐसे बच्चो पर शोध कार्य करने के लिए पृथक शोध विभाग भी है। इन संस्थानो में बच्चो की मनोवैज्ञानिक रुचियों के आधार पर शिक्षण व प्रशिक्षण दिया जाता है।

3. बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्तियो के लिए राष्ट्रीय संस्थान, सिकन्दराबाद
[National Institute for the Empowerment of Persons with Intellectual Disabilities (Divyangjan) Secunderabad]

यह एक स्वायत्त प्रशिक्षण संस्थान है, इसकी स्थापना 1984 में की गई, इस संस्थान में मानसिक रूप से बाधित बालकों के शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध कार्यों की व्यवस्था की जाती है। इस संस्थान में उपाधि व डिप्लोमा कोर्स संचालित किये जाते है। इसका मुख्यालय सिकन्दराबाद है। इस संस्थान ने मुम्बई, कोलकता व नई दिल्ली में तीन प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना की। यह संस्थान देश के अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रम के संचालन और उनकी मान्यता की व्यवस्था की जाती है। इस संस्थान के उद्देश्य इस प्रकार है :-

1. मानसिक रूप से मन्दित बालको के विकास के लिए शिक्षकों को तैयार करना।
2. मानसिक रूप से मन्दित बालकों की देख-रेख व पुनर्वास व्यवस्था करना।
3. मानसिक रूप से मन्दिता के कारणों का पता लगाना।
4. मानसिक रूप से मन्दित बालकों के आचरण व समायोजन आदि समस्याओं का पता लगाना।
5. मानसिक मन्दित बालकों के अध्ययन के लिए साहित्य व पुस्तकों की व्यवस्था करना।
6. मानसिक रूप से मन्दित बालकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व सेवा प्रदान करना।

4. राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान, कोलकता
[National Institute for Locomotor Disabilities (Divyangjan) Kolkata]

भारत सरकार ने इस संस्थान की स्थापना 1979 में कोलकता में की। इस संस्थान में अस्थि बाधित बालकों की समस्याओं की पहचान करना, उपचार करना व उनके व्यवहार का निरीक्षण करना व बच्चे की समस्याओं का समाधान करना आदि शामिल है। इस संस्थान में अस्थि बाधित बच्चों के अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है इसमें प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के अस्थि बाधित बच्चों के लिए शोध की व्यवस्था की गई है।

5. अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान - मुम्बई
[Ali Yavar Jung National Institute for the Empowerment of Persons with Speech and Hearing Disabilities (Divyangjan) - Mumbai]

इस संस्थान की स्थापना दिसम्बर 1970 में की गई तथा 1981 से इसने कार्य आरम्भ कर दिया। इस संस्थान में श्रवण बाधित बालकों के लिए विभिन्न कार्यक्रम किये जाते है। इन बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है जैसे लकड़ी का कार्य, बिजली का कार्य, सिलाई, बुनाई, फोटोग्राफी का कार्य भी कराया जाता है। यह संस्थान श्रवण बाधिताओं के शिक्षण के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण भी देता है तथा एम.एड., बी.एड., एन.ए.एस.एल.पी. एवं बी.ए.एस.एल.पी. की उपाधि प्रदान की जाती है।

6. स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान - ओलतपुर (कटक)
(Swami Vivekanand National Institute of Rehabilitation Training and Research (Olatpur Cuttack)

भारत के समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा 1975 में इस संस्थान की स्थापना की गई। यह संस्थान शारीरिक रूप से बाधित बालकों की सहायता के लिए विभिन्न उपकरणों को तैयार करती है। इस संस्थान के उद्देश्य इस प्रकार है :-

1. शारीरिक रूप से बाधितों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
2. शारीरिक रूप से बाधित बालकों के विभिन्न अंगों तथा कठिनाईयों का पता लगाना, उसके अनुरूप साधनों का विकास करना।
3. इस संस्थान के अन्तर्गत विभिन्न विशेषज्ञ जैसे- डॉक्टर, इंजीनियर, मनोवैज्ञानिक आदि के सहयोग से शारीरिक रूप से बाधित बच्चों की समस्याओं का समाधान व पुनर्वास की व्यवस्था करना।
4. शारीरिक बाधितों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रतिमानों का विकास करना।

संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र (Composite Regional Centre)

संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विकलांग व्यक्तियों के लिए एक सेवा साधन। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय, के द्वारा विभिन्न प्रकार से बाधित व्यक्तियों के लिए भारत में विभिन्न राष्ट्रीय संस्थान एवं उच्च संस्थान है। इस मंत्रालय द्वारा कई संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रो की स्थापना की गई है। ये केन्द्र शिविर पर आधारित पुनर्वास से सम्बन्धित क्रियाओं के साथ-साथ विकलांग व्यक्तियों के लिए संसाधन केन्द्रो की भूमिका भी निभाते है। इन केन्द्रो के द्वारा विभिन्न प्रकार के विकलांग को सेवा प्रदान की जाती है। जैसे - श्रवण बाधित, मन्द बुद्धि, लकुआ, दृष्टि बाधिता, मानसिक पिछड़ेपन एवं अन्य विभिन्न प्रकार के विकलांगों को सुविधाएँ प्रदान की जाती है।

संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रो की स्थापना, उन कुछ चुनी हुई योजनाओं में से एक है जो सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मन्त्रालय द्वारा विकलांगो के कल्याण हेतु आवश्यक पहल करने हेतु बनाई गई है। एक समग्र कल्याण योजना के तहत इसका मुख्य उद्देश्य या प्रयोजन (1) देश के अक्षमताओं या विकलांगताओं से युक्त सभी व्यक्तियों तक पहुँचना और (2) अपनी पहुंच बनाकर ऐसा सभी प्रकार की सुविधाएें, आवश्यक संसाधन और क्षमता केन्द्रीय, राज्य, जिले और स्थानीय स्तर पर विकसित करने में उचित सहायता करना जिन्हें सभी प्रकार के विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु आवश्यक जागरूकता, पुनर्वास व्यवसायियों के प्रशिक्षण तथा सेवाएं प्रदान करने के तरीके विकसित किए जा सकें।

केन्द्रो का उद्देश्य (Objectives of Centres)

संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रो के उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को सेवाएें प्रदान करने के लिए संस्थानों एवं पुर्नावश्यकता संरचना का विकास करना है एवं इनके लिए मानव संसाधन विकास एवं अनुसंधान करना है। इन केन्द्रो का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर सुविधाएें प्रदान करना है न कि कुछ बड़े-बड़े शहरों में ही सेवा प्रदान करना है। संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रो द्वारा अपने अपने क्षेत्रों के लिए सामाजिक न्याय एवं

Scanned with CamScanner

सशक्तीकरण मन्त्रालय द्वारा निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं :

1. विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास और विशिष्ट शिक्षा के संसाधन केन्द्र के रूप में सेवा प्रदान करना।
2. विकलांग व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकारी एवं गैर-सरकारी सेक्टरों के लिए आवश्यक पुनर्वास व्यवसायिकों, ग्रामस्तर कार्यकर्ताओं, बहु पुनर्वास कार्यकर्ताओं एवं अन्य सहायकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के द्वारा मानव संसाधन विकास कार्य को हाथ में लेना।
3. विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों, समस्याओं और कल्याण की तरफ उनके माता-पिता और समुदाय में जागरूकता पैदा करने के लिए सार्वजनिक शिक्षा कार्यक्रमों को हाथ में लेना।
4. विकलांग व्यक्तियों के काम में आने वाले विभिन्न प्रकार के सहायक साधनों और उपकरणों को विकसित करने, उनका ठीक ढंग से निर्माण कर विकलांगों के लिए उपयुक्त बनाने सम्बन्धी कार्य करना।
5. इस प्रकार की शिक्षा और कौशल विकास सम्बन्धी सेवाऐं प्रदान करना जिनसे विकलांग व्यक्तियों को उनके रोजगार, पुनर्वास, आवागमन, सम्प्रेषण, मनोरंजन, तथा समाज में समायोजित होने हेतु उपयुक्त अवसरों की अधिक से अधिक उपलब्धि हो सके।
6. स्वयंसेवी संगठनों, माता-पिता समूहों और स्वसहायता समूहों को प्रोत्साहन और समर्थन देकर पुनर्वास सेवाओं को प्रदान करने के लिए व्यूहरचनाएँ विकसित करना।
7. क्षेत्र में व्याप्त विकलांगता की प्रकृति और गम्भीरता के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रकार की विकलांगता से युक्त व्यक्तियों के समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनुसंधान कार्य को हाथ में लेना और उन्हें प्रोत्साहित करना।
8. ग्रामीण क्षेत्र में विस्तार सेवाएं प्रस्तुत करते हुए समुदाय आधारित पुनर्वास के सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए उपस्थित चिकित्सकीय, शैक्षिक और रोजगार सेवाओं के साथ आपस में सम्पर्क स्थापित करना।

केन्द्रों में विशेषज्ञों की टीम सदस्य (Members of Team of Experts)

1. Audiologist
2. Clinical Psychologist
3. Occupational Therapist
4. Orientation & Mobility Instructor
5. Physical Medicine & Rehabilitation Specialist
6. Physiotherapist
7. Prosthetic & Orthotic Engineer
8. Rehabilitation Officer
9. Special Educators
10. Speech & Language Pathologist
11. Vocational Instructor

कुछ संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रों के नाम
(Name of Some Composite Regional Centres)

1. संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली।

2. संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ।
3. संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, श्रीनगर।
4. संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, भोपाल।
5. संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, पटना।
6. संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, गुहाटी।
7. संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, कोजिकोड।

संयुक्त क्षेत्री केन्द्रों के कार्य (Functions of CRCs)

1. **जागरूकता फैलाना** - पम्फलेट्स, ब्रोशर, पत्रिकाओं, प्रकाशन, मुद्रण मीडिया एवं विद्युत माध्यम से कार्यक्रम, प्रदर्शनी, जमीनीकार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, विद्यालयों/विश्वविद्यालयों में चर्चा एवं विभिन्न अन्य कार्यक्रमों से विकलांगता से सम्बन्धित जागरूकता एवं सूचनाऐं प्रदान करना।
2. **सरकारी संस्थानों से सम्बन्ध स्थापित करना** - विकलांगता से सम्बन्धित सुविधाऐं प्रदान करने के लिए सरकारी संस्थानों के साथ सम्बन्ध स्थापित करना।
3. **गैर-सरकारी संस्थानों एवं अभिभावकों को सहारा देना** - समय-समय पर गैर-सरकारी संस्थानों एवं विकलांग बच्चों के अभिभावकों की विकलांग बच्चों की सहायता के लिए उनका साथ देना।
4. **मानव संसाधनों का विकास** - विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए विभिन्न पेशेवरों एवं अभिभावकों को समय-समय पर दीर्घ एवं लघु प्रशिक्षण प्रदान करना।
6. **विकलांग व्यक्तियों को सेवाऐं प्रदान करना** - विभिन्न प्रकार से विकलांग व्यक्तियों को विशेषज्ञों द्वारा सेवाऐं प्रदान करना। विकलांग व्यक्तियों को उनकी योग्यतानुसार विभिन्न प्रकार की शिक्षाऐं प्रदान करना।
7. **विशेष शिक्षा एवं अवकाश प्रशिक्षण को प्रोत्साहन करना** - विद्यालयों में विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए प्रशिक्षण देना एवं अन्य सुविधाऐं प्रदान करना।
8. **विकलांगता के क्षेत्र में अनुसंधान** - विकलांग व्यक्तियों की सुविधाओं के लिए विकलांगता से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के अनुसंधान करना।

इन सभी संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रों के सम्पूर्ण नियन्त्रण, नीति निर्धारण तथा वित्तीय मामलों के संचालन का उत्तरदायित्व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय भारत सरकार के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा होता है। परन्तु जहाँ तक उनके काम की देख-रेख करने और उन्हें उनके उद्देश्य एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन में उचित सहायता, परामर्श एवं नेतृत्व प्रदान करने का उत्तरदायित्व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय ने उस क्षेत्र में कार्यरत विकलांगों के सशक्तीकरण हेतु स्थापित राष्ट्रीय संस्थानों को सौंपा गया है। परन्तु जहाँ ये राष्ट्रीय संस्थान नहीं है वहाँ उन राज्यों के (जहाँ ये एकीकृत क्षेत्रीय केन्द्र कार्यरत है) सामाजिक कल्याण मन्त्रालयों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र
(District Disability Rehabilitation Centre)

जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय

Scanned with CamScanner

स्तर पर एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी विकलांग व्यक्तियों को जिला केन्द्रों पर पुनर्वास की सुविधाएँ मुहैया कराना है। ये जिला केन्द्र राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय संस्थानों, DRCs एवं ALIMCO की सहायता से स्थापित किये जाते हैं। इन केन्द्रों की सहायता से अब दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकलांग लोगों के लिए सुविधायें मुहैया कराई जाती है।

प्रारम्भ में सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मन्त्रालय, भारत सरकार ने 1985-1990 के दौरान दूरदराज के लोगों के लिए (1) विकलांगता युक्त व्यक्तियों को प्रारम्भिक स्तर की समग्र एवं विस्तृत सुविधाएँ प्रदान करने और (2) जिला स्तर पर जागरूकता पैदा करने, पुनर्वास कराने तथा पुनर्वास कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए साधन, सामग्री आदि का सृजन तथा क्षमता निर्माण करने सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए जिला अक्षमता पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की थी।

कालान्तर में नि:शक्तजन अधिनियम 1995 (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण सहभागिता) नामक कानूनी उपाय प्राप्त होने पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय ने अपने दूरदराज तक सहायता पहुंचाने वाली गतिविधियों को, अधिनियम के उचित रूप से क्रियान्वयन के लिए एक सुनियोजित योजना के रूप में और भी विस्तृत और समृद्ध किया। फलस्वरूप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय ने राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से विकलांग व्यक्तियों को सभी आवश्यक ... से विस्तृत सेवाएँ प्रदान करने हेतु देश के सभी जिलों में (जिनमें पहले ये सेवाएँ उपलब्ध नहीं थी।) जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना करने की अनुमति प्रदान कर दी।

जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द के कार्य

1. विकलांग बच्चों के लिए विकलांगता प्रमाणपत्र जारी करना।
2. सहायक उपकरणों की आवश्यकता का प्रबन्धन करना।
3. सहायक उपकरणों की समय पर मरम्मत करना।
4. विभिन्न प्रकार के उपचारात्मक कार्य करना जैसे - Speech Therapy, OT, PT, Mobility Instructions ।
5. उपयुक्त वातावरण तैयार करना।
6. विकलांग को दूर करने के लिए समय रहते महत्वपूर्ण कदम उठाना।
7. विकलांग बच्चों की सम्बन्धित शिक्षा को बढ़ावा देना एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना।
8. विकलांग बच्चों को समय-समय पर प्रशिक्षण प्रदान करना।
9. विकलांग बच्चों को रोजगार के लिए अभिप्रेरित करना।
10. उपयुक्त संसाधन प्रदान करना।
11. विकलांग बच्चों की योग्यता एवं क्षमता के अनुसार रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराना।
12. अभिभावक एवं विद्यालय के सहायता से अभिप्रेरक गोष्ठियों का आयोजन करना।

राज्य में जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द की स्थापना
(Establishment of a DDRC in a State)

केन्द्र के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना (Funding by the Centre)

पी.डब्ल्यू.डी अधिनियम 2005 की क्रियान्वयन योजना के अनुसार जिला अक्षमता पुनर्वास केन्द्रों की

स्थापना केन्द्र और राज्य सरकार का एक संयुक्त प्रयास है। राज्य सरकारों को अपने राज्य में पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम में बताई गई बातों के अनुसार जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने के लिए कहा गया और केन्द्र द्वारा सहायता प्रदान की गई।

नि:शक्तजन अधिनियम 1995 (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) के क्रियान्वयन की स्कीम के तत्वाधान में जिला अक्षमता पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना हेतु सभी राज्यों को तीन वर्षों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है परन्तु उत्तर पूर्वी राज्यों, जम्मू-कश्मीर, अण्डमान निकोबार के संघ प्रशासित, लक्षद्वीप पुडुचेरी, दादर-नागर हवेली और दमन द्वीप में 5 वर्षों तक यह सहायता दी जाती है। इसके बाद इन केन्द्रों को 'दीनदयाल अक्षमता पुनर्वास योजना' के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

राज्य सरकारों की भूमिका (Role of State Government)

राज्य सरकारों से आशा की जाती है कि वे इन केन्द्रों की स्थापना और प्रभावशाली कार्यप्रणाली के लिए निम्नलिखित प्रकार की गतिविधियों में शामिल होकर अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करें :

1. **जिला प्रबन्धन टीम का निर्माण** (Formation of District Management Team - DMT) - जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला प्रबन्धन टीम का गठन किया जाना चाहिए जिसमें समाज कल्याण/विकलांग कल्याण, स्वास्थ्य, पंचायत राज्य, महिला एवं बाल कल्याण विभागों के अधिकारियों और अन्य विशेषज्ञों जिन्हें जिला कलक्टर शामिल करना चाहता है, को शामिल किया जाएगा। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में इसी टीम की देखरेख में ये जिला अक्षमता पुनर्वास केन्द्र कार्य करेंगे। इस टीम में अच्छे समन्वयन के लिए क्रियान्वयन एजेन्सी से एक नोडल अधिकारी, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि तथा जनता के प्रतिनिधि भी शामिल किए जा सकते हैं। यह टीम केन्द्र की सभी प्रकार की सम्पत्ति व सामग्री की देखभाल के लिए भी उत्तरदायी होगी। एक नोडल अधिकारी जो जिला विकलांग पुनर्वास अधिकारी के रूप में जाना जाएगा, उसकी नियुक्ति भी जिला स्तर के अधिकारियों में से ही होगी और टीम में शामिल यह अधिकारी डी.डी.आर.सी. से सम्बन्धित सभी गतिविधियों की देख-रेख एवं उत्तरदायित्व का कार्य निभाएगा।
2. **जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र को चलाने के लिए डी.एम.टी. द्वारा उचित कार्यवाहक एजेन्सी की पहचान** - एक कार्यवाहक एजेन्सी के रूप में मुख्य रूप से रेड क्रॉस समिति या किसी राज्य सरकार की किसी स्वायत्ततापूर्ण या अर्धस्वायत्तता प्राप्त संस्थान को अथवा किसी एक प्रतिष्ठित अपने अच्छे काम के लिए जाने वाले गैर-सरकारी संगठन जो.डी.डी.आर. को शुरू से ही अच्छी तरह प्रबन्धित रखने की क्षमता रखते हों, उन्हें यह काम सौंपा जा सकता है।

   परन्तु इस प्रकार की कार्यवाहक एजेन्सी का चयन डी.एम.टी. के द्वारा बड़ी सावधानी और निष्पक्ष ढंग से किया जाना चाहिए और जहाँ तक हो सके जिला रेड क्रॉस समिति और राज्य स्वास्थ्य विभाग से पंजीकृत संस्थाओं को ही प्राथमिकता देने का प्रयास करना चाहिए।
3. **जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द के लिए स्थान की उपलब्धता** - जिला अधिकारियों को डी.डी.आर.सी. के लिए एक किराया रहित भवन उपलब्ध कराना चाहिए जहाँ पर बिना किसी रुकावट के आसानी से पहुँचा जा सके। बिजली, पानी की भली-भाँति सुविधा हो और उसका क्षेत्रफल कम से कम 150 वर्ग मीटर के लगभग हो।

Scanned with CamScanner

4. **जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र का स्टाफ :** इस केन्द्र के लिए अधिक से अधिक 10 स्टाफ सदस्य हो जो निर्धारित योग्यता रखते हो और जिन्हें निर्धारित मानकों के अनुसार निश्चित मानदेय दिया जाता हो। भारतीय पुनर्वास परिषद् से पंजीकृत लोगों को पुनर्वास कार्यकर्ता के रूप में प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके लिए स्थायी तौर पर नियुक्ति के लिए पदों का सृजन नहीं किया गया है। कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा या जिला प्रबन्धन टीम द्वारा जहाँ तक सम्भव है। स्थानीय संसाधनों के माध्यम से ही मानदेय या ठेके के आधार पर स्टाफ की नियुक्ति की जानी चाहिए।

जिला प्रबन्धन टीम का अध्यक्ष (जिला कलक्टर) अपने जिले में डी.डी.आर.सी. स्थापित करने के लिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय भारत सरकार को प्रस्ताव भेजते समय, अपने प्रस्ताव में निम्नलिखित प्रकार के व्यक्तियों की स्टाफ के रूप में पहचान कर सूचना भेजता है :

i) क्लीनिकल मनोवैज्ञानिक/मनोवैज्ञानिक
ii) उच्च फिजियोथेरेपिस्ट/व्यवसायिक थेरेपिस्ट
iii) अस्थि एवं मांसपेशीय विकलांग प्रोस्थेटिस्ट/ऑर्थोटिस्ट
iv) प्रोस्थेटिस्ट/ऑर्थोटिस्ट टैक्नीशियन
v) स्पीचथेरेपिस्ट/ऑडियोलोजिस्ट
vi) हियरिंग असिस्टेन्ट/जूनियर स्पीचथेरेपिस्ट
vii) मोबिलिटी इन्सट्रक्टर
viii) बहुप्रयोजन पुनर्वास कार्यकर्ता
ix) अकाउन्टेन्ट-कम-क्लर्क-कम-स्टोरकीपर
x) अटेन्डेन्ट-कम-पिओन-कम-मैसेन्जर

5. **डी.डी.आर.सी. खोलने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय को प्रस्ताव भेजना** - जिला प्रबन्धन टीम के अध्यक्ष के रूप में जिला कलेक्टर अपने जिले में जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने के लिए निर्धारित प्रारूप में (जरूरी सूचनाएँ भरकर), MSJE से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अपना प्रस्ताव MSJE के सम्बन्धित अधिकारी के पास भेजेगा।

6. **डी.डी.आर.सी. स्थापित करने के लिए स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जाने वाला कार्य -**

क) डी.डी.आर.सी. स्थापित करने के लिए जरूरी उपकरणों की प्राप्ति करना - नोडल आफीसर तथा कार्यवाहक एजेन्सी और चयनित स्टॉफ की सहायता से जिला प्रबन्धन टीम जरूरी उपकरणों (MSJE द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार) को केन्द्र द्वारा प्राप्त सहायता से खरीदने का कार्य करेगी।

ख) विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक साधनों और उपकरणों की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार की सहायता लेना।

ग) (पहचान किए गए व्यक्तियों में से) स्टाफ की नियुक्ति करना (डी.डी.आर.सी. के कार्य के लिए)

घ) राष्ट्रीय विकलांग संस्थाओं से राज्य सरकार के साथ समन्वय द्वारा डी.डी.आर.सी. के मानव संसाधन को प्रशिक्षण प्राप्त कराना।

डी.डी.आर.सी. के द्वारा किए जाने वाले उद्देश्य (Objectives to be Served by A DDRC)

जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र से आशा की जाती है कि वह निम्नलिखित उद्देश्य की प्राप्ति कर अक्षमता युक्त व्यक्तियों को पुनर्वास में सहारा प्रदान करें :

1. कैम्प उपागम अपना कर विकलांग व्यक्तियों का सर्वेक्षण और पहचान करना।
2. प्रारम्भ में ही अक्षमता का पता लगाकर उसकी रोकथाम करने तथा उसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता उत्पन्न करना।
3. विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरणों का जरूरत का आकलन करना तथा प्रावधान करना। सहायक उपकरण को जरूरत के अनुसार फिट करवाना, अनुगमन करना तथा सहायक साधन का रखरखाव करवाना।
4. थेरेपेटिक सेवाएं प्रदान करना, जैसे - फिजियोथेरेपी, व्यवसायिक थेरेपी, स्पीचथेरेपी आदि।
5. विकलांग युक्त व्यक्तियों के लिए अक्षमता प्रमाण पत्र, बस का पास तथा अन्य प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था करना।
6. सरकारी एवं दान पर चलने वाली संस्थाओं के द्वारा सर्जिकल सुधार की व्यवस्था एवं सिफारिश करना।
7. सरकारी एवं दान पर चलने वाली संस्थाओं के द्वारा सर्जिकल सुधार की व्यवस्था एवं सिफारिश करना।
8. स्व-रोजगार के लिए बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से लोन दिलाने की व्यवस्था करना।
9. विकलांग व्यक्तियों, उनके माता-पिता तथा परिवार के सदस्यों को परामर्श देना।
10. रुकावट/प्रतिरोध रहित वातावरण का विकास करना।
11. विकलांग युक्त व्यक्तियों के लिए, व्यवसायिक प्रशिक्षण और रोजगार प्रोन्नत करने की निम्नलिखित प्रकार की प्रोत्साहनजनक और पूरक सेवाएँ प्रदान करना :

- शिक्षकों, समुदाय और परिवारों को ओरिएन्टेशन तथा प्रशिक्षण प्रदान करना।
- विकलांग युक्त व्यक्तियों को विकलांगता के शुरू में ही पता लगाने तथा शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के लिए जल्दी ही उत्प्रेरित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना।
- विकलांग व्यक्तियों के लिए स्थानीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उचित व्यवसाय की पहचान करना, व्यवसायिक प्रशिक्षण देना, उनके लिए उचित नौकरी की पहचान करना, जिसमें उन्हें आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
- वर्तमान में उपलब्ध शैक्षिक प्रशिक्षण और व्यवसायिक संस्थाओं में सिफारिश सम्बन्धी सेवाएँ प्रदान करना।

जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र द्वारा की जा रही गतिविधियाँ (Activities Undertaken by DDRC)

1. **विकलांग व्यक्तियों का सर्वेक्षण करना** - डी.डी.आर.सी. अक्षमों की संख्या और अक्षमताओं की

Scanned with CamScanner

प्रकृति के बारे में सभी प्रकार की उपलब्ध सूचनाओं और आंकड़ों को संकलित करने का प्रयास करता है। इस कार्य के लिए जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं-आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, पटवारी, ग्राम पंचायत के सदस्य काफी सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

2. सहायक उपकरणों का आकलन/उपयुक्त ढंग से लगाना/अनुगमन कार्य और मरम्मत आदि -

क) सहायक उपकरणों को विकलांग व्यक्ति के पीड़ित अंग में उपयुक्त ढंग से लगाना, जिला केन्द्र की एक प्रमुख गतिविधि हो सकती है। कैम्प उपागम और संस्थागत उपागम के मिले-जुले को सहायक उपकरणों को ठीक ढंग से फिट करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इन सहायक उपकरणों के लिए ए.डी.आई.पी. स्कीम द्वारा खर्चा वहन किया जाना चाहिए। वास्तविक व्यवस्था करने के लिए कार्यवाहक एजेन्सी उत्तरदायी होगी तथा खर्च का एकाउन्ट रखने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

ख) कार्यवाहक संस्था को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन विकलांग व्यक्तियों का सहायक उपकरणों को ठीक प्रकार से उपयोग में ला पा रहे हैं या नहीं।

ग) सहायक उपकरणों के प्रभावशाली एवं ठीक उपयोग के लिए और थेरेपेटिकल सेवाएँ प्रदान करने के लिए विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। इन उपकरणों के उपयोग तथा रख-रखाव के लिए उन्हें स्थानीय भाषा में ओरख/चित्र सहित छपे हुए पैम्फलेट के रूप में अनुदेशन भी दिया जाना चाहिए।

3. **विकलांगता के लिए निरोधात्मक उपायों को प्रोत्साहित करना** - विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे - माता तथा शिशु में कुपौष्टिकता के विरूद्ध अभियान, उचित पर्यावरणीय तथा सफाई सम्बन्धी स्थिति, आयोडीन की कमी, अंधेपन की रोकथाम, लेप्रोसी की रोकथाम, नियमित टीकाकरण कार्यक्रम से सम्बन्धित अभियान जैसे - पल्सपोलियो आदि। इन कार्यक्रमों का ध्यान केवल बीमारी या मृत्यु बचाव पर ही नहीं बल्कि विकलांगता पर भी केन्द्रित होना चाहिए। इसलिए जिला केन्द्रों को बचाव सम्बन्धी सूचनाओं को प्रदान करने सम्बन्धी कार्य में सुधार लाने की आवश्यकता है ताकि स्वास्थ्य कार्यक्रमों और योजनाओं तथा अक्षमता/विकलांगता को रोकने के लिए किये गये उपायों में उचित सम्बन्ध बनाया जा सके।

4. **शीघ्र उपचारात्मक कदम उठाना** - विकलांगता का समय रहते ही निदान करना और उसके लिए उपचारात्मक कदम उठाना विकलांगता को आगे उग्र रूप लेने से बचाने में मदद कर सकता है और साथ ही विकलांग बालकों का सभी स्तरों पर अन्य बालकों के साथ सफलतापूर्वक समावेशीकरण करने में भी मदद कर सकता है। इसलिए प्रत्येक डी.डी.आर.सी. को एक प्रारम्भिक अवस्था में ही उपचार करने वाली यूनिट की स्थापना करनी चाहिए। विकलांग बालकों के माता-पिता को इस यूनिटों में आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें इन बालकों के उपचार हेतु स्थानीय उपलब्ध साधनों की मदद से अपने निवास पर ही कम खर्च में अपने बालकों के उपचार के लिए सुझाव देना चाहिए।

5. **अवरोध/बाधा मुक्त वातावरण** - अवरोध मुक्त परिवेश का प्रावधान सहयोगी उपकरणों का एक अन्य महत्वपूर्ण पूरक बनकर विकलांग व्यक्तियों को उनके अपने कार्यों को सुविधापूर्वक करने में अच्छी तरह मदद कर सकता है। इस कार्य हेतु

क) सभी नई विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र से सम्बन्धित तथा सार्वजनिक उपयोग में आने वाली इमारतें जैसे विद्यालयों तथा छात्रावासों, पंचायत तथा अन्य सरकारी इमारतों, अस्पताल, बाजार, बस स्टैण्ड, पार्क, सार्वजनिक शौचालय आदि को शहरी मामलों तथा रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी निर्धारित नियमावली के मानकों में उपयुक्त अवरोधक मुक्त करने के प्रयास किये जाने चाहिये।

ख) ऐसा करने का मूल उत्तरदायित्व स्थानीय सरकारों का होगा।

ग) शुरूआती चरण में सार्वजनिक इमारतें जैसे कलेक्टरेट जिला चिकित्सालयों, स्थानीय बस स्टैन्ड, महाविद्यालयों तथा विद्यालयों को अवरोध मुक्त बनाने का प्रयास किया जाना चाहिये।

घ) कार्यवाहक एजेन्सियों को इस कार्य हेतु जिला केन्द्रों द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान करने में समर्थ बनाया जाना चाहिए।

6. **शिक्षा/व्यवसायिक प्रशिक्षण/रोजगार दिलाने में बढ़ोतरी करना** - शिक्षा, प्रशिक्षण एवं रोजगार पुनर्वास के महत्वपूर्ण अवयव हैं, इसलिए -

क) शिक्षकों/समुदायों/परिवारों के लिए ओरिएन्टेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कार्यवाहन एजेन्सी द्वारा आयोजन किया जाना चाहिए।

ख) केन्द्रों को विभिन्न एजेंसियों जैसे - National Handicapped Finance and Development Corporation (NHFDC) और Vocational Rehabilitation Centres (VRCs) आदि के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को उचित व्यवसाय, उनके लिए सम्भव रोजगारों में नौकरी दिलाने तथा अन्य प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करने का कार्य भी करना चाहिए।

7. **प्रगति प्रतिवेदन** - जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों को अपनी कार्यप्रणाली से सम्बन्धित रिपोर्ट राज्य सरकार के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय (एम.एस.जे.इ.) को प्रस्तुत करनी होती है। एम.एस.जे.ई. भी बाह्य एजेन्सियों के द्वारा इन जिला केन्द्रों की कार्यप्रणाली का प्रतिवर्ष प्रतिदर्श के आधार पर मूल्यांकन कराता रहता है ताकि उसे यह ज्ञात होता रहे कि राष्ट्रीय स्तर पर इन केन्द्रों द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है।

गैर सरकारी संगठन

(Non-Govermental Organisation (NGO))

'गैर सरकारी संगठन' (NGO) एक ऐसा शब्द है जो बिना किसी सरकारी भागीदारी या प्रतिनिधित्व के साथ प्राकृतिक या कानूनी व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए विधिवत संगठित गैर सरकारी संगठनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये संगठन पूरी तरह से या आंशिक रूप से सरकारों द्वारा निधिबद्ध होते हैं। गैर सरकारी संगठन अपना गैर सरकारी ओहदा बनाए रखता है और सरकारी प्रतिनिधियों को संगठन में सदस्यता से बाहर रखता है। गैर सरकारी संगठन एक आम उपयोग का शब्द है, लेकिन एक कानूनी परिभाषा नहीं है। कई न्यायालयों में इस प्रकार के संगठनों को 'नागरिक समाज संगठन' के रूप में परिभाषित किया जाता है या अन्य नामों से निर्दिष्ट किया जाता है।

गैर सरकारी संगठनों की कार्य प्रणाली में अन्तर होता है। कुछ मुख्य रूप से पैरवी करते हैं जबकि अन्य मुख्य रूप से कार्यक्रम तथा गतिविधियां संचालित करते हैं। Oxfam जैसे की एक गैर सरकारी संगठन, जो कि गरीबी उन्मूलन से सम्बन्धित है, भोजन तथा स्वच्छ पेय जल का पता लगाने

Scanned with CamScanner

के लिये जरूरतमन्द लोगो को उपकरण तथा कुशलता प्रदान करता है, जबकि FFD जैसे गैर सरकारी संगठन (NGO) जांच तथा दस्तावेजो के द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों मे सहायता देते है तथा मानवाधिकार उत्पीड़न के शिकार लोगो को कानूनी सहायता प्रदान करते है।

सार्वजनिक सम्बन्ध

गैर सरकारी संगठनो को अपने लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिये जनता के साथ स्वस्थ सम्बन्धों की आवश्यकता होती है। संगठन तथा धर्मार्थ संस्थाऐं सरकार के साथ मानक लॉबिंग तकनीक का प्रयोग करने तथा कोष को बढ़ाने के लिये परिष्कृत जन सम्पर्क अभियान का प्रयोग करते है। अभिरुचि समूह उनके सामाजिक तथा राजनीतिक परिणामो को प्रभावित करने की क्षमता के कारण राजनीतिक महत्व के हो सकते है। गैर सरकारी संगठनो के विश्व संगठन द्वारा नीतिशास्त्र का एक कोड (14), 2002 मे स्थापित किया गया था।

कोष के साधन

गैर सरकारी संगठनो अपने कार्यों को सुचारू रूप में चलाने के लिए सरकार से आंशिक रूप से या पूर्ण रूप मे कोष प्राप्त करते है। लोगो द्वारा चन्दे एवं दान के लिए मे भी कोष स्वीकार करते है।

विकलांग व्यक्तियो की सहायता मे गैर संगठनो का योगदान

विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सुविधाऐं प्रदान करने में गैर सरकारी संगठन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकारी की गैर हाजरी में ये संगठन लगातार विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास सुविधाऐं प्रदान करने में लगे रहते है। ये संगठन सरकार की योजनाओं में भी अपनी अहम् भूमिका निभाते हैं। गैर संगठनो के योगदान -

1. पुनर्वास के क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्धित संस्थानों से शिक्षा एवं प्रशिक्षण की निरन्तर सूचना एकत्रित करते रहना।
2. विकलांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न संस्थानो का सहयोग करके पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार करना।
3. पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान अनुसंधान करना एवं प्रोत्साहन करना।
4. पम्फलेट्स, ब्रोशर, पत्रिकाओं, प्रकाशन, मुद्रण मीडिया एवं विद्युत माध्यम से कार्यक्रम, प्रदर्शनी, जमीनीकार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, विद्यालयों/विश्वविद्यालयों में चर्चा एवं विभिन्न अन्य कार्यक्रमों में विकलांगता से सम्बन्धित जागरूकता एवं सूचनाऐं प्रदान करना।
5. विकलांगता से सम्बन्धित सुविधाऐं प्रदान करने के लिए सरकारी संस्थानो के साथ सम्बन्ध स्थापित करना।
6. समय-समय पर गैर-सरकारी संस्थानो एवं विकलांग बच्चों के अभिभावकों की विकलांग बच्चों की सहायता के लिए उनका साथ देना।
7. विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए विभिन्न व्यवसायिकों एवं अभिभावकों को समय-समय पर दीर्घ एवं लघु प्रशिक्षण प्रदान करना।
8. विभिन्न प्रकार से विकलांग व्यक्तियों को विशेषज्ञों द्वारा सेवाऐं प्रदान करना। विकलांग व्यक्तियों को उनकी योग्यतानुसार विभिन्न प्रकार की शिक्षाऐं प्रदान करना।

9. विभिन्न प्रकार के विकलांग बच्चों के लिए आवासीय तथा गैर-आवासीय स्कूल चलाना, जैसे - मूक एवं बधिर विद्यालय, अंध विद्यालय, बौद्धिक विकलांग विद्यालय आदि।
10. विकलांग बच्चों की शिक्षा एवं पुनर्वास मे लगी हुई संस्थाओं और विद्यालयों को सहायता एवं सहयोग प्रदान करना जैसे - (1) मानव संसाधनो की व्यवस्था करना (2) इन संस्थाओं मे सुविधाऐं जुटाने, सहायक उपकरण और शिक्षण सहायक साधन खरीदने मे सहायता करने के लिए जनता से चन्दा एकत्रित करना।
11. विकलांग व्यक्तियों की संख्या, उनकी विकलांगताओं की प्रकृति, विभिन्न प्रकार की विकलांग बालकों की विशेष जरूरतें, एक विशेष क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा और पुनर्वास सेवाओं की उपलब्धता, सरकारी एवं गैर-सरकारी सहायता की उपलब्धता तथा विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए सहायक उपकरणों और साधनों की खरीद तथा रखरखाव के लिए प्राप्त सुविधाओं की उनकी उपलब्धता, विकलांगों की विशेष जरूरतों, समस्याओं और उनके लिए किए गए प्रावधानों के सम्बन्ध में माता-पिता तथा जनसाधारण में जागरूकता, विकलांग बच्चों के प्रति जनता की अभिवृत्ति और भावनाऐं आदि के बारे में सूचनाओं का आंकड़ा बैंक बनाना।
12. विकलांग और विकलांगताओं के बारे मे एकत्रित किए गए उपलब्ध आंकड़ो को विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा और पुनर्वास से सम्बन्धित नीतियों और स्कीमो के क्रियान्वयन में लगी हुई सरकारी एजेन्सियो तथा संस्थानों को उपलब्ध करवाना या फिर उन संस्थाओं और एजेन्सियों की जरूरत के अनुसार आंकड़ों के संग्रह में उनकी सहायता करना।
13. विकलांग व्यक्तियों के लिए एक अवरोध रहित परिवेश का निर्माण करने में सम्बन्धित अधिकारियों, संस्थाओं और एजेन्सियों को सहायता और सहयोग प्रदान करना।
14. जनसाधारण में विकलांग बच्चो के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति और भावना विकसित करना तथा विकलांग बालकों को एक आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में विकसित होने तथा समाज के एक उपयोगी और उत्पादक अंग के रूप में अपने आप को सिद्ध करने सम्बन्धी अपनी क्षमता में आस्था और विश्वास पैदा करने के लिए जागरूकता का सृजन करना।
15. बालकों को विकलांगता से बचाव हेतु आवश्यक निरोधात्मक उपायों को अपनाने हेतु संसाधन जुटाना और इसके लिए स्वयं क्रियाशील रहना। इस सम्बन्ध में जिस प्रकार के निरोधात्मक उपाय किए जा सकते हैं, वे प्रायः जिन सेवाओं से सम्बन्धित रहते है वे है - स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अभियान, टीकाकरण तथा पल्सपोलियो कार्यक्रम, गर्भावस्था मे माता की देखभाल और उनके लिए उचित पोषण की व्यवस्था, प्रसव और उसके बाद माताओं की उचित देख-रेख और सन्तुलित आहार की व्यवस्था, दुर्घटनाओं, महामारी, प्रदूषण और मिलावट इत्यादि से सम्बन्धित कल्याणकारी कार्यों में भागीदारी निभाना इत्यादि।
16. विकलांग बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालयों द्वारा समेकित शिक्षा व्यवस्था को अपनाने और उसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में सहायक सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण करने तथा विद्यालय को इस कार्य हेतु जिस प्रकार की बाह्य सहायता-आर्थिक या सेवा रूप में चाहिए उसे प्रदान करने में अपना सहयोग देना।

Scanned with CamScanner

6

विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं उनकी अधिगम शैली
[Children with Special Needs and Their Learning Styles]

विशेष बालक (Exceptional Children)

...संविधान के 93 वें संशोधन में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकृत किया गया है। ...जनसंख्या के आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि 22 करोड़ बच्चों में से 2 करोड़ बच्चे विशिष्टता ...हुए हैं। इसमें से केवल 4 या 5 प्रतिशत बच्चे ही शिक्षा का लाभ उठा पा रहे हैं। प्रजातान्त्रिक ...व्यवस्था के अनुसार सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है चाहे वह शारीरिक, ...मानसिक, दृष्टि, श्रवण या किसी भी प्रकार से अस्थि बाधित हो, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का ...अधिकार है। प्रत्येक कक्षा में कुछ विशिष्ट बालक पाये जाते हैं। उन्हें अन्य बालकों की अपेक्षा ...अधिक सहायता की आवश्यकता होती है। उनकी अधिगम सम्बन्धी कई समस्याएँ हैं जिनका ठीक ...समाधान नहीं हो पाता है। ऐसी दशा में वे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब यह आवश्यकता है कि ...विशिष्ट बच्चों के लिए विशेष शैक्षिक सुविधाऐं उपलब्ध करायी जाय जिससे कि ये बच्चे भी समान ...रूप से शिक्षा का लाभ उठा सकें। विशिष्ट बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं से पूर्व विशिष्ट बालकों ...के अर्थ को समझना आवश्यक है।

विशिष्ट बालक (Exceptional Children)

...विशिष्ट शब्द अपने आप में पृथकता लिए हुए है। कुछ लोग विशिष्ट का प्रयोग निपुणता के लिए करते ...हैं जबकि कुछ असाधारण बच्चों के लिए करते हैं। कुछ विद्वानों के विचार इस प्रकार हैं :-

...क्रो एवं क्रो : 'शब्द प्रतिभाशाली एक विशिष्ट रूप की ओर व्यक्ति के मस्तिष्क को आकर्षित करता ...है जो इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि किसी विशेष वस्तु या गुणों के कारण वह वस्तु अथवा व्यक्ति ...अपनी ओर दूसरों का ध्यान आकर्षित कर लेता है। ऐसी परिस्थिति में उस विशेष व्यक्ति का कार्य तथा

Scanned with CamScanner

व्यवहार प्रभावित होता है।"

टेलफोर्ड तथा सावरे : "विशिष्ट का अर्थ दुर्लभ गुणों से है।"

हेवेट तथा फोरनेस : "विशिष्ट ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी शारीरिक, मानसिक बुद्धि, संवेगों, मांसपेशियों की क्षमताएँ अनोखी हों, अर्थात् ऐसे गुण दुर्लभ हों ऐसी अनोखी दुर्लभ क्षमताएँ उसकी प्रवृत्ति और कार्यों के स्तर में भी हो सकती है। इस प्रकार के बालक प्रतिभाशाली बालक के रूप में परिभाषित होते है। ऐसे बालक बड़ी आसानी से अन्य बालकों के बीच पहचाने जा सकते है।"

किर्क : "विशिष्ट बालक अपने दैनिक, बौद्धिक एवं सामाजिक गुणों में सामान्य बालकों से भिन्न होते है उसकी भिन्नता इतनी अपसारित होती है वह सामान्य कक्षा-कक्ष क्रियाओं से लाभ नहीं उठा सकता, उसकी क्षमता के उच्चतम विकास के लिए विद्यालय के कार्यक्रम में परिवर्तन अथवा विशिष्ट शिक्षा सेवाओं अथवा पूरक अनुदेशन की आवश्यकता होती है।"

डब्ल्यू.एम.क्रूकशेन्क : "एक विशिष्ट बालक वह है जो शारीरिक, बुद्धिमानी और समाज के आधार पर सामान्य बालक की अपेक्षा गुणों में अधिक विकसित हो तथा सामान्य शिक्षा कक्ष में शिक्षण के कार्यक्रम के मध्य उसे विशिष्ट प्रकार के व्यवहार की आवश्यकता हो।"

निःशक्तजन अधिनियम 1995 : 'किसी व्यक्ति में विकलांगता है यदि उसकी दैहिक अथवा मानसिक बाधिता उसकी दिनचर्या की क्रियाओं की योग्यता को महत्वपूर्ण ढंग से दीर्घकालीन नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।"

शिक्षा परिभाषा शब्दकोष : "वह बालक जो अपनी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक अथवा संवेगात्मक आवश्यकताओं में 'औसत' से 'विशिष्ट' हो तथा यह विशिष्टता इस स्तर की हो कि उसे अपनी क्षमता के विकास की उच्चतम सीमा तक पहुँचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, असाधारण अथवा विशिष्ट बालक कहलाता है।"

इस प्रकार स्पष्ट है कि विशिष्टता से अभिप्राय असाधारण से है। विशिष्ट वह है जो सामान्य से भिन्न हो वह किसी भी क्षेत्र में भिन्न हो सकता है चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक रूप से भिन्न हो या सामाजिक, संवेगात्मक आदि प्रकार से हो।

विशेष बालको की विशेषताऐं

विशेष बालको की विशेषताऐं इस प्रकार है :-

1) ये बालक रूप, लक्षण, क्षमता में भिन्न होते है।
2) विशेष बालक शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक रूप से भिन्न होते है।
3) ये बालक सामान्य कक्षा में समान शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते है।
4) इनके लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता होती है।
5) एक विशेष बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक तथा शैक्षणिक उपलब्धियों की धाराओं में सम्मिलित होता है।

विशेष बालको की आवश्यकताऐं

जैसा कि विशेष की परिभाषाओं से स्पष्ट है कि वे भिन्न हैं तो स्पष्ट है कि उनकी अनेक आवश्यकताएँ भी होती हैं इन आवश्यकताओं की यदि पूर्ति हो जाय तो ये बच्चे भी सामान्य बच्चों की भाँति

कर सकते है तथा उनकी क्षमता का विकास हो सकता है। विशिष्ट बालकों की कुछ विशेष आवश्यकताऐं इस प्रकार है :-

1) दैहिक आवश्यकता (Physical Needs)
2) शैक्षिक आवश्यकता (Educational Needs)
3) व्यावसायिक आवश्यकता (Occupational Needs)
4) संवेगात्मक आवश्यकता (Emotional Needs)
5) सामाजिक आवश्यकता (Social Needs)

1) **दैहिक आवश्यकता (Physical Needs) :-** दैहिक आवश्यकता से अर्थ बालक की शारीरिक विकलांगता के अनुरूप सुविधाओं से है। कई बालक दृष्टि, श्रवण, अस्थि या अन्य बाधिताओं से युक्त होते है। इनके लिए सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है। यदि इन बच्चों को सहायक उपकरणों को उपलब्ध कराया जाय तो ये कार्य करने में सहजता महसूस करेंगे।

2) **शैक्षिक आवश्यकता (Educational Needs) :-** कुछ विशेष बालक अपनी विकलांगता के कारण कक्षा में बताई गई बातों को आसानी से नहीं सीख पाते है। उन्हें धीमी गति से सीखने वाले बालक कहा जाता है। इन बालकों की भी विभिन्न शैक्षिक आवश्यकताऐं होती है। इनके लिए शिक्षण विधि व प्रविधियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है ताकि वे अपनी गति के अनुसार सीख सकें। दृष्टिहीन बालक को ब्रेल लिपि के माध्यम से आसानी से सिखाया जा सकता है। इस प्रकार अन्य बालकों की शैक्षिक जरूरतों के अनुसार शिक्षण किया जा सकता है। जिससे वे सभी विशिष्ट बालक सीख सकें।

3) **व्यावसायिक आवश्यकता (Occupational Needs) :-** विशेष व विकलांग बालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम व व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इन बच्चों के लिए सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार की व्यवस्था की जानी आवश्यक है इनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकारी नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

4) **संवेगात्मक आवश्यकता (Emotional Needs) :-** व्यक्ति की क्रियाओं व गतिविधियों में संवेगों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है संवेगों के अधीन रहकर ही वह अपना व्यवहार नियंत्रित करता है। कुछ बच्चे संवेगों के कारण क्रोध, विचलित होना, लड़ाई, झगड़ा करना आदि करते है। इनमें सहनशीलता कम पायी जाती है। ऐसे बच्चों के लिए प्रेम व सहानुभूति के आधार पर संवेग प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। क्योंकि संवेगों की कमी व अधिकता के कारण ही बालक असामान्य व्यवहार करता है। असामान्य व्यवहार को सामान्य बनाने के लिए उचित परामर्श, गतिविधियाँ, क्रिया कलाप, प्रेम, सहानुभूति ही उपकरण माने जाते है। इन उपकरणों के माध्यम से संवेगात्मक प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

5) **सामाजिक आवश्यकता (Social Needs) :-** विभिन्न प्रकार के विशिष्ट व्यक्तियों के लिए सामाजिक कुशलता आवश्यक होती है। उनकी अलग-अलग सामाजिक आवश्यकताऐं होती है उनके मान-सम्मान, पारिवारिक सम्बन्ध, समाज में इनकी भूमिका, सामाजिक गतिविधियों में इनकी सहभागिता आदि। अधिकांश समाज में इनकी विकलांगता के कारण उपेक्षा की जाती है तथा समाज से पृथक किया

Scanned with CamScanner

जाता है तथा हीन दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ तक कि माता-पिता भी भेदभाव करते है। ऐसा भेदभाव पूर्ण व्यवहार से ऐसे बच्चो में सामाजिक असुरक्षा आ जाती है। जबकि समाज में एकता जीवन यापन करना आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि समाज को इन बच्चो को स्वीकार करना होगा तथा सामाजिक गतिविधियों में इनकी भूमिका व उत्तरदायित्व दिये जाय और ऐसे बच्चों व व्यक्तियों का सहयोग, मित्रता, प्रेम आदि देकर सामाजिक गतिविधियों में अवसर प्रदान कर अपनाऐ।

विशेष बालकों की विशेष आवश्यकताओ की पहचान

विशिष्ट बालकों की शिक्षा व्यवस्था करने से पूर्व उन बच्चो की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करना आवश्यक होता है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अधीन पहचाने का प्रयास किया है कुछ योजनाऐं इस प्रकार है :-

1) **सेवारत शिक्षकों के लिए प्राथमिक कोर्स** :- सेवारत शिक्षकों के लिए कोर्स भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा विकसित किया गया है। यह कोर्स 3 माह का है इसमें सेवारत अध्यापकों को विशिष्ट बच्चे की विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं की जानकारी प्रदान की जाती है। कोर्स के पाठ्यक्रम की दूसरी दूरसंचार के माध्यम से दी जाती है।

2) **दूरवर्ती शिक्षा** :- विशिष्ट बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं सम्बन्धी कार्यक्रम का प्रारम्भ RCI ने दूरवर्ती माध्यम से की।

3) **विकलांगता, पुनर्वास व शिक्षा के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम** :- यह कार्यक्रम इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU द्वारा प्रारम्भ किया था।

4) **राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद** :- NCERT ने 1980-90 में 'अनेक वर्ग-शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स' प्रारम्भ किया था जिसकी अवधि 1 वर्ष थी। यह योजना किन्ही कारणों से क्रियान्वित नहीं हो पाई।

5) **माता-पिता को जागरूक करना** :- विशेष बालकों की विशेष आवश्यकताओ की पहचान में माता-पिता की भूमिका अत्यन्त आवश्यक है। इन बच्चों के माता-पिता के लिए RCI ने 6 माह का कोर्स विकसित किया है। इस कोर्स में दो सम्पर्क कार्यक्रम होते है जिसमें बाधित बच्चों के माता-पिता भाग लेते है।

विशेष बालको की पहचान किस प्रकार की जावे?

अब यह प्रश्न उठता है कि विभिन्न प्रकार के बाधित व विशेष बालकों की पहचान किस प्रकार की जाये। सामान्य विद्यालयों में कौन से उपकरण निर्धारित किये जाय जिनसे विशिष्टता की पहचान की जाये। विकलांगता की जाँच के लिए विद्यालय में निम्न प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

1) **प्रतिदीप्त परीक्षा (Screening)** :- यह कम खर्च व कम समय में किया जाने वाला परीक्षण है। इसमें विद्यालय के बच्चों के सामान्य दोषों का पता लगाया जा सकता है। आँखो की समस्या, कम सुनने की समस्या आदि दोषों की जाँच की जा सकती है। प्रतिदीप्त परीक्षा की कई विधि जैसे जाँच करना, जाँच की सूची बनाना आदि किये जाते है। इस परीक्षण से शिक्षक परीक्षण को बच्चों की कार्यकुशलता के बारे में अंदाजा हो जाता है इस परीक्षा के लिए परीक्षक

कुशल व प्रशिक्षित होना आवश्यक है अन्यथा परीक्षण ठीक नहीं होगा। यदि इस परीक्षण से बच्चो में कोई कमी है तो उससे सम्बन्धित चिकित्सक के पास ले जाकर नैदानिक जाँच की जाती है।

2) **नैदानिक जाँच (Diagnosis)** :- नैदानिक पद्धति में बच्चे की शारीरिक व मनोवैज्ञानिक कुशलताओं का मूल्यांकन किया जाता है। इस जाँच को प्रारम्भ करने से पूर्व बच्चे की सम्पूर्ण जानकारी ली जाती है इस पद्धति में बच्चे से लिया गया साक्षात्कार मनोवैज्ञानिक जाँच, शारीरिक कुशलता की जाँच का गहराई से अध्ययन किया जाता है, औषधि व चिकित्सा की जाँच,

3) **जाँच सूची (Check List)** :- जाँच सूची के माध्यम से विभिन्न बाधित बालकों की जानकारी प्राप्त की जाती है। यह प्रश्नों का एक क्रम है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते है। जब किसी बच्चे की समस्याओं का गहन अध्ययन कर निदान करना होता है तो उसके लिए जाँच सूची का प्रयोग किया जाता है कुछ जाँच सूची के नमूने इस प्रकार है :-

अस्थि बाधित बालको के लिए जाँच सूची का नमूना

बच्चे का नाम........................ कक्षा.................... आयु..........................

लक्षण	हाँ	नहीं	
1. क्या बच्चे के हाथ पैर के जोड़ो में दर्द रहता है?			
2. क्या बच्चे को चलने, उठने, बैठने में दिक्कत होती है?			
3. क्या बच्चा चलते-चलते गिर जाता है?			
4. क्या बच्चा लड़खड़ाता है?			
5. क्या बच्चे को उंगली मोड़ने में दर्द होता है?			
6. क्या बच्चे को लिखने में समस्या आती है?			
7. क्या बच्चे के अंग छोटे बड़े है?			
8. क्या बच्चे को मांसपेशियों में दर्द होता है?			
9. क्या बच्चा सहायक उपकरणों का प्रयोग करता है?			
10. क्या बच्चे को वस्तुऐं पकड़ने में समस्या है?			

दृष्टि बाधित वाले बालकों के लिए जाँच सूची का नमूना

बच्चे का नाम.................................. कक्षा...................... आयु..........................

लक्षण	हाँ	नहीं	
1. क्या बच्चा सिरदर्द की शिकायत करता है?			
2. क्या दूर की वस्तुओं को देखने में समस्या आती है?			
3. क्या आँखो से पानी आता रहता है?			
4. क्या आँखो में खुजन, जलन होती है?			

Scanned with CamScanner

5. क्या स्वरूप से मिलते शब्दों को ठीक से नहीं पहचान पाता है?			
6. क्या प्रकाश के प्रति संवेदनशील है?			
7. दोनों आँखों में समानता है?			
8. क्या आँखें अक्सर लाल रहती है?			
9. क्या बच्चे को रंगों की ठीक पहचान है?			

श्रवण बाधित वाले बालकों के लिए जाँच सूची का नमूना

बच्चे का नाम...कक्षा.............................आयु.............................

लक्षण	हाँ	नहीं	
1. क्या बच्चे के कान में कोई दोष है?			
2. क्या बच्चा स्पष्ट नहीं सुनता है?			
3. क्या बच्चा पुनरावृत्ति के लिए अनुरोध करता है?			
4. क्या बच्चा अपने साथी की सहायता लेता है?			
5. क्या सुनते समय बच्चा अपनी गर्दन इधर-उधर हिलाता है?			
6. क्या बच्चा बार-बार कान खुजाता है?			
7. क्या बच्चा कान में दर्द की शिकायत करता है?			
8. क्या बच्चा श्रुत लेख में गलतियाँ करता है?			

उपरोक्त परीक्षणों में यदि तीन या चार सही के निशान हैं तो उसे चिकित्सकीय परीक्षण के लिए चिकित्सक के पास भेजना चाहिए ताकि बच्चे की समस्या का समाधान हो सके।

विकलांग बच्चों की पहचान के लिए उपरोक्त विधियों का प्रयोग किया जा सकता है इसके अतिरिक्त अन्य कुछ उपकरण भी हैं जो निम्न हैं :-

अन्य उपकरण व परीक्षण

कुछ मनोवैज्ञानिक परीक्षण :- 1) बुद्धि परीक्षण (Intelligence Test)

2) उपलब्धि परीक्षण (Attitude Test)

3) रुचि परीक्षण (Interest Test)

4) व्यक्तित्व परीक्षण (Personality Test)

उपकरण :- 1) प्रश्नावली 2) साक्षात्कार

3) अनुसूची 4) स्तर मापनी

5) उपलब्धि पत्र आदि।

विकलांगता एवं शैक्षिक आवश्यकताएं (Disabilities and Educational Needs)

विकलांगता कई प्रकार की दिखाई देती है कुछ बच्चों को कम दिखाई देता है तो किसी को कम सुनाई देता है या फिर चलने की समस्या है आदि कई प्रकार की समस्याएं है। जिनके लिए विभिन्न शैक्षिक आवश्यकताओं की जरूरत पड़ती है यहां पर विकलांगता के प्रकार व उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की चर्चा की जा रही है।

1) श्रवण बाधिता (Hearing Impairment)
2) वाणी बाधिता (Speech Impairment)
3) चलन बाधिता (Locomotor Impairment)
4) चक्षुष बाधिता (Visual Impairment)
5) अधिगम विकलांगता (Learning Disabilities)
6) बौद्धिक विकलांगता (Intellectual Disabilities)
7) प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (Cerebral Palsy)
8) बहुविकलांगता (Multiple Disabilities)
9) आटिज्म (Autism)

1) श्रवण बाधिता एवं शैक्षिक आवश्यकता (Hearing Impairment and Educational Needs) :- श्रवण बाधिता में बालक के सुनने में समस्या आती है अथवा सुनने की क्षमता नष्ट हो जाती है। सुनने की समस्या के परिणामस्वरूप बच्चे को कही गई बात समझ में नहीं आती या तो वह आधा-अधूरा सुनता है या फिर सुनता ही नहीं है। कम सुनने से बच्चा लिखने में गलतियाँ करता है इसके लिए आवश्यक है कि ऐसे बालकों के लिए श्रवण यंत्र की व्यवस्था की जाय व कक्षा में आगे बिठाया जाय तथा पुनरावृत्ति कर समझाया जाय। इन बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है तथा इनके कार्यों का समय समय पर मूल्यांकन किया जाय।

2) वाणी बाधिता एवं शैक्षिक आवश्यकता (Speech Impairment and Educational Needs) :- वाणी बाधित बालकों को बोलने की समस्या होती है। इन बच्चों की भाषा व्यवस्थित नहीं होती है। इनके उच्चारण ठीक नहीं होते हैं। कठिन शब्दों को बोलने में समस्या आती है। तथा धारा प्रवाह नहीं बोल सकते है। वाणी बाधित दो प्रकार के देखे जा सकते है। एक तो वे बालक हैं जो आंशिक रूप से दोष वाले बच्चे है तथा दूसरे पूर्ण रूप से बाधित जिन्हें गूंगा बोल सकते है। आंशिक रूप से बाधित बालक सामान्य कक्षाओं में पढ़ सकते हैं। ऐसे बालक हकलाते हैं, तुतलाते है या फिर उच्चारण ठीक नहीं कर पाते हैं। आंशिक रूप से वाणी बाधित बच्चों को धीमी गति से शिक्षण किया जाना चाहिए, उन्हें बोलने के लिए प्रेरित किया जाय गलत उच्चारण पर उनका उपहास न किया जाय तथा बोलने के लिए समय दिया जाय। पूर्ण रूप से वाणी बाधित बालकों के लिए ओष्ठ पठन विधि, सांकेतिक भाषा के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए।

3) चलन बाधिता एवं शैक्षिक आवश्यकता (Locomotor Impairment and Educational Needs) :- अस्थि बाधिता से अर्थ शरीर के विभिन्न अंगों में दोष से सम्बन्धित है कई बच्चों की

Scanned with CamScanner

मांसपेशियों का ठीक से कार्य न करना या फिर चलने, फिरने, उठने
समस्याएँ जोड़ों में दर्द या फिर मांसपेशियों का ठीक से कार्य न करना या फिर चलने, फिरने, उठने, बैठने की समस्या होती है। ऐसे बच्चों को विशेष उपकरण व सहायता की आवश्यकता होती है। वैसे तो ये बच्चे सामान्य कक्षाओं में एक साथ पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ सुविधाएँ इन्हें प्रदान कर दी जाए तो ये आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अस्थि बाधित बालकों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार व्हील चेयर, बैसाखी तथा कक्षा में बैठने की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। जिससे वे सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकें।

4) चाक्षुष बाधिता एवं शैक्षिक आवश्यकता (Visual Impairment and Educational Needs) :- चाक्षुष बाधिता से अभिप्राय जिन बच्चों को देखने में समस्याएँ आती हैं। दृष्टि बाधिता दो प्रकार की हो सकती है। एक आंशिक दृष्टि बाधिता एवं पूर्ण दृष्टि बाधिता। आंशिक दृष्टि बाधित बालकों को देखने में समस्याएँ आती हैं वे दूर की वस्तुओं या पास की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाते हैं। ठीक से नहीं देख पाने के कारण कक्षा में अशुद्ध व गलत लिखते हैं। इन्हें शिक्षण करते समय विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। इनके लिए श्यामपट्ट पर बड़े शब्दों को लिखना, सहायक सामग्री प्रोजेक्टर, चार्ट मॉडल की सहायता से शिक्षण करना व कक्षा में आगे बैठाना आदि शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान की जा सकती हैं। विद्यालय में नेत्र शिविर के माध्यम से इनकी चिकित्सकीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होती है इन सुविधाओं को प्रदान कर ये बच्चे भी सामान्य कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित बालकों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जा सकता है।

5) अधिगम विकलांगता एवं शैक्षिक आवश्यकता (Learning Disabilities and Educational Needs) :- अधिगम विकलांग बालक वे बालक हैं जिन्हें सीखने की समस्या होती है वे कई बातों को या तो नहीं सीख पाते हैं या फिर धीमी गति से सीखते हैं। ऐसे बालकों की चिन्तन, गणितीय कौशल क्षमता बहुत कम होती है। ऐसे बच्चों के लिए पाठ्यवस्तु की पुनरावृत्ति, विशेष प्रशिक्षण, समय-समय पर निरीक्षण व मूल्यांकन, पढ़ने लिखने का अभ्यास आदि क्रियाएँ करायी जा सकती हैं।

6) बौद्धिक विकलांगता एवं शैक्षिक आवश्यकता (Intellectual Disability and Educational Needs) :- बौद्धिक बाधिता से अभिप्राय जिन बच्चों की बौद्धिक क्षमता निम्न स्तर की होती है। इन बच्चों में समायोजन की कुशलता नहीं होती है। यह कमी विकास की अवस्थाओं में दृष्टिगोचर होती है तथा बालक के शैक्षिक निष्पादन को निषेधात्मक रूप से प्रभावित करती है। बौद्धिक विकलांगता का मुख्य कारण वातावरण है। बौद्धिक विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए धैर्य से शिक्षण व स्वस्थ वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है।

7) प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात एवं शैक्षिक आवश्यकता (Cerebral Palsy and Educational Needs) :- प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात विकसित हो रहे मस्तिष्क की एक विशेष दशा होती है जिसका सम्बन्ध गत्यात्मक क्रियाओं को नियन्त्रित करने, मुद्रा बनाने तथा क्रियाओं में सामंजस्य व संतुलन से होता है। पक्षाघात बालक के जन्म के समय व बाल्यावस्था में घटित घटनाओं से शरीर के अन्य भाग प्रभावित हो जाते हैं। इस पक्षाघात से अन्य बाधिताएँ जैसे वाणी, भाषा, इन्द्रिय, संचार सम्बन्धी योग्यताएँ प्रभावित होती हैं। इस पक्षाघात में मिर्गी आना, चक्कर आना आदि समस्याएँ आती हैं। इस प्रकार के बच्चों के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है।

8) बहुविकलांगता (Multiple Disability) :- कुछ ऐसे भी बच्चे या व्यक्ति हैं जिनमें एक से अधिक विकलांगता होती हैं। ऐसे बालक जो पैर से बाधित हैं और आँख व कान से भी प्रभावित हैं, ऐसे बालकों की आवश्यकताएँ अधिक होती हैं तथा इनके लिए विशिष्ट आवश्यकताओं की जरूरत पड़ती है। इनके लिए बाधा रहित वातावरण, विशिष्ट अध्यापक, विशिष्ट सहायक उपकरणों व विशेष शैक्षिक रणनीति की आवश्यकता होती है।

9) आटिज्म (Autism) :- आटिज्म से बाधित बालकों की कई प्रकार की समस्याएँ हैं। इनके व्यवहार का अनुमान लगाना कठिन होता है। ऐसे बालकों में समायोजन की क्षमता कम होती है। इनका व्यवहार जिद्दी, मनमानी करने वाला होता है। ऐसे बालक कल्पना रहित होते हैं। वे दूसरे बालकों की क्रियाओं की नकल करते हैं तथा बिना सूझ बूझ के बार-बार दोहराते हैं। इन बच्चों की शिक्षा के लिए अवरोध रहित वातावरण व संयम से शिक्षण करना आवश्यक है। बच्चे की जिज्ञासा शांत किस प्रकार की जाय इसकी जानकारी अध्यापक को होनी आवश्यक है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि विभिन्न प्रकार के विकलांग बालक होते हैं, जिनकी पृथक-पृथक आवश्यकताएं होती हैं। समावेशी शिक्षा में इन सभी प्रकार के विकलांग बालकों को उनकी आवश्यकतानुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके लिए अध्यापकों का योगदान आवश्यक है।

विकलांगता के कारण (Causes of Disabilities)

व्यक्तिगत विभिन्नता से स्पष्ट होता है कि कोई भी दो बालक एक समान योग्यता, प्रवृत्ति, क्षमता के नहीं हो सकते हैं। वहीं विकलांगता के प्रकार से स्पष्ट होता है कि बालकों की कई प्रकार की विकलांगताएँ हो सकती हैं। विकलांगताओं के कई कारण हो सकते हैं। कुछ वंशानुगत होती हैं तथा कुछ जन्म के पश्चात विकलांगता होती है। विकलांगता के कुछ कारण इस प्रकार हैं :-

1) वंशानुगत कारक (Hereditary Factors) :- वंशानुक्रम में माता-पिता के गुण कई बार बच्चे तक पहुँचते हैं। कुछ रोग वंशानुगत होते हैं जैसे हीमोफीलिया, वर्णान्धता, एड्स आदि रोग जो कि माता-पिता से बच्चों तक पहुँचता है। प्रायः बच्चे के जन्म के समय जो गुण दिखाई देते हैं, वे वंशपरम्परा से ही आते हैं, मनोवैज्ञानिकों ने भी स्पष्ट किया है कि कुछ बच्चों में आक्रामकता, क्रोध, संवेगों से सम्बन्धित क्रियाकलाप आदि माता-पिता से ही बालकों में आते हैं। इस प्रकार वंशानुगत कारणों से भी कई विकलांगता होती है। इसका उदाहरण जापान के हीरोशीमा, नागासाकी परमाणु विस्फोट है जहाँ कई वर्षों तक विकलांग बच्चे पैदा हुए।

2) पर्यावरण सम्बन्धी कारक (Environment Factors) :- कई बार यह देखने को मिलता है कि पर्यावरण से भी बच्चों में विकलांगता के लक्षण दिखाई देते हैं। जन्म से पूर्व अर्थात गर्भावस्था में माता-पिता के द्वारा ली गई औषधियाँ, जन्म के पश्चात का वातावरण जन्म के समय आई समस्याएँ, जन्म के समय कोई आघात, चोट तथा बाल्यावस्था में बालक का विकास, स्वास्थ्य, पोषण, संक्रामक रोग आदि कारणों से भी असमर्थता होती है।

3) प्राचीन रूढ़ियाँ :- शैक्षिक विकलांगता सम्बन्धी समस्याओं के पीछे प्राचीन रूढ़ियों, अन्धविश्वास आदि भी जिम्मेदार हैं निर्धनता, सामाजिक जीवन स्तर, भाषा, धर्म, संस्कृति ये ऐसे तत्व हैं जो कई रोगों में अधिगम विकलांगता का कारण बन जाती है।

Scanned with CamScanner

बाधिता, विकलांगता एवं असमर्थता

शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के लिए कई प्रकार की चुनौतियाँ होती हैं। इन चुनौतियों के आधार पर ही इनका अलग-अलग नाम है। कुछ शब्द जैसे बाधिता, विकलांगता एवं असमर्थ शैली का प्रयोग इनके लिए किया जाता है। लेकिन इन तीनों शब्दों में अन्तर है जो इस प्रकार है :-

1) **बाधिता (Impairment) :-** बाधिता शब्द का अर्थ ह्रास या हानि होने से है। अर्थात अंगों के हानि होना। ये हानि जन्म के समय, पूर्व या पश्चात हो सकती है। बाधिता से अर्थ अंग के हास या हानि होने कारण कार्य करने में बाधक होना जैसे आँख में क्षति होने से देखने में बाधा, कान के पर्दे में क्षति होने पर सुनने में बाधा, पोलियो ग्रसित होने पर चलने फिरने में बाधा आदि होती है। जिसे बाधिता कहा जाता है। यह बाधिता आंशिक व पूर्ण रूप से हो सकती है।

2) **विकलांगता (Disability) :-** विकलांगता व्यक्ति की कार्य क्षमता व सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है कि बाधित बालक कितना असमर्थ है या कितना समर्थ है। विकलांगता का सम्बन्ध क्रियात्मक से होता है। इसमें यह ज्ञात होता है कि दृष्टि बाधित बालक देखने में कितना समर्थ है व अस्थि बाधित बालक कितनी क्रिया व कौन सी क्रिया करने में समर्थ है और किसमें नहीं। विकलांगता दो प्रकार से दिखाई देती है प्रथम स्थाई विकलांगता तथा द्वितीय अस्थाई विकलांगता। स्थाई असमर्थता व्यक्ति की क्रियाओं को पूर्णतः समाप्त कर देती है जैसे दृष्टि हीनता स्थाई है तो पूर्ण रूप से देखने में असमर्थ है। तथा अस्थाई विकलांगता वह दशा होती है जिसकी ठीक होने की संभावना होती है तथा जिसका उपचार किया जा सकता है। इसलिए बाधिता सदैव विकलांगता उत्पन्न नहीं करती है।

3) **बाधा (Handicap) :-** बाधा ऐसा अवरोध है जो बालक की दिनचर्या के कार्यकलापों को गौण रूप से प्रभावित करता है बाधा से अभिप्राय व्यक्ति की समस्याओं से है जो वह अपनी बाधिता एवं असमर्थता के कारण अपनी दैनिक सामाजिक अन्तःक्रियाएँ करता हुआ अनुभव करता है जैसे श्रवण बाधिता व्यक्ति को सुनने में बाधित बनाती है। दृष्टि बाधिता देखने में, अस्थि बाधिता गत्यात्मक क्रियाओं में बाधित बनाती है, दृष्टि बाधिता देखने में, अस्थि बाधिता गत्यात्मक क्रियाओं में बाधिता पैदा करती है। बाधिता का अर्थ अवरोधों द्वारा सीमा बांधना होता है जो या तो बालक पर थोप दी गई होती है या फिर बालक द्वारा स्वीकार की गई हो।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि विभिन्न विकलांग बालकों की अलग-अलग चुनौतियाँ होती हैं और उनकी विशेष शैक्षिक आवश्यकताएँ होती हैं। उन आवश्यकताओं की ओर यदि ध्यान दिया जाय तथा उन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाय तो ये विकलांग बालक भी अच्छी प्रकार आसानी से सीख सकते हैं। समावेशी शिक्षा में इन बच्चों को सामान्य कक्षा में शिक्षण पर बल दिया जाता है। इसके लिए विशेष रणनीति, विभिन्न सुविधाओं की आवश्यकता होती है इस दिशा में प्रयास करने के लिए विद्यालय, अध्यापक, अभिभावक, समाज का योगदान होना आवश्यक है तथा इन सभी को प्रेरित करने की आवश्यकता है यदि समाज, विद्यालय व अन्य सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएँ सहयोग करें तो निःसंदेह ये बच्चे भी शिक्षा का लाभ उठा पायेंगे।

समावेशी शिक्षा एवं विशेष आवश्यकता वाले बालक
(Inclusive Education and Children with Special Needs)

समावेशी शिक्षा से अर्थ यही लगाया जाता है कि सभी नागरिकों को समानता के अधिकार को पहचानने और सभी की विशेष आवश्यकताओं के साथ-साथ शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराये जायें। विशेष बालकों को कम नियन्त्रित और अधिक प्रभावपूर्ण वातावरण में शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसा वातावरण सामान्य संस्थाओं में ही सम्भव हो सकता है। उपरोक्त कथन से यह ज्ञात होता है कि समावेशी शिक्षा विकलांग बालकों की शिक्षा सामान्य स्कूल में और सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सुविधाएँ एवं सहायता प्रदान करने पर बल देती है। दूसरे अर्थों में यह भी कहा जा सकता है कि समावेशी शिक्षा शारीरिक और मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करने पर जोर देती है और विशेष बालकों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुमोदित करती है।

आज विशेष बालकों की शिक्षा हेतु आधुनिकतम प्रवृत्ति यह है कि विशिष्ट बालकों की विशेष शिक्षा पर बल न देकर समन्वित शिक्षा को अपनाया जाये, क्योंकि यह शिक्षा विशिष्ट बालकों के लिए व्यक्तिगत रूप व सामाजिक रूप से मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उपयुक्त है। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो विशेष शिक्षा का विकल्प न होकर उसकी पूरक है और आधुनिकतम परिस्थितियों को देखते हुए इस शिक्षा को उचित ठहराया जा सकता है। क्योंकि इस शिक्षा से व्यय कम होता है और यह एकीकरण व समानता के सिद्धान्त पर बल देती है। लेकिन इन विशिष्ट बालकों की अलग-अलग समस्याऐं होती है इसके लिए शिक्षा कार्यक्रम की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। इसमें बालक की पहचान कर उसे आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है। समावेशी शिक्षा में विशेषज्ञ शैक्षिक प्रावधान इस प्रकार हैं।

समावेशी शिक्षा में शामिल विशेष शैक्षिक प्रावधान
(Special Educational Provisions Including Inclusive Education)

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विद्यालयों में निम्न प्रकार के विशेष प्रावधान किये जाने चाहिये -

1. विशेष शैक्षिक कक्षाओं का आयोजन।
2. विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति।
3. विद्यालय समय के उपरान्त कक्षाऐं।
4. कक्षाओं का समानान्तर संगठन।
5. विशेष पृथक्कीकृत कक्षा का आयोजन।
6. विशेष शिविरों का आयोजन।
7. विशेष उपचारिक अध्यापक की सेवाऐं।
8. विशेष कक्ष का प्रावधान।
9. पुस्तकालय में विशेष प्रकार की पाठ्य सामग्री का प्रावधान।
10. विशेष उपकरणों की व्यवस्था।

Scanned with CamScanner

समावेशी शिक्षा कार्यक्रम व्यवस्था

विद्यालय में अलग-अलग प्रकार के बालक होते हैं, और उन सभी को उनके अनुसार शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। इन विशेष बालकों को उनकी श्रेणी के अनुसार शैक्षिक कार्यक्रम व्यवस्था बनानी चाहिए।

1. **विशेष आवश्यकता वाले बालकों की पहचान** - अधिकांश विशिष्ट बालक विद्यालय व समाज में बिना पहचान के रह जाते हैं परिणामस्वरूप वे अपनी क्षमताओं व प्रतिभाओं का विकास नहीं कर पाते हैं। अतः ऐसे बालकों के लिए अध्यापकों की आवश्यकता होती है कि वे बाधित बालकों की पहचान व उनके व्यवहार को पहचान सकें। इन बच्चों की पहचान के लिए मनोचिकित्सक व चिकित्सक की सलाह ली जा सकती है। अधिकांश पिछड़े क्षेत्रों में चिकित्सक एवं मनोचिकित्सक की सेवाऐं उपलब्ध नहीं हो पाती है ऐसी दशा में किसी अधिकारी को नियुक्त कर विशेष बालकों की पहचान सुनिश्चित की जानी चाहिऐ जिससे कि वे लाभान्वित हो सकें।
2. **वैयक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखा जाय** - विशिष्ट बालक कई प्रकार के हो सकते हैं तथा उनका अलग-अलग वर्गीकरण किया जा सकता है। प्रत्येक श्रेणी के बालक की अलग-अलग विशेषता होती है। बालकों के विशेष समान गुणों के परिणाम को विचार करते हुए उन्हें विभिन्न समूहों में बांटा जा सकता है। इस प्रकार विशेष बालकों की शिक्षा उनकी विशेषता व्यैक्तिक विशेषताओं से मिलती-जुलती होनी चाहिए। इस प्रकार व्यैक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षा के कार्यक्रम तैयार किये जाने चाहिए।
3. **आवश्यकता अनुरूप निर्मित विशेष शिक्षा संस्थाऐं** - भारत में विशेष रूप से दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, मानसिक मन्दित, गंभीर रूप से शारीरिक व मानसिक बाधित बालकों के लिए विशेष शिक्षा संस्थाऐं स्थापित की गई हैं। विशेष विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापक संसाधनों, उपकरणों तथा अन्य सहायक साधनों की सहायता से शिक्षण सेवा उपलब्ध करते हैं। लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ प्रशिक्षित अध्यापक व सहायक उपकरणों की कमी है। इसलिए आवश्यक है कि जिन क्षेत्रों में विशिष्ट विद्यालय नहीं है वहाँ इन संस्थाओं की स्थापना की जाय व उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाय।
4. **समावेशी शिक्षा पर बल** - वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस दिशा में नया प्रयास है कि सभी बच्चों को एक साथ रखकर शिक्षा दी जाय जिससे कि बालक जो विकलांग हैं वे भी स्वयं को समाज का एक भाग समझें, उनमें हीनता की भावना न आये व सभी के साथ रहकर शिक्षा ग्रहण कर सकें।
5. **विशेष शैक्षिक भत्तों की सुविधा** - भारत सरकार ने शारीरिक रूप से बाधित बालकों की शिक्षा के लिए कुछ भत्तों का भी प्रावधान किया है जैसे यात्रा भत्ता, यूनीफार्म भत्ता, पुस्तक भत्ता, उपस्थिति भत्ता, छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाऐं। बाधित बालकों को इनकी जानकारी दी जानी चाहिए तथा उन्हें प्रेरित करना चाहिए जिससे कि वे सरकार की इन योजनाओं से लाभान्वित हो सकें।
6. **विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा व्यवस्था के विशेषज्ञ** - प्रत्येक शिक्षा संस्थान को बाधित बालकों की शिक्षा के लिए एक संसाधन युक्त अध्यापक रखना चाहिए। यह अध्यापक पूर्णकालिक या अंशकालिक हो सकता है। ये संसाधन युक्त अध्यापक संसाधन युक्त साधनों की सहायता से शिक्षण के माध्यम से शारीरिक व मानसिक रूप से बाधित बालकों की शिक्षा में सहायता करते हैं। ये विशेषज्ञ इन बालकों की समस्याओं के अनुरूप शिक्षण में सुधार करते हैं तथा विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए उचित मार्गदर्शन व परामर्श देते हैं।
7. **विशेष उपकरणों का प्रयोग** - ऐसे विशेष बालक जो पुरानी शिक्षण विधियों, परम्परागत साधनों व उपकरणों से लाभ ग्रहण नहीं कर पाये, उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संसाधन कक्ष के उपकरण तथा सुविधाओं का लाभ विशिष्ट बालकों को मिलना चाहिए। ऐसे बालकों की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप जैसे गंभीर रूप से दृष्टि बाधित बालकों के लिए ब्रेल लिपि, मोटे छापे की पठन सामग्री अथवा पुस्तकें, श्रवण बाधित बालकों के लिए श्रवण यन्त्र तथा वाणी सहायक यन्त्र आदि उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है। इस विशिष्ट कक्षा में उपरोक्त विधि एवं प्रविधियों का प्रयोग कर शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है।

विभिन्न प्रकार के विशिष्ट बालको के लिए विशेष शैक्षिक प्रावधान

विशेष बालकों के अन्तर्गत निम्न बालकों के लिए विशेष शैक्षिक प्रावधान किया जा सकता है।

1. बौद्धिक विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान।
2. श्रवण बाधित बालकों के लिए विशेष शैक्षिक प्रावधान।
3. दृष्टि बाधित बालकों के लिए विशेष शैक्षिक प्रावधान।
4. अस्थि निःशक्तता ग्रस्त बालकों के लिए विशेष शैक्षिक प्रावधान।
5. वाणी एवं भाषा बाधित बालकों के लिए विशेष शैक्षिक प्रावधान।

उपरोक्त बिन्दुओं को आधार मानकर समावेशी शिक्षा के लिए विशेष शैक्षिक प्रावधान का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है।

1. समावेशी शिक्षा में बौद्धिक विकलांग बालको की शिक्षा के लिए विशेष शैक्षिक प्रावधान

जब कोई बालक अपनी बुद्धि के अनुसार ठीक से अध्ययन नहीं कर पाता है अर्थात् जब वह सामान्य पाठ्यक्रम से अन्य बच्चों के साथ लाभान्वित नहीं हो पाता है तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। यदि अन्य बच्चों के साथ मिलकर कार्य नहीं कर पाता है इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे घर का वातावरण, समाज की उपेक्षा, अनुचित वातावरण आदि इन कारणों से बालक सामान्य कक्षा में अन्य बच्चों के साथ ठीक से समायोजन नहीं कर पाता है तो स्कूल से निकाल देने या फिर फेल कर देने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। बल्कि समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब इन बच्चों को विशेष रूप से शिक्षा प्रदान की जाय और इन पर अधिक ध्यान दिया जाय। मानसिक रूप से मंदित बालकों के लिए शैक्षिक व्यवस्था स्पष्ट प्रतिबन्धित तथा ठीक से निर्देशित होनी चाहिए तथा अच्छी कक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए। कुछ शिक्षा सम्बन्धी उपाय इस प्रकार है :-

1. यह सत्य है कि मन्दित बालक अन्य बालकों की अपेक्षा धीरे सीखते हैं। इनके लिए आवश्यक है कि पाठ्यवस्तु को इनके अनुकूल बनाया जाय। जिससे वे सामंजस्य स्थापित कर सकें।
2. मानसिक रूप से मंदित बालक थकान का शीघ्र अनुभव करते है इन बच्चों को खण्ड में पढ़ाया जाये व छोटे-छोटे कार्य दिये जावें।
3. ऐसे बच्चों के लिए लघु समूह शिक्षण कराया जाय जिससे वे स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित हो सकें।

Scanned with CamScanner

3. ऐसे बच्चों के अनुरूप शिक्षण की विधि व प्रविधि का प्रयोग किया जाये।
4. ऐसे बच्चों को भविष्य की तैयारी के लिए प्रेरित किया जाना चाहिऐं।
5. ऐसे बच्चों के लिए पाठ्यक्रम मे हस्तकौशलों का समावेश किया जाना चाहिऐं।
6. इन बच्चों मे अधिगम तत्परता व अभिप्रेरणा दी जानी चाहिऐं।
7. इन बच्चों की मानसिक क्षमता के अनुरूप विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की जानी चाहिऐं।
8. इन बच्चों मे स्वयं कार्य करने सीखने के सिद्धान्त का पालन करना चाहिऐं।
9. इन बच्चों के लिए बारम्बार अभ्यास व पुनरावृति कार्य पर बल दिया जाये।
10. इन बच्चों के लिए माता-पिता अभिभावक का सहयोग होना चाहिऐं।

2. समावेशी शिक्षा मे श्रवण बाधित बालको के लिए विशेष शैक्षिक प्रावधान

श्रवण बाधित बालक वे बालक होते है जिन्हें सुनने में समस्याऐं आती है। इन बच्चों के लिए विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है। श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा को निम्न भागों में बाँटा जा सकता है :-

1) **सम्प्रेषण कौशल पर आधारित तकनीक** :- श्रवण बाधित बालकों की सबसे बड़ी समस्या सम्प्रेषण की होती है, क्योंकि ये बालक ठीक से सुन नहीं पाते है। यदि सुन नही पाते है तो उन्हें समझ मे नही आ पाता है। कुछ सम्प्रेषण तकनीक इस प्रकार है :-

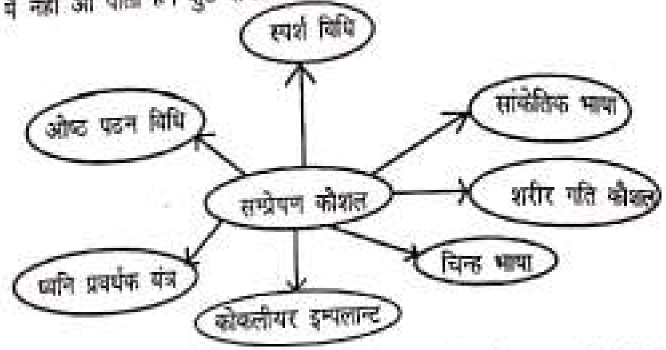

i) **सांकेतिक भाषा** : सांकेतिक भाषा मे अध्यापक द्वारा जो बोला जाता है उसी के अनुसार संकेत किया जाता है इन संकेतों से श्रवण बाधित बालक कही गई बात को समझ सकते है।

ii) **शरीर गति कौशल** : अध्यापक द्वारा शरीर के विभिन्न भागों मे गति करवाकर समझाया जा सकता।

iii) **चिन्ह भाषा** : बधिर व अत्यधिक ऊँचा सुनने वाले बालकों के लिए चिन्ह भाषा का प्रयोग किया जाता है जैसे अमेरिकन चिह्न व चिन्हित अंग्रेजी चिन्ह भाषा मे शब्दों व वर्णो के लिए चिह्न [illegible] रहते है।

iv) **ओष्ठ पठन विधि** : ओष्ठ पठन विधि में बालकों को होठों के हिलने और गति के आधार पर [illegible] और शब्दो को पढ़ने की शिक्षा दी जाती है।

v) **ध्वनि प्रवर्धक यंत्र** : संम्प्रेषण के लिए ध्वनि प्रवर्धक यन्त्रों का प्रयोग किया जाता है यह [illegible] बच्चों के लिए प्रयोग किया जा सकता है जो थोड़ा ऊँचा सुनते है।

vi) **स्पर्श विधि** : स्पर्श विधि द्वारा कही गई बात को समझने का प्रावधान होता है।

vii) **कोक्लीयर इम्प्लान्ट** : के द्वारा इनकी श्रवण बाधिता को सीमित किया जा सकता है।

2) **शैक्षिक कौशल पर आधारित तकनीक**

श्रवण बाधित बालकों के लिए विभिन्न प्रकार की शैक्षिक तकनीक अपनाई जानी चाहिऐ।

i) श्रवण बाधित बालकों की अधिगम कमियों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए यह देखते रहना चाहिए कि वे शब्दों को ठीक से लिखते है या नही।

ii) श्रवण बाधित बालकों के लिए अधिक से अधिक सहायक सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है जैसे आकृतियों, मॉडल, मानचित्र, इशारे आदि।

iii) शिक्षण के बीच में प्रश्न पूछना अनिवार्य है इससे पता लगाया जा सकता है कि छात्र को समझ मे आ रहा है या नही।

iv) वर्तमान मे कम्प्यूटर का प्रयोग श्रवण बाधित बालकों के लिए लाभदायक होगा।

v) श्रवण बाधित बालक के लिए एक नोट करने वाला व्यक्ति होना चाहिऐ।

3) **शैक्षिक कार्यक्रम सम्बन्धी मार्गदर्शन**

शैक्षिक कार्यक्रम में अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अध्यापक द्वारा बच्चो को उचित मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए इसके लिए शिक्षक को निम्न क्रियाकलाप करने चाहिऐ :-

i) शिक्षक को धीमी गति से शिक्षण करना चाहिए जिससे कि बालक आसानी से समझ सके।

ii) ऐसे बालकों के लिए पाठ्यवस्तु की पुनरावृति करनी चाहिऐं।

iii) ऐसे बालकों को कक्षा में आगे बिठाकर पढ़ाना चाहिऐं।

iv) शिक्षक को यह भी देखना चाहिए कि बालक श्रवण यंत्रों का उपयोग ठीक से कर रहा है या नही।

v) ऐसे बालकों की शीघ्र पहचान कर उचित मार्गदर्शन किया जाना चाहिऐं।

अन्य शैक्षिक प्रावधान

श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा के लिए अन्य शैक्षिक प्रावधान इस प्रकार है।

1. अध्यापक ऐसे बच्चो के शिक्षण के लिए लिखित या मौखिक कौशल को अधिक महत्व न दे।
2. पाठ्यवस्तु को खण्डो में विभाजित करके शिक्षण करें।
3. ऐसे बच्चो के लिए निबन्धात्मक प्रश्न न देकर शब्द आधारित प्रश्न अधिक दे।
4. विद्यालय के विभिन्न उत्सवों, क्रियाकलाप आदि मे भागीदारी होनी चाहिए व इनसे वार्तालाप करना चाहिए।
5. इन बच्चो के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए जैसे पेन्टिंग, वेल्डिंग, बिजली का कार्य, प्रिंटिंग, हस्तकौशल आधारित कार्य करवाये जायें जिससे कि वे रोजगार प्राप्त कर सकें।
6. इनके लिए सहायक की व्यवस्था करनी चाहिए जो कही गई बात को उसे समझा सके।
7. शब्दो के उच्चारण करने के साथ श्यामपट्ट पर लिख देना चाहिऐं।
8. ऐसे बच्चो की व्याकरण सम्बन्धी त्रुटि पर ध्यान नही देना चाहिऐं।
9. समय-समय पर इनकी प्रगति की जाँच की जानी चाहिए, इसके बारे में माता-पिता, अभिभावकों को अवगत करना चाहिऐं।

Scanned with CamScanner

10. समय-समय पर चित्र, मॉडल व सृजनात्मक कार्य करवाये जायें, जिनसे इनकी सृजनात्मकता का विकास हो सके।
11. अमूर्त संकल्पनाओं के पढ़ाने के लिए अधिकाधिक दृश्य-श्रव्य साधनों, भूमिका निर्वाह और नाटकीकरण का उपयोग कर सकते हैं।
12. ऐसे बच्चों में भाषा का ठीक से विकास नहीं हो पाता है। अतः इनको दिया जाने वाला पुनर्बलन एवं अभ्यास कार्य में भाषा विकास पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।
13. कक्षा में दूसरे बच्चों को इन बच्चों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति एवं दृष्टिकोण के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
14. कक्षा में अन्य बच्चों की तरह इन्हें भी पाठ का सस्वर पाठ कराया जाय जिससे उनकी झिझक दूर हो सके।
15. ऐसे बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए।
16. ऐसे बच्चों को भी यात्रा, पिकनिक खेल आदि में शामिल करना चाहिए तथा प्राप्त अनुभव की अभिव्यक्ति के अवसर दिये जाने चाहिए।
17. त्रिभाषा सूत्री कार्यक्रम में से इन्हें केवल मातृभाषा पर शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।
18. ऐसे छात्रों के मूल्यांकन में अधिक से अधिक लघु अथवा बहुविकल्प वाले प्रश्नों से विषय वस्तु को पूरी तरह से समझाया जाये।
19. कक्षा में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था हो जिससे छात्र अध्यापक की गतिविधियों को देख सकें व समझ सकें।
20. कक्षा में जिस विषय सामग्री को पढ़ाया जा रहा है उससे सम्बन्धित चित्र तथा शब्द कार्ड द्वारा शिक्षण करना चाहिए।

3) समावेशी शिक्षा में दृष्टि बाधित बालकों के लिए विशेष शैक्षिक प्रावधान

दृष्टि बाधित बालकों को शिक्षा प्रदान करने का अच्छा तरीका विशेष कक्षाओं की व्यवस्था करना है। इन विशेष कक्षाओं में उनकी आवश्यकतानुसार शिक्षा प्रदान की जा सकती है। इनके लिए अभिभावक एवं अध्यापक के सहयोग पर आधारित शैक्षिक कार्यक्रम किये जाने चाहिए। इसमें अभिभावकों का सहयोग अपेक्षित है इस सहयोग को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक को शिक्षा के विशेष क्षेत्र से परिचित होना चाहिए। इन सभी को समस्या समाधान में पूर्ण सहयोग देना चाहिए। आंशिक रूप से देखने वाले बालक का विशेष कक्षा तथा सामान्य कक्षा में स्वागत करना चाहिए। इससे वह अपनी कठिनाईयों में विजय प्राप्त करने पर सफल होगा, चूंकि कम देखने वाले और औसत बालकों का पाठ्यक्रम एक सा होता है अध्यापकों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ऐसा कोई कार्य न कराया जाय जिससे आँखों पर अधिक जोर पड़े। ऐसे बालकों के लिए बहुइन्द्रिय सहायक सामग्री का प्रयोग करने से लाभ होता है इनसे इन्द्रियां प्रशिक्षित होती हैं और कौशलों का विकास होता है इन्द्रिय प्रशिक्षण में दूरदर्शन व कम्प्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दृष्टि बाधित बालकों में प्रत्येक का अपना पृथक व्यक्तित्व होता है और अपनी पृथक समस्याएं होती हैं प्रत्येक की अपनी विशेषताएं व दोष होते हैं इनके विकास में उनकी बाधिता शिक्षण में बाधा नहीं बननी चाहिए।

दृष्टि बाधित बालकों के लिए उचित चैकिंग व परीक्षण की व्यवस्था समय-समय पर की जानी चाहिए यह परीक्षण विद्यालय के डाक्टर या क्लीनिक द्वारा किया जा सकता है। आँख सम्बन्धी परीक्षण, सामान्य स्वास्थ्य आँख की बिमारियों का इलाज तथा चश्मा दिलवाने से सम्बन्धित होना चाहिए। आँख के डॉक्टर को बालक के स्वास्थ्य व आँख का रिकार्ड बनाना चाहिए, इन्हें ऐसी आलेख तैयार करनी चाहिए जिसमें वह बालक की आँख के अभ्यास तथा इलाज के लिए सुझाव दे।

दृष्टि बाधित बालक अब सामान्य विद्यालय की कक्षाओं में पढ़ने लगे हैं। इन बालकों के लिए पाठ्यक्रम में थोड़ा सुधार किया जाता है। सामान्य विद्यालयों में स्रोत शिक्षक तथा स्रोत कक्ष की व्यवस्था की जाती है। दृष्टि बाधित बालकों की शिक्षा का उत्तरदायित्व सामान्य व स्रोत शिक्षक के सहयोग द्वारा किया जा सकता है। वास्तव में यह उत्तरदायित्व शिक्षक का होता है स्रोत शिक्षक अधिगम में आने वाली कठिनाईयों के समाधान में सहायक होता है। दृष्टि बाधित बालकों के लिए निम्न विशेष शैक्षिक प्रावधान है।

विशेष शैक्षिक प्रावधान

1. ऐसे बच्चों को श्यामपट्ट के समीप बिठाया जाय जिससे वे देख सके व शब्दों को बड़ा लिख सकते है।
2. ऐसे बच्चों के लिए इन्द्रिय विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
3. अभिभावकों को इस बात की जानकारी दी जाय कि उन्हें किस प्रकार की शिक्षा की जरूरत है और उन्हें किस प्रकार सहयोग करना चाहिए।
4. ऐसे बच्चों को वातावरण में उपस्थित गतिशील वस्तुओं के अवलोकन हेतु प्रेरित करना जैसे सड़क पर चलती गाड़ी, उड़ता हुआ जहाज मैदान में खेलते बच्चों की पहचान आदि।
5. श्यामपट्ट पर कार्य करते समय गहरे रंग की चॉक का प्रयोग किया जा सकता है।
6. श्यामपट्ट पर लिखे गये बिन्दुओं को उतारने के लिए समय दिया जाना चाहिए।
7. इनमें आवर्धक लैंसों, बड़े आकार की मुद्रित सामग्री, श्रव्य कैसेट वास्तविक वस्तुओं के उपयोग के द्वारा इनके शिक्षण अधिगम को सरल बनाया जा सकता है।
8. ऐसे बच्चे की दृष्टि की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए चित्र निर्माण एवं कागज पर उसकी सही स्थिति का निर्धारण करना चाहिए।
9. ऐसे बच्चों की ज्ञानात्मक, भावात्मक व कौशलात्मक सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
10. हाथ व दृष्टि का तालमेल विकसित करने के लिए अर्द्धवृत्त, सीधी, खड़ी एवं आड़ी रेखा मिलाकर अक्षर बनाना सिखाया जा सकता है।
11. ऐसे बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
12. ऐसे बच्चों में कोई एक विशेष कला होती है जिसकी पहचान कर उसे आगे बढ़ाया जा सकता है।
13. ऐसे बच्चों की रुचि के अनुसार मार्गदर्शन किया जाना चाहिए, जैसे कोई बच्चा संगीत, वादन आदि में अच्छा कार्य करता है तो उसे उसी दिशा में ले जाना चाहिए।
14. पाठ्य सहगामी क्रिया में ऐसे बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए और भाग लेने के अवसर प्रदान किये जाने चाहिए।
15. अभ्यास कार्य के दौरान उसके सहयोगियों को सहयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

Scanned with CamScanner

16. मूल्यांकन में मौखिक या अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को अधिक देना चाहिए।
17. शिक्षण प्रक्रिया में उत्तर प्राप्ति के लिए मौखिक विधि का प्रयोग किया जा सकता है।
18. विद्यालय में करायी जा रही क्रियाओं को दोहराने का निर्देश माता-पिता को दिया जाना चाहिए।
19. कक्षा में उचित प्रकाश की व्यवस्था हो जो बात लिखी जा रही हो उसका सस्वर वाचन किया जाना चाहिए।
20. निम्न दृष्टि छात्रों के लिए सहायक सामग्री बनाते समय चित्रों के रंगों का सही चुनाव किया जाना चाहिए।

4) समावेशी शिक्षा में अस्थि विकलांग बालकों के लिए विशेष शैक्षिक प्रावधान

अस्थि विकलांगता ग्रस्त छात्रों को अंग संचालन में कठिनाई होती है इसका सम्बन्ध मांसपेशियों, जोड़ों से होता है इसका प्रभाव हाथ, पैरों और बाहरी अंगों पर पड़ता है। ऐसे छात्रों को वातावरण में समायोजन करने में कठिनाई आती है कुछ छात्र ठीक से उठने, बैठने या खड़े होने में परेशानी का अनुभव करते हैं और जल्दी थक जाते है। कुछ अस्थि विकलांग ऐसे होते है जो अन्य बालकों के साथ बैठ कर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते है। ऐसे बालकों को विशेष कक्षा में बैठाकर शिक्षण किया जाता है। ऐसे विद्यालय में अलग कक्षा में बैठाकर कुछ प्रशिक्षित शिक्षक इन बालकों को पढ़ाते है। इन बालकों के लिए विशेष शैक्षिक प्रावधान इस प्रकार है।

विशेष शैक्षिक प्रावधान

1. ऐसे बच्चों को यथासम्भव कक्षा में अगली पंक्ति पर बैठाया जाना चाहिए जिससे वे सरलतापूर्वक इधर उधर आ जा सकें।
2. शिक्षक ऐसे बालकों के प्रति सहानुभूति, तरस आदि भाव न रखें, उनकी क्षमताओं को समझें व उन्हें प्रोत्साहित करें।
3. नकारात्मक भावना जैसे दोष देना, नाराजगी, दुःख, अधीरता, डर आदि नहीं होनी चाहिए।
4. शारीरिक असमर्थता के कारण जमीन पर न बैठ सकने वाले छात्रों के लिए कुर्सी की व्यवस्था होनी चाहिए।
5. शिक्षक द्वारा छात्रों की कमियों को दूर करने के लिए उचित कदम उठाये जाएँ व उचित मार्गदर्शन किया जाना चाहिए।
6. ऐसे बच्चों को खेलों, मनोरंजन और शारीरिक क्रियाकलापों में भाग लेने के अवसर दे सकें।
7. शारीरिक निःशक्तता के कारण ऐसे छात्र कक्षा में निष्क्रिय न बैठे रहें बल्कि शिक्षण कार्य में सक्रिय रूप से सहभागी बनें, इसके लिए कक्षा में इन्हें सभी प्रकार की गतिविधियों में अवसर प्रदान किये जायें।
8. ऐसे बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार प्रयोगात्मक कार्य का प्रशिक्षण दिया जाय जिससे वे भविष्य में जीविकोपार्जन कर सकें।
9. कक्षा में इन बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था, उनके साधनों और उपकरणों की व्यवस्था उनकी असमर्थता के आधार पर की जानी चाहिए। इन बच्चों के लिए यथासम्भव कक्षा-कक्ष विद्यालय के नीचे के तल पर हो या विद्यालय में रैम्प या लिफ्ट का प्रावधान हो।
10. ऐसे बच्चों [illegible] से सम्बन्धित होना चाहिए। विषय वस्तु की स्पष्टता के लिए सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए।
11. अध्यापक प्रयत्न करें कि अन्य छात्र ऐसे छात्रों की शैक्षिक कमियों व शारीरिक जरूरतों को समझें।
12. यदि ऐसे बालक वर्तमान पाठ्यचर्या को सीखने में असफल रहता है तो उसे जीवन उपयोगी पाठ्यक्रम व समुदाय में सामंजस्य की योग्यता सिखाई जाय।
13. इनकी शारीरिक अवस्था को ध्यान में रखकर शैक्षिक कार्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए।
14. ऐसे बच्चों को अभ्यास कार्य व गृहकार्य के लिए समय अधिक देना चाहिए।
15. ऐसे छात्रों के प्रति अध्यापक अपने सकारात्मक दृष्टिकोण से इस बात पर ध्यान केन्द्रित करें कि ऐसे छात्र क्या करने में समर्थ है, न कि इस बात पर कि वे क्या कर पाने में असमर्थ है।
16. ऐसे बच्चों के माता-पिता, अभिभावकों, मित्रों से जानकारी ली जानी चाहिए तथा इनकी आवश्यकताओं व जरूरतों के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित की जानी चाहिए।
17. शारीरिक रूप से विकलांग या चुनौती पूर्ण बालक कुछ अद्भुत कार्य कर सकते हैं इनकी ठीक से पहचान की जानी चाहिए तथा उनकी प्रतिभा प्रदर्शन में सहयोग करना चाहिए।
18. अध्यापक को चाहिए कि वह सभी विकलांग व अन्य छात्रों में, सहपाठियों में परस्पर एक दूसरे का सम्मान करने, सहयोग व सहायता के आधार पर घुलने- मिलने के लिए प्रेरित करें।
19. ऐसे छात्रों में विशेष समस्याएँ व विशेष आवश्यकताएँ होती हैं इसके बावजूद इनमें अन्य बच्चों जैसी सीखने की क्षमता होती है इस क्षमता का पूर्ण विकास किया जा जाना चाहिए।
20. ऐसे छात्रों के माता-पिता, अभिभावकों से व्यक्तिगत सम्पर्क किया जाय व उनकी प्रगति व सुधार की जानकारी दी जाय।

5) समावेशी शिक्षा में वाणी एवं भाषा बाधित बालकों के लिए विशेष शैक्षिक प्रावधान

वाणी एवं भाषा बाधित बालक वे बालक होते हैं, जिन्हें शुद्ध बोलने या उच्चारण करने में समस्याएँ आती हैं। भाषा बाधित बालकों के लिए द्वै भाषिक अध्यापक की आवश्यकता होती है। बालक को सर्वप्रथम उसकी अपनी मूल भाषा में सम्बोधन सिखाया जाता है तत्पश्चात उसे नई भाषा में पाठ पढ़ाया जाता है। अतः अध्यापक को बालक की मातृभाषा और जिस भाषा से बालक को पढ़ाया जाना है उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए। द्वै भाषी अध्यापकों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व सरकार का है जिस विद्यालय में बाधित बालक प्रवेश लेते है वहां तुरन्त द्वै भाषी अध्यापक की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। इन तकनीकों को प्रयोग वह समयानुसार, अवसरानुसार व सुविधानुसार किया जा सकता है। वाणी बाधित बालक को नई भाषा सीखने व सिखाने में उसके सहपाठी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अध्यापक कुछ बुद्धिमान व उत्साही छात्रों को यह कार्य सौंप सकता है कि वे अपने खाली समय में इन बच्चों को नई भाषा सिखाएँ। इस प्रक्रिया में सहपाठी भी लाभान्वित होते हैं। सहपाठी के अतिरिक्त समाज का कोई समझदार, योग्य, समाजसेवी व्यक्ति भी खाली समय में यह कार्य कर सकता है।

चूंकि नई भाषा सीखने के लिए नये कौशलों की आवश्यकता होती है जिनमें सबसे प्रमुख कौशल सुनने का कौशल है। बालक में नई भाषा को ध्यानपूर्वक सुनने का कौशल विकसित किया जाना

Scanned with CamScanner

चाहिए। इस कौशल के विकास की चार अवस्थाऐं होती है।

1) वाक्यांश पहचान
2) विस्तृत भाषण पहचान
3) ध्वनि प्रवाह में शब्दों की पहचान
4) वाक्य पहचान।

नई भाषा के विकास के लिए इन बच्चों को उपरोक्त कौशलों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि बच्चा वाक्यों की ठीक से पहचान कर पा रहा है या नहीं, इनके विकास के लिए मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ध्वनि में उतार-चढ़ाव आदि प्रक्रियाएँ की जा सकती है, जिससे बालक को समझने में आसानी हो, बच्चे के वाक्यों को दोहराने पर, ध्यान दिया जाना चाहिए और अभ्यास के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

कुछ विशेष शैक्षिक प्रावधान इस प्रकार है :-

विशेष शैक्षिक प्रावधान

1. शिक्षक को सामूहिक उच्चारण प्रविधि का प्रयोग करना चाहिए।
2. छात्र के हकलाने, तुतलाने पर मजाक नहीं करना चाहिए उसे बोलने के लिए प्रेरित व सहयोग करना चाहिए।
3. ऐसे बालकों से सरल प्रश्न पूछे जायें।
4. इस प्रकार के बालकों को सम्प्रेषण तथा बोलने के अवसर दिये जाने चाहिए।
5. इन बालकों के अशुद्ध उच्चारणों पर हँसना नहीं चाहिए बल्कि उसकी सहायता करनी चाहिए।
6. गम्भीर उच्चारण ग्रस्त बच्चे के लिए, जब वह ध्वनि को पहचानना आरम्भ कर दे, वैसी ही ध्वनियों को जो एक समान हो उसे सीखने में सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
7. ऐसे बच्चों के लिए अन्य अतिरिक्त भूमिका निभाने वाले, जिसमें भाषा क्षति से प्रभावित बच्चे हैं खेल शामिल करें।
8. यदि बच्चा हकलाता है तो अध्यापक स्वयं वाक्य पूरा न करें बल्कि अतिरिक्त समय दे।
9. ऐसे बच्चों को अतिरिक्त समय में ध्यान देकर अक्षर ज्ञान करवाना चाहिए।
10. ऐसे बच्चों को कोई छोटी कविता, गीत सिखाएं जिसे वे अपने साथियों को सुना सकें।
11. किसी भाषा की समस्या वाले छात्र को समझाने के लिए छोटे बच्चों की सहायता के लिए है शिक्षक का सहयोग लेना चाहिए।
12. जो छात्र भाषा की कमी के कारण वाणी दोष से प्रभावित है उन्हें प्रायः साधारण निर्देशों का पालन करने में कठिनाई आती है इसलिए ऐसे छात्रों को बार-बार बोले गए निर्देशों का पालन करने में सहायता दी जानी चाहिए।
13. जो छात्र स्वयं अपने कार्य करने का प्रयत्न करते है, उनके साथ कुछ अतिरिक्त धैर्य रखें तथा अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता होती है।
14. अध्यापक द्वारा पाठ का आदर्श वाचन किया जाय तदुपरान्त अनुकरण वाचन कराया जाय।
15. जो छात्र जिनकी गंभीर वाणी विकार हो ऐसी स्थिति में सम्प्रेषण के लिए वैकल्पिक विधि सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है।

16. यदि छात्र में अधिगम ग्रहण करने की अवधि कम है तो गतिविधियों को छोटा बनाया जाय, जैसे-जैसे छात्र में एकाग्रता अवधि बढ़ेगी गतिविधियों की समयावधि भी बढ़ाई जा सकती है।
17. ऐसे छात्र जो गम्भीर उच्चारण समस्याग्रस्त हो उनकी बोली की ध्वनि की पहचान के बाद ऐसी ध्वनियों पर जोकि एक जैसी न हो (म एवं ट) और धीरे-धीरे एक जैसी ध्वनि वाले कठिन शब्द बनाऐ जैसे (क एवं ट) पहले केवल इन ध्वनियों के उच्चारण करवाऐ।
18. सामान्य सहायकों में प्रायः वाक या भाषा क्षति प्रभावित बच्चों की सहायता इस क्षेत्र में करवाएँ जिसमें वह उत्कृष्ट हो इस प्रकार सभी बच्चे यह जान जायेंगे कि उन सभी में कुछ सबलता एवं दुर्बलता के क्षेत्र विद्यमान है। इससे पारस्परिक निकटता पैदा होगी।
19. ऐसे बच्चों के साथ सामान्य व्यवहार किया जाय।
20. ऐसे छात्र की सहभागिता बढ़ाने के लिए किसी भाषा की क्षति से प्रभावित छात्र के साथ बात करते समय छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि समावेशी शिक्षा को प्रारम्भ करने में अलग-अलग समस्याऐं आयेंगी, क्योंकि विशिष्ट बालक कई प्रकार के होते है जिनकी अलग-अलग कई चुनौतियाँ होती है जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। इन सभी को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षण करने में अध्यापक को कई समस्याएँ आ सकती है। लेकिन उन समस्याओं के समाधान भी अध्यापक के पास होने चाहिए।

एक कुशल अध्यापक को बच्चों की कठिनाईयों पर ध्यान देकर उनकी क्षमतानुसार कार्य देना तथा उन बच्चों की योग्यताओं की पहचान कर मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक की होती है। अतः शिक्षक को शिक्षण की पारम्परिक विधि व प्रविधि में परिवर्तन करके नई-विधि, प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार के बच्चों की शिक्षा के लिए समाज, माता-पिता, समुदाय की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सबसे प्रमुख बात यह है कि इन बच्चों को समाज स्वीकार करे तथा इन्हें भी समाज के कार्यों में शामिल करें। शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त, मानसिक रूप से दुर्बल या विशिष्ट समस्याऐं बच्चे की कोई गलती नहीं है किन्ही कारणों से इन बच्चों के शारीरिक बनावट में पृथकता पाई जाती है। इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है। उन्हें समाज में यथा स्थान मिलना चाहिए। अधिकांश समाज में ऐसे बच्चों को निम्न दृष्टि से देखा जाता है। पहले इन बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष विद्यालय खोले गये, लेकिन वर्तमान में यह एक नया कदम है कि इन्हें समावेशी शिक्षा में शामिल किया जाय तथा सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षाओं में पढ़ाया जावे जिससे कि सामान्य बच्चे भी इनका सहयोग कर सके व इन बच्चों की प्रतिभा का प्रदर्शन हो सके। यह बात भी ध्यान रखी जाय कि विशिष्ट बालक में कोई न कोई एक अद्भुत कला व योग्यता पाई जाती है। उस योग्यता व कला को प्रदर्शित करने के लिए व छुपे हुए गुणों को बाहर निकालने के लिए समावेशी शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

अधिगम शैली

कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार यह बताया गया है कि बहुत से विद्यार्थियों के पास अपना संवेदी क्षेत्र होता है जिसके माध्यम से वह अधिगम प्रक्रिया को सरल, तेज एवं प्रभावशाली बनाता है। कई बार इसी को छात्र की अधिगम शैली कहते है।

Scanned with CamScanner

अधिगम शैलियो के प्रकार (Types of Learning Styles)

एक अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने पाठ्यक्रम को अपने छात्रों के अनुरूप ... इसके लिए आवश्यक है कि उसे छात्रों की अधिगम शैलियों के विषय में ज्ञान हो। सामान्यतः ... शैलियां चार प्रकार की होती है -

1. दृश्यात्मक अधिगम शैली (Visual Learning Style)
2. श्रवणात्मक अधिगम शैली (Auditory Learning Style)
3. पठन एवं लेखन अधिगम शैली (Read and Write Learning Style)
4. स्पर्शात्मक अधिगम शैली (Kinesthetic Learning Style)

1. दृश्यात्मक अधिगम शैली (Visual Learning Style)

दृश्यात्मक अधिगम शैली से अभिप्राय उस शैली से है जिसमे बालक सूचनाओं को देखकर, ... मस्तिष्क मे संग्रहीत करता है। ऐसे बालक प्रायः पढ़ना पसन्द करता है, उनकी लेखनी अच्छी ... तथा वे रंगों व आकृति के प्रति जागरूक होते है। ऐसे बालक प्रायः व्यक्तियों को उनके नाम ... पर उनके चेहरे से याद रखते है तथा व्यक्तियों से वार्तालाप करते समय प्रत्यक्ष सम्बन्ध (... contact) रखते है ताकि ध्यान केन्द्रित कर सकें।

दृश्य अधिगम के सहायक साधन (Helping Material of Visual Learning)

दृश्यात्मक अधिगम शैली वाले छात्रों को एक कक्षा मे पढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये ... सकते है -

1. छात्रों को किसी भी प्रकार का निर्देश लिखकर देना ताकि वे उसे आसानी से समझ सकें।
2. शिक्षण मे दृश्य अधिगम सामग्री जैसे - चित्र, चार्ट, ग्राफ, नक्शा तथा मुख्य बिन्दुओं को ... पर लिखना आदि, का उपयोग करे।
3. छात्रों को प्रदर्शन विधि द्वारा पढ़ायें ताकि अधिगम अच्छे से हो सकें।
4. भाषा के विषय मे पढ़ाते समय छात्रों की दृश्यात्मक नमूनों का प्रदर्शन करे ताकि छात्र ... शब्दावली, व्याकरण तथा विराम चिन्ह आदि को सीख सकें।
5. दृश्य सहायक सामग्री जैसे - फ्लैश कार्ड (Flash card) का उपयोग करना।
6. छात्रों से वार्तालाप करते समय जहाँ तक सम्भव हो, प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करें।
7. छात्रो को सूचना प्रदान करते समय सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग किया जावें।
8. छात्रों को मौखिक निर्देश देते समय ये ध्यान रखा जाये कि छात्र किसी भी प्रकार के ... निःसंकोच पूछ सकें।
9. जहां तक सम्भव हो ऐसे स्थान पर शिक्षण किया जाये जो पूर्णतः शांत एवं साफ-सुथरा है ... पर किसी भी प्रकार का अवरोध न हो।

अतः एक अध्यापक के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि वे एक ऐसे वातावरण का ... करे जहां छात्र अधिक से अधिक एवं सुविधा पूर्वक अध्ययन कर सके।

2. श्रवणात्मक अधिगम शैली (Auditary Learning Style)

श्रवणात्मक अधिगम शैली में सूचनाओं का आदान-प्रदान करने का मुख्य तरीका शाब्दिक ... छात्र प्रायः सुनकर तथा बोलकर सीखता है। इस प्रकार के छात्र ..., ... तथा मनोरंजन (कहानी, चुटकले आदि) पसन्द करते है। इस प्रकार के छात्र संगीत एवं कला मे अच्छा प्रदर्शन करते है।

कुछ श्रवणात्मक अधिगमकर्ता (छात्र) धीरे-धीरे पढ़ते है तथा उन्हें लिखने मे प्रायः कठिनाई का अनुभव होता है। ऐसे छात्र अधिक समय तक शांत नही बैठते तथा ये व्यक्तियों को उनके नाम एवं आवाज के माध्यम से याद रखते है।

श्रवण अधिगम मे सहायक साधन (Supportive Material in Listening Learning)

श्रवण अधिगम शैली वाले छात्रों को एक कक्षा में पढ़ाने लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते है -

1. छात्रों को भाषा का ज्ञान कराने के लिए शब्द खेल (Word games) एवं गायन विधि का उपयोग किया जायें।
2. छात्र को तेज आवाज में पढ़ने के लिए कहा जाये तथा वे उस लिखित सामग्री पर उँगली रख कर पढ़े।
3. छात्रों को पठन सामग्री को मौखिक रूप से व्याख्या करने के लिए प्रेरित किया जाये।
4. छात्र सूचनाओं को बार-बार बोल कर याद करें।
5. छात्रों को छोटे एवं बड़े समूह मे विभाजित करके योजना पर कार्य करने को दे।
6. छोटे बच्चों को प्रायः तेज-आवाज में पढ़कर सुनायें।
8. शैक्षिक सूचनाओं को देने के लिए छात्रों को गीत-संगीत विधि का प्रयोग किया जाये।

3. पठन एवं लेखन अधिगम शैली (Read and Write Learning Style)

इस शैली के छात्र प्रायः लिखे हुए शब्दो के माध्यम मे अच्छा सीखते है। ऐसे छात्र पुस्तको को पढ़कर जानकारी एकत्रित करते है। इस शैली मे छात्र व्याख्यान द्वारा, चित्रो द्वारा, चार्ट तथा ग्राफ द्वारा सीखते है तथा लिखित भाषा द्वारा वैज्ञानिक सिद्धान्तो की व्याख्या करते है। ऐसे छात्र प्रायः तीव्र पठन एवं निपुण लेखक होते है।

दृश्यात्मक अधिगमकर्ता की तरह पठन एवं लेखन छात्र भी मौखिक निर्देशो मे असुविधा का अनुभव करता है।

पठन एवं लेखन अधिगम शैली मे सहायक साधन (Supportive Material in Reading and Writing Learning)

1. छात्र को अधिक से अधिक मुख्य बिंदु (Notes) बनाने के लिए प्रेरित करें। जिन्हे वह अपने शब्दो मे लिखे।
2. छात्रों को सुव्यवस्थित एवं संगठित लिखित सामग्री उपलब्ध करायें।
3. कक्षा मे पढ़ाते समय श्यामपट्ट पर मुख्य बिन्दुओं को लिखते जायें।
4. छात्रों को अधिक लिखित अभ्यास करायें।
5. गणित के अभ्यास के लिए ग्राफ, चार्ट तथा अन्य गणितीय आँकड़ो का प्रयोग करे।
6. छात्रों को शब्दकोश तथा अन्य स्रोत सामग्री उपलब्ध करवायें।

Scanned with CamScanner

7. छात्रों को अधिक से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नो के उत्तर देने के लिये प्रेरित करें।

4. स्पर्शात्मक अधिगम शैली (Kinesthetic Learning Style)

स्पर्शात्मक अधिगम शैली वाले छात्र प्रायः कार्य करके सीखते हैं। ऐसे छात्र अपनी प्रतिभाओं को ... गतिविधियों से निखारते हैं। ऐसे छात्र खेलकूद तथा कलात्मक क्रियाओं में प्रायः सामजस्य स्थापित ... लेते हैं। और ऐसे छात्र अपने भावों का शारीरिक रूप से अभिव्यक्त करते है। ऐसे छात्र ... कुशलताओं को स्वयं करके सीखते हैं ना कि किसी के द्वारा दिये गए निर्देश द्वारा।

ऐसे छात्र पढ़ने में तथा वर्तनी में कठिनाई का अनुभव करते है। ऐसे छात्र एक स्थान पर ... समय तक नहीं बैठते।

स्पर्शात्मक अधिगम में सहायक साधन

(Supportive Material in Kinesthetic Learning)

1. ऐसे छात्रों को समय-समय पर छोटी अवधि का अवकाश (Break) देना चाहिए।
2. ऐसे वातावरण का निर्माण करें जिसमें छात्र अध्यापक के निर्देश देने से पूर्व ही कार्य को स्वयं कर ...
3. ऐसे छात्रों को अधिगम के लिए उपयुक्त मात्रा में अधिगम सामग्री जैसे - नक्शा, वर्ग-पहेली, ... खेल तथा वैज्ञानिक यन्त्र आदि उपलब्ध कराना।
4. छात्रों को अधिगम के लिए खुला वातावरण उपलब्ध कराना।
5. छात्रों को खेल-खेल के द्वारा अधिगम के अवसर उपलब्ध कराना।
6. छात्रों को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अधिगम के अवसर देना।
7. छात्रों के अधिगम के लिए शारीरिक क्रियाओं द्वारा प्रोत्साहित करना।
8. ऐसे विद्यालयों का निर्माण करना जहाँ शारीरिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाये।

Scanned with CamScanner

7 समावेशी विद्यालय [Inclusive School]

विद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्थापित किये जाते हैं। जहाँ पर सभी प्रकार के छात्र ज्ञान प्राप्त करते हैं और भावी जीवन के लिए तैयार होते हैं। वर्तमान समय विज्ञान व तकनीकी का समय है। इसका प्रभाव समाज के प्रत्येक भाग में दिखाई देता है और यह समय समस्याओं व जटिलताओं से भरा है। बच्चों को इन समस्याओं से जूझने और उनका हल खोजने के लिए विद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। जिसका निर्माण समाज के आदर्शों और हितों की पूर्ति के लिए किया जाता है। यह समाज का एक छोटा रूप है जिसमें आधुनिक समाज की क्रियाएँ, विचारधाराएँ, संस्कृति और आवश्यकता आदि छोटे स्तर पर दिखाई देती हैं। यही कारण है कि विद्यालय को समाज का दर्पण कहा जाता है।

विद्यालय के सम्बन्ध में जॉन डीवी ने लिखा है, "विद्यालय ही एक ऐसा साधन दिखाई देता है, जिसमें बालक कुशल व्यक्तियों द्वारा, सुव्यवस्थित वातावरण में, सुव्यवस्थित ढंग से अपने समय का सदुपयोग करते हुए शिक्षा ग्रहण करने में सफल हो सकता है।"

इस प्रकार स्कूल शब्द का अभिप्राय है – "एक ऐसा मन्दिर जहाँ पर बिना किसी भेदभाव के बच्चे एक छत के नीचे, एक फर्श पर अपने अध्यापक द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हैं।"

इस प्रकार स्पष्ट है कि विद्यालय में सभी प्रकार के विशेष एवं अन्य छात्र अध्ययन करते हैं। विद्यालयों में सभी विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था की जाती है। समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि कोई भी बालक शिक्षा से वंचित न रह सके, सभी को सुविधाएँ प्रदान की जाये।

समावेशी विद्यालय (Inclusive School)

समावेश का दर्शन विद्यार्थियों और शिक्षकों की सहायता करता है कि वे समाज के अच्छे सदस्य बनें और वे समाज और विद्यालय को न्याय स्वरूप प्रदान करें। समावेश से समुदाय के प्रति अपनत्व की

समावेश उन सभी व्यावहारिक बातों को अपनाता है जो अच्छे शिक्षण ... भावना का विकास होता है। एक अच्छे शिक्षक का कार्य है कि वह बालकों के बारे में सोचे और ... सक्रिय और लाभप्रद है। समावेशी शिक्षा इस विश्वास पर आधारित है कि लोग समावेशी ... बालकों को लाभान्वित करें, और उनमें जाति, धर्म, आकांक्षाओं और अयोग्यताओं का किसी भी प्रकार ... में मिलकर कार्य करें भेदभाव न हो। समावेशी स्कूल ऐसा स्कूल होता है जिसमें सभी बालक मुख्य धारा से जुड़े होते हैं। ... बालकों के मुख्य धारा से जुड़ने का अर्थ यह नहीं है कि सभी बच्चों को नियमित सामान्य विद्यालय के कक्षा-कक्ष में धकेल दिया जाय और किसी प्रकार की सुविधाओं का ध्यान न रखा जाय, इसका अर्थ है कि जो बालक गम्भीर रूप से विकलांग है उन्हें विशेष विद्यालय में भेजा जा सकता है। इस प्रकार सभी विद्यार्थी शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं।

समावेशी विद्यालय में निम्नलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखना आवश्यक है :-

1. **विद्यालय दर्शन का निर्माण :-** समावेशी विद्यालय की सफलता इस बात पर आधारित होती है कि उस विद्यालय का कोई दर्शन हो और जिसमें प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों का अनुकरण किया जाय। समावेश प्रयोग नहीं है, जिसकी जाँच प्रयोगशाला में की जा सके। यह एक मूल्य है जिसे अपनाया जाय और इसके प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास किया जाय। समावेशी विद्यालय केवल शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल नहीं देता बल्कि बच्चों के विभिन्न गुणों के विकास पर बल देता है। ये गुण सामाजिक, भावनात्मक, सामुदायिक, सामूहिक उत्तरदायित्व, अच्छी नागरिकता, स्वस्थ प्रतियोगिता आदि का विकास करता है।

   विद्यालय के दर्शन को यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि प्रशासकों, शिक्षकों, अभिभावकों, विद्यार्थियों जिनकी विशेष शैक्षिक आवश्यकताएँ हैं या नहीं, समुदाय के नेता और समर्थक व्यक्तियों की समावेशी शिक्षा की योजना, निर्णय प्रक्रिया में शामिल हों। इस प्रकार समावेशी विद्यालय का स्पष्ट दर्शन होना चाहिए कि विद्यालय में इस प्रकार का वातावरण तैयार किया जाय जिससे कि सभी बच्चों में समूह में रहने, जीवन जीने की कला, सामुदायिकता व सहयोग का विकास हो सके।

2. **स्वाभाविक अनुपात का सिद्धान्त :-** स्वाभाविक अनुपात से अर्थ है कि विद्यालय में सभी प्रकार के बच्चों को प्रवेश दिया जाय किसी भी बच्चे को उसकी विकलांगता के आधार पर शिक्षा से वंचित न रखा जाय। इसके अन्तर्गत समावेशी विद्यालय में उन सभी बच्चों को सम्मिलित किया जाये जो पड़ोस के स्कूल के भाग हैं। स्कूल में ऐसे बालकों को प्रवेश देने के लिए किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के सिद्धान्त का अनुसरण करने से सभी प्रकार के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

3. **पूर्ण एवं समस्त रूप से समर्थन :-** समावेशी विद्यालय तब तक सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकता जब तक कि उसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकताओं का पूर्ण रूप से समर्थन किया जाय। इस प्रकार के विद्यालयों को समस्त समर्थन सेवाओं का विकास करना चाहिए। इस समर्थन एक ऐसे लोगों का समूह है जिसमें जो आपस में मिल-जुलकर, समस्या समाधान, विचारों के आदान-प्रदान से शिक्षकों को भी सहायता मिलती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों के साथ मिलकर अपने क्रिया कलाप व विचारों का आदान-प्रदान करते हैं जिससे वे लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार विद्यालयों में इस प्रकार का माहौल तैयार किया जाय जिससे सभी प्रकार के बच्चे शिक्षा से लाभान्वित हो सकें।

समावेशी विद्यालयों के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम

समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए जिला स्तर, राज्य स्तर व केन्द्र स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। इन विद्यालयों में विकलांग बच्चों को सामान्य रूप से शिक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव (सुझाव) दिये जा रहे हैं।

सामान्य विद्यालयों में समावेशी कार्यक्रम का स्वरूप

सामान्य विद्यालयों में समावेशी कार्यक्रम इस प्रकार हैं :-

1. बच्चों के इस वर्ग की देखभाल करने वाले शिक्षकों के लिए पर्यवेक्षी सेवाएँ प्रदान करने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद आदि संस्थाओं का विकास करना।
2. सामान्य विद्यालयों में अतिरिक्त सुविधाएँ मुहैया कराना/व्यावसायिक तथा पूर्वव्यावसायिक पाठ्यक्रमों को बच्चों के अनुकूल बनाना।
3. विकलांगता के मूल्यांकन के लिए जिला स्तर पर मनोवैज्ञानिक सेवाओं का विकास करना।
4. सामान्य विद्यालय पद्धति में प्रशासकों तथा शिक्षकों के लिए समर्थन कार्यक्रम आयोजित करना।
5. इन बच्चों की देखभाल व अधिगम सामग्री की व्यवस्था करना।
6. यदि आवश्यक हो तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय की सहायता लेना।
7. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रोत्साहित करना, जिसके अन्तर्गत :
   (i) साधन तथा उपकरणों की व्यवस्था करना।
   (ii) परिवहन भत्ते की व्यवस्था करना।
   (iii) ग्रामीण क्षेत्र में उस संस्था को जिसमें कम से कम 10 विकलांग बच्चे हैं, स्कूल रिक्शा खरीदने के लिए धन की व्यवस्था करना।
   (iv) विद्यालय भवनों में वास्तुशिल्पीय अवरोधों को दूर करना।
   (v) बच्चों को निःशुल्क प्रवेश, पुस्तकें आदि की व्यवस्था करना।
   (vi) स्कूल में शिक्षा के लिए शिशु केन्द्रों में इन बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था करना।
8. इन बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना, +2 स्तर पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में आरक्षण करना।
9. मनोवैज्ञानिक-शैक्षिक मूल्यांकन तथा निदान के लिए अध्ययन और समस्याओं की पहचान के उपकरणों का स्पष्ट रूप से क्षेत्रीय भाषाओं में विकास करना।
10. केन्द्र में इन बच्चों के विकास एवं कार्यक्रम की जाँच व परिवर्तन के लिए समिति बनाई जाय जो कि इस कार्यक्रम की देखरेख करें।

समावेशी विद्यालय तथा विशेष विद्यालयों में शिक्षा के स्वरूप की व्यवस्था

समावेशी विद्यालय तथा विशेष विद्यालयों में शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार होना चाहिए :-

1. जिला एवं उप जिला स्तर पर विशेष विद्यालय स्थापित करना, विशेष विद्यालय में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र का विकास किया जाये।
2. बालक-बालिकाओं के लिए पृथक छात्रावासों की व्यवस्था करना। बाल-छात्रावासों में +3 तथा बालिका

Scanned with CamScanner

छात्रावासों में 20 बालिकाओं की क्षमता हो।

3. विकलांग बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की व्यवस्था करना तथा उनका वेतन सामान्य से 20 प्रतिशत अधिक करना।

4. शिक्षकों के अतिरिक्त विकलांग बच्चों के मूल्यांकन और पुनर्वास के कार्य के लिए प्रत्येक जिले में 400 मनोवैज्ञानिक और कम से कम दो चिकित्सकों की आवश्यकता होगी। विकलांग बच्चों के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए उपलब्ध होने पर वर्तमान सलाहकार संवर्ग को 4-6 सप्ताह का सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाये। इस प्रकार चिकित्सा कर्मचारियों के लिए दो सप्ताह का अनुस्थापन कार्यक्रम चलाया जाये। इसके अतिरिक्त शरीर चिकित्सक, व्यावसायिक चिकित्सक, वाक् चिकित्सक जैसे स्टाफ की आवश्यकता होगी।

5. इन विशेष विद्यालयों की पाठ्यचर्या में संशोधन की आवश्यकता होगी।

6. विशेष शिक्षा में प्रौद्योगिकी के प्रयोग की ओर ध्यान देना होगा। इलेक्ट्रानिक विभाग, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय और कल्याण मन्त्रालय विकलांग बच्चों के लिए सीखने के अवसर में सुधार के लिए ऐसी सामग्री तैयार करने में सहयोग दें। उदाहरण के लिए नेत्रहीनों के लिए कम्प्यूटर, लिपियुक्त टेलीविजन तथा वीडियो आदि बनाने की आवश्यकता है। जिससे विकलांग बच्चे लाभान्वित हो सकें।

7. भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण में विकलांग बच्चों की शिक्षा अनुसंधान तुरन्त शुरू करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा राष्ट्रीय विकलांग संस्थान इस कार्य का विकास करें।

8. भारत में विकलांग बच्चों की शिक्षा के आँकड़े बहुत कम हैं सूचना पद्धति को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें।

9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए, विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की वर्तमान योजना में संशोधन की जरूरत है। मानव संसाधन विकास मन्त्रालय को इस योजना के पुनर्वलन हेतु कुछ संशोधन की आवश्यकता है।

इस प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं कि विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम युक्ति संगत है। विकलांग बच्चों के लिए समावेशी विद्यालय तथा विशेष विद्यालयों की योजना पर प्रकाश डाला गया है। परन्तु इस कार्यक्रम को चलाने के लिए उपयुक्त संसाधनों व पर्याप्त धन की आवश्यकता होगी।

विद्यालय तत्परता एवं कार्यकलाप (School Readiness and Transition)

विद्यालय तत्परता : तत्परता शब्द का क्या अर्थ जान लेना आवश्यक होगा। उदाहरण स्वरूप एक किसान जब खेत में बीज डालने से पूर्व खेत को तैयार कर लेता है तो इसका अर्थ है कि आप काम के लिए तैयार हैं अर्थात् बीज डालने से पूर्व ठीक से तैयारी करना। जिससे कि फसल सही समय में ठीक से उत्पन्न हो सके। एक कहावत भी है कि जब कोई कार्य करने के लिए तत्परता दर्शाता है तो वहाँ तक कहा जाता है कि अब इस कार्य को सम्पन्न करने में कोई देरी नहीं है। अर्थात् सरलता व सुगमता से कार्य सम्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के उदाहरणों को मनोवैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है। मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक ने सीखने के लिए तत्परता का सिद्धान्त दिया जिसके अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी क्रिया को करने के लिए तत्पर हो जाता है तो उस कार्य को सीखने में अधिक समय नहीं लगता है। इस प्रकार तत्परता से अभिप्राय है कि यदि कोई अंग या विधि प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहती है तो इससे सन्तुष्टि प्राप्त होती है। इसके विपरीत यदि कोई विधि प्रतिक्रिया के लिए तैयार नहीं रहती तो उसके परिणाम नकारात्मक होते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि हम किसी बच्चे को खेलने के लिए विवश करते हैं जबकि उसकी खेल में रुचि नहीं है तो उसकी खेलने के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हो जाता है। इस प्रकार सीखने के लिए तत्परता की आवश्यकता होती है।

इसी प्रकार जब हम विद्यालय तत्परता की बात करते हैं तो वहाँ भी यही बात आती है कि विद्यालयों को प्रत्येक परिस्थिति व प्रत्येक बच्चे की शिक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। उसके पास प्रत्येक विशेष व अन्य बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि प्रत्येक बच्चा आसानी से सीख सके। इस प्रकार विद्यालय तत्परता में जब विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बालकों का सामान्य स्कूल में समावेशन का प्रश्न उठता है तो स्कूल, शिक्षक, मुख्याध्यापक एवं विद्यालय के भौतिक एवं मानवीय संसाधन पूरी तरह से तन-मन से इन बालकों को स्वीकार करने की तैयारी करें और इन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की नियमित शिक्षा के लिए प्रयास करें व उन्हें आगे बढ़ाएँ। इसे ही विद्यालय तत्परता कहा जा सकता है। इसके लिए अध्यापक, मुख्याध्यापक द्वारा इनके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएँ बनाना, क्रियान्वित करना, पाठ्य सहगामी क्रियाएँ करना, बैठने व भौतिक सुविधाओं की उचित व्यवस्था करना आदि क्रियाकलाप कराये जा सकते हैं।

विद्यालय गतिविधियाँ (कार्य कलाप) (School Transition)

विद्यालय कार्यकलाप विद्यालय के पाठ्यक्रम के ही अंग होते हैं ये कार्यकलाप पाठ्यक्रम के अटूट भाग हैं। इसलिए इन्हें पाठ्य सहगामी क्रिया कलाप कहते हैं। ये पाठ्य सहगामी क्रियाएँ विद्यालयों में बच्चों के सम्पूर्ण विकास के लिए आयोजित की जाती हैं इन क्रियाओं से बालक का शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक, आध्यात्मिक विकास किया जाता है। समावेशी विद्यालयों में भी प्रत्येक बच्चे की योग्यता, सामर्थ्य के अनुसार क्रियाएँ करायी जाती हैं। विद्यालय की सभी गतिविधियों में सामान्य व विशिष्ट सभी बच्चों को भाग लेना चाहिए जिससे कि सभी बच्चों का सम्पूर्ण विकास हो सके।

अब प्रश्न उठता है कि क्या अन्य बालकों की भाँति ही इन विकलांग बालकों को इन क्रियाओं में भाग लेना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा कि ऐसा करना न तो उचित है और न ही सम्भव है क्योंकि इन विकलांग बालकों की अलग-अलग समस्याएँ हैं। इनको विद्यालय की सम्पूर्ण गतिविधियों में भाग लेने में अनेक बाधाएँ हैं। इसके लिए आवश्यक होगा कि इन चुनौती लिए बच्चों को ऐसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाय जिनमें उनकी विकलांगता बाधा न पहुँचाये। उदाहरण के लिए कोई बालक पैर से विकलांग है तो स्वाभाविक है कि वह दौड़ नहीं पायेगा। लेकिन वह विद्यालय की दूसरी गतिविधि जैसे कविता पाठ, पेन्टिंग, भाषण, संगीत आदि में आसानी से भाग ले सकता है। हो सकता है कि वह इन अन्य प्रतियोगिताओं में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त कर लें। इसके लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य, अध्यापकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उन बच्चों के लिए अलग-अलग क्रियाकलापों की व्यवस्था की जाए जिससे कि वे बच्चे भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। विद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों व अन्य लोगों को चाहिए कि इन बच्चों में किसी प्रकार की दया न दिखाकर उन्हें प्रेरित करें।

यहाँ पर यह जान लेना आवश्यक होगा कि विद्यालय में कितने प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित की जा सकती हैं। जिनसे विकलांग व अन्य बच्चों को लाभ पहुँचे। इन क्रियाकलापों एवं

Scanned with CamScanner

गतिविधियों को ही पाठ्य सहगामी क्रियाएँ कहा जाता है।

पाठ्य सहगामी क्रियाएँ (विद्यालय कार्य कलाप)

पाठ्य सहगामी क्रियाओं के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपने विचार इस प्रकार स्पष्ट किये- "विद्यालय केवल ऐसी औपचारिक शिक्षा का केन्द्र नहीं जहाँ असीम ज्ञान प्रदान किया जाता है। यह एक ऐसी सजीव व पूर्ण जाति है, जो शिष्यों को प्रशिक्षित करके उन्हें सम्मान द्वारा जीवित रहने की शिक्षा देती है। जीवन विधि की कला अत्यन्त महत्वपूर्ण है। समुचित ढंग से संयोजित विद्या ग्रहण करना ही सब कुछ नहीं है। सामाजिक जीवन यापन करने तथा सामाजिक रूप में रहकर एक दूसरे की सहायता करके अपने स्वभाव परिवर्तन का प्रशिक्षण नहीं मिलता है, उनकी पूर्ति केवल सामाजिक जीवन के साथ पाठ्यक्रम गतिविधियों द्वारा ही सम्भव है, जिसकी विद्यमानता विद्यालय में होनी आवश्यक है।"

विभिन्न विषयों के शिक्षण अधिगम के साथ विद्यालय में बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए जो क्रियाएँ कराई जाती है। उन्हें पाठ्य सहगामी क्रियाएँ कहा जाता है। ये क्रियाएँ अध्यापक के कार्य में तो सहायक सिद्ध होती ही है, बल्कि ये क्रियाएँ छात्रों को "जीवन की शिक्षा" प्रदान करने में भी सहायक सिद्ध होती है इन क्रियाओं की प्रमुख विशेषता यह है कि इनमें छात्र सक्रिय रहते है।

विद्यालय गतिविधि (पाठ्य सहगामी क्रियाओं) के प्रकार

शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को सर्वांगीण विकास करना है। इसके अन्तर्गत शारीरिक मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, सृजनात्मक विकास आदि आते हैं। इन सभी का विकास करने के लिए तथा छात्र के अन्दर निहित शक्तियों का विकास करने के लिए छात्रों को अलग-अलग क्रियाएँ करनी आवश्यक होती है। विद्यालय में करायी जाने वाली क्रियाओं एवं गतिविधियों का वर्गीकरण इस प्रकार कर सकते हैं :-

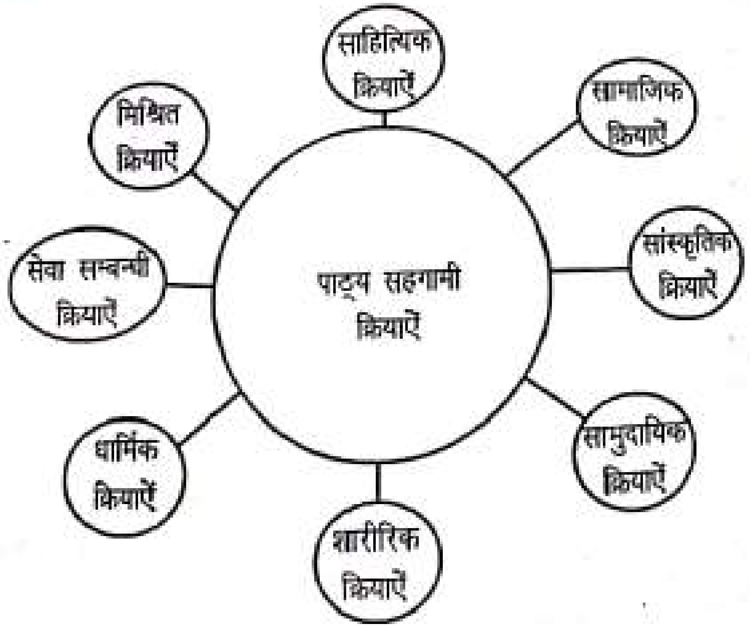

1. साहित्यिक क्रियाएँ :- साहित्यिक क्रियाएँ वे क्रियाएँ है जो विषय व अध्ययन एक सम्बन्धित होती है, जिनसे बालक की अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है इसके अन्तर्गत निम्नलिखित क्रियाएँ आयोजित की जा सकती है :-

1) वाद विवाद प्रतियोगिता
2) कविता पाठ प्रतियोगिता
3) भाषण प्रतियोगिता
4) दैनिक विचारों को लिखना
5) दैनिक समाचार लिखना
6) निबन्ध लेखन प्रतियोगिता
7) क्विज प्रतियोगिता
8) विद्यालय पत्रिका।

2. सामाजिक क्रियाएँ :- ये क्रियाएँ बालक के सामाजिक विकास के लिए आयोजित की जाती है। जिनसे बालक में सामाजीकरण, सहयोग, सद्भावना, भावात्मक एकता का विकास किया जाता है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित क्रियाएँ आती है :-

1) पिकनिक का आयोजन
2) आगन्तुकों का स्वागत
3) विद्यार्थी संगठन
4) स्काउट
5) गाइडिंग
6) राष्ट्रीय सेवा योजना
7) एन.सी.सी.
8) मेलर का भोजन

3. सांस्कृतिक क्रियाएँ :- बालक को उसकी संस्कृति का ज्ञान कराने तथा दूसरी संस्कृति से परिचित कराने के लिए सांस्कृतिक क्रियाओं को निम्न क्रियाएँ आयोजित की जा सकती है।

1) लोक नृत्य प्रतियोगिता
2) नाटक मंचन
3) लोकगीत प्रतियोगिता
4) फैन्सी ड्रेस प्रतियोगिता
5) विशेष दिवस समारोह
6) विस्तृत भाषणों का आयोजन
7) विभिन्न नृत्य प्रतियोगिता
8) प्रतिभा खोज -

4. शारीरिक क्रियाएँ :- "स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है।" इसलिए स्वस्थ मस्तिष्क

के विकास के लिए आवश्यक है कि बच्चों को समय-समय पर शारीरिक क्रियाएं कराया जाए।
शारीरिक विकास से सम्बन्धित विद्यालयों में निम्न क्रियाएँ करायी जा सकती है :-

1) सामूहिक व्यायाम
2) एन.सी.सी.
3) पर्वतारोहण
4) बाहर खेले जाने वाले खेल
5) दौड़ एवं क्रियाएँ
6) योग
7) विशेष शारीरिक क्रियाएँ

5. सामुदायिक क्रियाएँ :- छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना का विकास करने के लिए अलग-अलग सामुदायिक क्रियाएँ आयोजित की जाती है।

1) प्रातः कालीन सभा
2) स्काउटिंग
3) रैडक्रास
4) राष्ट्रीय सेवा योजना
5) समाज सेवा
6) वृक्षारोपण
7) प्रौढ़ शिक्षा कैम्प
8) ग्राम सर्वेक्षण

6. सामाजिक कल्याण एवं धार्मिक क्रियाएँ :- मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है लेकिन वह तब तक सामाजिक नहीं हो सकता जब तक वह सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता। बच्चों के सामाजिक एवं धार्मिक विकास के लिए विद्यालयों में निम्नलिखित क्रियाएँ आयोजित की जाती है :-

1) धार्मिक शिक्षा वर्ग
2) सामाजिक एवं हितकारी क्लब
3) प्राकृतिक आपदा से बचाव का प्रबन्धन
4) महामारी से बचाव का प्रबन्धन

7. सेवा सम्बन्धी क्रियाएँ :-

1) विद्यालय के लिए दान इकट्ठा करना
2) विद्यालय छोड़कर जाने वाली कक्षाओं को उपहार देना
3) विदाई समारोह

8. मिश्रित क्रियाएँ :- मिश्रित क्रियाओं के अन्तर्गत वे सभी क्रियाएँ शामिल की जाती है जो समय-समय पर छात्रों के व्यक्तित्व में परिवर्तन लाने के लिए की जाती है इसके अन्तर्गत

1) ...
2) विशेष दिवस कार्यक्रम
3) अन्तर्विद्यालयी कार्यक्रम
4) प्रतियोगिताएँ
5) प्रातः कालीन सभा की योजना व व्यवस्था
6) पुस्तकालय में सहायता कार्य
7) पुरानी पुस्तकों का संचय व प्रबन्धन
8) विद्यालय में साफ सफाई, साज, सज्जा कार्यक्रम

उपरोक्त वर्गीकरण से स्पष्ट होता है कि छात्रों के व्यक्तित्व में निखार लाने तथा सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ करायी जाती है। समावेशी विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के विकलांग बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार क्रिया कलाप कराये जा सकते है। क्रिया कलाप कई प्रकार के आयोजित किये जा सकते है। मुख्य बात यह है कि इन्हें आयोजित कराने में अध्यापक व प्रबन्धन का प्रमुख सहयोग होना चाहिए। तथा अध्यापकों की रूचि होनी चाहिए। विकलांग बच्चों के लिए विविध प्रकार की बौद्धिक क्रिया कलाप, पेंन्टिंग, संगीत आदि क्रिया कलाप कराये जा सकते है। जिससे कि सभी बच्चों को लाभ प्राप्त हो सके।

पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लाभ

पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लाभ इस प्रकार है :-

1. इन क्रियाओं से बच्चों की मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है
2. ये क्रियाएँ बच्चों के शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास में सहायक होती है।
3. इन क्रियाओं से बच्चों में सामाजिकता के गुणों का विकास किया जा सकता है।
4. ये क्रियाएँ छात्रों के नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों के विकास में सहायक होती है।
5. ये अवकाश काल का सदुपयोग करने में सहायक होती है।
6. इनसे छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास होता है।
7. इन क्रियाओं से व्यक्तिगत रूचि व अभिरूचियों का प्रदर्शन होता है।
8. ये क्रियाएँ विषय वस्तु को रोचक बनाने, अभ्यास करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
9. इन क्रियाओं से अनुशासन, आत्मअनुशासन व सामाजिक अनुशासन होता है।
10. पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा छात्रों को स्वयं को पूर्ण रूप से जानने के अवसर मिलते है।
11. इन क्रियाओं से सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा मिलता है।
12. इन क्रियाओं से स्वशासन में प्रशिक्षण प्राप्त होता है।
13. इनसे राष्ट्रीय एकता तथा भावात्मक एकता का विकास होता है।
14. इन क्रियाओं से सौन्दर्यात्मक मूल्यों का विकास किया जाता है।
15. इन क्रियाओं से बच्चों को अपने कर्तव्यों का ज्ञान होता है।

Scanned with CamScanner

समावेशी पाठ्यक्रम का नियोजन
(Planning of Inclusive Curriculum)

पाठ्यक्रम का अर्थ :-

पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी भाषा के (Curriculum) शब्द का हिन्दी रूपान्तर है 'करीक्यूलम' शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान (Race Course)। यहाँ पर दो शब्द दौड़ तथा मैदान प्रयुक्त किये गये है। जिसमें ''दौड़'' का अर्थ छात्रों द्वारा प्राप्त अनुभव एवं उनकी क्रियाओं से तथा ''मैदान'' का अर्थ पाठ्यक्रम से है। दूसरे शब्दों में करीक्यूलम वह क्रम है जिसे किसी व्यक्ति को अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँचने के लिए पार करना होता है। यह वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। शिक्षक पाठ्यक्रम की सहायता से अपनी शिक्षण क्रियाओं का सम्पादन करता है। जिससे छात्र अनुभव तथा क्रियाएँ करके अपना विकास करता है। शिक्षक की दृष्टि से पाठ्यक्रम एक दिशा एवं साधन है। जिसका अनुसरण करके शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। पाठ्यवस्तु के व्यवस्थित रूप को पाठ्यक्रम की संज्ञा दी जाती है। जो छात्रों की आवश्यकता पूर्ति के लिए तैयार किया जाता है जिससे छात्र एवं शिक्षकों को ज्ञात होता है कि क्या पढ़ाया जाय तथा कब और कहाँ पढ़ाया जाय।

पाठ्यक्रम की प्राचीन अवधारणा में तथ्यों के ज्ञान की सीमा निश्चित करना सम्मिलित था। पाठ्यक्रम शब्द बहुत समय से प्रचलित था। परन्तु ये विषय पाठ्यक्रम के बौद्धिक विषयों के अर्थ में पाठ्यक्रम शब्द बहुत समय से प्रचलित था। इन विषयों की सामग्री को अन्तर्वस्तु (Content) कहा जाता है। केवल अंग है। सम्पूर्ण पाठ्यक्रम नहीं, इन विषयों की सामग्री को अन्तर्वस्तु (Content) कहा जाता है। कक्षा में शिक्षण की दृष्टि से शिक्षक की सुविधा के लिए जब इस विषय सामग्री को व्यवस्थित कर लिया जाता है तो उसे हम पाठ्य विवरण (Syllabus) कहते हैं। पाठ्यक्रम शब्द का प्रयोग कभी-कभी भ्रमवश सिलेबस के अर्थ में कर दिया जाता है। परन्तु पाठ्य विवरण पाठ्यक्रम का अंशमात्र है, न कि सम्पूर्ण पाठ्यक्रम कोर्स, अन्तर्वस्तु, पाठ्य विवरण आदि शब्द पाठ्यक्रम की अवधारणा को स्पष्ट करने में असमर्थ है। स्वयं पाठ्यक्रम शब्द अर्थ विस्तार के माध्यम से ही आधुनिक अवधारणा को स्पष्ट कर पाता है। इसलिए कुछ शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम के स्थान पर ''शिक्षाक्रम'' अथवा ''पाठ्यचर्या'' का प्रयोग करना उपयुक्त समझते हैं। पाठ्यक्रम की आधुनिक धारणा अति विस्तृत एवं व्यापक है। इसे केवल कक्षा के अन्दर तक ही सीमित नहीं है। अपितु कक्षा से बाहर प्राप्त अनुभवों को भी शामिल किया जाता है। परन्तु आधुनिक धारणा व्यापक एवं विस्तृत है। इसके अन्तर्गत कक्षा के अन्दर व बाहर सभी अनुभवों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें सभी बौद्धिक विषय, कौशल, अनेकों कार्यकलाप पढ़ना, लिखना, खेल-कूद आदि शामिल किये जाते हैं। पाठ्यचर्या को क्रिया एवं अनुभव का संपुट माना जाना चाहिए, न कि अर्जित किये गये ज्ञान या संग्रह किये गये तथ्यों के रूप में, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल का मैदान आदि में प्राप्त सभी अनुभवों को पाठ्यक्रम अपने आँचल में समेट लेता है और वैयक्तिक एवं सामाजिक क्षेत्रों के सभी उद्योगों, व्यवसाय, कौशलों एवं अभिवृत्तियों को अपनी परिधि में समेट लेता है। परन्तु इसका आशय यह नहीं कि पाठ्यक्रम जीवन से भी व्यापक है। यह जीवन के उद्देश्यों और उसके अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का एक साधन है न कि स्वयंसाध्य। इसके माध्यम से व्यक्ति जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। और समय की धारणा न तो अति संकीर्ण होकर विषय सामग्री या पाठ्य विवरणों तक सीमित है और

... इसमें ... के सम्पूर्ण अनुभवों को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अन्तर्गत वे ही अनुभव शामिल किये जाते हैं, जिन्हें शिक्षक के निर्देशन में छात्र प्राप्त करता है। ऐसे अनुभव प्रायः विद्यालय प्रांगण में कक्षा के अन्दर, खेल के मैदान, पुस्तकालय आदि स्थलों में प्राप्त किये जा सकते हैं। पाठ्यक्रम को स्पष्ट करने के लिए शिक्षाशास्त्रियों तथा अलग-अलग विद्वानों ने अपने शब्दों में इस प्रकार लिखा है।

हार्न :- ''पाठ्यक्रम वह है जो बालकों को पढ़ाया जाता है। यह शान्तिपूर्ण पढ़ने या सीखने से अधिक है। इसमें उद्योग, व्यवसाय, ज्ञानोपार्जन, अभ्यास और क्रियाएँ सम्मिलित है।''

मुनरो :- ''पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव निहित है। जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है।''

फ्रोबेल :- ''पाठ्यक्रम को मानव जाति के सम्पूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए''

शिक्षा आयोग :- ''विद्यालय पाठ्यक्रम अधिगम अनुभव की वह समग्रता है जो विद्यालयों द्वारा छात्रों को विद्यालय में या उसके बाहर की बहुमुखी क्रियाओं द्वारा प्रदान की जाती है। ये समस्त क्रियाएँ विद्यालय के दिशानिर्देशन में संचालित की जाती है।''

कनिंघम :- ''पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक साधन है; जिससे वह अपने विद्यालय में अपने उद्देश्य के अनुसार अपने छात्र को कोई भी रूप दे सकता है।''

मैगुअल :- ''पाठ्यक्रम में शिक्षार्थी के वे समस्त अनुभव समाहित होते है। जिन्हें वह कक्षा-कक्ष में, प्रयोगशाला में, पुस्तकालय में, खेल के मैदान में, विद्यालय में सम्पन्न होने वाली अन्य पाठ्येतर क्रियाओं द्वारा तथा अपने अध्यापकों एवं साथियों के साथ विचारों के आदान-प्रदान के माध्यम से प्राप्त करता है।''

डीवी :- ''सीखने का विषय या पाठ्यक्रम, पदार्थों, विचारों या सिद्धान्तों का चित्रण है। जो निरन्तर उद्देश्यपूर्ण क्रियान्वेषण से साधन या बाधा के रूप में आ जाते है।''

जे.एफ.कीर :- ''विद्यालय द्वारा सभी प्रकार के अधिगम तथा निर्देशन का नियोजन किया जाता है। चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या सामूहिक रूप से, विद्यालय के अन्दर अथवा बाहर व्यवस्थित की जायें वे सभी पाठ्यक्रम का प्रारूप होती है।''

हिल्डा एफ.टेबर :- ''पाठ्यक्रम के अन्तर्गत पाठ्यवस्तु, शिक्षण, शिक्षण विधियाँ तथा उद्देश्यों को सम्मिलित किया जाता है तथा इन क्रियाओं का कैसे आरम्भ किया जाये। इन तीनों पक्षों की अन्तः प्रक्रिया को पाठ्यक्रम कहते है।''

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि पाठ्यक्रम केवल विद्यालय शिक्षण विषयों तक ही सीमित नहीं होता है अपितु विद्यालय में नियोजित एवं सम्पादित सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। जो बालक के विकास में सहायक होती है। पाठ्यक्रम में सम्पूर्ण क्रियाओं एवं अनुभवों को शामिल किया जाता है जो बालक के व्यवहार परिवर्तन में सहायक होते हैं।

पाठ्यक्रम एवं पाठ्यवस्तु में अन्तर (Difference between Curriculum and Syllabus)

सामान्यतः पाठ्यक्रम व पाठ्यवस्तु का एक ही अर्थ समझ लिया जाता है। लेकिन शिक्षाशास्त्र की दृष्टि से इन दोनों में अलग-अलग अन्तर है। पाठ्यक्रम व्यापक रूप है, जबकि पाठ्यवस्तु संकुचित, पाठ्यक्रम के अन्दर पाठ्यवस्तु को सम्मिलित किया जाता है। पाठ्यवस्तु का सम्बन्ध किसी शिक्षण विषय की

Scanned with CamScanner

रूपरेखा से होता है, जबकि पाठ्यक्रम के अन्तर्गत बालक के सम्पूर्ण विकास को शामिल किया जाता है। इसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, सामाजिक विकास को स्थान दिया जाता है। शिक्षण के साथ साथ खेलकूद आदि से शारीरिक विकास, सांस्कृतिक कार्यक्रमों व राष्ट्रीय पर्वों से राष्ट्रीय व सांस्कृतिक विकास, स्काउटिंग, एन.सी.सी. आदि से सामाजिक विकास व नेतृत्व के गुणों का विकास किया जाता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम का स्वरूप अधिक व्यापक होता है। जबकि पाठ्यवस्तु का स्वरूप सुनिश्चित होता है। जिसके अन्तर्गत शिक्षण विषयों के प्रकरणों को ही सम्मिलित करते हैं।

पाठ्यक्रम एवं पाठ्यवस्तु में कुछ अन्तर इस प्रकार है।

1. पाठ्यक्रम में विद्यालय में होने वाली समस्त योजनाबद्ध क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जबकि पाठ्यवस्तु पाठ्यक्रम का ही एक भाग है, जिसमें किसी विशेष विषय से सम्बन्धित पाठ्यवस्तु प्रकरणों का शामिल किया जाता है।
2. पाठ्यक्रम विषयवस्तु के ज्ञान के साथ-साथ पाठ्य-सहगामी क्रियाओं तथा अन्य प्रवृत्तियों के आयोजन से बालक के चहुँमुखी विकास में सहायक होता है। जबकि पाठ्यवस्तु बालक के मात्र विषय वस्तु के ज्ञान अथवा पुस्तकीय ज्ञान के विकास में सहायक होता है।
3. पाठ्यक्रम में शिक्षक की विषयवस्तु, प्रयुक्त विधियाँ, प्रविधियाँ, नई तकनीकियाँ, कार्यक्रम व क्रियाकलाप निहित होते हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण विद्यालय का कार्यक्रम पाठ्यक्रम कहलाता है। जबकि पाठ्यचर्या केवल शिक्षण की विषयवस्तु को निर्धारित करती है।
4. पाठ्यक्रम व्यापक है जबकि पाठ्यवस्तु संकुचित रूप है।
5. पाठ्यक्रम सम्पूर्ण है जबकि पाठ्यवस्तु पाठ्यक्रम का अंश मात्र है।
6. पाठ्यक्रम को क्रिया व अनुभव के रूप में समझा जा सकता है जबकि पाठ्यवस्तु अर्जित ज्ञान व संग्रहित तथ्य है।

पाठ्यक्रम के उद्देश्य (Objectives of Curriculum)

किसी भी विषय के शिक्षण को प्रारम्भ करने से पूर्व उसका पाठ्यक्रम निश्चित करना अनिवार्य है। क्योंकि उसी के आधार पर विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाता है। तथा उसी के आधार पर सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन किया जाता है। पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपने विचार इस प्रकार स्पष्ट किये।

"पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सैद्धान्तिक विषयों से नहीं है जो विद्यालयों में परम्परागत ढंग से पढ़ाये जाते हैं। वरन् इसमें अनुभवों की वह सम्पूर्णता निहित है, जिनको विद्यार्थी विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, खेल के मैदान तथा शिक्षक व शिक्षार्थियों के अनौपचारिक सम्पर्कों से प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का सम्पूर्ण जीवन ही पाठ्यक्रम हो जाता है। जो विद्यार्थी के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित कर सकता है और उसके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहयोग देता है।"

कुछ शिक्षाशास्त्रियों का यह मानना है कि बालक के वर्तमान अनुभवों, रुचियों तथा क्रियाओं के आधार पर ही यह निश्चित किया जाना चाहिए कि उसे क्या पढ़ाना चाहिए। विद्यार्थी को स्वतन्त्र रूप में विकसित होने के अवसर प्रदान किये जाने चाहिये। जॉन डीवी तथा उनके अनुयायियों ने अध्ययन के स्कूल के विषयों की अपेक्षा बालक को अधिक महत्वपूर्ण माना है। ऐसे ही कुछ विचार सर्वे ...

... के भी हैं। उनका यह कहना है कि यदि हम बालक को भविष्य में अच्छे जीवन के लिए तैयार करना चाहते हैं तो जितना सम्भव हो सके उसे स्कूल में अनुभव व क्रियायें प्रदान की जानी चाहिये। जिससे ... वह विभिन्न कौशलों के अधिगम की आवश्यकता को महसूस कर सके तथा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के योग्य बन सके।

पाठ्यक्रम के बिना प्रभावशाली एवं सुव्यवस्थित शिक्षण असम्भव है। इसके महत्व को दर्शाते हुये कहा गया है "यह कलाकार (अध्यापक) के हाथ में ऐसा साधन है जिसके द्वारा वह अपने स्टूडियो (स्कूल) में अपने आदर्शों तथा लक्ष्यों के अनुरूप अपनी सामग्री (विद्यार्थी) को ढाल सकता है।"

शिक्षा की प्रक्रिया में तीन प्रमुख घटक होते हैं -

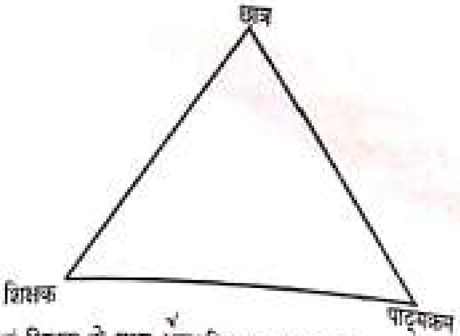

शिक्षा प्रक्रिया में छात्र एवं शिक्षक के मध्य अन्तःक्रिया पाठ्यक्रम के माध्यम से होती है। पाठ्यक्रम शिक्षण की क्रियाओं को दिशा प्रदान करते हैं। इन तीनों घटकों की पारस्परिक अन्तः क्रिया द्वारा बालक का विकास किया जाता है। पाठ्यक्रम को निश्चित किये बिना अध्यापक अपने कार्य को सुनियोजित नहीं कर सकता है। इसके द्वारा ही शिक्षण का लक्ष्य स्पष्ट होता है। पाठ्यक्रम के निम्न उद्देश्य है।

1. पाठ्यक्रम बालक के सम्पूर्ण विकास हेतु साधन प्रदान करता है।
2. पाठ्यक्रम द्वारा मानव संस्कृति व सभ्यता का हस्तान्तरण व विकास किया जाता है।
3. पाठ्यक्रम द्वारा बालकों में मित्रता, ईमानदारी, सहयोग, सहनशीलता अनुशासन आदि गुणों का विकास करके नैतिक चरित्र का निर्माण किया जाता है।
4. पाठ्यक्रम द्वारा बालक की चिन्तन, मनन, तर्क, विवेक आदि मानसिक क्रियाओं व शक्तियों का विकास किया जाता है।
5. बालकों की रचनात्मक व सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना पाठ्यक्रम का उद्देश्य है।
6. पाठ्यक्रम शिक्षण क्रियाओं तथा शिक्षक, छात्र के मध्य अंतः क्रिया के स्वरूप को निर्धारित करता है।
7. पाठ्यक्रम द्वारा बालकों के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय गुणों का विकास करना मुख्य उद्देश्य है।

इस प्रकार शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्यचर्या का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है, इसी से यह बात स्पष्ट होती है कि क्या पढ़ाना है। यह एक दर्पण के समान शिक्षा के उद्देश्यों को प्रतिबिम्बित करता है। केवल इतना ही नहीं बल्कि उन उद्देश्यों की पूर्ति का सशक्त साधन भी है। पाठ्यक्रम के उद्देश्य के सम्बन्ध में हेनरी हैरीसे का कथन है। "पाठ्यक्रम को उस यंत्र के रूप में समझा जाना चाहिये, जिसके द्वारा हम

Scanned with CamScanner

विद्यार्थियों को शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के योग्य बनाने की आशा रखते है।"

पाठ्यक्रम के प्रकार (Types of Curriculum)

पाठ्यक्रम संगठन के आधार पर अलग-अलग प्रकार के होते हैं। जिन्हें इस प्रकार लिख सकते।

1. **विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम (Subject Centred Curriculum) :-** इस प्रकार का पाठ्यक्रम वि... को केन्द्र मानकर नियोजित किया जाता है। विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम का प्रारम्भ प्राचीन शिक्षा... की एक सूची है जिसके द्वारा वर्णात्मता का समग्र चित्र प्रस्तुत करने पर बल दिया जाता है। वि... केन्द्रित पाठ्यक्रम में बालकों की अपेक्षा विषयों को अधिक महत्व दिया जाता है। विषयों को... देने के कारण पुस्तकों का महत्व भी बढ़ जाता है। इसलिए इस पाठ्यक्रम को "पुस्तक केन्द्रित... पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। यह पाठ्यक्रम कठोर होता है। इसमें बालकों की रुचियों, क्षमताओं... योग्यताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है। यह पाठ्यक्रम बालकों में पढ़ने की आदत को बढ़ाता...

उपरोक्त दोषों के साथ-साथ कुछ गुण भी इस पाठ्यक्रम के है चूंकि इसकी विषयवस्तु पूर्व निश्चित... होती है। इसमें छात्र व शिक्षक को पहले से ही ज्ञान होता है कि उसे क्या व कितना पढ़ना है...

2. **बाल केन्द्रित पाठ्यक्रम (Child Centered Curriculum) :-** आधुनिक युग में समय परिवर्तित... कारण लोगों की विचारधारा में भी परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन का प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र... पड़ा पहले विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम को अधिक महत्व दिया जाता था। लेकिन आधुनिक युग... सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि विषय केन्द्रित शिक्षा का स्थान बाल केन्द्रित शिक्षा... लिया। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम का आयोजन बालक को केन्द्र मानकर किया जाने लगा। यह पाठ्यक्रम प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है इस विचारधारा के प्रमुख प्रतिपा... फलाम का मानना है कि "अनुभव किसी व्यक्ति के वातावरण की भाँति स्थिर नहीं है... कारण पाठ्यक्रम में पूर्व निर्धारित पाठ्यवस्तु को आधार न मानकर छात्र की संवेग... आवश्यकताओं को केन्द्र बनाया जाये," इस प्रकार के पाठ्यक्रम में छात्र की रुचि... आवश्यकताएँ अभिप्रायों, संवेगों आदि का आधार बनाया जाता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम... लिए जॉन डीवी के लेबोरेटरी स्कूल का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण... की विभिन्न अवस्थाओं की रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं तथा योग्यताओं के अनुसार... जाता है। मान्टेसरी, किन्डरगार्टन तथा योजना विधि के पाठ्यक्रम बाल केन्द्रित पाठ्यक्रम... अच्छे उदारण है। जहाँ बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है।

3. **क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम (Activity Centered Curriculum) :-** क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम... मुख्य आधार क्रिया है। इस पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने का श्रेय भी जॉन डीवी को है।... है। जॉन डीवी ज्ञान को क्रिया का ही परिणाम मानते है। जब बालक क्रिया करता है तो... अनुभव प्राप्त होता है और इस प्राप्त अनुभव से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और इस... इस प्रकार के पाठ्यक्रम को क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम कहा जाता है।

4. **कोर पाठ्यक्रम या मूल पाठ्यक्रम (Core Curriculum) :-** कोर पाठ्यक्रम विषय केन्द्रित... पाठ्यक्रम और बाल केन्द्रित पाठ्यक्रमों के विरूद्ध प्रतिक्रिया के फलस्वरूप विकसित हुआ... प्रचलन अमेरिका के विद्यालयों में बहुत अधिक है। इसका मुख्य कारण आधुनिक समय की... व्यवस्था है इस पाठ्यक्रम में कुछ विषय तो अनिवार्य होते है और बाकी विषय ऐच्छिक...

विषयों का अध्ययन प्रत्येक बालक को करना होता है जबकि ऐच्छिक विषय छात्र अपनी रुचि के अनुसार चयन करता है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक बालक की योग्यता व प्रकार की समस्याओं के सम्बन्ध में ऐसे अनुभव प्रदान किये जाते है। जिनके द्वारा वह आगे भावी जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान कर सके तथा समाजोपयोगी नागरिक बन सके।

5. **शिल्प कला केन्द्रित पाठ्यक्रम (Craft Centered Curriculum) :-** 1937 में महात्मा गांधी जी ने बेसिक शिक्षा योजना में शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिल्प कला केन्द्रित पाठ्यक्रम का स्वरूप दिया। शिल्प कला के अन्तर्गत कताई, बुनाई, कढ़ाई, लकड़ी का कार्य, कपड़े का कार्य, बागवानी, आदि को केन्द्र मानकर अन्य विषयों की शिक्षा प्रदान की जाय। इससे शिक्षा आत्मनिर्भर व उपयोगी तथा बालकों का शारीरिक, मानसिक विकास हो सकता है तथा भावी जीवन के लिए तैयार किया जा सकता है।

6. **सुसम्बद्ध पाठ्यक्रम (Corelated Curriculum) :-** सुसम्बद्ध पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते है जिसमें अलग-अलग विषयों को पृथक न पढ़ा कर एक दूसरे से सम्बन्धित करके पढ़ाने की व्यवस्था हो, वस्तुस्थिति यह है कि ज्ञान की एक इकाई हो। अतः सुसम्बद्ध पाठ्यक्रम इस बात पर बल देता है कि बालक के सामने ज्ञान को विभिन्न विषयों में न बाँटकर सम्बन्धित रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

7. **अनुभव केन्द्रित पाठ्यक्रम (Experience Centered Curriculum) :-** इस प्रकार के पाठ्यक्रम में बालक के अनुभव को विशेष महत्व दिया गया है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत क्रियाओं तथा अनुभवों का निश्चित क्रम नहीं होता है। इसके प्रयोग में धन अधिक लगता है। ऐसे पाठ्यक्रम को सफल बनाने के लिए बुद्धिमान शिक्षकों की आवश्यकता होती है।

पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व (Need and Imporiance of Curriculum)

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पाठ्यक्रम का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक है। यह छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को स्पर्श करता है तथा बच्चों की आवश्यकताओं एवं रुचियों की ओर ध्यान देता है। उनकी शिक्षा के लिए सुविधाजनक वातावरण का निर्माण करता है। यह बच्चों की रुचियों को प्रेरित करने के लिए उचित विधियों एवं साधनों को अपनाता है तथा प्रभावशाली शिक्षण के लिए उचित प्रतिक्रियाओं और दृष्टिकोणों की रचना करता है। पाठ्यक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण नैतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक क्रियाएँ कराई जाती हैं। जिससे छात्रों में सामाजिक कुशलता आती है। शिक्षा के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति में पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे हमारी संस्थाओं की पाठ्यक्रम सम्बन्धी तथा शिक्षा सम्बन्धी विचारें अर्थात् अध्ययन के कोर्स, शिक्षा के लक्ष्य शिक्षण विधियाँ आदि प्रतिबिम्बित होती है। पाठ्यक्रम अपने आप में साध्य नहीं बल्कि शिक्षा दर्शन एवं शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन है। पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएँ एवं अनुभव सम्मिलित है जिन्हें बालक अपने छात्र जीवन में शिक्षा अधिकारियों के निर्देशन द्वारा प्राप्त करता है। अतः पाठ्यक्रम बच्चे की सम्पूर्ण शिक्षा है। पाठ्यक्रम की आवश्यकता तथा महत्व सम्बन्धी कुछ बिन्दु इस प्रकार है।

1. पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है। उचित पाठ्यक्रम के बिना शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इससे पता चलता है कि कब क्या व कितना पढ़ाना व पढ़ना है उसके अनुसार योजना बनाई जाती है।

Scanned with CamScanner

2. पाठ्यक्रम बालक के मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण व विकास करने के लिए आवश्यक है। विभिन्न विषयों के शिक्षण से छात्रों के मानसिक पक्षों का विकास किया जाता है।
3. पाठ्यक्रम अध्यापक को उचित शिक्षण विधि व तकनीक के चयन में सहायता प्रदान करता है।
4. पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की शैक्षिक व्यावसायिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होता है।
5. पाठ्यक्रम बालकों के शारीरिक, मानसिक, सौन्दर्यात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, संस्कृतिक, आध्यात्मिक विकास में सहायता प्रदान करता है।
6. पाठ्यक्रम छात्रों में स्वतन्त्रता, सहयोग, नेतृत्व, भ्रातृत्व, न्याय सामूहिक जीवन के लिए [illegible] व अन्य लोकतान्त्रिक गुणों का विकास करता है।
7. पाठ्यक्रम उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है। यह समाज के परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करता है।
8. पाठ्यक्रम विद्यार्थियों में वांछित परिवर्तन लाने में सहायक होता है, क्योंकि इसमें चुनी हुई [illegible] व चुने हुये अनुभवों को शामिल किया जाता है।
9. पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय या उच्च स्तर पर विद्यार्थियों को अनुसंधानों एवं आविष्कारों की ओर प्रेरित करता है।
10. छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार करने में सहायता प्रदान करता है।

इस प्रकार पाठ्यक्रम शिक्षा व्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। इससे एक विशिष्ट योजना बनाने में सहायता मिलती है। यह सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक नियंत्रण के लिए ... पाठ्यक्रम शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन है।

समावेशी विद्यालय में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धान्त

सामान्यतः विद्यालयों में अधिकांशतः बिना विकलांगता के बालक अध्ययन करते है लेकिन जब विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे व शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण बच्चों का समावेश होता है तो उस विद्यालय को समावेशी विद्यालय कहा जाता है। इन विशिष्ट बालकों की अलग अलग आवश्यकताऐं होती है क्योंकि ये बालक सामान्य से पृथक व्यवहार करते है तथा उनकी शारीरिक मानसिक क्षमता सामान्य से अलग होती है। उनकी शैक्षिक आवश्यकताऐं भी अलग-अलग होती है। कोई बच्चा ठीक से बोल नही पाता तो कोई देख नही पाता या फिर किसी बालक को बैठने की समस्या है तो किसी को सुनने की समस्या है। इनकी अलग-अलग समस्याऐं है, लेकिन विद्यालयों में इन्हें समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है। समान रूप से शिक्षा प्रदान करने में वे बालक न ही ठीक ... सकते हैं और न ही ठीक से समझ सकते है। इसलिए ऐसे बालकों के लिए पृथक-पृथक ... पड़ती है। तथा पाठ्यक्रम में भी उन तत्वों का समावेश करना होता है जिनसे इनकी शिक्षा ... सुचारू से चल सके। समावेशी विद्यालय में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धान्त इस प्रकार है।

1. **शिक्षा के समान अवसर :-** शिक्षा का समान अवसर असमर्थ बालकों की शिक्षा का ... सिद्धान्त है। समानता का सिद्धान्त इस बात की ओर संकेत करता है कि इन बालकों को ... कुछ कौशल सिखा देना ही पर्याप्त नही होगा, बल्कि इनकी समस्त आवश्यकताओं पर भी ध्यान देना होगा। एक विद्यालय में इन बच्चों की बैठने, प्रकाश सुविधाऐं आदि का ध्यान रखा ...

इन्हें सामान्य से अलग नही करना चाहिए। तथा इन बच्चों में एक साथ मिलकर कार्य करने व सहयोग की भावना का विकास करना होगा शिक्षा सभी का अधिकार है। विद्यालयों को चाहिए कि इस प्रकार के विशिष्ट बालकों के लिए प्रवेश में छूट दी जाय व इनके लिए पुस्तकें व अन्य सुविधाओं का ध्यान रखा जाय व व्यवस्था की जाय, जिससे कि ये बालक भी शिक्षा प्राप्त कर सकें।

2. **सकारात्मक दृष्टिकोण का सिद्धान्त :-** विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा का सर्वप्रथम निर्धारक सिद्धान्त यही होगा कि ऐसे बालकों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाये कि उनके जीवन में एक नया अर्थ, एक नया अनुभव और एक नया विश्वास विकसित हो। उन्हें यह अनुभव होने लगे कि वे भी समाज के आवश्यक अंग हो और समाज में उन्हें भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसी शिक्षा में कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करनी होगी कि प्रत्येक बालक कोई न कोई व्यवसाय के लिए सक्षम हो जाय और इनके साथ ही साथ उन बालकों का सांस्कृतिक और सामाजिक विकास भी हो सके।

3. **व्यक्तिगत अध्ययन का सिद्धान्त :-** समावेशी विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का अध्ययन व्यक्तिवृत्त अध्ययन (Case study) के आधार पर किया जाना चाहिए। ऐसे बच्चों की विशेष आवश्यकता व समस्याऐं होती हैं। विद्यालयों को चाहिए कि इनके अभिभावक, माता-पिता व बालक की सम्पूर्ण जानकारी ले तथा उनके आधार पर इनकी समस्याओं का समाधान करें। जिससे कि इस प्रकार के बालक की उचित व्यवस्था की जा सके।

4. **विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण का सिद्धान्त :-** विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए ऐसा प्रशिक्षण आवश्यक होगा जो उनकी विकलांगता को दूर कर सके तथा जीवनयापन में उनकी सहायता कर सके, विद्यालयों में विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाय तथा किसी विशेष कार्य में इनको प्रशिक्षित किया जाय जिससे कि वे प्राप्त ज्ञान व अनुभव का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकें।

5. **जीवन को सरल बनाने का सिद्धान्त :-** विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी होगी जिससे कि उनका जीवन सरल बन सके। जीवन को सरल बनाने के लिए आवश्यक है कि ऐसे बालकों में ऐसी योग्यता विभाजित की जाय कि वे अपने दृष्टिकोण के साथ-साथ दूसरे के दृष्टिकोण को भी समझ सकें।

6. **समानता व सहयोग का सिद्धान्त :-** विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की उचित शिक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि उनमें कोई भेदभाव नही किया जाना चाहिए। विद्यालयों में उनकी आवश्यकता व सामर्थ्य के अनुसार विभिन्न क्रिया कलाप कराये जाने चाहिए तथा उन्हें प्रेरित किया जाना चाहिए। कक्षा में व विद्यालय में ऐसा वातावरण बनाया जाय जिससे कि सभी छात्र एक दूसरे का सहयोग करें तथा वातावरण को स्वस्थ रखें। इनकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अच्छी नागरिकता, सामाजिकता, सहयोग आदि गुणों का विकास करना होना चाहिए।

7. **लचीलेपन का सिद्धान्त :-** लचीलेपन से आशय है कि इस प्रकार के बच्चों के लिए अनावश्यक दबाव नही बनाया जाना चाहिए जिससे कि वे विद्यालय आने से भयभीत हों। उन्हें गृहकार्य व परीक्षा व मूल्यांकन पर उनकी क्षमता का ध्यान रखा जाना चाहिए।

Scanned with CamScanner

समावेशी शिक्षा का पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम शब्द की स्पष्टता के पश्चात यहाँ पर समावेशी शिक्षा का पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? यह प्रश्न उठता है। समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत निम्न प्रकार के बालक आते हैं जिनके लिए पाठ्यक्रम बनाया जा सकता है।

1) अस्थि विकलांग बच्चों की शिक्षा का पाठ्यक्रम।

2) दृष्टि बाधित बच्चों के लिए पाठ्यक्रम।

3) श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम।

4) बौद्धिक विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम।

उपरोक्त विशिष्ट बालकों की शिक्षा के पाठ्यक्रम व शिक्षण रणनीति इस प्रकार है।

अस्थि विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम

1. अस्थि विकलांग बच्चों अस्थि विकलांग बच्चे वे होते हैं जिनके शारीरिक अंगों में कहीं न कहीं क्षति दिखाई देता है इनकी पहचान इस प्रकार है।

1) बैठने, खड़े होने, चलने में परेशानी।

2) वस्तुओं को उठाने, पकड़ने, जमीन में रखने में परेशानी।

3) हाथ, जोड़ों में दर्द की शिकायत।

4) स्पष्ट दिखाई देने वाली विकलांगता गर्दन, हाथ, कमर, उंगलियों की विकलांगता।

5) अंगों में अवांछित हलचल।

इस प्रकार के बच्चों की शिक्षा के लिए निम्न पाठ्यक्रम व क्रियाएँ कराई जा सकती है।

इस प्रकार के बच्चों को अध्यापक स्वयं स्वीकार करें। वे किसी बच्चे की विकलांगता का मजाक न उड़ाएं और न ही उसकी शारीरिक कमजोरी के लिए ताने दें। कक्षा के बच्चों को भी ऐसे व्यवहार से रोका जाय। जहाँ तक सम्भव हो कक्षा की गतिविधियों में उन्हें शामिल किया जाय तथा बच्चे की विकलांगता के अनुसार बैठने की व्यवस्था की जाय। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार कार्य दिया जाय तथा मनोरंजन आदि क्रियाओं में शामिल किया जाय।

ऐसे बच्चों के लिए शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है।

1) उपयुक्त अधिगम कार्यों का चुनाव करना।

2) अधिगम कार्यों को छोटे-छोटे खण्डों में बाँटना।

3) अनुदेशनात्मक विधियों का क्रमबद्ध प्रयोग करना, अनुदेशन को प्रभाव बनाने के साधन, अभ्यास करा और उन द्वारा, स्वयं कार्य करके दूसरों को दिखाना, दूसरों के मार्गदर्शन में अभ्यास करना और निर्भरता के आधार पर अभ्यास करना।

4) गति तथा किसी कार्य की यथार्थता समझना, अधिगम कार्य चुनने तथा वर्णन करने में अध्यापक को निश्चित करना चाहिए कि अनुदेशनात्मक तथा कार्य शीघ्रता से करना है अथवा कार्य में यथार्थता अर्थात् कार्य त्रुटि रहित हो।

5) बालक को कार्य में व्यस्त रहने का अधिकतम समय निश्चित करना, कार्य में व्यस्त रहने के अधिकतम समय से घण्टे तथा मिनट से है जिसमें बालक ध्यानपूर्वक कार्य-करने तथा अनुदेशन में भागीदार रहता है।

6) बालक को कार्य के प्रति स्पष्ट निर्देशन दिये जाय अधिगम कार्यों से सम्बन्धित निर्देशन स्पष्ट रूप से दिये जायें जो बालक के स्पष्ट रूप से समझने के योग्य हो।

7) सामान्यीकरण और रख-रखाव तथा व्यवस्था का निरीक्षण करना, बालक को दिये गये कार्य का नियमित निरीक्षण करना चाहिए तथा आवश्यकतानुसार कार्य करने का अभ्यास भी कराते रहना चाहिए अध्यापक को चाहिए कि वह बालकों को कार्य करके दिखाए जिससे बालकों को स्पष्ट रूप दर्शाया जा सके कि विभिन्न परिस्थितियों में निपुणता तथा सूचनाओं का किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है।

अस्थि विकलांग बालकों के लिए अनुकूलन शिक्षण आव्यूह

अध्यापक को इन बालकों की प्रत्येक विषय में अधिगम सम्बन्धी समस्याओं की पहचान करनी चाहिए तथा उनके अनुकूल शिक्षण रणनीति तैयार करनी चाहिए तथा उसमें परिवर्तन करते रहना चाहिए। कुछ अनुकूलन शिक्षण अधिगम रणनीति इस प्रकार है।

1. कार्य तथा सामग्री में परिवर्तन

1) कार्य निर्देशन स्पष्ट होने चाहिऐ।

2) अधिगम कार्यों में सहायता के लिए संकेत शब्दों को तथा ऐसे अन्य आकर्षक विधियों को सम्बद्ध किया जाये जो बालक को कार्य समझाने में स्पष्टता प्रदान करे। संकेत मौखिक, लिखित अथवा वस्तु विशेष को देखकर भी हो सकते हैं। जैसे प्रतीक बनाना अथवा आकृति या शब्दों के नीचे रेखा खींचना जिसमें बालक का ध्यान आकर्षित हो।

3) यदि बालक किसी विशेष त्रुटि को बार बार करे तो बालक को सुधार कर बालक का ध्यान विशिष्ट रूप से आकर्षित किया जाय जिससे बालक में सुधार हो सके।

2. शिक्षण प्रक्रियाओं में सुधार व परिवर्तन

अध्यापक को-

1) निपुणता तथा सूचनाओं का अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण देना चाहिए।

2) बालकों के द्वारा किये गये सफल कार्यों के परिणामों को आकर्षण का केन्द्र बनाऐं इसमें अध्यापक के द्वारा दिये गये परिणाम तथा पारितोषिकों का ज्ञान भी सम्मिलित है।

3. कार्य की आवश्यकताओं में परिवर्तन करना

विद्यार्थी की सफलता में वृद्धि करने के लिए अधिगम कार्यों में परिवर्तन किया जा सकता है इसके अन्तर्गत सफल रूप से कार्य करने के लिए मानदण्ड निर्धारित करना जिसके अन्तर्गत निम्न तीन बातें आती हैं :-

1) कार्य की मात्रा, गति तथा शुद्धता।

2) कार्य के गुणों में परिवर्तन, इसमें कार्य करने की स्थितियाँ तथा व्यवहार की प्रकृति भी सम्मिलित है।

Scanned with CamScanner

3) कार्य को छोटे-छोटे भागों में बाँटना।

4. वैकल्पिक कार्य चुनाव

यदि अनुदेशनात्मक अनुकूलन के बाद भी विद्यार्थी की कार्य करने की क्षमता में प्रगति न हो तो अध्यापक को अधिगम कार्य में परिवर्तन करना चाहिए तथा विकल्प के रूप में अन्य कार्य देने चाहिए जैसे

1) पहले जैसे कार्य के समान परन्तु उससे कोई आसान कार्य।

2) जो कार्य पहले किया गया हो इस स्थिति में मूल कार्य को अन्य कार्य में परिवर्तित कर दिया जाये। अध्यापक को बालक की समस्या, प्रकृति तथा बालक की बाधिता का परिणाम को ध्यान में रखते हुऐ आव्यूहों का चुनाव करना चाहिए।

2. दृष्टि बाधित बच्चों की शिक्षा का पाठ्यक्रम

दृष्टि बाधिता का अर्थ उस दोष से जिसमें बच्चों को कम या नहीं दिखाई देता है किन्हीं कारणों से बच्चों को निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या फिर बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। उनकी शिक्षा के लिए प्रकार की रणनीति तैयार की जा सकती है। दृष्टि बाधिता के अन्तर्गत दो प्रकार के बच्चे को रखा जाता है। प्रथम सामान्य दृष्टि दोष, द्वितीय दृष्टिहीन बालक।

सामान्य दृष्टि बाधिता वाले बच्चों के लिए गतिविधियाँ इस प्रकार है :-

1) ऐसे छात्रों के लिए कक्षा में प्रकाश का विशेष प्रबन्ध किया जाय।

2) दृष्टि बाधिता के पता लगते ही नेत्र चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए तथा उसी के अनुसार कार्य किया जाना चाहिए।

3) ऐसे छात्रों को कक्षा की प्रथम पंक्ति में बैठाना चाहिए।

4) ऐसे छात्रों को नियमित चिकित्सा के साथ साथ विद्यालय की साधारण गतिविधियों में सम्मिलित होकर भाग लेने के अवसर दिये जायें।

5) आवश्यकतानुसार विशिष्ट कक्षाओं का प्रबन्ध किया जाये।

6) गम्भीर दृष्टि बाधित छात्रों को निर्देशन प्रदान करने के लिए विद्यालय के सामान्य संचालन से निर्धारित रूप से दृष्टि संरक्षण कक्षाओं की व्यवस्था की जाय। इस प्रकार की कक्षाओं में ... अधिक छात्र नहीं होने चाहिए वर्ष में समय-समय पर इनकी चिकित्सकीय जांच की जाए व ... सलाह दी जाये।

ब्रेल प्रणाली :- दृष्टिहीन बच्चों में नेत्रन्द्रिय न होने के कारण स्पर्शेन्द्रियों से पढ़ने की व्यवस्था की गई है। उनके पढ़ने के लिए ब्रेल प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि में वर्णमाला के स्थान पर ... छः उभरे बिन्दुओं से बनाये जाते हैं। बच्चे इन बिन्दुओं की स्थिति को हाथ से स्पर्श करके समझते हैं।

दृष्टि बाधित बच्चों की शिक्षा के लिए रणनीति

दृष्टि बाधिता आंशिक व पूर्ण दोनों प्रकार का हो सकता है। आंशिक दृष्टि बाधित बच्चों के लिए ... यन्त्रों का प्रयोग सहायक होता है। कुछ निम्न रणनीतियाँ इन बच्चों के लिए बनाई जा सकती हैं जो इस प्रकार है :-

... तथ्यों, घटनाओं का बोध कराया जाना चाहिए।

2. बालकों को प्रत्ययों से सम्बन्धित शिक्षण दिया जाय।

3. बालकों को अलग चित्र व आकृति बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

4. वस्तुओं के आकार का बोध कराने के लिए इन्द्रिय प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

5. बालकों को सहायक सामग्री टेप रिकार्डर आदि से शिक्षण सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

6. बच्चों को शाब्दिक अभिप्रेरणा तथा उचित व्यवहार प्रदर्शन की प्रेरणा दी जानी चाहिए।

7. एक समय में एक ही गतिविधि को नियमित रखा जाय।

8. सांकेतिक भाषा का प्रयोग न करके नाम लेकर समझाया जाय।

9. विभिन्न प्रकार की क्रियाओं व गतिविधियों में शामिल किया जाय।

10. विद्यालय में परिवर्तनों की जानकारी दी जाय।

इस प्रकार उपरोक्त क्रियाओं के अभ्यास से बालकों में अधिगम की क्षमता का विकास होता है। अतः सामान्य शिक्षण के साथ-साथ यदि इनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाय तो दृष्टि बाधित बालकों के शैक्षिक स्तर में वृद्धि की जा सकती है।

3. श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा का पाठ्यक्रम

श्रवण बाधिता का अर्थ है जिन्हें सुनने में समस्या आती है या जिन्हें स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देता है। इन बच्चों की समस्या यह होती है कि ठीक से न सुन पाने के कारण उनकी ग्रहण क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे बच्चों को कक्षा की अगली पंक्ति में बैठाना चाहिए अध्यापक को चाहिए कि वह धीरे न बोले तथा धीमी गति से बोले तथा सहपाठियों को आपसी सम्मान, सद्भावना और सहयोग के आधार पर घुलने मिलने के लिए प्रेरित करे। क्योंकि इन बालकों में विभिन्न प्रकार की असमर्थताएँ होती हैं। कुछ असमर्थताएँ इस प्रकार है बालकों में विभिन्न प्रकार है :-

1. **व्यक्तिगत क्रियात्मक असमर्थताएँ :-** ये बालक अपने व्यक्तिगत कार्य करने में क्रियात्मक रूप से असमर्थ होते है तथा अधिक सक्रिय नहीं होते ये बालक कुण्ठाग्रस्त रहते है। ये केवल इशारों व सांकेतिक भाषा से ही समझ सकते है। इन बालकों में आगे बढ़ने की इच्छाशक्ति की कमी होती है तथा ये जीवन को चुनौती समझ कर जीने की तमन्ना नहीं करते है।

2. **सामाजिक क्रियात्मक असमर्थताएँ :-** श्रवण बाधित बालक स्वयं को समाज के साथ समायोजित नहीं कर पाते हैं। सामाजिक कार्यों में कम भाग लेते हैं। हीन भावना से ग्रस्त होने के कारण इनमें इच्छाशक्ति व आत्मविश्वास की कमी होती है।

3. **शैक्षिक क्रियात्मक असमर्थताएँ :-** श्रवण बाधित बालकों की अभिव्यक्ति की क्षमता कम होती है शैक्षिक भाषा का विकास नहीं हो पाने के कारण भाषा का इतना विकास नहीं हो पाता है ऐसे बच्चों के लिए सीखना कठिन होता है। इनकी शैक्षिक वृद्धि कम होती है। ये केवल इशारों व संकेतों से ही समझ पाते है।

श्रवण बाधित बालकों के लिए रणनीति

कक्षा में ऐसे बालक जो कम सुनते है या फिर ऊँचा सुनते हैं। उन्हें संयुक्त रूप से पढ़ने के लिए अध्यापक को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए :-

Scanned with CamScanner

1. अध्यापक उन्हें ऐसी सीट पर बैठाये कि उन्हें आवाज ठीक से सुनाई दे।
2. अध्यापक को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि बालक श्रवण यंत्रों की सहायता से सु सकते हैं। उनके श्रवण यंत्र ठीक हों और वे उनका उचित प्रयोग करें।
3. कक्षा में दूसरे बालक सहयोग कर रहे हैं या नहीं, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए।
4. इन बालकों के प्रति अध्यापक का सकारात्मक, सहयोगात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए।
5. गंभीर बधिर बच्चों के लिए विशुद्ध बातचीत आधारित कार्यक्रम चलाये जाने चाहिए।
6. जिन बच्चों के लिए विशुद्ध मौखिक कार्यक्रम पर्याप्त न हों गम्भीर बधिर बच्चों में से कुछ ब की शिक्षा के लिए मौखिक व हस्त संकेत कार्यक्रम अनिवार्य हों।
7. यदि इन बालकों की विशेष आवश्यकताएँ हो तो उनका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।
8. यदि अध्यापक महसूस करे कि कक्षा में इन्हें लाभ नहीं हो पर रहा है तो अलग कक्षा का प्रबन्ध कि जाना चाहिए।

4. बौद्धिक विकलांग बच्चों की शिक्षा का पाठ्यक्रम

कक्षा में सामान्य, तीव्र, औसत एवं बौद्धिक विकलांग बच्चे होते हैं। मन्द बुद्धि बालकों को भी प्रकार की असमर्थताओं का सामना करना पड़ता है। कुछ असमर्थताऐं इस प्रकार हैं :-

1. ये बालक विद्यालय, कक्षा, समाज, घर आदि में स्वयं को समायोजित नहीं कर पाते है।
2. ये बालक अस्थिर बुद्धि वाले होते हैं तथा डर की भावना से ग्रणित होते हैं। इस भावना के क ये शैक्षिक रूप से पिछड़े रह जाते हैं।
3. इन बालकों के शारीरिक व मानसिक विकास में सामजस्य नहीं हो पाता है। तथा इनकी स्मरण श कमजोर होती है।
4. इनकी कल्पना शक्ति कमजोर होती है वे ठीक से निर्णय नहीं ले पाते हैं।
5. ये प्रत्यक्ष रूप से कही गई बात को समझ लेते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कही बातों को नही पाते हैं।
6. इनका लेखन कार्य भी स्पष्ट नहीं होता है तथा ध्यान केन्द्रित नहीं हो पाता है।
7. इनकी याददास्त कमजोर होती है शीघ्र ही भूल जाते हैं।

बौद्धिक विकलांग बालको के लिए शिक्षण रणनीति

मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए शिक्षण रणनीति बनाते समय अध्यापक को निम्न बातों क रखना चाहिए।

1. ऐसे बालकों के लिए छोटी कक्षाऐं बनाई जानी चाहिए तथा समूह में बैठाकर शिक्षण कि चाहिए।
2. इनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण किया जाना चाहिए।
3. इन बालकों के स्वभाव के प्रति अध्यापक को संवेदनशील होना चाहिए।
4. ऐसे बालकों को क्रियाशील बनाये रखने के लिए कहानी, नाटक, संगीत आदि कार्यक्रमों का

Scanned with CamScanner

करना चाहिए।

ऐसे बालकों के असफल होने पर भी प्रवेश देना चाहिए क्योंकि ये बालक अपनी आयु वर्ग के बालकों समान गति से नहीं सीख पाते हैं।

पाठ्यवस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर प्रस्तुत करना चाहिए। और मूर्त सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए शिक्षण को सुधारात्मक शिक्षण व समूह शिक्षण प्रविधि का प्रयोग करना चाहिए।

इस प्रकार कक्षाओं में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट बालक होते हैं। समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत सभी बच्चों को एक कक्षा में एक साथ शिक्षण करने की व्यवस्था का प्रबन्ध किया जाता है। जिससे वे बालक स्वयं को हीन न समझें व समाज के साथ समायोजित हो सकें। इन बालकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए माता-पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वे इन बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करें। माता-पिता के साथ-साथ उनसे अधिक जिम्मेदारी अध्यापक व विद्यालय की होती है। विद्यालय की, क्योंकि छात्र जीवन का अधिकांश भाग विद्यालय में ही व्यतीत करते हैं। इसलिए विद्यालय की जिम्मेदारी यह बनती है कि वह विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए उचित प्रबन्ध करें व उन्हें आगे बढ़ने के सुयोग प्रदान करें। इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अध्यापक की होती है। इस प्रकार के बालकों को अन्य बालकों के साथ पढ़ाने में कठिनाईयाँ का सामना करना पड़ता है। लेकिन अध्यापक का प्रथम कर्तव्य बनता है कि वह ऐसे बालकों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करें उसे इस प्रकार का कक्षा वातावरण व शैक्षिक रणनीति तैयार करनी पड़ती है कि सभी बच्चे शिक्षा का लाभ उठा सकें। अतः अध्यापक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सभी बच्चों को उचित विधियों से अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान करे।

8 समावेशी व्यवस्था में शिक्षाशास्त्रीय व्यूहरचनाएँ [Pedagogical Strategies in Inclusive Setup]

कक्षा प्रबन्धन एवं अनुदेशन एक दूसरे पर पूर्णतः आश्रित होते हैं, सामान्य रूप से यह प्रतीत होता है कि विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धन कमेटी का हाथ होता है। लेकिन जहाँ तक कक्षा-कक्ष का प्रश्न है तो वह केवल अध्यापक पर ही निर्भर करता है। जिस प्रकार प्रधानाचार्य पर विद्यालय की सभी गतिविधियों का उत्तरदायित्व होता है। उसी प्रकार अध्यापक का कार्य कक्षा को व्यवस्थित करना होता है। निःसन्देह आज जो विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं वही देश का भविष्य है। इस सम्बन्ध में **कोठारी आयोग** ने कहा कि **"देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है।"** अध्यापक की अनुपस्थिति में कक्षा-कक्ष एक उद्देश्य विहीन समवाय बन जाता है। जिस प्रकार विद्यालय प्रबन्धन के लिए भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार कक्षा-कक्ष प्रबन्धन के लिए भी भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। कक्षा-कक्ष में भौतिक संसाधनों के अन्तर्गत कक्षा का कमरा, रोशन दान, खिड़की, पंखे, अच्छा फर्श, श्यामपट्ट व्याख्याता स्टैण्ड, चाक, स्वच्छक, दृश्य-श्रव्य सामग्री, अलमारी आदि आते है तथा मानवीय संसाधनों के अन्तर्गत शिक्षक एवं छात्र आते हैं। एक अध्यापक से आशा की जाती है कि वह कक्षा में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र पर ध्यान रखे। जहाँ तक विशिष्ट बालकों का प्रश्न है तो प्रत्येक कक्षा में कुछ विशिष्ट बालक अवश्य ही पाये जाते हैं। इन विशिष्ट बालकों की अलग-अलग समस्याएँ होती हैं। किसी बालक को कम दिखाई देता है तो किसी बालक को कम सुनाई देता है। या फिर बैठने में समस्या होती है। एक अध्यापक से यह आशा की जाती है कि वह इन सभी प्रकार के विशिष्ट बालकों का ध्यान रखे तथा उनकी समस्याओं का समाधान करे। विशिष्ट कक्षा से तात्पर्य उस कक्षा-कक्ष से लगाया जाता है, जो कि उन सभी उपकरणों से युक्त है

जो कि विशिष्ट बालक की शिक्षा के लिए अनिवार्य है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा व्यवस्था हेतु ऐसी कक्षा का प्रबन्ध करना पड़ता है, जो कि सम्पूर्ण उपकरणों से युक्त हो। यह विशिष्ट बालकों की सुविधानुसार ही शिक्षा प्रदान करने का एक प्रमुख माध्यम है। एक अध्यापक को कक्षा प्रबन्धन करते समय मुख्य दो बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है कि कक्षा प्रबन्धन किस प्रकार किया जाए तथा अनुदेशनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए। चूँकि अध्यापकों के लिए यह कठिन कार्य है। परन्तु उसे कक्षा के क्रियाकलापों तथा कार्यों का निर्देशन व नियन्त्रण अवश्य ही करना पड़ता है।

कक्षा प्रबन्धन का अर्थ

कक्षा प्रबन्धन एक प्रकार का प्रबन्धकीय कौशल है। जिसमें भौतिक एवं मानवीय संसाधनों में समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। प्रत्येक अध्यापक के लिए जरूरी है कि वह बच्चों की क्रियाशीलता एवं व्यवहार को ठीक से समझे एक अध्यापक से आशा की जाती है कि वह शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता को शामिल करें। इसके लिए अध्यापक को मनोवैज्ञानिक सोच होना आवश्यक है जिससे वह कक्षा की समस्याओं का शान्तिपूर्वक समाधान निकाल सके। कक्षा-कक्ष प्रबन्धन सम्पूर्ण कक्षा का नियन्त्रण है इसमें विद्यार्थी का आरम्भिक व्यवहार, उसकी कुशलता उसके कक्षा का वातावरण में दिखाई देती है। कक्षा-कक्ष को विद्वानों ने इस प्रकार परिभाषित किया है –

ज्योति त्रिपाठी :- "कक्षा कक्ष समाज में स्थापित संस्था है। कक्षा-कक्ष में दी जाने वाली निर्देशन प्रक्रिया अध्यापक द्वारा स्वीकृत महत्वपूर्ण व्यवहारों द्वारा छात्रों के मस्तिष्क को परिष्कृत करने के उद्देश्य को पूरा करती है।"

होमन :- "कक्षा कक्ष ऐसा स्थान है, जहाँ विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ चलती हैं। जहाँ पारस्परिक क्रिया होती है, सामाजिक परिस्थितियों को बेहतर बनाया जाता है और निर्देशात्मक स्थितियों में नियम बनाये जाते हैं।"

जीन हॉबी :- "कक्षा कक्ष में कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं, जो छात्रों की गुणोन्मुख गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं, बाधा पैदा करती है। प्रेरणा देती है या फिर रोक लगाती है।"

कक्षा प्रबन्धन का क्रियात्मक कार्य

अध्यापक छात्र सम्बन्ध के माध्यम से अधिगम को प्रेरित करने के लिए कक्षा-कक्ष की क्रियाओं और कार्यकलापों की व्यवस्था का प्रबन्धन किया जाता है, कक्षा-कक्ष प्रबन्धन के अर्थ में अध्यापक अलग-अलग कार्य करते हैं। जैसे- योजना बनाना, प्रबन्ध करना, समन्वित करना, निर्देशित करना, नियन्त्रित करना और व्यवहार का आदान प्रदान करना आदि।

विशिष्ट कक्षा-कक्ष की समस्याओं की प्रकृति

किसी विशिष्ट कक्षा कक्ष में निम्न प्रकार की समस्याएँ सामने आती है :-

1. ये समस्याएँ वातावरण से सम्बन्धित हो सकती है।
2. ये समस्याएँ व्यक्तिगत हो सकती है।
3. ये समस्या सामूहिक हो सकती है।

Scanned with CamScanner

3. कुछ समस्याएँ स्थिर हो सकती हैं, जो लगातार बनी रहती हैं।
4. कुछ समस्याएँ समय व परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं।
5. कुछ समस्याएँ भौतिक संसाधन से सम्बन्धित हो सकती हैं।
6. समस्याएँ भौतिक संसाधन से सम्बन्धित हो सकती हैं।
7. ये समस्या शिक्षण अधिगम सामग्री की हो सकती हैं।
8. ये समस्या विशिष्ट बालकों की हो सकती हैं।
9. ये समस्या मनोवैज्ञानिक हो सकती हैं।
10. ये समस्या वैयक्तिक विभिन्नता के कारण हो सकती हैं।

उपरोक्त समस्याएँ किसी भी कक्षा-कक्ष में हो सकती हैं और इन समस्याओं का सामना अध्यापक को करना पड़ता है। एक कुशल अध्यापक अपनी सूझ-बूझ, समझ के आधार पर कुशलतापूर्वक इन समस्याओं का समाधान कर सकता है। कक्षा-कक्ष में विशिष्ट बालकों से सम्बन्धित समस्याएँ आती हैं। ऐसे बालकों की व्यवस्था करना अध्यापक का मुख्य कार्य होता है। अध्यापक को कक्षा व्यवस्था करते समय इन बालकों की समुचित व्यवस्था करनी होती है। इसके लिए वह एक रणनीति बनाता है तथा उसे क्रियान्वित करता है जिससे विशिष्ट बालकों की समस्याओं का समाधान हो सकता है।

कक्षा प्रबन्धन के सिद्धान्त

एक विशिष्ट कक्षा को सुचारु एवं व्यवस्थित रूप में लाने के लिए अध्यापक को निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है :-

अध्यापक को चाहिए कि -

1. वह केवल छात्रों में बाह्य नियन्त्रण का ही विकास न करे, बल्कि उनमें आन्तरिक नियन्त्रण का भी विकास हो।
2. छात्रों को प्रोत्साहित करे।
3. छात्रों को पुनर्बलन दे।
4. छात्रों के लिए आवश्यक नियम बनाये व उन्हें लागू करे।
5. छात्र कक्षा के नियमों को स्वीकार करें व उनका अनुसरण करें।
6. विलम्बन व अवरोधों को कम करें।
7. व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखें।
8. प्रत्येक विशिष्ट बालक की शिक्षा व्यक्तिगत अध्ययन के आधार पर होना चाहिए दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि प्रत्येक बालक की विकलांगता को भली-भांति समझने के पश्चात ही उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाय।

उपरोक्त सभी नियम प्रत्येक परिस्थितियों में लागू होते हैं। फिर भी इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि उस समय की परिस्थिति के अनुसार कैसे अनुदेशन दिये जाय, ताकि छात्र के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सके। छात्रों को उनके अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जाय जिससे वे प्रेरित होकर और अच्छा व्यवहार करें।

कक्षा प्रबन्धन के प्रमुख आयाम (Approaches of Classroom Management)

कक्षा प्रबन्धन के प्रमुख आयाम निम्न है जिनके आधार पर कक्षा प्रबन्धन किया जा सकता है।

1. हरबर्ट का आयाम (Herbertion Approach)
2. मूल्यांकन आयाम (Evaluation Approach) B.S. Bloom
3. शिक्षण अधिगम व्यवस्था (Managing Teaching Learning) I.K.Devies
4. शिक्षण संगठन (Organizing Teaching)
5. शिक्षण का प्रतिमान आयाम (Model Approach of Teaching)
6. कक्षा शिक्षण की क्रियाएँ (Operations of Classroom Teaching)

1. हरबर्ट का आयाम (Herbertion Approach)

हरबर्ट की पंचपदीय योजना बहुत प्राचीन योजना है। इसमें पाँच पद है

1. प्रस्तुतीकरण 2. तैयारी 3. तुलना 4. विश्लेषण तथा संश्लेषण 5. सामान्यीकरण

यह आयाम कक्षा प्रबन्धन का पाठ्यवस्तु केन्द्रित आयाम है। इसमें कक्षा प्रबन्धन को समस्त क्रिया कलापों का प्रबन्धन, नियन्त्रण अध्यापक द्वारा किया जाता है और विद्यार्थी उदासीन होता है। यह विषय के रटने पर बल देता है। इस आयाम को स्मृति स्तर की संज्ञा दी जाती है।

2. मूल्यांकन आयाम (Evaluation Approach)

यह आयाम बी.एस.ब्लूम द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसके अन्तर्गत शिक्षण को त्रिपदी प्रक्रिया से संलग्न माना गया है। जिसमें निम्न तीन पद है- 1. शिक्षा के उद्देश्य 2. अधिगम अनुभव 3. व्यवहार परिवर्तन। इसके अनुसार कक्षा क्रिया कलापों के प्रबन्धन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को अधिगम अनुभव का ज्ञान प्रदान करना है। चूंकि कक्षा प्रबन्धन उद्देश्य के केन्द्रित होता है। इन उद्देश्यों को समझने के लिए कक्षा क्रिया कलापों का प्रबन्धन किया जाता है।

3. शिक्षण अधिगम का प्रबन्धन (Managing of Teaching Learning)

इस प्रणाली का प्रतिपादन आई.के.डेविस ने किया। इसके अनुसार कक्षा प्रबन्धन में अध्यापक की भूमिका मुख्य होती है। और अध्यापक को कक्षा क्रिया कलापों एवं शिक्षण क्रियाओं का प्रबन्धन करना है। यह मानवीय संगठन तथा सम्बन्धों के सिद्धान्त पर आधारित है। डेविस ने शिक्षण अधिगम के लिए चार प्रमुख पद दिये हैं।

1. नियोजन 2. संगठन 3. अग्रसरण 4. नियंत्रण 5. अग्रसारण।

इसके अनुसार कक्षा प्रबन्धन के माध्यम से प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक पाँच अधिगम ढाँचा उपलब्ध कराये जाते हैं।

4. शिक्षण संगठन (Organizing Teaching)

यह आयाम इस तथ्य पर आधारित है कि शिक्षण विचार हीनता से विचार युक्तता की ओर ले जाता है। इसमें प्रमुख रूप से तीन स्तर हैं।

1. स्मृति 2. समझने का स्तर 3. चिन्तन स्तर।

Scanned with CamScanner

कक्षा प्रबन्धन का नियन्त्रण तथा विस्तार अध्यापक द्वारा किया जाता है।
स्मृति स्तर पर कक्षा प्रबन्धन को अध्यापक व शिक्षार्थी दोनों की निर्देशन
इसके दूसरे स्तर समझने के स्तर पर कक्षा प्रबन्धन को अध्यापक व शिक्षार्थी दोनों की निर्देशन
करते है। तथा तीसरे स्तर चिन्तन स्तर पर विद्यार्थी कक्षा क्रिया कलापों का प्रबन्धन करते है। इसका
तीसरा अर्थात् चिन्तन स्तर शिक्षण की समस्यात्मक सुधार की अवस्था होती है।

5. शिक्षण का प्रतिमान आयाम (Model Approach of Teaching)

इस आयाम के अन्तर्गत कक्षा क्रिया कलापों के प्रबन्धन हेतु शिक्षण प्रारूप का प्रयोग किया जाता है,
शिक्षण प्रारूपों की बहुत सी शाखाएं है। तथा प्रत्येक शाखा की कला क्रियाओं के प्रबन्धन
भिन्न-भिन्न है। इस प्रारूप के चार मुख्य तत्व है
1. अभिकेन्द्रण 2. त्रुटि सुधार 3. सामाजिक व्यवस्था 4. सहायक व्यवस्था।

इन तत्वों की सहायता से कक्षा प्रबन्धन के प्रारूप को भली प्रकार समझा जा सकता है। तथा
उनका विश्लेषण किया जा सकता है कक्षा क्रिया कलापों के प्रबन्धन के त्रुटि सुधार से अधिगम
अधिगम के प्रारूप से होता है। शिक्षण के इस प्रतिमान आयाम के द्वारा भिन्न-भिन्न कक्षा क्रिया कलापों
के प्रबन्धन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

6. कक्षा शिक्षण की क्रियाएँ (Operations of Classroom Teaching)

यह आयाम कक्षा शिक्षण की अवस्था के रूप में भी प्रचलित है। कक्षा क्रिया कलापों के प्रबन्धन
के सामान्य प्रारूप हेतु तीन अवस्थाऐं आवश्यक हैं।
1. पूर्व क्रिया अवस्था 2. अन्तःक्रिया अवस्था 3. विगत क्रिया अवस्था।

इस आयाम की अन्तःक्रिया अवस्था कक्षा प्रबन्धन की क्रियाओं तथा क्रिया कलाप के
प्रबन्धन से सम्बन्धित है। पूर्व क्रिया अवस्था में कक्षा से पूर्व कक्षा क्रिया कलापों को निर्धारित
किया जाता है इस प्रकार कक्षा के क्रिया कलापों के प्रबन्धन में लचीलापन रहता है।

कक्षा प्रबन्धन का विस्तार (Dimensions of Classroom Management)

कक्षा प्रबन्धन के प्रमुख चार विस्तार होते हैं :-

1. भौतिक या वातावरण विस्तार (Physical or Environment Dimensions)
2. सामाजिक एवं सांस्कृतिक विस्तार (Social and Cultural Dimensions)
3. मनोवैज्ञानिक विस्तार (Psychological Dimensions)
4. नैतिक व्यवहार तथा मूल्य विस्तार (Ethical Considerations and Value Dimensions)

1. भौतिक या वातावरण विस्तार (Physical or Environment Dimensions)

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भौतिक तथा वातावरण सम्बन्धी कारकों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। शिक्षण
प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए वातावरण सबसे अधिक उत्तरदायी कारक होता है। विद्यालय
के संस्थापक व प्रबन्धक को इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालय में भौतिक संसाधनों की
पूर्ण व्यवस्था हो। भौतिक संसाधनों के अन्तर्गत संस्थान का स्थान, विद्यालय पार्क, कक्षाओं में बैठने की
उचित व्यवस्था, पर्याप्त रोशनी, वायु का प्रबन्ध तथा अन्य शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री की उचित
व्यवस्था हो। उपरोक्त सुविधाओं के होने से अधिगम वातावरण ठीक रहता है। इसलिए विद्यालय के
प्रबन्धन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालय में इन सुविधाओं की पूर्ति की जाय जिससे
कि शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

2. सामाजिक एवं सांस्कृतिक विस्तार (Social and Cultural Dimension)

विद्यालय में बच्चे अलग-अलग समाज से सम्बन्धित होते हैं। एक अध्यापक को अपने बच्चों की
सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी होनी चाहिए। चूंकि शिक्षा समाज को जन्म देती है और
समाज शिक्षा को। शिक्षा संस्था की कक्षा में सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण के माध्यम से नये
समाज का निर्माण होता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण को स्वस्थ एवं मजबूत बनाने के लिए
अध्यापक को अपने सहयोगियों, अध्यापकों, अभिभावकों, प्रधानाचार्य के साथ उचित व मधुर सम्बन्ध
बनाने आवश्यक होते हैं जिससे कि विद्यालय में सामाजिक व सांस्कृतिक विस्तार हो सकें।

इसके अंतर्गत निम्न सम्बन्ध आते हैं-

1. अध्यापक व विद्यार्थियों के मध्य सम्बन्ध।
2. अध्यापक व प्रधानाचार्य के मध्य सम्बन्ध।
3. अध्यापक व अन्य सहयोगी अध्यापकों के मध्य सम्बन्ध।
4. अध्यापक व अभिभावकों के मध्य सम्बन्ध।

उपरोक्त सम्बन्धों पर अध्यापक को ध्यान देने की आवश्यता है जिससे सांस्कृतिक व
सामाजिक विकास हो सकें।

3. मनोवैज्ञानिक विस्तार (Psychological Dimension)

अच्छे अधिगम के लिए अभिप्रेरणा आवश्यक है। और अभिप्रेरणा पुनर्बलन, प्रशंसा, पुरस्कार के
माध्यम से दी जा सकती है। अध्यापक अपनी मौखिक एव अन्य क्रिया कलापों द्वारा छात्रों को अभिप्रेरणा
देता है। कक्षा प्रबन्धन को सफल बनाने के लिए बच्चों की रूचि इच्छा, सृजनात्मकता का ज्ञान होना
आवश्यक है। इसके आधार पर ही अध्यापक शिक्षण करता है। कक्षा क्रिया कलापों में भाग लेने के लिए
प्रोत्साहित होते हैं। मनोवैज्ञानिक अधिगम हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह प्रभावपूर्ण कक्षा प्रबन्धन
हेतु एक मानदण्ड है।

4. नैतिक व्यवहार एवं मूल्य विस्तार (Ethical Consideration or Value Dimension)

नैतिक व्यवहार एवं मूल्य विस्तार कक्षा प्रबन्धन का सबसे महत्वपूर्ण विस्तार है इस क्षेत्र में
अध्यापक की भूमिका अत्याधिक महत्वपूर्ण होती है एक अध्यापक छात्रों के लिए आदर्श होता है एक
अध्यापक का व्यवहार छात्रों को प्रभावित करता है अध्यापक नैतिकता का आदर्श होना चाहिए, उसे
अध्यापक की भांति दिखना चाहिए। उसे कक्षा की संहिता का रख-रखाव करना चाहिए तथा मूल्यों पर
आधारित व्यवहार करना चाहिए। कक्षा प्रबन्धन का विस्तार विद्यार्थियों की भावनाओं, दृष्टि तथा
प्रभावपूर्ण मूल्य पक्ष से सम्बन्धित होता है। इसलिए कक्षा प्रबन्धन में अध्यापक को उचित व मैत्रीपूर्ण
व्यवहार करना चाहिए जिससे बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास हो सके।

कक्षा अधिगम परिस्थिति

(Classroom Learning Situations)

कक्षा प्रबन्धन के लिए अध्यापक को सम्पूर्ण कक्षा की व्यवस्था का ध्यान रखना आवश्यक होता है।

Scanned with CamScanner

जिसके अन्तर्गत निम्न बातें सामने आती है :-

उपरोक्त बिन्दुओं की संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार है।

1. भौतिक वातावरण (Physical Environment)

अध्यापक को भौतिक वातावरण के लिए कक्षा में निम्न बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है।

1. कक्षा का फर्नीचर, आरामदायक, आकर्षक, टिकाऊ व सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हो।
2. विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था करते समय शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि विद्यार्थियों पर अन्तःक्रिया का प्रभाव पड़ता है।
3. कक्षा में फर्श, डेस्क तथा उपकरणों पर बिखरी वस्तुओं को हटाकर तथा कार्य में अवरोधों को दूर करके कक्षा में सुरक्षित एवं व्यवस्थित वातावरण का निर्माण करना।
4. कक्षा में उचित प्रकाश, वायु, तापमान, ध्वनिस्तर, साज-सज्जा की उचित व्यवस्था हो जिससे कक्षा में विद्यार्थियों को अनुकूल कार्य करने में प्राप्त हो।
5. स्वच्छ होने, कार्य करने तथा क्रिया कलापों को करने के लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था हो।

2. अनुदेशनात्मक वातावरण (Instructional Environment)

कक्षा के अनुदेशनात्मक वातावरण के अन्तर्गत शिक्षण सामग्री को सम्मिलित किया जाता है। कक्षा में अध्यापक किस प्रकार बच्चों को बैठाता है तथा किस प्रकार प्रस्तुतीकरण करता है आदि को अनुदेशनात्मक वातावरण में रखा जाता है। इसके अन्तर्गत अध्यापक को निम्न बातें ध्यान में रखनी होती है।

1. अनुदेशन के लिए योजनाओं के आधार पर विद्यार्थियों का समूह बनाना तथा परिवर्तन करना।
2. अध्यापक विद्यार्थियों के व्यवहार को सुधारने के लिए तथा उसे अच्छे व्यवहार की प्राप्ति के लिए निर्देशन रूप रेखा तैयार करता है। कक्षा के लिए ऐसे नियम तथा नियमित कार्यक्रम बनाता है जो सीमित, विशिष्ट एवं आसानी से समझने वाले तथा सकारात्मक हो, जिससे सुचारू अधिगम में सहायता मिलती है।
3. अध्यापक विद्यार्थियों के अभिलेख रखता है, ये अभिलेख विद्यार्थियों की योग्यता के अनुसार होते है, तथा विद्यार्थियों के बार-बार निरीक्षण के आधार पर ये अभिलेख तैयार किये जाते है।
4. अध्यापक पाठ्यक्रम नियोजन तथा सूचनाओं का संगठन करता है तथा बच्चों की रुचियों के अनुसार क्रिया कलापों का संगठन करता है।
5. अध्यापक अवलोकन करता है तथा अनुदेशनात्मक सामग्री प्रदान करता है जिससे बालकों को पृष्ठपोषण मिलता है।

3. शिक्षण तकनीकी (Education Technology)

अध्यापक विभिन्न प्रकार की शिक्षण तकनीकी का प्रयोग कर कक्षा वातावरण को अधिक सक्रिय बना देता है। शिक्षण तकनीकी के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां, प्रविधियां, प्रक्रियाओं का व्यवहार में परिवर्तन, उपकरणों की उच्च तकनीकी, विभिन्न माध्यम व अधिगम साधन आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ-साथ आधुनिक विद्युत तकनीकी जैसे दूरदर्शन, रेडियो, श्रव्य एवं दृश्य सामग्री, प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर, कम्प्यूटर आदि के प्रयोग से कक्षा व्यवस्था व अधिगम को आसान बनाने में सहायता मिलती है।

4. समय तथा अन्य संसाधन (Time and Other Resources)

एक अध्यापक समस्त अधिगम वातावरण का प्रबन्धक होने के नाते वह समस्त अधिगम साधनों का स्थान, संगठन तथा पर्यवेक्षण करता है। इसके अन्तर्गत वह निम्न क्रियाकलाप करता है :-

1) अनुदेशन का समय : अध्यापक को कक्षा के नियमित कार्यक्रम को छोटे-छोटे खण्डों में बांट देना चाहिए तथा विद्यार्थियों को बता देना चाहिए कि कौन सा क्रिया कलाप किया जायेगा। नियमित कार्यक्रम हेतु कुछ सुझाव इस प्रकार है :-

i) निश्चित कार्यक्रम से परिवर्तित कार्यक्रम की ओर बढ़ना।
ii) छोटे कार्य से लम्बे कार्य की ओर बढ़ना।
iii) खाली समय हेतु योजना तथा कार्यक्रम का आयोजन करना।
iv) नियमित कार्यक्रम प्रदान करना।
v) विभिन्न क्रिया कलापों का नियोजन करना।

2) अनुदेशनात्मक सामग्री : विद्यार्थियों की अधिगम सहायता हेतु अनुदेशनात्मक सामग्री का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अनुदेशनात्मक सामग्री कब तक कार्य करेगी। इसे एक साथ कितने विद्यार्थी प्रयोग कर सकते है, इसकी बनावट कैसी हो, वह मजबूत है या नहीं आदि।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कक्षा प्रबन्धन शिक्षण रणनीति

एक अध्यापक कक्षा में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों, क्रियाकलापों के आधार पर अधिगम को सरल बनाता है। इसके लिए वह विभिन्न प्रकार की रणनीति तैयार करता है तथा समय समय पर इसमें परिवर्तन करता है। जिससे कि विशिष्ट व सामान्य बालकों की अधिगम समस्याओं का समाधान हो सके। इसके अन्तर्गत कुछ रणनीतियाँ, जिनका प्रयोग अध्यापक कक्षा-कक्ष में कर सकता है निम्न है :-

1. बैठने की व्यवस्था (Seating Arrangement)
2. सम्पूर्ण कक्षा शिक्षण (Whole Class Teaching)
3. क्रिया आधारित अधिगम (Activity Based Learning)
4. समूह शिक्षण (Peer Tutoring)
5. सहयोगी शिक्षण (Collaborative Teaching)
6. सहकारी अधिगम (Co-operative Learning)

Scanned with CamScanner

उपरोक्त रणनीतियों के ...
इनकी संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार है :-

1. बैठने की व्यवस्था (Seating Arrangement)

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों अर्थात् विशिष्ट बालकों की व्यवस्था के लिए शिक्षक उनकी बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन लाकर सुधार ला सकता है एक अध्यापक बच्चे की समस्या के अनुरूप बैठक व्यवस्था का चयन कर बच्चों को उचित स्थान पर बैठा सकता है। एक अध्यापक निम्नलिखित बैठक व्यवस्था से किसी का चुनाव कर सकते हैं।

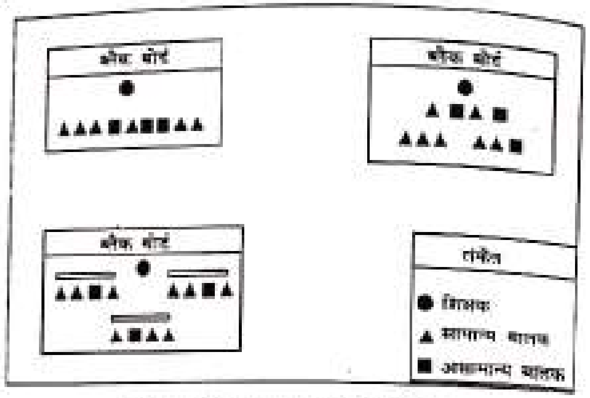

उपरोक्त बैठक व्यवस्था से अध्यापक :-

1. विशिष्ट बालकों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।
2. विशिष्ट बालकों की शुद्ध लेखन पर ध्यान दे सकते हैं।
3. उन बालकों पर विशेष ध्यान रख सकते हैं।
4. उन बालकों को प्रोत्साहित कर सकते हैं।
5. उन बालकों का आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं।

बैठने की व्यवस्थाएँ

कक्षा में बैठने की व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है जिससे असामान्य बालकों की समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसके लिए निम्न प्रकार से कक्षा को व्यवस्थित कर सकते हैं।

1. अर्ध विभक्त समूह
2. लम्बमान/एकल पंक्ति
3. अर्धवृत्ताकार व्यवस्था

1. अर्ध विभक्त समूह :- एक अध्यापक अपनी सुविधानुसार कक्षा के बच्चों को दो समूहों में बाँट सकते हैं। प्रत्येक समूह में 15 से 20 छात्र हो सकते हैं। इन दोनों समूहों को कक्षा व खुले स्थान पर बैठा सकते हैं। तथा दूसरे पर्यवेक्षकों की सहायता लेकर क्रमावर्तित शिक्षण द्वारा बच्चों में निष्पत्ति योग्यता को बढ़ा सकते हैं।

2. लंबमान/एकल पंक्ति :- अध्यापक एकल पंक्ति में भी बच्चों को बिठा सकते हैं। इसमें तीव्र बुद्धि

वाले बच्चे, औसत बुद्धि वाले बच्चे और निम्न औसत बुद्धि वाले बच्चों को 10-12-19 बच्चों को मिलाकर एकल पंक्ति व्यवस्था की जा सकती है। इस व्यवस्था से कमजोर बच्चे भी सहज लाभ उठा सकेंगे।

3. अर्धवृत्ताकार व्यवस्था :- कक्षा में उपलब्ध स्थान के आधार पर अर्धवृत्ताकार ढंग से भी बैठने की व्यवस्था की जा सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था से असामान्य बालकों को सिखने, समूह क्रियाकलापों में भाग लेने में सहायता मिल सकती है तथा शिक्षण व्यवस्था आसान हो सकती है।

2. सम्पूर्ण कक्षा शिक्षण (Whole Class Teaching)

समावेशी शिक्षा का सामान्य अर्थ है कि ऐसी शिक्षा जिसमें सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाय चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग, भाषा, शारीरिक रूप से अक्षम, विशिष्ट आदि किसी भी प्रकार का हो उसे शिक्षा से वंचित नहीं किया जायेगा।

सम्पूर्ण कक्षा शिक्षण शब्द से स्पष्ट है कि इसमें सभी प्रकार के बच्चों के लिए शिक्षण किया जाता है। इसमें उन विधियों एवं प्रविधियों को सम्मिलित किया जाता है जिससे कि प्रत्येक कक्षा का बच्चा आसानी से सीख सके व समझ सके।

शिक्षण की पारम्परिक शैली में शिक्षक तीव्र गति से सीखने वाले बच्चों को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। बच्चों को व्याख्यान देते हैं या फिर पुस्तक पढ़कर पाठ्यक्रम समाप्त करते हैं या फिर श्यामपट्ट पर लिखकर बच्चों को नोट करवाते हैं। इस प्रकार के शिक्षण से सामान्य एवं तीव्र व कुशाग्र बुद्धि के बच्चे सीख लेते हैं क्योंकि जो छात्र धीमी गति से सीखने वाले हों या फिर नेत्र, वाणी, शारीरिक रूप से चुनौती लिए हों वे अध्यापक द्वारा बताई गई बातों को न तो समझ सकते हैं और न ही वे नोट कर पाते हैं। इस प्रकार के शिक्षण से कुछ ही बच्चे लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार की शिक्षण विधि में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। बच्चों को संवाद विधि व प्रश्न उत्तर विधि द्वारा पाठ को सिखाना अधिक प्रभावी होता है। विकसित देशों जैसे ब्रिटेन, अमेरिका में शिक्षक संवाद का तरीका अपनाते हैं। वे बच्चों से प्रश्न करते हैं। उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर शिक्षण करते हैं। संवाद शिक्षण के पश्चात बच्चे टोली बना लेते हैं और अपना दिया गया कार्य करते हैं। तथा तैयार की गई रिपोर्ट को अध्यापक को सौंपते हैं। इस प्रकार से किया गया कार्य व ज्ञान स्थाई होता है।

सम्पूर्ण कक्षा शिक्षण के अन्तर्संवाद का ध्यानपूर्वक प्रयोग करते हुए समावेशी शिक्षा में बदला जा सकता है। प्रश्न पूछना सम्पूर्ण कक्षा शिक्षण में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। अध्यापक बच्चों से खुले रूप में प्रश्न कर सकता है जो बच्चों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करे। इस संदर्भ में अध्यापक भी धैर्य रखे और बालकों से तुरन्त जवाब की आशा न करे। यदि छात्र उत्तर देने में कठिनाई महसूस करें तो उसे उत्तर के लिए संकेत दिये जाय जिससे कि वह उत्तर दे सके। सही उत्तर की प्राप्ति पर बच्चे को प्रोत्साहित किया जाय व पुनर्बलन दिया जाय। यदि बालक किसी प्रश्न का उत्तर न पाये तो उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाय तथा इसका पता लगाया जाय कि बालक सही उत्तर क्यों नहीं दे पाया। अध्यापक को बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सरल प्रश्न पूछना चाहिए।

इस प्रकार के शिक्षण से कक्षा में प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। प्रश्न के साथ-साथ बच्चों को कार्य दिये जाय तथा निश्चित समय में उसका प्रस्तुतीकरण करवाया जाय इस प्रकार कार्य देने से प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता व अपनी भाषा में लिखेगा तथा उसका प्रस्तुतीकरण करेगा। एक उदाहरण सामने

Scanned with CamScanner

आता है। अध्यापक ने कक्षा के बच्चों को कार्य दिया तथा एक-एक पृष्ठ लिखने को कहा। सभी बच्चों ने अपनी क्षमता व समझ के आधार पर लिखा तथा उसका प्रस्तुतीकरण किया। अन्त में एक बालक ने अपना पृष्ठ लेकर प्रस्तुतीकरण किया। उसने भी वही प्रस्तुति दी जैसा कि अन्य बच्चों ने, अध्यापक ने उसका पृष्ठ देखा उस पृष्ठ में कुछ गोले व कुछ रेखाऐं ही थी। जिन्हें केवल वही समझ सकता है। इस प्रकार विशिष्ट बालक भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकता है। तथा अन्य विद्यार्थियों के साथ समावेशित हो सकता है।

इस प्रकार सम्पूर्ण कक्षा शिक्षण में प्रश्न पूछकर व कार्य देना व प्रस्तुतीकरण करने से शिक्षण आसान हो जाता है तथा प्रत्येक बच्चा आसानी से सीख सकता है। कक्षाओं में इस प्रकार की विधि का कम प्रयोग किया जाता है। एक अध्यापक को चाहिए कि वह अपनी कक्षा में विशिष्ट बालकों की पहचान करें तथा उनके अनुरूप ही बैठने की व्यवस्था तथा शिक्षण विधि, प्रविधियों का चयन करें।

3. क्रिया आधारित अधिगम (Activity Based Learning)

क्रियाशीलता का अर्थ :- क्रियाशीलता कोई नाटक या गीत नहीं है और आनन्द का सम्बन्ध ही खेलों से मिलने वाले आनन्द से नहीं है। इसका व्यापक अर्थ है वह आनंद जो सीखने, चिंतन करने एवं अनुभव करने से हासिल होता है। और क्रियाशीलता को बच्चे का अधिगम में पूरी तरह ध्यान एवं आजाद एकाग्रता से ग्रहण करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

सामान्यतया स्कूलों में छोटे-छोटे बच्चों को शिक्षा देने के लिए क्रियाशीलता आधारित अधिगम का सहारा लिया जाता है। इसका मनोवैज्ञानिक आधार यह है कि बालक स्वभाव से चंचल प्रवृत्ति के होते है वे खाली समय में शांत नहीं बैठ सकते है। उनमें लगातार कुछ न कुछ जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। यही बात विशिष्ट व क्षतिग्रस्तता वाले बच्चों की भी होती है। जो समावेशी विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ते है। बच्चों में सृजनात्मकता की अपार व अद्भुत क्षमता होती है। और इस क्षमता का विकास करने के लिए व प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए क्रिया आधारित अधिगम को सभी शिक्षाविदों व मनोवैज्ञानिकों ने समर्थन दिया है। इस सम्बन्ध में श्री टी.एस. अविनाशिलिंगम का कथन इस प्रकार है :-

"जीवन की यह मांग बड़े शान से आगे ही बढ़ती चली जा रही है। परन्तु यदि कोई चाहे कि इसके प्रवाह को बिना मोड़े बांध लगाकर रोक दिया जाय तो वह बांध अवश्य ही टुकड़े-टुकड़े हो जायेगा। इस प्रवाह को किसी अन्य दिशा में मोड़े बिना दबाकर रखना असम्भव है। साधारण स्कूलों में केवल किताबी ज्ञान ही दिया जाता है। अध्यापक बोलता जाता है और छात्रगण चुपचाप निष्क्रिय श्रोतागण के रूप में बैठे अध्यापक के भाषण को सुनते रहते हैं। चाहे उनकी समझ में आये या न आये। उनकी शक्तियां मार, भय इत्यादि के डर से दुबकी रहती है। क्योंकि यह सब एकदम अस्वाभाविक और उनकी कौतुहल पूर्ण प्रकृति के प्रतिकूल होता है। इसलिए हमें आज के विद्यालयों में अनुशासनहीनता की बाढ़ सी दिखाई देती है। इसके विपरीत यदि हम बच्चों को कुछ ऐसा काम करने को दें जिसमें बच्चे स्वयं उत्साहपूर्वक भाग ले सकें तो अनुशासन में रहना उनका स्वभाव बन जायेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम बच्चों को कुछ ऐसे कार्य सुझावें जिसमें वे स्वयं खुशी-खुशी भाग लें। वे निर्माण करें और स्वयं अपने हाथ से कार्य करके संतुष्ट व प्रसन्न हो सकें।"

क्रिया आधारित अधिगम के सम्बन्ध में विभिन्न शिक्षाशास्त्रियों के मत इस प्रकार है :-

रूसो :- रूसो ने परम्परागत शिक्षण विधियों का विरोध करते हुए कहा कि बच्चे प्रथम तो खोजी होते है और तत्पश्चात उनमें कौतुहलता आती है। वे अपने आस-पास की चीजों के अस्तित्व तथा उनके कारणों को एक ही बार में जान लेना चाहते है। इसलिए मैं उन्हें किताबी कीड़े बनने की अपेक्षा कार्यशाला में व्यस्त रखूँगा ताकि वे हाथों द्वारा काम करके ज्ञान प्राप्त करें।

फ्रोबेल :- खेल बाल्यकाल तथा शैशव की मुख्य क्रिया है, जो कि बच्चों के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है क्योंकि यह अन्दर की आत्माभिव्यक्ति है। इस अवस्था में खेल पवित्रतम तथा आध्यात्मिक क्रिया है। यह हृदय में प्रसन्नता, स्वतंत्रता और सन्तोष उत्पन्न करती है। और संसार में शांतिपूर्वक रहने की प्रेरणा देती है। यह समस्त अच्छाईयों का स्रोत है। परन्तु यदि बच्चों का उपयुक्त मार्गदर्शन न किया जाये तो यह सब खेल व्यर्थ और उद्देश्य रहित हो जायेंगे और बच्चों को अपने जीवन के लिए तैयार नहीं कर सकेंगे। सफलतापूर्वक जीवन यापन करने की योग्यता देना ही इन खेलों का उद्देश्य है।

मान्टेसरी :- मान्टेसरी ने अध्यापक की अपेक्षा स्वयं सीखने पर जोर दिया है उनका विचार है कि स्वयं शिक्षा सबसे उत्तम शिक्षा है जिसके द्वारा बच्चा अपने ढंग से और स्वानुकूल मात्रा में शिक्षा प्राप्त करता है। उसने शिक्षक के लिए निर्देशक शब्द प्रयुक्त किया।

महात्मा गांधी :- गांधीजी ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम बच्चे की शिक्षा क्रियात्मकता पर आधारित करें। क्रियात्मकता बौद्धिक शिक्षण के लिए एक मुख्य साधन है।

पेस्टोलॉजी :- पेस्टोलॉजी ने परम्परागत शिक्षण प्रणाली को शाब्दिक प्रणाली कहा है। उनका कथन है कि हमारे विद्यालय बच्चों के मनोविज्ञान के विपरीत है वे अनिवार्यतः कृत्रिम अभिकरण है जहाँ कि शक्ति तथा अनुभव के द्वारा निकाले गये परिणामों का सर्वथा दुरुपयोग होता है। प्रकृति स्वयं उनके जीवन को आरम्भ करती है और जब वे अपने पूरे पाँच वर्ष प्रकृति की गोद में, उसके अद्भुत दृश्यों में गुजार लेते है तो हम उन्हें स्कूल भेजकर उनका नाता प्रकृति से एकदम विछिन्न कर देते है हम उनकी खुशियों से भरी स्वतन्त्रता को निर्दयतापूर्वक कुचल देते है। उन्हें भेड़-बकरियों की भांति हांक देते है और फिर इसी प्रकार घण्टे, दिन, महीने और वर्ष बीतते चले जाते है और वे उस वर्णमाला के चक्कर में फंसे रहते है जो न तो प्राकृतिक है और न ही रुचिकर।

इस प्रकार प्रकृतिवादी विचारकों ने परम्परागत शिक्षण का जोरदार खण्डन किया इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर पश्चिमी देशों में मान्टेसरी, किण्डरगार्टन विद्यालय खुले, जिनमें खेल विधि द्वारा शिक्षण की व्यवस्था की गई, चूंकि क्रियाशीलता का आधारभूत तत्व बालक का अधिगम प्रक्रिया में पूर्ण मानसिक समावेशी एवं सहभागिता होनी चाहिए। शारीरिक भाव भंगिमाएं जैसे हाथों या पैरों को हिलाना आदि सहभागिता दिखाने वाले हो सकते है पर ऐसी सहभागिता अर्थहीन हो जायेगी यदि यह क्रियाशीलता में मानसिक समावेशी को प्रोत्साहित नहीं करती है तो ऐसा उपागम और सम्भवतः गांधी जी के आधारभूत शिक्षा के दर्शन की ओर प्रवृत्त करते है जो अधिगम प्रक्रिया में शरीर और आत्मा दोनों के समावेशी की ओर ले जाता है। वास्तव में आत्मा तीसरा श्रेष्ठ तत्व होता है जो अधिगम क्रियाशीलता अधिगम में शामिल होकर व्यक्ति विशेष की शिक्षा एवं उसे स्वयं को पूर्ण बना देता है। क्रियाशीलता शिक्षा बालक को पूर्ण बना देती है। क्रियाशीलता आधारित शिक्षण का अर्थ है स्वयं करके सीखना। बच्चे काम करना पसन्द करते है और बच्चों की यह भावना क्रियाशीलता आधारित अधिगम की शिक्षा सम्बन्धित रचनात्मक में बदली जा सकती है। महात्मा गांधी जी ने बेसिक शिक्षा योजना को इसी आधार पर उपयुक्त क्रिया तथा प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या में दे ही विषय रखे जिनमें क्रियाशीलता हो तथा क्रियात्मक

Scanned with CamScanner

लिपि के रूप में स्वयं करके लिखना, अनुसरण ... सर्वप्रथम प्रशिक्षण कराया गया किया।

क्रियाशीलता शिक्षण के मनोवैज्ञानिक आधार

सभी मनोवैज्ञानिक क्रियाशील शिक्षण का समर्थन करते हैं वे बच्चों की रूचियों के अनुसार शिक्षण को पसन्द करते हैं जिससे कि बच्चे की प्रतिभा का वास्तविक स्वरूप प्रदर्शित हो सके। क्रियाशीलता आधारित शिक्षण के मनोवैज्ञानिक आधार इस प्रकार है -

1. **संवेगात्मक विकास :-** संवेग के अन्तर्गत सम्पूर्ण मानसिक क्रियाऐं आती है ये बच्चे स्वभाव से क्रियाशील होते है वे हमेशा कुछ न कुछ नई चीजे बनाने के प्रयास में लगे रहते है। यदि उन्हें कुछ बनाने को नहीं मिलता तो वे चीजों को तोड फोड करना प्रारम्भ करते है। वे सैकड़ो प्रश्न पूछना चाहते है। बच्चो को उनके प्रश्नो के ठीक उत्तर दिये जाने चाहिए तथा उन्हें लगातार कुछ न कुछ कार्य दिया जाना चाहिए। जिससे कि उनकी जिज्ञासा शांत हो सके। इस प्रकार बच्चो के लिये प्रशिक्षण दिया जा सकता है।
2. **चेतना का प्रयोग :-** बच्चों की समस्त चेतनाओं को शिक्षा प्राप्ति के लिए कार्यरत कर देना चाहिए वे अनुभव द्वारा तथा क्रिया द्वारा सीख सकते है तथा मस्तिष्क का सही प्रयोग कर सकते है।
3. **थकान का प्रभाव :-** यदि शारीरिक कार्य अधिक किया जाय तो थकान का अनुभव अधिक होता। तथा यदि बच्चो को लगातार मानसिक कार्यों में व्यस्त रखा जाय तो वे शीघ्र ही थकान महसूस करेंगे। यदि मानसिक व शारीरिक कार्य दोनो को मिलाया जाय तो थकान कम अनुभव करेंगे। इसलिए क्रियाशीलता शिक्षण से बच्चों को आराम मिलता है।
4. **शरीर एवं मस्तिष्क का सम्बन्ध :-** क्रियाशीलता शिक्षण से शरीर एवं मस्तिष्क दोनों ठीक से कार्य करते हैं इन दोनों से यदि सन्तुलित कार्य किया जाय तो वह अधिक प्रभावी होगा।

इस प्रकार क्रियाशीलता आधारित शिक्षण बच्चों के लिए लाभदायक होता है विद्यालयों के पाठ्यचर्या के विभिन्न विषय जैसे इतिहास, विज्ञान, भूगोल, गणित, भाषा आदि विषयों को क्रियाशीलता के आधार पर पढ़ाया जा सकता है।

समूह शिक्षण (Peer Tutoring)

समूह शिक्षण एक ऐसा विषय है जिसकी ओर कम ध्यान दिया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक-से-एक को शिक्षण दिया जाता है इसमें एक व्यक्ति जो वरिष्ठ विद्यार्थी होता है वह अध्यापक की भूमिका निभाता है। सहपाठी अधिगम समावेशी शिक्षा का एक अन्य आयाम है यदि एक छात्र को मॉनीटर या कप्तान बना दिया जाता है तो वह अपनी कक्षा के अन्य सहपाठियों को कुछ दिशा निर्देश दे सकता है। विशेषतः धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को। मॉनीटर को प्रत्येक महीने में बदल दिया जाना चाहिए जिससे एक छात्र में घमण्ड की भावना उत्पन्न न हो।

समूह शिक्षण की प्रक्रिया

समूह शिक्षण की प्रक्रिया में अनुशिक्षक एवं विद्यार्थी शामिल होते हैं अनुशिक्षक सर्वप्रथम दिये गये कार्य को करता है और फिर अनुशिक्षित उस कार्य को करता है। इसके बाद अनुशिक्षक तीसरे कार्य को और फिर यही सिलसिला आगे भी तब तक चलता रहता है जब तक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाता

है। उदाहरण के लिए, मौखिक अभ्यास में दिये गये पाठ्य के पहले पैरे को अनुशिक्षक पढ़ता है तदुपरान्त विद्यार्थी पढ़ते हैं और यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक पाठ पूर्ण नहीं हो जाता है। विद्यार्थी अनुशिक्षक के अनुसार अपने व्यवहार को ढालता है।

अनुशिक्षक विद्यार्थी को चार प्रकार से कार्य कर निर्देशित करता है-

प्रथम / निरीक्षण- सहयोगी अनुशिक्षक बालक के व्यवहार एवं ज्ञान का निरीक्षण करता है।

द्वितीय / पुनर्बलन- सहयोगी अनुशिक्षक बालक की कमियों को बताकर पुनर्बलन देता है।

तृतीय / नमूनाविधि- यह विशिष्ट त्रुटि को ध्यान में रखते हुए उसे दूर करने का ढंग बताता है।

चतुर्थ / व्याख्या- इसमें सम्पूर्ण पद का खुलासा कर उदाहरणों सहित व्याख्या करता है।

समूह शिक्षण के लाभ :-

समूह शिक्षण से अन्य छात्रों को सीखने में आसानी होती है क्योंकि छात्र अपने सहपाठियों से अपनी समस्या को खुल कर बोल सकते है। एल. वैगनर ने अपनी पुस्तक "पियर टीचिंग" में इसके निम्न लाभ बताये है :-

1. इससे सहपाठी शिक्षक व विद्यार्थी में दोस्ती कायम होती है जिससे समूह में मन्दबुद्धि बच्चों का एकीकरण होता है।
2. इससे शिक्षक का बोझ हल्का होता है।
3. पढ़ाना सीखने से बच्चों को लाभ होता है।
4. वे उन बच्चों को कारगर ढंग से पढ़ाते है जो वयस्क शिक्षकों को उचित ढंग से जवाब नहीं देते।
5. यह सहकार्य की दशाओं में साथ-साथ चलती है जिससे शिक्षक के सामने एक औपचारिक ढंग से उसके आयोजन तथा प्रबन्ध की मजबूरी नहीं रहती।

सहयोगी शिक्षण (Collaborative Teaching)

सहयोगी शिक्षण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल सकारात्मक वार्तालाप, सलाह, संचार के द्वारा हासिल किया जा सकता है। सहयोग परस्पर सम्पर्क का परिणाम होता है। सहयोगी शिक्षण द्वारा विषयवस्तु को आसान बनाया जा सकता है। यह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनो प्रकार का हो सकता है। अप्रत्यक्ष सहयोग कक्षा से बाहर अध्यापक द्वारा बच्चो की आवश्यकता पूर्ति के लिए योजना बनाने से सम्बन्धित होता है। सहयोगी सलाह, समकक्ष सहयोग द्वारा अध्यापक सहयोग की टीमें अप्रत्यक्ष सहयोग के रूप में है। सहकारी शिक्षण और सह शिक्षण या समूह शिक्षण प्रत्यक्ष सहयोग से सम्बन्धित होते हैं इसके विभिन्न प्रकार इस प्रकार हैं :-

1. **सहयोगात्मक सलाह :** यह बच्चे से अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित है इसमें अध्यापक विशेष शिक्षा अध्यापक से सेवाओं के लिए अनुरोध करता है।
2. **समकक्ष सहयोग :** यह भी अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित है यह नियमित शिक्षा में अध्यापक कक्षा की समस्याओं के निदान हेतु सामूहिक रूप से कार्य करते हैं।
3. **अध्यापक सहयोगी टीम :** इसमें अध्यापकों की एक टीम नियमित शिक्षा में अध्यापकों की मदद करती है।

Scanned with CamScanner

4. **सहकारी शिक्षण :** यह अध्यापक व बच्चों के प्रत्यक्ष सम्बन्ध से सम्बन्धित है इसमें सामान्य एवं विशेष शिक्षा अध्यापक विद्यार्थियों को सांझे शिक्षा देने के लिए एकत्रित होकर कार्य करते है।

सहयोगी शिक्षण की आवश्यक शर्तें

शिक्षण में किसी भी सहयोगी का योगदान किसी उद्देश्य को लेकर हो सकता है जैसे- योजना बनाना, समस्या समाधान करना, शिक्षण करना व मूल्यांकन करना आदि। यहाँ कुछ ऐसे तथ्य है जो सहयोग के समय घटित हो सकते है-

1. सहयोग स्वैच्छिक होना चाहिए इसके लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। सहयोग का अर्थ है कि एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इच्छुक समूहों का एकत्रित होना।
2. सहयोग में उचित सामजस्य होना चाहिए। सहयोगी टीम के सदस्यों को एक समान माना जाना चाहिए, इसमें टीम के सभी सदस्यों के विचारों, सूचनाओं का आदान प्रदान, क्रियान्वयन व मूल्यांकन में सहयोग होना चाहिए।
3. सहयोग पारस्परिक सहमति के उद्देश्यों का अर्थ रखता है सहयोगात्मक टीम के सभी सदस्य एक स्पष्ट उद्देश्य को लेकर इकट्ठे कार्य करें।
4. टीम के सभी सदस्यों को सफल या असफल परिणामों के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार समझना चाहिए। किसी भी फैसले की सफलता व असफलता सामूहिक हो।
5. सभी सदस्य एक सहमतिपूर्ण उद्देश्य तक पहुँचने की प्रक्रिया में भागीदार होने चाहिए इससे फैसले को मदद व क्रियान्वयन की ताकत मिलेगी।

सहयोगी शिक्षण के लाभ

शिक्षण में अन्य साथी अध्यापकों के सहयोग से निम्न लाभ होते हैं :-

1. योजना को सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है।
2. समस्या के निदान में सहायक।
3. विशिष्ट बालकों की समस्याओं का समाधान।
4. उन विचारों का विकास जिनके विषय में अध्यापक ने कभी नहीं सोचा।
5. सहयोगी अध्यापकों में विचारों का आदान प्रदान।
6. संसाधनों का कुशलतम उपयोग।

सहकारी अधिगम (Co-operative Learning)

सहकारी अधिगम यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्र स्वयं परिश्रम करके अध्ययन करते है इसमें अध्यापक द्वारा पाठ के उद्देश्यों को स्पष्ट कर दिया जाता है तथा समूह में विद्यार्थियों के बाँट दिया जाता है ये समूह छोटे होते है। इसमें एक समान बच्चो को एक साथ रख दिया जाता है। वे छात्र एक दूसरे का सहयोग कर अपनी समस्याओं का समाधान करते है। इस प्रकार बच्चे सीखने में एक दूसरे की मदद करते है। वे समस्याओं के समाधान एवं कार्य पूरा करने के लिए एक दूसरे का सहयोग करते है। यह एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया है जिसमें एक समान योग्यता के बालक समूह बनाकर एक ही उद्देश्य को पाने का प्रयास करते है ऐसे में वे एक दूसरे का सहयोग करते है सहकारी शिक्षा बालकों की शैक्षिक

योग्यता एवं निपुणता हासिल करने में सहायक होती है जैसे सुनना, प्रश्न पूछना, उत्तर देना, सुझाव देना आदि। एक अध्यापक योजना बनाता है और छात्रों का मूल्यांकन करता है। सहकारी अधिगम में अध्यापक को ध्यान रखना पड़ता है कि -

1. बच्चे अपने अधिगम का उत्तरदायित्व स्वयं ले।
2. अपनी जिम्मेदारियों को स्वयं समझे।
3. उनका ध्यान समूह के क्रियाकलापों, वार्तालाप में रहे।
4. बच्चे एक दूसरे की सहायता करें व समस्याओं का समाधान करें।
5. बच्चों में आपसी सहयोग की भावना का विकास हो।

सहकारी अधिगम में ध्यान रखने योग्य बाते

सहकारी अधिगम में अध्यापक को निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि -

1. अध्यापक को पाठ्यवस्तु का उद्देश्य स्पष्ट कर देना चाहिए।
2. एक समान योग्यता वाले बच्चों को समूह में बाँट देना चाहिए।
3. समूह का आकार अधिक बड़ा न हो।
4. समूह के प्रत्येक सदस्य की भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए।
5. समय-समय पर बच्चों की भूमिका परिवर्तित करते रहना चाहिए।
6. बालकों के लिए ऐसा वातावरण तैयार किया जाये जिससे कि वे एक दूसरे के नजदीक आऐ।
7. बच्चों की व्यक्तिगत जवाबदेही सुनिश्चित करें।
8. समूह के मध्य परस्पर वार्तालाप को सुनिश्चित करें।

सहकारी अधिगम के उद्देश्य

सहकारी अधिगम के निम्न उद्देश्य है :-

1. समूह के मध्य सामाजिक व शैक्षिक वातावरण तैयार करना।
2. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सीखने का वातावरण तैयार करना।
3. विशिष्ट बालकों को अवसर प्रदान करना।
4. विशिष्ट बालकों की विशेष आवश्यकता पूर्ति करना।
5. सक्षम व असक्षम बालकों के मध्य मधुर सम्बन्ध बनाना।
6. सभी बच्चों में सहयोग की भावना पैदा करना।
7. बच्चों को उनकी जिम्मेदारियों से परिचित करना।
8. समूह में मिलकर एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करना।
9. परस्पर सहयोग और मदद के माध्यम से समस्या निदान की निपुणताओं को विकसित करना।

सहकारी अधिगम का मूल्यांकन (लाभ-हानि)

सहकारी अधिगम से न केवल बिना विकलांगता वाले बालकों को ही लाभ पहुँचता है

Scanned with CamScanner

बल्कि विशेष बालकों को भी लाभ पहुँचता है। यह विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए अधिक सुविधाजनक है क्योंकि इसमें विकलांग एवं अन्य बालक समूह में रहकर एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकत्रित होते हैं ऐसी स्थिति में वे एक दूसरे का सहयोग पाते हैं इस प्रकार के शिक्षण से परस्पर वार्तालाप सुनिश्चित होता है इस वार्तालाप से मस्तिष्क का विकास होता है तथा नये-नये प्रत्यय सामने आते हैं तथा छात्र उन समस्याओं व नये प्रत्ययों पर चिन्तन करते हैं इससे ज्ञानात्मक पक्ष मजबूत होता है इस प्रकार के शिक्षण में दोष भी दिखाई देते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था बनाने में समय अधिक लगता है और कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है यदि अध्यापक में कुशलता नहीं होगी तो इस प्रकार की योजना लाभप्रद नहीं होगी। भारतीय विद्यालयों में पाठ्यक्रम समाप्त करने की समस्या व अध्यापकों में कर्तव्यनिष्ठा की कमी के कारण इस प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया जाता है किसी विशिष्ट कक्षाओं में यदि इस प्रकार का शिक्षण किया जाय तो निःसंदेह सफलता मिलेगी।

बहु अनुशासनात्मक उपागम
(Multi Disciplinary Approach)

सामाजिक दृष्टि से यदि देखा जाये तो समावेशी शिक्षा उस उपागम की तरह दिखाई देती है जिसके अन्तर्गत, बच्चे, युवा और नौजवानों की अधिगम आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जाता है जो किसी न किसी हाशियाकरण का शिकार रहे हैं। इस प्रकार के प्रयास में समर्थ व असमर्थ युवा व बच्चे एक साथ मिलकर स्कूल समाज द्वारा प्रदान की जाने वाले सुविधाओं का उपयोग करते हुए अधिगम प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इस प्रकार के प्रयोजन हेतु लचीले शिक्षा तन्त्र की महती आवश्यकता रहती है। यहां शिक्षा व समाज से जुड़े हुए सभी प्रमुख अवयवों अधिगमकर्ता, अभिभावक, शिक्षक प्रशासक, नीति निर्माताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस कार्य को एक समस्या के रूप में न लेकर एक चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे और अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन ईमानदारी व कर्तव्यपरायणता के साथ करेंगे क्योंकि समावेशी शिक्षा के सम्प्रत्यय को भली भाँति कार्यरूप में लागू करने के लिए समाज व शिक्षा के प्रत्येक सदस्य का सामूहिक रूप से प्रयास करना आवश्यक है। इस प्रकार सम्बन्धित क्षेत्र के विशेषज्ञ अपने-अपने विशिष्ट कौशलों के माध्यम से समावेशी शिक्षा के अर्थ व उद्देश्यों को प्राप्त करने में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

समावेशी शिक्षा के उपागम (Approaches of Inclusive Education)

समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन हेतु मुख्यतः निम्न तीन उपागमों का प्रयोग किया जाता है -

अन्तःअनुशासनात्मक उपागम (Interdisciplinary Team Approach)

इस प्रकार के उपागम में सभी टीम सदस्यों के अभिभावक, विषय विशेषज्ञ, व्यावसायिक मिलकर समस्याग्रस्त बच्चे के लिए एक समग्र व साझा कार्यक्रम बनाते हैं। सभी टीम सदस्य एक दूसरे के साथ औपचारिक रूप से सम्प्रेषण करते रहते हैं एवं अपनी सूचनाओं, जानकारियों व परिणामों की एक दूसरे के साथ नियमित बैठकों के दौरान साझा चर्चा करते हैं। प्रत्येक टीम सदस्य प्रदत्त कार्य के लिए जिम्मेदार व जवाबदेह रहता है। इस प्रकार से असमर्थी बच्चे को अलग सदस्य एक सामान्य कार्यक्रम अन्तर्गत उपचारित व उसका मार्गदर्शन करते हैं एवं बच्चों को सम्पूर्ण विकास की प्रक्रिया तक ले जाने में सहयोग प्रदान करते हैं।

अन्तर अनुशासनात्मक टीम उपागम (Transdisciplinary Team Approach)

इस प्रकार के उपागम के उपागम में वैयक्तिक अनुदेशन के समय दृष्टिकोण को न रखते हुए, प्रत्येक बच्चे के विकास को प्राथमिकता देते हैं। Transdisciplinary Team Approach में अभिभावक व भिन्न-भिन्न क्षेत्र के व्यवसायिक एक दूसरे के क्षेत्र व कार्यशैली में सुझाव दे सकते हैं। सम्प्रेषण, अन्तःक्रिया और सहयोग की सभी सदस्यों के मध्य भागीदारी होती है।

इस प्रकार के उपागम में मुख्यतः दो प्रकार की धारणाओं का समावेश किया गया है। प्रथम धारणा के अनुसार बच्चों का विकास समाकलित और अन्तक्रिया आधारित होना चाहिए एवं द्वितीय धारणा के अनुसार बच्चे की सहायता परिवार को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए।

अतः इस प्रकार की प्रणाली में मुख्यतः दो पक्ष परिवार व प्राथमिक सेवा प्रदान होते हैं। परिवार बच्चे व स्वयं से जुड़े हुए लक्ष्यों और कार्यक्रम को अन्य सदस्यों के समक्ष रखता है। तदोपरान्त टीम सदस्य साथ मिलकर उस कार्यक्रम की योजना कार्य रूप व मूल्यांकन पर एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। इस प्रकार इस उपागम में परिवार की महत्वपूर्ण व केन्द्रीय भूमिका रहती है।

बहुअनुशासनात्मक टीम उपागम (Multidisciplinary Team Approach)

इस प्रकार के उपागम में टीम के सदस्यों का एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है सभी सदस्य अपने से सम्बन्धित क्षेत्र में विशेष प्रयास कर बच्चे के विकास की प्रक्रिया को सुनिश्चित करते हैं।

इस प्रकार के टीम के सदस्यों द्वारा किया गया प्रयास टुकड़ों में होता है न कि मिलजुलकर। इस प्रकार के उपागम में टीम सदस्यों में समन्वय की कमी होती है। इस प्रकार से परिवार को टुकड़ों में किया गया टीम सदस्यों का प्रयास सम्पूर्णता का आधार प्रदान नहीं कर पाता है। फलस्वरूप अभिभावक सदस्यों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर स्वयं को किंकर्तव्यविमूढ़ता की स्थिति में पाते हैं। व अपने बच्चे के विकास के बारे में सही स्थिति से अवगत नहीं हो पाते हैं। इन सबके बावजूद भी इस उपागम की मुख्य विशेषता या लाभ, विशेषज्ञों का अपने क्षेत्र में हस्तक्षेप रहित वातावरण की प्राप्ति व कार्य करने की स्वतन्त्रता मुख्य रूप से है। साथ ही साथ वे आपसी अहम व टकराव से भी दूर रह पाते हैं और अपना श्रेष्ठ सम्बन्धित व प्रदत्त कार्य में दे सकते हैं।

इस प्रकार कह सकते हैं कि बहुअनुशासनात्मक उपागम में बच्चों की आवश्यकताओं और शैक्षिक-सामाजिक समायोजन में सहायता उनके विभिन्न विषय विशेषज्ञों व्यवसायियों एवं मुख्य रूप से अभिभावकों के द्वारा सामूहिक प्रयास न करके व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा की जाती है।

बहुअनुशासनात्मक उपागम के लाभ

शैक्षिक विचारकों के अनुसार बच्चों के समग्र विकास की धारणा को ध्यान में रखते हुए बहुअनुशासनात्मक शिक्षक टीमों का गठन विद्यालय स्तर पर किया जाने की सिफारिश अपने अपने स्तर पर समय-समय पर की है। इस प्रकार की टीमें अभिभावकों के विद्यालयी गतिविधियों में अधिक-अधिक शामिल करने, समस्याओं और अक्षमता से जुड़े मुद्दों के यथार्थपरक मूल्यांकन और समाज व विद्यालय के वर्तमान स्वरूप में शामिल किये जा सकने वाले मध्यस्थ व सामाजिक जीवन के लिए अनुकूलित कार्यक्रमों का निर्माण कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त निम्न लाभ भी बहुअनुशासनात्मक उपागम से प्राप्त किये जा

Scanned with CamScanner

सकते हैं -

1. बच्चों के दृष्टिकोण और कार्य सम्बन्धी आदतों में सुधार हेतु विभिन्न क्षेत्रों के प्रशिक्षित शिक्षकों के कार्यक्रमों का आयोजन कर के बच्चों के दृष्टिकोणों व कार्यसम्बन्धी में आदतों में सुधार लाना।
2. विभिन्न क्षेत्रों के समूह विशेषज्ञों के मध्य समूह भावना का विकास करना।
3. अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ शिक्षक व व्यावसायिक मिलकर एक शक्तिशाली इकाई का निर्माण कर सकते है। इस प्रकार से उचित परिणाम व उद्देश्यपूर्ण क्रिया का विकास होता है।
4. सदस्यों के अन्तःवैयक्तिक कौशलों में सुधार दृष्टिगोचर होता है।
5. सामूहिक प्रयास और सहभागिता के फलस्वरूप अधिक सटीक योजना का निर्माण व कार्यान्वयन सम्भव हो जाता है। जिसके फलस्वरूप बच्चे के शैक्षिक, सामाजिक और व्यावसायिक आवश्यकताओं की भली भांति पहचान व सम्बन्धित कार्यक्रम का विकास किया जा सकता है।
6. व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम का नियोजन किया जा सकता है।
7. सामान्य शैक्षिक परिवेश में विकलांग बालकों की सहभागिता सुनिश्चित होती है।

बहुअनुशासनात्मक उपागम के परिप्रेक्ष्य में आवश्यकताऐं

(Requirements of Multidisciplinary Perspective)

किसी भी प्रणाली की सफलता सुनिश्चित करने हेतु एवं यथोचित कार्या-न्वयन हेतु विशेष प्रकार के प्रयासों का होना आवश्यक है। इसी क्रम में बहुअनुशासनात्मक उपागम की सफलता हेतु निम्न क्षेत्रों में आवश्यकताओं का अनुभव किया गया है -

1. **योजना (Planning)** - किसी भी कार्य की सफलता उत्तम योजना पर निर्भर करती है। बहुअनुशासनात्मक उपागम में एक अच्छी योजना का होना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि इस उपागम में शिक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में बिना किसी हस्तक्षेप के कार्य करते हैं एवं उनका दूसरे के साथ अधिक समन्वय भी नहीं रहता है। अतः शिक्षक परस्पर बैठकर एक कार्यकारी समूह योजना का निर्माण कर सकते हैं जिसके अन्तर्गत वे विषय सामग्री की उपयुक्तता और विषय सम्बन्धी अवरोधों व बच्चे की आवश्यकताओं पर पूर्व रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार का वातावरण विद्यालय की सम्पूर्णता एवं विद्यालय कार्य को अधिक अर्थपूर्ण और कार्यकारी रूप से सफल बना सकता है।

2. **समूह सहयोग (Team Co-operation)** - विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित व्यावसायिक (Professional) और शिक्षक परस्पर सहयोग व सार्वदृष्टिकोण रखते हुए शिक्षण-अधिगम सम्बन्धी उद्देश्यों का निर्माण, विषय से सम्बन्धित योग्यताऐं, समस्याओं के निराकरण, कार्य-सम्बन्धी व्यवहार, मानसिक उद्वेलन से जुड़े हुए प्रश्न इत्यादि का निर्माण कर सकते हैं। सभी समूह सदस्य परस्पर वार्ता व परिचर्चा के द्वारा शिक्षक तकनीकों में सुधार व आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी ला सकते हैं। इस प्रकार एक स्वस्थ सामाजिक वातावरण का निर्माण कर बहुअनुशासनात्मक उपागम को अधिक सफल बनाया जा सकता है।

3. **शिक्षण व्यूह रचनाऐं (Teaching Strategies)** - शिक्षक का सर्वाधिक रचनात्मक ज्ञान शिक्षण व्यूहरचना है जो विशिष्ट बालकों में कौशलों का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। अतः शिक्षक को बच्चों के ज्ञानात्मक स्तर, योग्यता, रुचि का भलीभांति ज्ञान रखना चाहिए जिससे वह नई-नई व्यूहरचनाओं का प्रयोग कर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक रुचिकर व उबाऊपन से रहित बना सकता है।

4. **अधिगम क्रिया (Learning Activities)** - इस उपागम में विषय विशेषज्ञ या शिक्षक शैक्षिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन कर सकते है। वे रचनात्मकता और मार्मिकता से परिपूर्ण अधिगम क्रियाओं को बढ़ावा दे सकते है। साथ-साथ उनके सफल आयोजन से अधिगम प्रक्रिया को बच्चों के अनुरूप और विस्तृत अनुभवों की शृंखला के रूप में रख सकते हैं। इस प्रकार की अधिगम क्रियाओं में समूह कार्य, क्रियात्मक प्रस्तुति, आंकड़ों का सामूहीकरण व प्रस्तुतीकरण, तथ्यों का स्पष्टीकरण व पहचान, वैयक्तिक कार्य, प्रतिरूपों का निर्माण, समूह परिचर्चा इत्यादि को शामिल किया जा सकता है।

5. **स्रोत (Resources)** - इस प्रकार के शिक्षण उपागम में शिक्षक को ज्ञान को नये स्वरूप में बच्चों के समक्ष रखना चाहिए। पुस्तक आधारित ज्ञान की वरीयता न देकर बच्चों को अन्य स्रोतों से ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को नये तथ्यों व धारणाओं से भी अवगत कराना इस समूह के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होना चाहिए। बच्चों में तत्परता का निर्माण करना व स्वस्थ, रोचक और छात्र हितैषी, सुरक्षित व भयमुक्त वातावरण शैक्षिक स्रोतों में शामिल करना चाहिए।

शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम

(Teacher Education Program)

बहुअनुशासनात्मक उपागम में विभिन्न अनुशासन (विषय क्षेत्र) एक समन्वित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास।

अतः शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षकों को विशेष बच्चों की विशेष आवश्यकताओं, व्यक्तिगत अन्तरों अधिगम सम्बन्धी परेशानियों व उपायों के बारे में विस्तार परिचित कराया जाना चाहिये। शिक्षक को बाल-विज्ञान का पूर्ण ज्ञान भी कराया जाए तथा शिक्षक प्रशिक्षण में विभिन्न प्रकार की शिक्षण प्रविधियों के रोचक प्रस्तुतीकरण से अवगत कराया जा सकता है। इस प्रकार से प्रशिक्षित अध्यापक अन्य क्षेत्रों से आये समूह सदस्यों के साथ बेहतर तालमेल बना पायेंगे व विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के पहलुओं पर समग्र प्रयास के साथ कार्य करने में सक्षम व निपुण बन पायेंगे।

शिक्षण-अधिगम को ध्यान में रखते हुए, हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रणाली या उपागम का प्रयोग बच्चों के अधिकतम अधिगम व सदस्यों की क्षमता में वृद्धि की सार्थक पहल या विचारधारा के साथ रहता है। बहुअनुशासनात्मक प्रणाली विशिष्ट बच्चों के शैक्षिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अधिक सार्थक भूमिका का निर्वहन कर सकती है। बशर्ते इसके सदस्यों में परस्पर सहयोग व स्वीकार्यता की धारणा का विकास समुचित रूप से किया जा सके। उपरोक्त तरह पर सब कुछ ठीक लगता है लेकिन व्यावहारिक स्तर पर किसी भी प्रणाली की स्वीकार्यता उसके प्रयास के बाद किये गये मूल्यांकन की प्रक्रिया से होती है। अतः व्यक्तिगत द्वन्द्व व विरोधाभासों को दूर करके बहुअनुशासनात्मक उपागम से सम्बन्धित-प्रत्येक बहुअनुशासनात्मक उपागम से सम्बन्धित प्रत्येक समूह सदस्य अपने ज्ञान व कौशलों का योगदान विशिष्ट आवश्यकता समूह से सम्बन्धित बच्चों के अधिगम व सामाजिक उत्थान में दे तो यह प्रणाली अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो सकती है।

Scanned with CamScanner

सकते है -

1. बच्चों के दृष्टिकोण और कार्य सम्बन्धी आदतों में सुधार हेतु विभिन्न क्षेत्रो के प्रशिक्षित शिक्षकों के कार्यक्रमों का आयोजन करा के बच्चों के दृष्टिकोणों व कार्यसम्बन्धी में आदतों में सुधार लाना,
2. विभिन्न क्षेत्रो के समूह विशेषज्ञों के मध्य समूह भावना का विकास करना।
3. अलग-अलग क्षेत्रो के विशेषज्ञ शिक्षक व व्यावसायिक मिलकर एक शक्तिशाली इकाई का निर्माण कर सकते है। इस प्रकार वे उचित परिणाम व उद्देश्यपूर्ण क्रिया का विकास होता है,
4. सदस्यों के अन्तःवैयक्तिक कौशलों में सुधार दृष्टिगोचर होता है।
5. सामूहिक प्रयास और संलग्नता के फलस्वरूप अधिक सटीक योजना का निर्माण व कार्यान्वयन सम्भव हो जाता है। जिसके फलस्वरूप बच्चे के शैक्षिक, सामाजिक और व्यावसायिक आवश्यकताओं की भली भाँति पहचान व सम्बन्धित कार्यक्रम का विकास किया जा सकता है।
6. व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम का नियोजन किया जा सकता है।
7. सामान्य शैक्षिक परिवेश में विकलांग बालकों की सहभागिता सुनिश्चित होती है।

बहुअनुशासनात्मक उपागम के परिप्रेक्ष्य में आवश्यकताऐं

(Requirements of Multidisciplinary Perspective)

किसी भी प्रणाली की सफलता सुनिश्चित करने हेतु एवं यथोचित कार्या-चयन हेतु विशेष प्रकार के प्रयासों का होना आवश्यक है। इसी क्रम में बहुअनुशासनात्मक उपागम की सफलता हेतु निम्न क्षेत्रों में आवश्यकताओं का अनुभव किया गया है -

1. **योजना (Planning)** - किसी भी कार्य की सफलता उत्तम योजना पर निर्भर करती है। बहुअनुशासनात्मक उपागम में एक अच्छी योजना का होना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि इस उपागम में शिक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में बिना किसी हस्तक्षेप के कार्य करते है एवं उनका दूसरे के साथ अधिक समन्वय भी नही रहता है। अतः शिक्षक परस्पर बैठकर एक कार्यकारी समूह योजना का निर्माण कर सकते है जिसके अन्तर्गत वे विषय सामग्री की उपयुक्तता और विषय सम्बन्धी अवरोधों व बच्चे की आवश्यकताओं पर पूर्व रूपरेखा तैयार कर सकते है। इस प्रकार का वातावरण विद्यालय को सम्पूर्णता एवं विद्यालय कार्य को अधिक अर्थपूर्ण और कार्यकारी रूप से सफल बना सकता है।

2. **समूह सहयोग (Team Co-operation)** - विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित व्यावसायिक (Professional) और शिक्षक परस्पर सहयोग व सार्वदृष्टिकोण रखते हुए शिक्षण-अधिगम सम्बन्धी उद्देश्यों का निर्माण, विषय से सम्बन्धित योग्यताऐं, समस्याओं के निराकरण, कार्य-सम्बन्धी व्यवहार, मानसिक उद्वेलन से जुड़े हुए प्रश्न इत्यादि का निर्माण कर सकते है। सभी समूह सदस्य परस्पर चर्चा व परिचर्चा के द्वारा शिक्षक तकनीकों में सुधार व आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी ला सकते है। इस प्रकार एक स्वस्थ सामाजिक वातावरण का निर्माण कर बहुअनुशासनात्मक उपागम को अधिक सफल बनाया जा सकता है।

3. **शिक्षक व्यूह रचनाऐं (Teaching Strategies)** - शिक्षक का सर्वाधिक रचनात्मक भाग शिक्षक व्यूहरचना है जो विशिष्ट बालकों में कौशलों का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। एक शिक्षक को बच्चों के ज्ञानात्मक स्तर, योग्यता, रुचि का भलीभांति ज्ञान रखना चाहिए जिससे वह नई-नई व्यूहरचनाओं का प्रयोग कर शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को अधिक रोचक व उदासीनता से रहित बना सकता है।

4. **अधिगम क्रिया (Learning Activities)** - इस उपागम में विषय विशेषज्ञ का शिक्षक शैक्षिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार का शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन कर सकते है जो रचनात्मकता और सार्थकता से परिपूर्ण अधिगम क्रियाओं को बढ़ावा दे सकते है। साथ-साथ उनके सफल आयोजन से अधिगम प्रक्रिया को बच्चों के अनुरूप और विस्तृत अनुभवों की शृंखला के रूप में रख सकते है। इस प्रकार की अधिगम क्रियाओं में समूह कार्य, विकासक प्रस्तुति, आँकड़ों का सामूहीकरण व प्रस्तुतीकरण, तथ्यों का स्पष्टीकरण व पहचान, वैयक्तिगत कार्य, प्रतिरूपों का निर्माण, समूह परिचर्चा इत्यादि को शामिल किया जा सकता है।

5. **स्त्रोत (Resources)** - इस प्रकार के शिक्षण उपागम में शिक्षक को ज्ञान को नये स्वरूप में बच्चों के समक्ष रखना चाहिए। पुस्तक आधारित ज्ञान को वरीयता न देकर बच्चों को अन्य स्त्रोतों से ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को नये तथ्यों व धारणाओं से भी अवगत कराना इस समूह के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होना चाहिए। बच्चों में जागरूकता का निर्माण करना व स्वस्थ, रोचक और छात्र हितैषी, सुरक्षित व भयमुक्त वातावरण शैक्षिक स्त्रोतों में शामिल करना चाहिए।

शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम

(Teacher Education Program)

बहुअनुशासनात्मक उपागम में विभिन्न अनुशासन (विषय क्षेत्र) एक समन्वित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास।

अतः शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षकों को विशेष बच्चों की विशेष आवश्यकताओं, व्यक्तिगत अन्तरों अधिगम सम्बन्धी परेशानियों व उपायों के बारे में सविस्तार परिचित कराया जाना चाहिये। शिक्षक को बाल-विज्ञान का पूर्ण ज्ञान भी कराया जाए तथा शिक्षक प्रशिक्षण में विभिन्न प्रकार की शिक्षण प्रविधियों के रोचक प्रस्तुतीकरण से अवगत कराया जा सकता है। इस प्रकार से प्रशिक्षित अध्यापक अन्य क्षेत्रों से आये समूह सदस्यों के साथ बेहतर तालमेल कर पायेंगे व विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के पहलुओं पर समग्र प्रयास के साथ कार्य करने में सक्षम व निपुण बन पायेंगे।

शिक्षण-अधिगम को ध्यान में रखते हुए, हम कह सकते है कि किसी भी प्रणाली या उपागम का प्रयोग बच्चों के अधिकतम अधिगम व सदस्यों की क्षमता में वृद्धि की सार्थक पहल या विचारधारा के साथ रहता है। बहुअनुशासनात्मक प्रणाली विशिष्ट बच्चों के शैक्षिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अधिक सार्थक भूमिका का निर्वहन कर सकती है। बशर्ते इसके सदस्यों में परस्पर सहयोग व स्वीकार्यता की धारणा का विकास समुचित रूप से किया जा सके। ऊपरी सतह पर सब कुछ ठीक लगता है लेकिन जमीनी स्तर पर किसी भी प्रणाली की स्वीकार्यता उसके प्रयास के बाद किये गये मूल्यांकन की प्रक्रिया से होती है। अतः व्यक्तिगत द्वन्द व विरोधाभासों को दूर करके बहुअनुशासनात्मक उपागम से सम्बन्धित-प्रत्येक बहुअनुशासनात्मक उपागम से सम्बन्धित प्रत्येक समूह सदस्य अपने ज्ञान व कौशलों का योगदान विशिष्ट आवश्यकता समूह से सम्बन्धित बच्चों के अधिगम व सामाजिक उत्थान में दे तो यह प्रणाली अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो सकती है।

Scanned with CamScanner

सामाजिक विकास (Social Development)

मानव को अपनी एक अपूर्व विशेषता के कारण अन्य वर्ग से भिन्न माना जाता है। वह विशेषता यह है कि वह एक सामाजिक प्राणी है। समाज उसके लिए जल, वायु तथा भोजन की तरह ही एक आवश्यक वस्तु है। वह समाज में रह कर जीना चाहता है और सामाजिक सम्बन्धों को बनाने तथा दूसरों के साथ समायोजन करने की चेष्टा करता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि मानव शिशु में इस प्रकार के सामाजिक गुण और व्यावहारिक विशेषताऐं जन्मजात होती है। वृद्धि और विकास के अन्य पहलुओं की तरह सामाजिक गुण और व्यावहारिक विशेषताऐं जन्मजात होती है। वृद्धि और विकास के अन्य पहलुओं की तरह सामाजिक गुण भी बच्चे में धीरे-धीरे पनपते है। इन गुणों के विकास की प्रक्रिया जो बच्चे के सामाजिक व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने का कार्य सम्पन्न करती है। सामाजिक विकास के नाम से जानी जाती है।

शिशु निरीह, असहाय, अवस्था मे जन्म लेता है जन्म के समय वह किसी को नही पहचानता, यहाँ तक कि वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों को भी नहीं पहचानता। किन्तु ऐसी स्थिति में वह बहुत दिनों तक नहीं रहता क्योंकि वह एक सामाजिक प्राणी है बिना दूसरे व्यक्ति की सहायता के उसका कार्य नहीं चल सकता उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है अतः सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण से अभिप्राय है - किसी व्यक्ति के वे क्षमताऐं एवं योग्यताऐं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण में स्वयं को समायोजित कर सके।

परिभाषाऐं

फ्रीमैन और शौक्ल (Freeman and Showel) के अनुसार, "संस्कृति व सामाजिक विकास सीखने की वह प्रक्रिया है जो समूह के स्तर पर परम्पराओं तथा रीति-रिवाजों के अनुकूल अपने आपको ढालने तथ एकता, अन्तः सम्प्रेषण तथा सहयोग की भावना पैदा करने में सहायक होती है।"

हरलॉक के अनुसार (Hurlock) - "सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास से अभिप्राय है - 'सामाजिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों में परिपक्वता प्राप्त करना।"

सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के तत्व कारक
(Factor Affecting of Social Cultural Environment)

व्यक्ति को अपने जन्म के समय से ही कुछ प्राप्त होता है वह उसकी वृद्धि और विकास के सभी आयामों को प्रभावित करता है इस प्रकार के वातावरण से जुड़ विभिन्न तत्व इस प्रकार हैं -

1. बालक की माँ-बाप तथा परिवार द्वारा की जाने वाले देखभाल।
2. माँ बाप तथा परिवार की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति।
3. पास-पड़ोस एवं मुहल्ले का वातावरण।
4. बालक की विद्यालय या उसके बाद मिलने वाली शिक्षा का स्तर तथा वातावरण।
5. बालक के विकास के लिए उपलब्ध सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण।
6. बालक तथा उसके परिवार को उसकी जाति, धर्म, प्रान्तीयता तथा नागरिकता के आधार पर समाज से मिलने वाला व्यवहार।

7. बालक को अपने विकास के लिए मिलने वाले विभिन्न शैक्षिक तथा व्यावसायिक अवसर एवं सुविधाऐं।
8. मनोरंजन तथा रुचियों के पोषण के लिए मिलने वाली सुविधाऐं।
9. उस समाज में स्थापित कानून तथा शासन का स्वरूप।
10. उस राष्ट्र तथा समाज का अपना सम्मान जिसमें बालक विकसित हो रहा है।

सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के अभिकरण
(Agencies of Socio-Cultural Development)

1. **परिवार का वातावरण (Family Environment)** - बच्चे के समाजीकरण में परिवार सब से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। घर का वातावरण और आपसी पारिवारिक सम्बन्ध बच्चे के सामाजिक विकास पर गहरा प्रभाव डालते है। बच्चा अपने माता-पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों से सामाजिकता के प्रारम्भिक पाठ पढ़ता है। जाने अनजाने वह उनके व्यवहार का अनुकरण करता है और इस तरह अच्छे या बुरे सामाजिक गुणों और आदतों को ग्रहण करता है जो उसके साथ कभी-कभी जीवन-पर्यन्त चलती रहती है। घर में बच्चों की संख्या, परिवार के आपसी सम्बन्ध, माता-पिता और परिवार के सदस्यों का बच्चे के प्रति किया जाने वाला व्यवहार, परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति, पारिवारिक मूल्य, परम्पराऐं और मान्यताऐं आदि सभी बातें बच्चे के विकास पर प्रभाव डालती है। यही बालक के विकास के सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष होते है।

2. **विद्यालय और उसका वातावरण (The School and its atmosphere)** - बच्चों के सामाजिक विकास विद्यालय किस प्रकार कार्य करता है और बच्चे को किस प्रकार का सामाजिक परिवेश वहाँ मिल पाता है, इस बात पर भी निर्भर करता है। विद्यालय में अध्यापकगण और विद्यार्थियों के पारस्परिक सम्बन्ध, उनके द्वारा संचालित क्रियाएं और विभिन्न कार्यक्रम, उनके आदर्श, सिद्धान्त तथा मान्यताऐं, अध्यापक और साथ में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का सामाजिक व्यवहार और गुण-दोष आदि सभी बाते बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। स्वस्थ सामाजिक और प्रजातान्त्रिक वातावरण से युक्त विद्यालय विद्यार्थियों में स्वस्थ एवं उपयोगी सामाजिक गुणों का विकास करता है जबकि अस्वस्थ एवं सामाजिक बुराईयों से ग्रस्त विद्यालय का वातावरण विद्यार्थियों को समाज का कोढ़ बना देता है। अतः शिक्षा भी सांस्कृतिक और सामाजिक विकास में प्रभावशाली अभिकरण है।

3. **वय समूह या मित्र मण्डली का प्रभाव (Influence of the Peer Group or Friend Circle)** - सामाजिकता विकसित करने के दृष्टिकोण से बच्चों के अपने वय-समूह या मित्र-मण्डली का भी बहुत महत्त्व है। संगति का असर पड़े बिना नहीं रहता। जैसे जिसके साथी होते है वह वैसा ही बन जाता है। वय-समूह या मित्र-मण्डली के जो आदर्श होते है और समूह के सदस्यों का जैसा व्यवहार है, वैसे ही गुण और आदर्श बच्चा अपनाने के लिए बाध्य हो जाता है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक गुण और अवगुणों को अर्जित करने में मित्र-मण्डली या वय-समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सहयोग, त्याग, सद्भावना, सहानुभूति, समूह भक्ति, सामूहिक हित का ध्यान रखने, नेतृत्व करने और किसी को नेता मानकर उसके पीछे चलने तथा कर्तव्य और अधिकार का पारस्परिक सम्बन्ध समझने आदि बहुमूल्य सामाजिक गुणों को विकसित करने में वय-समूह का

Scanned with CamScanner

टोली बहुत सहायता करती है।

4. **पास-पड़ोस और समुदाय (Neighbourhood and the Community)** – जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है वह घर के आंगन को लांघ कर पड़ोस और जिस समुदाय में वह पैदा हुआ है उसके सम्पर्क में आता है। पड़ोसियों की रुचियों, आदतों और गुण तथा अवगुणों का बच्चे के सामाजिक जीवन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक समुदाय और समाज में अपने रहन-सहन, खाने-पीने, बोलने-चालने और अन्य सांस्कृतिक और सामाजिक क्रियाकलापों को करने का एक विशेष ढंग होता है। जिसका प्रभाव सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास पर पड़ता है।

5. **धार्मिक संस्थायें और क्लब इत्यादि (Religious Institutions and Clubs etc.)** – विभिन्न धार्मिक संस्थाएं जैसे मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर और सामाजिक क्लब इत्यादि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं समाज के सदस्यों के इकट्ठे होकर विचार विनिमय करने, एक दूसरे के सम्पर्क में आने तथा पारस्परिक सम्बन्धों को बढ़ाने के दृष्टिकोण से इन स्थानों का बहुत महत्व है। इन धार्मिक और सामाजिक स्थानों में जिस तरह का वातावरण होता है और इन संस्थाओं के जो आदर्श, परम्पराएँ और मान्यताएँ होती हैं उनका व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहार को उचित और अनुचित दिशा प्रदान करने में बहुत हाथ रहता है। इस तरह धर्म की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है।

6. **सूचना और मनोरंजन प्रदान करने वाले साधन (Means of Information and Entertainment)** – समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं, पुस्तकों, रेडियो, सिनेमा, टैलीविजन आदि सूचना और मनोरंजन प्रदान करने वाले साधनों का बच्चे के सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से काफी महत्व है। ये सामाजिक-सांस्कृतिक पक्षों को प्रभावित करते हैं।

साथी प्रणाली (Buddy System)

साथी प्रणाली एक प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्ति 'साथी' एक-दूसरे की जाँच एवं सहायता के लिए साथ में एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। "साथी प्रणाली' (Buddy System) वाक्य का प्रयोग सबसे पहले मेरियम वेबस्टर (Merriam Webster) ने सन् 1942 में किया था। वेबस्टर ने साथी प्रणाली को एक व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया है जिसमें दो व्यक्तियों को एक जोड़े में रखा जाता है। साथी प्रणाली जोड़े के माध्यम से एक बड़े समूह या अकेले जोड़े में भी अपनाया जा सकता है। दोनों व्यक्तियों को निश्चित कार्य करने पड़ते हैं। ये कार्य सुरक्षित से हुआ है या नहीं एवं कौशल/अधिगम का हस्तान्तरण कुशलता से एक व्यक्ति से दूसरे तक हुआ है या नहीं।

साथी प्रणाली का शिक्षा में प्रयोग

शिक्षा के क्षेत्र में 'साथी प्रणाली' बड़ी एवं छोटी आयु के साथियों की कक्षाओं की निरन्तर सहभागिता से मित्रता एवं सहयोग की भावना को बढ़ावा देती है। यह एक सम्पूर्ण विद्यालय समुदाय की भावना का विकास करती है। साथी प्रणाली बड़ी एवं छोटी उम्र के विद्यार्थियों को एकजुट करके अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है।

कक्षा-कक्ष में साथी प्रणाली की भूमिका (Role of Buddy System in Classroom)

साथी प्रणाली कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। विद्यार्थी एक-दूसरे की

...यता करते हैं। जैसे कक्षा में कुछ ऐसे विद्यार्थी भी जिन्हें सुनने में बाधा होती है जिससे वे पूर्ण रूप से अध्यापक द्वारा कही गई बात या सूचना को पूर्ण रूप से सुनने में असमर्थ होते हैं, लेकिन साथी ...ली से एक श्रवण बाधित छात्र अपने साथी की सहायता से अध्यापक द्वारा कही गई सूचना आसानी ...रह या सुन सकता है। जिससे शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया सरल एवं प्रभावी बनती है। ...थी प्रणाली उन बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो बच्चे बोलने में असमर्थ होते हैं।

...थी प्रणाली में बच्चों को लाभ

...सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देना।
...नेतृत्व क्षमता का विकास करना।
...कक्षा-कक्ष का उचित रूप से प्रबन्धन करना।
...उचित परिणाम प्राप्त करने में सहायक।

...थी प्रणाली लागू करने के लिए कुछ नियम

1. एक शैक्षणिक उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्र का शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए अधिक से अधिक सहारे की जरूरत वाले छात्र के साथ जोड़ा बनाना।
2. किसी भी रूप से बाधित छात्र के साथ एक उचित छात्र का जोड़ा बनाना जो उसके अधिगम में सहायक हो।
3. सभी छात्रों को एक-दूसरे की सहायता करने के लिए प्रत्यक्ष निर्देशन देना।
4. छात्रों का जोड़ा इस प्रकार से बनाना जिसमें छात्र एक-दूसरे के अधिगम प्रक्रिया में पूरक की भूमिका निभायें। जैसे श्रवण बाधित छात्र की सहायता एक छात्र सुनने एवं समझने में कर सकता है तो श्रवण बाधित छात्र का भी उस छात्र की किसी अन्य पक्ष में सहायता करनी चाहिए।
5. साथी प्रणाली के प्रदर्शन एवं उपलब्धियों का आंकलन करते रहना। यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका समाधान ढूंढना।
6. साथी प्रणाली में भागीदारी छात्रों को अपनी भूमिका निभाने के लिए समय-समय पर अभिप्रेरित करना।
7. प्रत्येक वर्ष साथी प्रणाली में जोड़ों के सदस्यों को बदलते रहना जिससे ये बच्चे अधिक से अधिक मित्रता का माहौल उत्पन्न हो सके और अधिक से अधिक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बना सकें।

साथी प्रणाली के सामान्य लाभ

1. शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना।
2. छात्रों की अधिगम प्रक्रिया में अधिक-से-अधिक भागीदारी को बढ़ाना।
3. छात्रों में सहयोग की भावना का विकास करना।
4. छात्रों में सामाजिक भावना का विकास करना।
5. छात्रों में एक-दूसरे के आत्म-सम्मान की भावना का विकास करना।
6. छात्रों की किसी भी प्रकार की बाधिता का अधिगम पर प्रभाव को कम करना।

Scanned with CamScanner

7. विद्यालय में उचित विद्यालय संस्कृति का विकास करना।
8. छात्रों की हीनभावना को कम करने में सहायक।
9. छात्रों के नये-नये विचारों का समावेश करना।
10. छात्रों के आत्मविश्वास की क्षमता का विकास करना।

चिन्तनशील शिक्षण (Reflective Teaching)

चिन्तनशील शिक्षण एक संयुक्त उच्च गुणवत्ता वाली क्रिया है जिसके माध्यम से एक अध्यापक अपने अनुभवों के आधार पर ये निर्णय लेता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाया जाए। खुले विचारों वाले बच्चे एक-दूसरे के अनुभवों को साझा करते हैं और अधिगम प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाते हैं। उचित गुणवत्ता वाली शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया अध्यापकों की गुणवत्ता हमेशा अपनी प्रारम्भिक शिक्षा स्कूल से फिर व्यावसायिक, उच्च शिक्षा उच्च संस्थान में प्राप्त करते हैं और इस शिक्षा प्राप्त करने में विशेषज्ञ विशेष भूमिका निभाते हैं।

चिन्तनशील अभ्यास से विद्यार्थी अपने शिक्षण स्तर को विशेषज्ञों की उपस्थिति में पूरा करते हैं। क्योंकि शिक्षण, व्यावसायिक विकास और अधिगम कभी रुकना नहीं चाहिए बल्कि समय-समय पर इनमें आवश्यक सुधार होते रहने चाहिये।

चिन्तनशील शिक्षण विशेष रूप से अध्यापकों के लिए उपयुक्त है इसके माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता व शिक्षण प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता है। इसकी सहायता से अधिगमकर्ता अपनी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सुधार कर सकते हैं।

चिन्तनशील शिक्षण से अभिप्राय उस शिक्षण प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से कक्षा में शिक्षण, सीखना व अपने आप का आत्म मूल्यांकन करने से है।

सूचनाओं को एकत्रित करना, उनको कक्षा में साझा करना, विश्लेषण व मूल्यांकन करना। ये सभी चिन्तनशील शिक्षण प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं।

शिक्षण एक जटिल क्रिया है। अतः प्रभावशाली शिक्षण करने के लिए एक अध्यापक को चिन्तन करना पड़ता है। एक अच्छा अध्यापक शिक्षण पर चिन्तन के द्वारा अधिक से अधिक प्रभावशाली शिक्षण कर सकता है।

चिन्तनशील शिक्षण की विशेषताऐं

1. **अनुभवों पर आधारित** - चिन्तनशील शिक्षण प्रक्रिया में अपने जीवन में अनुभवों किये गये अधिगम का चिन्तन करके प्रभावशाली शिक्षण प्रक्रिया बनाने के लिए नई-नई तकनीकों की खोज करता है।
2. **शिक्षण सम्बन्धी विचार विमर्श करना** - चिन्तनशील शिक्षण में अध्यापक अपने विचारों एवं अनुभवों को खुलकर विचार-विमर्श करते हैं। जिससे वे उचित शिक्षण तकनीकें खोज सकें।
3. **नवीनीकरण पर आधारित** - चिन्तनशील शिक्षण का उद्देश्य शिक्षण की पुरानी अवधारणाओं में सुधार करके प्रभावशाली शिक्षण करना होता है।
4. **विभिन्न शिक्षण विधियों का विश्लेषण एवं आंकलन करना** - चिन्तनशील शिक्षण में अध्यापक विभिन्न शिक्षण सम्बन्धित सिद्धान्तों, विधियों एवं साहित्यों का अध्ययन करता रहता है। जिससे ...

शिक्षण में उनकी कुशलता का पता लग सके एवं एक प्रभावशाली शिक्षण कर सकें।

चिन्तनशील अध्यापक की विशेषताऐं

- ये अध्यापक हमेशा उचित एवं प्रभावशाली शिक्षण करने के उद्देश्य से शिक्षण प्रक्रिया पर चिन्तन एवं चर्चा करते रहते हैं।
- ये अध्यापक खुले विचारों वाले होते हैं जो किसी संकोच के बगैर अपने शिक्षण कार्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं।
- ये अध्यापक अपने शिक्षण सम्बन्धी कमियों को खुशी से स्वीकार करते हैं एवं उन कमियों को पूरा करते हैं।
- ये अध्यापक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए अधिक से अधिक उत्साही एवं उत्सुक होते हैं।
- ये अध्यापक हमेशा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए हमेशा एक छात्र की तरह शिक्षण से सम्बन्धित विभिन्न सिद्धान्तों एवं साहित्य को पढ़ते रहते हैं।

चिन्तनशील शिक्षण के अध्यापक के लिए महत्व

1. अधिगम अनुभव पर चिन्तन ज्ञान को बढ़ाता है।
2. इनकी चिन्तन कक्षा-कक्ष का विश्लेषण एवं समझने की योग्यता का विकास करती है।
3. चिन्तनशील अध्यापक आत्म-जागरूक होते हैं जो उनके व्यक्तिगत विकास में भी सहायक है।
4. चिन्तनशील अध्यापक विद्यालय संस्कृति के पुनर्रचना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
5. चिन्तनशील अध्यापक न केवल अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाते बल्कि छात्रों को भी अध्ययन के लिए उचित वातावरण प्रदान करते हैं।

चिन्तनशील शिक्षण के छात्रों के लिए महत्व

1. छात्रों को उनकी आवश्यकतानुसार एवं योग्यता अनुसार शिक्षण प्रदान किया जाता है जिससे उनके अधिगम प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
2. छात्रों की अधिगम-शिक्षण प्रक्रिया में अधिक-से-अधिक भागीदारी को बढ़ाना।
3. छात्रों को नई-नई सूचनाऐं एवं नई-नई तकनीकों के माध्यम से अधिगम कराना जोकि बदलते हुए वर्तमान समाज में महत्वपूर्ण है।
4. छात्र एवं अध्यापक में उचित सम्बन्ध स्थापित करना।

बहु संवेदी शिक्षण (Multisensory Teaching)

बहु-संवेदी शिक्षण तकनीकें अधिकतर विभिन्न रूप से अधिगम बाधित विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के National Institute of Child Health and Human Development के एक शोध अध्ययन से ज्ञात हुआ कि अधिगम बाधित विद्यार्थियों के लिए बहु संवेदन शिक्षण तकनीक बहुत उपयोगी है।

बहुसंवेदी शिक्षण तकनीक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सभी विद्यार्थियों को विभिन्न स्तरों पर संलिप्त करती है।

बहु संवेदन शिक्षण तकनीक से सामान्य लाभ -

Scanned with CamScanner

1. सूचनाऐं एकत्रित करना।
2. सूचनाऐं एवं विचारों का आपसी तालमेल बैठाना।
3. समस्या समाधान में तर्क बुद्धि की सहायता लेना।
4. अशाब्दिक तर्कशीलता को बाहर निकालना।

बहु संवेदन शिक्षण तकनीक का अर्थ है कि छात्रों को अधिक से अधिक संवेदों की सहायता से शिक्षा दी जाये। प्रायः अधिकतर शिक्षण तकनीक बोलकर या दिखाकर पूरी की जाती हैं। बच्चे अपनी दृष्टि के माध्यम से तस्वीर, एवं श्यामपट्ट पर लिखित सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। और सुनने की संवेदन क्षमता सै हमे यह ज्ञात होता है कि अध्यापक ने कक्षा-कक्ष में क्या कहा है? छात्र-अध्यापक द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में छात्रों की अधिगम बाधिता प्रभावित करती है। जिससे कक्षा शिक्षण-अधिगम भी प्रभावित होता है। इन सभी अधिगम बाधित समस्याओं का समाधान के लिए अध्यापकों को अधिक से अधिक संवेदन शिक्षण तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। जैसे - छूकर, सूँघ से, सुनकर, देखकर इत्यादि।

यह तकनीक शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के साथ-साथ बच्चों के बौद्धिक विकास में भी सहायक है।

Scanned with CamScanner

9 समावेशी व्यवस्था के लिए सहायक सेवाऐं एवं शिक्षण सहभागिता [Support Services and Teaching Partnership in Inclusive Setup]

घर अथवा परिवार शिक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण एवं अत्यन्त प्राचीन सक्रिय साधन है। बच्चे की शिक्षा में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बच्चा परिवार से ही सामाजीकरण सीखता है। परिवार के सम्बन्ध में बर्गेस और लॉक ने अपना विचार इस प्रकार प्रस्तुत किया "परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है, जो विवाह, रक्त या अपनाये गये रिस्तों में बंधकर एक घर का निर्माण करते हैं। पति-पत्नी, माता-पिता, लड़का-लड़की, भाई-बहिन आदि से सम्बन्धित सामाजिक भूमिका द्वारा उनमें परस्पर सम्बन्ध स्थापित होता है और इस प्रकार वे सामान्य संस्कृति का निर्माण एवं व्यवस्था करते हैं।" क्लेयर ने भी कुछ संक्षेप में अपने विचार इस प्रकार दिये हैं "परिवार से हमारा तात्पर्य उस सम्बन्ध से है जो माता-पिता और बच्चों में विद्यमान रहता है।"

समुदाय : शिक्षा के साधन के रूप में समुदाय को महत्वूपर्ण भूमिका निभानी होती है। बालक को समुदाय में बढ़ना, विकसित होना और रहना होता है। उसे अपने समुदाय की उपलब्धियों को संचित रखने और उनको उपयोग में लाने की शिक्षा को विकसित व प्रोत्साहित करता है। प्रत्येक समुदाय अपने सदस्यों, विशेष रूप से बच्चों, किशोरों और वयस्कों को उद्देश्यपूर्ण और प्रभावपूर्ण शिक्षा प्रदान करके अपनी प्रगति व विकास नियोजित करने का प्रयास करता है। समुदाय अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुसार शिक्षा को ढालने का प्रयास करता है। 'समुदाय' दो शब्दों से मिलकर बना है 'कॉम' ('Com') और 'म्यूनिस' ('Munis')। 'कॉम' का अर्थ है 'एक साथ' और 'म्युनिस' का अर्थ है 'सेवा करना' अर्थात् समुदाय का अर्थ है "एक साथ मिलकर सेवा करना" समुदाय के सम्बन्ध में ऑटवे ने अपने विचार इस प्रकार स्पष्ट किये- "समुदाय विशेष क्षेत्र

Scanned with CamScanner

जागरूक नहीं होते हैं। समाज एक प्रकार का समुदाय है जिसके सदस्य अपनी जीवन पद्धति के प्रति सामाजिक रूप से जागरूक हैं और उद्देश्यों और मूल्यों की एक साझी श्रृंखला से जुड़े हुए हैं।"

डेविस :- "समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके अन्तर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पक्ष आ सकते हैं।"

कुक एवं कुक :- "समुदाय भौगोलिक क्षेत्र में जीवन का संगठित ढंग है। यह अधिक व्यापक लोगों का समूह है जो एक परिसीमित क्षेत्र में रहते हैं, जिनकी साझी ऐतिहासिक परम्परा होती है। आधारभूत संस्थानों की एक श्रृंखला होती है, जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। स्थानीय जनता के प्रति जागरूक होते हैं और सार्वजनिक हित वाली समस्याओं का समाधान करने में समर्थ होते हैं।"

बालक पर समुदाय का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उसके शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक व राजनैतिक विचारों में समुदाय का प्रभाव दिखाई देता है।

समावेशी शिक्षा एवं परिवार

समावेशी शिक्षा प्रदान करने में परिवार की भूमिका व उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा सत्य व यथार्थ है कि बालक की प्रारम्भ की शिक्षा का उत्तरदायित्व पहले परिवार को ही निभाना होता है। ज्ञान के संचित कोष में वृद्धि होने से और पारिवारिक परिस्थितियों के बदलने से विद्यालयों की आवश्यकता पड़ी और परिवार ने बालकों की शिक्षा का कार्य स्कूलों को सौंप दिया। परन्तु विकलांग बालकों की शिक्षा की जिम्मेदारी परिवार की ही थी। परन्तु आज भी प्रारम्भिक शिक्षा के लिए सामान्य बालकों और विकलांग बालकों की देखभाल, भोजन, वस्त्र पहनना, व्यवहार का अनुकरण करना आदि परिवार पर ही निर्भर करता है। बालक के सामाजिक गुणों के विकास के लिए परिवार अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसी आधार पर **"परिवार को सामाजिक गुणों का पालना कहा जाता है।"** रूसो ने तो माता-पिता को बालक का सर्वोत्तम शिक्षक बताया है, पेस्टोलॉजी ने घर को शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम स्कूल बताया है। शिक्षाशास्त्री फ्रोबेल के अनुसार माँ बालक की आदर्श शिक्षिका है और परिवार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा अत्यन्त प्रभावशाली है। महात्मा गाँधी जी ने भी छोटे बालकों के लिए माता-पिता को सर्वश्रेष्ठ समझा है।

इसी तथ्य का समर्थन करते हुए हैडरसन तथा मैप ने कहा है कि "जब परिवार अपने बालकों की शिक्षा में आवेष्ठित होते हैं तो विद्यार्थियों की उपलब्धि बढ़ती है, वे विद्यालय में अधिक टिकते हैं तथा पूर्णरूप से स्कूल में भागीदारी रखते हैं।"

बालकों की शिक्षा के प्रति परिवार निम्न भूमिका निभाता है।

- बच्चों के शारीरिक विकास में -
- बच्चों के बौद्धिक विकास में-
- बच्चों के नैतिक विकास में-
- बच्चों के सामाजिक विकास में-
- बच्चों के संवेगात्मक विकास में-
- बच्चों में व्यावसायिक रुचि उत्पन्न करने में-
- अनौपचारिक शिक्षा में सहयोग के लिए-
- भाषा के ज्ञान एवं विकास करने में-

परिवार का महत्वपूर्ण योगदान है।

जहाँ तक समावेशी शिक्षा में परिवार की भूमिका का प्रश्न है तो विकलांग बालक को उनकी क्षमता व आयु के अनुसार शिक्षा प्रदान की जा रही है या नहीं, उनके द्वारा विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं। इन बालकों में कौशलों का विकास हो रहा है या नहीं, आदि माता-पिता जानना चाहते हैं। वास्तव में माता-पिता बालकों के खुशहाल जीवन एवं सफलता के संरक्षक होते हैं। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के सन्दर्भ में अध्यापकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी अवस्था में माता-पिता का सहयोग प्राप्त होना आवश्यक हो जाता है। इन बच्चों को माता-पिता की ओर से सहयोग, प्रेरणा, पुनर्बलन की सदैव अपेक्षा रहती है। माता-पिता एवं अध्यापक को उनके कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि विकलांग बालक की क्षमताओं का विकास हो सके। विद्यालय द्वारा बालक की शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों को सुविधाजनक ढंग से चलाने के लिए परिवार को निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखना आवश्यक होगा।

- बालक की विकलांगता की शीघ्र पहचान की जाय।
- विकलांगता की पहचान के आधार पर चिकित्सक, मनोचिकित्सक की सहायता लेना।
- माता-पिता का समावेशी कार्यक्रम से परिचित होना।
- शिक्षा प्रदान करने में बालक की सहायता करना।
- ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए विद्यालय व अध्यापकों को सहयोग प्रदान करना।
- विकलांग बालक की शिक्षा व अन्य सुविधाओं की पूर्ति करना।
- ऐसे बालकों के संवेगात्मक विकास के लिए प्रोत्साहन व स्नेहपूर्ण वातावरण प्रदान करना।
- ऐसे बालकों की रुचियों का पता लगाना और उनके अनुसार व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना।
- विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम व रोजगार चयन में सहायता प्रदान करना।
- इन बच्चों की कमियों को स्वीकार करें।
- ऐसे बच्चों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना।
- इन बच्चों के गुण, कमियों व आवश्यकताओं का ज्ञान रखना।
- दैनिक दिनचर्या में माता-पिता कुछ समय दें।
- बच्चों की क्षमता एवं योग्यता के अनुसार उनसे अपेक्षा रखना।
- कक्षा शिक्षक, संबल शिक्षक व मनोचिकित्सक से सम्पर्क बनाये रखना।
- बालक में सकारात्मक चिन्तन, अधिगम की चुनौतियों को स्वीकार करने तथा अभिवृत्ति में विकास करना।

Scanned with CamScanner

- बालक के विकास तथा अधिगम कार्यों में कौशल प्राप्ति के लिए शिक्षकों को सहयोग देना।
- बालकों की शैक्षिक उपलब्धियों में रुचि रखना।
- ऐसे बालकों की शैक्षिक उपलब्धियों के लिए प्रशंसा, पुनर्बलन देना।
- स्व अनुशासन का विकास करना।
- भविष्य में बालक के विकास के लिए संसाधन जुटाने, जीवनोपयोगी मूल्यों के विकास करने में सहयोग प्रदान करना।
- माता-पिता को चाहिए कि वे इनकी तुलना दूसरों से न करें।
- बालकों में स्व प्रतिष्ठा के सम्प्रत्यय का सृजन करने में सहायता करना।
- बालकों के लिए नकारात्मक टिप्पणी न करें।
- व्यक्तिगत शैक्षिक योजना जैसे कार्यक्रमों में सहयोग दें।
- इनसे सम्बन्धित सभा, बैठकों में भाग लें।

समावेशी शिक्षा में परिवार के योगदान से लाभ

शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में परिवार का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्रायः देखा जाता है कि जिन परिवार में माता-पिता सजग रहते हैं उनके बच्चों में भी सजगता रहती है। माता-पिता का कर्तव्य होता है कि वे बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें। यदि परिवार विकलांग बालकों को [illegible] प्रोत्साहित करें व उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें तथा उनका सहयोग करें तो ऐसे बच्चे [illegible] जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे। आधुनिक समावेशी शिक्षा की संकल्पना एवं उनमें [illegible] नई नीतियों को अपनाने एवं वर्तमान कानून में संशोधन के लिए माता, पिता, अभिभावक [illegible] की विशेष आवश्यकता होती है। समावेशी शिक्षा में परिवार के योगदान से निम्नलिखित लाभ प्राप्त हैं -

1. **सकारात्मक दृष्टिकोण :-** विभिन्न प्रकार के विकलांग बालकों को परिवार, विद्यालय में समायोजन करने में असुविधा होती है। ऐसे बच्चों के लिए परिवार का स्वस्थ वातावरण होना आवश्यक है। ऐसे बच्चों को छोटे छोटे कार्यों पर उन्हें प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। इन बच्चों के [illegible] में ही यह सब सिखाया जाना चाहिए जिससे कि वे अपने को पृथक न समझें और आत्मविश्वास के साथ जीवन व्यतीत करें। परिवार के द्वारा ही बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और उनकी अलग-अलग समस्याओं का समाधान होता है। यदि बच्चे की शैक्षिक व दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है व समस्याओं का समाधान हो रहा है तो स्वाभाविक है कि बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ेगा, इस प्रकार के वातावरण से सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है।
2. **समाज विरोधी व्यवहार में कमी :-** विकलांग बालकों पर माता-पिता की सहभागिता रहती है उनके दैनिक क्रियाओं में माता-पिता सहयोग व संलग्न रहते हैं। परिवार की सहभागिता व [illegible] के कारण बच्चों में वांछित मूल्यों व सामाजिक गुणों का विकास होता है। तथा समाज विरोधी व्यवहार में न्यूनता होती है। इसलिए माता-पिता को चाहिए कि वह इन बच्चों की दिनचर्या में कुछ समय अवश्य दें, जिससे इन बच्चों में सकारात्मक दृष्टिकोण आये।
3. **अधिगम एवं अध्ययन :-** माता-पिता के सहयोग से इस प्रकार के बालक जल्दी सीख जाते हैं व इनकी अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ती है। यदि माता-पिता अध्ययन में रुचि रखते हैं तो इसका लाभ बच्चे को अवश्य ही मिलता है।

4. **विद्यालय उपस्थिति :-** परिवार व माता-पिता के सहयोग से छात्र की उपस्थिति पर प्रभाव पड़ता है। बालक के कार्यों में माता-पिता की रुचि लेना, स्कूल में उनकी केवल उपस्थिति के रूप में प्रदर्शित होती है।
5. **पुनर्बलन :-** विकलांग बालकों को सहयोग देने व उन्हें प्रोत्साहित करने में परिवार व माता-पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सहयोग देने तथा प्रोत्साहित करने वाले माता-पिता बालकों के लिए पुनर्बलन एक मजबूत स्रोत सिद्ध होता है।

परिवार की सहभागिता कैसे बढ़ाई जाये?

समावेशी शिक्षा प्रदान करने में माता-पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। परिवार बालकों की शिक्षा में अनेक प्रकार से सहायता करते हैं तथा उनका सहयोगात्मक [illegible] महत्वपूर्ण होता है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा एक अत्यन्त कठिन कार्य है। यह कार्य विद्यालय व माता-पिता के सहयोग के बिना नहीं किया जा सकता है। इसमें परिवार की संलग्नता व समन्वय अति महत्वपूर्ण होते हैं। परिवार की संलग्नता व सहयोग में वृद्धि करने के कुछ बिन्दु इस प्रकार हैं :-

- माता-पिता को बालक सम्बन्धी सूचनाओं से अवगत कराया जाये।
- अभिभावकों, माता-पिता के लिए बैठक, सम्मेलनों का आयोजन किया जाये।
- बालक की उपलब्धियों की सूचना माता-पिता को दी जाये।
- बालक की समस्याओं के सम्बन्ध में माता-पिता से जानकारी ली जाये।
- बालक की रुचि एवं अभिरुचि की जानकारी माता-पिता को दी जाये।
- बालक के लिए मनोचिकित्सक, [illegible] द्वारा निर्देशन सेवाओं की सूचना दी जाये।
- विद्यालय में माता-पिता के विचारों को महत्व दिया जाये।
- व्यक्तिगत रूप से अभिभावक/माता-पिता से सम्पर्क बनाकर बच्चे की जानकारी लेना।
- माता-पिता की संवेदनाओं के प्रति संवेदनशील रहना।
- बालक के लिए प्रतिवर्ष शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित करना व माता-पिता की सलाह लेना।
- समय-समय पर बालक की उपलब्धि व व्यवहार सुधार सम्बन्धी सूचनाएँ माता-पिता को देना।
- माता-पिता को विद्यालय के लिए समुदाय एवं समाज द्वारा की गई क्रियाओं को सीखने एवं समझने के लिए प्रोत्साहित करना।

इस प्रकार स्पष्ट है कि परिवार बालक के जीवन की प्रथम पाठशाला होती है और माता-पिता ही उसके प्रथम शिक्षक होते हैं। बालक के जीवन निर्माण एवं उसकी शिक्षा में माता-पिता की भूमिका अद्वितीय है। बालक की सीखने की प्रक्रिया व समाजीकरण की प्रक्रिया परिवार से ही प्रारम्भ होती है। जहाँ तक असमर्थी व बाधित बालकों की शिक्षा का प्रश्न है तो परिवार की भूमिका व महत्व और अधिक हो जाता है। माता-पिता का यह उत्तरदायित्व बन जाता है कि वे इन बालकों को स्वीकार करें व इनके लिए घर में स्वस्थ वातावरण उत्पन्न करें, इन बच्चों की शैक्षिक व अन्य आवश्यकताओं का ध्यान रखें यदि इन बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो व माता-पिता शैक्षिक कार्यक्रमों में सहयोग दें तो समावेशी शिक्षा प्रदान करने में आसानी होगी व इन बच्चों की क्षमता का विकास होगा, जिससे [illegible]

Scanned with CamScanner

वे आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन सुख से व्यतीत कर सकेंगे।

समावेशी शिक्षा तथा समुदाय

बालक की शिक्षा में परिवार के पश्चात समुदाय भी एक विशिष्ट योगदान देता है। समुदाय शिक्षा प्रदान करने का अनौपचारिक व सक्रिय साधन है। समुदाय ने नई पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए कई साधनों का विकास किया है। लेकिन फिर भी इसे स्वयं शिक्षा देने का उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है। इस प्रकार समुदाय प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनो ढंग से शिक्षा प्रदान करता है। समुदाय का अर्थ पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है। इसमें बिन्दु शामिल किये जाते हैं।

- समान भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति।
- एक स्थान पर इकट्ठे रहने वाले व्यक्ति।
- एक सामाजिक संरचना के सहभागी व्यक्ति।
- समान संस्कृति रखने वाले व्यक्ति को समुदाय की संज्ञा दी जा सकती है।

विद्यालय की समुदाय पर निर्भरता

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना मनुष्य के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। विद्यालय की भांति बालक की दिनचर्या में परिवार एवं समाज में अपना समय व्यतीत करता है। बालक अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, बड़ो का सम्मान, अनुकरण आदि समाज से ही सीखता है। समाज से ही बालकों में सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, अध्यात्मिक मूल्यों का विकास होता है। शिक्षा के वास्तविक उद्देश्यों को पूरा करने में समाज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। समुदाय अपने विभिन्न संसाधनों द्वारा विद्यालयों में समावेशी शिक्षा प्रदान करने हेतु स्वस्थ वातावरण का निर्माण करता है। समावेशी शिक्षा के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विद्यालय को समुदाय से निम्नलिखित आवश्यकता रहती है।

- शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- समुदाय की समावेशी शिक्षा के लिए सहायता देने की तत्परता।
- विद्यालय के कार्यक्रमों की प्रतिपुष्टि देना।
- समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की व्यवस्था करना।
- समावेशी शिक्षा हेतु समाज सेवी संस्थाओ द्वारा कार्यक्रम।
- विकलांग बालकों की पहचान।
- विकलांग बालकों की चिकित्सा हेतु चिकित्सा शिविर का आयोजन।
- विकलांग बालकों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण व रोजगार की व्यवस्था।
- समावेशी शिक्षा में चल रही शैक्षिक क्रियाओं में योगदान।
- अनौपचारिक साधनों की व्यवस्था करना।

इस प्रकार उपरोक्त क्रियाओं द्वारा समुदाय विद्यालय का सहयोग प्रदान कर सकता है।

समुदाय की विद्यालय पर निर्भरता

जिस प्रकार विद्यालय समुदाय पर निर्भर रहता है उसी प्रकार समुदाय भी विद्यालय पर निर्भर रहता है। विद्यालय की स्थापना समुदाय ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए की है। लेकिन यदि समुदाय ने विद्यालय का निर्माण किया है तो विद्यालय ने भी समुदाय के लिए कार्य किया है। दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है, ये दोनों एक दूसरे के निर्माण में सहायता देते है। विद्यालय में समुदाय का आदर्श जीवन प्रतिबिम्बित होता है और समुदाय विद्यार्थियों के लिए ऐसी प्रयोगशाला है जहाँ वह विद्यालय में सीखे हुए ज्ञान एवं कौशलों का प्रयोग करता है।

जॉन डीवी ने विद्यालय व समुदाय के सम्बन्ध में स्पष्ट किया कि

"अच्छे व बुद्धिमान माता-पिता जो अपने बालकों के लिए चाहते है, वही समुदाय भी सभी बालकों के लिए चाहता है।"

स्पष्ट है कि समुदाय भी विद्यालय पर निर्भर रहता है। समुदाय को विद्यालयों से निम्नलिखित अपेक्षा रहती है :-

- बालक की शिक्षा तथा विभिन्न शैक्षिक योजनाएं।
- बालक की शैक्षिक प्रगति।
- विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या।
- शिक्षा प्रदान करने में माता-पिता का सहयोग व भूमिका।
- समुदाय की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण।
- समुदाय की आवश्यकताओं एवं माँगो की पूर्ति।
- समुदाय के भावी स्वरूप का निर्माण।
- समुदाय की व्यावसायिक व औद्योगिक प्रगति।

इस प्रकार विद्यालय एवं समुदाय के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध है। ये दोनो अपनी-अपनी उन्नति एवं स्थायित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। समाज स्वयं को जीवित रखने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करता है, जिनके द्वारा समाज के विचारों, मान्यताओं, आदर्शों, क्रिया-कलापों, मानदण्डों और परम्पराओं को आने वाली पीढ़ी तक ले जाता है। विद्यालय का समुदाय के जीवन एवं उसकी प्रगति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। विद्यालय अपने विचारों एवं कार्यों द्वारा समुदाय का पथ प्रदर्शन करके उसे प्रगति की ओर ले जाता है इस प्रकार दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं। विद्यालय व समुदाय की निर्भरता के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने स्पष्ट किया कि "निःसन्देह विद्यालय समुदाय नहीं है; लेकिन एक बड़े-समुदाय में एक छोटा समुदाय है, तथा इसकी सफलता एवं स्थायित्व इसके तथा बाहर के बड़े समुदाय में स्वस्थ प्रभावों की पारस्परिक अन्तःक्रिया पर निर्भर करता है। यह एक दो पक्षीय प्रक्रिया है जिसमें घर तथा सामुदायिक जीवन की कठिनाईयों तथा जीवन के वास्तविक अनुभवों को विद्यालय में लाया जावे, ताकि शिक्षा को उन पर आधारित करके उन्हें वास्तविक जीवन से जोड़ा जा सके। दूसरी ओर विद्यालय से प्राप्त ज्ञान, कौशलों, अभिवृत्तियों तथा मूल्यों का प्रयोग घर सम्बन्धी समस्याओं का हल ढूंढने में किया जाय तथा इस प्रकार विद्यालय के स्तर में वृद्धि करने के लिए शिक्षकों, माता-पिता तथा बालकों को एक सुसम्बन्धित, संगठित, पारस्परिक सहायता करने वाले समूह के रूप में जोड़ा जाये।"

इस प्रकार समावेशी शिक्षा हो या सामान्य शिक्षा। शिक्षा प्रदान करने में समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका

Scanned with CamScanner

होती है ये दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर रहते है तथा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने मे सहायक होते है। हुमायूं कबीर ने लिखा है "विद्यालय समुदाय के जीवन का प्रतिबिम्ब है और उसे ऐसा होना भी चाहिए। अतः भारत मे सार्वजनिक विद्यालयों को भारतीय जीवन के ढाँचे के अधिक निकट लाया जाना चाहिए।"

सामान्य अध्यापक, विशिष्ट अध्यापक एवं स्रोत अध्यापक का समावेशी शिक्षा मे क्या योगदान

(Roles of General Teacher, Trained Teacher and Resource Teacher in inclusive education)

सामान्यतः शिक्षा प्रदान करने मे अध्यापक की भूमिका सर्वोपरि होती है चाहे वह सामान्य कक्षा हो या विशिष्ट कक्षा। अध्यापक अपनी योग्यता व विवेक के अनुसार कक्षा व्यवस्था को सन्तुलित बनाये रखता है। जहां तक विशिष्ट कक्षा या समावेशी कक्षा का प्रश्न है तो विशिष्ट बालक समाज से पूर्णतः भिन्न होते है। अतः उनकी शिक्षा व शिक्षा पद्धति भी पूर्णतः भिन्न होती है। अतः विद्यालयों मे शिक्षकों की व्यवस्था भी इसी विशिष्टता के आधार पर की जाती है। विशिष्ट शिक्षा का विकास अध्यापकों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है विशिष्ट कक्षा के अध्यापकों के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय मे जब समावेशी शिक्षा का प्रत्यय सामने आ रहा है तो आवश्यकता है कि अध्यापकों को भी उसी के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाये स्वतन्त्रता के पश्चात व पूर्व मे शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न आयोगों व समितियों ने भी अध्यापक शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए सुझाव प्रस्तुत किये। वर्तमान मे अनेकों ऐसी संस्थाऐं खोली गई है परन्तु विद्यालयों मे प्रभावशाली शिक्षकों की नियुक्ति नही हो रही है। आज भी शिक्षक पुरानी व परम्परागत विधियों से शिक्षण करते हैं। उन्हें नवीन शिक्षण आयामों के प्रति उनकी रुचि नही है। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षकों को नई विधियों की जानकारी प्रदान की जाय।

विशिष्ट शिक्षा के अध्यापक प्रशिक्षण के उद्देश्य

विशिष्ट शिक्षा के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य इस प्रकार है।

1. शिक्षकों को विशेष शिक्षा की आवश्यकताओं के बारे में पूर्ण रूप से अवगत कराना।
2. विशिष्ट बालकों की पहँचान कर उन्हें सहायता प्रदान करना तथा उनकी आयु के अनुसार शिक्षा प्रदान करना।
3. विशिष्ट बालकों की शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पहँचानकर उन्हे प्रकृति के अनुसार शिक्षा दी जाय।
4. विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुकूल सीखने-सिखाने की व्यवस्था करना।
5. विशिष्ट बालकों के अभिभावकों को बालक से सम्बन्धित उत्सुकता का बोध कराके उनको संतुष्ट करना।
6. शिक्षकों मे निरीक्षण, व्यावहारिक कौशलों का विकास करना।
7. विशेष शिक्षा के पाठ्यक्रम बनाने के लिए सिद्धान्तों के बारे में जानकारी देना।
8. विशेष बालकों की शिक्षा के लिए विभिन्न कौशलों एवं तकनीक की जानकारी देना।

9. विशेष कक्षाओं की आवश्यकताओं से पूर्ण रूप से अवगत कराना।
10. शिक्षकों में व्यावहारिकता और निरीक्षण कौशलों का विकास करना जिससे वे विशिष्ट बालकों की पहँचान कर सकें।
11. विशिष्ट बालकों की शैक्षिक आवश्यकताऐं एवं समस्याओं को समझना व उनके अनुसार शिक्षण व्यवस्था करना।
12. विद्यालय में उपलब्ध सेवाओं का शिक्षण में सदुपयोग करना।
13. छात्रों को कक्षा के अनुकूल बनाने में मदद करना।

उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि विशिष्ट अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य विशिष्ट बालकों की पहँचान कर उन्हें उनकी आवश्यकतानुसार शिक्षण कौशलों का विकास करना अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य है। इन उद्देश्यों से स्पष्ट होता है कि समावेशी शिक्षा के लिए ऐसे अध्यापक तैयार किये जाय जो कि इन बच्चों की समस्याओं को समझे और उनके अनुरूप शिक्षण कौशलों का विकास करें। जिससे कि वे बच्चे लाभान्वित हो सकें।

अध्यापकों के प्रकार

शिक्षा जीवन का मूल आधार है। इसलिए एक अध्यापक मानव जीवन मे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अध्यापक ही बच्चों का चरित्र निर्माण करता है। व्यवहार को पूर्णता की ओर ले जाता है। व सर्वांगीण विकास मे भी सहयोग देता है। समावेशी शिक्षा मे अध्यापक तीन प्रकार के होते है -

1. सामान्य अध्यापक (General Teacher)।
2. विशिष्ट अध्यापक (Trained Teacher)।
3. स्रोत अध्यापक (Resource Teacher)।

1. सामान्य अध्यापक (General Teacher)

अर्थ (Meaning) : सामान्य अध्यापक का अर्थ है - साधारण अध्यापक। अर्थात् ऐसा अध्यापक जो शिक्षित है किन्तु प्रशिक्षित नही। सामान्य अध्यापक को मनोविज्ञान व विषय विशेष का ज्ञान होता है। सामान्य अध्यापक मे अध्ययन के अतिरिक्त सामाजिक व व्यवहारिकता का गुण होना चाहिए।

सामान्य अध्यापक प्रशिक्षित व स्रोत अध्यापक के सहयोग से समावेशन की सफलता का कार्य पूर्ण करता है।

परिभाषाएं (Definitions)

डॉ. एस. राधाकृष्णन के अनुसार, "अध्यापक का समाज मे बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक संस्कृतियों और तकनीकी कौशलों को पहुँचाने मे मुख्य भूमिका अदा करता है और सभ्यता के दीपक को जलाए रखने मे मदद करता है।"

सामान्य अध्यापक की भूमिका (Role of General Teacher)

समावेशी कक्षा मे सामान्य अध्यापक की बहुत अहम भूमिका होती है। कुछ मुख्य तथ्य निम्नलिखित है जो समावेशन मे सामान्य अध्यापक की भूमिका को दर्शाते है।

Scanned with CamScanner

1. **बालक के समस्या क्षेत्र को पहचाने (Identify the Area of Problem)** – समावेशी कक्षा में कुछ ऐसे भी छात्र होते है जिनमें कोई विकलांगता है। सामान्य अध्यापक का सर्वप्रथम कार्य यही होता है कि वो ऐसे बच्चों की समस्या व उसके क्षेत्र को पहचाने।
2. **समस्या का समाधान करना (Solve the Problem)** – जब अध्यापक विशिष्ट बच्चे की समस्या को पहचान लेता है तो उसके बाद वह समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाता है।
3. **बालक के बहुमुखी विकास पर ध्यान देना (Pay Attention towards the Whole Development)** – बालक को शिक्षा प्रदान करने का अर्थ केवल शिक्षा अर्थात् ज्ञान प्रदान करना नहीं होता बल्कि बालक का सर्वांगीण विकास करना भी होता है। इसलिए अध्यापक सभी बच्चों के बहुमुखी विकास पर समान रूप से ध्यान देते हैं।
4. **सभी छात्रों को समान समझना (Feeling of Equality for All Students)** – बच्चे में विशिष्टता होने पर वह स्वयं को औरों से अलग व कम योग्य समझने लगता है। ऐसे में यदि अध्यापक सभी छात्रों से समानता का भाव रखता है तो बालक का मानसिक तनाव धीरे-धीरे कम होने लगता है।
5. **उपलब्धि पर प्रोत्साहन (Motivation on Achievement)** – जब विशिष्ट बच्चों को कोई छोटी-बड़ी उपलब्धि प्राप्त होती है तो अध्यापक उन्हें प्रोत्साहित करता है जिससे बच्चे और अधिक क्षमता के साथ अधिगम प्रक्रिया में लग जाते है।
6. **अभिभावकों से सम्पर्क (Contact with Parents)** – सामान्य अध्यापक विशिष्ट बालकों के अभिभावकों के सम्पर्क में रहते हैं ताकि उनकी समय-समय की गतिविधियों को ध्यान में रखा जा सके और आवश्यकतानुसार कदम उठा सकें।
7. **शैक्षिक अधिगम को सरल व स्थायी बनाना (Make Educational Learning More Easy)** – सामान्य अध्यापक द्वारा विशिष्ट बालकों के लिए ऐसी शिक्षण विधियाँ व सामग्री प्रयोग की जाती है जिनके द्वारा बच्चों के लिए अधिगम अत्यंत सरल व स्थाई हो जाता है।
8. **सचित्र पुस्तकें (Books with Pictures)** – सामान्य अध्यापक चित्रों वाली पुस्तकों से पढ़ाते है। चित्र रोचक होने के कारण छात्र ध्यान से उन्हें देखते हैं व समझने की कोशिश करते हैं जिससे वे आसानी से पाठ सीख पाते हैं।
9. **धैर्यवान व सहनशीलता (Be Potential and Patienceful)** – विशिष्ट बच्चे सामान्य बच्चों की अपेक्षा अधिगम में ज्यादा समय लेते हैं। उन्हें प्रत्येक चीज़ अधिक विस्तार से व बार-बार भी समझानी पड़ती है। इसलिए सामान्य अध्यापक का धैर्यवान व सहनशील होना अत्यावश्यक है।

सामान्य अध्यापक के उत्तरदायित्व (Duties of General Teacher)

समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के अध्यापकों में मुख्य भूमिका सामान्य अध्यापक की होती है। इसलिए उसके उत्तरदायित्व भी अधिक होते हैं। निम्नलिखित कुछ बिन्दुओं से सामान्य अध्यापक के उत्तरदायित्व स्पष्ट हो जाते है –

दृष्टि बाधित बालकों हेतु उत्तरदायित्व
(Duties Regarding Visually Impaired)

दृष्टि बाधित बालकों के लिए सामान्य अध्यापक के कुछ मुख्य उत्तरदायित्व निम्नलिखित है –

1. **प्रगति व शिक्षा हेतु विशिष्ट अध्यापक से सम्पर्क (Contact with Special Teacher regarding Development and Education)** – दृष्टि बाधित बच्चों की प्रगति व भविष्य में दी जाने वाली शिक्षा व सामाजिक आवश्यकताओं की योजना बनाने के लिए प्रशिक्षित अध्यापक से सामान्य अध्यापक निरन्तर सम्प्रेषण करते हैं।
2. **पाठ्यक्रम में परिवर्तन हेतु सुझाव (Suggestions for Change in Curriculum)** – सामान्य अध्यापक समावेशी कक्षा की वर्तमान स्थिति के अनुसार प्रशिक्षित अध्यापक से पाठ्यक्रम में परिवर्तन हेतु सुझाव लेता है।
3. **पाठ में वस्तुओं का अधिकतम प्रयोग (Use of More Teaching Aids)** – दृष्टि बाधित बालकों को पढ़ाते समय अधिक से अधिक वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए ताकि उन्हें समझने में आसानी हो। उदाहरण – यदि विज्ञान का अध्यापक छात्रों चन्द्र व सूर्य ग्रहण समझाना चाहता है तो अध्यापक द्वारा दृष्टि बाधित छात्रों को चांद, सूरज की भांति गोलाकार वस्तुओं को देना चाहिए। ताकि वह पाठ को समझ सकें।
4. **बैठने की व्यवस्था (Sitting Arrangement)** – यदि छात्रों को कम दिखाई देता है तो अध्यापक का उत्तरदायित्व है कि वह छात्र को आगे व प्रकाश में बिठाए और आवश्यकतानुसार सहायक यन्त्र भी उपलब्ध करवाए जाएं।
5. **ब्रेल लिपि का प्रयोग (Use of Brail Script)** – सामान्य अध्यापक नेत्रहीन छात्रों को ब्रेल लिपि का प्रयोग समझाता है इसकी सहायता से बिना देखे भी छात्र स्वर, अक्षर आदि समझने लगते है।
6. **चिकित्सकीय जांच (Medical-Check up)** – आंशिक दृष्टि बाधित वाले छात्रों की समय-समय पर चिकित्सकिय जांच करवाई जाती है, ताकि बच्चे की समस्या की गम्भीरता व उसमें हुए परिवर्तन का पता लगाया जा सके।
7. **समानता व व्यवहार (Equality and Behaviour)** – देख न सकने या कम देख पाने के कारण बच्चों में हीन भावना उत्पन्न होने लगती है। ऐसे में एक सामान्य अध्यापक ही सबके साथ समानता का व्यवहार करके हीन भावना को दूर कर सकता है।
8. **श्रवण कौशल का प्रयोग (Use of Listening Skill)** – दृष्टि बाधित छात्रों में श्रवण कौशल का प्रयोग सिखाना चाहिए। क्योंकि दृष्टि बाधित बच्चे केवल सुनकर ही ज्ञान प्राप्त करते है।

श्रवण बाधित बालको के प्रति उत्तरदायित्व (Duties regarding Hearing Impaired)

दृष्टि बाधित बालको के प्रति श्रवण बाधित बालकों के प्रति भी सामान्य अध्यापक के कुछ उत्तरदायित्व होते है जो निम्नलिखित हैं –

1. **बैठने की व्यवस्था (Sitting Arrangement)** – अधिक श्रवण बाधा वाले छात्रों को अध्यापक द्वारा कक्षा में आगे बिठाना चाहिए और स्थान पर बिठाना चाहिए जहां अध्यापक की आवाज तेज व स्पष्ट आए।
2. **तेज व स्पष्ट आवाज (Loud and Clear Voice)** – अध्यापक द्वारा पाठ को तेज व स्पष्ट आवाज में पढ़ाया जाना चाहिए ताकि श्रवण बाधा वाले छात्रों को अधिगम में कठिनाई न आए।
3. **समानता का व्यवहार (Behaviour of Equality)** – श्रवण शक्ति न होने या कम होने के कारण

Scanned with CamScanner

विशिष्ट बालकों का मनोबल गिरने लगता है ऐसे में आवश्यक है कि अध्यापक उनसे भी सामान्य छात्रों की भांति ही व्यवहार करें।

4. **कक्षा-कक्ष को अनुकूल बनाना (Make Classroom More Conducive)** – अध्यापक को कक्षा-कक्ष की व्यवस्था व वातावरण श्रवण बाधित बालकों के अनुकूल तैयार करना चाहिए जिससे छात्र आसानी से समायोजन कर सकें।

5. **बालकों में समायोजन को प्रोत्साहन (Encourage the Adjustment)** – सामान्य अध्यापक सामान्य व विशिष्ट बालकों में आपसी समायोजन करने को प्रोत्साहित करते हैं जिससे सहयोग की भावना उदय होती है।

6. **गतिविधियों में भागीदारी (Participation in Activities)** – सामान्य अध्यापक का यह उत्तरदायित्व है कि वह बालकों को उनकी योग्यता, रुचि व क्षमता के अनुकूल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।

7. **गतिशील आदेश व उपकरणात्मक आदेश (Rapid Order and Instrumental Order)** – सामान्य अध्यापक छात्रों की अनुकूलन, गतिशील आदेश व उपकरणात्मक आदेश की सेवा प्रदान करते हैं ये आदेश अधिगम को सरल बनाने हेतु प्रयोग किए जाते हैं।

8. **आवश्यकतानुसार विशेष कक्षा का प्रबन्ध (Arrangement of Special Class)** – यदि अध्यापक को ऐसा अनुभव हो कि सामान्य बालकों के साथ मिल रही शिक्षा से ऐसे छात्रों को लाभ नहीं मिल रहा है तो उनके लिए विशेष कक्षा का प्रबन्ध अलग से पढ़ाना चाहिए।

अधिगम विकलांग बालकों के प्रति उत्तरदायित्व

(Responsibilities towards Children with Learning Disability)

अधिगम विकलांगता का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। वह अनेक बाधिताओं का समूह है। इन छात्रों के लिए अध्यापक के निम्नलिखित उत्तरदायित्व होते हैं –

1. **शिक्षण सामग्री का प्रयोग (Use of Teaching Material)** – अधिगम विकलांग बालकों के लिए कई प्रकार की शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे – चार्ट, मॉडल आदि। जिससे छात्रों के लिए अधिगम सरल हो जाता है।

2. **व्यक्तिगत स्तर पर मूल्यांकन (Evaluation at Individual Level)** – सामान्य अध्यापकों द्वारा प्रत्येक छात्र का व्यक्तिगत स्तर पर मूल्यांकन किया जाता है क्योंकि प्रत्येक छात्र की समस्या व्यक्तिगत होती है इसलिए मूल्यांकन भी व्यक्तिगत स्तर पर ही करना पड़ता है।

3. **बौद्धिक स्तर के आधार पर गृहकार्य (Homework on the Basis of Intellectual Level)** – अधिगम विकलांग बालकों को अधिगम में समस्या आती है। इसलिए अध्यापक छात्रों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार गृह कार्य करते हैं।

4. **सतत् मूल्यांकन (Continuous Evaluation)** – यदि छात्रों का मूल्यांकन निरन्तर किए जाएँ तो उनकी समस्या को कम या समाप्त भी किया जा सकता है। इसलिए विशिष्ट बालकों के लिए सामान्य अध्यापकों द्वारा समय-समय मूल्यांकन करना अत्यावश्यक हो गया है।

5. **शब्दकोश की उपलब्धता (Availability of Dictionary)** – अधिगम विकलांग बालक प्रायः

...ों या शब्दों के अर्थ को भूल जाते हैं। इसलिए सामान्य अध्यापकों द्वारा बच्चों को शब्दकोश उपलब्ध कराया जाता है।

...केन्द्रित करना (Concentration on Lecture) – अध्यापक द्वारा विशिष्ट छात्रों का ... की ओर ध्यान केन्द्रित करने का हर सम्भव प्रयास किए जाते हैं। कक्षा में ऐसी वस्तुएँ नहीं रखी ... जिन पर बच्चे का बार-बार ध्यान जाता है।

...र्तालाप हेतु प्रेरित करना (Motivating for Communication or Talk) – अध्यापक अधिगम विकलांग बालकों व सामान्य बालकों को आपस में वार्तालाप करने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे सहयोग व समायोजन की भावना उत्पन्न होती है और दूसरों के विचार सुनने को मिलते हैं।

...िन्तन व तर्कशक्ति को बढ़ावा देना (Encourage Thinking and Reasoning) – चिन्तन व तर्क शक्ति अधिगम को स्थाई और दृढ़ बनाते हैं। इसलिए अध्यापक शिक्षण विधियों के द्वारा बच्चों की चिन्तन व तर्क शक्ति में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं।

...ूल्यांकन (Evaluation)

...न्य अध्यापक कहने को तो केवल सामान्य अध्यापक होता है किन्तु समावेशी कक्षा में सामान्य अध्यापक की भूमिका व उत्तरदायित्व अपेक्षाकृत बढ़ जाते हैं।

आज के समय में जैसे-जैसे नई तकनीकें आ रही हैं वैसे-वैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी तकनीकों का प्रयोग पहले से अधिक होने लगा है। जिसके बीच एक सामान्य अध्यापक प्रशिक्षित व प्रोत अध्यापक की भांति प्रशिक्षित न होकर केवल शिक्षित होता है।

आज के बदलते परिवेश को देखकर यह स्पष्ट है कि आज एक सामान्य अध्यापक के लिए केवल शिक्षित होना ही काफी नहीं है बल्कि विशिष्ट बालकों की आधारभूत आवश्यकताओं से सम्बन्धित ज्ञान होना भी आवश्यक है। तभी जाकर सामंजस्य, प्रशिक्षित व प्रोत अध्यापक समान रूप से सहयोगी के रूप में कार्य करते हुए समावेशन में सफल हो पायेंगे।

...विशिष्ट अध्यापकों की योग्यताएँ

...समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है। इन अध्यापकों में सामान्य योग्यताएँ तो होती है बल्कि कुछ विशेष योग्यताओं का होना आवश्यक है। समावेशी शिक्षा में अलग-अलग प्रकार के बालक होते हैं। जिन्हें सामान्य बच्चों के साथ शिक्षण करना आसान कार्य नहीं होता है। ऐसे बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अध्यापक को उनकी विशिष्टता की जानकारी होनी आवश्यक होती है जिससे वह उनके अनुसार रणनीति तैयार करता है तथा शिक्षण में पृथक तकनीकी, विधि एवं प्रविधियों का प्रयोग करता है। समावेशी विद्यालय में विशेष शिक्षक का होना आवश्यक होता है शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक की भूमिका अधिक प्रभावशाली हो सकती है। विशेष प्रशिक्षित शिक्षक अपना मानवीय समर्थन अधिगम असमर्थ बालकों या अन्य रूप से बाधित बालकों के लिए विस्तृत करें। बालकों के सामाजिक कौशलों का विकास, व्यावहारिक कमियों शैक्षिक दोषों और उनके मनोवैज्ञानिक, नकारात्मक तत्वों जैसे हीनता भाव, मन्दता भावना को दूर करने के लिए उनका पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए विशिष्ट अध्यापकों के शिक्षण से सम्बन्धित योग्यताएँ उनकी भूमिकाओं और

Scanned with CamScanner

उत्तरदायित्वों पर आधारित होती है। समावेशी शिक्षा में अध्यापकों की योग्यताऐं इस प्रकार है :-

1. **व्यक्तिगत शिक्षण (Individual Teaching) :** शिक्षक के अन्दर यह योग्यता होनी चाहिए कि वह बच्चों की रुचियों एवं आवश्यकता के अनुसार शिक्षण की रणनीति तैयार करें। उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि विशिष्ट बालक की क्या कमजोरियाँ है और उनकी आवश्यकताऐं क्या है? उन आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षण तकनीकी, विधि, प्रविधि का उचित ज्ञान होना चाहिए जिससे कि वह उन विशिष्ट बालकों को सन्तुष्ट कर सकें।

2. **शिक्षण कौशल (Teaching Skills) :** शिक्षण कौशल के अन्तर्गत अलग-अलग कौशल आते है। जिसमें उद्दीपन परिवर्तन, व्याख्या, लेखन आदि आते हैं। अध्यापक को इन कौशलों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि वह शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है। अध्यापक को विशिष्ट बालकों को ध्यान में रखते हुए उचित शिक्षण कौशलों का प्रयोग करना चाहिए।

3. **कक्षा प्रबन्धन (Classroom Management) :** समावेशी शिक्षा प्रदान करने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अध्यापक को विशिष्ट बालकों की शारीरिक, मानसिक कमियों की जानकारी होनी चाहिए। जिससे कि वह विभिन्न प्रकार के बालकों को उनकी आवश्यकतानुसार कक्षा प्रबन्धन कर सकें। कक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत कक्षा में बैठने की व्यवस्था, फर्नीचर, उचित प्रकाश, वायु, सहायक सामग्री आदि आते हैं। अध्यापक को बच्चे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बैठने की उचित व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे नेत्र दोष वाले बालकों को प्रकाश में और आगे बैठना चाहिए जिससे कि उन्हें लाभ प्राप्त हो सके। इसलिए अध्यापक में कक्षा प्रबन्धन का ज्ञान होना आवश्यक है।

4. **पाठ्यक्रम में अनुकूलता (Favourable Curriculum) :** समावेशी कक्षा के पाठ्यक्रम में कुछ भिन्नता लाना अध्यापक का कार्य होता है। अध्यापक में यह योग्यता होनी चाहिए कि विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का नियोजन करें। वह ऐसी गतिविधि एवं क्रियाकलापें का आयोजन करें जिसमें सभी बच्चे उत्साहपूर्वक भाग ले सकें। अध्यापक को विभिन्न प्रकार की पाठ्यसहगामी क्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि सभी बच्चों की प्रतिभा का प्रदर्शन हो सके व उनका विकास हो सके।

5. **शिक्षा के साधनों का प्रबन्धन (Management of Education Resources) :** कुशल शिक्षक वही होता है जो शिक्षण कार्य में उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग कर सके। अध्यापक को विशिष्ट बालकों की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा के साधनों का उचित प्रयोग करना चाहिए। वह बच्चों को विभिन्न दृश्य-श्रव्य सामग्री जैसे चार्ट, मॉडल, प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर, टेप रिकॉर्डर आदि का प्रयोग कर शिक्षण को और अधिक प्रभावी बना सकता है। अध्यापक को इन सहायक सामग्री का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए तथा उपलब्ध साधनों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए।

6. **मूल्यांकन प्रक्रिया (Evaluation Process) :** एक अध्यापक को मूल्यांकन की प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए, उसे मूल्यांकन के प्रकारों की जानकारी होनी चाहिए तथा किन विधियों से छात्रों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। केवल कुछ प्रश्न पूछने व कुछ अंक व ग्रेड प्रदान करने से बच्चे की उपलब्धि का मूल्यांकन नही किया जा सकता। अध्यापक में यह योग्यता होनी चाहिए कि वह बच्चे का सम्पूर्ण मूल्यांकन कर सके कि उसने किन क्षेत्रों में अच्छा

कार्य किया है तथा किन क्षेत्रों में वह ठीक से कार्य नहीं कर पाता है। इस प्रकार सम्पूर्ण मूल्यांकन से ज्ञात होता है कि बालक कुछ क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर सकता है। इस मूल्यांकन से बच्चे को उचित मार्गदर्शन दिया जा सकता है। तथा उसकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसलिए अध्यापक में मूल्यांकन की योग्यता होनी आवश्यक है।

7. **पृष्ठपोषण (Feedback) :** मूल्यांकन की प्रक्रिया के पश्चात यह ज्ञात होता है कि छात्र की असफलताओं का क्या कारण है इससे छात्र की समस्याओं के लिए उचित परामर्श दिया जाता है तथा उसकी सफलताओं की जानकारी दी जाती है। अध्यापक को चाहिए कि वह बच्चों को उनकी सफलताओं की जानकारी दें और उन्हें पुनर्बलन दें जिससे कि बच्चों की शिक्षा के प्रति रुचि बनी रहे।

शिक्षक की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

समावेशी शिक्षा प्रदान करने में शिक्षक की भूमिका व उत्तरदायित्व इस प्रकार है :-

1. शिक्षक को बालक की कठिनाईयों, कमियों और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मनोवैज्ञानिक तथ्यों का पालन करते हुए व्यवहार करना चाहिए।
2. शारीरिक रूप से असमर्थ बालकों को सीखने की क्रियाओं में सक्रिय भागीदार बनाना चाहिए और उनको उनकी उपलब्धियों को देखकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्रकार की भागीदारी से बालकों में पढ़ने-लिखने की ओर जिज्ञासा बढ़ती है और उनका पाठ रुचिपूर्ण लगता है।
3. शिक्षण करते समय शिक्षक को विभिन्न शिक्षण सूत्रों का पालन करना चाहिए।
4. शिक्षक को विशिष्ट बालकों की अल्प एवं निम्नलिखित उपलब्धि के लिए सराहना करनी चाहिए। इस प्रकार की सराहना व पुनर्बलन से छात्रों में आत्म-विश्वास बढ़ता है।
5. शिक्षक को पाठ्य वस्तु को छोटी-छोटी इकाईयों में बाँटकर शिक्षण करना चाहिए इस प्रकार के शिक्षण से पाठ आसान हो जाता है व समझने में आसानी होती है।
6. ऐसे बच्चों की कठिनाईयों को ध्यान में रखकर विभिन्न दृश्य-श्रव्य उपकरणों की सहायता लेनी चाहिए।
7. इन बालकों के लिए सचित्र पुस्तकों की व्यवस्था करनी चाहिए ऐसी पुस्तकें बालकों के लिए प्रेरणा का कार्य करती है।
8. बालकों का मूल्यांकन के लिए विभिन्न गतिविधियाँ करायी जानी चाहिए व प्रत्येक क्रियाकलाप का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।
9. गृहकार्य व दत्त कार्यों की बच्चे को स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए।

शिक्षक प्रशिक्षण में एन.सी.ई.आर.टी. की भूमिका
(Role of NCERT in Teacher Training)

जैसा कि स्पष्ट है कि समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बालक भी शामिल किये जाते है ये बालक अलग-अलग प्रकार के हो सकते है। इनकी समस्याऐं भी अलग-अलग होती है। इन बालकों को सामान्य कक्षा में शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये बालक शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक रूप से पृथक होते है। इनका व्यवहार भी सामान्य से अलग होता है। अपनी

Scanned with CamScanner

शारीरिक, मानसिक असमताओं के कारण ऐसे बच्चे ठीक से समझ भी नहीं पाते है। अतः ऐसे बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है। इन अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने भी कुछ कदम उठाये है।

एन.सी.ई.आर.टी. की स्थापना 1961 में की गई। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य विद्यालय स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। एन.सी.ई.आर.टी. ने क्षेत्रीय शिक्षण महाविद्यालयों में विशेष शिक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षा विभाग स्थापित किये है। इन क्षेत्रीय शिक्षण महाविद्यालयों में बी.एड. और एम.एड. पाठ्यक्रम में विशेष शिक्षा को भी शामिल किया गया है। इन शिक्षण महाविद्यालयों में विशेष शिक्षा विभाग भी खोले गये है। सेवारत शिक्षकों के लिए राज्य और जिला स्तर पर विशेष शिक्षा के प्रशिक्षण का प्रबन्धन किया है। और शोध कार्यों के माध्यम से भी विशेष शिक्षा का प्रोत्साहन किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रम 1992 में राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषद् ने विशेष शिक्षा के लिए समिति बनाई इस समिति के विशिष्ट परिषद ने विशेष शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिये तथा इसका प्रारूप तैयार किया।

विशेष अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए क्षेत्रीय महाविद्यालयों में केन्द्र स्थापित किये गये है। भारतीय पुर्नवास परिषद् (आर.सी.आई) द्वारा मान्यता प्राप्त पूरे देश में करीब 400 प्रशिक्षण केन्द्र जिनमें कई विश्वविद्यालय भी शामिल है। 2 वर्ष का डिप्लोमा (D.Ed. Special Education), 2 वर्ष का B.Ed Special Education एवं 1 वर्ष का M.Ed. Special Education कार्यक्रम आयोजित करते है। यह शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक प्रकार की विकलांगता के क्षेत्र जैसे दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, बौद्धिक विकलांगता, बहुविकलांगता, ओटिज्म, अधिगम विकलांगता आदि में संचालित करते है। अब B.Ed Special Education का Integrated पाठ्यक्रम भी लागू हो चुका है जो सभी मुख्य विकलांगताओं में कराया जाता है। इसकी पूर्ण जानकारी आर.सी.आई. की वेबसाईट (http://rehabcouncil.nic.in/) से हासिल की जा सकती है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात ऐसे विशेष अध्यापकों का पंजीकरण आर.सी.आई. से करवाना अनिवार्य है। इन पाठ्यक्रमों में सभी प्रकार के विशेष बालकों की शिक्षा के लिए प्रयुक्त विधि/प्रविधियों, तकनीकों के प्रयोग को शामिल किया है।

विशिष्ट शिक्षकों के लिए शिक्षण कौशल

शिक्षण एक कला है, यह कला सभी में नहीं पाई जाती। सामान्य शिक्षण विधियों का प्रयोग सभी शिक्षक करते है। जब शिक्षण के दौरान अनेक प्रकार के कौशलों को प्रयोग किया जाता है तो शिक्षण प्रभावी होता है। एक प्रभावशाली शिक्षण में विशेष कौशलों का समावेश होता है। एक अच्छा व कुशल शिक्षक उन्हें अपने कक्षा शिक्षण में उपयोग करता है। कौशल का अर्थ कला से लिया जाता है। जैसे प्रश्न पूछने की कला, छात्रों को पुनर्बलन देने की कला, लेखन की कला आदि कई प्रकार की कलाओं का प्रयोग शिक्षक शिक्षण के दौरान करता है। जिससे शिक्षण प्रभावी व रोचक बनता है।

एन. एल. गेज ने कौशल को इस प्रकार परिभाषित किया -

"शिक्षण कौशल एक विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिसे अध्यापक अपनी कक्षा-शिक्षण में प्रयोग करता है। यह शिक्षण क्रम की विभिन्न क्रियाओं से सम्बन्धित होता है जिन्हें शिक्षक अपने कक्षा अन्तःक्रिया में लगातार उपयोग करता है।"

मैकिंटायर तथा व्हाइट "शिक्षण कौशल शिक्षण व्यवहारों से सम्बन्धित वह स्वरूप होता है जो कक्षा की अन्तःक्रिया उन विशिष्ट परिस्थितियों को उत्पन्न करता है जो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते है और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते है।"

इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षण कौशल -

कक्षा अन्तःप्रक्रिया की परिस्थिति उत्पन्न करते है।

शिक्षण क्रियाओं और व्यवहार से सम्बन्धित होते है।

छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते है।

शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते है।

शिक्षण को प्रभावी व रोचक बनाते है।

विषयवस्तु को सीखने सिखाने में आसानी होती है।

विभिन्न शिक्षण कौशल

एक अध्यापक को समावेशी कक्षा में शिक्षण करने के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशलों का ज्ञान होना आवश्यक है जिससे कि वह शिक्षण को सरल व रोचक बना सके। इन कौशलों के प्रयोग से विशिष्ट बालक भी सामान्य बच्चों के साथ आसानी से विषयवस्तु को सीख सकेंगे।

कुछ शिक्षण कौशल इस प्रकार है :-

1. **व्याख्या कौशल** :- यह कौशल व्याख्या करने की कला से सम्बन्धित है। इसमें विषय वस्तु की इस प्रकार से व्याख्या की जाती है कि विषयवस्तु सरल व स्पष्ट हो सके।
2. **प्रश्न कौशल** :- शिक्षण के दौरान अध्यापक बच्चों से अधिक से अधिक प्रश्न पूछकर छात्रों को सक्रिय बना देता है। शिक्षण काल में छात्रों से जितने अधिक प्रश्न पूछे जाए उतना ही पाठ्यवस्तु स्पष्ट होती है इससे छात्रों को अनुक्रिया के अवसर मिलते है। अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न अलग-अलग प्रकार के हो व उनमें तारतम्यता बनी रहे व प्रश्नों की पुनरावृत्ति हो। इस प्रकार प्रश्न पूछने से छात्रों का ध्यान विषय वस्तु पर ही केन्द्रित रहता है।
3. **उदाहरण कौशल** :- विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए शिक्षक विषय वस्तु से सम्बन्धित उदाहरणों का प्रयोग करता है। ये उदाहरण यदि दैनिक जीवन से सम्बन्धित होते है तो छात्र शीघ्र उसे समझ लेते है। शिक्षक छोटे-छोटे उदाहरणों प्रस्तुत कर विषय वस्तु को आसान बना सकता है।
4. **विन्यास प्रेरणा (प्रस्तावना)** :- इस कौशल की आवश्यकता पाठ आरम्भ करने के समय होती है। इसमें अध्यापक पाठ प्रारम्भ करने से पूर्व छात्रों से कुछ प्रश्न पूछता है व प्रकरण से अवगत कराता है। यह कौशल पाठ की प्रकृति पर आधारित होता है।
5. **मौन एवं अशाब्दिक अन्तःक्रिया** :- शिक्षक कक्षा में शाब्दिक व्यवहार के साथ कुछ अशाब्दिक क्रियाएँ भी करता है। जैसे हाव-भाव द्वारा छात्रों का ध्यान आकर्षित करता है। अशाब्दिक अन्तःक्रिया से छात्रों का ध्यान विषय वस्तु पर बना रहता है।
6. **पुनर्बलन कौशल** :- यह कौशल बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक द्वारा किया जाता है। छात्रों की छोटी-छोटी उपलब्धियों पर अध्यापक प्रशंसा, पुरस्कार के माध्यम से छात्रों को

Scanned with CamScanner

प्रोत्साहित करता है। छात्रों के व्यवहारों की प्रशंसा करना, उनकी अनुक्रियाओं को स्वीकार करना, मान्यता देना आदि से छात्रों को शिक्षण क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन मिलता है इसे पुनर्बलन कौशल कहा जाता है।

7. **श्यामपट्ट कौशल :-** यह कौशल कक्षा में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। इस कौशल के लिए अध्यापक के सुन्दर लेखन, आकृतियों को बनाना, रंगीन चॉक का प्रयोग करना आदि से शिक्षण को प्रभावी बनाया जाता है। वास्तव में श्यामपट्ट ही अध्यापक का मित्र होता है। अध्यापक श्यामपट्ट की सहायता से विषय वस्तु को ठीक से समझा सकता है। प्रस्तुतीकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए श्यामपट्ट का प्रयोग उचित रूप से किया जाना चाहिए।

8. **कक्षा प्रबन्धन कौशल :-** कक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत अध्यापक को भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का उचित प्रबन्ध करना होता है। कक्षा में बैठने की उचित व्यवस्था, फर्नीचर, रोशनी, वायु का उचित प्रबन्ध करना तथा बच्चों को इस प्रकार बैठाना जिससे कि सभी बच्चे लाभान्वित हो सके। समावेशी कक्षा में अध्यापक को इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि विशिष्ट बालक कौन से है और उन्हें कहाँ व किस प्रकार बिठाया जाना चाहिए।

9. **सहायक सामग्री का उचित उपयोग :-** शिक्षण के दौरान अध्यापक विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्री का प्रयोग करता है। सहायक सामग्री के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की दृश्य-श्रव्य सामग्री आती है। इनके प्रयोग से शिक्षण को प्रभावशाली व बोधगम्य बनाया जाता है। एक अध्यापक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कब कौन सी सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाए। जिससे कि विषय वस्तु रूचिकर बने।

10. **गृह कार्य देने का कौशल :-** समावेशी कक्षा में अलग-अलग प्रकार व योग्यताओं के बच्चे पढ़ते है। अध्यापक को गृह कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए कि कार्य बच्चों की क्षमता के अनुसार हो।

11. **सम्प्रेषण की पूर्णता का कौशल :-** शिक्षण के समय प्रत्येक अवस्था में इस कौशल की आवश्यकता होती है कि शिक्षक जो कहना चाहता है उसे शुद्ध रूप में छात्रों तक पहुंचा सके। इसे सम्प्रेषण की पूर्णता कौशल कहते है। अर्थात शिक्षक बच्चों को जो समझाना चाहे वह बच्चों को पूरी तरह से समझ में आ जाये।

12. **नियोजित पुनरावृत्ति कौशल :-** यह अधिक शक्तिशाली शिक्षण कौशल है। जिसे शिक्षण के अन्त में अध्यापक महत्वपूर्ण बिन्दुओं की नियोजित रूप में पुनरावृत्ति कर सके।

इस प्रकार समावेशी शिक्षा में अध्यापकों को विभिन्न कौशलों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। इन कौशलों के उचित ज्ञान से शिक्षक को प्रभावी व रुचिकर बनाया जा सकता है।

स्रोत अध्यापक (Resource Teacher)

वे अध्यापक होते है जो प्रशिक्षित होते है और छात्रों की शिक्षा के सन्दर्भ में विभिन्न संसाधनों व शिक्षण तकनीकों का पूर्ण ज्ञान रखते है। अध्यापकों को इस प्रकार का प्रशिक्षण देने के लिए सरकार ने अनेक प्रकार के डिग्री कोर्स व डिप्लोमा की व्यवस्था की है वर्तमान समय में स्रोत या संसाधन अध्यापकों की बहुत कमी होती है इसलिए सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में स्रोत अध्यापक व साथ ही साथ स्रोत कक्ष की व्यवस्था की गई है। इन अध्यापकों का मुख्य कार्य विद्यालयों में जाकर सामान्य अध्यापकों को विशिष्ट बालकों से सम्बन्धित कठिनाईयों के समाधान हेतु जानकारी देना है।

स्रोत अध्यापक द्वारा विशेष तकनीकों का प्रयोग करके ऐसा समावेशित वातावरण तैयार किया जाता है जिसमें रहकर विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा ग्रहण करना अत्यन्त सरल हो जाता है। ये अध्यापक छात्रों की कठिनाइयों व समस्याओं का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करते है।

स्रोत अध्यापक की भूमिका (Role/Duty of Resource Teacher)

एक समावेशी कक्षा में विशिष्ट छात्रों की समस्याओं का समाधान करने में स्रोत या संसाधन अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे ही कुछ तथ्य निम्नलिखित है जो स्रोत अध्यापक की भूमिका को प्रमाणित करते है -

1. **विशिष्ट बालकों की पहँचान में सामान्य अध्यापकों की सहायता करना (Provide help to General Teacher in Identification of Special Children)** - प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट होता है। उसकी विशिष्टता की पहँचान करने में स्रोत अध्यापक सामान्य अध्यापक की सहायता करता है।

2. **विकलांग बालकों का समय-समय पर मूल्यांकन करना (Evaluating the Disabled Child Timely)** - स्रोत अध्यापक द्वारा विशेष बालकों का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह पता लग सके कि उसके लिए प्रयोग हो रही शिक्षण विधियाँ व तकनीकें कहाँ तक कारगर साबित हुई है और आगे उनमें क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए।

3. **विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना (Use Various Teaching Methods)** - स्रोत अध्यापक द्वारा छात्रों के लिए अधिगम सरल बनाने के लिए उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है ताकि छात्रों के लिए अधिगम स्थाई हो सके अर्थात् छात्रों को सिखाई गई बातें उन्हें लम्बे समय तक याद रहे।

4. **विकलांग बालकों को निरन्तर प्रोत्साहित करना (Motivating the Disabled Children Regularly)** - स्रोत अध्यापक प्रत्येक अच्छे कार्य व छोटी बड़ी उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं ताकि उनकी शिक्षा के प्रति रूचि बनी रहे और वे अधिगम करना न छोड़े।

5. **बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना (Raise the Confidence)** - स्रोत अध्यापक बच्चों के लिए ऐसा वातावरण तैयार करते हैं तथा उनमें ऐसी शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करते हैं जिनसे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ने लगता है।

6. **बालकों को अक्षमता से लड़ने की प्रेरणा देना (Providing Motivation to Fight Against Disability)** - स्रोत अध्यापक जब विशिष्ट बालकों में आत्मविश्वास जगाते है तो बच्चों में स्वतः ही अपनी असक्षमता से लड़ने की इच्छा जागृत होने लगती है।

7. **बालकों की समस्याओं का निवारण करना (Solve the Problems of Children)** - प्रत्येक विकलांग बालक किसी न किसी समस्या का सामना कर रहा होता है। स्रोत अध्यापक का ही यह कर्तव्य होता है कि वह बालक की समस्या को पहँचाने व उसका समाधान करे।

8. **सामान्य अध्यापकों को विशेष बालकों की कठिनाई का समाधान बताना (Provide Solution to General Teacher regarding the Problems of Special Children)** - सामान्य अध्यापकों को विशिष्ट बालकों की कठिनाइयों को समझने व दूर करने में समस्या आती है जिसमें

स्रोत अध्यापक सामान्य अध्यापक की सहायता करता है।

9. **अभिभावकों व चिकित्सकों के सम्पर्क में रहना (Be in Contact with Parents and Physician)** - विशिष्ट बालक का परिवार में व्यवहार कैसा है व अभिभावकों को उसके लिए क्या करना चाहिए आदि बताने के लिए स्रोत अध्यापक अभिभावकों के सम्पर्क में रहता है। साथ ही साथ चिकित्सकों से भी विशिष्ट बालकों को आने वाली समस्याओं के सन्दर्भ में स्रोत अध्यापक ही विचार विमर्श करते हैं।

10. **बच्चे की विशिष्टता के अनुसार शैक्षिक योजना बनाना (Education Planning according to Disability of Children)** - प्रत्येक विशेष बालक की विशिष्टता व बौद्धिक स्तर भिन्न-भिन्न होता है। इसलिए स्रोत अध्यापक ऐसी शैक्षिक योजना बनाता है जो विशिष्ट बालकों के लिए अधिगम को सरल व सहज बना दे।

स्रोत अध्यापक के उत्तरदायित्व (Duties of Resource Teacher)

भिन्न-भिन्न बालकों में विशिष्टता भी भिन्न-भिन्न होती है जैसे - दृष्टि बाधिता, श्रवण बाधिता, अधिगम असमर्थता आदि। विशिष्टता या बाधिता भिन्न-भिन्न होने के कारण स्रोत अध्यापक के प्रत्येक बालक के प्रति उत्तरदायित्व भी भिन्न-भिन्न होते हैं। स्रोत अध्यापक के कुछ मुख्य उत्तरदायित्व इस प्रकार हैं -

दृष्टि बाधित बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व (Duties Regarding Visually Impaired)

स्रोत अध्यापक के दृष्टि बाधित बालकों के प्रति मुख्य उत्तरदायित्व इस प्रकार हैं -

1. **बालकों की पहँचान (Identification of Children)** - स्रोत अध्यापक सबसे पहले किसी भी बालक की विशिष्टता की पहँचान करता है ताकि उसकी समस्याओं का आसानी से समाधान किया जा सके। किसी भी बच्चे की समस्या को दूर करने के लिए सर्वप्रथम उसकी समस्या को पहँचानना आवश्यक है।

2. **स्पर्श तकनीकों के द्वारा शिक्षा देना (Providing Education by Teaching Techniques)** - जिन बालकों को पूर्ण रूप से दृष्टि बाधा है उनके लिए स्पर्श तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। जिसमें स्वर, वर्ण, चित्र आदि उभरे हुए अंकित होते हैं जिन्हें स्पर्श करके असक्षम बालक उनकी पहँचान करते हैं।

3. **श्रवण कौशल का प्रयोग (Use of Hearing Skill)** - दृष्टि बाधित बालकों के लिए अधिगम प्रक्रिया अत्यन्त कठिन हो जाती है। इसलिए उनके लिए श्रवण कौशल का प्रयोग किया जाता है ताकि वे आसानी से अधिगम कर सकें।

4. **बहुइन्द्रीय विधियों का प्रयोग (Use of Multicensory Methods)** - बहुइन्द्रियों विधि से तात्पर्य ऐसी विधियों से है जिसमें बालक अपनी एक से अधिक इन्द्रियों का प्रयोग करता है देखने में बाधा उत्पन्न होने के कारण उसके लिए अधिगम करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसे बालकों के लिए बहुइन्द्रिय विधियों का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जितनी अधिक इन्द्रियों का प्रयोग किया जाता है अधिगम उतना ही सरल व स्थाई होता है।

5. **सहायक यन्त्र उपलब्ध कराना (Avail the Assistive Devices)** - असमर्थता के कारण कई बार छात्रों को अधिगम के शारीरिक समस्या आती है ऐसे में उन्हें उनकी आवश्यकतानुसार सहायक यन्त्रों की व्यवस्था स्रोत अध्यापक द्वारा ही की जाती है।

6. **वैयक्तिक अनुदेशन देना (Provide Individual Instruction)** - दृष्टि बाधित बालकों को पढ़ाते समय प्रत्येक बालक को स्रोत अध्यापक द्वारा वैयक्तिक अनुदेशन दिया जाता है।

7. **वृहत यंत्र (Use of Magnifier)** - इस यन्त्र का प्रयोग विशेषकर अल्प दृष्टि वाले व्यक्ति करते है जिसके द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े रूप में देखा जा सकता है। इस प्रकार बालकों के लिए पढ़ने का कार्य सरल हो जाता है।

8. **ब्रेल लिपि (Brail Script)** - ब्रेल लिपि का प्रयोग नेत्रहीन बालकों द्वारा किया जाता है। इस लिपि की सहायता से उनके लिए अधिगम प्रक्रिया सरल हो जाती है।

श्रवण बाधित बच्चों के लिए प्रति उत्तरदायित्व

(Duties Regarding Hearing Impaired)

दृष्टि बाधित बालकों की भांति श्रवण बाधित बालकों की समस्याएं व आवश्यकताएं भिन्न होते हैं। उनके प्रति स्रोत अध्यापक के कुछ मुख्य उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं -

1. **श्रवण सहायक यन्त्रों का प्रयोग (Use of Learning Assistive Devices)** - अधिक श्रवण बाधित वाले छात्रों को सहायक यन्त्र प्रदान करने का दायित्व स्रोत अध्यापक होता है। जिसके द्वारा उनकी समस्या का निवारण करना सम्भव हो जाता है।

2. **सांकेतिक भाषा का प्रयोग (Use of Sign Language)** - पूर्ण श्रवण बाधिता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। जिससे उनके लिए किसी भी बात को समझना बहुत आसान हो जाता है।

3. **ओष्ठ पठन की कला सिखाना (To Teach the Art of Lip Reading)** - बच्चों के श्रवण बाधा होने पर ओष्ठ पठन की कला सिखाई जाती है। जिसके द्वारा न सुन पाने के बावजूद भी वे आसानी किसी भी व्यक्ति की बातों को समझने लगते हैं।

4. **समायोजन मापन हेतु मनोवैज्ञानिक परीक्षण का प्रयोग (Use of Psychological Test fo Measurement of Adjustment)** - स्रोत अध्यापक द्वारा ऐसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण करवा जाते हैं जो बालकों की समायोजन क्षमता को मापने का कार्य करते हैं। जिससे पता चलता कि बच्चे आस-पास के वातावरण में कितना समायोजन कर पा रहे हैं।

5. **चिकित्सक द्वारा जांच करवाना (Providing Check up Facility)** - समय-समय पर श्र बाधित बालकों की चिकित्सक द्वारा जांच भी करवाई जाती है। ताकि बालक की बाधिता गम्भीरता को जाना जा सके व निवारण हेतु कदम उठाए जा सकें।

6. **छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाना (To Raise the Confidence in Children)** - स्रोत अध्या द्वारा विकलांग बालकों को ऐसा वातावरण प्रदान किया जाता है जिसमें रहकर बालकों में 3 विश्वास बढ़ने लगता है व उनकी स्वयं को दूसरों से कम योग्य समझने की भावना समाप्त

Scanned with CamScanner

सकती है।

7. **उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराना (Providing Suitable Environment)** - श्रवण बाधित बालकों को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाता है जो बालक के लिए शारीरिक, मानसिक व मनोवैज्ञानिक रूप से उपयुक्त हो व जिसमें वह आसानी से समायोजन कर सके।

8. **बच्चों को बोलने सीखने में सहायता करना (Providing Assistance in Speaking and Learning)** - श्रवण बाधिता वाले बच्चों में श्रवण शक्ति कम या न होने के कारण वाणी बाधिता भी देखने को मिलती है। वाणी सम्बन्धी कोई समस्या न होने के कारण भी वे बच्चे ठीक से नहीं बोल पाते। स्रोत अध्यापक का यह दायित्व है कि ऐसे बच्चों को बोलने सीखने में सहायता करें।

अधिगम विकलांग बालको के प्रति स्रोत अध्यापक का उत्तरदायित्व

(Responsibilities of Resource Teacher towards Children with Learning Disability)

अधिगम विकलांगता दृष्टि व श्रवण बाधिता की भांति अधिगम में आने वाली एक महत्वपूर्ण समस्या है। बौद्धिक स्तर का कम होना, पढ़ने, बोलने व समझने आदि में आने वाली समस्याएें अधिगम विकलांगता के अन्तर्गत आती है। ऐसे छात्रों के प्रति स्रोत अध्यापक के जो उत्तरदायित्व होते है उनमें से कुछ प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित है -

1. **पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग दिलाना (Inforce to Participate in Co-curricular Activities)** - अधिगम विकलांग बालकों को अधिगम में अनेक प्रकार की कठिनाई आती है ऐसे में पाठ्य सहगामी क्रियाएें अधिगम कराने का महत्वपूर्ण साधन है। इन क्रियाओं द्वारा बच्चो का शारीरिक, मानसिक व सामाजिक इत्यादि विकास भी होता है और खेल खेल में बच्चा बहुत सी बाते भी सीख जाता है।

2. **व्यक्तिगत रूप से कठिनाइयों का समाधान (Face the Difficulties at Individual Level)** - अधिगम विकलांग बालकों की व्यक्तिगत स्तर पर भिन्न-भिन्न कठिनाइयाँ होती है। इसलिए उनका समाधान भी स्रोत अध्यापक को व्यक्तिगत स्तर पर ही करना होता है।

3. **बहुइन्द्रीय शिक्षण विधियों का प्रयोग (Use of Multisensory Teaching Methods)** - शिक्षाशास्त्रियों का कहना है कि बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा में प्रयोग होने वाली शिक्षण विधियों में बच्चे जितनी अधिक इन्द्रियों का प्रयोग करते है वे उतना ही अधिक व स्थाई अधिगम कर पाते है। इसी कारण अधिगम विकलांग विद्यार्थियों के लिए स्रोत अध्यापक बहुइन्द्रिय शिक्षण विधियों को अपनाने की सलाह देता है।

4. **कक्षा-कक्ष व्यवहार का निरीक्षण करना (Observing the Classroom Behaviour)** - अधिगम विकलांग बच्चों के अधिगम में आने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए स्रोत अध्यापक कक्षा-कक्ष के व्यवहार का भी निरीक्षण करता है कि कक्षा-कक्ष का व्यवहार बच्चे के अनुकूल है या नहीं।

5. **शिक्षण विधि द्वारा शिक्षा को सरल व स्थाई बनाना (Make Education More Easy and Stable)** - स्रोत अध्यापकों को शिक्षण विधियों व शिक्षण तकनीकों का पूर्ण ज्ञान होता है। इसलिए वे अधिगम विकलांग बच्चों के लिए ऐसी शिक्षण विधियाँ अपनाते है जो बच्चों के लिए अनुकूल

हो व अधिगम को सरल व स्थाई बनाने में योगदान दे। जैसे - प्राथमिक स्तर पर कहानी द्वारा शब्द को समझाना आदि।

6. **स्वास्थ्य सम्बन्धी निरीक्षण आदि के रिकॉर्ड (Records related to Health Observation)** - स्रोत अध्यापक अधिगम विकलांग बच्चो का चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी निरीक्षण समय-समय पर करवाते है और अपने पास उसके रिकॉर्ड भी रखते है। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अधिगम विकलांग विद्यार्थियों की विकलांगता को दूर करने के लिए सर्वप्रथम उनका स्वस्थ होना आवश्यक है।

7. **कक्षा-कक्ष के वातावरण में परिवर्तन हेतु सुझाव (Suggestions regarding the Change in Classroom Environment)** - किसी भी बच्चे के अधिगम में बच्चे के आस-पास का वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वातावरण जितना अधिक बच्चे के अनुकूल होगा उसके लिए अधिगम करना उतना ही अधिक सरल होगा। इसलिए स्रोत अध्यापक का यह उत्तरदायित्व है कि वह विद्यालय व कक्षा-कक्ष के वातावरण का निरीक्षण करे और परिवर्तन हेतु सुझाव भी दे।

8. **पाठ्यक्रम में सुधार हेतु सुझाव (Suggestions regarding the Change/Improvement in Curriculum)** - अधिगम विकलांग बालकों के लिए सामान्य बालकों की तुलना में अधिगम प्रक्रिया कुछ कठिन होती है। इसलिए स्रोत अध्यापक समय-समय पर अधिगम विकलांग बालकों के अनुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन के लिए सुझाव देते है। ऐसे छात्रों के लिए पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए जिसे वे सरलता से पूरा कर सकें।

9. **सामान्य अध्यापक को आधारभूत आवश्यकताओं सम्बन्धी जानकारी देना (Providing Knowledge about the Basic Requirement to the General Teacher)** - सामान्य अध्यापक को प्रायः अधिगम विकलांग विद्यार्थियों की समस्याओं का ज्ञान नहीं होता। वे उन्हें बच्चे की लापरवाही समझ उन्हें डाँटते व मारते है। एक स्रोत अध्यापक का यह कर्तव्य है कि वह सामान्य अध्यापक को बच्चों की समस्याओं से अवगत कराए। साथ ही उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की भी पूरी जानकारी दें।

उपरोक्त कथनों व तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि स्रोत अध्यापक केवल एक अध्यापक न होकर बच्चे के सहयोगी व हितैशी के रूप में भी कार्य करता है और बच्चे के हर प्रकार के विकास में पूरा योगदान देता है।

संबल (स्रोत) अध्यापक के उत्तरदायित्व

समावेशी शिक्षा प्रदान करने में शिक्षकों का विशेष योगदान होता है। इसमें सामान्य अध्यापकों की जिम्मेदारियाँ और अधिक बढ़ जाती है। बाधित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सामान्य अध्यापकों के साथ-साथ संबल या स्रोत अध्यापकों की आवश्यकता होती है। स्रोत अध्यापक विशिष्ट शिक्षा में प्रशिक्षित होते हैं। इस प्रकार की विशिष्ट शिक्षा में प्रशिक्षण के लिए सरकार ने डिप्लोमा व डिग्री कोर्स की व्यवस्था की है। हालांकि स्रोत अध्यापकों की संख्या कम है। प्रत्येक विद्यालय में स्रोत अध्यापक या विशिष्ट अध्यापक की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। इसलिए जिले में स्रोत अध्यापक व स्रोत कक्ष की व्यवस्था की गई है। ये स्रोत अध्यापक अपने क्षेत्र के विद्यालयों में विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए सुविधाएें व सहायता, परामर्श, निर्देशन आदि सेवाएें प्रदान करते है। ये स्रोत अध्यापक विद्यालयों में जाकर इन बच्चों की समस्याओं का समाधान करते है तथा सामान्य अध्यापकों

Scanned with CamScanner

की भी सहायता करते है, क्योंकि सामान्य अध्यापक को विशिष्ट बच्चो की समस्याओं व उनके निदान मे कठिनाई उत्पन्न होती है। इन स्रोत अध्यापको से सामान्य अध्यापक अपनी कक्षा सम्बन्धी समस्याऐ व विशिष्ट बच्चो के लिए शिक्षण रणनीति तैयार करने मे सहायता लेते है। ये अध्यापक इन बच्चो की शिक्षा के लिए नीति तैयार करते है व सामान्य अध्यापको को भी प्रशिक्षित करते है।

विशिष्ट शिक्षको के लिए प्रशिक्षण संस्थान

भारत मे विशिष्ट बालको की शिक्षा के लिए विशेष अध्यापको को तैयार करने के लिए एन.सी.ई.आर.टी. ने भी कार्यक्रम तैयार किये है। तथा देश के अलग-अलग भागो मे शिक्षक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित है। इन संस्थानो मे डिप्लोमा व डिग्री कोर्स संचालित किये जाते है, कुछ डिप्लोमा व डिग्री कोर्स व उनकी अवधि निम्नलिखित तालिका मे प्रदर्शित है :-

पाठ्यक्रम	अवधि	उपाधि
1. बौद्धिक विकलांगता		
अ) एम.एड. विशेष शिक्षा	2 वर्ष	डिग्री
ब) बी.एड. विशेष शिक्षा	2 वर्ष	डिग्री
स) डी.एड. विशेष शिक्षा	2 वर्ष	डिप्लोमा
2. दृष्टि बाधित		
अ) एम.एड. विशेष शिक्षा	2 वर्ष	डिग्री
ब) बी.एड. विशेष शिक्षा	2 वर्ष	डिग्री
स) डी.एड. विशेष शिक्षा	2 वर्ष	डिप्लोमा
3. श्रवण बाधिता		
अ) एम.एड. विशेष शिक्षा	2 वर्ष	डिग्री
ब) बी.एड. विशेष शिक्षा	2 वर्ष	डिग्री
स) डी.एड. विशेष शिक्षा	2 वर्ष	डिप्लोमा
4. अधिगम विकलांगता		
अ) एम.एड. विशेष शिक्षा	2 वर्ष	डिग्री
ब) बी.एड. विशेष शिक्षा	2 वर्ष	डिग्री
5. बहु विकलांगता		
अ) एम.एड. विशेष शिक्षा	2 वर्ष	डिग्री
ब) बी.एड. विशेष शिक्षा	2 वर्ष	डिग्री
स) डी.एड. विशेष शिक्षा (प्रमस्तिष्क पक्षाघात)	2 वर्ष	डिप्लोमा
6. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर		
अ) बी.एड. विशेष शिक्षा	2 वर्ष	डिग्री
ब) डी.एड. विशेष शिक्षा	2 वर्ष	डिप्लोमा

बालको की शिक्षा के लिए अध्यापको को तैयार करने के लिए निम्न संस्थान डिग्री व डिप्लोमा कोर्स चलाते है। कुछ सरकारी प्रशिक्षण संस्थान इस प्रकार है :-

1. NIEPVD - देहरादून
2. NIEPID - सिकन्द्राबाद
3. AYJNIEPS & H - मुम्बई
4. NIEPMD - चैन्नई

अभिभावक-व्यावसायिक सहभागिता
(Parents Professional Partnership)

अभिभावक तथा व्यावसायिक दोनों ही किसी बालक कि अच्छी शिक्षा और उन्नति मे सहायता करते है। परिवार से अलग वे लोग किसी बालक की शिक्षा मे सहायता करते है वे व्यावसायिक होते है। जैसे - प्रधानाध्यापक, अध्यापक, विशेष विषय अध्यापक, स्कूल मनोवैज्ञानिक तथा परामर्शदाता। किसी विद्यार्थी की सफलता के लिए अभिभावक और व्यावसायिकों की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है और यह सहभागिता तभी सम्भव है जब अभिभावक और व्यावसायिक दोनों एक दूसरे को समझे। विशिष्ट विद्यार्थियों कि आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनकी विकलांगता को दूर करने के लिए यह जरूरी है कि अभिभावक व व्यवसायिकों मे सहभागिता हो।

स्कूल का यह कर्तव्य है कि वह अभिभावकों को विशिष्ट बच्चो की आवश्यकताओं के बारे मे बताये तथा उनकी भविष्य की शिक्षा के बारे मे उन्हे जागरूक करे। यह तभी सम्भव है जब एक ऐसी प्रणाली हो जिसमे विशिष्ट बच्चो की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान मे रखा जाए।

अभिभावक शिक्षक सहभागिता के क्षेत्र -

1. **सम्प्रेषण** - सम्प्रेषण घर तथा स्कूल मे लगातार होता रहना चाहिऐ।
2. **विद्यार्थी अधिगम** - अभिभावक विद्यार्थी के अधिगम मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।
3. **अभिभाविकरण** - अभिभावकों की कुशलताओं को प्रोत्साहित करना।
4. **सामुदायिक सहयोग** - परिवार, स्कूल और विद्यार्थी अधिगम को सशक्त बनाने के लिए संसाधन प्रदान करना। अभिभावक-व्यावसायिक सहकारिता का मुख्य लक्ष्य होता है विद्यार्थी को सामाजिक क्षेत्र, उच्च शिक्षा तथा भावी जीवन के लिए तैयार करना। इससे बच्चा न केवल स्कूली जीवन मे बल्कि अपने भावी जीवन मे भाग लेने के लिए योग्य बन जाता है।

अभिभावक व्यावसायिक सहभागिता के घटक
(Components of Parent-Professional Partnership)

अभिभावक-व्यावसायिक सहभागिता के मुख्यतः छह घटक होते है -

1. व्यवसायिक निपुणता (Professional Partnership)
2. सम्प्रेषण (Communication)
3. आदर (Respect)
4. कमिटमेंट (वचनबद्धता) (Commitment)

Scanned with CamScanner

5. समानता (Equality)
6. विश्वास (Trust)

1. **व्यावसायिक निपुणता (प्रोफेशनल कोम्पीटेंसी) (Professional Partnership)** - व्यावसायिक निपुणता के चार संकेतक हैं - 'Implement Evidence based Practice' गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना, उच्च आशाएँ रखना, व्यक्तिगत आवश्यकताओं को जानना।
2. **सम्प्रेषण (Communication)** - अभिभावकों और शिक्षकों के बीच एक प्रभावी सम्प्रेषण होना चाहिए जिससे की वे एक दूसरे को निर्देशित कर सकें।
3. **आदर (Respect)** - परिवारों तथा व्यावसायिकों के बीच सफल सहभागिता का विकास तभी सम्भव है जब दोनों एक दूसरे की सहभागिता तथा भूमिका को समझे तथा एक दूसरे के प्रति आदर भाव रखें।
4. **वचनबद्धता (Commitment)** - अभिभावक-व्यावसायिक सहभागिता के इस घटक में परिवार की सहभागिता तथा समावेशन के प्रति सकारात्मक सोच से सम्मिलित किया गया है।
5. **समानता (Equality)** - सभी अभिभावक तथा स्कूलों को अपने बच्चों को समान तथा सही अवसर प्रदान करना ताकी वे अपनी असमर्थताओं को दूर कर सकें।
6. **विश्वास (Trust)** - अभिभावक तथा व्यावसायिक सहभागिता का मूल आधार विश्वास है। प्रभावी सहकारिता के लिए अध्यापक तथा अभिभावक के बीच विश्वास होना आवश्यक है।

अभिभावक-व्यावसायिक सहभागिता के उद्देश्य

(Objectives of Parents Professional Partnership)

बदलते समय के साथ अभिभावकों में विकलांग बच्चों के प्रति जागरूकता आयी है। जिससे की अभिभावक विशिष्ट बच्चों की आवश्यकता को जान पाते हैं तथा बच्चे के विकास की ओर ध्यान देते हैं। इसके लिए परिवार तथा स्कूल की सहभागिता आवश्यक है। अभिभावक-व्यावसायिक सहकारिता के उद्देश्य है -

1. अभिभावक तथा परिवार की बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने में मदद करना।
2. अभिभावक को विशिष्ट बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्देशन देना।
3. अभिभावकों तथा परिवार को बच्चों के अधिगम में सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करना।
4. अभिभावकों में उनके निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक कुशलताओं के विकास में मदद करना।
5. बच्चों की सामाजिक संवेग तथा वार्षिक उन्नति में मदद करना।
6. बच्चों के विकास के लिए अभिभावकों की कुशलताओं का प्रभावी ढंग से प्रयोग करना।
7. नामांकन, लगातार उपस्थिति को बढ़ाना तथा बच्चों की सामाजिक, संवेगात्मक तथा अकादमिक उन्नति करना।

अभिभावक-व्यावसायिक सहभागिता की आवश्यकता

(Need of Parents Professional Partnership)

1. **स्कूल परिवार सम्बन्धी अन्तरों को समाप्त करना (Finishing the Difference between School and Family)** - भाषा तथा सांस्कृतिक अन्तरों के कारण अभिभावक स्कूल की क्रियाओं में भाग नहीं लेते। स्कूल को चाहिए कि वे कुछ नये ढंगों को अपनाये ताकि वे विद्यार्थियों की जरूरतों को समझ सकें।
2. **रुकावटों को दूर करना (Remove the Hundles)** - एक ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे की पारिवारिक तथा स्कूल स्टाफ के सदस्य असमर्थ तथा बच्चों के साथ काम करने में सहायक हों।
3. **अभिभावकों को प्रशिक्षण देना (Providing Training to the Parents)** - स्कूल और अभिभावक के बीच की दूरी को समाप्त करना तथा अभिभावकों को बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रशिक्षण देना।
4. **परिवार की सहभागिता के लिए विद्यालय की पुनःरचना (Restructuring the School for Family Participation)** - सफल स्कूल परिवार सहभागिता के विकास के लिए सभी स्कूलों को प्रयत्न करने चाहिए। जिससे की उनके बीच एक सफल सहभागिता का निर्माण हो सके और वे विशिष्ट बच्चों की असमर्थता को कम कर सकें।
5. आपसी विश्वास तथा सम्बद्धता पर जोर देना।

अभिभावक-व्यावसायिक सहभागिता के लाभ

(Advantages of Parents Professional Partnership)

अभिभावक-व्यावसायिक सहकारिता में सहभागिता का काफी महत्व है क्योंकि यह विद्यार्थी के समर्थ तथा असमर्थ दोनों दलों में सम्बन्ध स्थापित करती है। इस अभिभावक-व्यावसायिक सहकारिता के निम्नलिखित लाभ है -

1. अभिभावक तथा व्यावसायिक के सहयोग से बच्चे के अधिगम में प्रभावी वृद्धि होती है।
2. विद्यार्थियों के लिए कार्यों का अच्छा स्तर विकसित करना।
3. बच्चों को स्कूली जीवन में भाग लेने के लिए योग्य बनाना।
4. विद्यार्थी की स्मरण क्षमता तथा प्रेरणा को सुधारना।
5. विद्यार्थी की विकलांगता के बावजूद शिक्षा को लाभदायक और महत्वपूर्ण बनाना।
6. अध्यापक तथा परिवार की सहभागिता के कारण बच्चे में ज्ञान का स्तर बढ़ाना।
7. अभिभावक-व्यावसायिक सहभागिता से बच्चों की जरूरतों के महत्व को समझना तथा उन्हें प्रदान करना।
8. मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक, सामाजिक तथा आर्थिक तौर पर असमर्थ बच्चों की सहायता करना।

अभिभावक-व्यावसायिक सहभागिता की सीमाएँ

(Limitations of Parents Professional Partnership)

1. **अभिभावकों की परम्परागत सोच (Traditional Ideas of Parents)** - अभिभावकों की

Scanned with CamScanner

परम्परागत सोच के कारण वे अभिभावक-व्यावसायिक सहकारिता में निष्क्रिय भूमिका अदा करते हैं अर्थात् उनकी भागीदारी नहीं होती।

2. **व्यवहार परिवर्तन में कठिनाइयाँ (Difficulty in Changing Behaviour)** – अभिभावकों तथा व्यावसायिकों की परम्परागत सोच के कारण उनके व्यवहार में परिवर्तन कठिन होता है और होता भी है तो बहुत धीमी गति से।

3. **अभिभावकों की असम्मिलितता (The Uninvolved Parents)** – यह देखा गया है कि अभिभावकों को व्यावसायिक सहायता की आवश्यकता होती है लेकिन फिर भी ज्यादातर अभिभावक विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह सहायता लेने में असमर्थ होते हैं। इसके निम्नलिखित कारण हैं -

- असुविधाजनक समय व स्थान (Inconvenient meeting time and locations)
- प्रोग्राम योजना में अभिभावकों का अपर्याप्त योगदान (Inadequate parent input during program planning)
- अपर्याप्त प्रतिपुष्टि और अभिभावकों के लिए अप्राप्त सेवाऐं (Inadequate feedback and follow up services for parents)
- अभिभावक व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा (Parent professional competition)

4. **अभिभावकों का अनुभव (Parents Experience)** – कई बार अभिभावकों को लगता है कि उन्हें बच्चों के बारे में व्यावसायिकों द्वारा सही जानकारी प्राप्त नहीं होती है।

निष्कर्ष (Conclusion)

बच्चे के बहुमुखी विकास के लिए अध्यापकों के साथ-साथ अभिभावक भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन दोनों की भूमिका में से हम किसी की भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे के अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए दोनों में समन्वय होना आवश्यक है। अभिभावक तथा अध्यापक दोनों के लिए केन्द्र-बिन्दु है - विद्यार्थी (बालक) इसलिए अभिभावक-व्यावसायिक सहकारिता को सफल बनाने के लिए दोनों को ही बालक की आवश्यकताएँ तथा जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए तथा सभी निर्णय बच्चों के हित को ध्यान में रखकर लेने चाहिऐं।

वाक् चिकित्सक (Speech Therapist)

वाक् चिकित्सक मुख्य रूप से वाक् या भाषा बाधित व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान करते हैं। एक वाक् चिकित्सक वाक् सम्बन्धित, भाषा, सामाजिक सम्प्रेषण, संज्ञानात्मक सम्प्रेषण एवं निगलने आने वाले विकारों को दूर करने में व्यक्तियों की सहायता करते हैं। बोली सम्बन्धित सेवाएँ सम्प्रेषण की जाँच से लेकर निगलने में आने वाले विकारों तक चलती है। एक वाक् चिकित्सक लगातार इन विकारों का आंकलन, निदान, परामर्श, हस्तक्षेप एवं उपचार आदि सेवाऐं इन विकारों के लिए प्रदान करता रहता है।

वाक् चिकित्सक के सेवा के क्षेत्र (Service Sectors of Speech Therapist)

1. सम्प्रेषण का संज्ञानात्मक पक्ष (ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कार्यकारी कार्य)
2. वाणी (वाक्) सम्बन्धित (शब्दोच्चार, स्पष्ट उच्चारण, भाषा प्रवाह, स्वर इत्यादि)
3. भाषा सम्बन्धित (स्वर विज्ञान, शब्द साधन, वाक्य रचना, शब्दार्थ, सम्प्रेषण का व्यावहारिक पक्ष), मौखिक, लिखित, ग्राफिक भाषा की समझ एवं भाषा सम्बन्धित साक्षरता, ध्वनि माध्यमों की जागरूकता।
4. निगलने सम्बन्धित क्रियाऐं।
5. स्वर, बुरा मौखिक विस्तार, असामान्य मौखिक गुणवत्ता इत्यादि।
6. सम्प्रेषण से सम्बन्धित संवेदी जागरूकता इत्यादि।

सम्प्रेषण सम्बन्धित विकार वाले विद्यार्थी (Students with Communication Disorder)

सम्प्रेषण विकार एक विद्यार्थी की शैक्षणिक प्रदर्शन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। सम्प्रेषण सम्बन्धित विकार निम्नलिखित रूप में बच्चों को प्रभावित करते हैं जो इस प्रकार हैं -

1. कक्षा-कक्ष अनुदेशन को समझने में बाधा उत्पन्न करना।
2. कक्षा-कक्ष अनुदेशन में बच्चों की भागीदारी में बाधा उत्पन्न करना।
3. आपसी सम्बन्ध बनाने में बाधा उत्पन्न करना।

सम्प्रेषण सम्बन्धित विकार वाले बच्चों की समस्याऐं (Problems of Students with Communication Disorder)

1. भाषा सम्बन्धित समस्या।
2. स्वर सम्बन्धित समस्या।
3. साफ बोलने की समस्या।
4. भाषा प्रवाह की समस्या।
5. निगलने की समस्या।

सम्प्रेषण सम्बन्धित विकारों के बच्चों पर प्रभाव (Effects of Communication Disorder on Students)

1. शब्दकोष, सम्प्रत्यय या व्याकरण की समझ कम होना।
2. विभिन्न स्थितियों में विभिन्न प्रकार के सम्प्रेषण शैलियों के प्रयोग में बाधा आना।
3. समझने, समझाने, पढ़ने, लिखने में बाधा उत्पन्न होना।

स्वर सम्बन्धित विकार (Voice Disorder)

1. स्वर का अधिक तेज होना या बहुत कम होना।
2. रूक-रूक बोलना।
3. स्वर का कठोर या नीरस होना।

स्वर सम्बन्धित विकारों के परिणाम (Effects of Voice Disorder)

1. तालु में बार-बार रूकावट आना।

Scanned with CamScanner

2. स्वर में हिचकिचाहट, पुनरावृत्ति, अति दीर्घपन होना।

3. स्वर, शब्दों, अक्षरों में बाधा आना।

भाषा की स्पष्टता सम्बन्धित विकार (Articulation Disorder)

1. एक शब्द के लिए दूसरे शब्द बोला जाना जैसे लकड़ी के लिए लड़की।
2. शब्द के स्वर में गलती करना।
3. स्वर को बिगाड़ कर कहना।

निगलने सम्बन्धित विकार (Swallowing Disorder)

1. निगलने, चबाने, खाने में बाधा होना।

वाक् चिकित्सक की विद्यालय में भूमिका (Role of Speech Therapist in School)

1. सम्प्रेषण सम्बन्धित विकारों को कम करना या दूर करना।
2. वाक् विकार सम्बन्धित विद्यार्थियों की पहचान करना जिससे इसे दूर किया जा सके।
3. बच्चों के सम्प्रेषण क्षमता का मूल्यांकन करना।
4. बच्चों के समग्र विकास का मूल्यांकन करना।
5. व्यक्तिगत शैक्षणिक उपलब्धियों का विकास करना।

वाक् चिकित्सक के दायित्व (Responsibilities of Speech Therapist)

1. बच्चों की सम्प्रेषण स्तर का रिकार्ड रखना।
2. शिक्षक एवं अन्य पेशेवरों के साथ समन्वय स्थापित करना।
3. वाक् विकार वाले बच्चों के शिक्षण प्रकार्य के लिए उचित सलाह देना।
4. वाक् विकार की समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न अनुसंधानात्मक कार्य करना।
5. सहायक कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना।
6. विद्यालय के पाठ्यक्रम एवं साक्षरता टीम में भाग लेना।
7. सम्प्रेषण लक्ष्यों को सामाजिक एवं शैक्षणिक लक्ष्यों से जोड़ना।
8. समय-समय पर बच्चों के सामने आने वाले बाधाओं का पता लगाना एवं उनका दूर करना।
9. समय-समय पर बच्चों को स्पष्ट एवं उचित सम्प्रेषण के लिए उत्साहित करना।

फिजियोथेरेपिस्ट (Physiotherapist)

व्यायाम के जरिए मांसपेशियों को सक्रिय बनाकर किए जाने वाले इलाज की विधा भौतिक चिकित्सा या फिजियोथेरेपी या फिजिकल थेरेपी (Physical therapy) कहलाती है। चूंकि इसमें दवाइयां नहीं लेनी पड़ती इसलिए इनके दुष्प्रभावों का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि फिजियोथेरेपी तब ही अपना असर दिखाती है जब इसे समस्या दूर होते तक नियमित किया जाए।

अगर शरीर के किसी हिस्से में दर्द है और आप दवाइयां नहीं लेना चाहते तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिजियोथेरेपी की सहायता लेने पर आप दवा का सेवन किए बिना अपनी तकलीफ

दूर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह अत्यंत आवश्यक है।

फिजिकल थेरपी या फिसिओथेरपी को पी. टी. के नाम से भी जाना जाता है। फिसिओथेरपी का मतलब जीवन को पहचानना और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना है, साथ ही साथ लोगों को उनकी शारीरिक कमियों से बाहर निकालना, निवारण, इलाज बताना और पूर्ण रूप से आत्म-निर्भर बनाना है। यह शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक क्षेत्र में अच्छी तरह से काम करने में मदद देता है। फिसिओथेरपी में डाक्टर, शारीरिक चिकित्सक, मरीज, पारिवारिक लोग और दूसरे चिकित्सकों का बहुत योगदान होता है।

फिजियोथेरेपिस्ट वह पेशेवर व्यक्ति होता है जिसे फिजियोथेरेपिस्ट का पूर्ण ज्ञान हो या उसने फिजियोथेरेपिस्ट का प्रशिक्षण लिया हो। एक फिजियोथेरेपिस्ट विद्यालय बच्चों को व्यायाम सम्बन्धित मार्गदर्शन एवं निर्देशन करता है।

फिजियोथेरेपिस्ट की विद्यालय में कार्य
(Functions of Physiotherapist in School)

एक फिजियोथेरेपिस्ट एक विद्यालय अनेक बच्चों के स्वास्थ्य से सम्बन्धित अनेक कार्य करता है। जो निम्नलिखित है -

1. **व्यायाम एवं स्वास्थ्य का सम्बन्ध बताना** - एक फिजियोथेरेपिस्ट बच्चों को हमेशा अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रखता है एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम के महत्वों का भी वर्णन करता रहता है।
2. **व्यायाम की विधियाँ एवं सावधानियाँ बताना** - एक फिजियोथेरेपिस्ट बच्चों को व्यायाम के विभिन्न विधियाँ सीखाता है एवं उन विधियों को करते हुए अपनाऐं जाने वाली सावधानियाँ भी बताता है जिससे किसी भी बच्चे का व्यायाम करते समय कोई भी समस्या न उत्पन्न हो।
3. **स्वास्थ्य वातावरण प्रदान करना** - एक विद्यालय में यदि बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है तभी वे बगैर किसी बाधा के अपने अध्ययन एवं अधिगम कार्य का कर सकते है। अतः शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करना अति आवश्यक होता है।
4. **बच्चों की कुछ बाधाओं को व्यायाम द्वारा दूर करना** - बच्चों की कई बाधाऐं आसानी से व्यायाम के द्वारा सही की जा सकती है। जोकि एक फिजियोथेरेपिस्ट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। एक फिजियोथेरेपिस्ट का दायित्व बनता है कि वह बच्चों की विभिन्न बाधाओं को व्यायाम के द्वारा दूर करने का प्रयास करें।
5. **स्वास्थ्य से सम्बन्धित मार्गदर्शन एवं निर्देशन देना** - एक फिजियोथेरेपिस्ट को समय-समय पर बच्चों को स्वास्थ्य सम्बन्धित मार्गदर्शन एवं निर्देशन देते रहना चाहिए, जिससे बच्चें अपने स्वास्थ्य का ज्ञान रखे।
6. **बच्चों की छिपी हुई क्षमता का विकास करना** - एक फिजियोथेरेपिस्ट को बच्चे के अन्दर छिपी हुई योग्यताओं का विकास करने का प्रयास करता है।
7. **बच्चों के भय को दूर करना** - बच्चों के अन्दर किसी भी प्रकार के भय से उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है इसलिए एक फिजियोथेरेपिस्ट का दायित्व बनता है कि वह बच्चों के भय

Scanned with CamScanner

व्यायामों के द्वारा दूर करने का प्रयास करे।

8. **बच्चों में सकारात्मक सोच पैदा करना** - बच्चों के अन्दर खेल के माध्यम से सकारात्मक सोच पैदा करना भी एक फिजियोथेरेपिस्ट का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। जिससे बच्चों में जीवन के प्रति भी सकारात्मक सोच पैदा होती है।

9. **बच्चों में आपसी समन्वय स्थापित करना** - बच्चों के अन्दर खेल के माध्यम से सहयोग की भावना को जाग्रत करना भी एक फिजियोथेरेपिस्ट का उत्तरदायित्व होता है।

व्यावसायिक चिकित्सक (Occupational Therapist)

व्यावसायिक थेरेपिस्ट प्रति दिन होने वाले व्यक्ति से सम्बन्धित सभी शारीरिक, मानसिक कार्यों का मूल्यांकन करना, उपचार करना, मानसिक विकारों को दूर करने का कार्य करता है। एक व्यावसायिक थेरेपिस्ट का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के द्वारा किये गये शारीरिक कार्यों की पहँचान करना और उनके द्वारा प्रतिदिन किये जाने वाले कार्यों में वातावरण सम्बन्धित बाधाओं का निवारण करना। यह व्यवसाय व्यक्ति केन्द्रित अभ्यास है जो व्यक्ति को उसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में अभिप्रेरित करता है। व्यावसायिक थेरेपी विधियाँ प्रतिदिन होने वाले क्रियाओं (मुख्य रूप से वे क्रियाऐं जो बच्चों के लिए उद्देश्यपूर्ण होती हैं) के लिए पर्यावरण के अनुकूल कार्य, शिक्षण कौशल एवं बच्चों के अभिभावकों के विचारों को बदलना है। प्राय: व्यावसायिक थेरेपिस्ट का कार्य अन्य थेरेपिस्ट जैसे - शारीरिक थेरेपिस्ट, वाक् चिकित्सक, समुदाय एवं समाज के साथ जुड़ा हुआ होता है।

व्यावसायिक थेरेपिस्ट के कार्य

1. पर्यावरण से सम्बन्धित क्रियाओं को विश्लेषण कर उनमें बच्चों की उन्नति एवं भागीदारी को बढ़ाने के लिए संसोधन करना।
2. विद्यार्थियों की विद्यालय वातावरण में भूमिका को सीमित करने वाले कारकों (बाधाओं) को दूर करना।
3. बच्चों की सफलता के सहायक तकनीकी प्रबन्ध करना।
4. बच्चों के चुनौतिपूर्ण कार्य एवं आवश्यकताओं को प्रोत्साहित करना, जो वैकल्पिक विधियाँ है उनको निश्चित करना जोकि अधिगम एवं व्यावसायिक मूल्यांकन करने में सहायता कर सके।
5. निर्धारित किये गये लक्ष्यों की पहँचान करना ताकि उपयुक्त लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।
6. अनुदेशात्मक क्रियाओं से सम्बन्धित योजना बनाना एवं कक्षा कक्ष में सुधार करना।
7. विद्यालय के बाद रोजगार एवं उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना।
8. बच्चों का उनकी छिपी योग्यता का अनुभव करना ताकि बच्चा अपनी योग्यता के आधार पर रोजगार ढूंढ सकें या व्यावसाय का चुनाव कर सकें।
9. विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना एवं उनको शिक्षण-अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना।
10. बच्चों के व्यावसाय एवं पेशे के चुनाव में सहायता प्रदान करना।
11. बच्चों में सकारात्मक सोच का विकास करना।

Scanned with CamScanner

10 समावेशी व्यवस्था के लिए सहायक एवं अनुकूलन तकनीकी [Assistive and Adaptive Technologies for Inclusive Setup]

विशिष्ट बालकों की कक्षा व्यवस्था और उसकी गुणवत्ता के लिए सहायक तकनीकी एवं प्रविधियों का विशेष महत्व व योगदान होता है पिछले अध्यायों में विशिष्ट बालको की पहँचान समस्याएँ व शैक्षिक प्रावधानों की चर्चा की गई है। परन्तु कक्षागत समस्याओं, बालक व्यक्तिगत समस्याओं, सुधारात्मक शिक्षण की प्रविधियों एवं सहायक तकनीकी का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि विशिष्ट बालकों की कक्षा में इस प्रकार अनेक समस्याऐं हैं। विशिष्ट बालक की शिक्षा में गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण सहायक प्रविधियों की यहाँ चर्चा की जा रही है।

एक समावेशी कक्षा-कक्ष मे सहायक तकनीकी एवं प्रविधियो के उद्देश्य
(The Objectives of Assistive Technology and Techniques in An Inclusive Class-Room)

सहायक तकनीक एवं प्रविधियों के प्रयोग से विकलांग या अलग तरह की योग्यताओं से युक्त बालकों को निम्नलिखित रूपों में सहायता मिलती है।

1. समावेशी कक्षा-कक्ष, परिस्थितियों में अनुकूलित/समायोजित होने में सहायता करना।
2. कक्षा-कक्ष शिक्षण अधिगम में इस प्रकार की सामान्य गति और उपलब्धि स्तर पर पहुँचाने में सहायता करना जिसकी प्राप्ति किसी और तरीके से नहीं हो सकती है।
3. ऐसे कार्यक्रम और गतिविधियों में भाग लेने में समर्थ बनाना जिनके दरवाजे प्रायः उनके लिए बंद रहते है।
4. उन कार्यों में लगे रहने तथा उन्हें पूरा करने सम्बन्धी उनकी योग्यता और सामर्थ्य में वृद्धि करना जिन्हें सामान्य रूप से करते रहने में उन्हें असुविधा तथा परेशानी होती है।

5. परिवेश में उपस्थित अन्य वस्तुओं तथा गतिविधियों को नजरअन्दाज करते हुए अपने अधिगम कार्यों पर एकाग्रचित और केन्द्रित होने में मदद करना।
6. उनकी सम्प्रेषण योग्यताओं तथा कौशलों के विकास में सहायता करना।
7. परिवेश को अच्छी तरह जानने और सूचना स्रोतों तक अच्छी तरह पहुँचाने में मदद करना।
8. अपने अनुकूलन/समायोजन शिक्षा और विकास में सहायक तकनीकी को अच्छी से अच्छी तरह काम में लाने में मदद करना।
9. सहपाठियों, विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा अन्य विद्यालयकर्मियों के साथ उचित अन्तःक्रिया करने में सहायक होना।

समावेशी कक्षा-कक्ष मे सहायक प्रविधियाँ
(Assistive Techniques in Inclusive Class-Room)

कुछ प्रमुख सहायक प्रविधियाँ इस प्रकार है :-

1. विशिष्ट बालकों की समस्या समाधान हेतु **क्रियात्मक अनुसंधान**
2. विशिष्ट बालकों के लिए सुधारात्मक आव्यूह **अभिक्रमित अनुदेशन**
3. विशिष्ट बालकों की व्यक्तिगत व सामूहिक समस्याओं के लिए **निर्देशन व परामर्श सेवाएँ।**

1. क्रियात्मक अनुसंधान (Action Research)

क्रियात्मक अनुसंधान भी शिक्षण व्यवस्था की भाँति एक प्रक्रिया है इस प्रक्रिया की सहायता से शिक्षण प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है तथा उन समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव भी दिये जाते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य शिक्षण व्यवहार में परिवर्तन लाना है। इसका उद्देश्य किसी प्रकार का शोध प्रबन्ध लिखना नहीं होता और न ही कोई उपाधि प्राप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य कक्षा की कार्य प्रणाली में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना इनका समाधान करना तथा शिक्षण प्रक्रिया व व्यवहार में परिवर्तन लाना है। क्रियात्मक अनुसंधान को स्पष्ट करने से पूर्व अनुसंधान शब्द से परिचित होना आवश्यक है।

अनुसंधान का अर्थ (Meaning of Research)

वैबस्टर शब्द कोष : "अनुसंधान केवल सत्य की ही खोज नहीं है बल्कि यह एक निरन्तर, व्यापक तथा उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है।"

जेम्स ड्रीवर : "किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज तथा पुष्टि के लिए क्रमबद्ध तरीके से की जाने वाली वैज्ञानिक खोज को ही अनुसंधान कहा जाता है।"

इस प्रकार अनुसंधान एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिससे समस्या समाधान व ज्ञान में वृद्धि होती है।

क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ

विद्यालयों की कार्य प्रणाली व शिक्षण में कई प्रकार की समस्याएँ आती है यदि इन समस्याओं का ठी... से समाधान न किया जाय तो उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। समस्याओं के समाधान करने ... प्रविधि क्रियात्मक अनुसंधान है जिसके द्वारा समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है त...

Scanned with CamScanner

सुधार के लिए सुझाव दिये जाते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया समस्या केन्द्रित होती है।

क्रियात्मक अनुसंधान सर्वप्रथम अमेरिका में स्टीफन एम.कोरी के प्रयत्नों द्वारा शुरू किया गया। इसकी प्रकृति प्रयोगात्मक व व्यावहारिक होती है इस प्रकार के अनुसंधान द्वारा कक्षा तथा विद्यालय की समस्याओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है इसे प्रोफेसर स्टीफन एम.कोरी ने इस प्रकार परिभाषित किया।

"इस प्रक्रिया को अनेक व्यक्तियों ने क्रियात्मक अनुसंधान कहा है जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने का प्रयत्न करते हैं, ताकि वे अपने कार्य और निर्णय को सही कर सकें और उनका मार्गदर्शन एवं मूल्यांकन कर सकें।"

शिक्षा परिभाषा कोष : "अध्यापकों, प्रशासकों आदि द्वारा अपने निर्णयों और कार्यों को सुधारने के सीमित उद्देश्य से किया गया अनुसंधान क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है।"

मेक ग्रैगरे : "क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति या समूह क्रियाओं में रचनात्मक सुधार तथा विकास लाना है।"

जैन प्रोक्टर : "क्रियात्मक अनुसंधान व्यक्ति या समूहों द्वारा आयोजित क्रमबद्ध परीक्षा है जिसके द्वारा वे अपने ही अभ्यासों का अध्ययन करते हैं जो उनके कार्यों की ओर लक्षित होते हैं।"

बुनियादी शिक्षा के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रकाशित पुस्तक "शिक्षा में अनुसंधान" में क्रियात्मक अनुसंधान को इस प्रकार स्पष्ट किया :-

"क्रियात्मक अनुसंधान एक व्यक्ति द्वारा अपने उद्देश्यों को अधिक प्रभावशाली ढंग से अर्जित करने के योग्य बनाने के लिए किया गया अनुसंधान है। एक शिक्षक अपने शिक्षण में सुधार लाने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान करता है एक स्कूल प्रशासक अपने प्रशासनात्मक व्यवहार को सुधारने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान करता है।"

इस प्रकार क्रियात्मक अनुसंधान एक विधि है जिसके द्वारा कार्य प्रणाली की समस्याओं का अध्ययन वस्तुनिष्ठ रूप में किया जाता है और उनमें सुधार लाया जाता है क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं किया जाता है बल्कि सभी प्रकार की संस्थाओं में किया जा सकता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अभ्यासकर्ता अपनी कार्य प्रणाली व समस्याओं के अध्ययन के लिए क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करने के पश्चात क्रियात्मक अनुसंधान की निम्न विशेषताएँ प्रकट होती हैं :-

1. इसमें दैनिक समस्याओं और व्यावहारिक क्रियाओं का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है।
2. इस अनुसंधान में जनतान्त्रिक मूल्यों को प्रोत्साहन दिया जाता है।
3. इस प्रकार के अनुसंधान से कार्यकर्त्ता समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहते हैं।
4. इस अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टि से समस्याओं का समाधान किया जाता है।

समावेशी शिक्षा में विशिष्ट प्रकार के बालकों के व्यावहारिक व दैनिक समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है क्योंकि समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के विशिष्ट बालकों की विशिष्ट चुनौतियाँ होती हैं इन चुनौतियों के कारण अध्यापक को कक्षा शिक्षण में भी कई प्रकार की समस्याएँ आती हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है।

क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य (Objective of Action Research)

क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

1. क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य समस्याओं का अध्ययन करना, उनका समाधान करना है।
2. विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार करना तथा विकास करना।
3. विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को उच्च करना।
4. वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना।
5. शिक्षक, प्रधानाचार्य आदि की कुशलताओं में वृद्धि करना।

क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र (Scope of Action Research)

जैसा कि क्रियात्मक अनुसंधान के अर्थ व महत्व से स्पष्ट है कि क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षण तथा कक्षा-कक्ष की समस्याओं को समाधान में सहायक होता है शिक्षा के क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण योगदान देता है जिन क्षेत्रों में क्रियात्मक अध्ययन किया जा सकता है वे निम्नलिखित हैं :-

1. **शिक्षण विधियाँ :-** क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा पता लगाया जाता है कि बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण विधियाँ सहायक होती हैं जिससे पाठ्यवस्तु बोधगम्य हो जाय।
2. **सहायक सामग्री :-** इसके द्वारा सहायक सामग्री के चयन में सरलता हो जाती है। कई बार सहायक सामग्री के चयन में समस्याएँ होती हैं कि कौन सी सहायक सामग्री का बच्चों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। इस समस्या के समाधान में क्रियात्मक अनुसंधान सहायक होता है।
3. **अनुशासन :-** कक्षा में अनुशासन सम्बन्धी समस्याओं का पता लगाया जा सकता है तथा कारणों की जाँच की जा सकती है।
4. **शिक्षक व विद्यार्थियों की समस्याएँ :-** कक्षा-कक्ष में अध्यापकों तथा बच्चों से सम्बन्धित कई समस्याएँ हैं जिनकी जाँच क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा की जा सकती है।
5. **प्रशासन सम्बन्धी समस्याएँ :-** क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा विद्यालय की प्रशासन सम्बन्धी समस्याओं की जाँच की जा सकती है।
6. **अधिगम सम्बन्धी समस्याएँ :-** कक्षा में कई अधिगम विकलांग बालक होते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई होती है क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा अधिगम सम्बन्धी समस्याओं का पता लगाया जा सकता है।
7. **समायोजन सम्बन्धी समस्याएँ :-** कुसमायोजन सम्बन्धी समस्याओं का पता लगाया जा सकता है।
8. **अनुपस्थिति के कारणों का पता लगाना :-** क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा बच्चों की अनुपस्थिति का पता लगाया जा सकता है तथा समस्या के कारणों का पता व उपाय किये जा सकते हैं।
9. **अन्य क्षेत्र :-** विद्यालय की पुस्तकालय व्यवस्था, नकल, पाठ्य सहगामी क्रियाएँ, अधिगम विकलांगता आदि कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनका समाधान क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा किया जा सकता है।

क्रियात्मक अनुसंधान के चरण

क्रियात्मक अनुसंधान करते समय विभिन्न चरणों से होकर गुजरना पड़ता है इसके कुछ चरण हैं जो निम्नलिखित हैं :-

Scanned with CamScanner

1. समस्या क्षेत्र की पहचान

↓

2. समस्या का चयन

↓

3. समस्या के कारणों का विश्लेषण

↓

4. परिकल्पना का निर्माण

↓

5. परीक्षण के लिए रूपरेखा बनाना

↓

6. मूल्यांकन

उपरोक्त चरणों की संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार है :-

1. **समस्या क्षेत्र की पहचान (Identification of Problem Area)** :- यह पहला चरण है इसमें यह ज्ञात किया जाता है कि समस्या किस क्षेत्र की है यह तय करना होता है कि क्रियात्मक अनुसंधान के लिए कौन से क्षेत्र उपयुक्त होगा जैसे कुछ विषयों का शिक्षण क्षेत्र अंग्रेजी, हिन्दी उच्चारण आदि।

2. **समस्या का चयन (Selection of Problem)** :- समस्या के क्षेत्र का चुनाव करने के उपरान्त समस्या का चयन करना होता है कि अध्यापक कौन सी समस्या को लेकर क्रियात्मक अनुसंधान करना चाहता है। इसमें समस्या को स्पष्ट किया जाता है जैसे कक्षा 7वी के बच्चों में हिन्दी उच्चारण की समस्या।

3. **समस्या के कारणों का विश्लेषण (Analysis of causes of the Problem)** :- समस्या के चयन के पश्चात समस्या के कारणो का पता लगाना आवश्यक है इसके लिए प्रमाण सहित कारण एकत्र करने होंगे। इन कारणो की सूची बना ली जाती है। जैसे हिन्दी उच्चारण की समस्या के कारण क्या है? क्या बच्चा ठीक नहीं सुनता है? क्या बच्चे की इन्द्रियों से सम्बन्धित समस्या है? क्या बच्चे को कोई दोष है आदि समस्या से सम्बन्धित कारणों की सूची तैयार की जाती है समस्या के कारणो की सूची तर्क संगत है या नहीं।

4. **परिकल्पना का निर्माण (Formulation of Hypothesis)** :- किसी भी समस्या के समाधान से पूर्व परिकल्पना बनाना आवश्यक है परिकल्पना एक ऐसा स्पष्ट तथ्य है जिसका केवल परीक्षण ही होना बाकी है। इसलिए परिकल्पना बनाते समय सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि परिकल्पना शोधकर्ता को लक्ष्य की ओर ले जाती है। परिकल्पना ऐसी बनानी चाहिए जो शोधकर्ता के नियन्त्रण में हो अर्थात् जिस पर आसानी से कार्य हो सके, क्योंकि परिकल्पना को आधार मानकर दूसरी रूपरेखा

तैयार की जाती है।

5. **परीक्षण के लिए रूपरेखा बनाना (Developing a Design to test)** :- परिकल्पना के निर्माण के पश्चात इसके परीक्षण के लिए रूपरेखा तैयार की जाती है इस रूपरेखा को बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए कि विद्यालय के अन्य कार्यों में कोई बाधा न आये। इस रूपरेखा से अनुसंधान कार्य को एक दिशा मिलती है। यह रूपरेखा परिकल्पना की पुष्टि करता है। अनुसंधानकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार रूपरेखा तैयार करता है। यदि आवश्यक हो तो परिवर्तन भी कर सकता है इस रूपरेखा को बनाते समय कुछ बातो का ध्यान रखना आवश्यक है जैसे -

1. क्रियात्मक अनुसंधान में होने वाली क्रियाओं का विवरण।
2. उन क्रियाओं के लिए सहायक साधनों का विवरण।
3. धन एवं समय आदि का विवरण।

इस प्रकार के अनुसंधान में अनुभवी व्यक्तियों की सलाह भी ली जा सकती है।

6. **मूल्यांकन (Evaluation)** :- क्रियात्मक अनुसंधान का अन्तिम पद मूल्यांकन ही है इसके माध्यम से अनुसंधानकर्ता यह ज्ञात करता है कि उनके द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ती हुई या नहीं। यदि हुई तो किस सीमा तक हुई यदि नहीं हुई तो उसके पीछे क्या कारण रहे। इन्हीं परिणामों के आधार पर भावी अनुसंधान योजना के लिए सुझाव भी दिये जाते है। इस पद के अन्तर्गत निरीक्षण, प्रश्नावली साक्षात्कार, चेकलिस्ट व सांख्यिकीय विवेचन को आधार बनाया जाता है। मूल्यांकन के निर्णय लेने से पूर्व यह जाँच कर लेनी आवश्यक है कि मूल्यांकन वैध, वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय हो। इस मूल्यांकन के आधार पर समस्या के लिए उपचार कर सकते है।

इस प्रकार शिक्षा व शिक्षण से सम्बन्धित कई समस्याओं का समाधान करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान सबसे प्रभावी उपकरण है। समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ शिक्षण किया जाता है इन बच्चो की अपनी व्यक्तिगत समस्याऐं होती है इन बच्चो की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है।

2. अभिक्रमित अधिगम
(Programmed Learning)

अभिक्रमित अधिगम को आधुनिक रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय ओहिओ विश्वविद्यालय के सिडनी एल प्रेसे तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय के बी.एफ. स्किनर ने किया। सर्वप्रथम स्किनर ने जानवरो पर इसका प्रयोग किया उसने यह ज्ञात किया कि सीखने की क्रिया में पुनर्बलन के लगातार प्रयोग करने से कार्य के प्रति रूचि बनी रहती है। इससे ज्ञान स्थाई होता है इसलिए सीखने की प्रक्रिया में पुनर्बलन का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाय।

अभिक्रमित अधिगम का अर्थ

अभिक्रमित अधिगम को स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाऐं इस प्रकार है :-

प्रो० स्मिथ, "अभिक्रमित अधिगम एक ऐसा अनुदेशन है जिसमें सामग्री पदो में एक क्रम से प्रस्तुत की जाती है, एक पद अर्थात् फ्रेम से दूसरे फ्रेम तक पहुंचने से पहले विद्यार्थी को पहले पद या फ्रेम का सही उत्तर देना आवश्यक है प्रश्नो की पूर्व योजना शिक्षक ही करता है।"

Scanned with CamScanner

सुसन मारकल, "अभिक्रमित अधिगम पुनः प्रस्तुत करने के योग्य अनुदेशनात्मक क्रियाओं या घटनाओं की उस श्रंखला का प्रारूप तैयार करने की विधि है जिससे प्रत्येक स्वीकार्य विद्यार्थी के व्यवहार में मापनीय और स्थाई परिवर्तन लाया जा सके या उत्पन्न किया जा सके।"

स्मिथ और मूरे, "अभिक्रमित अनुदेशन सीखी जाने वाली सामग्री को क्रमबद्ध पदों की श्रंखला में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है जिससे विद्यार्थी प्रायः परिचित पृष्ठभूमि से जटिल तथा नये प्रत्ययों, सिद्धान्तों और बोध की ओर अग्रसर होता है।"

जेम्स ई. इसपित, "अभिक्रमित अनुदेशन अनुभवों का नियोजित क्रम है जो उद्दीपन अनुक्रिया सम्बन्ध के रूप में प्रवीणता हासिल करता है।"

उपरोक्त परिभाषाओं से कुछ विशेषताऐं स्पष्ट होती हैं :-

1. विषय सामग्री छोटे-छोटे भागों में बँटी होती है।
2. विद्यार्थियों को पुनर्बलन की आवश्यकता होती है।
3. इनमें विद्यार्थियों की सही अनुक्रियाओं की तात्कालिक पुष्टि की व्यवस्था होती है तथा गलत अनुक्रियाओं को भी तत्काल ठीक करने की व्यवस्था होती है।

अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धान्त

अभिक्रमित अधिगम को प्रो० एडवर्ड एफ. ओ. डे. ने दो भागों में बांटा है :-

1. अनिवार्य सिद्धान्त
   - उद्देश्यों का विशिष्टीकरण
   - आनुभविक परीक्षण
   - स्वयं की गति
2. ऐच्छिक सिद्धान्त
   - प्रकट अनुक्रिया करना
   - तात्कालिक पृष्ठपोषण
   - पद का लघु आकार

1. अनिवार्य सिद्धान्त :-

क) उद्देश्यों का विशिष्टीकरण :- अभिक्रमित अनुदेशन में सर्वप्रथम उद्देश्यों को स्पष्ट कर व्यावहारिक रूप में लिखना होता है जिससे उद्देश्यों को प्राप्त करने में आसानी हो।

ख) आनुभविक परीक्षण :- अभिक्रमित सामग्री आनुभविक रूप से जाँची गई सामग्री होती है। कार्यक्रम का ड्राफ्ट निम्नलिखित तीन अवस्थाओं में टैस्ट किया जाता है।

व्यक्तिगत परीक्षण- इसमें ड्राफ्ट को किसी व्यक्ति पर आमने-सामने बैठाकर टैस्ट किया जाता है।

लघु समूह परीक्षण- व्यक्तिगत परीक्षण के बाद कक्षा में पांच या दस विद्यार्थियों पर परीक्षण किया जाता है।

फील्ड परीक्षण- लघु समूह पर टैस्ट करने के बाद कार्यक्रम में संशोधन कर कक्षा में इसका प्रयोग किया जाता है।

ग) स्वयं की गति :- अभिक्रमित अधिगम में विद्यार्थी उस गति के बारे में स्वयं निर्णय लेते हैं जिस गति के साथ उस कार्यक्रम के द्वारा विकास करना होता है।

2. ऐच्छिक सिद्धान्त :- इस वर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित सिद्धान्त हैं :-

क) प्रकट अनुक्रिया करना :- इसमें विद्यार्थी को प्रकट अनुक्रिया के लिए कहा जाता है इससे विद्यार्थी सक्रिय रहता है और विषय वस्तु में ध्यान केन्द्रित करता है।

ख) तात्कालिक पृष्ठपोषण :- पृष्ठपोषण के माध्यम से विद्यार्थी की कार्यशीलता के बारे में परिणाम ज्ञात किये जाते हैं।

ग) पद का लघु आकार :- इसमें विषयवस्तु को छोटे-छोटे भागों में तोड़ा जाता है जो सिखाने में आसान होता है।

स्किनर ने अनुदेशन के निम्नलिखित सिद्धान्त बताये हैं :

1. **लघु पदों का सिद्धान्त :-** अभिक्रमित अनुदेशन में विषयवस्तु को छोटे-छोटे खण्डों में विभाजित कर दिया जाता है जिसे फ्रेम कहते है। इस फ्रेम से बच्चे आसानी से सीख जाते हैं।
2. **तात्कालिक पृष्ठपोषण का सिद्धान्त :-** परिणामों की तत्काल पृष्ठ पोषण करना आवश्यक होता है पृष्ठपोषण से छात्र अपनी गलतियों को पुनः नहीं दोहराता है तथा बच्चे को सही या गलत का पता चल जाता है।
3. **सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धान्त :-** अभिक्रमित अनुदेशन क्रियाशीलता पर आधारित है। अभिक्रमण कार्यक्रम विद्यार्थी की अनुक्रिया को सक्रिय बनाता है सक्रिय अनुक्रिया से अर्थ है कि विद्यार्थी का अधिगम प्रक्रिया में पूर्ण रूप से संलिप्त होना।
4. **स्वयं की गति का सिद्धान्त :-** जब विद्यार्थी किसी कार्यक्रम में संलिप्त रहता है तो वह अपनी गति से आगे बढ़ता है।
5. **विद्यार्थी परीक्षण :-** शिक्षक अपने विद्यार्थी का निरन्तर मूल्यांकन कर सकता है वह अपने कार्यक्रम की कमजोरियों का पता लगा सकता है तथा छात्रों के शैक्षिक निष्पादन में संशोधन कर सकता है।

अभिक्रमित अनुदेशन के लाभ

अभिक्रमित अनुदेशन के लाभ इस प्रकार हैं :-

1. इसमें विद्यार्थियों की सक्रियता रहती है सक्रियता से बच्चों का ज्ञान स्थायी होता है क्योंकि इसमें इन्द्रियाँ क्रियाशील रहती हैं।
2. पुनर्बलन से छात्र कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं।
3. पृष्ठपोषण प्राप्त होने से छात्र अपनी गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं।
4. पारम्परिक शिक्षण की अपेक्षा यह कार्यक्रम सावधानीपूर्वक बनाया जाता है।
5. इस प्रकार का कार्यक्रम कभी भी किसी भी समय में किया जा सकता है।
6. इससे विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं।
7. इस विधि से शिक्षक छात्रों को क्रियाशील रखकर सृजनात्मक शक्तियों का विकास कर सकता है।
8. इससे अनुशासन की समस्या भी कुछ हद तक कम होती है।
9. बच्चे की व्यक्तिगत समस्या का समाधान किया जा सकता है।
10. पुनर्बलन मिलने से छात्र सफलता की ओर अग्रसर रहते हैं।

इस प्रकार अभिक्रमित अनुदेशन बच्चों को सिखाने का प्रभावी सहायक उपकरण है, चूंकि यह सीखने की प्रक्रिया में सहायक होता है समावेशी शिक्षा में इस प्रविधि का प्रयोग किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा में बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताऐं होती हैं जिनके कारण वे

Scanned with CamScanner

धीमी गति से सीखते है। इन बच्चों को स्वयं की गति से सिखाने के लिए अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग किया जा सकता है।

3. निर्देशन एवं परामर्श
(Guidance and Counselling)

समावेशी शिक्षा मे बच्चों के लिए निर्देशन एव परामर्श की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें कई प्रकार के विकलांग बालक पाये जाते है। जिन्हें व्यावसायिक कुशलता प्रदान करने तथा आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने के लिए निर्देशन व परामर्श की आवश्यकता होती है और यह कार्य अध्यापक के द्वारा किया जाता है। अध्यापक द्वारा इन बच्चों को व्यक्तिगत, शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किया जा सकता है। यहा निर्देशन व परामर्श दोनो का अलग-अलग अध्ययन किया जा रहा है।

निर्देशन का अर्थ : निर्देशन किसी व्यक्ति को अपने आप को जानने मे सहायता प्रदान करता है अर्थात् उसकी क्षमता और कुशलताओं, सम्भावनाओं, व्यवहारों, रुझानों, रुचियों व प्राकृतिक क्रियाओं को जानने और इससे अधिकतम लाभ उठाने मे सहायता प्रदान करता है, ताकि वह इसका लाभ उठा सके। दूसरे अर्थों मे निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को शरीर, मन, व्यक्तित्व तथा चरित्र के विकास मे सहायता मिलती है और उसे अधिकाधिक शैक्षिक, व्यावसायिक, निजी या मनोवैज्ञानिक समायोजन मे सहायता मिलती है निर्देशन के सम्बन्ध मे विभिन्न विद्वानो के विचार इस प्रकार है।

जोनज, "निर्देशन व्यक्ति की वृद्धि की स्वदिशा मे उन्नति का नाम है।"

विसलम, "निर्देशन किसी व्यक्ति को अपने गुण मालूम करने तथा अपना स्थान खोजने मे सहायता करने की प्रक्रिया है।"

नैप, "निर्देशन व्यक्ति मे सीखने, सहायता करने तथा परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है।"

फाउलर, "निर्देशन का भाव है कि विद्यार्थी अधिक अनुकूलन समायोजन प्राप्त करने के योग्य हो सके।"

निर्देशन की विशेषताऐं

निर्देशन की विशेषताऐं इस प्रकार है :-

1. निर्देशन विशेष तथा साधारणीकृत सेवा है।
2. निर्देशन नैतिकता की संहिता पर आधारित है।
3. निर्देशन एक संगठित सेवा है न कि अचानक प्राप्त होने वाली।
4. निर्देशन विकासशील तथा विस्तृत होता है।
5. निर्देशन शैक्षिक तथा व्यावसायिक लक्ष्यों पर निर्भर है।
6. निर्देशन शिक्षा का क्रियात्मक पक्ष है।
7. निर्देशन बाल केन्द्रित है।
8. निर्देशन व्यक्ति की सूझ-बूझ विकसित करता है।
9. निर्देशन एक धीमी लेकिन निरन्तर प्रक्रिया है।
10. निर्देशन सर्वव्यापक होता है।
11. निर्देशन आयोजन है।

निर्देशन की आवश्यकता एवं महत्व

निर्देशन बच्चों की व्यक्तिगत क्षमता, रुचि, योग्यता के अनुसार दिया जाता है इसकी आवश्यकता व महत्व इस प्रकार है :-

1. निर्देशन बच्चों के लिए पाठ्यक्रम के चयन मे सहायता प्रदान करता है।
2. यह विद्यालय के अपव्यय व अवरोधन को कम करने मे सहायक होता है।
3. यह अनुशासनहीनता को कम करने मे सहायक होता है।
4. यह व्यवसाय के चुनाव करने मे सहायक होता है।
5. विभिन्न कौशलों का विकास करने मे सहायक होता है।
6. आत्मनिर्भर बनने मे सहायक होता है।
7. व्यक्तित्व के उचित विकास करने मे सहायक होता है।

विद्यालय मे निर्देशन की आवश्यकता इस प्रकार है:-

i. पुस्तकों के चयन मे
ii. रुचियों के विकास मे
iii. पाठ्यक्रम सम्बन्धी क्रियाओं के चयन मे
iv. समय तथा कार्य के संगठन मे
v. सामाजिक सम्बन्धों को बनाये रखने के लिए।

निर्देशन के क्षेत्र

बच्चों को प्रत्येक क्षेत्र मे निर्देशन की आवश्यकता होती है ब्रेवर ने निर्देशन के 10 प्रकारों का वर्णन किया है जो इस प्रकार है :-

1. शैक्षिक निर्देशन।
2. व्यावसायिक निर्देशन।
3. धार्मिक निर्देशन।
4. घरेलू सम्बन्धो का निर्देशन।
5. नागरिकता के लिए निर्देशन।
6. अवकाश एवं मनोरंजन के लिए निर्देशन।
7. ठीक कार्य करने के लिए निर्देशन।
8. निजी कल्याण का निर्देशन ।
9. विचारशीलता तथा सहयोग का निर्देशन।
10. स्वास्थ्य और सांस्कृतिक कार्यों मे निर्देशन।

4. शैक्षिक निर्देशन

शिक्षा के प्रत्येक स्तर मे निर्देशन की आवश्यकता होती है यह बच्चे की पढ़ाई मे रुचि, प्रवृत्ति, विकास, अनुशासन आदि के लिए महत्वपूर्ण है। शैक्षिक निर्देशन के सम्बन्ध मे विद्वानों ने अपने विचार इस प्रकार दिये है :-

Scanned with CamScanner

ट्रैक्सलर : "शैक्षिक निर्देशन स्कूल का प्रत्येक पहलू-पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, पढ़ाई का निरीक्षण, अनुशासन विधियों, उपस्थिति, योजनाबन्धी समस्याओं पाठ्य सहायक क्रियाओं, स्वास्थ्य तथा शारीरिक योग्यता कार्यक्रम एवं घर और समुदाय के सम्बन्धों में घनिष्ट सम्बन्ध होता है।"

मायर : "शैक्षिक निर्देशन एक कार्यप्रणाली है जिसका सम्बन्ध एक ओर शिष्य की विशेषताओं को देखना और दूसरी ओर विभिन्न गुणों के अवसरों तथा आवश्यकताओं को प्रकट करना है जिससे व्यक्ति के विकास अथवा शिक्षा की अनुकूल व्यवस्था हो सके।"

आर्थर जोन्स : "शैक्षिक निर्देशन का सम्बन्ध उस सहायता के साथ है जो विद्यार्थियों को विषयों के चुनाव तथा स्कूलों, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा स्कूल के साथ समंजन प्राप्ति में दी जाती है।"

शैक्षिक निर्देशन के कार्य

शैक्षिक निर्देशन के निम्न कार्य है :-

1. शैक्षिक निर्देशन का कार्य विद्यार्थियों की योग्यताओं, रूझानों तथा रूचियों के अनुसार पाठ्यक्रम के चयन में सहायता करना है।
2. शैक्षिक निर्देशन का कार्य अध्ययन की विधियों में सुधार करना है कि किस प्रकार पढ़ा जाय या किस प्रकार याद किया जाय।
3. यह पिछड़े हुए विद्यार्थियों की शिक्षा में सहायता प्रदान करता है।
4. बच्चों को स्कूल में अपनी पसन्द के विषय चयन में सहायता करता है।
5. विद्यार्थियों के व्यवसाय चयन में सहायता प्रदान करता है।
6. बच्चों की अच्छी आदतों तथा बुनियादी कुशलताओं को विकसित करने में सहायता प्रदान करता है।
7. बच्चों को शिक्षा से अधिकतम लाभ उठाने में सहायता प्रदान करता है।
8. बच्चों को स्वयं को जानने में सहायता प्रदान करता है।
9. बच्चे का वातावरण को समझने में सहायता प्रदान करता है।
10. विशेष विषयों तथा परीक्षाओं के बारे में निर्देशन दिया जाता है।

5. परामर्श (Counselling)

परामर्श सेवा को निर्देशन का केन्द्र या आन्तरिक भाग कहा जाता है परामर्श को विद्वानों ने इस प्रकार परिभाषित किया है।

रॉबिन्सन : "परामर्श में सब प्रकार की परिस्थितियाँ आ जाती है जिनमें परामर्श लेने वाले अथवा परामर्श प्रार्थी को वातावरण के साथ समायोजन प्राप्त करने में प्रभावशाली ढंग से सहायता की जाती है।"

वैबस्टर शब्दकोष : "परामर्श का अर्थ है पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक विनिमय।"

रूथ : "परामर्श, परामर्श देने वाले तथा परामर्श लेने वाले के बीच रूबरू सम्बन्ध स्थापित होना है।"

परामर्श की विशेषताऐं

परामर्श की विशेषताऐं इस प्रकार है :-

1. इसमें दो व्यक्ति शामिल होते है। एक परामर्शदाता और दूसरा परामर्श लेने वाला।
2. इसका उद्देश्य परामर्श लेने वाले की सहायता करना है।
3. यह व्यक्ति व व्यक्ति के बीच का सम्बन्ध है।
4. इन दोनों में आपसी सहयोग, मैत्री, आदर, सम्मान की भावना होती है।
5. यह लोकतन्त्रीय प्रक्रिया है।

परामर्श का महत्व व उद्देश्य

परामर्श के महत्व के बारे में अलग-अलग विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किये है। आर्बकल ने परामर्श के सम्बन्ध में अपने विचार इस प्रकार दिये- "परामर्श का उद्देश्य है लोगों की खुद की समस्याओं का समाधान करना, उनकी मदद करना और परामर्शी को इस हद तक स्वयं को समझने में समर्थ बनाना कि वह अपने नये दिशा निर्देशन को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक कदम उठा सके।"

हम्फ्रे व मिलर ने परामर्श के महत्व को इस प्रकार लिखा है :-

1. छात्र को उसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण बातों की जानकारी देना।
2. छात्र के बारे में जानकारी प्राप्त करना जो उनकी समस्याओं का समाधान करने में सहायक हो।
3. छात्रों और अध्यापकों के बीच पारस्परिक समझ स्थापित करना।
4. छात्र की स्वयं की रूचियों, योग्यताओं, रूझानों इत्यादि को जानने में उसकी मदद करना।
5. छात्र की स्वयं की कठिनाईयों को हल करने के लिए एक योजना तैयार करने में मदद करना।
6. विशिष्ट योग्यताओं और सही अभिवृत्तियों को प्रोत्साहित और विकसित करना।
7. शैक्षिक एवं व्यावसायिक चुनावों की योजना बनाने में छात्र की सहायता करना।

परामर्श किन बच्चों को दिया जाना चाहिए?

यहाँ प्रश्न उठता है कि परामर्श किन बच्चों को दिया जाये? समावेशी शिक्षा में सभी बच्चे जो अधिगम विकलांग है उन्हें शिक्षक द्वारा परामर्श दिया जाना चाहिए।

अध्यापक को ऐसे बच्चों को परामर्श देने की आवश्यकता होती है :-

1. जो निरन्तर पढ़ाई में कम अंक प्राप्त करते है।
2. जो पढ़ाई में कमजोर व सुस्त होते है।
3. जो बीच में पढ़ाई छोड़ने का विचार करते है।
4. जो बच्चे अत्यन्त शर्मीले, कम बोलने वाले होते है।
5. जिनकी शैक्षिक उपलब्धि अचानक कम हो जाती है।
6. जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने में कठिनाई महसूस करते है।
7. जिन्हें पढ़ने के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता है।
8. जिन बच्चों को व्यवहार सम्बन्धी समस्याऐं है जैसे चोरी करना, झूठ बोलना आदि।
9. ऐसे बच्चे जिनकी बौद्धिक, भावात्मक, संवेगात्मक समस्याऐं है।
10. ऐसे बच्चे जो अधिगम असमर्थी है।

Scanned with CamScanner

समावेशी कक्षा-कक्ष में सहायक एवं अनुकूलन तकनीकी

(Assistive & Adaptive Technology in Inclusive Class-Room)

सहायक तकनीकी एवं अनुकूलन तकनीकी इन दोनों को प्रायः समानार्थी रूप में प्रयुक्त करने के प्रयत्न किए जाते है। परन्तु ये दोनों भिन्न हैं। सहायक तकनीकी पद जैसा कि हम इसी एक औपचारिक परिभाषा देने में पहले ही कह चुके हैं कि इससे अभिप्राय किसी ऐसी वस्तु, उपकरण या सृजित व्यवस्था से है जिसे चाहे बाजार से खरीदकर या स्वयं ही परिमार्जित और निर्मित कर एक विकलांग बालक की कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ाने, यथास्थिति में बनाए रखने या उनमें यथोचित सुधार लाने हेतु प्रयुक्त किया जा सके। इसकी तुलना में अनुकूलन तकनीकी पद का उपयोग उन वस्तु, उपकरण या व्यवस्थाओं के लिए होता है जिन्हें विशेष रूप से ऐसे विशेष व्यक्तियों को उनके अपने आपसे तथा वातावरण से अनुकूलित/समायोजित होने में सहायता करना होता है जिन्हें अपनी असमताओं/विकलांगता की वजह से यह सब कुछ करने में परेशानी रहती है। इस तरह ये ऐसे उपकरण साधन और व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें केवल विकलांग व्यक्तियों की विकलांगता विशेष को लेकर उन्हें उनके अनुकूलन में सहायता करने हेतु काम में लाया जाता है। सहायक तकनीकी से जुड़े साधन, उपकरण और व्यवस्था तन्त्रों के उद्देश्य, अनुकूलन तकनीकी उपकरणों/व्यवस्थाओं से कुछ अधिक व्यापक समझे जाते हैं। इन्हें अक्षम और सक्षम सभी व्यक्तियों द्वारा अपनी-अपनी कार्यकुशलता तथा क्षमताओं में वृद्धि करने या उनका भरपूर उपयोग करने हेतु समान रूप से प्रयोग किया जा सकता है। इस अर्थ में अनुकूलन तकनीकी को सहायक तकनीकी के एक विशेष भाग या अवयव के रूप में देखा जाना चाहिए जिससे विकलांग या अक्षम बालकों के अपने आप से तथा वातावरण से अनुकूलित/समायोजित होने हेतु काम में लाया जाता है तथा सहायक तकनीकी को ऐसे तकनीकी के रूप में जिससे उनके अनुकूलन में ही नहीं बल्कि शिक्षा और विकास सम्बन्धी सभी प्रकार के कल्याणकारी कार्यों के प्रभावशाली सम्पादन में यथोचित मदद मिलती है।

विभिन्न प्रकार के विकलांग विद्यार्थियों के लिए सहायक एवं अनुकूलन तकनीकियाँ

(Assistive and Adaptive Technologies for Various Types of Disabled Students)

समावेशी कक्षा-कक्ष व्यवस्था में सभी विद्यार्थियों चाहे वे सामान्य हों या किन्हीं असमताओं से युक्त, सभी के अनुकूलन/समायोजन शिक्षा और विकास हेतु उचित अवसर प्रदान करने का प्रावधान रहता है। इस कक्षा में इस तरह अपनी विभिन्न प्रकार की विकलांगता को लेकर ऐसे विद्यार्थी भी हो सकते हैं जो चलने-फिरने में विकलांग हों, जिन्हें अपने हाथ या पैरों के काम में लाने में परेशानी हो या उनमें इन अंगों सम्बन्धी कोई विकार या विकृति हो, दृष्टि या श्रवण सम्बन्धी असमताएँ हो, अधिगम सम्बन्धी असमताओं के शिकार हों या मानसिक रूप से अक्षम अथवा पिछड़े हुए हों, सम्प्रेषण या बोलने सम्बन्धी असमताओं से युक्त हो आदि। इस प्रकार के सभी बालकों के लिए उपयुक्त सहायक एवं अनुकूलन तकनीकियों के उपयोग की बात अब यहाँ एक समावेशी शिक्षा व्यवस्था में विशेष रूप से उभरकर सामने आ सकती है। क्या-क्या किया जाए, इस सम्बन्ध में संक्षेप में निम्न उपायों पर अमल करना लाभप्रद रह सकता है।

1. **भौतिक सुविधाओं** तथा परिवेशजन्य बातों में सुधार लाकर **आवश्यक अनुकूलन करना** - बालकों की विकलांगता यह माँग करती है कि उन्हें समावेशी कक्षा-कक्ष तथा विद्यालय व्यवस्था में समुचित

रूप से अनुकूलित/समायोजित करने हेतु परिवेशजन्य बातों तथा परिस्थितियों एवं मिलने वाली भौतिक सुविधाओं में अपेक्षित परिवर्तन एवं परिमार्जन किए जाएँ। इस सम्बन्ध में सामान्य रूप से निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया जा सकता है -

क) विद्यालय में उचित रेम्पों तथा आने-जाने के रास्ते का निर्माण एवं रख-रखाव।

ख) कक्षा-कक्ष प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं तथा अन्य कार्यकारी स्थलों में समुचित फर्नीचर तथा बैठने और कार्य करने की व्यवस्था जिसमें व्हील चेयर तथा स्टैंडिंग फ्रेम्स में आसीन विकलांग बालकों के लिए उपयुक्त स्थान तथा उचित उपायों का भी प्रावधान रहना चाहिए।

ग) जिन बालकों को कम सुनाई देता है उनके लिए अध्यापक द्वारा आस-पास ही बैठने और कार्य की सुविधाएँ प्रदान करना। इसी तरह दृष्टि सम्बन्धी न्यूनताओं से ग्रस्त बालकों को भी श्यामपट्ट या इंटरऐक्टिव व्हाइट बोर्ड के आस-पास ही स्थान देना।

घ) पीने के पानी, प्रसाधन साधनों (मूत्रालय, शौचालय आदि), कॉमन हॉल, कैंटीन आदि की ऐसी व्यवस्था और उसमें ऐसा आवश्यक परिमार्जन जिससे सामान्य बालकों के साथ विकलांग बालकों को भी इन साधनों से लाभान्वित होने में कोई परेशानी न हो।

2. **विकलांग बालकों को उनके आवश्यक अनुकूलन हेतु तकनीकी मोबाइल उपकरणों/साधनों से सुसज्जित करना** - विकलांग बालकों को अपनी विकलांगता की वजह से अंग संचालन तथा इधर-उधर चलने-फिरने, काम करने और शिक्षण अधिगम क्रियाओं में भाग लेने में असुविधा हो सकती है। इनके इस क्रियाशीलता को बनाए रखने में निम्नलिखित प्रकार के अनुकूलन/सहायक तकनीकी साधन उपयुक्त मदद कर सकते हैं -

क) उपयुक्त व्हील चेयर तथा वॉकर्स की व्यवस्था करना।

ख) दृष्टि सम्बन्धी विकलांग विद्यार्थियों को लकड़ी या एल्युमिनियम की बनी बेंतों अथवा इलैक्ट्रॉनिक ट्रैवल उपकरणों जैसे लेजर बीमा केन तथा सोनिक गाइड का उपयोग करना सिखाना।

ग) चश्मे लगे विद्यार्थियों को चश्मे की सहायता से आवश्यक रूप से क्रियाशील रहने में मदद करना तथा इसी प्रकार सुनने सम्बन्धित असमता से युक्त बालकों को सुनने सम्बन्धी सहायक उपकरणों का उचित ढंग से उपयोग करने में सहायता करना ताकि उनकी क्रियाशीलता में कोई अनावश्यक व्यवधान न आए।

3. **समावेशी कक्षा-कक्ष व्यवस्था में विकलांग विद्यार्थियों के अध्ययन-अध्यापन में प्रयुक्त अनुकूलन और सहायक तकनीकी** - समावेशी कक्षा-कक्ष व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के अक्षम और विकलांग विद्यार्थियों को उनके अध्ययन-अध्यापन में उचित सहायता प्रदान करने हेतु विविध प्रकार की अनुकूलन और सहायक तकनीकियों का प्रयोग किया जा सकता है। इनके अध्ययन में सहायक इस प्रकार के सहायक उपकरणों, विधियों तथा प्रक्रियाओं का उनकी विकलांगता के हिसाब से संक्षेप में निम्नलिखित प्रकार वर्णन किया जा सकता है -

क. **मांसपेशी एवं अस्थि विकलांग बालक** - वे बालक जिन्हें अस्थि विकलांगता के कारण चलने-फिरने, हाथ या पैर से क्रियाएँ करने, पढ़ने-लिखने में परेशानी होती है उनके अध्ययन-अध्यापन हेतु कुछ निम्नलिखित प्रकार के उपायों का अनुकरण करना लाभप्रद सिद्ध हो सकता है।

Scanned with CamScanner

1) जो विद्यार्थी पुस्तक या किसी प्रकार की मुद्रित या लिखित सामग्री को ठीक तरह पढ़ने योग्य नहीं होते उन्हें पढ़ने हेतु बोलने वाली पुस्तकें, रिकार्ड की गई पाठ्य सामग्री तथा व्याख्यानों का प्रबन्ध किया जा सकता है। कम्प्यूटर स्क्रीन और व्हाइट बोर्डों का प्रबन्ध भी इन्हें अध्ययन सामग्री तक पहुँचने में मदद कर सकता है।

2) इन बालकों को बुक होल्डर्स, रीडिंग स्टैंड का भी उनके बैठे-बैठे, खड़े-खड़े या तिरछी स्थितियों में रहने के हिसाब से प्रबन्ध किया जा सकता है।

3) पृष्ठ बदलने वाले साधन, रबर बैंडों तथा पेपर क्लिपों का प्रयोग किया जाता है कि उन्हें अपनी जरूरत के मुताबिक पुस्तकों, नोट-बुकों को खोलने और खुली अवस्था में अपने पढ़ने हेतु बनाए रखने में सहायता मिले।

4) अपनी शारीरिक विकृतियों की वजह से इस प्रकार के बालकों को लिखित अनुक्रियाएं प्रदान करने में परेशानी होती है उनकी इन असुविधाओं को दूर करने हेतु -

- इन विद्यार्थियों को ऐसे पेन तथा पेंसिलों को काम में लाने के लिए कहा जा सकता है जिन्हें पकड़ना और काम में लाना उन्हें सुविधाजनक हो या उन्हें ऐसा करने हेतु विशेष प्रकार के होल्डर्स का उपयोग करने हेतु कहा जा सकता है। साथ के सामान्य सहयोगी भी उसे कक्षा नोट लेने तथा लिखित अनुक्रियाएँ/उत्तर देने में सहायता कर सकते हैं।
- विकलांग विद्यार्थी को अपना दूसरा हाथ और यहाँ तक पैरों से भी लिखने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है।
- वे लिखित अभिव्यक्ति हेतु कम्प्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन का जिनमें स्पर्श तकनीक का उपयोग होता है, अपनी क्षमता के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं।

ख) दृष्टि बाधित बालक - इन बालकों के कक्षा-कक्ष अध्ययन-अध्यापन में सहायता हेतु निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं -

1) जिन्हें कम दिखाई देता है उन्हें कक्षा में प्रदत्त अनुदेशन सामग्री को अच्छी तरह पढ़ने और देखने हेतु चीजों को बड़ा कर दिखाने वाले उपकरणों, बन्द परिपथ टेलीविजन तथा विशेष हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर युक्त कम्प्यूटर एवं इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करने में सिद्धहस्त बनाया जा सकता है।

2) प्रायः नेत्रहीन बालकों में सुनने की शक्ति अच्छी तरह विद्यमान पाई जाती है, उनकी इस विशेष क्षमता का लाभ उठाते हुए उनके शिक्षण अधिगम में ऐसी तकनीकी और उपकरणों का अधिक प्रयोग किया जा सकता है जो उन्हें दृश्य सामग्री पर आश्रित न कर श्रव्य सामग्री से अधिगम अनुभव अर्जित करने में सहयोग दें। अतः उनके लिए सिन्थेसिस स्पीच टेक्नोलॉजी यानी लिखित शब्दों को वक्तव्य में बदलने की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाना बेहतर सिद्ध हो सकता है। कम्प्यूटर और इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से आज यह अच्छी तरह सम्भव है और इस तरह नेत्रहीन बालकों को लिखित पुस्तकों, टाइप तथा मुद्रित सामग्री आदि को अपने अध्ययन के लिए प्रयुक्त किया जाना सम्भव बनाया जा सकता है। आज ऐसे यान्त्रिक उपकरण मौजूद हैं जो लिखित सामग्री को अक्षरशः बोली में बदलने की प्रक्रिया को सही अन्जाम दे सकते हैं। कक्षाकक्षों में सामान्य बालकों के साथ इन्हें प्रयोग में लाने के लिए नेत्रहीन बालकों को हैडफोन्स की व्यवस्था की जा सकती है

ताकि वे दूसरे बालकों को कोई बाधा पहुँचाए बिना आवश्यक अध्ययन में संलग्न रह सकें।

3) नेत्रहीन बालकों में एक और विशेषता उनकी स्पर्श क्षमता को लेकर होती है। अध्ययन-अध्यापन हेतु ब्रेल लिपि का प्रयोग उनकी इस प्रकार की क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाता है। आज इस क्षेत्र में इस प्रकार की तकनीकी प्रगति हो गई है कि मुद्रित सामग्री को आसानी से ब्रेल लिपि में और ब्रेल लिखाई को मुद्रित लिखाई में बदला जा सके। अब नेत्रहीन बालक समावेशी कक्षा में अन्य बालकों के साथ अपने लेक्चर नोट्स ले सकते हैं, परीक्षाएं दे सकते हैं तथा दिए जाने वाले गृहकार्य तथा प्रोजेक्टरों को पूरा कर सकते हैं, उनकी ब्रेललिपि में लिखे कार्य को अध्यापकों तथा अन्य सहपाठियों के द्वारा परिवर्तित मुद्रित रूप में अच्छी तरह पढ़ा और समझा जा सकता है उनके लिए विशेष रूप से बने की-बोर्ड तथा टच स्क्रीन की सुविधा हो जाने के कारण अब उन्हें कम्प्यूटर पर कार्य करना भी सम्भव हो गया है, वे पैन ड्राइव से अपनी फाइलें सेव कर सकते हैं और यहां तक कि प्रिन्ट कॉपी निकालकर अपने साथियों में बाँट सकते हैं।

4. समावेशी कक्षा व्यवस्था की अनुदेशन प्रणाली में सक्रिय भागीदारी निभाने के उद्देश्य से आज नेत्रहीन बालकों को टच टेक्नोलॉजी पर आधारित ऐसे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जो उन्हें विषय विशेष के उचित अधिगम में समुचित सहायता कर सकें। उदाहरण के लिए संख्याओं से सम्बन्धित अधिगम जैसे गिनना, जोड़ना, घटाना, गुणा या भाग करने आदि गणितीय क्रियाओं में वे क्रेनर एबेकस का प्रयोग कर सकते हैं। यह विशेषतौर पर नेत्रहीन बालकों के लिए बना है जिसमें स्पर्श तकनीकी का प्रयोग होता है। इसी तरह अन्य विषयों के अध्ययन और अध्यापन हेतु विशेष रूप से निर्मित सहायक उपकरणों जैसे - 1. स्पीच प्लस टॉकिंग कैल्कुलेटर, 2. एम्बोस्ड रिलीफ मानचित्र एवं डायग्राम जिनमें उभरे अक्षर और आकृतियों का प्रयोग होता है, 3. टॉकिंग क्लॉक्स, 4. टॉकिंग थर्मामीटर एवं बैरोमीटर, 5. त्रिआयामी मॉडल, 6. रेज्ड लाइन राइटिंग पेपर एवं ग्राफ पेपर, 7. स्पेलिंग एवं ग्रामर सहायक सामग्री तथा 8. टॉकिंग बुक एवं डिक्शनरी आदि का उपयोग किया जा सकता है।

ग) श्रवण बाधित बालक - इन बालकों के शिक्षण अधिगम हेतु एक समावेशी कक्षा-कक्ष में अनुकूलित एवं सहायक तकनीकियों को प्रयुक्त किए जाने के सन्दर्भ में निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं -

1) जिन्हें कम सुनाई देता हो ऐसे बालकों को समावेशी कक्षा-कक्ष व्यवस्था में इस प्रकार बिठाने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए जिससे वे अध्यापक/अनुदेशक की कही हुई बातों को अच्छी तरह सुन सकें।

2) सुनने सम्बन्धी दोषों से ग्रस्त बालकों को जो कुछ कक्षाकक्ष में श्रवण सामग्री के रूप में प्रेषित किया जा रहा है उसे ठीक तरह समझने में साथी विद्यार्थियों से ही सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। वे अपने सहपाठियों से कक्षा नोट्स की भागीदारी भी कर सकते हैं तथा कक्षा के पश्चात् अध्यापक तथा ट्यूटर द्वारा भी जो उन्हें स्पष्ट नहीं हुआ है उसे स्पष्ट करने में सहायता की जा सकती है।

3) श्रवण बाधित विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उचित भागीदारी निभाने हेतु उन्हें सुनने सम्बन्धी उपकरणों/साधनों से लैस करने के प्रयत्न किए जाने चाहिएं। आजकल इस प्रकार के सहायक श्रवण साधनों सम्बन्धी तकनीकी में काफी प्रगति हुई है। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ कुछ

Scanned with CamScanner

निम्नलिखित प्रकार के उपायों की चर्चा करना चाहेंगे -

- एक आधुनिक श्रवण उपकरण जिसे माइक्रो टेक्टाइल डिवाइस नाम दिया जाता है, उसमें एक माइक्रोफोन होता है जो कॉलर में क्लिप किया जाता है, एक इलैक्ट्रॉनिक ध्वनि ग्राहक होता है जो एक पॉकेट कैरियर के रूप में कमर में धारण किया जाता है तथा एक कलाई पर बन्धा वाइब्रेटर होता है जो ध्वनि को पकड़ने के साथ ही क्रियाशील हो जाता है। अपने इस रूप में यह श्रवण उपकरण श्रवण विकलांग विद्यार्थियों को ध्वनियों का आभास कराने और उनके स्पीच रीडिंग कौशल ध्वनियों को सुनने और उनकी अभिव्यक्ति भाषा की गुणवत्ता को बढ़ाने में अवश्य मदद करता है।
- दूसरा सहायक श्रवण उपकरण जिसे एक समूह व्यवस्था जैसे समावेशी कक्षा-कक्ष में एक अध्यापक/वक्ता और श्रवण बाधित बालकों के बीच रेडियो लिंक बनाने हेतु काम में लाया जाता है एफ.एम. ध्वनि सन्यन्त्र के नाम से जाना जाता है। कक्षा-कक्ष व्यवस्था में सन्यन्त्र को काम में लाने के लिए के अध्यापक को एक माइक्रोफोन ट्रांसमीटर (जो उसके द्वारा होंठों के पास टांगा जाता है) द्वारा एक विशेष एफ.एम. ध्वनि तीव्रता के साथ अपने द्वारा कही जाने वाली बातों का प्रसारण करना होता है तथा विद्यार्थियों द्वारा अपने-अपने ध्वनि ग्राहकों के द्वारा उस प्रसारित ऑडियो सामग्री को ग्रहण करना होता है। क्योंकि यहाँ कोई तार या अलग से प्रयोग में लाए जाने वाले एम्प्लीफायरों का प्रयोग नहीं होता इसलिए अध्यापक और विद्यार्थी कक्षा-कक्ष में कहीं भी गति कर सकते है या बैठे रह सकते हैं और इसे कमरे के भीतर या खुले में किसी भी शिक्षण अधिगम स्थिति में काम में लाया जा सकता है।
- उस परिस्थिति में जिसमें विद्यार्थियों को सुनने सम्बन्धी सहायक उपकरणों को प्रयोग में लाने में कोई फायदा नहीं होता, सर्जरी की सहायता लेकर उनके कान के भीतर कोक्लिया में एक इलैक्ट्रॉनिक उपकरण लगाना होता है। इससे कान के इस भीतरी भाग में स्थित उन तन्त्रिकाओं को क्रियाशील बनाने में मदद मिलती है जो क्षतिग्रस्त नहीं है। इसके परिणामस्वरूप इन बालकों को सुनने लगता है। इस प्रकार की सर्जरी से आवश्यक श्रवण उपकरण को कान में स्थापित करना ठीक वैसा ही कार्य होता है जैसाकि हृदय रोगों में हृदय की क्रियाशीलता हेतु पेसमेकर को हृदय में स्थापित किया जाता है।

4) जब भी किसी फिल्म या वीडियो प्रजेंटेशन के माध्यम से अनुदेशन/निर्देशन या प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाए तो दिखाई जा रही विषयवस्तु से सम्बन्धित कैप्शन्स (Captions) यानी थोड़े शब्दों में सार भी प्रदर्शित किया जाता रहना चाहिए ताकि श्रवण दोषों से युक्त बालकों को जो कुछ प्रस्तुत किया जा रहा है उसे समझते रहने में आसानी रहे। सुनने के स्थान पर वह देखने में अपना ध्यान केन्द्रित कर अनुदेशन प्रक्रिया में अच्छी तरह भागीदारी कर सकें। इसी तरह कक्षा में जो मौखिक रूप से पढ़ाया जाता है उसे अगर दृश्य सहायक सामग्री और पावर प्रजेंटेशन से भी जोड़ा जाता रहे तो उससे बालकों को समावेशी शिक्षा व्यवस्था में अन्य सभी बालकों की तरह की अधिगम अवसर उपलब्ध रहते हैं।

5) सम्प्रेषण के लिए श्रवण बाधित बालकों को मोबाइल या स्मार्टफोनों पर मैसेजिंग फीचर का उपयोग करने के लिए कहा जा सकता है। वे अपनी बात मोबाइल या कम्प्यूटर की ई-मेल और चैटिंग व्यवस्था से दूसरों तक तथा दूसरों की अपने तक प्रेषित कर सकते हैं। अपने अध्यापकों के साथ आवश्यक सम्प्रेषण करने हेतु वे इन्हीं सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं, इनकी सहायता से विद्यार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों जैसे समूह वार्तालाप, विचार विनिमय तथा प्रोजेक्ट आदि में भागीदारी निभाना आदि क्रियाएँ की जाती हैं।

6) श्रवण बाधित बालकों के लिए कम्प्यूटर जन्य ऐसी अनेक सेवाएं हैं जिनकी मदद से वे समेकित शिक्षा व्यवस्था में अपने आपको अच्छी तरह समायोजित करते हुए अध्यापक अधिगम अनुभव अर्जित करते रह सकते हैं। जैसे -

- ऐसे अनेक सॉफ्टवेयर आज उपलब्ध हैं जिनकी मदद से वे विभिन्न विषयों से सम्बन्धित शिक्षण अधिगम सामग्री को उचित रूप में स्व-अधिगम या अध्यापकों के निर्देशन में ग्रहण कर सकते हैं।
- कम्प्यूटर तकनीकी से उन्हें इंटरऐक्टिव वीडियो तथा इंटरऐक्टिव व्हाइट बोर्डों की सेवाएँ, ऑडियो प्रस्तुतीकरण को चित्रात्मक प्रदर्शन में बदलने की व्यवस्था तथा आपसी विचार विनिमय के लिए ऑनलाइन सन्देश पट्टों की उपलब्धि सम्भव हो जाती है। साथ ही इंटरनेट और वेब पर सभी प्रकार की अनुदेशन, निर्देशन तथा प्रशिक्षण सामग्री की समयानुसार उपलब्धि का रास्ता भी खुल जाता है।

घ) **वाक् दोषों या सम्प्रेषण विकलांग बालक** - वे बालक जिनमें वाक् दोष, जैसे हकलाना, तुतलाना या गूंगा होना अथवा जो अपने आपको बोलकर या लिखकर अच्छी तरह अभिव्यक्ति नहीं कर पाते उन्हें समावेशी कक्षा व्यवस्था में समायोजित करने हेतु कुछ निम्नलिखित उपाय अपनाना ठीक रह सकता है।

1) ऐसे बालकों की हँसी उड़ाना या उपेक्षा करना ठीक नहीं है, अध्यापक को अपने स्वयं के व्यवहार में तो यह बात डालनी ही चाहिए साथ ही कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को भी यह सिखाया जाना चाहिए कि वे इन बालकों के साथ सदैव मित्रतापूर्ण व्यवहार ही करें और इनकी कठिनाइयों को समझते हुए जहाँ आवश्यक हो उन्हें आवश्यक शिक्षण अधिगम अनुभव अर्जित करने में मदद करें।

2) इन बालकों के कक्षाकक्ष शिक्षण अधिगम में ऑगमेन्टेटिव एवं ऑल्टरनेटिव कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग काफी लाभप्रद रहता है। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी अपने विविध रूपों में उपलब्ध रहती है और इसका मुख्य प्रयोजन सम्प्रेषण में कठिनाई अनुभव करने वाले विद्यार्थियों को उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था/साधन प्रदान करना होता है ताकि वे आवश्यक सम्प्रेषण में रत रहकर वांछित शिक्षण अधिगम अनुभव अर्जित कर सकें। इस टेक्नोलॉजी को प्रयोग में लाने हेतु आज बहुत से उत्पाद, उपकरण, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जिनमें सरल से सरल तकनीकी का उपयोग भी हो सकता है तथा कठिन से कठिन का भी, जैसे - चार्ट या बोर्ड पर ऐसे चित्र उपलब्ध रह सकते हैं जिनकी मदद से एक बच्चा यह कह सके कि उसे किस प्रकार की पेय, भोज्य और खेलने वाली वस्तुएँ चाहिऐ, उसे कहाँ जाना है और अब क्या करना है या इस प्रश्न के जवाब में उसे यह वैकल्पिक उत्तर देना है आदि-आदि। दूसरी ओर इस प्रकार की तकनीकी में उच्च स्तरीय स्पीच जेनेरेटिंग डिवाइस भी हो सकती है अथवा उपयुक्त सॉफ्टवेयरों से लैस कम्प्यूटर उपकरणों तथा स्मार्टफोनों का इस्तेमाल भी शामिल रहता है। जिस प्रकार की विकलांगता से बालक बाधित हो को ध्यान में रखते हुए हमें एक उचित उपकरण/साधन का चयन करना चाहिए।

ङ) **अधिगम विकलांग बालक** - अधिगम विकलांग बालकों को समावेशी शिक्षा व्यवस्था में अधिगम अनुभव अर्जित करने हेतु सहायक तकनीकी की काफी आवश्यकता रहती है उनकी

Scanned with CamScanner

विकलांगता के भी कई रूप हो सके हैं उनमें सम्प्रेषण गत अक्षमता तथा लेखन, पठन एवं गणना क्रियाओं से सम्बन्धित कठिनाइयाँ शामिल रह सकती हैं इन बालकों के समायोजन और शिक्षा हेतु निम्नलिखित प्रकार के उपाय लाभप्रद सिद्ध हो सकते हैं।

1) भाषागत अधिगम कठिनाइयों से निपटने के लिए ऑडियो रिकार्डिंग डिवाइस का उपयोग किया जा सकता है। इनके उपयोग से बालकों के पठन, वाचन तथा सम्प्रेषण कौशलों के विकास में आवश्यक सहयोग मिल सकता है।

2) अधिगम विकलांग बालकों को उनके अधिगम अनुभवों को जितना रोचक और सजीव बनाया जाए उतना अच्छा रहता है। अतः मौखिक कथनों, भाषणों या निर्देशन की जगह अगर अनुदेशन में वीडियो या पॉवरप्वाइंट प्रजेंटेशन को स्थान दिया जाता रहे तो ऐसे बालकों को अधिगम अनुभव अर्जित करने में आसानी रहती है। साथ ही भ्रमण पर ले जाना तथा खेल-खेल में शिक्षा देना ऐसी बातें भी उनके अनुदेशन में काफी सहायक रहती हैं और ऐसा करने में कक्षा के अन्य बालकों की शिक्षा तथा अनुदेशन पर अनुकूल प्रभाव भी पड़ता है।

3) कक्षाकक्ष शिक्षण अधिगम में कम्प्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रयोग भी यहाँ काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। इसके उपयोग से इन बालकों की पठन, लेखन, सम्प्रेषण, गणित, विज्ञान तथा अन्य प्रयोगात्मक विषयों से जुड़ी अधिगम विकलांगता के निवारण में काफी मदद मिल सकती है।

Scanned with CamScanner